सप्तम माला, 4 July 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Third-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अंक 19, शुक्रवार, 4 जुलाई, 1980/13 आषाढ़, 1902 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 385 से 387, 389, 391, 394, 397, और 399 से 401	...	1—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 388, 392, 393, 395, 396, 398 और 402 से 406	...	21—32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2916 से 3090, 3093 से 3109 और 3112 से 3114	...	32—232
सभापटल पर रखे गये पत्र	...	233—235
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	236—245
त्रिपुरा में एक बस पर हुए हमले में कुछ व्यक्तियों के मारे जाने तथा घायल होने का समाचार		
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	...	236—237
श्री योगेन्द्र मकवाना	...	236—241
श्री मूल चन्द डागा	...	241—242
श्री ए० के० राय	...	243—244
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	...	—245
नियम 377 के अधीन मामले	—	—246
(क) राज्य सरकारों द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को तकावी-ऋणों का न दिया जाना श्री कुम्भाराम आर्य	...	—246
(ख) दुबई में अलीसा कंस्ट्रक्शन कम्पनी में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों को मुक्त करवाने का अनुरोध श्री मूलचन्द डागा	...	—247
(ग) उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष के चुनाव में विलम्ब श्री हरिकेश बहादुर	...	—247

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(छ) कर्नाटक राज्य को गेहूं की सप्लाई श्री टी० आर० शमन्ना	...	—248
(ज) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में कतिपय ब्लाकों में सूखा राहत उपायों की आवश्यकता श्री रास बिहारी बेहरा	...	248—249
(झ) इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा ट्रंक मार्गों पर निजी कम्पनियों द्वारा वायुयान सेवाओं की अनुमति देने का निर्णय प्रो० मधु दण्डवते		—249
(ञ) पश्चिम बंगाल को शीघ्र खाद्यान्न भेजने की आवश्यकता श्री दीनेन भट्टाचार्य		—250
आवश्यक सेवाएं (असम) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प-अस्वीकृत	...	251—295
आवश्यक सेवाएं (असम) विधेयक	...	251—295
कतिपय सेवाओं को आवश्यक घोषित करने के बारे में असम सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना की मंजूरी संबंधी सांविधिक संकल्प विचार करने का प्रस्ताव		
श्री सी० टी० दण्डपाणि	...	251—252
प्रो० नारायण चन्द पराशर	...	252—256
श्री सुन्दर शर्मा	...	256—258
श्री आर० के० महालगी	...	258—260
श्री रवीन्द्र वर्मा	...	260—263
श्री जैनुल बशर	...	263—269
श्री हरिकेश बहादुर	...	269—270
श्री जी० एम० बनातवाला	...	270—272
श्री पीयूष तिरकी	...	272—274
श्री राम विलास पासवान	...	274—277
श्री गिरीधर गोमांगों	...	277—279
श्री योगेन्द्र मकवाना	...	279—281
श्री जार्ज फर्नाण्डीस	...	281—295
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति तीसरा प्रतिवेदन	...	—296

विषय		पृष्ठ
कृषि कर्मकारों के लिए केन्द्रीय विधान के बारे में संकल्प-अस्वीकृत	...	—296
श्री चित्त बसु	...	297—301
श्री मूल चन्द डागा	...	302—304
श्री ई० बालनन्दन	...	305—307
श्री पी० राजगोपाल नायडु	...	307—308
श्री राम शेखर निखरा	...	308—310
श्री रामावतार शास्त्री	...	310—313
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	...	313—315
श्री टी० अंजय्या	...	315—318
पूर्वोत्तर भारत में व्याप्त गंभीर स्थिति के बारे में संकल्प	...	—318
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	...	—318
श्री जी एम० बनातवाला	...	328—333
18 जून, 1980 को बागपत में एक महिला के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के बारे में चर्चा	...	333—377
श्री मधु दण्डवते		333—341
श्रीमती कृष्णा साही	...	341—345
श्री राम विलास पासवान	...	345—348
श्री राजेश पायलट	...	348—352
श्री आर० एल० भाटिया	...	352—356
श्रीमती गीता मुखर्जी	...	356—358
श्री आरिफ मोहम्मद खां	...	358—361
श्रीमती सुशीला गोपालन	...	362—363
श्री मूलचन्द डागा	...	363—365
श्री मनीराम बागड़ी	...	365—367
श्री भगवान देव	...	367—368
श्री हरिकेश बहादुर	...	368—369
श्री जैल सिंह	...	369—377

लोक सभा

शुक्रवार, 4 जुलाई, 1980/13 आषाढ़, 1902 (शक)

लोकसभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सभी प्रकार के कपड़े पर मूल्यों को छापने का प्रस्ताव

*385. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कपड़े की मूल्य वृद्धि रोकने के लिये मिलों द्वारा सभी प्रकार के कपड़े पर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य छपवाने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार सभी किस्मों के कपड़े के सम्बन्ध में कीमतें निर्धारित नहीं करती है। सरकार द्वारा केवल कन्ट्रोल के कपड़े के बारे में ही कीमतें निर्धारित की गई हैं और उन्हें कपड़े के प्रत्येक मीटर पर छापना जरूरी होता है।

सस्ते कपड़े की स्वैच्छिक योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता कीमतें प्रत्येक मीटर पर छापनी जरूरी होती हैं। इस उपभोक्ता कीमत को निर्धारित करने में व्यापार लाभ 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

कन्ट्रोल का कपड़ा योजना अथवा सस्ता कपड़ा योजना में शामिल न होने वाले कपड़े के सम्बन्ध में, मिलों को कारखाने से निकलते समय की कीमतों की छाप लगानी पड़ती है। ऐसे कपड़े पर उपभोक्ता कीमतों की छाप लगाने की योजना 1976 में आज माई गई और 1977 में बन्द कर दी गई। तब उसके स्थान पर मिल से निकलते समय की कीमतें छापने की विद्यमान योजना शुरू हो गई।

कुमारी कमला कुमारी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के सभी कपड़ों पर कुछ कम कीमत लगाई जा सके, जिससे गरीब जनता का उद्धार हो सके ?

श्री प्रणव मुखर्जी : हम निरन्तर यह प्रयास करते रहते हैं कि न केवल कपड़े अपितु सभी वस्तुओं की कीमतों में कमी हो।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे कुछ समाचार या मामले प्रकाश में आए हैं कि पूरे जिले में या सम्पूर्ण राज्य में, बाजार में बेचे जा रहे कपड़े पर छपे मूल्य से काफी अधिक मूल्य वसूल किया जा रहा है। यदि हां, तो सरकार ने मूल्य के मामले में होने वाले कदाचारों और काला बाजारी को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक कदाचारों का संबंध है, इसके लिए विभिन्न राज्यों के कानून हैं और इसका ध्यान रखने के लिए राज्यों में कानून लागू करने वाली मशीनरी है। परन्तु मूल्यों के सम्बन्ध में, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है, हम नियन्त्रित कपड़े और सस्ती दर के कपड़े पर उपभोक्ता मूल्य अंकित कर रहे हैं।

श्री जमीलुर्रहमान : विक्रेता अंकित मूल्य से काफी अधिक मूल्य वसूल करते हैं, भले ही कपड़ा कोई हो, चाहे यह साड़ी हो, मोटा कपड़ा हो या धोती हो। क्या सरकार के ध्यान में ऐसे समाचार आए हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जब कभी ऐसे कदाचार सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं तो इस समस्या को हल करने और उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए विभिन्न राज्य कानून मौजूद हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या उनका प्रयोग किया जाता है।

श्री जमीलुर्रहमान : मुद्दा तो यही है।

श्री प्रणव मुखर्जी : आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत बहुत से मामले दर्ज किए गए हैं।

श्री निरेन घोष : यह केवल एक राज्य में नहीं अपितु सम्पूर्ण देश में हो रहा है। अंकित मूल्य चाहे कोई भी हो, जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं, बाजार में ऊंची कीमतें वसूल की जा रही है। क्या वे इस बात को राज्य सरकारों के ध्यान में लाते रहे हैं और राज्य सरकारों ने इन पर क्या कार्यवाही की है ? दूसरा, इस प्रकार के कपड़े विशेष के उत्पादन का असामान्य कोटा राष्ट्रीय वस्त्र निगम को क्यों दिया जा रहा है ? इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय वस्त्र निगम को घाटा हो रहा है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र को बढ़िया किस्म के कपड़े का उत्पादन करने और असामान्य लाभ कमाने दिया जा रहा है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक वस्त्र नीति में परिवर्तन का सम्बन्ध है, उसका उत्तर मैं प्रश्न काल में नहीं दे सकता परन्तु विभिन्न अधिनियमों जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम मानक तोल और माप कानून, पैकेज कमोडिटी नियम, 1977 के कार्यान्वयन का सम्बन्ध है ये सभी तरीके राज्य सरकार के नियन्त्रण में है। जैसा कि मैंने कहा है इन अधिनियमों के अधीन बहुत से मामलों में मुकदमा चलाया गया है, और अन्य विभिन्न अधिनियम भी है जिनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है

श्री निरेन घोष : मै आपका संरक्षण चाहता हूं ।

मैंने कहा है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम को हानि हो रही है निजी क्षेत्र बढ़िया किस्म के कपड़े का उत्पादन कर रहा है और असामान्य लाभ कमा रहा है । क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए इस बात पर विचार कर रही है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा उत्पादित सस्ती किस्म के कपड़े का उत्पादन निजी क्षेत्र में हो ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक नियन्त्रित कपड़े का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य जानते ही है कि 4000 लाख मीटर का वार्षिक लक्ष्य होता है । इस सारे कोटे का उत्पादन राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा किया जा रहा है । जहां तक सस्ते कपड़े के उत्पादन का सम्बन्ध है, निजी क्षेत्र और अन्य पक्ष के बीच एक स्वैच्छिक करार है । इस पर कोई सांविधिक नियन्त्रण नहीं है । परन्तु नीति क्या होनी चाहिए और कितनी मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए, इसका उत्तर मैं अब सभा में नहीं दे सकता । इस मामले की पड़ताल की जानी होगी ।

श्री छांगुर राम : मंत्री जी की तरफ से जो ब्यौरा पटल पर रखा गया है । उसमें यह बताया गया है कि दो तरह के कपड़े हैं-एक कंट्रोल्ड क्लोथ और दूसरा दूसरे प्रकार का है जो कंट्रोल्ड कपड़ा नहीं होता । जो कन्ट्रोल्ड क्लोथ नहीं है उस पर भी उपभोक्ता कीमतें छापना 1976 में शुरू किया गया था लेकिन इसे 1977 में बन्द कर दिया गया । क्या मंत्री जी सभी प्रकार के कपड़ों पर उपभोक्ता कीमतें छापने की योजना जैसी कि 1976 में शुरू की गई थी और जिसे 1977 में बन्द कर दिया गया था पुनः चलायेंगे और सभी प्रकार के कपड़ों पर कीमतें छापने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह सच है कि 1976 में उपभोक्ता मूल्य सभी प्रकार के कपड़े पर अंकित किया गया था । परन्तु 1977 में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया । इस मामले पर विचार किया जाना होगा । मैं माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव का स्वागत करता हूं । परन्तु मैं इस मुद्दे का उत्तर तत्काल नहीं दे सकता ।

श्री नबल किशोर शर्मा : अध्यक्ष जी, अभी मंत्रीजी ने सवाल के जवाब में कहा कि कन्ट्रोल के कपड़े पर कीमतें छापी जाती हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या एन० टी० सी० को कन्ट्रोल का कपड़ा बनाने में एक रुपये पर मीटर का घाटा होता है ? 1977 तक जो प्राइवेट मिलें थीं वे भी मोटा कपड़ा बनाती थी, और उस नीति को 1977 के बाद बदल दिया गया । इससे प्राइवेट सेक्टर को बहुत फायदा हो रहा है और एन० टी० सी० को लास हो रहा है । क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि एन० टी० सी० का घाटा करने के लिए वे प्राइवेट सेक्टर की मिलों को भी मोटा कपड़ा बनाने के लिए कहें ? क्या वे ऐसी व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक माननीय सदस्य के सुझाव का सम्बन्ध है मैं पहले ही उसको उत्तर दे चुका हूं एक बात मैं माननीय सदस्य को बता दू कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम को आरम्भ से ही घाटा हो रहा है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के हक में एक बात यह है कि जब से रूग्ण मिलों का अधिग्रहण किया गया है इसलिए इसकी हानि में कमी हो रही है।

सुदर्शन चिट स्कीम, बम्बई के विरुद्ध शिकायतें

*386. **श्री के० लकप्पा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सुदर्शन चिट स्कीम, बम्बई के विरूद्ध आम जनता के लगभग 40 करोड़ रुपये का दुर्विनियोजन किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) आम जनता की रकम वापस लेने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) सुदर्शन चिट स्कीम के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन : (क) से (घ) सदन के पटल पर विवरण रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) चिटों के अंशदाताओं (सबस्क्रस्कीबरों) द्वारा इनाम की राशि की अदायगी में होने वाले विलम्ब के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस कम्पनी के कर्मचारियों के संघों (यूनियनों) से भी प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इनामी राशि के भुगतान में विलम्ब, अंशदान-राशियों के गबन तथा कम्पनी द्वारा कर्मचारियो के उत्पीड़न आदि के आरोप लगाये गये हैं।

(ग) और (घ) इस कम्पनी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी कार्य विभाग ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 क के अन्तर्गत इस कम्पनी की बहियों तथा खातों के निरीक्षण का आदेश जारी किया है। किसी अंशदाता (सबस्क्राइबर) को इनाम की राशि की अदायगी में व्यतिक्रम करने वाली कम्पनियों को अदायगी के लिए बाध्य करने के सम्बन्ध में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं तथा प्रभावित पार्टियां अपने संविदा सम्बन्धी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए केवल कानूनी अदालत में जा सकती हैं। केन्द्रीय सरकार, परम्परागत चिट फंड कारोबार को नियमित करने के वास्ते एक अखिल भारतीय कानून बनाने पर विचार कर रही है।

श्री के० लकप्पा : इस देश में धोखेधड़ी का व्यापार खुले आम हो रहा है और एक श्री नम्बियार ने इस पर एक लेख लिखा है। धोखेधड़ी की सीमा, जो कि 100 करोड़ से भी अधिक है को दृष्टि में रखते हुए यह लेख यहां सगत है। अतः मैं उसे यहां उद्धृत करना चाहता हूं। निस्सन्देह मन्त्री महोदय भी उसे स्वीकार कर चुके हैं। यह 'चिट फंड केवल एक दूसरे प्रकार का यह 'चिट फंड' है। अपने धोखेधड़ी के कार्यों से उनके द्वारा जनता को गलियों में, कस्बों में, गांवों में और देश के सभी भागों में ठगा जा रहा है। इस कम्पनी द्वारा करोड़ों रुपयों का घोटाला किया गया है और इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। मैं माननीय वित्त मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे इन कम्पनियों की कार्य-प्रणाली से भिज्ञ हैं और क्या उन पर नियन्त्रण रखने के लिए सरकार के पास कोई अधिकार हैं। और कितने रुपयों का घोटाला हुआ है क्योंकि हमें बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई है।

श्री आर० वेंकटरामन : यह सच है कि कुछ चिट फंड कम्पनियां, मैं सभी नहीं कहूंगा, इस प्रकार से कार्य कर रही हैं कि सरकार के लिए चिन्ता का कारण बन गई हैं। वास्तव में हमें ऐसे बहुत से निर्दोष लोगों से अत्यधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्होंने इन चिट फंड में धन निवेश किया है और चिट फंड अन्ततः 'चिट फंड' ही सिद्ध हुए हैं। इन्होंने लोगों को धोखा दिया है। इस समय रिजर्व बैंक का चिट फंड पर कोई नियन्त्रण नहीं है। कम्पनी विधि विभाग का उन पर नियन्त्रण है और इसीलिए हमने कम्पनी विधि-विभाग को सुदर्शन चिटस् (इंडिया) लिमिटेड ट्रेडिंग की जांच करने के लिए कहा है।

मैं सभा में इस सत्र के दौरान चिट फंड पर कुछ नियन्त्रण सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक लाने पर विचार कर रहा हूं।

जहां तक धनराशि का सम्बन्ध है, मेरे पास कोई निश्चित सूचना नहीं है कि कितने धन की धोखाधड़ी की गई हैं। रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित विभिन्न रिपोर्टों से यह पता चलता है कि लगभग 10 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं हैं।

श्री के० लकप्पा : मेरी सूचना के अनुसार लगभग 2000 चिट फंड कम्पनियां कार्य कर रही हैं और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने वाली कम्पनियों की संख्या लगभग 933 है। इस धन को फिल्मों, होटलों और यात्रा एजेंसियों जैसे लाभप्रद व्यवसायों में लगाया गया है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि रिजर्व बैंक का उनके निवेदन पर कोई नियन्त्रण नही है और वित्त मन्त्रालय को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्षों से हमने वित्त मन्त्रालय को इन छल-कपट पूर्ण लेन-देनों पर नियन्त्रण रखने का अधिकार नहीं दिया है। मैं एक मिसाल देता हूं। एक मन्त्री आर० एस० राव ने बम्बई से माननीय वित्त मन्त्री को पत्र लिखा है। ऐसा नहीं है कि मैं बिना आधार के ही बोल रहा हूं। पत्र में लिखा है :

"मैं उपर्युक्त चिट फंड अर्थात् सुदर्शन चिट इण्डिया लिमिटेड का अंशदाता हूं और मैंने 15,000 रुपये इसको दिए हैं। मैं जनवरी, 1980 में 18,750 रुपए का सफल बोली कर्त्ता

भी रहा हूं। अब तक न तो मुझे अपना अंशदान मिला है न ही बोली की राशि यह सूचना दी गई है कि उन्होंने शाखा कार्यालय बन्द कर दिए हैं और बम्बई में अपना व्यवसाय खत्म कर दिया है।"

वे आगे यह भी कहते हैं कि इनका कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है और बम्बई, मद्रास कलकत्ता तथा देश के विभिन्न भागों से इन्होंने अपने बोर्ड भी हटा दिए हैं। माननीय मन्त्री महोदय ने इन कम्पनियों की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दिया है। अतः मैं मन्त्री महोदय को सूचना दे रहा हूं। माननीय मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि वे इस सम्बन्ध में कानून बनाना चाहते हैं। उन्होने कहा है कि वित्त मन्त्रालय या रिजर्व बैंक के पास कोई अधिकार नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस प्रकार के छल कपटपूर्ण लेन देनों को रोकने और समाप्त करने के लिए कदम उठाएंगे ? क्या माननीय मन्त्री महोदय सभा को आश्वासन देंगे कि वे न केवल इस मामले में छान-बीन करायेंगे अपितु चिट फंड कम्पनियों पर नियन्त्रण रखने के लिए और छल-कपट पूर्ण लेन देन की सभी गतिविधियों को रोकने के लिए एक व्यापक कानून वर्तमान सत्र के दौरान ही रखेंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं श्री लकप्पा को सूचना देने के लिए धन्यवाद देता हूं। वे उनकी कार्य प्रणाली से अधिक परिचित प्रतीत होते हैं। (**व्यवधान**)।

श्री के० लकप्पा : इससे मन्त्री महोदय की अनभिज्ञता का ही पता चलता है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं अपनी अनभिज्ञता स्वीकार करता हूं।

जहां तक कानून का सम्बन्ध है, तमिलनाडु में तुम्हारे पास एक चिट फंड अधिनियम है। उस राज्य में मैंने ही इसे रखा था। केरल और आन्ध्र प्रदेश में भी इस प्रकार का अधिनियम है और कुछ केन्द्र शासित क्षेत्रों में इस अधिनियम को लागू किया गया है।

मेरा विचार सम्पूर्ण देश के लिए एक समेकित विधेयक लाने का है ताकि हम इन चिट फंड कम्पनियों पर नियंत्रण रख सकें। उन पर नियन्त्रण रखने का एक तरीका यह भी है कि आरम्भ करने से पूर्व उनके पास पर्याप्त मात्रा में अंश पूंजी होने का हम आग्रह करें। उनकी छानबीन और लेखा परीक्षा हो और उनके लेन देन का विवरण सब जगह एक प्राधिकारी के समझ रखा जाए।

श्री के० लकप्पा : मैं चाहता हूं कि इसी सत्र में कानून बनाया जाए।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं। कि इसी सत्र में कानून बनाया जाए। मेरे पास विधेयक तैयार है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जिन राज्यों में इस प्रकार के धोखाधड़ी के मामले हुए हैं उनमें से कई कानून पहले ही बने हुए हैं। इस सम्बन्ध में कानून होने के बावजूद यह धोखाधड़ी होती

रही है। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि ऐसी कम्पनियां अधिकांशतः दक्षिण भारत में कार्य कर रही हैं और सुदर्शन ट्रेडिंग कम्पनी को कई वर्षों से उनसे कम बेईमान समझा जाता था। परन्तु कानून होने के बावजूद यह सब हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार चिट फंड पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना चाहती है ? यदि सरकार यह समझती है कि गरीब व्यक्ति के लिए चिट फंड आवश्यक है तो क्या सरकार राष्ट्रीय कृत क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों को बड़े पैमाने पर चिट फंड का काम सौंपेगी ?

श्री आर० वेंकटरामन : दो प्रकार के चिट फंड हैं। एक तो परम्परागत चिटें हैं जिनमें व्यक्ति चन्दा देते हैं तथा बोली अथवा निलामी से चिट लेने के पात्र बनते हैं। चिट फंड के सदस्यों की सख्या उतनी होती है जितने महीने की चिट होती है। दूसरे इनाम वाले चिट फंड हैं जिन्हें 1978 में श्री एच० एम० पटेल के अधिनियम से बन्द कर दिया गया है।

जहां तक परम्परागत चिटों का प्रश्न है, मुझे जानकारी मिली है कि यहां कहीं भी कोई अधिनियम लागू है वहां धोखा कम होता है। जिन राज्यों में अधिनियम लागू होता है उनमें धोखे के अवसर कम होते हैं। उन राज्यों की तुलना में कि जहां पर कोई अधिनियम लागू नहीं होते। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि सुदर्शन चिट फंड में कम धोखा है। वे सभी एक समान हैं। मेरी जानकारी है कि उन्होंने काफी सीमा तक अदायगी को रोके रखा है। मुझे उम्मीद है कि इस बारे में विस्तृत विधेयक रखा जाएगा तथा माननीय सदस्य को उसमें सुधार के अवसर मिलेंगे।

माननीय सदस्य ने एक सुझाव यह दिया है। कि बैंक चिट फंड चलाएं। मैं रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से परामर्श किए बिना इसका उत्तर नहीं दे सकता।

श्री जमीलुर्रहमान : श्रीमान यह चिट फंड, कम्पनी वास्तव में 'चीट' फंड कम्पनी है, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब यह चिट फन्ड कम्पनियां पंजीकृत की जाती है; तो क्या वे कानून के अधीन कुछ धन रिजर्व बैंक अथवा स्टेट बैंक में जमा कराती है। केवल तभी उन्हें व्यवसाय करने दिया जाता है। तब क्या कारण है कि वित्त मन्त्री ने दोषी कम्पनी को दण्डित करने में कानूनी असमर्थता व्यक्त की है ? ताकि दोषियों को दण्डित किया किया जा सके।

श्री आर० वेंकटरामन : यह कम्पनी उन राज्यों में नहीं है जिनमें चिट फन्ड कम्पनियों को विनियमित करने के कानून है कि चिट फन्ड शुरू करने वाले व्यक्ति को स्टेट बैंक अथवा रिजर्व बैंक में कुछ धन-राशि जमा करनी पड़ती है। जिन राज्यों में कोई ऐसा कानून नहीं है, उनमें कोई उपेक्षा नहीं है।

श्री० के० लक्प्पा : विपक्ष की ओर से इस पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए एक विद्युत संयंत्र की स्थापना

*387. श्री सुशील भट्टाचार्य :

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह कब तक पूरा होगा; और

(घ) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) सरकार ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने में 60-60 मेगावाट के 2 सैट लगाकर अतिरिक्त तापीय विद्युत उत्पादन सुविधाएं लगाने की एक योजना को स्वीकृति दे दी है। इस योजना का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। मिट्टी का कार्य तथा भूमि-विकास का कार्य पूर्ण होने वाला है तथा नींव डालने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उपस्करों, सिविल इन्जीनियरिंग तथा संरचनात्मक कार्यों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। आशा है प्रथम सेट 1982-83 तक चालू हो जाएगा तथा दूसरा सेट उसके 6 महीने पश्चात् चालू होगा।

श्री सुशील भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय पूर्वी क्षेत्र में गम्भीर बिजली संकट के संदर्भ में इस बिजली संयंत्र से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र एवं एलाय इस्पात के उत्पादन में सुधार होगा। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या यह अपना सयंत्र है अथवा आम ग्रिड का भाग है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : यह एक अपना बिजली संयंत्र है।

श्री सुशील भट्टाचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बर्नपुर-आसनसोल क्षेत्र में उसी प्रकार के अपने संयंत्रों की स्थापना पर विचार कर रही है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जी नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये दो अपने संयंत्र कब पूरे हो जायेंगे। तब उस समय डी० एस० पी० का विस्तार कार्य हाथ में लिया जायेगा तथा ए० एस० पी० के आधुनिकीकरण का कार्य किया जायेगा। मुझे उम्मीद है कि वह बताएंगे कि क्या यह सही है, अथवा नहीं। और उस समय डी० एस० पी० और ए० एस० पी० की कुल खपत कितनी की आएगी तथा दुर्गापुर जैसे इस्पात नगर में कितनी खपत होगी।

मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह दो बिजली संयंत्र एवं वर्तमान छोटा संयंत्र दुर्गापुर डी० एस० पी० और ए० एस० पी० तथा उपनगर की आवश्यकताएं पूरी कर सकेंगे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक विस्तार कार्य का सम्बन्ध है यह माननीय सदस्य को पता है कि वर्तमान 100,000 टन की क्षमता में 960000 की और क्षमता जोड़ी जाएगी। जहां तक डी० एस० पी० का प्रश्न है मैं इसी सभा में बता चुका हूं कि उसके विस्तार के लिए एक दल नियुक्त किया गया है।

बिजली की आवश्यकता के बारे में जब विस्तार हो जाता है तथा जब दो संयंत्र चालू हो जाते हैं तो उत्पादन 146 मेगावाट का होगा जो कि डी० एस० पी० तथा ए० एस० पी० पूरी आवश्यकताएं पूरी कर सकेगा।

वर्तमान बिजली की उत्पादन क्षमता के प्रश्न के बारे में स्थिति यह है कि क्षमता केवल 20 मेगावाट है तथा उसके लिए भी इनमें तीन एकक बहुत पुराने हैं तथा उन्हें बदलने की आवश्यकता है, परन्तु यह 20 मेगावाट भी तीन एककों की क्षमता से अतिरिक्त होंगे।

डा० कृपासिन्धु भोई : क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सरकार ने नीति निर्धारित की है कि सभी वर्तमान हस्पताल संयंत्रों में अपने बिजली संयंत्र स्थापित किये जायेंगे जो कि बाद में स्थापित होंगे अथवा क्या यह एक पृथक मामले हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : कुछ इस्पात संयन्त्रों में पहले से ही अपने संयंत्र हैं। जहां तक अपने संयंत्रों का सम्बन्ध है उनका उत्पादन काफी सन्तोषजनक रहता है। जबकि राष्ट्रीय उत्पादन औसत 45 से 60 प्रतिशत है हमारे अपने ही संयंत्रों का उत्पादन 75 से 80 प्रतिशत है।

अपने बिजली सयंत्रों की नीति का सम्बन्ध ऊर्जा मन्त्रालय से है। कमी को पूरा करने के लिए अपने संयंत्रों की सभी जगह स्थापना का कोई निर्णय नहीं किया गया। जहां तक इस्पात संयंत्रों का प्रश्न है मैं उत्तर दे चुका हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह सच नहीं है कि दुर्गापुर संयंत्र में बिजली की कटौती के कारण रेलवे की पहियों आदि के बारे में घटी हुई आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाते तथा परिणाम स्वरूप पहिए आदि का देशी दरों से ऊंची दरों पर आयातित करने पड़ते हैं ? भारतीय रेलों की इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए, क्या वे चेष्टा करेंगे कि अपने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की क्षमता बढ़ाई जाये ताकि कोई बिजली की कटौती न हो तथा रेलवे की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। मैंने इस मामले को ऊर्जा मंत्रालय में अपने सहयोगी से उठाया है कि हम कौन से अल्पकालीन प्रबन्ध कर सकते हैं ताकि हम ह्वील एन्ड एक्सल शाप के लिए अतिरिक्त बिजली दे सकें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस विस्तार कार्य के लिए उपकरण आपको कौन से देश से मिलने की उम्मीद है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : नीदरलैंड से ।

बम्बई तटदूर तेल क्षेत्र परियोजना के लिए जापान से ऋण

*389. **श्री पीयूष तिरकी** :

श्री अहमद एम० पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तटदूर तेल क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए जापान और भारत के बीच ऋण के लिए लिखा पढ़ी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऋण का ब्यौरा क्या है और भारत कब तक पूरा ऋण जापान को चुका देगा ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

7 जून, 1980 को भारत सरकार और जापान की सरकार के बीच सबसे ताजा पत्रों के आदान प्रदान में बम्बई तटदूर तेल क्षेत्र विकास परियोजना (प्लेट फार्म तथा पाइप लाइनें) के लिए जापान की समुद्र पारीय आर्थिक सहयोग निधि की ओर से एक ऋण जारी किए जाने की व्यवस्था है ।

पत्रों में व्यवस्थित ऋण की राशि 8 अरब 60 करोड़ येन है जो कि इस समय 28.75 करोड़ रुपये के बराबर है । चूंकि वास्तविक ऋण, भारत सरकार तथा समुद्र पारीय आर्थिक सहयोग निधि के बीच निष्पन्न किए जाने वाले अलग ऋण करार के जरिए दिया जाएगा, इसलिए ऋण की पूरी शर्तें उसी करार द्वारा शासित होंगी जिस पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं । तथापि आदान-प्रदान पत्रों में हुई समिति के अनुसार इस ऋण का संवितरण 3 वर्ष की अवधि में किया जाएगा । इसकी वापसी अदायगी 30 वर्ष की अवधि में की जाएगी, जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल होगी और ब्याज की दर 2·75 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी ।

श्री पीयूष तिरकी : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है :

".....इसलिए ऋण की पूरी शर्तें उसी करार द्वारा शासित होंगी जिस पर अभी हस्ताक्षर किये जाने हैं । तथापि आदान-प्रदान पत्रों में हुई सम्मति के अनुसार संवितरण तीन वर्ष की अवधि में किया जाएगा.....।"

क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि किस सम्मति के पत्रों का आदान-प्रदान हुआ है, तथा क्या किसी अन्य देश ने भी इसमें रुचि दिखाई है, और जापान के साथ करार किस सीमा तक हमारे पक्ष में होगी ?

श्री आर० वेंकटरामन : करार से पूर्व हम प्राथमिक बात-चीत करते हैं और सम्मति शब्द से मेरा यही अभिप्राय था । प्राथमिक बात-चीत में हमारी सम्मति हुई है और जब तक उसे करार का रूप नहीं दे दिया जाता तथा उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक यह सम्मति ही रहेगी । इस समय सम्मति यह है वे हमें 8.6 बिलियन येन, लगभग 28.76 करोड़ रुपए देंगे । इसका उपयोग बम्बई हाई के विकास कार्य में प्लेट फार्म तथा पाइप बिछाने के कार्य पर किया जाएगा । माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न यह पूछा है कि क्या कोई अन्य देश भी ऐसी सहायता के लिए उद्यत है । यह भारत सहायता संघ का भाग है । हर वर्ष कुछ देश मिलकर विकासशील देशों की सहायता करते हैं, उनमें से एक देश जापान भी है । एक अमरीका है, दूसरा फ्रांस हैं तथा कई अन्य देश भी हैं । संघ में व्यवस्था है कि प्रत्येक देश कुछ न कुछ सहायता प्रत्येक दूसरे देश को देगा । तदानुसार यह करार हुआ है तथा अन्य देश भी चालू वर्ष 1980-81 में हमें सहायता दे सकते हैं ।

श्री पीयूष तिरकी : मेरे प्रश्न के अन्तिम भाग कि 'किस सीमा तक जापान के साथ यह करार हमारे पक्ष में होगा' का उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री आर० वेंकटरामन ; मैंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है । इसका उपयोग बम्बई हाई में तेल सम्बन्धी छिद्र कार्य हेतु रिगस् तथा प्लेटफार्म स्थापित किये जायेंगे ।

श्री पीयूष तिरकी : मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि ऋण की वापसी अदायगी 30 वर्ष की अवधि में की जाएगी, जिसमें दस वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल होगी तथा ब्याज की दर 2.75 प्रतिवर्ष होगी । क्या मैं इस संदर्भ में मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि ऋण के उचित उपयोग के लिए कोई विस्तृत योजना है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री आर० वेंकटरामन : विस्तृत योजना तैयार की गई है । तथा उसके आधार पर ही ऋण मन्जूर हुआ है । योजना बम्बई हाई तेल छिद्रन के बारे में है तथा मैंने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि इसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्लेटफार्मों तथा अन्य उपकरणों के लिए किया जाएगा ।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : जनता सरकार ने इस सरकार को 5600 करोड़ रुपया की विदेशी मुद्रा सौंपी है । (व्यवधान) जो कि एक तथ्य है । मन्त्री महोदय क्या ऐसा नहीं है ?

श्री आर० वेंकटरामन : ठीक है (व्यवधान) ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह तथ्य है और वे लोग मूर्खों की दुनिया में निवास करते हैं ?

यह ऋण 28.76 करोड़ रुपए का है। मैं जानना चाहता हूं कि मांगने का पात्र उठाने की प्रक्रिया के अलावा यह क्या है, जिस कारण कि 5600 करोड़ की जमा विदेशी मुद्रा के होते हुए थोड़ी सी राशि के लिए ऋण मांगते हैं। मांगने की इस प्रवृत्ति को अपनाने की कसौटी क्या है ?

श्री आर० वेंकटरामन : माननीय सदस्य जानते है कि भारत सहायता संघ बहुत से विकास शील देशों की सहायता करता है। तथा भारत एक विकासशील देश है। यदि हम अपनी विदेशी मुद्रा खर्च कर देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह राशि केवल 28 करोड़ रुपया है।

श्री आर० वेंकटरामन : ऐसा नहीं है। मैंने आपकी बात शान्ति पूर्वक सुनी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : परन्तु आपने मुझे गलत सुना है।

श्री आर० वेंकटरामन : बात यह है कि हमारी आवश्यकता बड़ी राशि की है। पिछले वर्ष सहायता 1382 करोड़ रुपए की थी तथा हमारी वापसी के करार 858 अथवा 859 करोड़ रुपए के थे। इसलिए पूंजी लागत पर हम अपने संसाधनों को समाप्त नहीं कर सकते। यदि हमें विकास करना है तो हमें अन्य देशों में सहायता लेनी होगी। यदि हमें विकास नहीं करना तो हम अपने संसाधनों को खर्च सकते हैं

गन्ने का निर्यात

*391. **श्री स्कारिया थामस** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गन्ने का निर्यात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो कितनी मात्रा में गन्ने का निर्यात करने का कार्यक्रम है; और

(ग) गन्ने का निर्यात किन-किन देशों को किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं। गन्ने के निर्यात की अनुमति नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

श्री स्कारिया थामस : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि गन्ने के निर्यात की अनुमति नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या किसी भी समय गन्ने के निर्यात का कोई प्रस्ताव था।

श्री प्रणव मुखर्जी : वास्तव में, जहां तक गन्ने के निर्यात का सम्बन्ध हैं, इसकी एक बहुत ही विशेष स्थिति है। मैं स्थिति को स्पष्ट करने में एक या दो मिनट लूंगा, क्योंकि गन्ने के

निर्यात के सम्बन्ध में काफी गलत फहमी पैदा कर दी गयी है। जहां तक किसी विशेष मद के निर्यात का सम्बन्ध है उसे निर्यात नियंत्रण आदेश, 1977 की अनुसूची एक के अन्तर्गत लाना होता है। जहां तक गन्ने का सम्बन्ध है, इसे उस अनुसूची के अन्तर्गत नहीं लाया गया था। अतः, कानूनी तौर पर गन्ने का निर्यात किया जा सकता था। किन्तु वास्तव में केवल दो वर्षों को छोड़ कर गन्ने का निर्यात नहीं किया गया, अर्थात 1977-78 में केवल 9 टन का निर्यात नेपाल को किया गया और 1978-79 में यू० ए० ई० को 141 टन का निर्यात किया गया। इस बार जनवरी में मन्त्रालय से किसी ने पूछताछ की थी कि क्या गन्ने का निर्यात किया जा सकता है। यही कारण है कि हमने यह सोचा कि गन्ने को भी इस अनुसूची के अन्तर्गत लाया जाए और उसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जाए। अतः, गन्ने का निर्यात नहीं किया जा सकता।

उड़ीसा में मलंगटोली लोह अयस्क निक्षेपों का विकास

*394. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन से लौह अयस्क निर्यात बढ़ाने के संदर्भ में उड़ीसा में मलंगटोली लौह अयस्क निक्षेपों के विकास के लिए कोई अविलम्ब कार्यक्रम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मलंगटोली में लौह अयस्क के विकास के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डा० कृपासिन्धु भोई : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या कारण है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने इस परियोजना के हेतु जांच करते हुए, केवल तीन खण्डों की जांच पूरी की है, और 11 खण्डों को बिलकुल ही छोड़ दिया है। पारादीप पत्तन पर आधारित संयंत्र के संदर्भ में, जिसे निकट भविष्य में चालू किए जाने वाला है। और सरकार द्वारा नीति संबंधी निर्णय किया जाना है। क्या मन्त्री महोदय, मालंगटोली परियोजना का पता लगाने के लिए तुरन्त पग उठायेंगे, जिसके बारे में जांच की जा चुकी है।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह सच है कि 48 खण्डों में से, हमने 14 खण्डों की जांच पूरी करली है। शेष खण्डों की राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा जांच न किए जाने का मुख्य कारण यह था कि पारादीप पत्तन की लौह अयस्य सम्भाल ने की क्षमता 30 लाख टन तक की है। माननीय सदस्य यह अच्छी प्रकार से जानते हैं, कि गाद भर जाने के कारण पारादीप पत्तन की गहराई कम हो गई है, इसलिए वहां 45,000 डी० डब्ल्यू० टी० से अधिक के जहाजों को नहीं ठहराया जा सकता। अतः यदि हम वर्तमान क्षमता का पूरी तरह उपयोग करने की स्थिति में न भी हों, तो भी इसके अतिरिक्त एम० एम० टी० सी० के पास पारादीप पत्तन से निर्यात करने हेतु अन्य

खानों से प्रर्याप्त मात्रा में लोह है। उन भण्डारों का उपयोग करने की बजाय नये क्षेत्रों का पता लगाने का कोई लाभ नहीं है।

डा० कृपा सिन्धु भोई : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पारादीप पत्तन में गाद से भरा हुआ और उसकी इतनी गहराई नहीं है, कि उसमें 45,000 डी० डब्ल्यू० सी० से अधिक भार वाले जहाजों को ठहराया जा सके जहां तक मुझे सूचना मिली है, पारादीप पत्तन पर प्रर्याप्त गहराई है और वहां गाद भरे जाने की कोई समस्या नहीं है। वहां लगातार कई वर्षों से गाद निकालने का काम नहीं हुआ है। मेरी प्राथना है कि मन्त्री महोदय, इस मामले पर विचार करें, और पारादीप पत्तन में उपलब्ध वास्तविक स्थिति का पता लगायें। उन्हें मंत्रालय से गलत सूचना प्राप्त हुई है। मैं इसका खण्डन करता हूं। भविष्य में पारादीप पत्तन की क्षमता को 100 लाख टन तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है इसकी व्यवस्था पारादीप पत्तन की व्यापक योजना में की गई है। पारादीप पत्तन के विकास की धीमी प्रक्रिया तथा मंत्रालय द्वारा प्रदर्शित की गयी उपेक्षा को देखते हुए, मैं मंत्री महोदय से इस परियोजना के, जिस में लोह अयस्क के अत्यधिक आरक्षित भन्डार हैं। विकास करने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध करूंगा।

मैं पारादीप पत्तन आधारित इस्पात संयंत्र के बारे में भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में शीघ्र निर्णय लेगी। उड़ीसा में लोह अयस्क के अत्यधिक आरक्षित भंडार हैं। इन लोह अयस्क भन्डारों में अयस्क की मात्रा 63 प्रतिशत से अधिक है। यह देश के किसी भी अन्य भन्डार से काफी अधिक है।

श्री प्रणव मुखर्जी : भन्डारों के संबंध में कोई मतभेद नहीं है प्रश्न तो यह है कि क्या हमें इन खानों से लोह-अयस्क मुख्यत : पारादीप पत्तन से निर्यात प्रयोजनों के लिए निकलना चाहिए। जहां तक डूबाव का संबंध है, 38-39 फुट के जहाजों को ठहराया जा सकता है। 45,000 डी० डब्ल्यू० टी०भार से अधिक के जहाजों को स्थान नहीं दिया जा सकता। मैंने यह सूचना संबंधित मन्त्रालय से प्राप्त की है। मैं कुछ समय के लिए परिवहन और नौवहन मन्त्रालय में था।

इस्पात संयंत्र लगाने की बात इस प्रश्न से पैदा नहीं होती। मैं सभा में इस्पात संयंत्रों के बारे में स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं।

श्री निरेन घोष : जैसा कि उड़ीसा के माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां लोह अयस्क के अत्यधिक सुरक्षित भन्डार हैं। कोयला क्षेत्र भी निकट ही है। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं, कि देश भर में इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने की बजाये उनकी उड़ीसा में ही क्यों नहीं स्थापना की जा रही है इससे देश में धन की भारी बचत होगी। उड़ीसा बहुत ही पिछड़ा राज्य है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

श्री प्रणव मुखर्जी : माननीय सदस्य यह बात जानते हैं, कि हमारे पास लोह अयस्क के अत्यधिक आरक्षित भंडार हैं, किन्तु हमारे पास उस सारे लोह अयस्क को इस्पात में परिवर्तित करने और इस्पात संयंत्र अथवा पेलीटाईजेशन संयंत्र लगाने के लिए धन नहीं है।

राहत उड़ान के लिए उपयोग में लाने हेतु नये विमान तैयार रखना

397

*379. श्री के० प्रधानी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो एअर लाइनें राहत उड़ान के लिए उपयोग में लाने हेतु तैयार खड़े रखने के लिए नए विमान ले रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने और किस प्रकार के विमान प्राप्त किए जा रहे हैं ;

(ग) इन्डियन एअर लाइन्स और एअर इन्डिया के पास इस समय जितने विमान हैं उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) नए विमान प्राप्त किए जाने पर वर्तमान सीट-क्षमता में कितनी वृद्धि होगी ;

(ङ) क्या 1982-83 में और उससे आगे अपनी विमान संख्या (फ्लीट) में और वृद्धि करने के बारे में इन दो एअरलाइनों का कोई कार्यक्रम है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) इन्डियन एयरलाइंस विमान यात्रा की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए अपने विमान-बेड़े में बढ़ोत्तरी करने के लिए 1980-81 और 1981-82 के वित्तीय वर्षों के दौरान 8 बोइंग और 2 एयरबस विमान प्राप्त कर रही है, परन्तु कोई भी विमान स्टैंड-बाई के रूप में इस्तेमाल के लिए अलग नहीं किया गया है ; परन्तु समयावलियों को तैयार करते हुए विमानों के संधारण, मरम्मत, आवधिक जांच तथा "स्टैंड-बाई" सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है ।

श्री के० प्रधानी : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि 1982-83 तक पर्यटकों की संख्या कितनी हो जाने की आशा है, और क्या वर्ष 1981-82 तथा 1983 में विमानों की संख्या में जो वृद्धि करने का प्रस्ताव है वह देश के वायु-यातायात की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगी ।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : इस समय हमारे यहां आठ लाख के लगभग पर्यटक आते हैं । आशा है लगभग एक लाख और पर्यटक आने लगेंगे । इसी कारण से हमने विमानों की संख्या में वृद्धिकर दी है । इन्डियन एयरलाइन्स का एक विमान पहले ही आ चुका है और अन्य विमान भी आने वाले हैं । हमें आशा है कि और विमानों के आ जाने से सीटें बढ़ जायेंगी और वर्तमान मांग की पूर्ति हो जायेगी ।

श्री के० प्रधानी : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विमानों की प्रस्तावित खरीद पर होने वाला सम्भावित खर्च कितना होगा । और 1982-83 के दौरान विमान यात्रा से कितनी आय होने की आशा है ।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : इस के लिए मुझे पूर्व-सूचना देने की आवश्यकता होगी।

श्री दिग्विजय सिंह : इन्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इन्डिया दोनों के अतिरिक्त विमान बेड़े का स्वागत करते हुए क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि हवाई अड्डे स्तर पर अतिरिक्त मूलभूत ढांचे के रूप में सरकार क्या करना चाहती है और क्या अतिरिक्त विमान की पूर्ति करने के लिए कम्प्यूटर आरक्षण सेवा बहुत ही शीघ्र लागू की जायेगी। जैसा कि हमारे यहां एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण है, तो क्या हमारी अन्य हवाई अड्डों के लिए इसी प्रकार का कुछ प्रबन्ध करने की कोई योजना बना रहे हैं, जहां अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं का लाभ नहीं है ताकि इन हवाई अड्डों, अर्थात् मुफस्सल हवाई अड्डों में मूलभूत ढांचे को सुधारा जा सके।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : इस समय हम दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कम्पयूटर व्यवस्था लागू करने के लिए विचार कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात् हम अधिक वायु-यातायात वाले तीन या चार अन्य हवाई अड्डों में भी इन्हें लागू करेंगे।

डा० कर्णसिंह : मेरा प्रश्न मंत्री महोदय के उत्तर से पैदा होता है, जो कि उन्होंने मेरे मित्र श्री दिग्विजय सिंह को दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। किन्तु दिल्ली हवाई अड्डा, जैसा कि आप जानते हैं, चांदनी चौक जैसा लगना शुरू हो गया है और यदि वह नया विमान, जो आप अब खरीद रहे हैं आ जाता है तो आप इसे देश में पर्यटन एवं यात्रा में एकला सब से बाधा पायेंगे। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ईराक में एक हवाई अड्डे का निर्माण कर रहा है, किन्तु वह दिल्ली में एक हवाई अड्डे के निर्माण करने में समर्थ नहीं दिखाई देता। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि नये हवाई अड्डे का निर्माण करने के लिए योजना को क्यों नहीं शुरू किया गया है जिसे 1979 के अन्त तक तैयार किया जाना चाहिए था। और दिल्ली में नया हवाई अड्डा कब तैयार हो जायेगा ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस वर्ष तैयार होने वाला है, किन्तु दिल्ली में इस की तैयारी बहुत ही शीघ्र शुरू की जाने वाली है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह कार्य गत तीन वर्षों में कर लिया जाना चाहिए था। किन्तु उस अवधि के दौरान ऐसा नहीं किया गया। मुझे खेद है कि गत तीन वर्षों में इस काम को शुरू नहीं किया गया। अतः हम ने इस काम को शुरू कर दिया है और अब दिल्ली में काम आरम्भ हो जायेगा।

हवाई-कम्पनियों के सम्पूर्ण कार्यक्रम की जांच के लिए समिति

*399. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इन्डियन एयरलाइन्स के सम्पूर्ण कार्यकरण की जांच के लिए कोई समिति नियुक्त की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : जी, नहीं।

श्री अर्जुन सेठी : पिछले दिन ही मंत्री महोदय ने सभा में कहा था कि एयर इन्डिया तथा इण्डियन एयर लाइन्स के बीच समन्वय की कमी के कारण हमारे देश को 2.5 करोड़ रुपये की हानि होगी। यह हानि का एक कारण हो सकता है। यद्यपि इसके अन्य भी कई कारण हैं। अत: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सरकार को अब एक समिति बनाने में क्या कठिनाई है। समिति कार्यकरण के सभी पहलुओं पर विचार कर सकती है तथा देश में एयर लाइनों के कार्यकरण में सुधार करते हेतु उपायों का सुझाव दे सकती है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : सरकार ने इण्डियन एयर लाइन्स के समूचे कार्यकरण के सम्बन्ध में किसी समिति की नियुक्ति नहीं की है। किन्तु जब भी आवश्यकता होती है, तो सीमित उद्देश्यों के साथ कुछ समितियों की नियुक्तियां की जाती हैं। उदाहरणार्थ हमने 1976 में एक विमान परिवहन नीति समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और यह समाप्त होने वाला है।

श्री जमीलुर्रहमान : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह महत्वपूर्ण बात है ?

श्री जमीलुर्रहमान : श्रीमान बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री जमीलुर्रहमान : धन्यवाद, श्रीमान् जी, मैं प्रसन्न हूं और आपको तथा मंत्री महोदय को उनके उत्तरों के लिये धन्यवाद देता हूं। एक बार मैं जानना चाहता हूं। इन्डियन एयर लाइन्स के कार्यकरण के बारे में मेरे मित्र श्री अर्जुन सेठी द्वारा एक प्रश्न किया गया है। किन्तु यह सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है कि इन्डियन एयर लाइन्स किस प्रकार कार्य करता है। श्रीमान्, जब भी हम यात्रा करते हैं तो, हम देखते हैं कि विमानों में सीटें बहुत अधिक तंग होती है और विमान के भीतर मक्खियों की परेशानी भी है हम गन्दी और भद्दी व्यवस्थाएं देखते हैं। दीवारों पर भद्दे चित्र टंगे होते हैं। अत: श्रीमान्, इन बातों पर विचार करने के लिये एक समिति की नियुक्ति बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, इन्डियन एयर लाइन्स अपने किराये बढ़ाने जा रहा है। उस बात को देखते हुए एक समिति बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा, पहले प्रो० मधुदंडवते के द्वारा रेलगाड़ियां चलाई गई थी उसमें और विमान सेवा में अन्तर क्या है ? विमान और रेलगाड़ी में अन्तर क्या है ? उनमें यात्रियों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिये। इसलिये यह मैं जानना चाहूंगा कि इन सब बातों पर निगरानी रखने के लिए कोई समिति होगी जो संसद के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ताकि यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सके।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जब और जैसे कुछ समितियों की जरूरत पड़ती है, उनकी नियुक्ति सीमित उद्देश्यों के लिये की जाती है।

श्री नवल किशोर शर्मा। मक्खियों की जांच करने के लिए एक समिति होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मच्छरों को क्यों छोड़ दिया जाता है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : यहां कुछ समितियां हैं जो विविध पहलुओं की जांच कर रही हैं। उदाहरण के लिये विशेषज्ञों की एक समिति रख-रखाव के मानकों एवं इनसे सम्बन्धित दूसरी समस्याओं की जांच कर रही है। मैं सोचता हूं कि इसमें आप जो कह रहे हैं वह भी आ जाएगा।

श्री निरेन घोष : महोदय आप देखेंगे कि वहां कोई समन्वय नहीं है। केरैवेल विमानों को अचानक निजी कम्पनियों को बेच दिया गया है। इन केरैवेल विमानों का उपयोग निजी एयर लाइन्स के द्वारा मुख्य मार्ग पर हो रहा है और विमानन के क्षेत्र में जोश पैदा किया गया है।

यह दुखद स्थिति है कि आपके पास कोई, समन्वयन नीति नहीं हैं। आपने उन्हें किस आधार पर अनुमति दी हैं ? वहां कोई चोरी छिपे व्यवहार तो नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें धमकी न दीजिये।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य यह महसूस करेंगे कि यहां प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री निरेन घोष : उड़ानों के समन्वय का प्रश्न नहीं उठता है ? वह प्रश्न को टालने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इसकी आपको मनाही नहीं करनी चाहिये। यह एक सामान्य प्रश्न है। यह इन्डियन एयर लाइन्स के कार्य संचालन के बारे में है।

श्री निरेन घोष : यह समन्वय का प्रश्न है, यह आता है।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या केरौवेल विमानो को निजी एयर लाइन्स द्वारा चलाने की अनुमति दी गई है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : जिन लोगों ने प्रश्न पूछा है वे अनुभवी सदस्य हैं। वे यह जानते है कि प्रश्न कैसे और किस ढंग में पूछा जाता है। प्रश्न पूछने के अनेक तरीके हैं। परन्तु समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में यह प्रश्न नहीं उठता है·····(**व्यवधान**)।

श्री निरेन घोष : परन्तु कार्य संचालन के दृष्टिकोण से यह प्रश्न उठता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने भारतीय एयर लाइन्स की समूची कार्यविधि को देखने के लिये किसी समिति की नियुक्ति की है या नहीं। अतः आपने 'समूची कार्यविधि' शब्द का फायदा उठाया है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : यह सही है कि समूची कार्यविधि की जांच करने हेतु एक समिति की नियुक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। (व्यवधान) आप इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिये अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री घोष, मैं यह सलाह देता हूं कि आप अलग से प्रश्न पूछें और वे इसका उत्तर दें।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में बेची जाने वाली लसी, काफी और दूध के ऊंचे मूल्य

*400. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पता है कि भारत पर्यटन विकास निगम के स्टार होटलों में बेची जाने वाली लस्सी, कॉफी और दूध के मूल्य 5/रुपये प्रति कप से कम नहीं है; और

(ख) उपरोक्त मूल्य इतने अधिक रखे जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) लस्सी गिलासों में बेची जाती है और कॉफी ऐसे पाट्स में बेची जाती है जो प्रायः दो कपों के बराबर होते हैं। लस्सी का मूल्य 3·00 रुपये से 6·00 रुपये प्रति गिलास और कॉफी का मूल्य 1·12 रुपये से 2·25 रुपये प्रति कप के बीच है। भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में दूध को आम तौर पर एक पेय के रूप में नहीं बेचा जाता।

सामग्री की लागत तथा क्वालिटी, इसी प्रकार की स्थापनाओं द्वारा लिए जा रहे मूल्यों और होटल में प्रदान की जा रही सामान्य सुख-सुविधाओं को ध्यान में रख कर ही मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

श्री नीलालोहिथादसन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया है कि दूध कम से कम मध्यम श्रेणी के पर्यटकों को सस्ते दरों पर बेचा जाये।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : महोदय, वर्तमान समय में भारतीय पर्यटन विकास निगम के पास 20 होटल हैं। इन सभी होटलों में प्रचलित दरों की दूसरे निजी होटलों में चालू दरों के साथ तुलना करनी होगी। भारतीय पर्यटन विकास निगम में आप देखेंगे कि जहां तक लस्सी का संबंध

है इसकी कीमतें भिन्न-भिन्न हैं। प्रति गिलास इसका मूल्य 3 रुपये से लेकर 6 रुपये तक है जब कि ताजमहल में प्रति ग्लास 7 रुपये में बेची जाती है, ओबराय इंटर कांटिनेन्टल में प्रति ग्लास 8 रुपए है जबकि क्लेरीज, मौर्य,शेरेटान में क्रमश: यह प्रतिग्लास 6.7, और 4 रुपये में बेची जाती है। एम्बेसडर में प्रतिगिलास 5 रुपये है। इम्पीरियल में प्रतिगिलास 7 रुपये में बेची जाती है। ये दूसरे होटलों के मानक हैं। जो हमारे होटलों के समान है। यही बात काफी के साथ भी है। काफी ताजमहल में प्रति पाट 4 रुपये में बेची जाती है, ओबराय इंटर कांटिनेन्टल में प्रति पाट 6 रुपये में बेची जाती है। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग भी अपने होटलों को दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय होटलों की तरह चला रहे हैं।

श्री ए० नीलालोहिथादसन : इन वस्तुओं को इतनी ऊंची कीमतों पर बेचने के बावजूद भी भारतीय पर्यटन विकास निगम को घाटा हो रहा है। इसका कारण क्या है ? क्या सरकार ने इसकी जांच की है ? (व्यवधान)।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : भारतीय पर्यटन विकास निगम की दरों का हिसाब लगाया जाता है। दरें निकाल कर ही वे मूल्य सूची तैयार करते हैं।

सचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : उसे घाटा हो रहा है क्योंकि वह ऊंचीदर पर नहीं बेचने हैं।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : भारतीय पर्यटन विकास निगम को घाटा इसी कारण से नहीं हो रहा है।

श्री ए० नीलालोहिथादसन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा होटलों में होने वाले अपव्यय को रोकने के लिये कोई कदम उठाये गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न संख्या 401.

लौंग और जायफल के आयात पर रोक

*401. **श्री जार्ज जोसफ** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सौंप और जायफल के आयात की अनुमति दी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि हमारे देश में इन चीजों का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है और यहां इन चीजों के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों की अपेक्षा काफी कम है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन सब वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव खमुर्जी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जी नहीं।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : क्या यह सच है कि दो या तीन वर्ष पूर्व जायफल और लौंग के मूल्य प्रतिकिलो क्रमशः 60 रुपये और 400 रुपये थे ? अब कीमतें घटकर 17 रुपये और 130 रुपये हो गई है। इस तरह से उनकी मूल कीमतों में 30% तक की कमी आई है। हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। अब मैं समझ सकता हूं यदि कैंसर के उपचार हेतु आप दवाईयां आयात कर रहे हैं तो यह अच्छी बात हैं। परन्तु मसाले जैसे जायफल और लौंग का यदि आप आयात कर रहे हैं और उनसे आप विदेशी मुद्रा खो रहे हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। साथ ही इससे गरीब किसानों को भी परेशानियां हो रही हैं। मैं इसे नहीं समझ सकता हूं। इसलिए क्या आप निकट भविष्य में लौंग और जायफल के आयात को रोकने के लिए कार्यवाही करेंगे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : माननीय सदस्य समझेंगे कि यदि देशी वस्तुओं की कीमत कम है तब फिर कौन 100 प्रतिशत और 20 प्रतिशत का अन्य शुल्क देकर आयात करेगा ? कौन इतनी भारी शुल्क अदाकर आयात करेगा जबकि देशी वस्तुओं की कीमत कम रहेगी। महोदय, मैंने इसकी जांच कृषि मन्त्रालय के साथ करवाई है और वे कहते हैं कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है और सैद्धान्तिक रूप से भी यह संभव नहीं है कि जो वस्तु देश में सस्ते दर पर बेची जाती है। उसका आयात ऊंचे दरों पर और वह भी ऊंचे शुल्क के साथ कैसे किया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राकृतिक रबड़ का आयात

*388. **श्री बी० के० नायर** : क्या वाणिज्य मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा पिछली बार मंगवाए गये प्राकृतिक रबड़ और आयात की गई कुल मात्रा, आयात मूल्य, हैंडलिंग प्रभार और उसे बेचने की दर का पूर्ण ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या आयातित रबड़ की कुछ मात्रा को बिक्री के लिये अनुपयुक्त होने से निपटान करना पड़ा क्योंकि वह खराब किस्म की थी और उसमें पानी लग जाने अथवा ठीक से स्टोर न करने के कारण वह खराब हो गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी थी ;

(घ) उसके क्रय-विक्रय में कुल कितना लाभ अथवा घाटा हुआ ; और

(ङ) क्या घाटा होने पर उसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 1979-80 के दौरान किए गये प्राकृतिक रबड़ के विगत आयात तथा 1980-81 में किये गये प्राकृतिक रबड़ के हाल के आयातों का ब्यौरा निम्नांकित प्रकार है :

ग्रेड	1979-80		1980-81	
	मात्रा मे० टन में	उतरते समय की लागत रु०/मे० टन	मात्रा मे० टन में	उतरते समय लागत रु०/मे० टन
आर एस एस—I	1700	12652.61	—	—
आर एस एस—III	1650	12363.18	300	12934.40
आर एस एस—IV	600	12037.07	—	—
एस एम आर—10	500	12386.00	—	—
एस एम आर—20	3000	12301.63	100	11799.24
लेटेक्स	2000.08	9334.23	—	—

उतरते समय की लागत में 40 रु० से 60 रु० प्रति टन तक ढुलाई प्रभार शामिल है।

सरकार ने 1979-80 में पिछली बार आयात की गई ऊपर निर्दिष्ट मात्रा के सम्बन्ध में उद्योग को आयातित रबड़ बेचने के लिए निम्नांकित एक्स गोदाम मद्रास कीमतें निर्धारित की हैं :

ग्रेड	रु०/मे० टन
आर एस एस—I	12990
आर एस एस—III	12694
आर एस एस—IV	12360
एस एम आर—10	12717
एस एम आर—20	12630
लेटेक्स	9587

1980-81 में आयातित रबड़ के सम्बन्ध में अभी तक कोई बिक्री कीमत निर्धारित नहीं की गई है ।

(ख) से (घ) राज्य व्यापार निगम द्वारा किए गये कुल आयातों में से 375.4 मे० टन माल एक जहाज के स्टोरेज/निर्धारित मात्रा से अधिक माल लाने के दौरान पानी से खराब हो गया था । इस रबड़ को बेचने में राज्य व्यापार निगम को किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ी ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में आरक्षण

*392. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या वित्त मन्त्री अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में आरक्षण के बारे में 6 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6281 के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के पक्ष में सेवा अवधि और "कन्सीडरेशन जोन" की शर्तों में छूट दी है और कितनी छूट दी है तथा लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में अर्हकारी योग्यताओं में अलग-अलग क्या छूट दी गई है ;

(ख) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने 40—सूत्री रोस्टर बना लिया है और जिन्होंने नहीं बनाया है ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित बैंकों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को लिपिक वर्ग से अधिकारी वर्ग में पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि, विचार-क्षेत्र (जोन आफ कन्सीडरेशन) तथा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अर्हता-स्तरों में कुछ छूट दी है :

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. बैंक आफ महाराष्ट्र
3. इण्डियन ओवरसीज बैंक
4. केनरा बैंक
5. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया

6. यूनियन बैंक आफ इंडिया

7. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया

8. इंडियन बैंक

9. पंजाब नेशनल बैंक

10. बैंक आफ बड़ौदा

11. सिण्डीकेट बैंक

12. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक

प्रत्येक बैंक द्वारा दी गई रियायतों का विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित बैंकों ने सूचित किया है कि वे 40 प्वाइंट रोस्टर रख रहे हैं :

1. भारतीय स्टेट बैंक

2. बैंक आफ महाराष्ट्र

3. इंडियन ओवरसीज बैंक

4. केनरा बैंक

5. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया

6. बैंक आफ इंडिया

7. पंजाब नेशनल बैंक

8. इंडियन बैंक

9. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया

10. यूनियन बैंक आफ इंडिया

11. सिण्डीकेट बैंक

अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी 40 प्वाइंट रोस्टर रखने सम्बन्धी सरकारी निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए कहा जा रहा है।

अनुबन्ध

क्रम सं०	बैंक का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में दी गई रियायतें
1	2	3
1,	भारतीय स्टेट बैंक	(i) सेवा की अवधि में 1 से 2 वर्ष तक की छूट ।
		(ii) लिखित परीक्षा में अर्हक अंकों में 5% और साक्षात्कार अंको में 10% की छूट ।
2	बैंक आफ महाराष्ट्र	लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में अर्हक अंकों में 5% की छूट ।
3.	इंडियन ओवरसीज बैंक	(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदण्ड 6 प्वाइंट हैं जबकि सामान्य उम्मीदवारों के लिए 7 प्वाइंट हैं ।
		(ii) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अर्हक स्तर 25% है जबकि सामान्य उम्मीदवारों के लिए 40% है ।
4.	केनरा बैंक	(i) सेवा अवधि में 2 वर्ष तक की छूट ।
		(ii) लिखित परीक्षा में अर्हक स्तर में 5 अंक की छूट । साक्षात्कार में ऐसी कोई छूट नहीं है ।
5.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	लिखित परीक्षा में अर्हक स्तर में अखिल भारतीय सेवा में 10% और राज्यीय सेवा में 5% की छूट । बैंक की अखिल भारतीय सेवा के लिए केवल साक्षात्कार में यह छूट 8% की है ।
6,	यूनियन बैंक आफ इंडिया	लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में ही अर्हक स्तर में 5% की छूट दी जाती है ।
7.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	(i) अर्हक सेवा अवधि में 3 वर्ष की छूट ।
		(ii) बैंकिंग पेपर की लिखित परीक्षा में पास अंकों में 3 अंक तक की और कुल प्राप्तांकों में 5 अंक तक की छूट ।

1	2	3	4
		(iii) साक्षात्कार के अंकों में कोई छूट नहीं। परन्तु अन्तिम अर्हक अंकों को 6 से 18 अंकों तक "कटु-आफ प्वाइंट" घटाकर छूट दे दी गयी है।	
8.	इंडियन बैंक	लिखित परीक्षा में 15% तक अंकों की छूट दी जाती है।	
9.	पंजाब नेशनल बैंक	(i) अर्हक सेवा अवधि में एक से दो वर्ष तक की छूट दी जाती है।	
		(ii) लिखित परीक्षा में 10% की और साक्षात्कार में 6% की छूट दी जाती है।	
10.	बैंक आफ बड़ौदा	लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अर्हक स्तर में 5% तक की छूट उपलब्ध है।	
11.	सिण्डीकेट बैंक	लिखित परीक्षा में 10 अंकों की छूट दी जाती है। जबकि अर्हक स्तर सामान्य उम्मीदवारों के लिए 35% है, यह स्तर, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए 25% है।	
12.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	(i) अर्हक सेवा अवधि में 1 वर्ष की छूट।	
		(ii) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में 5% की छूट दी जाती है।	

शीरा और शराब का निर्यात

*393 **श्री निहाल सिंह** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्षों के दौरान कितने शीरे और शराब का निर्यात किया गया ;

(ख) इनका किन-किन देशों को निर्यात किया गया ; और

(ग) इनके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान शीरा तथा शराब के निर्यातों की मात्रा, वे देश जिन्हें निर्यात किया गया और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

शीरा

मात्रा मे० टन में
मूल्य लाख रु० में

देश	1977-78		1978-79		1979-80 (अप्रैल जून)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
नेपाल	217	2.11	3645	37.35	266	3.19
नीदरलैंड	11000	26 48	31227	220.61	84849	516.27
पोलैंड	—	—	4000	42.65	—	—
जर्मन संघीय गणराज्य	12630	39.47	—	—	—	—
ब्रिटेन	16300	50.32	—	—	—	—
अन्य	—	—	605	5.53	17840	97.82
योग	40147	118.40	39477	306.14	102955	617.28

शराब (आल्कोहल युक्त पेय)

वर्ष	मात्रा हजार लीटरों में	मूल्य लाख रु० में
1977-78	624.28	29.30
1978-79	907.31	54.53
1979-80 (अनन्तिम)	915.66	50.85

निर्यात मुख्यत: इराक, कत्तार, संयुक्त अरब अमीरात, सोमालिया, ओमान, श्रीलंका, बहरीन, कनाडा, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, नीदरलैंड आदि को हुए हैं।

बिहार के सभी जिलों के लिए विमान सम्पर्क

*395 **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार के सभी जिलों को उसकी राजधानी के साथ नियमित विमान सेवा से जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक कियान्वित किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लकड़ी तथा इमारती लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबन्ध

*396. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी प्रकार की लकड़ी तथा इमारती लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां । 27 मई, 1980 से, सभी प्रकार की लकड़ी और लट्ठों तथा चिरी हुई शक्ल में ईमारती लकड़ी के निर्यात पर रोक लगा दी गयी है ।

(ख) वनों के संरक्षण की आवश्यकता, घरेलू बाजार में मांग और अतिरिक्त मूल्य वर्द्धित मदों के निर्यात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रोक लगाई गई है ।

बस्तर (म० प्र०) में खनिजों का निकाला जाना

*398. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में इस समय कौन-कौन से खनिज निकाले जा रहे हैं और कितनी मात्रा में ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कुछ खनिजों को अबैध रूप से निकाला जाता है और उन्हें अन्य स्थानों को भेज दिया जाता है ;

(ग) क्या कोरेण्डम पत्थर इसी तरह का खनिज है ;

(घ) क्या सरकार इसके विरूद्ध कोई कदम उठाएगी ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जानकारी इस प्रकार है :—

(क) इस समय बस्तर जिले में निकाले जा रहे और पिछले दो वर्षों में निकाले गए महत्वपूर्ण खनिजों के नाम और उनकी मात्रा नीचे दी गई है :

खनिज	निकाले गए खनिजों की मात्रा (मी० टनों में)	
	1978 में	1979 में
1. लौह-अयस्क	49,59,494	47,46,869
चूरा	13,28,471	19,90,729
2. टिन	1·401	16·226
3. कोरंडम	शून्य	0.678

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी बताया है कि कोरंडम और केसिटेराइट के अवैध खनन की भी कुछ शिकायतें हैं।

(घ) और (ङ) वर्ष 1978-80 के दौरान कोरंडम के अवैध खनन के अनेक मामलों का पता चला और अवैध खनन में संलग्न व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 4 और 21 के अन्तर्गत मुकदमें चलाए गए हैं। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार के खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए विस्तृत निर्देश भी जारी किए हैं। इनमें से कुछ निर्देश हैं—(1) राज्य खनन निगम निकाले जाने वाले खनिज की मात्रा के बारे में कलक्टर को सूचित करेगा ; (2) कोई भी खनिज कलक्टर द्वारा जारी रवानगी पास के बिना बाहर नहीं ले जाया जायेगा ; (3) खनिज की नाप-तौल और जांच की जाएगी और उस पर सील लगाई जाएगी और उसके बाद खनन निरीक्षक या तहसीलदार या नायब-तहसीलदार की उपस्थिति में रवानगी पास पर हस्ताक्षर किये जाएंगे ; तथा (4) क्षेत्र में दिन-रात निगरानी के लिए खनन निगम तीन चौकीदार रखेगा।

स्टेनलैस स्टील के चादरों पर आयात शुल्क कम किया जाना

*402. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नार्दन इण्डिया स्टेनलैस स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयातित स्टेनलैस स्टील की चादरों पर आयात शुल्क 220 प्रतिशत से कम करके 180 प्रतिशत किया जाये ;

(ख) क्या नार्दन इंडिया स्टेनलैस स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएन ने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि 15000—20000 टन स्टेनलैस स्टील की चादरों का आयात किया जाये जिससे इनकी मूल्य वृद्धि रोकी जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने एसोसिएशन के अनुरोध पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) एसोसिएशन ने स्टेनलैस स्टील की चादरों पर आयात शुल्क में लगभग 50 प्रतिशत की कमी करने अथवा विकल्प के तौर पर यथामूल्य की बजाय प्रति मे० टन आधार पर शुल्क लगाये जाने के लिए अनुरोध किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) स्टेनलैस स्टील पर आयात शुल्क में कमी के लिए एक सुझाव पर पहले विचार किया गया था और उसे स्वीकार नहीं किया गया था। प्राप्त हुए नए सुझाव पर भी गुणावगुण आधार पर बिचार किया जाएगा।

पारादीप इस्पात संयंत्र में पूंजी निवेश और उसमें इस्पात का उत्पादन

*403. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित पारादीप इस्पात संयंत्र में कुल कितनी पूंजी लगेगी और वहां विभिन्न किस्मों के इस्पात की कुल उत्पादन क्षमता क्या होगी; और

(ख) सरकार ने परियोजना क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है और इसमें उत्पादन कब से आरम्भ होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) देश में इस्पात बनाने की क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार कुछ विकसित देशों के तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग से एक नया इस्पात कारखाना लगाने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है, जिसकी क्षमता 30 लाख टन प्रति वर्ष होगी। सम्भाव्य स्थलों में पारादीप भी शामिल है।

इस सम्बन्ध में पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन आदि की कुछ पार्टियों से तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों का (स्थल के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय लेना और अन्य शर्तें भी शामिल हैं) विभिन्न स्तरों पर विस्तार से तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा रहा है तथा अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सम्बन्धित पार्टियों से आगे बात चीत करनी होगी। अतः इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि कारखाने पर कुल कितना पूंजी-निवेश होगा, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी तथा किस तारीख से इसमें उत्पादन होना शुरू हो जाएगा।

पूर्वोत्तर भारत के हवाई-अड्डों पर एयर-बसा/बोइंग विमानों के लिए उतरने की सुविधाएं

*404. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर भारत के हवाई अड्डों का एयर बस और बोइंग विमानों के उतरने की सुविधाओं के लिए विकास किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सिल्चर (कुम्ब्रीरग्राम) हवाई अड्डे को उस योजना में शामिल किया गया है ; और

(ग) सिल्चर को बोइंग सेवा कब तक आरम्भ हो जायेगी जो कि मंत्रालय का काफी पुराना वचन है ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बोइंग-737 परिचालनों को ऐसे निर्माण-कार्यों के, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान आरम्भ करने का प्रस्ताव है, पूरा होते ही चालू कर दिया जायेगा । इन निर्माण-कार्यों के 1982 के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क न लेने के लिए तम्बाकू उत्पादकों की ओर से ज्ञापन

*405. **श्री समर मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें तम्बाकू उत्पादकों तथा छोटे व्यापारियों की समन्वय समिति (आंध्र प्रदेश) से एक ज्ञापन मिला है जिसमें कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों से 1.3.79 अर्थात् जिस तारीख से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपरिष्कृत तम्बाकू से हटाया गया है उससे पहले की अवधि के लिए देय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क न लिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्ष 1977 तथा 1979 के बीच समुद्री तूफान तथा बाढ़ के कारण तम्बाकू उत्पादकों को हुई हानि को देखते हुए उनके उक्त अनुरोध पर विचार किया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने इस मामले पर विचार किया है लेकिन उत्पादकों की तरफ बकाया पड़ी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की मांगों को वापस लेना सम्भव नहीं पाया गया है ।

अगरतला में तस्करी की वस्तुओं की बिक्री

*406. **श्री एच० एन० मंजे गौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगरतला में तस्करी की वस्तुएं जैसे घाड़ियां, टेलीविजन सेट, टेप रिकार्डर और सिंथेटिक वस्तुओं की बहुतायत से खुले आम बिक्री होती है ;

(ख) क्या इन वस्तुओं को बांगलादेश से अगरतला में 900 कि० मी० लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से चोरी छिपे लाया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या निवारक कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता है कि अगरतला में टी० वी० सेट, टेप रिकार्डर आदि जैसी तस्करी की वस्तुओं की बड़े पैमाने पर और खुले आम बिक्री हो रही है। लेकिन, सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने सिलसिलायी पोशाकें, संश्लिष्ट वस्त्र, ट्रांजिस्टर और कलकुलेटर जैसी तस्करी की वस्तुएं अगरतला में पकड़ी हैं। वर्ष 1978 से 1980 तक के दौरान पकड़ी गयी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार है :

वर्ष	मूल्य रुपयों में
1978	60,380
1979	37,845
1980 (मई तक)	11,215

जांच करने पर पता चला है कि इन वस्तुओं का तस्कर आयात मुख्यतः भारत—बंगलादेश सीमा से किया गया था।

(ग) भारत—बंगलादेश सीमा पर तस्करी—निवारक कार्यवाहियां तेज कर दी गयी है और सीमा पर तस्करी के किसी भी प्रयास को रोकने के लिये सीमाशुल्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों और सीमा सुरक्षा बल को सतर्क किया गया है।

ट्रालरों का आयात

2916. **श्री एस० एम० कृष्णन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य ग्रहण उद्योग में कार्यरत प्रत्येक औद्योगिक गृह और फर्म ने कितने ट्रालरों (मत्स्य पोतों) का आयात किया है और उसमें कितनी लागत आई है; और

(ख) क्या भारत ने हाल में अपनी मछलियों के निर्यात के लिये कुछ विश्व बाजारों को खो दिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) मत्स्य उद्योगों में कार्यरत प्रत्येक औद्योगिक गृह तथा फर्म द्वारा आयातित ट्रालरों की संख्या तथा उनकी लागत निम्नांकित प्रकार है :

औद्योगिक गृह	जलयानों की संख्या	लागत (लाख रु० में)
इन्डियन टुवैकों कम्पनी लि०	2	72.68
ई० आई० डी० पैरी इन्डिया लि०	2	73.71
ब्रिटानिया इन्डस्ट्रीज लि०	2	72.68
यूनियन कार्बाइड इन्डिया लि०	2	42.23
न्यू इन्डिया फिशरीज लि०	3	56.40
टाटा आयत मिल्स कम्पनी	2	27.40
		345.10

(ख) मत्स्य उत्पादों के निर्यात के लिए भारत के हाथ से हाल में कोई बाजार नहीं निकला है। भारतीय समुद्री उत्पादों के संयुक्त राज्य अमरीका को किए जाने वाले निर्यात का कुछ धक्का पहुंचा था जहां संयुक्त राज्य अमरीका के खाद्य तथा पेषण प्रशासन ने भारी मात्रा में भारतीय श्रिम्पों को रोक लिया था और बाद में कीड़ा, गन्दगी, सड़न तथा सैल्मोनेला के कारण अक्तूबर, 1970 में भारतीय श्रिम्पों को काली सूची में रखवा दिया था। तथापि, 5 मई, 1989 को एफ. डी. ए. द्वारा भारतीय श्रिम्पों को काली सूची में रखा जाना रद्द कर दिया गया तथा निर्यात फिर से बढ़ाने शुरू हो गए हैं।

विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशों को भेजा गया धन

2917. **श्रीराम विलास पासवान** : क्या वित्त मंत्री विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशों को भेजे गये धन के बारे में 28 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2140 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरोक्त प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना कहां तक एकत्रित की गई हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार अब तक एकत्रित सूचना को सभा पटल पर रखने का है या नहीं; और

(ग) इस संबंध में पूरी सूचना कब तक सभा पटल पर रखी जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) मांगी गई जानकारी लम्बी-चौड़ी है किंतु अब यह जानकारी इकट्ठी की जा चुकी है। लोक सभा के दिनांक 28.3.80 के अतारांकित प्रश्न संख्या] 2140 के सम्बन्ध में दिए गए आश्वासन के सिलसिले में कार्यवाही शुरू की जा चुकी है और शीघ्र ही आश्वासन को पूरा किया जाएगा।

रुई का निर्यात

2918. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान रुई का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(ख) क्या देश में रुई के उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए रुई का अधिक निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी; और

(ग) इस समय देश में रुई के स्टाक की मात्रा कितनी है और इसकी वार्षिक खपत कितनी है तथा क्या फालतू रुई का निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) रुई वर्ष (सितम्बर से अगस्त), 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान निर्यातों की स्थिति निम्नांकित प्रकार है :

(गांठों में)

	1977-78	1978-79	1979-80
बंगाल देसी	19,260	49,942	50,000 (निर्यात के लिये रिलीज की गई मात्रा)
स्टेपल रुई	शून्य	4.27 लाख	5 लाख (निर्यात के लिये रिलीज की गई मात्रा)।

(ख) इसकी निरन्तर समीक्षा की जा रही है और घरेलु आवश्यकता को देखते हुए निर्यात के लिए अतिरिक्त कोटा रिलीज करने पर विचार किया जाएगा।

(ग) रुई सलाहकार बोर्ड द्वारा हाल ही में लिये गये मूल्यांकन के अनुसार चालू वर्ष (सितम्बर, 79-अगस्त, 80) की फसल के 78.50 लाख गाठें होने का अनुमान है, पिछले मौसम का बकाया स्टाक लगभग 27.27 लाख गाठें हैं। घरेलू खपत के लिए करीब 75.50 लाख गाँठों का अनुमान लगाया गया है। घरेलू रिजर्व आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्यात के लिये 5.5 लाख गाँठें रिलीज की गई हैं।

पश्चिम बंगाल को आवंटित वस्तुओं की सप्लाई न किया जाना

2919. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**

श्री हन्नान मोल्लाह : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार और महीनेवार, पश्चिम बंगाल के लिए डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, चावल, चीनी, सीमेंट और नमक का कितना कोटा निर्धारित किया गया था;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार और महीनेवार, पश्चिम बंगाल की उपरोक्त वस्तुओं की कितनी मांग थी ;

(ग) उपरोक्त अवधि में पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वस्तु की कितनी मात्रा सप्लाई की गई ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त वस्तुओं का आवंटित कोटा पश्चिम बंगाल को सप्लाई नहीं किया जा सकता ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

तमिलनाडु के पिछड़े जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई सुविधायें

2920. **श्री टी० नागरत्नम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कौन-कौन से जिले पिछड़े माने जाते हैं और उनके विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा क्या सुविधायें और बेहतर स्थिति उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, जिलावार, और बैंकवार इन जिलों में प्राप्त हुए परिणामों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) तमिलनाडु राज्य में 9 जिलों को "औद्योगिक रूप से पिछड़ा" हुआ पाया गया है। इनकी सूची विवरण में दी गई है। औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए ऐसे जिलों के लिए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी जाने वाली विशेष रियायतों में छोटे पैमाने के उद्योगों को तीन वर्ष की अवधि के लिए रियायती दरों पर सांवधिक ऋण तथा शिल्पियों, कारीगरों तथा ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को 25,000 रुपये तक के मिश्रित ऋण प्रदान करना शामिल हैं। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए इन जिलों में दिये गए इस प्रकार की ऋणों पर ब्याज की दर 9.5 प्रतिशत वार्षिक है जबकि यह दर अन्य जिलों में 11 प्रतिशत वार्षिक है ।

(ख) किसी भी क्षेत्र का औद्योगिक विकास मुख्यतः परिवहन, ऊर्जा तथा संचार व्यवस्था और कच्चे माल की उपलब्धता तथा बाजारों तक पहुंच तथा स्थानीय उद्यमियों की योग्यता के विकास जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास पर निर्भर होता है। ऋण सहायता की उपलब्धता तथा लागत, औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में एक सहायक की भूमि अदा करती है। अलवत्ता अनुबंध में दिए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि दिसम्बर, 1974 से दिसम्बर, 1977 के बीच, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने, तमिलनाडु के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए इन जिलों में काफी संख्या में छोटे पैमाने के उद्योगों ऋण को प्रदान किए हैं।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तमिलनाडु के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों में छोटे पैमाने के उद्योगों को दिए गए ऋणों की बकाया राशि।

(हजार रुपयों में)

तमिलनाडु के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले	दिसम्बर, 1974		दिसम्बर, 1977	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1. धर्मपुरी	169	1645	589	6251
2. कन्याकुमारी	642	77634	1724	12793
3. मदुरै	2377	82315	5259	134007
4. नाई शारकोठ	182	86770	2462	114663
5. रामनाथपुरम	3045	64476	5308	116355
6. लाउय आरकोट	3246	14885	1043	11028
7. तंजापुर	1326	14737	2522	27760
8. त्रिचिरापल्ली	1251	32587	3840	77630
9. पुडुकोट्टई	89	1101	244	6192

उड़ीसा के कोरापुट जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा कार्यालय खोलना

2921. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट जिले में अपने शाखा कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं और उस जिले में अपने शाखा कार्यालय खोलने के लिए उन्होंने किन स्थानों को चुना है; और

(ग) इस समय विचाराधीन शाखाएं कब खोली जाएंगी और प्रस्तावित शाखा कार्यालयों को जल्दी खोलने में यदि कोई समस्यायें हैं तो वे क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा लायसेंसिंग नीति में इस बात को सुनिश्चत करने के निदेश दिये हैं कि 1979-81 के दौरान, बैंकों के शाखा विस्तार के प्रयासों में मुख्य रूप से उन जिलों के बैंक रहित ग्रामीण/अर्ध-शहरी स्थानों में, जिनकी व्याप्ति प्रति ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखा 20,000 ग्रामीण/अर्ध-शहरी लोगों से कम है, शाखायें खोलने पर ध्यान दिया जाय।

उपर्युक्त निर्दिष्ट माप दण्ड को पूरा करने के लिए कोरापुट जिले के वास्ते 102 ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं की आवश्यकता है। दिसम्बर 1979 के अंत की स्थिति के अनुसार इस जिले में 80 ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखायें कार्यरत थीं। उसी तारीख को स्थिति के अनुसार विवरण में दिए गए 30 स्थानों में शाखायें खोलने के लिए भी बैंकों के पास लायसेंस अनिष्पादित पड़े थे।

विवरण

31-12-79 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा के कोरापुट जिले के उन स्थानों की सूची दिखाने वाला विवरण, जहां के लिए बैंकों के पास आवंटन/लायसेंस अनिष्पादित पड़े थे।

स्थान का नाम	वर्गीकरण	आवंटन/लायसेंसधारी बैंक का नाम
1	2	3
1. नवरंगपुर	अर्ध-शहरी स्थान	भारतीय स्टेट बैंक
2. अगलो	ग्रामीण स्थान	,,
3. डम्खोसोरा	,,	,,
4. घेपा गुडा	,,	,,
5. खुम्भी कोटा	,,	,,
6. घमनीपंगा	,,	,,
7. देवपल्ली	,,	,,
8. मोकिया	,,	,,
9. बेजंगीवाड़ा	,,	,,

1	2	3
10. अंचलागुम्मा	अर्द्ध शहरी स्थान	भारतीय स्टेट बैंक
11. अलमंडा	ग्रामीण स्थान	कोरापुट पंचवटी
	,,	ग्रामीण बैंक
12. मोटू	,,	,,
13. बिसिंगपुर	,,	,,
14. मल्कागिरी	,,	,,
15. कॅगुडु	,,	,,
16. श्रीगुडु	,,	,,
17. डांगासोरडा	,,	,,
18. बोदरा	,,	,,
19. सीकापल्ली	,,	,,
20. कुंबी	,,	,,
21. रायगाडा	,,	,,
22. गुनुपुर	,,	,,
23. मल्कानगिरी	,,	,,
24. दुमरीपुट	अर्ध-शहरी स्थान	,,
25. पुट्टासिंगी	ग्रामीण स्थान	आंध्र बैंक
26. सुकी	,,	यूनाइटेड बैंक आफ इन्डिया
27. सोनोमोसिगम	,,	,,
28. हाटबोरंडी	,,	,,
29. पदमागिरी	,,	,,
30. सालिनी	,,	,,

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में नष्ट हुई सम्पत्ति के लिए क्षतिपूर्ति हेतु दावेदारों के आवेदन

2922. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में नष्ट हुई सम्पत्ति के लिए क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु दावेदारों के आवेदनों से सम्बन्धित कुछ मामले अभी भी शेष हैं जिन्हें शत्रुओं की सम्पत्ति के अभिरक्षक द्वारा निपटाया जाना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी हां। अनुग्रह योजना के अन्तर्गत 31 जुलाई, 1977 तक भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक द्वारा पंजीकृत भारतीय राष्ट्रिकों। कम्पनियों के 57474 दावों में से 17981 दावों का सत्यापन होना बाकी है।

मन्दसौर (मध्य प्रदेश) में अफीम की खेती करने वालों के लाइसेन्सों का नवीकरण

2923. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्यप्रदेश के मन्दसौर जिले में अफीम की खेती करने वालों को इस तरह से नुकसान हुआ है क्योंकि कम पैदावार के लिए उनके जो लाइसेन्स एक बार रद्द कर दिए गए थे अब उनका नवीकरण नहीं किया जा रहा है यह जानते हुए भी कि पैदावार का कम होना प्रतिकूल मौसम का परिणाम था ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन किसानों को, जिन्हें प्राकृतिक विपदा की वजह से पैदावार कम होने के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, उस क्षेत्र में अफीम की खेती के लिये लाइसेन्स देकर राहत पहुंचाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, नहीं। अफीम की काश्त के लिए पट्टे जारी करने के मामले में विशेष रियासत उन काश्तकारों को दी जाती है, जो प्राकृतिक प्रकोपों की वजह से अफीम की उपज कम देते हैं। वर्ष 1979-80 के लिए पट्टे जारी करने सम्बन्धी सिद्धान्तों के अनुसार 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम अर्हता प्रदायी उपज के मुकाबले, ऐसे मामलों में फसल को हुए आंशिक नुकसान के मामले में अर्हता प्रदायी उपज घटाकर 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की गई थी।

(ख) जैसा कि ऊपर (क) में स्पष्ट किया गया है, प्राकृतिक प्रकोपों से फसल को होने वाले नुकसान के मामले में राहत देने की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है।

चिकित्सालय में दाखिल होने के लिए आदिवासियों से शुल्क लिया जाना

2924. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर जिले में बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना के चिकित्सालय में दाखिल होने के लिए आदिवासियों से शुल्क लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उनके शुल्क लिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का उनके लिए भी निःशुल्क उपचार की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बेलाडिला के अस्पतालों में दाखिल आदिवासी मरीजों का पहले ही मुफ्त इलाज किया जा रहा है।

राष्ट्रीकृत बैंकों के लिए लेखा परीक्षकों की सूची

2925. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उप नियंत्रक तथा यहां लेखा परीक्षक के कार्यालयों में 1 जनवरी, 1977 से 31 दिसम्बर, 1979 की अवधि के दौरान फर्मों से ऐसे कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए लेखा परीक्षकों की सूची में नाम सम्मिलित करने का अनुरोध था ; और

(ख) उक्त आवेदन पत्रों के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1977 के दौरान नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय से चारटर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों से 600 आवेदन प्राप्त हुए थे। 1-7-78 से 31-12-79 तक की अवधि के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) 1977 के दौरान प्राप्त हुए इन नामों को नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने वित्त मन्त्रालय के बैंकिंग प्रयाग को दो बैचों अर्थात् मार्च, 1977 और मई, 1978 में भेजा था। इनको बैंकिंग प्रभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति करने के बारे में विचार करने के लिए भेज दिया। 1-1-78 से 31-12-79 तक की अवधि के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कानपुर के लाल इमली मिल्स द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों का कथित उल्लंघन

2926. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर के लाल इमली मिल्स द्वारा 1976-1977 तथा 1978 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम और नियम 1944 के उपबंधों का उल्लंघन किये जाने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त मामलों के बारे में विभागीय न्याय निर्णयन के निष्कर्ष क्या हैं और मामले किस-किस अवस्था में हैं ;

(ग) अन्य प्रकार के दण्ड देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है और मामले किस-किस अवस्था में हैं और

(घ) क्या सरकार प्रश्नाधीन मामले के पूर्ण तथ्य और परिस्थितियों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) (क) से (घ) लाल इमली मिल्स, कानपुर द्वारा, वर्ष 1976-1977 और 1978 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबंधों के जो उल्लंघन किये गये, उनके ब्यौरे तथा न्यायनिर्णय में किये गये फैसले के विवरण और जिन मामलों में अभी निर्णय होना है उनकी स्थिति विवरण में दी गई है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा कोई अन्य दण्ड लगाने संबंधी कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं की गयी है।

	विवरण		
क्रम सं०	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन का ब्यौरा		विभागीय न्याय निर्णयन के निष्कर्ष और मामले की स्थिति ।
1	2		3
1.	साप्ताहिक कोटे का अतिक्रमण—नियम 224 (3), 224(4), 224(5), 210 और 173जी.	1976	सहायक समाहर्ता द्वारा निर्णय किया गया—लगाये गये आरोप सही पाये गये । 50 रु० का व्यक्तिगत अर्थदण्ड लगाया गया ।
2.	अपराध—गेट पासों का रद्द किया जाना—नियम 1973—जी (1).		सहायक समाहर्ता द्वारा निर्णय किया गया—लगाये गये आरोप सही पाये गये । 50 रु० का व्यक्तिगत अर्थदण्ड लगाया गया ; अपीलीय समाहर्ता द्वारा सहायक समाहर्ता के आदेश को रद्द कर दिया गया और परिणामतः राहत दी गई ।
3.	अपराध—वैयक्तिक लेजर खाते से अधि-आहरण नियम 173जी(1) और 9(1)		सहायक समाहर्ता द्वारा निर्णय किया गया—लगाये गये आरोप सही पाये गये । 250 रु० का व्यक्तिगत अर्थदण्ड लगाया गया । अपीलीय समाहर्ता ने अपील नामंजूर कर दी । पुनरीक्षण याचिका भी नामंजूर कर दी गई है ।
4.	अपराध—वैयक्तिक तेजर खाते का गलत रख-रखाव—नियम 173जी, 173एफ, 173क्यू		सहायक समाहर्ता द्वारा निर्णय किया गया । लगाये गये आरोप सही पाये गये 250 रु० का व्यक्तिगत अर्थदण्ड लगाया गया । अपील करने की इजाजत दी गई और अपीलीय समाहर्ता द्वारा सहायक समाहर्ता का आदेश मंसूख कर दिया गया ।

1	2	3
5.	अपराध—वैयक्तिक लेजर खाते में गलतियां नियम 173एफ०, 173जी,	सहायक समाहर्ता द्वारा निर्णय किया गया। लगाये गये आरोप सही पाये गये। 250 रु० का व्यक्तिगत अर्थदण्ड लगाया गया। अपील की इजाजत दी गई और अपीलीय समाहर्ता द्वारा सहायक समाहर्ता का आदेश मंसूख कर दिया गया।
6.	अपराध—उचित गेट पास/वर्गीकरण सूची वैयक्तिक लेजर खाते के बिना माल की निकासी नियम 9(I), 52ए और 173.	मामला न्याय निर्णयन के लिए समाहर्ता के पास विचारार्थ पड़ा है।
7.	अपराध—वैयक्तिक लेजर खाते से अधि-आहरण नियम 173एफ और 173जी.	अधीक्षक (तकनीकी) द्वारा निर्णय किया गया---लगाये गये आरोप सही पाये नये। 25 रुपये का व्यक्तिगत अर्थदन्ड लगाया गया।
8.	अपराध---वैयक्तिक लेजर खाते से अधि—आहरण---नियम 173जी(I) तथा 9(I).	सहायक समाहर्ता द्वारा निर्णय किया गया। लगाये गये आरोप सही पाये गये। 250 रु० का व्यक्तिगत अर्थदण्ड लगाया गया। अपीलीय समाहर्ता द्वारा अपील नामंजूर कर दी गई है।
	1977	
1.	अभिग्रहण—नियम 1974	सहायक समाहर्ता द्वारा निर्णय किया गया। लगाये गये आरोप सही पाये गये। 2000/-- रु० का व्यक्तिगत अर्थदण्ड लगाया गया।
2.	अपराध शुल्क की अदायगी किये बिना माल की निकासी नियम 9(I), 52ए, 173वी,—173सी।	मामला न्याय निर्णयन के लिए समाहर्ता के पास विचारार्थ पड़ा है।

1	2	3
3.	अपराध वर्गीकरण सूची के अनुमोदन के बिना निकासी	अधीक्षक (तकनीकी) द्वारा निर्णय किया गया। लगाये गये आरोप सही पाये गये। 50 रु० का व्यक्तिगत अर्थदण्ड लगाया गया।
4.	—यथोपरि—	—यथोपरि—
5.	—यथोपरि—	—यथोपरि—
6.	—यथोपरि—	—यथोपरि—
7.	—यथोपरि—	—यथोपरि—
8.	—यथोपरि—	—यथोपरि—
9.	—यथोपरि—	—यथोपरि—
10.	—यथोपरि—	—यथोपरि—
11.	—यथोपरि—	—यथोपरि—
12.	—यथोपरि—	—यथोपरि—
13.	—यथोपरि—	—यथोपरि—
14.	—यथोपरि—	—यथोपरि—
15.	—यथोपरि—	—यथोपरि—
16.	—यथोपरि—	—यथोपरि—
17.	—यथोपरि—	—यथोपरि—
18.	—यथोपरि—	—यथोपरि—
19.	—यथोपरि—	—यथोपरि—
20.	—यथोपरि—	—यथोपरि—
21.	—यथोपरि—	—यथोपरि—

1	2		3
22.	—यथोपरि—		—यथोपरि —
23.	—यथोपरि—		—यथोपरि—
24.	—यथोपरि—		—यथोपरि—
25.	—यथोपरि—		—यथोपरि—
26.	—यथोपरि—		—यथोपरि—
27.	—यथोपरि—		—यथोपरि—
1.	अपराध...रिकार्ड का गलत ढंग से रख-रखाव—नियम 9(I), 173जी का उल्लंघन ।	1978	अधीक्षक (तकनीकी) द्वारा निर्णय किया गया । लगाये गये आरोप सही पाये गये । 5000/-रु० का व्यक्तिगत अर्थदण्ड लगाया गया ।
2.	—यथोपरि—		—यथोपरि—100/-रु० का व्यक्तिगत अर्थदण्ड लगाया गया ।
3.	अपराध—शुल्क की अदायगी किये बिना बुने हुए ऊनी सालों की निकासी—नियम 9(I), 52ए, 173बी, और 173सी का उल्लंघन ।		मामला न्यायनिर्णयन के लिए समाहर्ता के पास विचारार्थ पड़ा है ।
4.	अपराध—शुल्क की अदायगी किए बिना बुने हुए ऊनी शालों की निकासी—नियम 9(I) 52—ए, 173—बी, 173 सी का उल्लंघन ।		मामला न्यायनिर्णयन के लिए समाहर्ता के पास विचारार्थ पड़ा है ।
5.	—यथोपरि—		—यथोपरि—

एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच भेदभाव समाप्त करना

2927. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में कुछ विमान सेवाओं का अनुसरण करते हुए, एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों पर तैनात पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच उनकी सेवा स्थितियों के बारे में जो भेदभाव है उसे दूर किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां तो इस भेदभाव को कब तक दूर किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) मामला न्यायाधीन है क्योंकि इण्डियन एयरलाइन्स की कुछ विमान परिचारिकाओं ने अपनी सेवा-निवृत्ति को शासित करने वाले सेवा विनियमों की वैधता को चुनौती देते हुए 6-5-80 को उच्चतम न्यायालय में एक "रिट-याचिका" दायर कर दी है । अतः इस समय इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती ।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय का अनुपात

2928. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के गत 3 वर्षों के दौरान राज्य के राजकोष में प्रत्यक्ष करों द्वारा हुई आय की तुलना में अप्रत्यक्ष करों द्वारा हुई आय का क्या अनुपात था ;

(ख) क्या इस अनुपात को बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे ताकि अप्रत्यक्ष करों का जनता पर कम भार पड़े ; और

(ग) किस प्रकार के उपाय किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) प्रत्यक्ष कर राजस्व तथा अप्रत्यक्ष कर राजस्व का प्रतिशत अनुपात (जिसमें राज्यों का हिस्सा भी शामिल है) :

	1977-78	1978-79	1979-80
प्रत्यक्ष कर	27·16	24·02	23·94
अप्रत्यक्ष कर	72·84	75·98	76·06

(ख) तथा (ग) अप्रत्यक्ष कर राजस्व का पर्याप्त हिस्सा विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाकर प्राप्त किया जाता है । अतः यह कहना पूरे तौर पर सही नहीं है कि अप्रत्यक्ष करारोपण

का सारा बोझ जनता पर ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारत जैसे विकासशील देश में, जहां आय कर तथा अन्य अप्रत्यक्ष करों का आधार बहुत निम्न है, विकास के लिए पर्याप्त साधन अकेले इसी स्रोत से नहीं जुटाये जा सकते। अतः अप्रत्यक्ष कराधान का सहारा लेना पड़ता है। फिर भी, इस बात को देखने के लिए सावधानी बरती जाती है कि जनता पर करों का भार यथा संभव कम से कम पड़े।

केन्द्रीय सरकार से पेंशन पाने वालों को राहत

2929. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में केन्द्रीय सरकार से पेंशन पाने वाले उन भिन्न वर्गों के व्यक्तियों को निदिष्ट कर दिया है जो पेंशन में राहत पाने के हकदार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के निर्णय से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी पेंशन-भोगियों के लिए राहत का विनियमन तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है। तद्नुसार पेंशन के 5 प्रतिशत तक (बशर्ते कि यह राशि कम से कम 5 रुपए और अधिक से अधिक 25 रुपए हो) राहत की एक किस्त अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने की औसत में प्रत्येक 16 अंकों की वृद्धि के लिए दी जाती है। जब 1-11-1979 को 12 महीने का औसत सूचकांक 344 अंकों पर पहुंच गया तो राहत की आखिरी किस्त दी गई थी। हाल ही में बजट के माध्यम से सरकार ने पेंशन-भोगियों को मानक कटौती का लाभ दिया है।

आयकर विभाग में कमप्यूटरों का प्रयोग आरम्भ करना

2930. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आय-कर विभाग में कमप्यूटरों का प्रयोग आरम्भ करने हेतु संगठन तथा पद्धति सेवा निदेशालय (आय-कर) में पुनः एक "पद्धति विकास टीम" सिस्टम (डेवलपमेंट टीम) गठित करने वाली है;

(ख) यदि हां तो क्या कर्मचारी यूनियनों/संघों से परामर्श किया गया है और आयकर विभाग में पुनः कमप्यूटरों का प्रयोग आरम्भ किये जाने के संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आय-कर विभाग के प्रत्येक चार्ज में संवर्गवार कितने कर्मचारियों की छंटनी होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) सरकार ने आयकर विभाग में संगणक पद्धति लागू करने के लिए पुनः कोई "पद्धति विकास दल" कायम करने के संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

स्वापक पदार्थों की तस्करी

2931. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की सरकार ने उस देश में स्वापक पदार्थों की तस्करी की रोक-थाम के लिए भारतीय सरकार से सहयोग मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की ओर से इस आशय का कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि नारकोटिक मादक-द्रव्यों और मनःप्रभावी पदार्थों के अन्तर्राष्ट्रीय अवैध-व्यापार के निषेध मामले में, भारत सरकार और अनेक अन्य देशों, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, के बीच पहले से ही सहयोग मौजूद है ।

केन्द्रीय रेशम अनुसंधान केन्द्र बरहामपुर के अधीन काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिक

2932. **श्री रेणुपद दास** । क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय रेशम अनुसंधान केन्द्र, बरहामपुर (पश्चिम बंगाल) के अधीन सैकड़ो नैमित्तिक श्रमिक अनेक वर्षों से निरन्तर काम कर रहे हैं और विभागीकरण की मांग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त श्रमिकों का विभागीकरण करने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) नैमित्तिक श्रमिकों में से कुछ को टाइम-स्केल श्रमिक बनाया जा रहा है ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र

2933. **श्री अमरसिंह बो० राठवा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र में कार्यरत इस्पात संयंत्रों के नाम क्या है ;

(ख) उनमें उत्पादन कब हो रहा है ;

(ग) क्या वे घाटे में चल रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो अब तक कुल कितना घाटा हुआ है ; और

(ङ) सरकार ने उनकी दशा को सुधारने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सेल के अधीन सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे इस्पात कारखानों के नाम तथा उनके चालू होने की तारीखें नीचे दी गई हैं :—

संयंत्र	चालू होने की तिथि
भिलाई इस्पात कारखाना	31 जनवरी, 1959
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	18 दिसम्बर, 1959
राउरकेला इस्पात कारखाना	3 दिसम्बर, 1958
बोकारो इस्पात कारखाना	9 सितम्बर, 1972
इन्डियन आयरन एण्ड कम्पनी लि०	धमन भट्टी संख्या 1 नवम्बर, 1972 में चालू की गई थी।

(ग) तथा (घ) 31.3.1979 तक उपर्युक्त इस्पात कारखानों का लाभ तथा हानि नीचे दी गई है :—

कारखाना/इकाई	(+) लाभ (—) हानि (करोड़ रुपए)
भिलाई इस्पात कारखाना	(+) 206.95
राउरकेला इस्पात कारखाना*	(+) 111.34
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	(—) 232.02
बोकारो इस्पात कारखाना	(—) 93.26

*उर्वरक कारखाना भी शामिल है।

31.3.1978 तक इस्को की संचित हानि 44.72 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के हिसाब-किताब अभी तैयार नहीं हुए हैं।

वर्ष 1979-80 के लिए भिलाई इस्पात कारखाने, दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा बोकारो इस्पात कारखाने का लाभ-हानि का हिसाब-किताब अभी तैयार नहीं हुआ है।

(ङ) इस्पात कारखानों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए अथवा प्रस्तावित उपायों में भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर के इस्पात कारखानों तथा इन्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी के लिए प्रौद्योगिक सुधारों/नवीकरण के कार्यक्रम तैयार करना, कार्यान्वित/करना, बिक्री के लिए कच्चे लोहे के उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करना, इस्पात कारखानों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए दीर्घावधि आधार पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, बोकारो, दुर्गापुर तथा राउरकेला के इस्पात कारखानों की रक्षित विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, परियोजना आयोजन के तरीकों में सुधार करना, कार्यान्वयन पर निगरानी रखना और कोयला और बिजली की आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों से समन्वय स्थापित करना शामिल है।

यात्री निवास (जनता होटलों) की स्थापना करने में गैर-सरकारी उद्यमियों को सहायता

2934. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्री निवासों की स्थापना करने में गैर-सरकारी उद्यमियों को सहायता देने का है; और

(ख) क्या गैर-सरकारी उद्यमियों को सहायता देने के कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए गए थे, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) यात्री निवासों की स्कीम से सम्बन्धित सम्पूर्ण नीति पर, जिसमें मार्गदर्शी सिद्धान्त शामिल हैं, तथा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी परियोजनाओं के लिए उद्यमियों को उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं का विशेष रूप से उल्लेख होगा, केवल उसी समय ही विचार किया जाएगा जब दिल्ली में अशोक यात्री निवास, जो एक पाइलेट परियोजना है, पहले 2-3 वर्षों के परिचालन संबंधी परिणामों से सरकार संतुष्ट हो जाएगी।

जीवन बीमा निगम द्वारा नए एजेंटों की भरती

2935. **श्री नारायण चौबे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम ने कितने नये एजेंटों (वर्ष-वार) भरती किए और कितने एजेंटों को (वर्ष-वार) हटाया;

(ख) प्रत्येक वर्ष कितनी विद्यमान पालिसियां त्याग दी गई और कितना नया बिजनेस प्राप्त किया गया ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, एक या दो किश्त चुकता करने के उपरांत कितनी पालिसियां बीच में ही समाप्त हो गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) वर्ष 1976-77 से 1978-79 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा भरती किए गए एजेंटों तथा हटाई गई एजेंसियों की संख्या इस प्रकार हैं :—

वर्ष	नियुक्त किए गए नए एजेंटों की संख्या	हटाई गई एजेंसियों की संख्या
1976-77	29974	49575
1977-78	22569	43840
1978-79	19039	40339

(ख) वर्ष 1976-77 से 1978-79 के दौरान भारत में त्यागी गई पालिसियों तथा जारी की गई नई पालिसियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	त्यागी गई पालिसियों की संख्या	जारी की गई नई पालिसियों की संख्या
1976-77	3,41,175	20,52,833
1977-78	3,05,692	18,53,780
1978-79	2,50,348	17,55,282

(ग) 1975-76 से 1977-78 तक के हाल के तीन वर्षों में जिनके सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है, भारत में किए गए नए बीमा कारबार में से प्रीमियम की पहली किश्त चुकाने के पश्चात व्यपगत हुई पालिसियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	व्यपगत पालिसियों की संख्या
1975-76	3,80,377
1976-77	4,03,087
1977-78	3,17,021

जीवन बीमा निगम, प्रीमियमों की पहली दो किश्तों को चुकाने के पश्चात व्यपगत होने वाली पालिसियों के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखता ।

पश्चिमी राजस्थान में पुरातत्वीय स्थानों के लिए पर्यटन केन्द्र

2936. **श्री भीखाभाई :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अर्थुनादेव, सोमनाथ, त्रिपुरे सुन्देरी, वेनाश्वर और गोलियाकोट पश्चिमी राजस्थान के बहुत पुराने पुरातत्वीय स्थल हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन स्थलों पर पर्यटन केन्द्र न बनाए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपना अध्ययन दल भेजकर सर्वेक्षण करवा लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) यद्यपि अर्थुना में कुछ संरक्षित पुरातत्वीय स्मारक है, तथापि, अन्य स्थानों पर जो मन्दिर और मेले हैं, वे केवल स्थानीय महत्व के हैं।

(ख) से (घ) चूंकि ये पर्यटक केन्द्र स्थानीय महत्व के हैं, इसलिए इनके विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा केरल को स्वीकृत वित्तीय सहायता

2937. **श्री पी० जे० कुरियन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के दौरान विभिन्न अखिल भारतीय संस्थाओं ने केरल को दिए जाने के लिए कितनी-कितनी वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी है और वर्ष 1978-79 के संस्था-वार समानुरूपी आकड़े क्या हैं; और

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान देश में उपलब्ध किए गए कुल ऋण में केरल का अंश कितना है और विभिन्न राज्यों को दिए, जाने वाले ऋण का क्या आधार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) अखिल भारतीय दीर्घकालीन वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा देश के तमाम औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा केरल राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय वर्ष 1979-80 और 1978-79 के दौरान स्वीकृत की गयी वित्तीय सहायता की राशि के सम्बन्ध में आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय संस्थाएं	स्वीकृत की गयी वित्तीय सहायता			
	अखिल भारतीय		केरल	
	1979-80	1978-79	1979-80	1978-79
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1230·40	791·70	76·90	26·10
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	138·50	141·74	13·75	1·57
भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	212·39	182·76	3·26	1·45

वित्तीय संस्थाओं द्वारा उन सभी सहायता-योग्य परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो आर्थिक और वित्तीय रूप से सक्षम तथा तकनीकी रूप से व्यावहारिक होती हैं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होती है। सहायता स्वीकार करते समय, वित्तीय संस्थाएं विभिन्न राज्यों के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों/क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनऋण पत्रों के निपटान पर विशेष ध्यान देती है। वित्तीय संस्थाओं की किसी विशेष राज्य को सहायता स्वीकार करने की क्षमता उस राज्य से प्राप्त अर्थक्षम प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर होती है। संस्थाएं यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं कि कोई भी अर्थक्षम परियोजना संस्थागत ऋण की कमी के कारण उपेक्षित न रह जाए।

सीमेंट उद्योग में उत्पादन कम होने के कारण राजस्व की हानि

2938. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या वित्त मंत्री सीमेंट उद्योग में उत्पादन कम होने के कारण राजस्व की हानि के बारे में 14 मार्च 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 474 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) लोक सभा में 14 मार्च, 1980 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 474 में मांगी गयी सूचना नीचे दी गयी है :

(1) सीमेंट : उत्पादन और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

	1978-79	1978-79 नवम्बर 1978 से फरवरी 1979 तक	1979-80 अप्रैल से फरवरी तक	1979-80 नवम्बर से फरवरी तक
उत्पादन मीट्रिक टन (000)	19217	6610	16082	5560
वसूल किया गया शुल्क (रु०) (000)	1232178	416114	1128458	392505

सीमेंट के उत्पादन में कमी अनेक कारणों से हुई है। उत्पादन में कमी की मात्रा बताना मुश्किल है जिसके लिए केवल बिजली की कम सप्लाई को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

(2) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के प्रशासन काम का कानूनन राज्य सरकारों को सौंपा गया है जिसके अन्तर्गत माल की अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर लगाया जाता है। इसलिए, केन्द्रीय बिक्री के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है। हरियाणा और राजस्थान सरकारों ने बिजली की कमी के कारण केन्द्रीय बिक्री कर राजस्व घाटे की रिपोर्ट दी है तथा प्रस्तावित कार्यवाही नीचे दिये अनुसार है :

	केन्द्रीय बिक्री कर राजस्व की हानि	प्रस्तावित कार्यवाही
हरियाणा	3,98,697	सीमेंट उद्योग को बिजली की बेरोक सप्लाई करने के सतत प्रयास किये जा रहे हैं।
राजस्थान	34,87,566	सीमेंट उद्योग को बिजली की सप्लाई करने पर लगे प्रतिय प्रतिबन्ध को, मई 1980 में समाप्त कर दिया गया है।

बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर तथा मणिपुर राज्य सरकारों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

बाकी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रश्नगत अवधि के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर राजस्व में कोई घाटा नहीं बताया है।

मामले से सम्बन्धित और सूचना एकत्र की जा रही है।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के कनिष्ट अधिकारी द्वारा दिल्ली को जल आपूर्ति से सम्बधित प्रतिवेदन का दबाया जाना

2939. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण वैज्ञानिक अधिकारियों के संगठन ने अपने 14 सितम्बर, 1979 के पत्र में इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) से अनुरोध किया है कि वह दिल्ली नगर निगम क्षेत्र को घौज तथा कोट जलाशय परियोजना से पानी की सप्लाई करने की महत्वपूर्ण योजना को बन्द किए जाने तथा भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के एक कनिष्ट अधिकारी द्वारा उससे सम्बन्धित प्रतिवेदन को दबाए जाने सम्बन्धी पूर्ण तथ्यों की जांच कराए ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही कर ली गई है अथवा प्रारम्भ किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। प्रस्तावित घौज तथा कोट जलाशय परियोजनाओं पर कार्रवाई नहीं की जा सकी थी क्योंकि हरियाणा सरकार का मत था कि ऐसा करने से फरीदाबाद और बल्लभगढ़ नगरों तथा समीपवर्ती सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी की उपलब्धि में कमी हो जाती और साथ ही इससे पूरे दो गांवों की आबादी को भी अन्यत्र भेजना पड़ सकता था। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के किसी कनिष्ट अधिकारी की रिपोर्ट को दबाया नहीं गया है। इसलिए इस मामले में किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में यूनियन बैंक आफ इण्डिया द्वारा भूमिहीन किसानों से प्राप्त ऋण-आवेदन

2940. **श्री जैनुल बशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के दौरान गाजीपुर जिले (उत्तर प्रदेश) में यूनियन बैंक आफ इण्डिया द्वारा भूमिहीन किसानों से ऋण के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए थे ;

(ख) इनमें से सरकारी ऐजंसियों के माध्यम से कितने आवेदन प्राप्त हुए थे और किसानों से सीधे ही कितने ; और

(ग) कितने आवेदकों को ऋण मिल गया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान, जिला गाजीपुर में, बैंक को भूमिहीन किसानों से 279 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) इनमें से 169 आवेदन पत्र सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से तथा 110 आवेदन-पत्र किसानों से सीधे ही प्राप्त हुए थे।

(ग) 239 आवेदकों को ऋण प्रदान किये गये।

राजकोट में नए हवाई अड्डे का निर्माण

2941. **श्री विग्विजय सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट में मांग पूरी करने के लिए वहां एक नया हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या राजकोट नगर विकास प्राधिकरण ने इसे प्रायोजित किया था ; और

(ग) क्या इस मामले में एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जायेगा और यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्दूलाल अन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्तमान विमानक्षेत्र पर पहुंच बत्तियों (Approach lights) की व्यवस्था करने के लिए कुछ भूमि का अभिग्रहण करने के प्रश्न पर विचार करते समय, राजकोट नगर विकास प्राधिकरण ने एक सुझाव दिया था कि विमानक्षेत्र के लिए शहर से दूर किसी अन्य स्थान का चयन किया जाए। राज्य सरकार ने इसका समर्थन नहीं किया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बैंक आफ बड़ौदा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की तैनाती/स्थानान्तरण

2942. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धकों द्वारा उसी संवर्गों में भर्ती किए गए/पदोन्नत किए गए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को अपने मूल स्थान से अत्याधिक दूर तैनात किया गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बैंक आफ बड़ौदा एस. सी./एस. टी. एम्पलाईज वैलफेयर ऐसोसिएशन (रजिस्टर्ड) नई दिल्ली और इसकी राज्य यूनिटों ने इस सम्बन्ध में बार-बार अभ्यावेदन भेजे हैं ;

(ग) क्या कथित ऐसोसिएशन की सिफारिशों पर एक्ज्युक्यूटिव कमेटी ने मार्ग-दर्शन सिद्धान्त तय किये थे और बैंक आफ बड़ौदा ने दिनांक 17-1-79 को अपने सभी जोनल/रीजनल

मैनेजरों को इस आशय के अनुदेश जारी किए थे कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों/कर्मचारियों की तैनाती/स्थानान्तरण करते समय विशेष ध्यान रखा जाए :

(घ) यदि हां, तो उक्त नीति का पालन करने के लिए बैंक ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) विभिन्न संवर्गों में कुल कितने स्थानान्तरण (जोन के भीतर और जोन के बाहर रीजन-वार) किए गए ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, नहीं। बैंक आफ बड़ोदा ने सूचित किया है कि जहां तक सम्भव होता है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, के उम्मीदवारों को उनके मूल निवास स्थान के नजदीक ही तैनात किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) बैंक ने सूचित किया है कि उसने अपने क्षेत्रीय/जोनल कार्यालयों को स्थानान्तरणों और तैनातियों के अनुरोधों सहित अन्य शिकायतें रफा करने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संघों के साथ बैठकों के बारे में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं।

(घ) . अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी संघों से जब भी कभी कोई प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो बैंक द्वारा उस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

(ङ) : बैंक ने सूचित किया है कि किसी-किसी विशिष्ट अवधि और जोन के उल्लेख के अभाव में सूचना देना सम्भव नहीं है।

हल्दी का निर्यात

2943. **श्री के० अर्जुनन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हल्दी के लिए उचित मूल्य देने और हल्दी के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए हैं ; और

(ख) क्या हल्दी पर लेवी हटाने का कोई विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) उपजकर्त्ताओं को हल्दी की उचित कीमत सुनिश्चित करने की दृष्टि से हल्दी के निर्यात पर 4.1.1978 को लागू की गई रोक 20 जनवरी, 1979 से हटा दी गई। तब से इसके निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1978-79 के दौरान 11 करोड़ रु० मूल्य की 10,299 मे० टन हल्दी का कुल निर्यात किया गया। 1979-80 के दौरान इसके निर्यात बढ़कर लगभग 16.23 करोड़ रु० मूल्य के 21,514 मे० टन हो गए थे।

(ख) जी नहीं।

स्वर्ण नियंत्रण के विभाग पर व्यय

2944. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियंत्रक के विभाग पर वार्षिक व्यय कितना होता है ;

(ख) क्या उक्त व्यय हासिल किए गए परिणामों के अनुकूल है ;

(ग) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के असफल हो जाने पर, इसे जारी रखने में क्या उपयोगिता सिद्ध हो रही है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार अधिनियम को रद्द करने/उसमें संशोधन करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, स्वर्ण नियंत्रण प्रशासन पर प्रति वर्ष औसत व्यय 35.83 लाख रुपए हुआ ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 के उद्देश्य मोटे तौर पर निम्नलिखित हैं :

1. सोने के लिए जनता की मांग को उत्तरोत्तर कम करने के लिए, सोने की आम मांग पर नियंत्रण रखना ;

2. सोने का आयात होने के बाद, उस पर नियंत्रण करके यह व्यवस्था करने के लिए कि तस्करी के सोने का प्रसार आसानी से न हो सके और वह सरलतापूर्वक पकड़ में आ सके, अधिनियम को अन्य निरोधक उपायों के आर्थिक उपाय के रूप में लागू करना ।

जिन उद्देश्यों को सासने रखकर स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम को लागू किया गया था उनकी सार्थकता आज भी बनी हुई है, अतः स्वर्ण नियंत्रण को हटा लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के उपबन्धों में जब भी कभी किसी संशोधन की आवश्यकता होती है, किया जाता है ।

विभिन्न हवाई अड्डों का कायंकरण

2945. **श्री रामजीभाई मावणि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से देश के और विशेष रूप से सौराष्ट्र-कच्छ और गुजरात के विभिन्न हवाई अड्डों के विस्तार और कार्यकरण के बारे में जाँच करने के लिए नियुक्त विभिन्न समितियों, विशेषज्ञों और आयोगों के नाम और उनके सदस्यों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनके प्रतिवेदनों और सिफारिशों का ब्योरा क्या है ;

(ग) इनमें से कितनी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की गई हैं ;

(घ) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) प्रत्येक समिति, विशेषज्ञ और आयोग पर कितनी राशि व्यय हुई थी ; और

(च) उसका क्या परिणाम रहा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) देश में विभिन्न विमानक्षेत्रों के विस्तार तथा कार्यचालन के लिए 1970 के पश्चात् चार समितियां नियुक्त की गयी हैं, अर्थात् :—

1. सहगल ग्रुप
2. खोसला ग्रुप
3. नागर विमानन पुनरीक्षण समिति (टाटा समिति)
4. तीसरी वायु सेवाओं संबंधी गिडवानी समिति ।

इन चार समितियों के अतिरिक्त, विमान क्षेत्रों पर यात्री सुविधाओं में सुधार करने के लिए तीन समितियां स्थापित की गई हैं, अर्थात् मंत्रालय के स्तर पर उच्च स्तरीय सरलीकरण समिति, नागर विमानन के महानिदेशक के स्तर पर स्थायी सरलीकरण समिति तथा विमान क्षेत्र स्तर पर विमान क्षेत्र सलाहकार समिति ।

इन समितियों के गठन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) सहगल ग्रुप ने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों के संबंध में विभिन्न दिक्चालन तथा अवतरण उपकरणों में सुधार/वृद्धि करने की सिफारिश की, जबकि खोसला ग्रुप ने अन्तर्देशीय विमानक्षेत्रों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सिफारिशें की । नागर विमानन पुनरीक्षण समिति ने, सहगल तथा खोसला ग्रुप की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, दिक्चालन उपकरणों व संचार उपकरणों में वृद्धि करने तथा नागर विमानन विभाग के पुनर्गठन की सिफारिश की । गिडवानी समिति ने देश में तीसरी वायु सेवाएं चालू करने की व्यवहार्यता के बारे में सिफारिशें कीं । परन्तु अलग से सौराष्ट्र, कच्छ तथा गुजरात के विमान-क्षेत्रों के सम्बन्ध में स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए कोई समिति स्थापित नहीं की गयी है ।

(ग) तीसरी वायु सेवाओं सम्बन्धी गिडवानी समिति को छोड़ कर, इन समितियों की सिफारिशों को यथा-आवश्यक संशोधनों के साथ सरकार ने अधिकांशत: स्वीकार कर लिया है ।

(घ) और (ङ) सहगल, खोसला तथा नागर विमानन पुनरीक्षण समितियों की कुछ सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है, और अन्य सिफारिशों को भी कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(च) सभी समितियों के सदस्य पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणवर्ती सरकारी विभागों/सरकारी उद्यमों से संबंधित थे और इसीलिए केवल मात्र इन समितियों पर हुए व्यय के आँकड़े, नहीं रखे गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	समिति का नाम	सदस्यों के नाम	
1	2	3	4
1.	सहगल ग्रुप	1. श्री एन० सहगल, सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय।	अध्यक्ष
		2. श्री वी० इसरानी, अध्यक्ष, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण।	सदस्य
		3. श्री एस० रामामृतम्, नागर विमानन के महानिदेशक।	सदस्य
		4. श्री पी० कोटेश्वरम्, वेधशालाओं के महानिदेशक।	सदस्य
		5. श्री के० के० उन्नी, प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया।	सदस्य
		6. एयर वाइस मार्शल एस० ए० हुसैन, प्रबंध निदेशक, इंडियन एयरलाइन्स।	सदस्य
		7. कैप्टेन के० एम० माथेन, परिचालन निदेशक, एयर इंडिया।	सहयोजित सदस्य

1	2	3	4
		8. कैप्टेन ए० एम० कपूर, परिचालन निदेशक, इंडियन एयरलाइन्स ।	सहयोजित सदस्य
2.	खोसला ग्रुप	1. श्री एन० खोसला, संयुक्त सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय ।	अध्यक्ष
		2. श्री जी० एस० गुप्त, निदेशक, हवाई मार्ग एवं विमान क्षेत्र (पी) नागर विमानन विभाग ।	सदस्य
		3. श्री सी० आर० तिरुमलई, संचार निदेशक, नागर विमानन विभाग ।	सदस्य
		4. श्री डी० कृष्ण राव, निदेशक, विमानन सेवाएं, भारत मौसम विज्ञान विभाग ।	सदस्य
		5. कैप्टेन ए० एम० कपूर, परिचालन निदेशक, इन्डियन एयरलाइन्स ।	सदस्य
3.	नागर विमानन पुनरीक्षण समिति	1. श्री जे० आर० डी० टाटा, अध्यक्ष, एयर इन्डिया ।	अध्यक्ष
		2. श्री एन० सहगल, सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय ।	सदस्य
		3. एयर चीफ मार्शल सी० पी० लाल, अध्यक्ष, इन्डियन एयरलाइन्स ।	सदस्य
4.	गिडवानी समिति	1. श्री बी० एस० गिडवानी, नागर विमानन के महानिदेशक ।	अध्यक्ष

1	2	3	4
		2. कुमारी ए० मेहता, अपर महानिदेशक (पर्यटन)।	सदस्य
		3. श्री ए० के० सरकार, उपमहानिदेशक, नागर विमानन।	सदस्य
		4. श्री जी० डी० माथुर, उप प्रबंध निदेशक, इन्डियन एयरलाइन्स।	सदस्य
		5. श्री जे० के० चौधरी, आयोजना प्रबंधक, इन्डियन एयरलाइन्स।	सदस्य
		6. श्री एस० एकाम्बरम्, उप सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय।	सदस्य
5.	उच्च स्तरीय सरलीकरण समिति	1. सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय।	अध्यक्ष
		2. गृह मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
		3. वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
		4. स्वास्थ सेवाओं के महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
		5. पर्यटन के महानिदेशक का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
		6. नागर विमानन के महानिदेशक का एक प्रतिनिधि	सदस्य
		7. भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि।	सदस्य

1	2	3	4
	6. स्थायी सरलीकरण समिति	1. नागर विमानन के महानिदेशक ।	अध्यक्ष
		2. गृह मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।	सदस्य
		3. वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।	सदस्य
		4. स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि ।	सदस्य
		5. पर्यटन विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
		6. भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानन पत्तन प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
		7. आई. ए. टी. ए./एफ. ए. एल. सहित एयरलाइन्स का एक प्रतिनिधि ।	सदस्य

क्रम सं०	समिति का नाम	सदस्यों का नाम	अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र	अन्तर्देशीय विमान क्षेत्र
7.	विमान क्षेत्र सलाहकार समिति	भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानन पत्तन प्राधिकरण	*संयोजक	—
		नागर विमानन विभाग	सदस्य	**संयोजक
		एयर इन्डिया	सदस्य	सदस्य (केवल त्रिवेन्द्रम के लिए)
		इन्डियन एयरलाइन्स	सदस्य	सदस्य
		पर्यटन विभाग	सदस्य	सदस्य
		सीमा-शुल्क प्राधिकारी	सदस्य	सदस्य (केवल त्रिवेन्द्रम् के लिए)
		आप्रवासन प्राधिकारी	सदस्य	सदस्य (केवल त्रिवेन्द्रम् के लिए)
		राज्य सरकार	सदस्य	सदस्य
		नगर निगम/नगर पालिका दो संसद सदस्य	सदस्य	सदस्य
		वाणिज्य मंडल	सदस्य	सदस्य
		कानूनी, डाक्टरी तथा ऐसे ही व्यवसायों अथवा ऐसी सेवाओं के अन्य नित्य प्रयोक्ताओं के तीन प्रतिनिधि	सदस्य	सदस्य
		यात्रा अभिकरण संगठन	सदस्य	सदस्य

* प्रत्येक विमान क्षेत्र पर भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण का महाप्रबन्धक ।
**संबंधित विमान क्षेत्र का विमान क्षेत्र अधिकारी ।

स्वापक औषधि आयुक्त द्वारा स्वापक औषधि सम्बन्धी प्रस्तावों का तैयार किया जाना

2946. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने स्वापक औषधियों और "साइक्रो थ्रोपिक" पदार्थों के बारे में व्यापक कानूनी प्रस्तावों सहित किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए कदम उठाये हैं अथवा ऐसा कोई प्रारूप नारकोटिक्स आयुक्त द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : जी, हां । नारकोटिक मादक द्रव्यों और मन:प्रभावी पदार्थों के सम्बन्ध में विधायी प्रस्ताव इस समय नारकोटिक्स आयुक्त द्वारा तैयार किए जा रहे हैं ।

ग्वालियर में रात्रि के समय हवाई जहाजों का उतरना

2947. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** ग्वालियर में हवाई जहाजों के रात को उतरने के बारे में 28 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2127 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) से सम्बन्धित अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यात्रियों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) ग्वालियर हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना का है । इस विमान क्षेत्र पर रात्रि कालीन अवतरण सुविधाओं की भारतीय वायुसेना द्वारा व्यवस्था की गई है परन्तु पशुओं के उत्पात तथा पहरा-व-निगरानी की समस्याओं के कारण सिविल विमानों द्वारा रात्रि कालीन परिचालनों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गयी हैं । कांटेदार तारों की बाड़ के निर्माण का कार्य जारी है और बहुत शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है । रात्रिकालीन अवतरण सुविधाएं उसके बाद बहाल कर दी जाएंगी ।

(ख) और (ग) ग्वालियर के लिए तथा से यातायात का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, वर्तमान यातायात निम्न प्रकार है :

खंड	प्रत्येक उड़ान द्वारा वाहित औसत यात्री
दिल्ली—ग्वालियर	7·1
ग्वालियर—दिल्ली	5·3

ग्वालियर—भोपाल	5·2
भोपाल—ग्वालियर	2·0
ग्वालियर—इन्दौर	3·3
इन्दौर—ग्वालियर	1·1

सोवियत संघ के साथ व्यापार समझौता

2948. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के साथ एक दीर्घकालिक व्यापार समझौते की बात-चीत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सोवियत संघ के साथ वर्ष 1981-85 के लिए व्यापार करार सम्पन्न करने के लिए बात-चीत चल रही है। करार पर इस वर्ष बाद कभी हस्ताक्षर होने की सम्भावना है।

फार्म सेक्टर पर ब्याज की अधिक दर

2949. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य बैंकों ने यह सूचित किया है कि 1985 तक प्राथमिकता वाले सेक्टर को दिए जाने वाले ऋण की अपनी निधि की 40 प्रतिशत धनराशि के विकास की क्षतिपूर्ति के लिए फार्म सेक्टर को दिए जाने वाले ऋण के एक भाग पर ब्याज की अधिक दर वसूल करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों का यह निर्णय छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों के लिए अत्यधिक हानिकारक होगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन किसानों ने इस प्रस्ताव के विरोध में केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन भेजा है ;

(घ) यदि हां, तो क्या कृषि मन्त्री ने इस मामले पर वित्त मन्त्रालय से विचार-विमर्श किया है ;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ; और

(च) क्या उन्हीं जमींदारों से ब्याज की अधिक दर वसूल की जाएगी, जो ब्याज की अधिक दर का आसानी से भुगतान कर सकते हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

2950. **श्री मूलचंद डागा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र में राज्यवार कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(ख) क्या राजस्थान के विशाल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, वहां राज्य उद्यमों में निवेश की मात्रा बहुत कम रही है ;

(ग) क्या इस आर्थिक असमानता को दूर करने और केन्द्रीय उद्योग (न्यूक्लियस इंडस्ट्री) आरम्भ करने के लिए, राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ बड़े उद्योग स्थापित करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो ये उद्योग कब तक स्थापित किये जायेंगे और किन परियोजनाओं की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार की मांग अनिर्गीत पड़ी है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) एवं (ख) यह जानकारी 12 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रखे गये "सरकारी उद्यम सर्वेक्षण 1978-79" के खण्ड I में पृष्ठ 13 पर दी गई है ।

(ग) अधिकांश पूंजी निवेश केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इस्पात, कोयला, पेट्रोलियम आदि उद्यम में किया गया है । इन समूहों के सभी उद्यमों की स्थापना आवश्यक रूप से वहीं की गई है, जहां उसके लिए कच्चे माल का स्रोत नजदीक पड़ता है । इसलिए हिन्दुस्तान जिंक लि० और हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने अपने खानों और प्रद्रावक एककों को राजस्थान के भीतर ऐसे स्थानों पर विकसित किया है, जहां कच्चे माल के स्रोत नजदीक हैं । यह सम्भव नहीं है कि राज्यों के क्षेत्रफल के अनुपात में वहां के केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूंजी लगाई जाए । तथापि, जब पूंजी लगाने सम्बन्धी नए प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाता है तो सुसंगत आर्थिक कारणों के आधार पर संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को सदा ध्यान में रखा जाता है ।

(घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

केरल में हथकरघा उद्योग को विशेष छूट

2951. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या वाणिज्य मंत्री केरल में हथकरघा उद्योग संकट के बारे में 26 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1844 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में हथकरघा उद्योग में गम्भीर संकट को देखते हुए और उचित मूल्यों पर धागा उपलब्ध करने हेतु 1980-81 के दौरान 30 दिन के लिए विशेष छूट देने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो छूट योजना का ब्यौरा क्या है और यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है तो निर्णय कब तक लिया जाएगा ; और

(ग) संकट को दूर करने की दृष्टि से धागा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) 1980-81 में विशेष छूट की योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों और हथकरघा विकास निगमों को हथकरघा कपड़े की बिक्री पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाती है, जो केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा बराबर-बराबर वहन की जाएगी। ये छूट 30 दिन के लिए उपलब्ध है और राज्य सरकारें कम से कम सात-सात दिनों की अलग-अलग अवधियों में इस योजना को चला सकती हैं। यह विशेष छूट केवल हथकरघा कपड़े की खुदरा बिक्री पर दी जाती है।

(ग) हथकरघा उद्योग को यार्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारतीय सूती मिल फेडरेशन के साथ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि वे राज्य हथकरघा निगमों तथा शीर्ष समितियों को मिल से निकलते समय की कीमतों पर हैंक के रूप में हर महीने यार्न की 23,000 गांठें उपलब्ध कराएं ताकि उसे आगे बुनकरों तथा उनकी एसोसिएशनों को बांटा जा सकें। विद्यमान व्यवस्थाओं के अन्तर्गत केरल के लिए मात्रा प्रति मास 2075 गांठों का प्रस्ताव किया गया है।

राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे राज्य सहकारी कताई मिलों, राज्य वस्त्र निगम की मिलों से उपलब्ध तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों से देशी हैंक यार्न पूल करके सार्वजनिक वितरण की व्यवस्था करें।

यार्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए शेयर पूंजी में कताई मिलों की कुल परियोजना लागत का 45 प्रतिशत तक अंश दान करके हथकरघा सहकारी कताई मिलों को सहायता दी जाती है।

वनस्पति उद्योग स्थापित करने हेतु लायसेंस जारी करने पर प्रतिबन्ध

2952. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वनस्पति की कमी को पूरा करने के लिए नीति के रूप में, यह निर्णय किया है कि अतिरिक्त उत्पादन वाले क्षेत्रों में विशेषतः महाराष्ट्र में वनस्पति उद्योग की स्थापना के लिए लाइसेंस न दिए जाएं हालांकि सम्बन्धित राज्य में अतिरिक्त कच्ची सामग्री उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार आवंटित कच्ची सामग्री का उपयोग करने तथा कमी को दूर करने हेतु उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजन से इस नीति का पुनरीक्षण करने का विचार कर रही है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) सरकार, नीति के रूप में, हाल के वर्षों में वनस्पति का उत्पादन करने के अतिरिक्त क्षमता के लिए उन क्षेत्रों में लाइसेंस नहीं दे रही है जहां पर्याप्त क्षमता पहले ही विद्यमान है। देश में वनस्पति की कुल मिलाकर कोई कमी नहीं है। सरकार द्वारा इसकी मांग व पूर्ति की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर वनस्पति का उत्पादन बढ़ाने के लिए समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं।

नियन्त्रित कपड़े के लिए मांग में वृद्धि

2953. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े के विभिन्न किस्मों के मूल्यों में वृद्धि के कारण नियन्त्रित कपड़े की मांग में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या नियन्त्रित कपड़े का उत्पादन लक्षित कोटे से बहुत पीछे पड़ा हुआ है ; और

(ग) क्या संगठित मिल क्षेत्र द्वारा नियन्त्रित कपड़े के अनिवार्य उत्पादन के अक्तूबर, 1978 से पूर्व के नियम को पुनः लागू करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) संशोधित योजना के अन्तर्गत 1-10-1978 से 31-3-1980 तक कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन करीब 54 करोड़ वर्ग मीटर का था जबकि लक्ष्य 60 करोड़ वर्ग मीटर का था। मामूली सी कमी मुख्य रूप से बिजली में कटौती तथा लोड शैडिंग के कारण हुई है।

(ग) जी नहीं।

पंजाब में तांबे की पन्नी (फॉयल) और तांबे से ढकी हुई परती (कॉपर क्लैड लेमिनेट) परियोजना की स्थापना

2954. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने तांबे की पन्नी और तांबे से ढकी हुई परती बनाने के लिए परियोजना स्थापित करने हेतु आशयपत्र के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) तांबे की पन्नी (फॉयल) और तांबा-मढ़ी पट्टियों (लेमिनेट) के निर्माण हेतु पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० के दिनांक 24 अप्रैल, 1980 के औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पर कार्यवाही की जा रही है। अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं किया गया है।

बिहार में नालन्दा जिले के गोलापुर की अवतरण भूमि का विस्तार किया जाना

2955. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजगिर, पवापुरी और बोधगया जैसे अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्थान देखने वाले पर्यटकों की बढ़ती हुई मांगों को देखते हुए सभी मौसमों में बड़े जहाजों के अवतरण के लिए उपयुक्त बनाने हेतु बिहार राज्य में नालन्दा जिले के गोलापुर की अवतरण भूमि का विस्तार करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो वे योजनाएं क्या हैं और उनको क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) जी, नहीं। गोलापुर के लिए विमान सेवाओं का परिचालन करने के लिए न तो इण्डियन एयरलाइन्स ने और न किसी गैर अनुसूचित परिचालक ने ही अनुरोध किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार की शिकायतें

2956. **श्री रामलाल राही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों और कुटीर उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों को ऋण देने के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों में हो रहे भ्रष्टाचार की कई स्थानों से शिकायतें मिली हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इसकी रोकथाम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) छोटे किसानों और कुटीर उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों को ऋण मंजूर करने के मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार की कुछ शिकायतें पहले मिलीं थीं। जहां कहीं भी भ्रष्टाचार के विशिष्ट आरोप होते हैं, वहां इनकी बैंकों द्वारा अपने ही आंतरिक सतर्कता विभागों द्वारा जांच की जाती है। बैंक उन मामलों को स्थानीय पुलिस अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी सौंपते हैं जो गंभीर होते हैं अथवा जहां बाहरी पक्ष अन्तर्गस्त होते हैं। सभी बैंकों की अपनी-अपनी आंतरिक निर्देश पुस्तकें हैं जिनमें जालसाजियों और भ्रष्टाचार को रोकने के वास्ते बरती जाने वाली सावधानियों और सुरक्षाओं का ब्यौरा होता है और इन पुस्तकों की निरन्तर समीक्षा की जाती है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने अपने-अपने सतर्कता कक्ष भी स्थापित कर लिए हैं और मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति कर ली है। ये सतर्कता कक्ष सभी सतर्कता सम्बन्धी मामलों की जांच करते हैं और प्रतिस्थापित सतर्कता प्रक्रियाओं के अनुसार सम्बद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करते हैं।

खाड़ी के देशों में इण्डियन इनवेस्टमेंट सेंटर के कार्यालय खोला जाना

2957. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन इन्वेस्टमेंट सेंटर के भविष्य के बारे में सरकार का क्या निर्णय है ;

(ख) क्या इस सेंटर का एक कार्यालय सिंगापुर में खोलने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे कार्यालय खाड़ी के देशों में भी खोलने के प्रश्न पर विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) भारतीय निवेश केन्द्र को बन्द करने से संबंधित कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। ऐसे सुझाव भी प्राप्त हुए हैं जिनका आशय निवेश केन्द्र तथा इसके कार्यों के पुनर्गठन से है। सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है किन्तु अभी तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) एक सुझाव यह है कि खाड़ी के क्षेत्र में एक कार्यालय खोलने से निवेश तथा प्रेषणाओं के कार्य को सरल बनाने में मदद मिलेगी। किन्तु इस संबंध में अन्तिम निर्णय भारतीय निवेश केन्द्र की भावी भूमिका से संबंधित निर्णय पर ही निर्भर करेगा।

रुई के माड़े की दरें समान बनाना

2958. **श्री हनन मोल्ला :**
श्री सोमनाथ चटर्जी :
श्री नीरेन घोष : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वी जोन में सूती कपड़ा उद्योगों को भाड़े की समान दरें न होने के कारण हानि हो रही है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने रुई के भाड़े की दरें समान बनाने के लिए कहा है; और

(ग) क्या सरकार रुई के भाड़े की दरों में समानता लाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) चूंकि पूर्वी क्षेत्र में रुई की पैदावार नहीं होती, इसलिए उस क्षेत्र की मिलों को रुई पर कुछ मामूली सा अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। कुछ समय पूर्व योजना आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया था और यह विचार किया गया कि रुई के लिए भाड़ा समीकरण का लागू किया जाना कई कारणों से उचित नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार से इस विषय पर हाल में कोई सन्दर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

जापानी सहयोग से इस्पात के संयंत्र

2959. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी सहयोग से एक इस्पात संयंत्र की स्थापना करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो अब इसकी क्या स्थिति है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार देश में कोई इस्पात संयंत्र लगाने के बारे में विचार कर रही है और कहां लगाने के बारे में विचार कर रही है;

(घ) क्या यह स्वदेशी ही होगा अथवा किसी के सहयोग से ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) देश में इस्पात बनाने की क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार जापान सहित कुछ विकसित देशों की तकनीकी और वित्तीय सहायता से एक नया कारखाना लगाने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है। लेकिन जापान की ओर से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) सरकार ने सोवियत रूस के सहयोग से विशाखापत्तनम में 2256 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना लगाने के सम्बन्ध में पहले ही स्वीकृति दे दी है। इस कारखाने की वार्षिक क्षमता 34 लाख टन द्रव इस्पात तैयार करने की होगी। बन्दरगाह पर एक अन्य इस्पात कारखाना लगाने के सम्बन्ध में जिसकी अन्ततः क्षमता 30 लाख

टन प्रतिवर्ष होगी, पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन आदि की कुछ पार्टियों से तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग की पेशकशें प्राप्त हुई हैं। इन प्रस्तावों का (स्थल के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय लेना तथा अन्य शर्तें भी शामिल हैं) विभिन्न स्तरों पर विस्तार से तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा रहा है तथा अन्तिम रूप से निर्णय लेने से पूर्व सम्बन्धित पार्टियों से आगे बातचीत करनी होगी।

बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन लक्ष्य

2960. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष सभी इस्पात संयंत्रों में संयंत्र-वार बिक्री योग्य इस्पात का लक्ष्य क्या था और उत्पादन कितना हुआ;

(ख) क्या इन दोनों के बीच कोई अन्तर है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) वर्ष 1979-80 का 6 सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का विक्रेय इस्पात का निर्धारित लक्ष्य तथा उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(हजार टन)

संयंत्र	लक्ष्य	वास्तविक	कमी
भिलाई	1900	1706	194
दुर्गापुर	1000	604	396
राउरकेला	1172	1045	127
बोकारो	1377	849	528
इस्को	550	430	120
टिस्को	1550	1447	103
जोड़ :—	7405	6039	1366

मात्रा तथा किस्म की दृष्टि से कोककर कोयले और बिजली की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण उत्पादन में कमी हुई है। स्थिति को सुधारने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। इस्पात कारखानों को बिजली तथा कोयले की अधिकाधिक सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम, राज्य विद्युत बोर्डों, कोयला सप्लाई करने वाले अभिकरणों तथा

रेलवे के साथ निकट तथा सतत् सम्पर्क रखा जा रहा है। कोयले और बिजली तथा अन्य आवश्यक आदानों की सप्लाई की विभिन्न स्तरों पर दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है। कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ निकट तथा प्रभावी सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान रक्षित विद्युत संयंत्रों से अधिकाधिक बिजली पैदा करने तथा इन संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

कपड़ा उद्योग के विकास के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम और भारतीय रुई निगम को अधिक कार्यभार सौंपने का प्रस्ताव

2961. **श्री के० ए० राजन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कपड़ा उद्योग के विकास और कपड़ा उत्पादन हेतु राष्ट्रीय वस्त्र निगम और भारतीय रुई निगम को अधिक कार्यभार सौंपने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) इस समय सरकार समग्र वस्त्र उद्योग के लिए संशोधित छठी योजना के अनुमान तैयार कर रही है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वस्त्र उद्योग और वस्त्रों के उत्पादन के विकास में राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा भारतीय रुई निगम की भूमिकाएं भी शामिल होंगी।

सीमाशुल्क विभाग द्वारा पश्चिमी तट पर "कोफेपोसा" के अधीन पकड़ी गई चांदी

2962. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 मार्च, 1980 को सीमाशुल्क अधिकारियों ने विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निरोधक अधिनियम के अधीन 3 मीटरी टन तथा 40 किलोग्राम चांदी तस्करों से पकड़ी थी ; और

(ख) यदि हां, तो पकड़ी गई चांदी का पूरा ब्यौरा क्या है और किन अधिकारियों ने इन्हें पकड़ा तथा सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) 14 मार्च, 1980 को, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, पुणे से सम्बद्ध सीमाशुल्क अधिकारियों ने मलवन पत्तन के निकट 3.4 मी० टन चांदी पकड़ी।

(ख) उक्त चांदी 112 छड़ों के रूप में थी, और उसका मूल्य लगभग एक करोड़ रुपये था। जांच-पड़ताल से पता चला है कि पकड़ी गयी चांदी को भारत से चोरी-छिपे बाहर ले जाए जाने के लिए, एक अरब ढो पर लादा जाना था। इस मामले में ग्रस्त पाए गए सत्रह व्यक्तियों

को गिरफ्तार किया गया था। सभी सत्रह अपराधियों के खिलाफ विदेशी मुद्रा अनुरक्षण तथा तस्करी निवारण, अधिनियम 1974 के अन्तर्गत नजरबन्दी आदेश जारी किये गये थे, जिनमें से सात व्यक्ति नजरबन्द किये जा चुके हैं।

हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड द्वारा वस्तुओं और कपड़े का निर्यात

2963. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड द्वारा किस तरह की वस्तुएं और कपड़े आदि का निर्यात किया गया ; किन-किन देशों को निर्यात किया गया और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान निगम ने प्रत्येक वर्ष कितना मुनाफा कमाया तथा कर्मचारियों को बोनस के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम हस्तशिल्प की वस्तुओं और हथकरघा माल के, जिनमें पहनने के योग्य परिधान और ऊनी निटवियर शामिल है, निर्यात का कार्य करता है। इसके अधिकांश निर्यातक ई० ई० सी० देशों, सं० राज्य अमरीका, सोवियत संघ और जापान को किये जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निगम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नांकित प्रकार है :

1977—78	: 57·00 करोड़ रु०
1978—79	: 38·76 करोड़ रु०
1979—80	: 26·64 करोड़ रु० (अनन्तिम)

(ख) उक्त अवधि के दौरान कर्मचारियों को दिये गए लाभ और बोनस का ब्योरा निम्नांकित प्रकार है :

वर्ष	निबल लाभ	बोनस
1977-78	108·53 लाख रु०	6·21 लाख रु०
1978-79	7·41 लाख रु०	5·89 लाख रु०

1979-80 के लेखों को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

1978-79 से 1980-81 तक पर्यटन के विकास के लिए उड़ीसा राज्य से प्राप्त प्रस्ताव

2964. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान उड़ीसा राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में किन-किन स्थानों की सिफारिश की गई थी और केन्द्र सरकार द्वारा किन-किन स्थानों का विकास किया गया है और विकास किया जा रहा है तथा उन स्थानों पर किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : (क) और (ख) 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान उड़ीसा सरकार से पर्यटन विकास हेतु कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। तथापि, नवम्बर, 1978 में नई दिल्ली में हुए पर्यटन मन्त्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत विकास हेतु निम्नलिखित केन्द्रों की सिफारिश की थी :

1. कोणार्क और पुरी में होटल,
2. सिमलीपाल,
3. चिल्का झील।

ऊपर सिफारिश किए गए केन्द्रों में से, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने चिल्का झील में परिभ्रमण करने के लिए 1·62 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर चिल्का झील पर एक मोटर लांच की पहले ही व्यवस्था कर दी थी।

सिमलीपाल नेशनल पार्क में 80·00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक बन लॉज स्थापित करने का पर्यटन विभाग का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए पर्यटन विभाग की वार्षिक योजना 1980-81 में 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

भारत पर्यटन विकास निगम ने भुवनेश्वर में 40 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 26 कमरों के एक ब्लाक की वृद्धि करते हुए अपने वर्तमान यात्री लॉज का विस्तार किया है। इसका दोबारा नाम होटल कलिंग अशोक रखा गया है और इसे दिसम्बर, 1979 में चालू किया गया था।

भारत पर्यटन विकास निगम का उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में (1) पुरी में 30 कमरों वाले एक होटल और (2) कोणार्क में 30 समुद्र-तटीय कुटीरों के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

आय कर के स्थान पर व्यय कर लगाया जाना

2965. **श्री नवीन रवाणी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली सरकार ने आय-कर के बजाय व्यय कर लगाने की सम्भावना की जांच करने से सम्बन्धित विभाग में जो अध्ययन दल नियुक्त किया था उसने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ;

(ख) क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; यदि नहीं, तो उस पर निर्णय करने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) इस अध्ययन दल के प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) आय कर के स्थान पर व्यय पर कर लगाने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए, पिछली सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अध्ययन दल ने न तो आय कर के स्थान पर व्यय कर लगाने की सिफारिश की थी और न ही उक्त अध्ययन दल ने वर्तमान करों के अलावा व्यय कर को पुन: लागू किए जाने का समर्थन किया था ।

(ङ) और (ग) सरकार ने अध्ययन दल की रिपोर्ट पर विचार किया है और वह दल सिफारिशों से सहमत है ।

(घ) अध्ययन दल के अनुसार आयकर के स्थान पर व्यय कर लगाने से संबन्धित मामले के पक्ष में और उसके विपक्ष में मुख्य तर्क निम्नानुसार हैं :

1. न्याय संगति सम्बन्धी तर्क :—आय की अपेक्षा व्यय पर कर लगाने का न्याय संगति संबंधी मामला अक्सर इस तर्क पर आधारित होता है कि कोई व्यक्ति जितना उपभोग करता है उस पर केवल उसी हिसाब से लगना चाहिए किसी व्यक्ति की क्षमता उसकी आय से आंकी जाती है और उस पर कर का लगाया जाना त्याग की एक अनिवार्य व्यवस्था होती है, फिर चाहे वह कर खपत पर लगता हो अथवा बचत पर । इसके अतिरिक्त, आर्थिक शक्ति के सूचकांक के रूप में आय का दावा अपेक्षाकृत अधिक अच्छा प्रतीत होता है ।

2. **दक्षता सम्बन्धी तर्क** :—आय के स्थान पर खर्च पर कर लगाने के पक्ष में प्राय: यह तर्क दिया जाता है कि यह विकास और आर्थिक दक्षता को बढ़ाने में अपेक्षाकृत अधिक सहायक है । इस तर्क को कोई बहुत ठोस आधार नहीं है । इस तर्क का कि आय पर किसी प्रकार का कर कार्य सम्बन्धी प्रयास को हतोत्साहित करता है, यह कह कर प्रतिवाद किया जा सकता है कि आय में कटौती की जाने पर कोई करदाता उस हानि को पूरा करने के लिए और अधिक प्रयास कर सकता है ताकि वह जीवन निर्वाह के उसी मानदण्ड को कायम रख सकें ।

3. **प्रशासनिक कारण** :—व्यय कर को, सम्भवत: प्रशासनिक पेचीदिगियों के कारण अभी तक किसी देश में समर्थन नहीं मिल पाया है । वस्तुत:, भारत में पहले जो व्यय कर लगाया जाता था उसे मुख्यत: इसी आधार पर छोड़ दिया गया था ।

4. **कर अपवंचन को रोकने में प्रभावशालिता** :—यह तर्क भी युक्तियुक्त नहीं है कि व्यय पर कर लगाना कर अपवंचन को रोकने में सहायक होगा । काला धन केवल इसलिए पैदा

नहीं होता कि कोई व्यक्ति अपनी आय का कोई हिस्सा कर लगाने वाले की आँख से बचाना चाहता है अपितु उन परिपाटियों के कारण पैदा होता है जिन्हें सम्बन्धित देश के कानून निषिद्ध ठहराते हैं।

5. **कृषि क्षेत्र पर कर** :—भारतीय स्थिति में व्यय कर के पक्ष में सबसे प्रबल तर्क कृषकों को केन्द्रीय प्रत्यक्ष करों की परिधि में लाने की सम्भावना है। चूंकि, व्यय कर के प्रयोजन के लिए कृषि-आय की संगणना करना प्रारम्भिक मुद्दा होगा, अतः इस प्रक्रिया में अन्तर्ग्रस्त प्रशासनिक कठिनाइयां इससे उपलब्ध होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होंगी।

ऊपर बताये गए कारणों को देखते हुए, अध्ययन दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आय पर वर्तमान कर के स्थान पर व्यय पर कर लगाना अव्यावहारिक प्रतीत होता है।

बड़े व्यापार-गृहों के विरुद्ध कर की चोरी के सम्बन्ध में मुकदमें चलाना

2966. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**
श्री पी० एम० सईद :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने बड़े व्यापार-गृहों के विरुद्ध कर की चोरी के सम्बन्ध में मुकदमें चलाने के लिए कर प्राधिकारियों को हाल में ही निदेश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़े व्यापार-गृहों से सम्बन्धित किसी व्यक्ति पर इस प्रकार की कर की चोरी के लिए मुकदमा चलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यापार-गृह के वे कौन-कौन से उच्च अधिकारी हैं, जो कर की चोरी के मामले में दोषी पाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) बड़े व्यापारिक घरानों के विरुद्ध इस्तगासे की कार्यवाही आरम्भ करने के लिए हाल ही में कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। जहां तक कर अपवंचन के कारण इस्तगासे की कार्यवाही शुरू करने का सम्बन्ध है, बड़े व्यापारिक घरानों से सम्बन्धित कर-निर्धारितियों तथा अन्य कर निर्धारितियों के बीच कोई भेद-भाव नहीं है।

(ख) वास्तव में, इस प्रकार के विशिष्ट अनुदेशों के न होते हुए भी, बड़े व्यापारिक घरानों से सम्बन्धित अनेक व्यक्तियों/कम्पनियों के विरुद्ध कर अपवंचन के मामले में पहले ही इस्तगासे की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान ऐसे मामलों में दायर किए गए मुकदमें न्यायालयों के समक्ष सुनवाई की विभिन्न अवस्थाओं में है तथा इस प्रकार के किसी मामले में अभी तक कोई अन्तिम आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली-हैदराबाद विमान-सेवाओं के समय का पुनरीक्षण

2967. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली से हैदराबाद जाने वाले विमानों के समय का पुनरीक्षण करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तन क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी, हां । इण्डियन एयरलाइन्स का अपने विमान बेड़े से वृद्धि हो जाने पर दिल्ली तथा हैदराबाद के बीच सेवाओं की समय-सारिणी में संशोधन करने की योजनाएं है ।

मुर्गी पालन से सम्बद्ध बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा धन का प्रेषण

2968. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) मुर्गीपालन से सम्बद्ध बहुराष्ट्रीय उद्यम (एक) बेबकोक (दो) शेवर्स तथा (तीन) रौक फेलर फांउडेशन ने गत पांच वर्षों के दौरान कितनी धनराशि हमारे देश से बाहर भेजी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) गत पांच वर्षों के दौरान, मेसर्स बेबकोक इन्डस्ट्रीज इन्कारपोरेशन संयुक्त राज्य अमरीका, मेसर्स शेवर्स पोल्टरी ब्रीड़िंग फार्मस आफ कनाडा अथवा मेसर्स आरबर एकर्स फार्मस कानोटिकट संयुक्त राज्य अमेरिका को जो न्यूयार्क नगर के अन्तर्राष्ट्रीय बुनियादी आर्थिक सहयोग समवाय के साथ कार्य करती है जो कि एक रौक फेलर कम्पनी है, हमारे देश से कोई धनराशि बाहर भेजने की स्वीकृति नहीं दी गई है ।

"पालिसी-होल्डरों से धोखा" शीर्षक से समाचार

2969. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 मई, 1980 के दैनिक हिन्दुस्तान के पृष्ठ 4 पर 'पालिसी-होल्डरों से धोखा" शीर्षक से प्रकाशित सम्पादकीय समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) जीवन बीमा निगम में इस गड़बड़ी की रोकथाम के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार जीवन बीमा निगम को इस आशय के निदेश जारी करने का है कि वह पालिसी जारी करने से पहले आवश्यक जांच-पड़ताल कर ले, ताकि पालिसी के लिए किए गए दावे के समय यह जांच-पड़ताल न करनी पड़े ; और

(घ) क्या सरकार का विचार कथित निगम को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निदेश जारी करने का है कि पालिसी के देय हो जाने पर इसका शीघ्र भुगतान कर दिगा जाए ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) जी, हां ।

(ख), (ग) और (घ) सम्पादकीय में आलोचना संबंधी मुख्य बातें इस प्रकार थीं :—

1. प्रीमियम की दरों में कमी करने की घोषणा करते समय जीवन बीमा निगम ने यह सूचना दबा ली कि मनी बैंक प्लान के अन्तर्गत प्रीमियमों की दरें बढ़ा दी गई है । इसके अलावा, अब यह भी पता चला है कि जीवन बीमा निगम ने मनी बैंक पालिसियों के अन्तर्गत ऋण सम्बन्धी सुविधाएं समाप्त कर दी हैं ।

2. जीवन बीमा निगम ने प्रत्याशित बंदोबस्त बीपा योजना (ऐंटीसिपेटिड एण्डाओमेंट प्लान) समाप्त कर दी है, जिसके अन्तर्गत एक तिहाई पालिसियां जारी की जा रही थीं ।

3. अन्तिम (अतिरिक्त) बोनस मुश्किल से 20 प्रतिशत पालिसियों को मिलेगा क्योंकि अदायगी के लिए केवल इतनी ही पालिसियां परिपक्व होती हैं ।

4. जीवन बीमा निगम के अधिकारी मृत्यु के दावों के सम्बन्ध में बेतुकी आपत्तियां उठाते हैं । और दावों को निपटाने में देरी करते हैं अथवा बिलकुल इन्कार कर देते हैं ।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जीवन बीमा निगम ने पहली अप्रैल, 1980 से अपने प्रीमियमों की दरों में संशोधन की घोषणा करते समय विभिन्न आयोजनाओं के अन्तर्गत प्रीमियम की दरों में कमी अथवा वृद्धि के क्रम को स्पष्ट कर दिया था । निगम की प्रेस प्रकाशनी में मनी बैंक प्लान के अन्तर्गत प्रीमियमों में 5.8 प्रतिशत की मामूली सी वृद्धि का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था ।

प्रत्याशी बंदोबस्त बीमा योजना के मुकाबले मनी बैंक प्लान के अन्तर्गत बीमाकृत राशि की बड़ी/पहले से अधिक बारम्बार किस्तों की अदायगी की व्यवस्था है और इसके परिणामस्वरूप मनी बैंक पालिसियों के अन्तर्गत प्रारक्षित राशि अपेक्षाकृत कम होती है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मनी बैंक प्लान के अन्तर्गत 1976 में इसके शुरू किए जाने के समय से ही ऋण की सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी । प्रत्याशी बंदोबस्त बीमा योजनाओं को अब समाप्त कर दिया गया है ताकि मनी बैंक प्लान के साथ दोहरकम को समाप्त किया जा सके ।

चूंकि अन्तिम (अतिरिक्त) बोनस सामान्य दावा-प्राप्य बोनस (रिवर्शनरी बोनस) के अलावा और बीमांकिक सोचविचार के आधार पर अदा किया जाता है। इसलिए इसका औचित्य, केवल उन पालिसियों के मामले में होता है जो मृत्यु अथवा परिपक्वता के दावे से पहले काफी लम्बी अवधि तक जीवन बीमा निगम के खातों में बनी रहती हैं।

जीवन बीमा निगम, आज भी, बीमे के प्रस्तावों की छानबीन अपनी सुस्थापित बीमाकार्य पद्धति के अनुसार करता है जिसका परिणाम यह होता है कि आमतौर पर मृत्यु सम्बन्धी दावे बिना जांच पड़ताल के पास कर दिये जाते हैं। लेकिन जांच पड़ताल वहां जरूर हो जाती है जहां बीमाशुदा व्यक्ति की मृत्यु बहुत थोड़े समय अर्थात् जोखिम शुरू होने से दो वर्ष के अन्दर हो जाती है या जीवन बीमा निगम को ऐसी सूचना मिल जाए कि पालिसीधारी ने महत्वपूर्ण सूचना दबाई थी। जांच पड़ताल का उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना है और जिन मामलों में जांच पड़ताल की जाती है, उनका अनुपात बहुत कम है। जीवन बीमा निगम जांच पड़ताल यथाशीघ्र पूरी करने का हर सम्भव प्रयत्न करता है।

जहाँ तक परिपक्वता दावों का सम्बन्ध है, जीवन बीमा निगम के कार्यालयों को परिपक्वता तारीख से दो महीने पहले उन्मुक्ति वाउचर (डिस्चार्ज वाउचर) जारी करने के अनुदेश दिए गए हैं जिस से देय तारीख को अदायगी की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए पालिसीहोल्डर को काफी समय मिल सके। जीवन बीमा निगम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयत्न करता है कि पालिसीहोल्डरों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर दिए जाने के बाद परिपक्वता दावों के सम्बन्ध में कार्रवाई करने में कोई देरी न हो।

नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना

2970. **श्री अहमद एम० पटेल :**

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है (उनके अतिरिक्त जिनके लिए मंजूरी दी जा चुकी है और निर्माणाधीन हैं) ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनकी स्थापना कुछ अन्य देशों के सहयोग से की जायेगी ;

(ग) यदि हां तो उन देशों के नाम क्या हैं और उनकी क्या शर्तें हैं,

(घ) इसके लिए किन स्थानों का चयन किया गया है ; और

(ङ) यह प्रस्ताव कब क्रियान्वित हो जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी)। (क) से (ङ) देश में इस्पात बनाने की क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार कुछ विकसित देशों के तकनीकी तथा

आर्थिक सहयोग से एक नया इस्पात कारखाना लगाने की सम्भावनों का पता लगा रही है। इसके फलस्वरूप पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन आदि की कुछ पार्टियों से ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों का (स्थल के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय लेना तथा अन्य शर्तें भी शामिल हैं) विभिन्न स्तरों पर विस्तार से तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा रहा है तथा अन्तिम रूप से निर्णय लेने से पूर्व सम्बन्धित पार्टियों से आगे बात-चीत करनी होगी।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को हुई हानि

2971. **श्री निरेन घोष** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को अपने उत्पादकों के सस्ते मूल्यों के कारण भारी हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य निर्धारण के कारण कितनी हानि हुई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) यह कहना ठीक न होगा कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने को अपने उत्पादों के सस्ते मूल्यों के कारण भारी हानि हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मेंगनीज ओर इन्डिया लि० द्वारा खानों और 'डम्पों' को पट्टे पर दिया जाना

2972. **श्री केशवराव पारधी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैंगनीज ओर इन्डिया लिमिटेड में बहुत सी खानों और 'डम्पों' को पट्टे पर दिया है परन्तु वहाँ वर्षों तक काम आरम्भ नहीं किया जा सका ;

(ख) ऐसी खानों और "डम्पों" के नाम क्या हैं तथा वे पट्टे पर कब दी गई और वहां काम आरम्भ न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि श्रमिको को काम नहीं मिल सका क्योंकि वहां इस तथ्य के बावजूद काम आरम्भ नहीं किया गया कि मैंगनीज ओर इन्डिया लि० ने उन्हें पट्टे पर दिया था अथवा इन्हें दूसरों को पट्टे पर दिया गया था ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आर्थिक दशा सुधारने के लिए राज-सहायता बन्द करने का प्रस्ताव

2973. **श्रीमती कृष्णा शाही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के प्रभावशाली व्यक्तियों को खाद्य-राज-सहायता के रूप में 475 करोड़ रुपए, निर्यात राज-सहायता के रूप में 275 करोड़ रुपए और उर्वरक राज-सहायता के रूप में 150 करोड़ रुपए देती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए इस राज-सहायता को बन्द करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) और (ख) 1980-81 के बजट में खाद्य सहायता के लिए 600 करोड़ रुपए, निर्यात सम्बन्ध में नकद क्षतिपूर्ति सहायता के लिए 355 करोड़ रुपए तथा देशी और आयातित उर्वरकों के सम्बन्ध में सहायता के लिए 367 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। खाद्य सहायता भारतीय खाद्य निगम को देय है तथा इसमें (क) सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न से सम्बन्धित सहायता और (ख) खाद्यान्न के वहनशील संकट निरोधक भण्डारों की लागत शामिल है। खाद्य सहायता खाद्य सम्बन्धी सुरक्षा के लिए तथा समाज के कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराने केलिए है। निर्यात के लिए नकद क्षतिपूर्ति समर्थन का उद्देश्य यह है कि देश से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को विश्व बाजार में प्रतियोगिता में टिकने योग्य बना कर उनके निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके। उर्वरक सहायता किसानों को इसलिए दी जाती है जिससे कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। अर्थात् यह सहायता न तो सहायता प्राप्त करने वाले लोगों के किसी वर्ग विशेष को और न ही "देश के शक्तिशाली वर्गों" को दी जाती है। लेकिन सहायता की इन रकमों पर लगातार निगरानी रखी जाती है और सहायता की इन रकमों को सरकार की बजट सम्बन्धी स्थिति तथा उनके द्वारा जिन सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उन्हें ध्यान में रखते हुए उनमें समायोजन किया जाता है।

त्रिपुरा को वस्तुओं का आवंटित कोटा सप्लाई न किया जाना

2974. **श्री अजय बिस्वास** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की तुलना में वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान त्रिपुरा के लिए डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, चावल चीनी, नमक का कितना कोटा निर्धारित किया गया था ;

(ख) उपरोक्त अवधि में त्रिपुरा को प्रत्येक वस्तु की कितनी मात्रा सप्लाई की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त वस्तुओं का आवंटित कोटा त्रिपुरा को सप्लाई नहीं किया जा सका; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) 1979-80 के दौरान त्रिपुरा सरकार को 81·5 हजार मीटरी टन के आबंटन की तुलना में 79·9 हजार मीटरी टन चावल

की सप्लाई की गई थी। 1980-81 के पहले दो महीनों के दौरान उन्हें 14 हजार मीटरी टन के आवंटन की तुलना में 15.2 हजार मीटरी टन चावल सप्लाई की गई थी। वर्ष 1979 के दौरान 12,700 मीटरी टन के आवंटन की तुलना में 12,000 मीटरी टन नमक की सप्लाई की और 1980 के दौरान (जनवरी से 15 जून) 6000 मीटरी टन के अनुपातिक कोटे की तुलना में उन्हें 9500 मीटरी टन नमक सप्लाई किया गया। अक्तूबर, 1979 से मार्च, 1980 की अवधि के दौरान डीजल और मिट्टी के तेल की वास्तविक सप्लाई क्रमशः 4,554 मीटरी टन तथा 3,096 मीटरी टन की गई, जबकि इनका आवंटन क्रमशः 7,279 मीटरी टन तथा 4,914 मीटरी टन था। 1980-81 के पहले तीन महीनों के दौरान, त्रिपुरा को 2,710 मीटरी टन डीजल और 2690 मीटरी टन मिट्टी के तेल की सप्लाई की गई, जबकि इनका आवंटन क्रमशः 3,800 मीटरी टन तथा 2,272 मीटरी टन किया गया था। 17-12-79 से चीनी पर आंशिक नियन्त्रण फिर से लागू कर लिया गया और तब से त्रिपुरा को प्रतिमाह 759 मीटरी टन का कोटा निर्मुक्त किया जा रहा है। कारखानों से लेवी-चीनी उठाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जहां तक पेट्रोल का संबंध है, इसका मासिक आवंटन करने की कोई प्रणाली नहीं है और विभिन्न सप्लाई-क्षेत्रों को पेट्रोल की मांग तेल कम्पनियों द्वारा पूर्व में की गई बिक्री तथा अन्य सम्बद्ध बातों के आधार पर तय की जाती है। मांग के अनुसार उपभोक्ता क्षेत्रों में इस उत्पाद को पहुंचाने के लिए मासिक योजनाएं तैयार की जाती हैं। कुछ वस्तुओं की कम सप्लाई, मुख्यतः रेलवे वैगनों की अपर्याप्त उपलभ्यता के कारण हुई बताई जाती है। इस मामले में अब स्थिति में काफी सुधार हो गया है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा औद्योगिक वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋण

2975. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम और भारतीय वित्त निगम ने 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान इक्विटी पूंजी में भागीदार बनने और औद्योगिक उद्यमों को ऋणों के रूप में कुल कितनी राशि मंजूर की; और

(ख) उपर्युक्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा केरल राज्य में कितनी राशि मंजूर की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा देश के तमाम औद्योगिक प्रतिष्ठानों को तथा केरल राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्वीकृत किये गये सावधिक ऋणों और हामीदारियों तथा इक्विटी शेयरों में प्रत्यक्ष अंशदान की कुल राशि के सम्बन्ध में आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अखिल भारत		केरल	
	सांविधिक ऋण	हामीदारी और इक्विटी शेयरों में प्रत्यक्ष अंशदान	सांविधिक ऋण	हामीदारी और इक्विटी शेयरों में प्रत्यक्ष अंशदान
1977-78	499·84	44·75	12 36	0·81
1978-79	489·61	32·58	7·16	0·56
1979-80	598·27	60·87	56·81	—

आयकर की वसूली के लिये मुकदमें चलाना

2976. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1980 से अप्रैल, 1980 तक की अवधि के दौरान सरकार ने आयकर की बकाया राशि की वसूली के लिए कोई मुकदमें चलाए है ;

(ख) क्या मुकदमा चलाने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया था अर्थात् बकाया की किसी धनराशि का निर्धारण किया गया था ;

(ग) क्या ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई मुकदमें चलाए गए थे, जिन पर 2,50,000 रुपए से भी अधिक राशि बकाया थी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (घ) आय कर की बकाया रकमों की वसूली के लिए, जनवरी 1980 से अप्रैल 1980 तक दायर किये गये मुकदमों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

अमरीका और यूरोपीय देशों में ऊष्ण कटिबन्धी पक्षियों की मांग

2977. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका यूरोपीय देशों के अधिकतर सभी किस्मों के ऊष्ण कटिबन्धी पक्षियों की मांग है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी किस्मों के भारतीय पक्षियों का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) सबसे महंगा पक्षी कौनसा है और यूरोप तथा अन्य देशों में इसकी कितनी कीमत मिल जाती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें भारत से निर्यात किए गये पक्षियों की देशवार मात्रा और मूल्य दर्शाया गया है ।

(ग) पक्षियों के किस्मवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । अतः, यह बताना सम्भव नहीं है कि सबसे महंगा पक्षी कौन सा है जिसका विदेशी बाजारों में सबसे अधिक मूल्य मिलता है ।

विवरण

विवरण में उन पक्षियों का देशवार निर्यात दर्शाया गया है जिन्हें 1977-78 से 1979-80 (जून '79 तक) के दौरान आई. टी. सी. सं-2 कोड नं० 9410)01 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

मूल्य : लाख रु०
मात्रा : हजार में

देश	1977-78		1978-79		1979-80 (जून' 79 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
अफगानिस्तान	4	0.11	—	—	—	—
आस्ट्रेलिया	नगण्य	0.01	1	0.05	—	—
आस्ट्रिया	1	0.09	1	0.14	—	—
बैलजियम	81	2.97	9	1.01	1	0.03
चीन गणराज्ग	20	1.11	29	3.69	नगण्य	0.23
डेनमार्क	3	0.18	2	0.33	नगण्य	0.01
फ्रांस	184	5.44	15	1.70	—	—
जर्मन संघीय गणराज्य	92	6.18	30	5.07	नगण्य	0.01
हांगकांग	19	1.06	11	1.79	—	—
इटली	94	5.76	35	4.43	—	—
जापान	403	21.82	47	9.77	3	0.45
नीदरलैंड्स	114	6.20	8	1.81	2	0.16
कतार	30	0.31	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
स्पेन	18	1.42	5	0.68	10	0.14
स्वीडन	10	0.58	2	0.35	—	—
स्विटजरलैंड	नगण्य	0.03	1	0.17	—	—
संयुक्त अरब अमीरात	22	0.50	3	0.31	नगण्य	0.01
ब्रिटेन	34	1.90	15	2.84	—	—
सं० रा० अमरीका	1	0.09	12	2.18	—	—
सोवियत संघ	10	0.91	—	—	—	—
यमन अरब गणराज्य	—	—	16	1.65	—	—
अन्य देश	21	0.91	8	0.92	—	—
योग	1161	57.58	250	38.89	16	1.04

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं और संशोधित किये जा सकते हैं।

स्रोत : (1) 1977-78 मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ दी फारेन ट्रेड आफ इंडिया, खण्ड 1-निर्यात, वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित।

(2) 1978-79 तथा 1979-80 (जून 1979 तक) : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशक, कलकत्ता से आर्थिक सलाहाकार का कार्यालय, वाणिज्य विभाग में प्राप्त हुए अग्रिम आंकड़े।

जनेवा सम्मेलन

2978. **श्री भीकू राम जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 77 देशों के समूह की संयुक्त निधि पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे हाल ही में जनेवा गये थे ;

(ख) उक्त सम्मेलन में क्या निर्णय किए गये ; और

(ग) इन निर्णयों के परिणामस्वरूप भारत को कितना लाभ हुआ ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां। सामान्य निधि की स्थापना के संबंध में अंकटाड के तत्वावधान में हुए वार्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया था।

(ख) इस सम्मेलन ने वस्तुओं के लिए सामान्य निधि की स्थापना करने वाले करार को स्वीकार कर लिया है। इस निधि की मात्रा 75 करोड़ अमरीकी डालर होगी। इसमें दो तरह के खाते होंगे। 40 करोड़ अमरीकी डालर का पहला खाता अन्तर्राष्ट्रीय बफर स्टाकों तथा अन्तर्राष्ट्रीय समन्वित राष्ट्रीय स्टाकों के वित्त-पोषण के लिए है। 35 करोड़ अमरीकी डालर का दूसरा खाता स्टाकिंग को छोड़ कर वस्तुओं के क्षेत्र में ऐसे उपायों के वित्त-पोषण के लिए है जिनमें अनुसंधान और विकास, उत्पादन क्षमता में सुधार विपणन और ऐसे उपाय शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सामान्यतः संयुक्त वित्त-पोषण या तकनीकी सहायता के जरिए गहन विविधीकरण में सहायता करना है।

(ग) इस निधि से वस्तुओं से संबंधित ऐसे विभिन्न उपायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी, जिनका उद्देश्य निर्यात आय को बनाये रखना, उसमें स्थिरता लाना तथा सुधार लाना है। पटसन, चाय तथा कयर जैसी भारत के निर्यात हित की वस्तुएं ऐसी सहायता की पात्र हो सकती हैं। तथापि, यह तभी संभव हो सकेगा, जब इन वस्तुओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु करार संपन्न हो जाएगा।

सरकारी पेंशन-भोगियों को पेंशन

2979. **श्री आर० आर० भोले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेंशन भोगियों की ओर से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि कीमतों में वृद्धि के कारण उनकी पेंशन की राशि बढ़ाई जानी चाहिए ; और

(ख) क्या सरकार का पेंशन को जीवन निर्वाह सूचकांक से उसी प्रकार जोड़ने का विचार है, जैसा कि 1 सितम्बर, 1977 को सेवारत कर्मचारियों के लिए किया गया था ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हां।

(ख) जीवन निर्वाह लागत में हुई वृद्धि के लिए पेंशन-भोगियों को प्रतिपूर्ति करने के लिए पेंशन-भोगियों को पेंशन पर राहत दी जाती है। पेंशन पर राहत की मंजरी के फार्मूले की सिफारिश तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई थी और यह राहत सभी वर्तमान पेंशन-भोगियों को मंजूर की गई है, चाहे उनकी सेवा-निवृत्ति की तारीख कोई भी हो। राहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी होती है और अखिल भारतीय श्रमिक संघ वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100) के 12 मास के औसत में प्रत्येक 16 अंकों की वृद्धि होने पर पेंशन के 5% की दर पर किन्तु कम से कम 5/-रुपए और अधिक से अधिक 25/-रुपए प्रतिमास की दर पर दी जाती है। अभी तक, 344 अंकों के औसत सूचकांक स्तर तक ऐसी राहत की 9 किस्तें मंजूर की गई हैं। यह राशि पेंशन का 45 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 45/-रुपए और अधिकतम 225/-रुपए प्रतिमास बैठती है ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो 30-9-77 को या उसके बाद सेवा निवृत्त हुए। और जिनके सेवा-निवृत्त लाभों की गणना वेतन के साथ समाविष्ट किए गए मंहगाई भत्ते को हिसाब में लेकर की गई थी, राहत की मात्रा 45% की बजाए 25% है।

इस ग्रेडिड राहत के अलावा, 1-1-73 से पहले के पेंशन-भोगियों को 15/-रुपए से लेकर 35/-रुपए प्रतिमास तक की तदर्थ राहत भी मंजूर की गई है।

कोयम्बटूर हवाई अड्डे का विकास

2980. **श्री ईरा मोहन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर भारी यातायात को देखते हुए वहां बड़े विमानों के उतरने चढ़ने की व्यवस्था करने हेतु उस हवाई अड्डे का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ((श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) कोयम्बत्तूर विमान क्षेत्र का बोइंग 737 परिचालनों के लिए विकास करने के प्रथम चरण के रूप में रन-वे का विस्तार करने के लिए भूमि का अभिग्रहण करने का प्रस्ताव है।

पियरलेस कम्पनी में प्रमाण पत्र धारकों की देयताएं

2981. **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पियरलेस इन्वेस्टमेंट एण्ड इन्श्योरेंस कम्पनी में प्रमाण पत्र धारकों की सरकारी अधिकरण में कुल देयताओं की राशि कितनी हैं :

(ख) इस कम्पनी की कितनी राशि सरकारी प्रत्याभूतियों और राष्ट्रीकृत बैंकों में अलग-अलग लगी हुई है ;

(ग) पियरलेस कम्पनी का वर्ष 1979-80 तक कुल व्यापार कितना है ;

(घ) कम्पनी में प्रमाण पत्र धारकों के निवेशित धन की प्रत्याभूति क्या है ; और

(ङ) मध्य प्रदेश ने किस आधार पर पियरलेस कम्पनी को राज्य में काम करने पर रोक लगा दी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पीयरलेस इन्वेस्टमेंट एन्ड इन्श्योरेंस कम्पनी के नाम से कोई कम्पनी नहीं है। ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य का आशय पियरलेस जनरल फाइनेन्स एंड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड से है। इस कम्पनी के प्रकाशित तुलन पत्र के अनुसार, 31 दिसम्बर, 1978 तक कम्पनी की प्रमाण पत्र धारकों के प्रति प्रकट देयताओं की राशि 42·08 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1979 के लिए आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 31 दिसम्बर, 1978 की स्थिति के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधिक जमा राशियों के रूप में इस कम्पनी के कुल निवेश 44·45 करोड़ रुपये के थे। इस राशि का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :

1.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधिक जमाएं	37·83 करोड़ रुपये
2.	केन्द्र तथा राज्य सरकारों में प्रतिभूतियों के रूप में	6·46 करोड़ रुपये
3.	यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया की यूनिटों में	0·16 करोड़ रुपये
		जोड़ : 44·45 करोड़ रुपये

(ग) 31 दिसम्बर, 1978 के तुलन पत्र के अनुसार पिछले पांच वर्षों में अर्थात 1974-1978 की अवधि के दौरान, कम्पनी द्वारा प्राप्त किए गए कारोबार की राशि 1033·00 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1979-80 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) इस कम्पनी द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमा राशियां अप्रतिभूत हैं तथा जमा कर्त्ताओं की स्थिति अन्य प्रतिभूत ऋणदाताओं के समकक्ष ही होती है।

(ङ) इनामी चिट और धन परिवहन स्कीम (पाबन्दी) विधेयक, 1978 के अन्तर्गत, इनामी चिट योजनाओं के परिचालन पर, 12 दिम्बर, 1978 से रोक लगा दी गई है तथा इस अधिनियम के उपबन्धों को शामिल करने का अधिकार, राज्य सरकारों में निहित है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल, 1980 को जारी अपने आदेशों द्वारा इस कम्पनी को बताया था कि उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत राज्य में इस कम्पनी के कारोबार पर पाबन्दी है। कम्पनी ने राज्य सरकार द्वारा जारी इस आदेश के विरूद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी तथा अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। यह मामला अभी तक निर्णयाधीन है।

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा ऋण दिया जाना

2982. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के प्रत्येक जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखाएं हैं उनमें जमा ऋण राशि का अनुपात क्या है और स्वरोजगार के लिए ब्याज की अधिमान्य दरों पर कितना ऋण दिया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि बिस्फे तथा बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों के अन्तर्गत कुछ अन्य स्थानों में इनकी शाखाएं स्वरोजगार के लिए ऋण देने से इनकार करती हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन जिलों में उपरोक्त पद्धति पर शाखावार आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जून, 1979 के अन्त तक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण : जमा अनुपात तथा दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार, बिहार में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या के बारे में उपलब्ध, जिलेवार सूचना विवरण I में दी गई है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिये गए ऋणों की, केवल राज्यवार सूचना उपलब्ध है । सितम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार, बिहार में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिए गये ऋणों की बकाया राशि 8·67 करोड़ रुपये थी जिसमें 1·67 लाख से अधिक ऋणकर्त्ता खाते अन्तर्ग्रस्त थे ।

(ख) सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं तथा विशेष रूप से ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्यरत शाखाएं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से ऋण प्रसार में तेजी लाने के प्रयास कर रही हैं, जिसमें कि कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों के अलावा जो कि स्वनियोजन के अवसर प्रदान करती है, छोटे पैमाने के उद्योग, परिवहन चालक, खुदरा व्यापार, छोटा व्यापार तथा व्यावसायिक और स्वः नियोजित व्यक्ति आदि शामिल हैं । इन क्षेत्रों में वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम कार्यों के लिए, शाखाओं द्वारा ऋण से इन्कार किए जाने की जब कभी भी कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनकी उपचारात्मक कार्रवाई के लिए जांच की जाती है ।

(ग) जिस रूप में आंकड़े मांगे गए है, रिपोर्टिंग प्रणली में उस प्रकार से आंकड़े नहीं रखे जाते । अलबत्ता, दिसम्बर, 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार बिहार के दरभंगा तथा मधुबनी जिलों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों, परिवहन चालकों, सेवाकर्मियों तथा खुदरा व्यापार जैसे क्षेत्रों को जो कि स्वनियोजन प्रयासों के लिए अवसर प्रदान करते हैं, को दिए गए ऋणों के बारे में सूचना विवरण II में दी गई है

विवरण I

31-12-1979 की स्थिति के अनुसार बिहार में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का जिलेवार वितरण तथा जून, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण दर्शाने वाला विवरण

	जिला	वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात
	1	2	3
1.	औरंगाबाद	28	22·78
2.	बेगूसराय	32	45·59
3.	भागलपुर	57	46·42
4.	भोजपुर	69	22·83
5.	दरभंगा	35	38·50
6.	धनबाद	95	21.67
7.	गया	74	26·18
8.	गिरिडिह्	45	36·57
9.	गोपालगंज	18	38·67
10.	हजारीबाग	64	28.17
11.	कटिहार	22	61·95
12.	मधुबनी	46	30·07
13.	मूंगेर	84	27·40
14.	मुजफ्फरपुर	74	41·74
15.	नालंदा	31	63·98
16.	नवादा	26	48·91
17.	पलामू	42	40·28
18.	पश्चिम चंपारन	47	90·85

1		2	3
19.	पटना	139	42·92
20.	पुर्णिया	68	91·87
21.	पूर्वी चंपारन	67	70·60
22.	रांची	107	85·08
23.	रोहतास	70	37·71
24.	सहरसा	44	66·30
25.	समस्तीपुर	35	54·39
26	संथाल परगना	106	22·77
27.	सारन	36	46·00
28.	सीवन	23	49·90
29.	सिंघभूम	105	28·90
30.	सीमामढ़ी	43	47·90
31.	वैशाली	43	48·89
जोड़		1775	40·64

विवरण II

(हजार रुपयों में)

जिला	कुल बैंकऋण		जिसमें से							
			छोटे पैमाने के औद्योगिक एकक		परिवहन चालक		सेवाकर्मी		खुदरा व्यापार	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
दरभंगा	10,766	484.28	304	41,07	627	24,38	505	39,36	715,35	53
मधुबनी	3,936	84·68	367	7,54	236	15,65	682	3,77	508,12	80

जे० के० मैन्यूफैक्चर्र लिमिटेड, कानपुर का बन्द होना

2983. **श्री आरिफ मोहम्मद खां** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे० के० मैन्यूफैक्चर्र लिमिटेड, कानपुर 1 अक्तूबर, 1976, से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना, बन्द पड़ी है ;

(ख) क्या सरकार को प्रभावित कर्मचारियों की आत्महत्याओं के कथित मामलों का पता है ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मिल को अपने अधिकार में लेने की सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) वित्तीय कठिनाइयों के कारण मैसर्स जे० के० मैन्यूफैक्चरर्स लि० कानपुर 1 अक्तूबर, 1976 से बन्द पड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार से यह पता चला है कि कुछ व्यक्तियों ने आत्महत्या के कुछ मामलों का आरोप लगाया है किन्तु इस तथ्य की आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है और न ही इसका मिल के बन्द होने से कोई सम्बन्ध है। मिल के बन्द होने के मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार करती रही है और इस सम्बन्ध में प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त यह सुझाव भी रहा है कि मिल का अधिग्रहण कर लिया जाये।

पटसन उत्पादक देशों का संगठन

2984. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बंगालदेश ने यह सुझाव दिया है कि सभी पटसन उत्पादक देशों को पैट्रोलियम निर्यातक देश संगठन के अनुरूप एक सार्थ समूह बनाना चाहिए ;

(ख) इसमें किन-किन देशों को शामिल किए जाने का विचार है ;

(ग) क्या इस तरह के अन्तर्राष्ट्रीय निकाय का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि रेशा मूल्यों को उच्च स्तर पर बनाए रखा जाए जिसके परिणामस्वरूप उसके विकल्पों का विकास हो ; और

(घ) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) पटसन उपजकर्ता देशों का सार्थसंघ बनाने के लिए बंगाल देश के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार को कोई

औपचारिक सूचना नहीं मिली है। सरकार विषय को देखते हुए उचित समय पर विचार कर सकती है।

सोवियत संघ के साथ विनिमय सौदे

2985. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ के साथ अशोधित तेल पैट्रोलियम उत्पादों के बदले में चावल का निर्यात करने के लिये एक और विनिमय सौदा करने का निर्णय किया है ; और

(ख) क्या सोवियत संघ के साथ पहले के विनिमय सौदों के बदले सप्लाई का पूरा-पूरा विनिमय किया गया है ; यदि नहीं, तो वस्तुवार और मात्रावार कितने सौदे बकाया हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 1980 के लिए सोवियत संघ के साथ व्यापार योजना में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त उस देश से कच्चा तेल तथा एच० एस० डी० का आयात करने तथा भारत से चावल निर्यात करने के लिए करार किया गया है।

(ख) 1979 में किए गए ऐसे ही करार के अनुसार सोविय संघ से कुल 5.7 लाख में टन कच्चा तेल आयात किया गया है। इस आयात के बदले 2 लाख मे० टन चावल सोवियत संघ को पहले ही भेजा जा चुका है ; एक लाख मे० टन से अधिक चावल की मात्रा अभी सप्लाई की जानी है।

औषधियों के ब्रांड नामों का ग्रेड समाप्त करना

2986. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेड मार्क्स ओनर्स एसोसियेशन ने औषधियों के ब्रांड नामों का ग्रेड समाप्त करने के सरकार के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) दि ट्रेड मार्क्स ओनर्स एसोसियेशन ने पंजीयक, व्यापार चिन्ह द्वारा जारी किये गये इस आदेश के विरुद्ध एक अभ्यावेदन दिया है कि एकल मूल पदार्थ वाली औषधियों के लिये कोई व्यापार चिन्ह पंजीकृत नहीं किया जायेगा और उन्हें केवल उनके वर्गगत नामों से ही बेचा जाना चाहिए। इस अभ्यावेदन की संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से जांच की जा रही है।

विदेशी चाय कम्पनियों का भारतीयकरण

2987. **श्री राम विलास पासवान :** क्या वित्त मंत्री विदेशी चाय कम्पनियों के भारतीय-

करण के बारे में 28 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2246 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरोक्त प्रश्न के (ख), (ग) तथा (घ) भागों के बारे में कितनी जानकारी एकत्रित कर ली गई हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार अब तक एकत्रित की गई जानकारी को सभा पटल पर रखने का है अथवा नहीं ; और

(ग) उपरोक्त पूर्ण जानकारी कब तक सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) लोक सभा के 28 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न सं० 2240 के भाग (ख), (ग) तथा (घ) के संबंध में जानकारी इकट्ठी कर ली गई है और विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2246 दिनांक 28-3-80 के भाग (ख) का उत्तर

स्टर्लिंग चाय कंपनियों की सूची जिनका भारतीयकरण के लिए अनुमोदन किया गया है।

क्रम सं०	भारतीयकृत चाय स्टर्लिंग चाय कंपनी का नाम	भारतीय कंपनी का नाम जिसने स्टर्लिंग चाय कंपनियों का कारबार अपने हाथ में ले लिया है।	भारतीय कंपनी की इक्विटी पूंजी अनिवासियों द्वारा धारित प्रतिशत के साथ	निवासियों द्वारा धारित प्रतिशत के साथ	टिप्पणी
1	2	3	5		6
1.	कनसालिडेटिड टी ऐंड लैंड्स (कंपनी इण्डिया लि०)				बोनस शेयर
2.	एमेल्गमेटिड टी एस्टेट्स कं० लि०				जारी करके
3.	कनन देवन हिल्स प्रोड्यूस कं० लि०				पूंजी की
4.	एंगलो अमेरिकन डायरेक्ट टी ट्रेडिंग कं० लि०	टाटा फिनले लि०	240·00 40%	360·00 60%	राशि बढ़ा कर 8

1	2	3	4	5	6
5.	चुवटा टी कं०लि०				करोड़ रुपए
6.	अचबम टी कं० लि०				कर दी गई
7.	वोरहाट टी कं० लि०				है।
8.	जोकाई (असम) टी कं० लि०	जोकाई इंडिया लि०	185·00 74%	65·00 26%	
9.	रूपाई टी कं० लि०				
10.	पव्वजान टी कं० लि०				
11.	तारा टी कं० लि०				
12.	दुजामारा टी कं० लि०				
13.	डीमूली टी कं० लि०				
14.	देवरी टी कं० लि०	वारेन टी लि०	239·42	85·59	
15.	बालेजन टी कं० लि०		73·47%	26.53%	
16.	राजा अली टी ऐस्टेट्स लि०				
17.	ईस्टर्न असम टी कं० लि०				
18.	हटिमारा टी ऐस्टेट्स लि०				
19.	जलोनी टी ऐस्टेट्स लि०				
20.	इम्पोरियल टी कम्पनी लि०	मैकलाइड रसल	148·00	52·00	
21.	हुनवाल टी कम्पनी लि०	(इण्डिया) लि०	74 प्रतिशत	26 प्रतिशत	
22.	हलम टी कम्पनी लि०				
23.	काचार एण्ड ट्रारस टी कम्पनी लि०				
24.	बंगाल यूनाइटेड टी कम्पनी लि०				
25.	गिगिया टी कम्पनी लि०				
26.	ब्रिटिश आसाम टी कम्पनी लि०				
27.	मंजूली टी कम्पनी लि०	मजूली टी कम्पनी (इण्डिया) लि०	33·30 74 प्रतिशत	11·70 26 प्रतिशत	

1	2	3	4	5	6
28.	अटारीखाट टी कम्पनी लि०				
29.	बड़गांव टी कम्पनी लि०				
30.	बरदुवी टी कम्पनी लि०				
31.	बरोई टी कम्पनी लि०				
32.	करामूर टी कम्पनी लि०				
33.	इताखुली टी कम्पनी लि०	जार्ज विलियमसन		245·00	105·00
34.	खुमसांग टी कम्पनी लि०	(आसाम) लि०		70 प्रतिशत	30 प्रशित
35.	मोआबाद टी कम्पनी लि०				
36.	राजमई टी कम्पनी लि०				
37.	टिंगरी टी कम्पनी लि०				
38.	बोरैली टी कम्पनी लि०				
39.	रूपजूली टी कम्पनी लि०				
40.	अंगूरी टी एस्टेट लि०	अंगूरी (इण्डिया) लि०		12·00 40 प्रतिशत	18·00 60 प्रतिशत
41.	आसाम दारस टी कम्पनी लि०				
42.	लीश रिवर टी कम्पनी लि०				
43.	होप टी कम्पनी लि०				
44.	लेवांग टी कम्पनी लि०				
45.	ब्रिटिश दार्जिलिंग टी कम्पनी लि०	गुडरिक ग्रुप लि०		222·00	78·00
46.	चुलसा टी कम्पनी लि०			74 प्रतिशत	26 प्रतिशत
47.	डगुआ झाड़ टी कम्पनी लि०				
48.	मींगलास टी कम्पनी लि०				
49.	देजू टी कम्पनी लि०				
50	झांजी टी एसो० लि०	स्टीवर्ट हाल		44·40	15.60
51.	ब्रिटिश इण्डिया टी कम्पनी लि०	(इंडिया) लि०		74 प्रतिशत	26 प्रतिशत

1	2	3	4	5	6
52.	हरमुत्ती टी कम्पनी लि०				
53.	मुरान टी कम्पनी लि०	मुरान टी कम्पनी (इंडिया) लि०		51.80 74 प्रतिशत	18.20 26 प्रतिशत
54.	आसाम फ्रण्टियर टी कम्पनी लि०	आसाम फ्रण्टिर टी कम्पनी लि०		222.00 74 प्रतिशत	78.00 26 प्रतिशत
55.	मलयालम प्लाण्टेशन लि०	मलयालम प्लाण्टेशन (इण्डिया) लि०		222.00 74 प्रतिशत	78.00 26 प्रतिशत
56.	आसाम कम्पनी लि०				
57.	आसाम एस्टेट लि०				
58.	ग्रीन वुड टी कम्पनी लि०	आसाम कम्पनी (इण्डिया) लि०		259.00 74 प्रतिशत	91.00 26 प्रतिशत
59.	सलौना टी कम्पनी लि०				
60.	घनाई टी कम्पनी लि०				
61.	अपर आसाम टी कम्पनी लि०				
62.	स्काटिश आसाम टी कम्पनी लि०	स्काटिश आसाम (इण्डिय) लि०		8.00 40 प्रतिशत	12 00 60 प्रतिशत
63.	बक्सा द्वारस टी कम्पनी लि०	बक्सा द्वारस टी कं० (इण्डिया) लि०		22.00 74 प्रतिशत	7.80 26 प्रतिशत
64.	एम्पायर प्लाण्टेशन लि०	एम्पायर प्लान्टेशन (इन्डिया) लि०		44.00 73.33 प्रतिशत	16.00 26.67 प्र०श०
65.	सिंगलो टी कं० लि०	सिंगलो (इण्डिया) टी कं० लि०		44.00 73.33 प्र०श०	16.00 26.67 प्र०श०
66.	डूम-डूमा टी कं० लि०	डूम-डूमा (इण्डिया) लि०		129.50 74 प्रतिशत	45.50 26 प्रतिशत
67.	कोपरेटिव होल सेल सोसाइटी लि०	सी० डब्ल्यू० एस० (इण्डिया) लि०		74.00 74 प्रतिशत	26.00 26 प्रतिशत
68.	स्टेनमोर (अन्नमलाई) एस्टेट लि०				

1	2	3	4	5	6
69.	मद्रास टी एस्टेट लि०		टी एस्टेट	162.80	57·20
70.	टी एस्टेट (इण्डिया) प्रा० लि०		इण्डिया लि०	74 प्रतिशत	26 प्रतिशत
71.	दार्जीलिंग कं० लि०		दार्जीलिंग प्लांटेशन	44·40	15 60
			इण्डस्ट्रीज लि०	74 प्रतिशत	26 प्रतिशत
72.	दार्जीलिंग कन्सौलीडेटिड टी कम्पनी लि०		एवरेस्ट टी कं० लि०	16·00	8 00
				66.67 प्रतिशत	33.33 प्रतिशत
73.	लक्टारिया लि०		लक्टारिया (इण्डिया) प्रा० लि०	शून्य	5.00† 100 प्रतिशत
74.	बेलसेरी टी कं० लि०		बेलसेरी टी कं० (इण्डिया) लि०	2.96 74 प्रतिशत	1.04† 26 प्रतिशत

चाय को बागानों बेचने के लिए दी गई अनुमति

क्रम सं०	स्टर्लिंग कं० का नाम जिसका चाय संपदा पर स्वामित्व था	भारतीय पार्टी का नाम जिसने चाय संपदा खरीदी	विक्रय मूल्य की राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	सदरन इण्डिया टी एस्टेट कं० लि०	होप प्लांटेशन लि०	41·00
2.	ब्रे ऐण्ड चिंगूर टी कं० एस्टेट लि०	आसाम टी कारपोरेशन	38.00
3.	जोटिंगा वेली टी कं० लि०	कुम्बर टी कं० प्रा० लि०	37.40
4.	वाघामान (ट्रावनकोर) टी कम्पनी लि०	बीरपाडा टी कं० लि०	11.00
5.	वागाराकोट टी कं० लि०	बीरपाड़ा टी कं लि०	15.32
6.	द्वारस टी कं० लि०	चार चाय संपदाएं विभिन्न भारतीय कम्पनियों को बेची गई।	67.16

†राष्ट्रीयकरण की कार्यवाई हो रही है।

1	2	3	4
7.	रूंगजौन टी कं० लि०	1. आसाम चाय कर्मचारी औद्योगिक सहकारी संगठन लि०	27.50
		2. औक्टेविग्रस स्टील एण्ड कं० लि०	
8.	लंका पाडा टी कं० लि०	वीरपाड़ा टी कं० लि०	20.33
9.	ट्रावनकोर टी एस्टेट कं० लि०	रामबहादुर ठाकुर प्रा० लि०	4,70,000 पौण्ड के बराबर रुपए ।

उन स्टर्लिंग कम्पनियों के नाम जिनमें अनिवासी हिताधिकार 40 प्रतिशत से कम है, जिन में भारतीय कम्पनियों में परिवर्तित करने का अनुमोदन हो चुका है ।

क्रम संख्या	स्टर्लिंग चाय कम्पनी का नाम	अनिवासी हिताधिकार	भारतीय कम्पनी का नाम	मन्तव्य
1.	रूकनी टी कं० लि०	शून्य	सोनाई रिवर टी कं०लि०	
2.	जालान नगर साउथ एस्टेट लि०	,,	ईथलवोल्ड एस्टेट प्रा० लि०	
3.	जालिगा टी कं० लि०	4.93 प्रतिशत	जालिगा टी० कं. इ० लि०	
4.	डोलू टी० कं० लि०	27 ,,	डोलू टी. कं० लि०	राष्ट्रीयकरण की
5.	बड़हौला आसाम टी० कं. लि.	1.4 ,,	गणका कनोई टी. कं० प्रा० लि०	कार्यवाही चल रही है

(दिनांक 28-3-80 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2246 के भाग (ग) और (घ) का उत्तर)

स्टर्लिंग चाय कम्पनियों को अभी तक भारतीयकरण नहीं किया गया है । छः कम्पनियों के भारतीयकरण के प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं और चार कम्पनियों के मामले न्यायालयों के विचाराधीन हैं ।

सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं

2988 **श्री राम विलास पासवान : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात और निर्यात की किन-किन वस्तुओं के संबंध में सार्वजनिक उपक्रमों को एकाधिकार प्राप्त है ;

(ख) उन वस्तुओं पर किस दर पर कमीशन लिया जाता है और गत तीन वर्षों में किस-किस उपक्रम द्वारा किस-किस वस्तु पर कुल कितना कमीशन कमाया गया ;

(ग) गत तीन वर्षों में इनके द्वारा आयात तथा निर्यात की गई प्रत्येक वस्तु का ब्योरा क्या है और वस्तु-वार तथा उपक्रम का उसका अनुपात क्या है ; और

(घ) कुल लाभ की तुलना में कमीशन के रूप में प्राप्त राशि की प्रतिशतता क्या है और इस संबंध में उपक्रम का गत तीन वर्षों का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में लिपिकों लेखाकारों तथा अधिकारियों को स्थानान्तरित करने संबंधी नियम

2989. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिपकों, लेखाकारों तथा अधिकारियों के स्थानान्तरण संबंधी नियम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि किसी शाखा में किसी अधिकारी/लिपिक/लेखाकार को लम्बी अवधि तक सेवारत रखने से वहां उस कर्मचारी तथा उसके संबंधियों के निहित स्वार्थ पैदा हो जाते हैं : और

(ग) क्या सरकार का विचार बैंकिंग जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं से भ्रष्टाचार को दूर रखने के प्रयोजन से और इस दृष्टि से कि किसी भी कर्मचारी को एक ही शाखा तथा एक ही नगर में तीन वर्ष से अधिक समय तक न रखा जाये, नियमित रूप से कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) :-राष्ट्रीयकृत बैंकों में लिपिकों, लेखापालों (एकाउटेंण्ट्स) तथा अधिकारियों के स्थानान्तरण के बारे में बनाये गये नियमों में एकरूपता नही है । हर बैंक में इस बारे में स्थिति अलग-अलग है । अलबत्ता, बैंकों द्वारा अपनाई जा रही कुछ प्रक्रियाएं नीचे लिखे अनुसार है :—

1. अधिकारियों/लेखापालों के लिए

(1) राष्ट्रीयकृत बैंकों का शाखा जाल समस्त देश में व्याप्त है तथा बैंकों की आवश्यकताओं के आधार पर, बैंकों के अधिकारियों को देश के किसी भी भाग में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

(2) एक स्थान पर अधिकारी की नियुक्ति की आमतौर पर अवधि 3 से 5 वर्ष होती है लेकिन इस प्रकार के नियम का सख्ती से पालन करना संभव नही है। अधिकारियों की प्रार्थना पर, उनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर या बैंकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, अधिकारियों का नियत समय से पूर्व स्थानान्तरण किया जा सकता है।

(3) अधिकारियों को विविध अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से उनके कार्यकाल के प्रारम्भिक चरण में, बैंक, अपने अधिकारियों को उसी शाखा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अदलने-बदलने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार निहित स्वार्थों के विकास को रोकने में भी सहायता मिलती है।

(4) कभी-कभी अनुकम्पा-आधारों पर अपने गृह राज्य (होम-स्टेट) में स्थानान्तरण के लिए की गई प्रथना पर भी प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता हैं। इस प्रकार की प्राथना पर तभी विचार किया जाता है जबकि अधिकारी ने अपने गृह राज्य से बाहर एक विशिष्ट अवधि तक बैंक की सेवा पूरी कर ली हो।

2. लिपिकों के लिए

प्रबंधक वर्ग को, लिपिकों के, उसी शाखा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी स्थानान्तरण का अधिकार प्राप्त है। अलबत्ता, आमतौर पर लिपिकों को उनके राज्य या भाषा क्षेत्र से, जहाँ वे कार्यरत हैं बाहर स्थानान्तरण, उनकी इच्छा के बिना नहीं किया जाता। अलबत्ता, एक समुचित अन्तराल के बाद लिपिकों को उसी शाखा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्सर इस दृष्टि से स्थानान्तरित कर दिया जाता है कि एक तो वे अधिक अनुभव प्राप्त कर सकें तथा दूसरे, उनका एक विशेष स्थान (सीट) में निहित स्वार्थ विकसित न हो जाय।

(ग) कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक सामान्य प्रबन्धकीय कार्य है तथा आमतौर पर सरकार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है।

अधिगृहीत पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण

2990. **श्री चित्त बसु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुत सी पटसन मिलों को अधिगृहीत किया है ;

(ख) क्या उनमें से एक का हाल ही में राष्ट्रीयकरण किया गया है ; और

(ग) अन्य अधिगृहीत एककों का राष्ट्रीयकरण न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इन एककों में से प्रत्येक एकक को आधुनिकीकरण तथा पुनः स्थापना के लिए पर्याप्त मात्रा में निवेश की आवश्यकता है । सरकार, इन एककों को दीर्घावधि आधार पर आर्थिक रूप से जीवनक्षम बनाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है ।

कोरापुट, उड़ीसा में एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना करने के लिए 'बाल्को' की सिफारिशें

2991. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा स्थित कोरापुट जिले में एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना के लिए भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कम्पनी द्वारा उनके मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रतिवेदन में कीं गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) इन सिफारिशें के अनुरूप उड़ीसा सरकार और उनके मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी ने उड़ीसा के एल्यूमिनियम कम्पलैक्स के लिए फ्रांस के मैसर्स एल्यूमिनियम पैशीने द्वारा तैयार साध्यता रिपोर्ट अपनी टिप्पणियों सहित केन्द्र सरकार को भेज दी है जिसमें एल्यूमिना के निर्यात हेतु बन्दरगाह सुविधाओं तथा प्रद्रावक की बिजली की आवश्यकता पूरी करने हेतु गृहीत ताप बिजली घर सहित—(i) 2,400,000 टन वार्षिक क्षमता की बाक्साइट खान का विकास; (ii) 800,000 टन वार्षिक क्षमता का एल्यूमिना संयंत्र; तथा (iii) 218,000 टन वार्षिक क्षमता का एल्यूमिनियम प्रद्रावक शामिल हैं । पूंजी-निवेश संबंधी निर्णय लेने और उसके अनुरूप उपाय करने हेतु सरकार द्वारा विस्तृत रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

एल्यूमिनियम संयंत्र, कोरापुट, उड़ीसा की स्थापना

2992. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल्यूमिनियम संयंत्र, कोरापुट उड़ीसा की स्थापना के लिए आसाम सरकार द्वारा अब तक किए गए उपाय और उपलब्ध कराई गई सुविधाएं क्या हैं ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार प्रस्तावित एल्यूमिनियम संयंत्र को कोलाब और इन्द्रावती पनबिजली परियोजना से बिजली उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई थी ;

(ग) यदि हां तो इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है और प्रस्तावित संयंत्र को बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) राज्य सरकार ने पंचपटमाली बाक्साइट भंडारों के दक्षिणी खंड के लिए एक खनन पट्टा मंजूर किया है। वह परियोजना हेतु भूमि तथा जल की व्यवस्था करने के लिए सहमत है। राज्य सरकार बाक्साइट खानों और एल्यूमिना संयंत्र हेतु बिजली की मांग को पूरा करेगी, लेकिन प्रद्रावक की बिजली सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक गृहीत बिजली-घर बनाया जाएगा।

मंदसौर, मध्य प्रदेश में चूनापत्थर उपलब्ध होना

2993. श्री बी० आर० नहाटा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में खंडवार, कितना चूना पत्थर उपलब्ध होने के बारे में पता चला है और जिले में किन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में चूना पत्थर उपलब्ध है ; और

(ख) क्या इस संबंध में एक संपूर्ण सर्वेक्षण किया जायेगा और यह नए उद्योगों की स्थापना में इस चूना पत्थर के उपयोग के बारे में प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) मंदसौर जिले में अब तक सीमेंट ग्रेड चूना-पत्थर के 157 मिलियन टन भण्डारों की पुष्टि हुई है। विभिन्न खंडों में श्रेणी-वार भण्डार इस प्रकार हैं :

खण्ड	भण्डार (मिलियन टनों में)
1. केशरपुर, नयागांव, चिनपुरा और गुसांडी	80.27 (प्रमाणित)
2. सवाखेड़ा, मोरकाओ और महेशपुरा	50.53 (प्रमाणित)
3. बीसलवास और सुआखेड़ा	26.75 (अनुमानित)
	157.55

(ख) चूंकि इस क्षेत्र में अनुमानित भण्डार पर्याप्त मात्रा में हैं अतः भारतीय भू-सर्वेक्षण के आने वाले फील्ड सत्र (1980-81) के दौरान इस जिले में चूना-पत्थर निक्षेपों के सर्वेक्षण की कोई योजना नहीं है। भण्डारों का उपयोग करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना में कार्य कर रहे श्रमिकों पर गोली चलाया जाना

2994. श्री लक्ष्मण कर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलाडिला लोह अयस्क परियोजना के श्रमिकों पर 1977-78 में गोली चलायी गई थी और उसमें मारे गये श्रमिकों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या गोली चलाये जाने संबंधी इस घटना की जांच कराने के लिए सरकार द्वारा खुराना जांच आयोग नियुक्त किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन के अनुसार कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गए ; और

(घ) इस जांच प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 5 अप्रैल, 1978 को बेलाडिला में श्रमिक अशान्ति के दौरान पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसमें एक हेड-कान्सटेबिल सहित 11 व्यक्ति मारे गए थे ।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश की सरकार ने इस घटना की जांच कराने के लिए 20 अप्रैल, 1978 को एक सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी जिसके अध्यतन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री एस० जे० खुराना हैं । जांच अभी चल रही है ।

रसीद के लिए वर्गीकृत स्टाम्प शुल्क हेतु अभ्यावेदन

2995. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1979 की धारा 2 (23) के अधीन परिभाषित रसीद के लिए वर्गीकृत स्टाम्प शुल्क का प्रावधान करने के लिए वर्ष 1975 तथा 1976 में दिए गए पूर्ववर्ती अभ्यावेदनों के अनुक्रम में 21 जनवरी 1980 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिनियम संशोधन करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा, करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) सरकार को 1975 तथा 1976 में भेजे गए पूर्ववर्ती अभ्यावेदनों की प्रतियों के साथ दिनांक 21 जनवरी 1980 का एक अभ्यावेदन मिला है ।

(ख) प्राप्तियों पर श्रेणीबद्ध (ग्रेडेड) स्टाम्प शुल्क लगाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है । फिर भी यह महसूस किया गया है कि इस समय प्राप्तियों पर स्टाम्प शुल्क के ढांचे में संशोधन करना आवश्यक नहीं है ।

रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

2996. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक में कर्मचारियों को यदि वे अन्य चिकित्सा पद्धतियों को न अपना कर एलोपैथी पद्धति से इलाज कराते हैं तो उन्हें चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार की नीति आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने की है; और

(ग) यदि हां, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज कराने वाले रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यह कहना ठीक नहीं है कि रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को चिकित्सा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति केवल तभी की जाती है जब वे ऐलोपैथिक चिकित्सा करवाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेदिक और यूनानी तथा साथ ही होम्योपैथिक पद्धति के अधीन इलाज कराने पर भी कुछ सीमाओं के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए ऋण का दिया जाना

2997. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वित्त मन्त्री गृह निर्माण के लिए बैंक कर्मचारियों को ऋण दिये जाने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1476 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों की तरह सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए ऋण दिये जाने के लिए आदर्श योजना बनाने का मामला कब से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस मामले के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है और निष्कर्ष निकाल लिये गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह मामला किस अवस्था में है; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं और अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (घ) 21 मार्च, 1980 को अतारांकित प्रश्न सं० 1476 का उत्तर देते समय यह बताया गया था कि सरकारी क्षेत्र के

उद्यमों के कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए अग्रिम ऋण मंजूर करने सम्बन्धी आदर्श योजना बनाने के मामले की जांच की जा रही है। किन्तु उसका निहितार्थ यह नहीं था कि यह योजना राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रचलित योजनाओं के अनुरूप होगी। इसके बारे में अन्तिम निर्णय करने में कई जटिल प्रश्न शामिल हैं, जैसे ब्याज की विभिन्न दरें, गृह निर्माण के लिए अधिकतम स्वीकार्य ऋण, गृह निर्माण ऋण देने के लिए मकान की लागत की अधिकतम रकम कितनी रखी जाए, गृह निर्माण ऋण पर ब्याज की दरों में छूट और यह प्रश्न कि क्या घाटा उठाने वाली कम्पनियों आदि को गृह निर्माण ऋण देना चाहिए। इन प्रश्नों के बारे में जांच की जा रही है।

तस्करों पर मुकदमा चलाना

2998. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तस्करों की गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिए किए गए कड़े उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस बुराई को समाप्त करने में सरकारी प्रयासों को कहां तक सफलता मिली है ;

(ग) गत छः माह के दौरान उक्त गतिविधियों के लिए कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया और उन पर मुकदमा चलाया गया और उनमें से कितनों को अपराधी घोषित किया गया, साथ ही उनसे बरामद किए गए माल और उसके मूल्य का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सामान्यतः किस तरह की वस्तुएं भारत से चोरी छिपे बाहर ले जाई जाती हैं और किन देशों को भेजी हैं, और सामान्यतः कौन-सी वस्तुएं तस्करी द्वारा भारत में लाई जाती है और किन देशों से ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में, क्षेत्रीय कार्यालयों को ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि तस्करी निवारक कार्यवाहियों को विशेष रूप से तस्करी के लिए सुगम क्षेत्रों में तथा तस्करी हेतु विशेष आकर्षण वाली वस्तुओं के संदर्भ में तेज कर दिया जाय। उपयुक्त मामलों में तस्करों को, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम 1974 के अन्तर्गत नजरबन्द भी रखा जाता है। इन उपायों से, देश में, तस्करी संबन्धी क्रिया कलाप काफी हद तक प्रभावी ढंग से नियंत्रण में हैं।

(ग) और (घ) दिसम्बर, 1979 से मई 1980 तक की अवधि में तस्करी के मामलों के संबंध में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर मुकदमे चलाये गये और जो दोषी पाए गए, उनकी संख्या नीचे दी गई हैं :

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या –	874
जिन व्यक्तियों के खिलाफ इस्तगासे की कार्यवाही की गई, उनकी संख्या	—653
सिद्ध दोष व्यक्तियों की संख्या	—425

देश से तस्कर-निर्यात के लिए विशेष आकर्षण वाली मुख्य वस्तुएं चांदी और वन्य जन्तु उत्पाद हैं। चांदी का तस्कर निर्यात आमतौर पर पारस की खाड़ी के देशों और हांग-कांग को किया जाता है जब कि वन्य जन्तु उत्पादों का तस्कर निर्यात मुख्यतः यूरोप और अमेरिका को किया जाता है। दिसम्बर, 1979 से मई 1980 तक की अवधि में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़ी गई चांदी और वन्य जन्तु उत्पादों का मूल्य नीचे दिया गया है :

मद	मूल्य
चांदी	728 लाख रुपये
वन्य जन्तु उत्पाद (मुख्यत· सांप की खालें)	1·25 लाख रुपये

भारत में तस्कर-आयात के लिए विशेष आकर्षण वाली प्रमुख मदें हैं—घड़ियां, संश्लिष्ट वस्त्र और हीरे। घड़ियों और संश्लिष्ट वस्त्रों का देश में तस्कर आयात सामान्यतः फारस की खाड़ी के देशों और हांग-कांग से किया जाता है जबकि हीरे मुख्य रूप से पश्चिम यूरोपीय देशों से भारत में तस्कर आयात किए जाते हैं। दिसम्बर, 1979 से मई, 1980 तक की अवधि में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकडी गई इन वस्तुओं का मूल्य नीचे दिया गया है :

मद	मूल्य
घड़ियां	181 लाख रुपये
संश्लिष्ट वस्त्र	827 लाख रुपये
हीरे	87 लाख रुपए

हथकरघे और हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन

2999. **श्री बालासाहब विखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघे और हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होने के अतिरिक्त काफी हद तक बेरोजगारी भी घटेगी ; और

(ख) वर्ष 1975-76, 1976,77, 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान हथकरघे और हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात से किस-किस देश से कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : हथकरघा तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में नियमित निर्यात संवर्धन उपाय किए जाते हैं,

जैसे कि, शुल्क वापसी की मंजूरी, नकद प्रतिपूर्ति सहायता, इन उत्पादों के निर्यातों के लिए आवश्यक कच्चे माल के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस, आवश्यक कच्चा माल आयात करने के लिए निर्यात के आधार पर प्रतिपूर्ति लाइसन्स, विदेशों में प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेने में सहायता, विशिष्ट बाजारों में बाजार अध्ययन और उपयुक्त प्रचार सामग्री का वितरण, उत्पाद विकास और बाजार निर्धारण हेतु निर्यातकों को शिक्षित करने के लिए सेमीनारों का आयोजन, और नए डिजाइनों और उत्पादन के सुधरे तरीके के बारे में सलाह देने के लिए भारत में प्रमुख वस्त्र डिजाइनरों को आमंत्रित करना ।

इसके अतिरिक्त, हथकरघा वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से हमारे अनेक द्विपक्षीय करारों में हथकरघा निर्यातों के प्रतिबन्धों के क्षेत्र से अलग रखने के प्रयास किए गए हैं । जहां कहीं ऐसे द्विपक्षीय करारों में संयुक्त स्तरों के लिए सहमति हुई है, वहां कोटा नीति में हथकरघा वस्त्रों के लिए अलग से मात्रा रखी जाती है ।

(ख) हथकरघा और हस्तशिल्प की वस्तुएं (रत्न तथा आभूषण को छोड़कर) के अलग-अलग निर्यातों के मूल्य इस प्रकार है :

वर्ष	हथकरघा (करोड़ रु०)	हस्तशिल्प (करोड़ रु०)
1975-76	195·06	109·56
1976-77	272·14	169·82
1977-78	258·43	199·86
1978-79	302·91	256·95
1979-80	287·72	224·79

*अनन्तिम

हथकरघा तथा हस्तशिल्प वस्तुओं के प्रमुख आयातक देश हैं : संयुक्त राज्य अमरीका, प० जर्मनी, ब्रिटेन फ्रांस, नीदरलैंड, इटली, आस्ट्रेलिया स्वीडन, कनाडा, जापान, सिंगापुर, डेनमार्क और सऊदी अरब ।

निर्यात ऋण गारन्टी निगम

3000. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि 1979-80 से भारत सरकार का निर्यात ऋण गारन्टी निगम निर्यात-कर्त्ताओं की जोखिम का बीमा कर रहा है जिसकी वाणिज्यिक बीमा कम्पनियां व्यवस्था नहीं करती हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : जी हां। निर्यात ऋण तथा गारन्टी निगम लि०, जिसे पहले निर्यात जोखिम बीमा निगम के नाम से जाना जाता था, 1957 में अपनी स्थापना के समय से ही उन वाणिज्यिक तथा राजनीतिक निर्यात ऋण जोखिमों को कवर करता रहा है, जो सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा कवर नहीं किए जाते।

'सिक सी फूड एक्सपोर्टस फेडरेशत' कोचीन द्वारा अभ्यावेदन

3001. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि 'सिक सी, फूड एक्सपोर्टस फैडरेशन, कोचीन ने भारत सरकार को बार-बार इस आशय के अभ्यावेदन दिए हैं कि निर्यात जोखिम को पूरा करने के लिए बीमा पालिसियों पर बैंकों, जिन्होंने ई० सी० जी० सी० के एजेंट के रूप में बीमा पालिसियां निकाली थीं, को दी गई राशि को निर्यात कर्त्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु देने के लिए उपयोग में नहीं लाया गया और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : जी हां। देय राशियों की वसूली के लिए बैंकों द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतः ई० सी० जी० सी० द्वारा निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार थी। नियमों के अन्तर्गत ई० सी० जी० सी० बैंकों को तब तक अदायगी नहीं करते जब तक कि वे दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ न करें। पैकिंग ऋण गारन्टी की शर्तों के अनुसार बैंकों को समस्त बकाया राशियों की वसूली के लिए दोषी एककों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करनी होती है भले ही ई० सी० जी० सी० ने बैंक को दावे का भुगतान कर दिया हो जिसे एक पृथक खाते में रखा जाता है और जिसका समायोजन वसूली कार्यवाही पूरी होने के बाद ही किया जाता है।

मेसर्स हेकुर इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा सहयोग की पेशकश

3002. **श्री निहाल सिंह** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी कम्पनी मैसर्ज हेकुर इंजीनियरिंग कम्पनी ने एक उद्योग की स्थापना के लिए मन्त्रालय के धातु छीलन व्यापार निगम के साथ सहयोग करने की पेशकश की थी, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है और यह उद्योग कहां स्थापित किया जाएगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) अमरीकी की मेसर्स हेकुर इंजिनियरिंग कम्पनी नामक किसी कम्पनी ने मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड (एम० एम० टी० सी०) के सहयोग से कारखाना स्थापित करने की पेशकश नहीं की थी। लेकिन अमरीका में नियमित मेसर्स हार्सको कारपोरेशन का एक प्रभाव नाम मेसर्स हेकेट

इंजीनियरिंग कम्पनी, जमशेदपुर, राउरकेला तथा बर्नपुर स्थित इस्पात कारखानों में धातु/मल कचरे से स्क्रैप निकालने का कार्य कर रही थी। मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन द्वारा अमरीका में नियमित मेसर्स हार्स को कारपोरेशन के सहयोग से बनाई गई एक भारतीय कम्पनी नामत: फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड ने इस विदेशी कम्पनी का कारोबार अगस्त, 1979 में अपने हाथ में ले लिया था। इस नई कम्पनी में मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन के 60 प्रतिशत शेयर हैं।

बकाया आयकर के लम्बित मामले

3003. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर की अदायगी के कितने मामले (1) 10 वर्ष, (2) 7 वर्ष, (3) 5 वर्ष, (4) 3 वर्ष, (5) 2 वर्ष तथा (6) एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं ;

(ख) उनमें से ऐसी कितनी पार्टियां हैं जिनमें इन प्रत्येक वर्ग के लोगों द्वारा 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख रुपए से अधिक के कर की अदायगी करनी है ;

(ग) उनमें से कितनी पार्टियों ने अधिक कर निर्धारण के प्रश्न पर न्यायालयों में अपीलें दायर कर रखी हैं ;

(घ) क्या शीघ्र वसूली के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) किस प्रकार के कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) मामलों की संख्या के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि 31 मार्च, 1980 को, इलाहाबाद, आन्ध्र प्रदेश और बिहार के आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों से भिन्न अधिकार क्षेत्रों में बकाया आयकर (जिसमें निगम कर शामिल है) की कुल मांग का अवधि वार विश्लेषण निम्नानुसार है :—

वित्तीय वर्ष, जिसमें मांग जारी की गई थी	बकाया रकम * (करोड़ रु० में)
1979-80	361·77
1978-79	185·09
1977-78	103·40
1975-76	
1976-77	116·46

1973-74	64·36
1974-75	
1970-71	55 78
1972-73	
1970-71 से पूर्व	78·32
जोड़	965·18

* आंकड़े अनन्तिम हैं ।

(ख) 31 मार्च 1980 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :

कुल बकाया मांग	मामलों की संख्या*
एक लाख रुपये से अधिक परन्तु पांच लाख रुपये से अधिक नहीं	5250
पांच लाख रुपए से अधिक परन्तु दस लाख रुपए से अधिक नहीं	892
10 लाख रुपये से अधिक	2149

*आंकड़े अनन्तिम हैं

(ग) मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है । उसे एकत्र करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा ।

(घ) और (ङ) आयकर अधिनियम, 1961 में, कर की बकाया रकमों की वसूली और उगाही करने के लिए अर्थ-दण्ड लगाने, चूककर्ता को देय रकमों की कुर्की, चल सम्पत्ति का अभिग्रहण और बिक्री, अचल सम्पत्तिकी कुर्की और बिक्री आदि जैसे बहुत से उपायों की व्यवस्था है । प्रत्येक मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, कर की बकाया रकमों की शीघ्र वसूली के लिए सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त उपाय किए जाते हैं । कर की बकाया रकमों की वसूली के लिए हाल ही में जो प्रशासनिक उपाय किए गए हैं उनमें से कुछ उपाय विवरण में बताए गये हैं । परिणामों का विस्तृत मूल्यांकन संगत वित्तीय वर्ष के अन्त में किया जाता है ।

विवरण

कर की बकाया को कम करने और काफी लम्बे समय से बकाया पड़े करों की वसूली के लिए, हाल ही में किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) गत वर्ष की तरह ही, आयकर विभाग के चालू वित्तीय वर्ष की 'कार्य योजना' में सर्वोच्च प्राथमिकता कर की बकाया की वसूली को दी गयी है।

(2) मई 1980 में हुए आयुक्तों के सम्मेलन में, कर की बकाया की समस्या पर व्यापक रूप से विचार किया गया। सम्मेलन के परिणामतः लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं :-

(क) बकाया मांग में 55 प्रतिशत तथा चालू मांग में 85 प्रतिशत की कमी करना ;

(ख) 1979-80 में जारी की गयी मांग की बकाया प्रविष्टियों में 85 प्रतिशत की कमी करना ;

(ग) आयकर की बकाया की वसूली के जटिल मामलों में अलग आयकर अधिकारियों की नियुक्ति करने की व्यवस्था की समीक्षा की जायगी तथा जहां कहीं भी व्यवहार्य होगा उनकी संख्या बढ़ाई जायगी।

(3) कर की बकाया की वसूली की प्रगति पर मासिक निगरानी रखी जा रही है। इस सम्बन्ध में आंकड़े, आयुक्तों से तार द्वारा मंगवाए जाते हैं और बोर्ड इस संबंध में उपयुक्त उपचारी कार्रवाई करता है।

(4) कुछ आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बकाया पड़ी अपीलों के निपटान के लिए अपीलीय तंत्र को सुदृढ़ किया जायगा।

(5) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में विचाराधीन पड़ी ऐसी अपीलों की एक सूची, प्राथमिकता के आधार पर निपटान के लिए वर्ष 1979-80 में विधि-मंत्रालय के माध्यम से न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को भेजी गयी थी जिनमें बकाया की बड़ी रकमें अन्तर्ग्रस्त थीं। आयकर आयुक्तों से निवेदन किया गया कि वे न्यायाधिकरण के स्थानीय पीठों के उपाध्यक्षों/सदस्यों के साथ सम्पर्क बनाये रखें। उनसे यह भी निवेदन किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से मिलें तथा उच्च मांग वाले अनिर्गीत मामलों के निपटान के लिए शीघ्र ही तिथि निर्धारित करने का निवेदन करें। चालू वित्तीय वर्ष में भी इसी तरह की कार्रवाई करने का निश्चय किया गया है।

(6) आयकर आयुक्त के ओहदे का एक वसूली निदेशक कर की बकाया की वसूली विशेषतः 10 लाख रुपये और उससे अधिक के बकाया के मामलों में वसूली की प्रगति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। उसके कार्य की प्रगति पर बोर्ड द्वारा निगरानी रखी जाती है।

(7) परिसमापनाधीन कम्पनियों की ओर बकाया पड़ी कर की रकमों की वसूली में तेजी लाने के लिए कम्पनी कार्य विभाग ने बोर्ड के निवेदन पर 1979 में सभी सरकारी परिसमापकों के नाम अनुदेश जारी किया था जिसमें उनसे आयकर प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क

स्थापित करने और आयकर अधिकारियों को अपेक्षित सूचना भेजने के लिए कहा गया था। इस सम्बन्ध में आयकर अधिकारियों को भी उपयुक्त अनुदेश जारी किए जा चुके है।

(8) जनवरी, 1981 के दूसरे पखवाड़े में एक "कर की बकाया और वापसी निपटान पखवाड़ा" मनाया जाएगा जिसमें कर की बकाया को कम करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

(9) बढ़ा-चढ़ा कर किये गये कर-निर्धारणों तथा उसके परिणामत: जमा हो गई कर की निरर्थक बकाया का निवारण करने की दृष्टि से, आयकर अधिकारियों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144 क के अधीन किसी निश्चित आय-सीमा से अधिक, एक तरफा कर-निर्धारण पूरा करने से पहले अपने निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा।

हिमाचल प्रदेश के पांच स्थानों में छोटे विमानों के लिए हवाई पट्टियां

3004. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को हिमाचल प्रदेश में पांच स्थानों पर छोटे विमानों के लिये हवाई पट्टियों की स्थापना के लिए प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किन स्थानों का सुझाव दिया गया है ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार का निर्णय क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने तीन विमानक्षेत्रों का विकास करने का अनुरोध किया है।

(ख) शिमला, कांगड़ा तथा कुल्लू के वर्तमान विमानक्षेत्र का और अधिक विकास।

(ग) शिमला तथा कागड़ा के निकट विमान क्षेत्रों के स्थानों का सर्वेक्षण किया गया था, परन्तु निधियों की तंगी तथा इन स्थानों के लिए तथा वहां से विमान सेवाएं परिचालित करने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स अथवा किसी गैर-अनुसूचित परिचालक द्वारा कोई मांग न प्राप्त होने के कारण इस परियोजना को छोड़ दिया गया है।

राज्यों में ग्रामीण बैंकों का खोला जाना

3005. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार किन-किन स्थानों पर ग्रामीण बैंक खोले गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को राज्य/संघ क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों की अतिरिक्त शाखाएं खोलने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो किन राज्यों/संघ क्षेत्रों में, किन-किन स्थानों पर ये शाखाएं खोलने का अनुरोध संसद सदस्यों/राज्य सरकारों द्वारा किया गया है ;

(घ) इन अनुरोधों पर क्या कार्यवाही की गई है और ये शाखाएं किस संभावित तारीख तक खोली जाएगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम, उनमें व्याप्त जिले तथा उनकी स्थापना की तारीख दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई शाखा लायसेंसिंग नीति के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंकों की शाखाओं का विस्तार करने का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अतिरिक्त शाखाओं के स्थानों के मामले में उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में नई शाखाएं खोलने के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाती है। ग्रामीण बैंकों की अतिरिक्त शाखाएं खोलने के लिए लायसेन्स देने के वास्ते अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व, भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों से परामर्श करने के अलावा, जनसाधारण से तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सीधे या सरकार के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों/आवेदन पत्रों पर भी विचार करता है। 17 राज्यों में इस समय कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अतिरिक्त शाखाएं खोलने के लिए जारी किये गये प्राधिकरणों/लायसेंसों में से, 31 मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार, इन बैंकों के पास 1357 प्राधिकरण/लायसेंस अनिष्पादित पड़े थे। इन सभी नई शाखाओं के वर्ष 1981 तक खुल जाने की आशा है।

विवरण

राज्य	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	स्थापना की तारीख	व्याप्त जिलों/जिले
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
	1. नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खम्माम	30-4-76	खम्माम नलगोंडा
	2. रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कुडप्पा	6-8-76	कुडप्पा कूरनूल
	3. श्रीविशाखा ग्रामीण बैंक, श्रीककुलम	30-9-76	श्रीककुलम विशाखापट्टनम एवं विजियनगरम

1	2	3	4
	4. श्री अनंथा ग्रामीण बैंक अनंतापुर	1-11-79	अनन्तपुर
असम			
	1. प्राग्ज्योतिस गांवलिया बैंक. नलबारी	6-7-76	दारुंग कामरूप गोलपाडा
बिहार			
	1. भोजपुर रोहताश ग्रामीण बैंक आरा	26-12-75	भोजपुर रोहताश
	2. चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी	21-3-76	पू० चम्पारन प० चम्पारन
	3. मगध ग्रामीण बैंक, गया	10-11-76	औरंगाबाद गया नावदा
	4. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिया	23-12-76	पूर्णिया सिरसा कटिहार
	5. वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर	10-3-77	मुजफ्फरपुर वैशाली सीतामढ़ी
	6. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुंगेर	12-3-77	मुंगेर
	7. संथाल परगना ग्रामीण बैंक, दुमक	30-3-77	संथाल परगना
	8. सिन्धभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चाईबासा	31-3-79	सिन्धभूम
	9. मधुवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी	31-3-79	मधुबनी

1	2	3	4
	10. नालंदा ग्रामीण बैंक, बिहार-शरीफ	31-3-79	नालंदा
	11. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरभंगा	12-3-80	दरभंगा
	12. पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डाल्टनगंज	12-5-80	पलामू
	13. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समस्तीपुर	15-5-80	समस्तीपुर
	14. रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रांची	21-6-80	रांची
हरयाणा			
	1. हरयाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी	2-10-75	भिवानी
	2. गुडगांव ग्रामीण बैंक, गुडगांव	28-3-76	गुड़गांव फरीदाबाद महेन्द्रगड़
गुजरात			
	1. कच्छ ग्रामीण बैंक, भूज	26-12-78	कच्छ
	2. जामनगर ग्रामीण बैंक, जामनगर	26-12-78	जामनगर
हिमाचल प्रदेश			
	1. हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी	23-12-76	मंडी कांगड़ा कुल्लू
जम्मू व कश्मीर			
	1. जम्मू रूरल बैंक जम्मू	12-3-76	जम्मू राजौरी कथूंया पूंछ

1	2	3	4
	2. इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर	16-7-79	श्रीनगर अनंतनाग बडगाम एवं पुलवामा
कर्नाटक			
	1. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, बैल्लेरी	25-1-76	रायचूर बैल्लेरी
	2. मालप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाड़	16-8-76	बेलगांम धारवाड़
	3. कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर	2-10-76	मैसूर
	4. कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा	1-12-78	गुलबर्गा
केरल			
	1. साऊथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मालाप्पुरम	11-12-76	मालाप्पुरम कोजीकोड
	2. नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नानूर	12-12-76	कन्नानूर
मध्य प्रदेश			
	1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद	20-1-76	होशंगाबाद रायसेन
	2. बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर	20-10-76	बिलासपुर रायपुर
	3. रीवा-सीधी ग्रामीण बैंक, रीवा	20-12-76	रीवा सीधी
	4. बुंदेलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण टीकमगढ़	26-3 77	छत्तरपुर टीकमगढ़
	5. शारदा ग्रामीण बैंक, सतना	31-3-79	सतना

1	2	3	4
	6. सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर	24-10-79	सरगुजा
	7. बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जगदलपुर	15-12-79	बस्तर
	8. दुर्ग-राजनांदगांव ग्रामीण बैंक, राजनांदगांव	14-3-80	दुर्ग और राजनांदगांव
	9. झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाबुआ	20 6-80	झाबुआ एवं धार
महाराष्ट्र			
	1. मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक नांदेड	26-8-76	नांदेड प्रारभानी भीर उसमनाबदा
उड़ीसा			
	1. पुरी ग्राम्य बैंक, पिपली	25-2-76	पुरी
	2. बोलांगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलांगीर	10-4-76	बोलांगीर सम्भलपुर
	3. कटक ग्राम्य बैंक, ककट	11-10-76	कटक
	4. कोरापुट पचंबटी ग्राम्य बैंक, जेपोर	13-11-76	कोरापुट
	5. कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक, भवानीपटना	26-5-80	कालाहांडी
	6. वैतरणी ग्राम्य बैंक, बारीपाडा	23-6-80	मयूरभंज और क्योंझर
राजस्थान			
	1. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर	2-10-75	जयपुर नागौर

1	2	3	4
	2. मारवाड ग्रामीण बैंक, पाली	6-9-76	पाली सिरोही जेलौर
	3. शेखावटी ग्रामीण बैंक, सीकर	7-10-76	सीकर झुनझुनू
	4. मरूधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुरू	29-3-79	चुरू
तमिलनाडु			
	1. पांड्यन ग्राम बैंक, सत्तूर	9-3-77	रामानाथ-पुरम
त्रिपुरा			
	1. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला	21-12-76	त्रिपुरा नार्थ त्रिपुरा प० त्रिपुरा दक्षिण (सम्पूर्ण त्रिपुरा राज्य)
उत्तर प्रदेश			
	1. प्रथमा बैंक, मुरादाबाद	2-10-75	मुरादाबाद
	2. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर	2-10-75	गोरखपुर देवरिया
	3. संयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजमगढ़	6-1-76	आजमगढ़
	4. बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी	27-3-76	बाराबंकी
	5. रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली	29-3-76	रायबरेली
	6. फरूंखाबाद ग्रामीण बैंक, फरूंखाबाद	29-3-76	फरूंखाबाद

1	2	3	4
	7. भगीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर	19-9-76	सीतापुर
	8. बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया	25-12-16	बलिया
	9. सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुलतानपुर	8-2-77	सुलतानपुर
	10. हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक, हरदोई	7-6-77	हरदोई उन्नाव
	11. कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कानपुर	27-2-80	कानपुर
	12. सरस्वती ग्रामीण बैंक, बहराइच	4 3-80	बहराइच
	13. इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा	18-3-80	इटावा
	14. क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी	20-5-80	मैनपुरी
	15. किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं	19-5-80	बदायूं
प० बंगाल			
	1. गौड ग्रामीण बैंक, मालदा	2-10-75	प० दिनाजपुर मालदा मुर्शिदाबाद
	2. मल्लभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा	9-4-76	बांकुरा पुरूलिया मिदनापुर
	3. मयूराक्षी ग्रामीण बैंक, सूरी	16-8-76	बीरभूम हुगली

1	2	3	4
	4. उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच-बिहार	7-3-77	जलपाईगुडी कूच-बिहार एवं दार्जिलिंग

मंगलौर में पैलेट बनाने के संयंत्र की स्थापना करना

3006. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंगलौर में पैलेट बनाने के कारखाने की स्थापना करने के बारे में अब निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष में मंगलौर संयंत्र के लिए 10 लाख रुपये का सांकेतिक उपबन्ध किया गया था;

(ग) क्या ईरान द्वारा लाडिला संयंत्र से अयस्क की उठान के असमर्थ होने के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए सरकार मंगलौर संयंत्र की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठायेगी; और

(घ) इसे चालू किये जाने में कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ईरान को सांद्रण की आपूर्ति कुदेसुख लौह-अयस्क परियोजना से की जाती है और न कि बैलाडिला कारखाने से ।

(घ) परियोजना की स्वीकृति होने की तारीख से कारखाने में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने में 43 महीने लगेंगे ।

सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान

3007. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों तथा निदेशकों को मकान किराया भत्ते के भुगतान के बारे में कोई मापदंड निर्धारित किए गए हैं, यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० के राजधानी में स्थित उन वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों तथा निदेशकों के नाम क्या हैं जिन्हें 1000/-रुपए प्रति माह से अधिक राशि मकान किराये भत्ते के रूप में मिल रही है ; और

(ग) क्या इसके लिए वित्त मंत्रालय के अधीन सरकारी उद्धम ब्यूरो की अनुमति प्राप्त है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अधिकारियों और निदेशकों को मकान किराया भत्ते के भुगतान के बारे में इस मंत्रालय द्वारा कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है । परन्तु वित्त मंत्रालय, सरकारी उद्धम ब्यूरो ने सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अधिकारियों को मकान किराया भत्ते के भुगतान के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशकों को मकान किराया भत्ते का भुगतान उनके नियुक्त आदेश में दी गई शर्तों के अनुसार किया जाता है ।

(ख) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० के राजधानी में रह रहे किसी भी वरिष्ठ कार्यकारी तथा निदेशक को 1000/-रुपए प्रति माह से अधिक राशि मकान किराये भत्ते के रूप में नहीं मिल रही है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

आय-कर विभाग में कार्य कर रहे गैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अवसर

3008. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विभाग में कार्य कर रहे गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अवसरों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निदेश-पद क्या हैं ; और

(ग) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) आयकर विभाग में अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों की जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है ।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

कन्ट्रोलर आफ डिफेन्स एकाउन्ट्स पटना में कार्यालयीय आकस्मिक व्यय और अनुदान

3009. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के लिए कन्ट्रोलर आफ डिफेन्स एकाउन्ट्स, पटना में कुल कितना कार्यालयीय आकस्मिक व्यय हुआ और उस हेतु कितना अनुदान दिया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रमुख मदों को छोड़कर विलासितापूर्ण मदों पर राशि खर्च करने हेतु व्यय मार्च 1979 में असमान रूप से किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यय पर नियंत्रण करने तथा आवश्यक मदों के लिए उचित आवंटन करने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) सूचना नीचे दी जा रही है :

वर्ष	अनुदान	व्यय
	रु०	रु०
1978-79	7,78,000	7,50,325
1979-80	6,40,000	6,39,904

(ख) जी, नहीं ।

कार्यालय का कार्य निर्विघ्न और कुशलता पूर्वक करने के लिए आवश्यक अनिवार्य और अपरिहार्य मदों पर मार्च 1979 में व्यय किया गया था । इस व्यय का कुछ भाग कार्यालय के नए स्थान पर किया गया था, जो इस वर्ष में किराये पर लिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मन्त्री का पैरिस का दौरा

3010. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1980 के दूसरे सप्ताह में उन्होंने पैरिस का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो वहां किस विषय पर बात-चीत हुई और उसके क्या परिणाम रहे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) बात-चीत के दौरान भारत-फ्रांस आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर वार्ता हुई जिनमें शामिल हैं उड़ीसा में फ्रांस द्वारा वित्त पोषित प्रस्तावित एल्यूमिना

काम्प्लेक्स, तेल तथा गैस की खोज, कोयला खनन आदि में सहयोग तथा विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। यात्रा के दौरान तेल एवं गैस क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग करार पर भी हस्ताक्षर किए गए।

वस्त्रों का निर्यात

3011. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सऊदी अरब में वस्त्रों के लिए जो बाजार उपलब्ध है उसे स्वर्ण-खान की संज्ञा दी गई और संयुक्त अरब अमीरात तथा अन्य देशों के इंस्ट्री-टियूशनल यूनिफार्म सप्लाई करने के लिए अत्यधिक गुंजाइश है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीका, ब्रिटेन, हांगकांग आदि के वस्त्रों के निर्यात के बारे में मूल्यांकन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है और क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने भी इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा किए जाने के लिए कुछ उपाय सुझाये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने हाल ही में इंस्टीट्यूशनल परिधानों के सम्बन्ध में पश्चिम एशिया में एक बाजार सर्वेक्षण किया है। अभी तक इस सर्वेक्षण की केवल प्राथमिक रिपोर्ट ही प्राप्त हुई है। अन्तिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है। पश्चिम एशियाई देशों को परिधानों के निर्यातों की लगातार समीक्षा की जा रही है और इस क्षेत्र को परिधानों का निर्यात बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अमरीका तथा ब्रिटेन को किए जाने वाले परिधानों के निर्यात कोटा प्रतिबन्धों द्वारा संचालित किए जाते हैं। हांगकांग, परिधानों का प्रमुख निर्यातक होने के नाते भारतीय परिधानों के लिए काफी गुंजाइश ही प्रदान नहीं करता बल्कि अन्य देशों में भारतीय परिधानों के साथ प्रतियोगिता भी करता है।

कीनिया के साथ व्यापार संवर्धन

3012. **श्री मनफूल सिंह चौधरी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीनिया ने भारत के साथ व्यापार सम्वर्द्धन की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) भारत तथा कीनिया की एक ऐसी सामान्य इच्छा है कि परस्पर व्यापार को बढ़ाया जाए।

(ख) इस सम्बन्ध में उठाये गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नांकित शामिल हैं : —

व्यापार करार सम्पन्न करने हेतु वार्ता ;

संयुक्त उद्यमों की स्थापना ;

व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों का आदान प्रदान ;

व्यापार मेलों में भाग लेना ;

बाजार की खोज करना तथा पारस्परिक व्यापार की वस्तुओं का पता लगाना ;

दो तरफा व्यापार के विस्तार में आने वाली रुकावटों को यथासम्भव दूर करना।

सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

3013. **श्री वी० के० नायर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय सरकारी कर्मचारियों के लिए दो तरह की पेंशन योजना लागू है, एक तो उनके लिए जो 30 सितम्बर, 1977 से पहले सेवा-निवृत्ति हुए थे और दूसरी उनके लिए जो उस तारीख को अथवा उसके बाद सेवा निवृत्ति हुए।

(ख) क्या बाद की श्रेणी के कर्मचारियों को लागू योजना पेंशन भोगियों के लिए कुल मिलाकर अधिक लाभप्रद है ;

(ग) क्या सरकार दोनों योजनाओं के बीच अन्तर समाप्त करने की दृष्टि से दूसरी योजना में उपयुक्त संशोधन करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) पेंशन की केवल एक ही स्कीम है। लेकिन पेंशन नियमावली में समय-समय पर संशोधन और उदारीकरण किया जाता है जिसका केवल भावी प्रभाव होता है। इस प्रकार सरकार ने यह निर्णय किया है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत सूचकांक के 272 के स्तर तक के मंहगाई भत्ते की, पेंशन और मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति उपदान के प्रयोजन के लिए महंगाई वेतन के रूप में माना जाए। 31-3-79 से पेंशन की संगणना के लिए एक और उदार फार्मूला भी शुरू किया गया है।

(ख) आम तौर पर ऐसा ही है लेकिन जहां यह उनके लिए अधिक लाभप्रद होता है, वहां पेंशनभोगियों को पुरानी नियमावली के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने के सम्बन्ध में विकल्प दिया जाता है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

इलायची पर निर्यात शुल्क

3014. **श्री वी० के० नायर :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले सात वर्षों में इलायची पर लगे निर्यात शुल्क में क्या-क्या परिवर्तन हुए, किन-किन तारीखों को शुल्क दर में संशोधन किए गए और उन तारीखों को इलायची के बाजार मूल्य क्या थे ;

(ख) क्या अन्तिम संशोधन किए जाने के समय से मूल्यों में गिरावट आयी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या शुल्क की दर में कमी करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) इलायची पर निर्यात शुल्क पहली बार 12 जनवरी 1977 को 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लगाया गया था। अतः मांगी गई सूचना निम्नानुसार है :—

निर्यात शुल्क की दर	निम्नलिखित तारीख से प्रभावी	आन्तरिक बाजार में यूनिट मूल्य (वाडनमेडू नीलामी) (रु० प्रति कि०ग्रा०)	माह के दौरान यूनिट निर्यात मूल्य (रु० प्रति कि०ग्रा०)
50 रु० प्रति किलोग्राम	12-1-77	186	203
10 रु० प्रति किलोग्राम	24-2-77	उपलब्ध नहीं	कोई निर्यात नहीं किया गया (मार्च 1977 में 193 रु०)
15 रु० प्रति किलोग्राम	24-8-79	160	180
5 रु० प्रति किलोग्राम	20-6-80	उपलब्ध नहीं (मई 1980 में 123 रु०)	उपलब्ध नहीं (मई 1980 में 163 रु०)

(ख) से (घ) चूंकि शुल्क में पिछली बार संशोधन 20 जून 1980 को नहीं किया गया था, इसलिए उस तारीख के बाद ठीक-ठीक मूल्य के बारे में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि, शुल्क की वर्तमान दर की समीक्षा जुलाई 1980 के अन्त तक की जानी है।

बैंक आफ बड़ौदा में 40 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली

3015. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ बड़ौदा के सभी कैडरों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए 40 प्वांइट रोस्टर प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार ने निदेश जारी किए हुए हैं, यदि हां, तो क्यों और इस भूल को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बैंक आफ बड़ौदा शिड्यूल्ड ट्राईब्स इम्पलाईज वेलफेयर एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) नई दिल्ली ने और इसकी राज्य इकाईयों ने बैंक प्राधिकारियों को बार-बार अभ्यावेदन भेजे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी क्या शिकायत है और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) बैंक आफ बड़ौदा ने अभी तक 40 प्वांइट रोस्टर रखना शुरू नहीं किया है यद्यपि उसने सरकार को सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए निर्धारित किए गये आरक्षण के अपेक्षित प्रतिशत का ध्यान रखा जाता है। बैंक को इस सम्बन्ध में सरकारी निदेशों को कार्यान्वित करने के निर्देश दे दिये हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की सभी शिकायतों पर उचित ध्यान दिया जाता है और उनके हितों की सुरक्षा करने के उपाय किये जाते हैं।

उड़ीसा में रायगडा में कताई (स्पिनिंग) मिल की स्थापना

3016. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कोरापुट में रायगडा में प्रस्तावित कताई मिल की स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) इस मिल की स्थापना के लिए, जो उनके मंत्रालय के पास अनिर्णीत पड़ी हुई है, उड़ीसा सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं ;

(ग) क्या निकट भविष्य में इस मिल को स्वीकृति देने और इसकी स्थापना करने के लिए कोई संभावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) उड़ीसा में कोरापुट में कताई मिल की स्थापना के प्रस्ताव के संबंध में इस मंत्रालय में कोई आवेदन/संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उचित दर की दुकानों पर राशन में मिलने वाली वस्तुओं का कम तोला जाना

3017. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजनी नगर और उसके आस-पास की सरकारी कालोनियों में उचित दर की दुकान के दुकानदारों के विरुद्ध राशन में मिलने वाली उपभोक्ता वस्तुओं को कम तोलने के संबंध में समय-समय पर सरकारी अधिकारियों को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की शिकायतों के मिलने पर कदाचार में रत उचित दर की दुकानों के दुकानदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उचित दर की दुकानों के सही ढ़ंग से कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए कोई सामायिक जांच की जाती है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) व (ख) जी हां। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को पांच शिकायतें मिली थी और ऐसी दो शिकायतें बाट तथा माप विभाग (उद्योग निदेशालय), दिल्ली प्रशासन को प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों के आधार पर खाद्य एव आपूर्ति विभाग के प्रवर्तन कर्मचारियों द्वारा 11 दुकानों (पाँच की शिकायतों के आधार पर तथा छः की विशेष नियुक्ति पर) की जांच की गई। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जबकि बाट तथा माप विभाग ने संघ क्षेत्र दिल्ली में भी लागू राजस्थान बाट तथा माप (प्रवर्तन अधिनियम) 1958 की धारा 11/25 के तहत दो उचित दर की दुकानों के दुकानदारों पर असत्यापित वाणिज्यिक बाटों का प्रयोग करने के लिए मुकद्दमा चलाया है।

(ग) जी हाँ। जाँच दोनों विभागों, अर्थात् खाद्य एवं आपूर्ति और बाट तथा माप विभाग द्वारा की जाती है। जनवरी, 1980 से मई, 1980 की अवधि के दौरान, बाट तथा माप विभाग ने 74 उचित दर की दुकानों की उनके द्वारा वस्तुओं के विक्रय के लिए प्रयोग किये जाने वाले बाटों तथा मापों के बारे में जाँच की। जाँच के परिणामस्वरूप, सात उचित दर की दुकानों के दुकानदारों पर बाट तथा माप प्रवर्तन अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए मुकद्दमा चलाया गया।

एक ही दुकान में राशन में मिलने वाली उपभोक्ता वस्तुओं तथा खुले बाजार की वस्तुओं का एक साथ विक्रय किया जाना

3018. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली क्षेत्र में उचित दर की दुकानों के दुकानदार राशन में मिलने वाली वस्तुओं को राशन मूल्य पर तथा खुले बाजार की उन्हीं वस्तुओं को खुले बाजार मूल्य पर एक साथ ही बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें दोनों वस्तुओं की साथ-साथ बेचने की अनुमति दे दी गई है और अनुमति देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उपभोक्ताओं से प्रायः ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि उचित दर की दुकानों के दुकानदार राशन की वस्तुओं को काले बाजार में बेच रहे हैं और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का इस व्यवस्था को रोकने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्हें इस प्रकार के चलन की जानकारी है और जब कभी ऐसे मामले उनके सामने आते हैं, उचित दर की दुकानों के मालिकों के विरुद्ध तुरन्त कार्रवाई आरम्भ की जाती है।

(ख) दिल्ली विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 1968 के अन्तर्गत उचित दर की दूकानों के मालिकों को जारी किए गए प्राधिकार के अनुसार उचित दर की दुकानों के मालिकों को विनिर्दिष्ट वस्तुओं जैसी वस्तुओं की खुले बाजार में बेचने की अनुमति नहीं है।

(ग) व (घ) उचित दर की दुकानों के मालिकों द्वारा खुले बाजार में विनिर्दिष्ट वस्तुओं जैसी वस्तुएं बेचने के बारे में मिली शिकायतों की जांच की जाती है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई आरम्भ की जाती है। दिल्ली प्रशासन इस प्रकार के मामलों के बारे में सतर्क है और जब कभी ऐसे मामले ध्यान में आते हैं, तो उनके बारे में तुरन्त छान-बीन की जाती है और जहां-कहीं आवश्यक होता है कार्रवाई की जाती है।

इस्पात का उत्पादन

3019. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य पूरा न होने का मुख्य कारण बिजली की कमी है ; और

(ख) सुरक्षित (केप्टिव) विद्युत संयंत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है और उसमें तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) यह बताना कठिन है कि केवल बिजली की कमी के कारण इस्पात के उत्पादन में कितनी हानि हुई है लेकिन सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न होने का मुख्य कारण कोककर कोयले तथा बिजली की सप्लाई में कमी है।

(ख) रक्षित विद्युत संयंत्रों की क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करके उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता को अधिकाधिक करने के लिए पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। इसके अलावा नए वायलरों को चालू किया जा रहा है। इकाइयों की बन्द रहने की अवधि को कम किया जा रहा है और निम्नलिखित अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता लगाई जा रही है :—

संयंत्र का नाम	वर्तमान क्षमता	1979-80 में क्षमता के उपयोग का प्रतिशत	स्वीकृत की गई अथवा प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता
1. भिलाई	36 मेगावाट	75.5	76 मेगावाट
2. दुर्गापुर	20 मेगावाट	59.0	120 मेगावाट
3. राउरकेला	128 मेगावाट	50.0	120 मेगावाट
4. बोकारो	122 मेगावाट	45.9	180 मेगावाट
5. इस्को	60 मेगावाट	22.2	—शून्य—

एक भारतीय व्यापारी द्वारा इंशोरेंस कम्पनियों से धनराशि का दावा

3020. **श्री दया राम शाक्य** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगापुर में रहने वाले एक भारतीय व्यापारी ने 1979-80 में भारत में निर्यातकों की सांठ-गांठ के साथ-साथ तेल, लौंग तथा पी० सी० सी० रसायनों के लिए ओ० जी० एल० के अन्तर्गत एक झूठा क्रयादेश प्राप्त किया, जिसका जनरल इंशोरेंस कम्पनी, ओरिएंटल जनरल इंशोरेंस तथा न्यू इन्डिया जनरल इंशोरेंस के साथ 70 करोड़ रुपए का बीमा कराया गया परन्तु इसका कोई माल भारत नहीं पहुंचा ;

(ख) क्या यह सच है कि "ओहदई" नामक जहाज सहित माल ले जाने वाले तीन जहाज रास्ते में डूब गए बताए जाते हैं जबकि इन तीन जहाजों के कर्मचारी सुरक्षित हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि उक्त पुराने जहाजों में मिट्टी भर दी गई थी और उनको डुबो दिया गया था तथा इन्शोरेन्स कम्पनियों से धोखाधड़ी के साथ 70 करोड़ रुपए की राशि का दावा किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (ग) प्राप्त सूचना के अनुसार, भारतीय मूल के सिंगापुर के एक व्यापारी ने भारत में विभिन्न पार्टियों की लौंग, पी० वी० सी० रेसिन, रद्दी धातु और खाद्य तेल आदि भेजने के लिए अनुबन्ध किया था तथा प्राप्त सूचना के अनुसार यह माल एम० वी० एवेरिना तथा एम० वी० ओहदई नामक दो जहाजों में भेज दिया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न में किस तीसरे जाहज का जिक्र किया गया है। माल भारत नहीं पहुंचा क्योंकि सूचनानुसार ये जहाज क्रमशः 5-9-79 तथा 8-9-79 को डूब गये थे। यह कहना सम्भव नहीं कि इन जहाजों में मिट्टी भरी हुई थी। प्राप्त सूचना के अनुसार इन जहाजों के नाविक सुरक्षित पहुंच गए हैं।

बीमा कम्पनियां दावों से सन्तुष्ट नहीं हैं और चूंकि जहाज रहस्यमय परिस्थितियों में डूबे थे, इसलिए इन घटनाओं की पूरी जांच की जा रही है। इन घटनाओं के सम्बन्ध में सिंगापुर के वाणिज्यिक अपराध प्रभाग और नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय जांच ब्यूरो में शिकायतें दर्ज करा दी गई हैं। जांच के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

ओबेराय होटल्स की भागीदारी द्वारा बरबोजान होटल न्यूयार्क को अधिकार में लेना

3021. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क के महिलाओं के एक होटल बरबोजान को ओबेराय होटल्स कारपोरेशन आफ इन्डिया और लैवर रियल्टी कारपोरेशन की भागीदारी द्वारा "पूंजीनिवेश प्रयोजनों" से अधिकार में ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सेवा शुल्कों के पंजीकरण, रायल्टी और तकनीकी जानकारी संबन्धी अन्य भुगतान, यदि कोई हों, के रूप में वित्तीय भागीदारी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सौदे का ब्योरा क्या है ;

(ग) ऐसी अन्य भारतीय पार्टियों का ब्योरा क्या है, जिन्हें अमरीका में होटल खोलने की अनुमति दी गई है और संयुक्त उद्यम के मामले में उनकी वित्तीय भागीदारी कितनी है; और

(घ) इन भारतीय फर्मों की तथा ऐसी फर्मों की, जिन्हें विदेशों में विदेशी मुद्रा ऋण लेने की अनुमति दे दी गई है, साम्य भागीदारी कितनी है और क्या भारत सरकार ने इनकी गारन्टी दी है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) मैसर्स ओबराय होटल्स (इन्डिया) प्रा० लि०, कलकत्ता का नीदरलैंड एन्टिल्स में पूर्ण-स्वामित्वाधीन अनुषंगी स्थापित करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अधीन 2 मई, 1980 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया। इस प्रकार स्थापित अनुषंगी क्रमशः दम्माम (सऊदी अरब) के मैसर्स तामिमि एण्ड फोआद एण्ड एसोसियेट्स के सहयोग से एक साझीदार

दार के रूप में, जिन्होंने भी नीदरलैंड एन्टिल्स में अपने पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी अर्थात एल्मिन रियल्टी कार्पोरेशन एन० वी० के माध्यम से इस साझीदारी में प्रवेश करने की व्यवस्था की है, संयुक्त राज्य अमरीका में एक संयुक्त उपक्रम होटल परियोजना में निवेश करेगा। संयुक्त उपक्रम की स्कीम के अनुसार न्यूयार्क में स्थित "होटल बावींजोन" का अधिग्रहण करने और इसे ओबराय होटल्स द्वारा अनुमोदित रूप रेखा के अनुसार पुन: निर्मित करने का प्रस्ताव है। परियोजना की कुल लागत 35 मिलियन अमरीकी डालर होगी और कुल इक्विटी पूंजी 12 मिलियन अमरीकी डालर होगी। ओबरायस की शेयर पूंजी 3½ मिलियन अमरीकी डालर होगी जिसे बैंक आफ बड़ौदा और ग्रिन्डलेज बैंक के माध्यम से एक अपतटीय विदेशी मुद्रा ऋण द्वारा जुटाये जाने का प्रस्ताव है। 3 मिलियन अमरीकी डालर की अपतटीय ऋण के लिए ग्रिन्डलेज बैंक, इन्डिया गारन्टी देगा परन्तु इसका उस राशि प्रेषक से कोई संबंध नहीं होगा जो भारत में ओबराय होटल्स (इ०) लि० को प्राप्त हों और इसके अलावा ग्रिन्डलेज बैंक का इस प्रकार के किसी विदेशी आन्तरिक राशि प्रेषकों पर कोई ग्रहणाधिकार नहीं होगा।

तकनीकी सेवा शुल्क के रूप में ओबरायस 20 वर्षों की अवधि के लिए न्यूयार्क में स्थापित किये जाने वाले होटल के सकल प्रचालनीय लाभों के 12% के लिए हकदार होंगे और इस प्रकार जो राशि प्राप्त होगी वह मुक्त विदेशी मुद्रा में भारत को प्रत्यावर्तित की जाएगी।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका में होटलों की स्थापना के लिए अब तक किसी अन्य भारतीय पार्टी से इस मंत्रालय में कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"चेफेयर" के विरुद्ध शिकायतें

3022. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया और इण्डियन ऐयरलाइन्स की उड़ानों के दौरान जल-पान व्यवस्था के सम्बन्ध में "चेफेयर" का एकाधिकार है ;

(ख) क्या यह सच है कि "चेफेयर" द्वारा (एक) कम सप्लाई किये जाने (दो) स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दशाओं में चीजें देने (तीन) अन्तर्राष्ट्रीय स्टैण्डर्ड से कम स्टैण्डर्ड की सप्लाई किये जाने के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ग) वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 (मई को समाप्त होने वाले) में एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइंस द्वारा खान-पान सप्लाई के लिए कितनी राशि दी गयी हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि "चेफेयर" अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को भी खान-पान सुविधाएं प्रदान करता है ; और

(ङ) यदि हां, तो "चेफेयर" द्वारा घटिया खान-पान सप्लाई किये जाने के विरुद्ध उन एयरलाइनों से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) शेफेयर फ्लाईट किचन एयर इण्डिया की दिल्ली और बम्बई से रवाना होने वाली सभी उड़ानों के लिए खान-पान की व्यवस्था करता है। जहां तक इण्डियन एयरलाईन्स का सम्बन्ध है बम्बई से चलने वाली उनकी कुछ उड़ानों के लिए शेफेयर व्यवस्था करता है, परन्तु कुछ उड़ानों के लिए प्राइवेट खान-पान प्रबन्धकों से भी भोजन लिया जाता है। दिल्ली में शेफेयर के अलावा इण्डियन एयरलाइन्स अपनी कुछ उड़ानों के लिए खान-पान का प्रबन्ध विभागीय रूप से भी करती है।

(ख) जी, हां। शेफेयर द्वारा सप्लाई किये गये खाने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। ये शिकायतें प्राप्त होने का मूल कारण बम्बई और दिल्ली दोनों ही जगहों पर फ्लाईट किचनों में श्रमिक अशांति हुई हैं, परन्तु अब श्रमिक अशान्ति की कोई समस्या नहीं है।

(ग) 1977 78, 1978-79, 1979-80 और मई, 1980 तक एयरइण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा दी गई राशियां निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	दी गई राशि (लाख रुपयों में)		
	एयर इण्डिया	इण्डियन एयरलाइन्स	
1977-78	155·88	56·43	
1978-79	203·16	77·80	
1979-80	251·42	99·11	
अप्रैल, 1980	13·00	10·42	आंकड़े अनन्तिम
मई, 1980	33·00	10·04	

(घ) जी, हां।

(ङ) दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों से भी कुछ शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों की छानबीन करने के बाद सुधार करने के लिए उपचारी कार्यवाही की गई है। तथापि शेफेयर द्वारा सप्लाई किया गया खाना भारत में अन्य समकक्ष खान-पान प्रबन्धकों द्वारा सप्लाई किये गये खाने से किसी भी प्रकार हीन नहीं है।

गुजरात में किसानों से कपास की खरीद करने वाली एजेंसी

3023. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : उस एजेन्सी का नाम क्या है जिसके माध्यम से गुजरात में किसानों से कपास की खरीद की जाती है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री : (श्री प्रवण मुखर्जी) गुजरात राज्य में रूई में मुफ्त व्यापार होता । रूई की खरीद प्रचलित बाजार कीमतों पर सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सहकारिता क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा की जाती है ।

खाद्य तेलों का उत्पादन

3024. **श्री अहमद एम० पटेल**

श्री चित्त बसु : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977, 1978 और 1979 के दौरान विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों के उत्पादन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) देश में इन तेलों की मांग कितनी थी ; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान किए गए आयात एवं निर्यात का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान प्रमुख खाद्य तेलों का अनुमानित उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) देश में खाद्य तेलों की मांग का अनुमान तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर) के आधार पर लगाया जाता है । वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के तेल वर्षों के अनुमानित आंकड़े नीचे दिए गये हैं :

1977-78	33·42 लाख मीटरी टन
1978-79	35.91 लाख मीटरी टन
1979-80	36·45 लाख मीटरी टन

(ग) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 (जून, 1980 तक) के दौरान किए गये आयात और निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मात्रा लाख मीटरी टनों में

मूल्य करोड़ रुपयों में

	1977-78		1978-79		1979-80	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आयात	12·84	709·69	10·40	535·41	·87	51·23
निर्यात	·0048	·63	.024	1·51	·0799	6·04

विवरण

देश में प्रमुख खाद्य तेलों का अनुमानित उत्पादन

(हजार मीटरी टनों में)

खाद्य तेल	1976-77	1977-78	1978-79
मूंगफली का तेल	1192	1400	1470
सरसों का तेल	479	500	570
तिल का तेल	161	160	170
कुसुम्भ तेल	42	37	42
नाइजर सीड तेल	25	30	30
बिनौले का तेल	186	230	250
नारियल का तेल	170	169	169
योग :	2255	2526	2701

टिप्पणी : उपर्युक्त अनुमान बीजों और सीधी खपत की आवश्यकता के लिए गुंजाइश रखते हुए पेराई के लिए उपलब्ध बीजों की मात्रा से प्राप्त होने वाले तेल के अनुपात को हिसाब में लेते हुए तैयार किए गये हैं। इसलिए उक्त आंकड़ों से खाद्य तेलों के उत्पादन के बारे में केवल एक मोटा अन्दाजा ही मिलता है।

गुजरात में रुई की एकाधिकार खरीद

3025. श्री अहमद एम० पटेल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार को अपनी एकाधिकार रुई वसूली योजना के अन्तर्गत इस राज्य में उगाई गई समस्त कपास को खरीदना अपेक्षित है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस राज्य में उत्पादित समस्त कपास को खरीदने में सरकार की असमर्थता के कारण उत्पादकों को इसे प्राइवेट व्यापारियों को अलाभप्रद मूल्यों पर बेचना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) गुजरात राज्य में रुई का व्यापार मुक्त रूप से किया जाता है। राज्य सरकार के लिए किसी एकाधिकार योजना

के अन्तर्गत रुई वसूली अपेक्षित नहीं है। गैर सरकारी व्यापारियों के अतिरिक्त भारतीय रुई निगम तथा विभिन्न सहकारी अभिकरण उपजकर्त्ताओं से प्रचलित बाजार कीमतों पर रुई खरीदते हैं, जो कि समर्थन कीमतों से कुछ ऊंची होती है अगर कपास की बाजार कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन कीमतों से नीचे आ जाती हैं तो यह भारतीय रुई निगम की जिम्मेदारी है कि वह कीमत समर्थन कार्यवाही के भाग के रूप में खरीदारियां करे। इसलिए, उपजकर्ताओं के लिए ऐसा अवसर नहीं आएगा कि वे अपनी रुई समर्थन कीमत स्तरों से कम पर बेचे।

रबड़ बागानों के लिए छोटे किसानों को प्रोत्साहन

3026. **डा० वसंत कुमार पण्डित** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने रबड़ बागानों का काम शुरू करने के लिए छोटे किसानों को प्रोत्साहन देने संबंधी कोई स्कीम केन्द्रीय सरकार को भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन प्रोत्साहनों को लेने के इच्छुक छोटे उत्पादकों की कितनी अर्जियां रबड़ बोर्ड को प्राप्त हुई हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) रबड़ बोर्ड ने एक रबड़ बागान निकास योजना प्रस्तुत की है जिसका उद्देश्य 1980-81 से 1984-85 के दौरान देश में केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक के रबड़ उगाने वाले परम्परागत राज्यों तथा गोआ, महाराष्ट्र, त्रिपुरा के रबड़ उगाने वाले अपरम्परागत राज्यों में तथा उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में नए रोपण/पुनरोपण के अन्तर्गत कुल 60000 हेक्टार क्षेत्र लाना है। इसमें जिन उपजकर्ताओं के पास 20 हेक्टार तक तथा जिनके पास 20 हेक्टार से अधिक रबड़ बागान हैं उनके लिए विभिन्न दरों पर पूंजी उपदान की, जिन उपजकर्ताओं के पास 6 हेक्टार से अनधिक क्षेत्र हैं उनके लिए अन्तर्निविष्ट उपदान तथा निःशुल्क परामर्शी सेवा तथा विस्तार सहायता की व्यवस्था है।

(ग) कोई नहीं।

ड्रग फार्मुलेशनों का निर्यात

3027. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से फार्मूलेशनों का निर्यात घटता जा रहा है ;

(ख) यदि हां तो क्या पहले वर्ष के 27.18 करोड़ रुपए के निर्यात की तुलना में 1979-80 में ड्रग फार्मुलेशनों का निर्यात घटकर केवल 21.06 करोड़ रह गया है ;

(ग) क्या इनके निर्यात में चालू वर्ष में अभी तक कोई वृद्धि नहीं हुई है और वह पूर्ववत ही है ;

(घ) यदि हां, तो इन फार्मुलेशनों के गत वर्ष कम निर्यात होने के क्या मुख्य कारण हैं ;

(ङ) सरकार ऐसी क्या कार्यवाही कर रही है जिससे ड्रग फार्मुलेशनों का निर्यात और अधिक न घटे ; और

(च) क्या आयातक देशों में फार्मुलेशन बनाने वाले एककों की स्थापना से भारत द्वारा किए जाने वाले इनके निर्यात पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां । 1977-78 के बाद गिरावट का रुख रहा है ।

(ख) जी हां । 1979-80 के आंकड़े अनन्तिम हैं ।

(ग) अप्रैल-मई 1980 के अनन्तिम आंकड़े, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, निर्यात निष्पादन में कोई सुधार नहीं दर्शाते हैं । तथापि, हाल के उपायों और कुछ पश्चिम एशियाई देशों से निर्यात आदेशों की बातचीत से सम्भावनाओं में सुधार होने की आशा है ।

(घ) पिछले वर्ष के दौरान गिरावट का मुख्य कारण विभिन्न ड्रग फार्मूलेशनों में प्रतिस्पर्धा की कमी है ।

(ङ) फार्मूलेशनों के निर्यात उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से बल्क ड्रग्स के सम्बन्ध में आयात नीति को उदार बनाया गया है । निर्यात उत्पादन के लिए हाजिर माल के लिए औषधीय कच्चे माल की सप्लाई करने के लिए भारतीय राज्य रसायन तथा भेषज निगम लि० ने एक योजना भी चलाई है ।

(च) जी नहीं ।

केरल में भू-विज्ञान संस्थान

3028. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में भू-विज्ञान संस्थान के अस्तित्व का पता है ;

(ख) क्या अन्य राज्यों तथा केन्द्र के अधीन ऐसे और भी संस्थान हैं ; और

(ग) इन संस्थानों को क्या कार्य सौंपा हुआ है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां । केरल में 1978 में एक भूवैज्ञानिक अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गई है ।

(ख) अन्य राज्यों में इस प्रकार के संस्थान होने की केन्द्र सरकार को जानकारी नहीं है। चूंकि ये संस्थान स्वायत्ताशासी हैं अतः केन्द्र सरकार उनके कार्यकलापों से तभी सम्बद्ध होगी जब वे किसी प्रकार की सहायता मांगेंगे।

केन्द्रीय स्तर पर भी ऐसा कोई संस्थान नहीं है।

(ग) केरल के भूवैज्ञानिक अध्ययन केन्द्र का मुख्य कार्य विशेषतया केरल राज्य और सामान्यतः पूरे देश में भू-विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास अध्ययन करना है।

प्रशासन में मितव्ययिता के उपाय

3029. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन में मितव्ययिता के उपाय करने का विचार है ; यदि हां, तो कब और किस रूप में ; और

(ख) उससे गैर योजना व्यय में कितनी बचत होने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) और (ख) किफायत करने और गैर-विकासात्मक व्यय में कटौती करने की आवश्यकता पर गत समय में तथा चालू वित्तीय वर्ष में भी समय-समय पर जोर दिया जाता रहा है। बढ़ते हुए व्यय पर रोक लगाने के लिए किए गए उपायों में पदों के सृजन/भरे जाने पर प्रतिबन्ध, यात्रा भत्ता और समयोपरि भत्ता जैसे भत्तों का विनियमन और आकस्मिकता, स्टाफ-कारों, टेलीफोनों और फर्नीचर की खरीद, सम्मेलन आयोजित करने, सरकारी सत्कार, पैट्रोल, कागज, बिजली आदि की खपत जैसी अन्य मदों पर व्यय में कटौती आते हैं। लेकिन, इन उपायों के परिणामस्वरूप हुई बचत की मात्रा बताना संभव नहीं है।

कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन की ऊंची लागत पूरी करने के लिए उपाय

3030. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कंट्रोल के कपड़े की ऊंची लागत पूरी करने के लिए उपायों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नई योजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हाँ।

(ख) ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

दक्षिणी क्षेत्रों को वाणिज्यिक स्तर के एल्यूमिनियम की आपूर्ति

3031. **श्री वी०एम० सईद** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी क्षेत्रों को वाणिज्यिक स्तर पर स्वदेशी एल्यूमिनियम की हो रही सप्लाई में पिछले दो महीनों में काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस से बर्तन बनाने वाली लघु क्षेत्र की कई इकाइयों के कार्यकरण पर गंभीर प्रभाव पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या है ; और

(घ) उद्योग को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) एल्यूमिनियम प्रद्रावकों पर लागू बिजली कटौतियों के कारण एल्यूमिनियम के उत्पादन में सितम्बर, 1979 से काफी कमी आई है । इसके परिणामस्वरूप, वाणिज्यिक ग्रेड एल्यूमिनियम की उपलब्धि भी कम हुई है । खनिज और धातु व्यापार निगम मांग की पूर्ति के लिए आयातित एल्यूमिनियम उपलब्ध करा रहा है ।

मंत्रियों के विदेशी दोरों पर खर्च

3032. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 से1979 के दौरान केन्द्रीय मंत्रियों के विदेशी दौरों पर कुल कितनी राशी खर्च हुई ;

(ख) क्या कुछ मंत्री सरकारी खर्च पर अपने परिवारों के सदस्यों सहित निजी यात्राओं पर गए थे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (ग) 1 मार्च 1977 से 31 दिसम्बर, 1979 तक की अवधि के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

लघु क्षेत्र के लिए कच्चा माल

3033. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लघु क्षेत्र के लिए अपेक्षित कच्चे माल के संबंध में आयात नीति में और अधिक ढील देने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो लघु क्षेत्र को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) 1980-81 की आयात नीति में पहले ही ऐसी पर्याप्त व्यवस्थाएं कर दी गई हैं जिससे लघु औद्योगिक एकक आयातित अंतर्निविष्ट साधनों की अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकें। इस संबंध में आयात नीति को और उदार बनाने की फिलहाल कोई प्रस्थापना नहीं है।

तांबे की कमी

3034. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में तांबे की भारी कमी है; और

(ख) यदि हाँ तो इसकी स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तांबे की वर्तमान मांग घरेलू उत्पादन और आयात दोनों से पूरी की जा रही है और देश में तांबे की पूर्ति में कोई कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

और आवश्यक मदों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करना

3035. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत और आवश्यक मदों का वितरण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, यो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल आवश्यक वस्तुओं के वितरण की राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभागों व अभिकरणों की सलाह से निरन्तर पुनरीक्षा की जाती रहती है। जब-कभी जरूरत समझी जायेगी तो आवश्यक समझी जाने वाली और वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल कर लिया जायेगा।

इंडियन आयरन एण्ट स्टील कम्पनी, बर्नपुर का आधुनिकीकरण और विस्तार

3036. **श्री सुशील मट्टाचार्य** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या इस्पात संयंत्र में 100 करोड़ रुपये के 'इन्टर प्लांट' के लिए कोई प्रस्ताव दिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया गया है।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (इस्को) ने कारखाने का आधुनिकीकरण करने के लिए शक्यता प्रतिवेदन तैयार कराने के लिए प्रयास किए थे। अध्ययन के दौरान यह पता चला था कि कारखाने की लोहा बनाने की प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करना आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप कारखाने तथा स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लि० ने कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जो सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर में उत्पादन कम होना

3037. **श्री सुशील भट्टाचार्य :**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर के उत्पादन में कितनी कमी हुई है ; और

(ख) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बर्नपुर के कारखाने में प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उत्पादन में हुई कमी से है। गत तीन वर्षों में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उत्पादन में हुई कमी नीचे दी गई है :—

(हजार टन)

	1977-78	1978-79	1979-80
इस्पात पिण्ड	199	137	135
विक्रेय इस्पात	174	119	120

(ख) कारखाने के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं। इन उपायों में बिजली उत्पादन में वृद्धि करना, बढ़िया किस्म के कोककर कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करना, मालिक-मजदूर संबंधों में सुधार करना और संयंत्र और उपस्करों का निवारक रख-रखाव करना शामिल हैं। रचित खानों का पुनर्निर्माण करने के लिए योजनाएं बना ली गई हैं और चासनाला की शोधनशाला में फेर-बदल का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

एयर इन्डिया के लिए बोइंग-747 विमान खरीदना

3038. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के लिए बोइंग-747 विमान खरीदने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने विमान खरीदे जायेंगे और खरीद योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) सरकार के अनुमोदन से, एयर इण्डिया ने तीन बोइंग-747 विमान खरीदने के लिए बोइंग कम्पनी को एक आशय-पत्र भेज दिया है। प्रस्ताव के ब्यौरों पर सरकार विचार कर रही है और इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

बम्बई-कोचीन-त्रिवेन्द्रम के लिए विमान टिकटों के आरक्षण में चोरबाजारी

3039. **श्री स्कारिया थामस :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि बम्बई के सान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर कोचीन-त्रिवेन्द्रम और अन्य दक्षिण भारतीय हवाई अड्डों के लिए विमान टिकटों के आरक्षण में बड़े पैमाने पर चोरबाजारी होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बम्बई में सान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर इस घोटाले में हवाई अड्डे के अनेक कर्मचारियों का हाथ है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है और इसको समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) से (ग) जी, हां। सांताक्रूज विमान क्षेत्र, बम्बई के प्रस्थान-क्षेत्र में क्रियाशील कुछ असामाजिक तत्व कोचीन/त्रिवेन्द्रम जाने वाले यात्रियों को तंग करते हैं। सांताक्रूज में विभिन्न एजेंसियों के

कर्मचारियों के साथ, जिनमें विमानक्षेत्र के एयरलाइन कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, असामाजिक तत्वों के गुप्त सहयोग से इन्कार नहीं किया जा सकता। जहाँ कहीं भी इन्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को यात्रियों को तंग करते हुए पाया गया है, आवश्यक जाँच-पड़ताल के बाद उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है। इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के पास भी शिकायतें दर्ज कराई गयी हैं और संदिग्ध व्यक्तियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को लिपिकीय वर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति

3040. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ओवरसीज बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की पदोन्नति में आरक्षण के उपबन्धों के अंतर्गत लिपिकीय वर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी किस मानदण्ड को अपनाया जा रहा है और इसके लिये "जोन आफ कंसीडरेशन" क्या है ;

(ख) क्या उसमें आरक्षण के अन्तर्गत पदोन्नति के लिये 40 सूत्री रोस्टर बनाये रखा हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) बैंक ने सूचित किया है कि लिपिक वर्ग से अधिकारी वर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये पात्रता मापदण्ड निम्नलिखित हैं :—

वरिष्ठता और साक्षात्कार द्वारा पदोन्नति

जो मैट्रिक पास नहीं हैं	12 वर्ष की सेवा
जो ग्रेजुएट नहीं हैं	8 वर्ष की सेवा
जो ग्रेजुएट हैं	6 वर्ष की सेवा

अन्य अर्हताओं के लिये दी गई अधिमान्यता (वेटेज) निम्नलिखित हैं :

ग्रेजुएट (कामर्स)/(एन० डी० (काम)/ग्रामीण सेवा में डिप्लोमा	—2 वर्ष
सी० ए० आई० आई० बी०/सी० ए० आई० बी० का भाग—I	—1 वर्ष
सी० ए० आई० आई० बी०/सी० ए० आई० बी० का भाग—II	—1 वर्ष

परीक्षा और साक्षात्कार द्वारा पदोन्नति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 6 प्वाइन्ट पाने आवश्यक हैं जबकि अन्य उम्मीदवारों को सात प्वाइन्ट।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिये अर्हता स्तर में 10 से 15 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

वरिष्ठता और साक्षात्कार द्वारा लिपिक वर्ग से अधिकारी वर्ग में पदोन्नति के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए विचार क्षेत्र (जोन आफ कंसीडरेशन) सामान्य और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों, दोनों के ही संबंध में कुल रिक्त स्थानों के 125 प्रतिशत के बराबर होता है।

(ख) और (ग) बैंक ने सूचित किया है कि उसके द्वारा 40 प्वाइन्ट रोस्टर रखा जा रहा है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक में विभागीय पदोन्नतियों के लिये आरक्षण नीति

3041 **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ओवरसीज बैंक में विभागीय पदोन्नतियों में आरक्षण नीति को लागू करने के बाद वर्ष 1973 वर्गवार सर्किलवार आफिसर्स ग्रेड II और हैड कैशियर और हैड क्लर्क के रूप में कुल कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया था ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों/जनजातियों के हैं और क्या उनके लिये वर्गवार और क्षेणीवार आरक्षित कोटे को भर दिया गया है ;

(ग) क्या विभागीय पदोन्नति के लिए आरक्षण नीति में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार आते हैं और पिछले बकाया पद नहीं हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इन क्षेणियों के लिये आरक्षित कोटा भरने के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (घ) इस बैंक ने सूचित किया है कि यह हैड कैशियरों और हैड क्लर्कों के पदों के लिये कोई परीक्षा नहीं लेता। बैंक में पदोन्नति लिपिक वर्ग से अधिकारी वर्ग में की जाती है। 1973 से 1978 तक अधिकारी वर्ग में, 1555 पदोन्नतियां की गई। बैंक ने अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण वर्ष 1978 में लागू किया। इन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों और सामान्य कर्मचारियों की संख्या, जो 1978 में आरक्षण लागू हो जाने के बाद, अधिकारी वर्ग में पदोन्नत किये गये, नीचे लिखे अनुसार है:—

सामान्य	अनु०जाति	अनु०जनजाति	जोड़
725	65	22	812

जहां तक परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर पदोन्नतियों का संबंध है अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों में कोई पिछली कमी (बैंक लाग) नहीं है। अलबत्ता, वरिष्ठता और साक्षात्कार के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले आरक्षित रिक्त स्थानों में पिछली कमी (बैंक लाग) जरूर है। इसका कारण है अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वरिष्ठ कर्मचारियों का पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिक से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति का पात्र बनाने के लिये, इन कर्मचारियों के वास्ते बैंक ने पदोन्नति में स्थान पाने के पात्रता-मानदण्डों और स्तरों को भी घटा दिया है। पिछली कमी को पूरा करने के लिये बैंक द्वारा इस मामले की निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

बिक्री योग्य इस्पात का आयात

3042. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1980-81 के दौरान बिक्री योग्य इस्पात का आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इसकी कितनी मांग है ; और

(ग) देश में इसका कुल उत्पादन कितना है और कितनी मात्रा में इसका आयात किया जाएगा तथा कितने मूल्य का ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऐसा अनुमान है कि वर्ष 1980-81 में इस्पात की अनुमानित मांग 102 लाख टन होगी। इसकी तुलना में वर्ष 1980-81 में 90 लाख टन इस्पात के उत्पादन की सम्भावना है। इस वर्ष स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० को 69 लाख टन तक बफर आयात करने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा वह अलग-अलग ग्राहकों की मांग के आधार पर "बैंक-टू-बैंक" आयात करने का कार्य भी करेगी। आयात की वर्तमान नीति के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं, पंजीकृत निर्यातकों तथा निर्यात घरानों को भी आयात करने की अनुमति दी गई है।

सेल द्वारा बफर तथा बैंक-टू-बैंक आधार पर किए गए आयात की लागत लगभग 550 करोड़ रुपए होगी लेकिन यह लागत उनके पास पंजीकृत मांग पर निर्भर करेगी। अन्य आयातकों द्वारा आयात किए जाने वाले आयात का अनुमान लगाना कठिन है।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया तस्करीकृत सोना व चांदी

3043. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **वित्त मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क अधिकारियों ने वर्ष 1977, 1978, 1979 तथा 1980 (जून के अन्त तक) देश के विभिन्न भागों में कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का तस्करीकृत सोना तथा चांदी पकड़ा ;

(ख) प्रति वर्ष कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गए और उनमें से कितने व्यक्ति दण्डित किये गये और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा विभिन्न निरोधक उपाय किये जाने के बावजूद भी सोने तथा चांदी की तस्करी को प्रभावी ढंग से रोका नहीं जा सका है ; और

(घ) क्या सरकार ने तस्करी रोकने के लिए भारत की सीमाओं तथा पत्तनों पर एक नया तस्करी उन्मूलन कार्यक्रम तैयार किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 1977, 1978, 1979 और 1980 (मई, 1980 तक) के दौरान पकड़े गए सोने और चांदी की मात्रा और मूल्य तथा गिरफ्तार किये गए और दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दिए अनुसार है :—

मद	वर्ष	पकड़ी गई मात्रा (कि०ग्रा०)	मूल्य (लाख रुपए)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	सिद्ध दोष व्यक्तियों की सं०
(i)	1977	267	162	162	60
	1978	220	152	172	95
	1979	134	136	198	136
	1980	23 (लगभग)	32 (लगभग)	47	15
(ii) चांदी	1977	110	1·30	—	—
	1978	642	9·00	—	—
	1979	5410	122·00	67	2
	1980	21,5000 (लगभग)	698·00 (लगभग)	137	5

(ग) सरकार द्वारा किए गए विभिन्न तस्करी-निवारक उपायों से, सोने और चांदी की तस्करी, काफी हद तक, प्रभावी रूप से नियंत्रण में है।

(घ) 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में, सीमा शुल्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को हिदायतें जारी की गयी हैं कि तस्करी-निवारक उपायों को, विशेष रूप से तस्करी के लिए सुगम क्षेत्रों में तथा तस्करी के लिए विशेष आकर्षण वाली वस्तुओं के संदर्भ में, तेज कर दिया जाए।

अखबारी कागज के आयात के लिए प्रकाशकों द्वारा अनुरोध

3044. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिट बुक्स के प्रकाशकों ने देश में कम कीमत की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए अखबारी कागज का आयात करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) कागज उत्पादन में भारी संकट और कागज की ऊंची लागत के कारण विभिन्न किस्म के कागज के आयात के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) विगत हाल में प्रकाशकों से इस प्रकार का कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) अखबारी कागज का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम की मार्फत सरणी-बद्ध है। अनुमानित मांग और घरेलू स्रोतों से उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, सरकार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कागज की अन्य किस्मों के आयात का भी प्रबन्ध करती है।

निर्यातकों को पेश आ रही समस्यायें

3045. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय निर्यातकों को पेश आ रही समस्याओं के निवारण के लिए विभिन्न उपाय करने के बारे में विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपाय किए जाने की आशा है ;

(ग) क्या ये उपाय सरकार को "ड्यूटी ड्रा बैक कमेटी' की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही किए जाएंगे ; और

(घ) इन उपायों से निर्यात को किस प्रकार बढ़ावा मिलेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार निर्यातकों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने में बराबर लगी हुई है। इस समय एक उच्च स्तरीय समिति अस्सीवें दशक के दौरान निर्यात नीति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रही है।

(ग) तथा (घ) शुल्क वापसी के निर्धारण तथा वितरण की विद्यमान क्रिया विधियों तथा पद्धतियों को सरल तथा सुव्यवस्थित बनाने की दृष्टि से कुछ समय पहले एक समिति गठित की

गई थी। समिति ने सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं। यह रिपोर्ट विचाराधीन हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

3046. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आयातित कच्चे तेल के बढ़ते हुए बिल का भुगतान करने के लिये पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा न्यास से 550 करोड़ रुपये का ऋण लेने पर मजबूर हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस ऋण के लिये औपचारिक अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या अंतरिम समिति ने भारत के अनुरोध का अध्ययन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन्होंने भारत के अनुरोध को कहां तक स्वीकार किया है और मांगा गया धन भारत को कब तक दिया जायेगा तथा किन शर्तों पर दिया जायेगा ;

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (घ) भुगतान शेष संबंधी सहायता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की न्यास निधि से एक ऋण प्राप्त करने के वास्ते कोष से बातचीत अभी हाल में ही पूरी हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड को अभी इस प्रस्ताव पर विचार करना है तथा कोई निर्णय लेना है। फिर भी यह आशा है कि यह मामला आगामी कुछ एक महीनों में कार्यकारी बोर्ड के सामने आ जायेगा।

सामान्य शर्तों के अनुसार, न्यास निधि ऋण की वापसी बराबर-बराबर की 10 छमाही किस्तों में करनी होगी, तो अधिक से अधिक संवितरण की तारीख के पश्चात् छठे वर्ष की पहली छमाही के समाप्त होने से पहले आरम्भ करके दसवें वर्ष की समाप्ति तक पूरी करनी पड़ेगी। ऋण की बकाया रकम पर प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत के $\frac{1}{2}$ के हिसाब से ब्याज लिया जाएगा तथा वह छमाही किस्तों में चुकाया जाएगा। ऋण के अन्तर्गत किस्त की अदायगी के देय होने पर, सदस्य देश के अनुरोध पर, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वापसी के कार्यक्रम को फिर से निर्धारित कर सकता है यदि उसे यह मालूम हो जाए कि देय तारीख को अदायगी करने से सदस्य देश के लिए अत्यधिक कठिनाई पैदा हो जाएगी बशर्ते कि ऐसा करने के फलस्वरूप कोष के अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती हो।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा स्वर्ण का उपयोग किए जाने के बारे में भारत का रुख

3047. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास स्वर्ण का प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठापन लेखा की सहायता करने में उपयोग करने का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसने 23 अप्रैल, 1980 को हेम्बर्ग में ग्रुप आफ 24 की चर्चा में यह कहा था कि ऐसा करना जमैका समझौते की भावना के विरुद्ध होगा जहां यह निर्णय लिया गया था कि स्वर्ण का उपयोग मुख्यत: विकासशील देशों की सहायता करने के लिये होगा ; और

(ग) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इस प्रस्ताव का विरोध किया है कि 2 करोड़ से 2 करोड़ 50 लाख औंस स्वर्ण का उपयोग प्रतिष्ठापन लेखा सम्बर्धन के लिये किया जाए ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हाँ।

(ख) 23 अप्रैल, 1980 को हेम्बर्ग में '24 के समूह' की बैठक में वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि कोष के सोने का उपयोग जमैका करार की भावना के अनुरूप ही होना चाहिये।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

कुछ मिलों द्वारा भ्रामक अंकन

3048. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता शिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ मिलें अपने द्वारा निर्मित मिश्रित कपड़े पर 'मसेराइज्ड' और 'सैन्फोराइज्ड' जैसे भ्रामक अंकन कर रही है और झूठी मोहर लगा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ; और

(ग) इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) उपभोक्ता शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, अहमदाबाद, ने सरकार के ध्यान में यह बात लाई है कि कुछ मिलें भ्रामक चिन्ह और मोहर लगा रही हैं।

(ख) तथा (ग) शिकायत के वास्तविक और साथ ही वैधिक पहलुओं को देखा जा रहा है।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा दिए गए सुझाव

3049. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संघ के महासंघ ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि ऋण दिए जाने पर और रोक लगाने से औद्योगिक उत्पादन में कमी आएगी तथा पहले ही बढ़ती हुई कीमतों में और वृद्धि होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया है कि विद्यमान आर्थिक संकट की स्थिति से बचने का उपाय उत्पादन आधार में वृद्धि करना है।

(ग) क्या उन्होंने मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार उनके सुझावों से कहां तक सहमत है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा जनवरी, 1980 में प्रधान मंत्री और वित्त मन्त्री को प्रस्तुत किए गए अपने 'कार्य सम्बन्धी न्यूनतम कार्यक्रम' में यह कहा है कि मार्च-अगस्त, 1979 के महीनों में हुई मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप ऋण नीति को कड़ा बनाने के कारण औद्योगिक उत्पादन पर गम्भीर प्रभाव पड़ा। जब तक ऋण नीति को उदार नहीं बनाया जाएगा उत्पादन में अत्याधिक बाधा रहेगी।

(ख) संघ ने महसूस किया कि सामान्य उत्पादन की परिस्थितियों का पुन; निर्माण करना सबसे पहली आवश्यकता है।

(ग) और (घ) न्यूनतम कार्यक्रम में संघ ने अनेक उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है जिनमें मुद्रास्फीति निरोधक उपाय शामिल है। सरकार कीमतों पर न्याय संगत नियंत्रण रखने के लिए दृढ़ संकल्प है तथा इस सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से आये उपायों पर जिनमें भारतीय वाणिज्यक और उद्योग मण्डल के उपाय शामिल हैं, समुचित विचार किया जाता है। सरकार द्वारा अपनाए गये मुद्रास्फीति निरोधक उपायों पर, हाल में संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई आर्थिक समीक्षा 1979-80 में चर्चा की गई है तथा उभरती हुई प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखते हुए जब भी आवश्यक होगा अन्य उपाय अपनाए जाएंगे।

स्टेनलैस स्टील का उत्पादन

3050. **श्री पी० एम० सईद** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने स्टेनलैस स्टील के उत्पादन के लिए देश में वर्तमान स्टील रोलिंग मिलों की लाइसेंस क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में मंत्रालय द्वारा कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो जारी किये गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) इससे स्टेनलैस स्टील के उत्पादन की क्षमता में कितना वृद्धि होगी ;

(ङ) क्या आल इन्डिया स्माल स्केल स्टेनलैस स्टील रोलर्स एसोसियेशन ने सरकार से स्टेनलैस स्टील की चादरों (शीट्स) के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध किया है ; और

(च) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बारे में प्रधानमन्त्री को कोई ज्ञापन दिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) जी, हां ।

(च) जी, हां । उन्होंने इस बारे में दिनांक 15-5-80 को प्रधानमन्त्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ।

रबड़ का आयात

3051. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 10,000 टन रबड़ के आयात की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मांग तथा सप्लाई के अन्तराल को पूरा करने के लिए 1980-81 में और रबड़ के आयात करने पर भी विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो 1980-81 में मांग और सप्लाई के बारे में क्या अनुमान है ;

(घ) क्या वास्तविक प्रयोक्ताओं को सीधा लाभ देने के लिए कोई परिवर्तन किये गये हैं :

(ङ) नए प्रस्तापित मानदण्ड क्या हैं ; और

(च) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में एक प्रतिनिधिमण्डल हाल ही में प्रधान मन्त्री से मिला था और उनसे भारत में रबड़ का आयात न करने का अनुरोध किया था ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 10,000 मे० टन रबड़ का आयात जनवरी, 1980 में प्राधिकृत किया गया था । इस प्राधिकार पर 400 मे० टन की मात्रा आयात की गई थी तथा इसके आगे आयात रोक दिया गया था ।

(ग) रबड़ के आयात पर मांग-आपूर्ति स्थिति तथा कीमत ढांचे की आवधिक पुनरीक्षा के आधार पर विचार किया जाता है और आयातों को न्यूनतम आवश्यकता तक सीमित रखा जाता है ।

(ग) 1980-81 के लिये रबड़ की अनुमानित मांग 180,000 मे० टन है। तथा अनुमानित आपूर्ति 155,000 से 160,000 मे० टन है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी हां।

गैर योजना व्यय में कमी

3052. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गैर योजना व्यय कम करने के लिए क्या कार्यवाही की है और इसको किस प्रकार से व्यावहारिक रूप दिया गया है ; और

(ख) इस वर्ष गैर योजना व्यय कितना रहा है और विभिन्न विभागों द्वारा व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) और (ख) दो विवरण-पत्र संलग्न है जिनमें अपेक्षित सूचना दी गई हैं।

विवरण-पत्र-I

गैर विकासात्मक व्यय में कमी करने के लिए सरकार द्वारा किफायत के सम्बन्ध में अपनाए गए उपायों का ब्यौरा।

1. पिछले अनेक वर्षों में सरकार के गैर विकासात्मक व्यय में किफायत करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता रहा है। मई, 1977 में मन्त्रालयों/विभागों को किफायत के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय करने के लिए कहा गया था :

(1) विद्यमान कर्मचारी संख्या में कम से कम 10% की कमी करने पर विचार करें ;

(2) अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों और नियमक क्रिया-कलापों की यह पता लगाने के लिए समीक्षा करें कि उनमें से कोई क्रिया-कलाप आवश्यक हो गए हैं और उनको लोक-हित अथवा अर्थव्यवस्था को वृद्धि और विकास को हानि पहुंचाए बिना समाप्त किया जा सकता है ;

(3) विद्यमान प्रणालियों और कार्य-विधियों की जांच की जाए ताकि कार्यकुशलता को नुकसान पहुंचाये बिना दोहरे काम को समाप्त किया जा सके।

(4) जो भी आयोग और समितियां स्थापित की गई हैं और इस समय विद्यमान हैं उन सभी के बारे में यह पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाए कि उनमें कोई महत्वपूर्ण

उपयोगी प्रयोजन सिद्ध हो रहा है जो उनका आगे बना रहना न्यायोचित ठहराता हो ; और

(5) मौजूदा कानूनों की जांच की जाए क्योंकि हो सकता है, समय गुजरने और बदलती हुई परिस्थितियों के साथ-साथ उनमें से कुछ कानून निष्प्रयोजन हो गए हों; ताकि ऐसे कानूनों को निरगित किया जा सके और उनके प्रशासन के लिए मूलत: भर्ती किए गए कर्मचारियों को वापस भेजा जा सके ।

2. 1979 में मन्त्रालयों /विभागों को यह भी सलाह दी गई है कि :

(क) आयोजना-भिन्न पक्ष में, कोई अतिरिक्त पद तब तक मंजूर नहीं किए जाने चाहिए जब तक कि अन्य पदों को वापिस करके बराबर राशि की बचत न की गई हो, सिवाए पूर्णतया नए संगठनों के मामले में, जिनके लिए आवश्यकता को विशेष रूप से स्वीकार किया गया हो ;

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए जो पद स्वीकृत किए गए थे उनकी संख्या में भारी कांट-छांट करने के लिए पुनरीक्षण किया जाना चाहिए ; और

(ग) विदेशों में प्रतिनियुक्तियों पर और प्रतिनिधि मण्डलों की संख्या में भारी कटौती की जानी चाहिए ।

3. 1979 में मन्त्रालयों/विभागों को और आगे यह कहा गया है कि कागज के इस्तेमाल गैर हकदार श्रेणी के अधिकारियों द्वारा हवाई यात्रा के मामले में किफायत करने और अधिकारियों के कार्यालय तथा आवासीय टेलीफोनों को एस० टी० सी० सुविधाओं पर तथा विभागीय गाड़ियों/स्टाफ-कारों द्वारा पैट्रोल के प्रयोग पर कड़े प्रतिबन्ध लागू करने पर विचार करें ।

4. इसके अतिरिक्त यात्रा भत्ते, समयोपरि भत्ते स्टाफ-कारों पर व्यय, टेलीफोनों के इस्तेमाल, आकस्मिक व्यय तथा व्यय को अन्य विविध मदों जैसे फर्नीचर सम्मेलनों का आयोजन, सरकारी आतिथ्य सेवा, बिजली के इस्तेमाल आदि पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं ।

विवरण II

(4-7-1980 का लोक सभा का अतारांकित प्रश्न संख्या 3052)

वर्ष 1979-80 के दौरान (मार्च तक/पारंभिक) 'आयोजना-भिन्न' व्यय का मंत्रालय/विभाग-वार आंकड़ों के संबंध में विवरण-पत्र :

(ये आंकड़े अनन्तिम हैं)

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग का नाम	आयोजना-भिन्न व्यय (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	कृषि	466·64
2.	सिंचाई	19·02
3.	खाद्य	607·41
4.	ग्रामीण पुनर्निर्माण	55.60
5.	पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	584·38
6.	वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति और सहकारिता	426·31
7.	संचार	10·69
8.	शिक्षा और संस्कृति	136·67
9.	समाज कल्याण	35·22
10.	विद्युत	35·06
11.	कोयला	99.28
12.	विदेश मंत्रालय	145·78
13.	वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग	123·74
14.	वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग	25020.55
15.	विदेशी सहायता	619·22
16.	राजस्व	2·61
17.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	93·73
18.	गृह	364·77
19.	उद्योग	218·37
20.	सूचना और प्रसारण	73·79

1	2	3
21.	श्रम	80·61
22.	विधि, न्याय कम्पनी और उच्चतम न्यायालय	44·10
23.	योजना और सांख्यिकी	12.53
24.	नौवहन और परिवहन	136·78
25.	इस्पात	12·18
26.	खान	55·01
27.	आपूर्ति	8·33
28.	पुनर्वास	14·34
29.	पर्यटन और नागर विमानन	36·49
30.	निर्माण और आवास	90·73
31.	परमाणु ऊर्जा	124·04
32.	इलैक्ट्रोनिकी	1.43
33.	राष्ट्रपति सचिवालय	0·94
34.	धार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	17·48
35.	उत्पाद और सीमा-शुल्क केन्द्रीय बोर्ड	105·06
36.	अप्रत्यक्ष कर केन्द्रीय बोर्ड	57·47
37.	विज्ञान और प्रोद्योगिकी	59·43
38.	अंतरिक्ष	23·32
39.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	61·55
40.	लोक सभा	4·24
41.	राज्य सभा	1·94
42.	दिल्ली प्रशासन	137.07
43.	अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह	17·45
44.	दादरा और नागर हवेली	2·70
45.	चंडीगढ़	25·50
46.	लक्ष द्वीप	4·40
47.	महालेखाकार	38·43

1	2	3
48.	रक्षा मंत्रालय और कैंटीन स्टोर विभाग	168·29
	जोड़ सिविल	30473·80
	रेलवे	2202·10
	डाक-तार	940·93
	रक्षा सेवाएं	3279·35
	जोड़-केन्द्रीय सरकार	36914·18

टिप्पणी :

(1) सिविल आंकड़ों में 47 खातों के संबंध में आंकड़े शामिल नहीं है जो कि वर्ष, 1980 के खातों को बन्द करने से पहले प्राप्त नहीं हुए थे ।

(2) 1979-80 के दौरान 'भारत की आकसमिकता निधि' के अंतर्गत 'आयोजना-भिन्न व्यय' निम्न प्रकार था :

कृषि :	0·02 करोड़
वित्त (व्यय) :	16·00 करोड़
उद्योग :	1·09 करोड़
आपूर्ति :	0·01 करोड़

इसे उपर्युक्त दर्शाए गए 36914·18 करोड़ रुपए के कुल आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है ।

3. 'वित्त, आर्थिक कार्य विभाग के सामने दिखाए गए 25020.55 करोड़ रुपए के आंकड़ों में ऋण शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियां शामिल नहीं है क्योंकि केवल 'आयोजना-भिन्न व्यय' के ब्यौरों को मंगाया गया है ।

4. सभी अन्तरण प्रविष्टियों के प्राप्त होने और समायोजन किए जाने के बाद उपर्युक्त आंकड़ों में कुछ परिवर्तन होने की सम्भावना है ।

राजस्थान में पर्यटक केन्द्रों पर व्यय किया गया धन

3053. **श्री मूल चन्द डागा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उनके विभाग द्वारा नये पर्यटक केन्द्रों के विकास अथवा निर्माण पर राज्यवार तथा पर्यटक केन्द्र वार जो धन व्यय किया गया, है उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान में नये पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिए किए जाने वाले उपायों की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर कुल कितना धन व्यय किए जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) 1977-78, 1978-79, 1979-80 के दौरान पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर प्रदान की गई पर्यटक सुविधाओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। यह उल्लेखनीय है कि पर्यटक सुविधाएं राज्य-वार आधार पर नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उक्त केन्द्र की संभाव्यता के आधार पर ही प्रदान की जाती है।

(ख) आगामी पांच वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में दुगुनी वृद्धि को देखते हुए तदनुकूल सुविधाओं का बन्दोवस्त करने की दृष्टि से पर्यटन योजना पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है। उनमें ये उपाय शामिल हैं (I) यात्रा परिपथों का पता लगाना और उनका विकास करना और (II) इन यात्रा परिपथों के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रों पर पर्याप्त रूप से आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करना। इस उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय आधार पर राज्य के पर्यटन अधिकारियों से बात चीत की गई थी, और पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे ब्यौरों की प्रतीक्षा है।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान पर्यटक केन्द्रों के विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा किए गए राज्य-वार/केन्द्र-वार पूंजीगत योजना व्यय को दर्शाने वाला विवरण :

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/पर्यटक केन्द्र स्कीम	1977-78	1978-79	1979-80 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश			
	(क) मन्त्रालय में पर्यटक बंगला	—	—	5·60
	(ख) नागरजुनासागर में लॉच	—	—	1·39
	जोड़ :	—	—	6·99

1	2	3	4	5
2.	असम			
	(क) काजीरंगा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की स्थापना	1·03	—	—
	(ख) काजीरंगा और मानस में मिनी बसें	—	—	—
		—	6·66	0·98
	जोड़ :	1·03	6 66	0 98
3.	गुजरात			
	(क) ससनगीर में वन गृह	6·59	—	—
	(ख) ससनगीर में मिनी बसें	—	2·20	—
	(ग) साबरमती में ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम का पुन: प्रस्तुतीकरण	—	4·50	—
	जोड़ :	6·59	6·70	—
4.	हिमाचल प्रदेश :			
	(क) मनाली में क्लब हाउस बिल्डिंग	—	3·00	—
	जोड़ :	—	3·00	—
5.	जम्मू व कश्मीर :			
	(क) गुलमर्ग में हिमक्रीड़ा सुविधाओं का विकास	20·40	0·77	5·19
	(ख) अवन्तीपुर, मारतन्ड और पण्डरेशन की महायोजनाएं (भूमि उपयोग योजनाएं) तैयार करना	2·80	0·50	—
	जोड़ :	23·20	1·27	5·19

1	2	3	4	5
6.	कर्नाटक :			
	मैसूर में युवा होस्टल	—	—	2.79
	जोड़:	—	—	2 79
7.	केरल :			
	(क) पैरियार झील में मोटर लांच	2·00	—	—
	(ख) कोवलम में कोवलम समुद्रतट विहार-स्थल (समुद्रतट सेवा केन्द्र), योग-त्र-मालिश केन्द्र का विकास	2·25	5·75	3·00
	(ग) त्रिवेन्द्रम में युवा होस्टल	—	—	3·28
	जोड़ :	4·25	5·75	6·28
8.	मध्य प्रदेश :			
	(क) कान्हा नेशनल पार्क में वन्य जीव देखने के लिए प्रशिक्षित हाथी	1·00	—	—
	(ख) खजुराहो में जल आपूर्ति स्कीम	1·43	—	—
	(ग) कान्हा नेशनल पार्क में टेन्ट-आवास-	—	2·00	—
	(घ) कान्हा नेशनल पार्क में वन गृह	—	—	9·80
	जोड़ :	2·43	2·00	9·80
9.	महाराष्ट्र :			
	(क) बोरीविली में लॉयन सफारी पार्क	1·91	—	—
	(ख) अजन्ता गुफाओं की तलहटी के क्षेत्र का विकास	7·50	—	—
	(ग) सेवाग्राम में यात्री निवास	1·50	10·00	1·27
	जोड़ :	10·91	10·00	1·27

1	2	3	4	5
10.	**राजस्थान :**			
	(क) जैसलमेर में पर्यटक बंगले का विस्तार	1·14	—	—
	(ख) दीग में डाक बंगले का विस्तार	1·21	—	—
	(ग) मेवाड़ काम्पलेक्स की महायोजना (भूमि उपयोग योजना) को तैयार करना	—	0·75	2·00
	(घ) राजस्थान में विभिन्न झीलों में नौकाओं की व्यवस्था	—	--	3·12
	जोड़ :	2·35	0·75	5·12
11.	**सिक्किम :**			
	ट्रैकिंग दौरों का आयोजन करने हेतु ट्रैकिंग उपस्कर	—	3·48	2·19
	जोड़ :	—	3·48	2·19
12.	**तमिल नाडु :**			
	(क) रामेश्वरम में पर्यटक बंगला	0·33	0·48	—
	(ख) विवेकानन्द रॉक मेमोरियल कन्या कुमारी लांच	5·50	—	—
	जोड़ :	5·83	0·48	—
13.	**उत्तर प्रदेश :**			
	(क) कुशीनगर और श्रावस्ती की माइक्रो प्लानिंग	4·00	—	—
	(ख) फतहपुर सीकरी की महायोजना (भूमि उपयोग योजना) तैयार करना	4-61	—	—

1	2	3	4	5
	(ग) पिपरहवा की महायोजना (भूमि उपयोग योजना) तैयार करना	—	0·75	—
	(घ) ब्रज-भूमि काम्पलैक्स की महा-योजना (भूमि उपयोग योजना) तैयार करना	—	—	1·08
	जोड़ :	8·61	0·75	1·08

विवरण-2

1977-78, 1978-79 के दौरान राज्यवार/स्कीम-वार पूंजीगत व्यय और 1979-80 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किए गए अनन्तिम पूंजीगत योजना व्यय को दर्शाने वाला विवरण :

क्रम सं०	स्कीम का नाम	पूंजी योजना व्यय		
		वास्तविक		1979-80 (अनन्तिम और
		1977-78	1978-79	जिसकी लेखा-परीक्षा होती है)
1	2	3	4	5
1.	**आन्ध्र प्रदेश**			
	हैदराबाद में ट्रान्सपोर्ट यूनिट		1.13	2.15
2.	**असम**			
	गोहाटी में होटल	0.06	—	—
3.	**बिहार**			
	पटना में होटल	4.30	1.13	—
	होटल पाटलीपुत्र का नवीकरण	—	3.72	1.00

1	2	3	4	5
	बोधगया में यात्री गृह का विस्तार	—	—	0.05
	पटना में ट्रान्सपोर्ट यूनिट	0.01	—	3.15
		4.31	4.85	4.20
4.	**हिमाचल प्रदेश**			
	कुल्लू और मनाली में यात्री गृहों का नवीकरण	—	0.30	—
5.	**जम्मू व कश्मीर**			
	जम्मू में होटल	—	—	—
	जम्मू होटल @	1.83	1.43	0.22
		1.83	1.43	0.22
6.	**कर्नाटक**			
	होटल अशोक बंगलौर (विस्तार)	—	—	—
	एच० ए० बी० भूमि अधिग्रहण	—	3.00	—
	एच० ए० बी० का नवीकरण	9.35	2.13	7.60
	एल० एम० पी० मैसूर का होटल में परिवर्तन	—	—	—
	मैसूर में एल० एम० पी० होटल का विस्तार	—	13.61	23.07
	बंगलौर में ट्रान्सपोर्ट यूनिट	—	1.13	3.65
	बीजापुर में यात्री गृह @	0.05	—	—
	एल० एम० पी० होटल मैसूर @	0.30	—	—
	होटल हसन अशोक का विस्तार	—	—	0.65
		9.70	19.87	34.97
7.	**केरल**			
	कोवलम होटल का नवीकरण	—	0.13	3.50
	कोवलम ग्रोव	—	—	—

1	2	3	4	5
	कोवलम होटल	3.82	—	—
	कोवलम भूमि/समुद्रतट विहार स्थल	—	—	—
	कोवलम में ट्रान्सपोर्ट यूनिट	—	—	3.65
		3.82	0.13	7 15
8.	मध्य प्रदेश			
	सांची में यात्री गृह का नवीकरण	—	0.12	—
	खजुराहो में यात्री गृह का विस्तार	—	—	3.70
	खजुराहो होटल @	6.69	0.10	2.05
	खजुराहो में ट्रान्सपोर्ट यूनिट	—	—	3.45
	इन्दौर में ट्रान्सपोर्ट यूनिट	—	—	1.50
		6.69	0.22	10.70
9.	महाराष्ट्र			
	औरंगाबाद होटल का नवीकरण	—	0.75	0.28
	औरंगाबाद में होटल का विस्तार	5.51	—	—
	औरंगाबाद होटल भूमि	—	—	9.94
	औरंगाबाद में ट्रांसपोर्ट यूनिट	0.57	1.13	3.65
	बम्बई में ट्रांसपोर्ट यूनिट	2.20	2.25	2.80
	ऐलिफेंटा में यात्री गृह @			
	अजन्ता में यात्री गृह @	—	0.13	—
	बम्बई में क्षेत्रीय कार्यालय @	—	—	—
	इयूटी फ्री शॉप बम्बई	—	—	—
		8.28	4.26	16.67
10.	उड़ीसा			
	कोणार्क में यात्री गृह का नवीकरण	—	0.01	—
	भुवनेश्वर में यात्री गृह का विस्तार	6.63	9.63	23.33

1	2	3	4	5
	भुवनेश्वर में ट्रान्सपोर्ट यूनिय	0.01	1.13	4.65
		6.64	10.77	27.98
11.	राजस्थान			
	जयपुर में होटल	8.40	30.13	23.81
	जयपुर में ट्रान्सपोर्ट यूनिट	0.89	1 12	3.05
	एल० वी० पी० उदयपुर में होटल @	—	0.21	—
	एल० वी० पी० उपयपुर का विस्तार	—	—	4.18
	भरतपुर में यात्री गृह @	0.35	—	—
		9.64	31.46	31.04
12.	तमिलनाडु			
	महाबलिपुरम में यात्री गृह का विस्तार	—	—	—
	मद्रास में ट्रांसपोर्ट यूनिट	2.82	2.25	7.30
	महाबलिपुरम के लिए भूमि	—	—	0.48
	महाबलिपुरम में टैम्पल वे @	0.74	0.04	—
	मद्रास में डी० एफ० एस०	—	—	—
	मदुरै में यात्री गृह @	0.14	—	—
	मदुरै में यात्री गृह का विस्तार	—	—	28.62
	थंजावुर में यात्री गृह @	0.05	—	—
	कांचीपुरम में यात्री गृह @	0.12	—	—
	त्रिची में यात्री गृह @	0.03	—	—
	डी० एफ० एस० त्रिची	0.19	—	—
		4.09	2.29	36.40
13.	उत्तर प्रदेश			
	वाराणसी में ट्रांसपोर्ट यूनिट	—	1.13	3.15
	वाराणसी में होटल	—	—	—
	आगरा में होटल (भूमि)	—	—	—

1	2	3	4	5
	आगरा में ट्रांसपोर्ट यूनिट	—	—	3.90
	वाराणसी में होटल @	3.38	2.37	—
	वाराणसी होटल का विस्तार	—	—	2.52
		3.38	3.50	9.57
14.	**पश्चिम बंगाल**			
	एयरपोर्ट होटल, कलकत्ता	—	0.02	15.39
	होटल सिलीगुड़ी लेंड	—	—	—
	दम दम हवाई अड्डे पर फ्लाइट किचन	—	—	—
	कलकत्ता में ट्रांसपोर्ट यूनिट	—	1.13	4.65
	दम दम हवाई अड्डे में फ्लाइट किचन @	1.62	—	—
		1.62	1.15	20.04
15.	**गुजरात**			
	अहमदाबाद में ट्रांसपोर्ट यूनिट जिसे अभी शुरू किया जाना है।	—	—	3.00
16.	**दिल्ली संघ शासित प्रदेश**			
	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	—	66.68	104.54
	कुतब होटल का नवीकरण	—	—	—
	अकबर होटल का विस्तार	0.30	59.73	178.75
	कुतब होटल का विस्तार	58.67	6.26	2.98
	नई दिल्ली में होटल 3-स्टार	—	118.58	156.82
	अशोक होटल, नई दिल्ली का विस्तार	—	16.74	95.07
	अशोक होटल का नवीकरण	60.64	18.19	20.31
	जनपथ, लोदी और रंणजीत का नवीकरण	53.84	18.96	33.58
	लाल किले में एस० ई० एल० शो	—	2.15	—
	अकबर होटल का नवीकरण	4.84	—	8.82
	मैनपावर प्लानिंग और ट्रेनिंग	—	—	0.21

1	2	3	4	5
	आफिस बिल्डिंग	—	35.36	21.40
	दिल्ली में ट्रांसपोर्ट यूनिट	56.61	14.41	12.00
	अशोक नई दिल्ली @	—	—	—
	पालम में डी० एफ० एस०	—	—	—
	कुतब रेस्तरां @	—	—	—
	विज्ञान भवन रेस्तरां	—	—	—
	जोड़	234.90	357.06	636.33
	कुल जोड़	294.96	438.42	840.42

@ विविध स्कीम पर जिसमें कार्यरत यूनिटों में वृद्धि/परिवर्तन और सुधार शामिल हैं, किये गये पूंजीगत योजना व्यय को दर्शाता है।

टिप्पणी : निर्माणाधीन चैसिस और कोचों की प्राप्ति पर व्यय को विभिन्न यूनिटों के लिए निर्धारित कोचों (जब तैयार हो जाएंगी) के आधार पर दर्शाया गया है।

इस्पात का उपयोग करने वाले लघु उद्योगों के पंजीकृत एकक

3054. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात का उपयोग करने वाले लघु उद्योगों के राज्यवार, पंजीकृत एकक कितने हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्टील अथारिटी द्वारा, राज्यवार, वितरित किये गये इस्पात का कोटा क्या है ;

(ग) विभिन्न राज्यों को इस्पात के वितरण का क्या आधार है ; और

(घ) क्या उपभोग करने वाले एककों की लक्ष्य संख्या के बावजूद अन्य राज्यों की तुलना में किसी राज्य को इस्पात की कम मात्रा मिल रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1979 के अन्त में पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की राज्यवार कुल संख्या विवरण में दी गई है। प्रत्येक राज्य को इस्पात का उपयोग करने वाली इकाइयों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) चूंकि इस्पात के विवरण पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है अतः राज्यवार 'कोटा' दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत राज्य लघु उद्योग निगमों को की जाने वाली आपूर्ति के कार्यक्रम की ओर है। इस्पात का उपयोग करने वाली इकाइयों के बारे में पूर्ण विवरण न होने और उनकी क्षमता का अखिल भारतीय आधार पर समान रूप से मूल्यांकन न किए जाने, के कारण उस वर्ष के अपक्रय को बेहतर आधार माना गया है जिसमें इस्पात की उपलब्धि आसान थी और विभिन्न राज्य लघु उद्योग निगमों को की जाने वाली सप्लाई किये जाने वाले कार्य मुख्य रूप से इसी आधार पर आधारित थे लेकिन उन कुछ राज्यों को जिनका भूतकाल का अपक्रय कम था तदर्थ आधार पर कुछ अधिक सप्लाई की गई थी।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	20287
2.	असम	3461
3.	बिहार	16290
4.	गुजरात	24189
5.	हरियाणा	14470
6.	हिमाचल प्रदेश	4832
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	3485
8.	कर्नाटक	15626
9.	केरल	13984
10.	मध्य प्रदेश	24599
11.	महाराष्ट्र	28252
12.	मणीपुर	1687
13.	मेघालय	304
14.	नागालैंड	203
15.	उड़ीसा	6207
16.	पंजाब	29214
17.	राजस्थान	21164
18.	सिक्किम	23

1	2	3
19.	तमिलनाडु	39432
20.	त्रिपुरा	931
21.	उत्तर प्रदेश	29080
22.	पश्चिमी बंगाल	68855
23.	अरुणाचल प्रदेश	145
24.	चंडीगढ़	811
25.	दादर व नागर हवेली	89
26.	दिल्ली	9732
27.	गोवा, दमन और दीव	1303
28.	मिजोरम	289
29.	पांडीचेरी	886
30.	अण्डमान और निकोर	134
	जोड़ :	379968

गुजरात में पर्यटन केन्द्र

3055. **श्री डी० पी० जडेजा :**

श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में पर्यटन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) पूर्ण रूप से विकसित पर्यटन केन्द्रों के नाम क्या हैं ;

(ग) अविकसित पर्यटक केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु इन पर्यटन केन्द्रों का विकास करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) गुजरात राज्य में पर्यटक केन्द्रों के संबंध में केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। विदेशी पर्यटकों द्वारा पहले से ही जिन पर्यटक केन्द्रों की यात्रा की जाती है, वे हैं—अहमदाबाद, पालिताना (अपने मन्दिर-समूहों के लिए) और गीर वन्य जीव

विहार-स्थल । विभिन्न योजना अवधियों के दौरान केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत विकसित किए गए पर्यटक केन्द्रों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

पहले ही प्रदान की गई सुविधाओं के अतिरिक्त, भारत पर्यटन विकास निगम ने निजी क्षेत्र के अन्तर्गत अहमदाबाद में निर्मित एक होटल का प्रबन्ध हाल ही में अपने हाथ में ले लिया है । इस होटल का नाम होटल अशोक करनावती रखा गया है ।

राज्य की तरफ और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से भविष्य में पर्यटन का विकास करने हेतु, राज्य पर्यटक अधिकारियों से यात्रा परिपथों का पता लगाने और इन परिपथों के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रों पर सुविधाओं के विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है । इन प्रस्तवों की प्रतीक्षा की जा रही हैं ।

विवरण

गुजरात

द्वितीय, तृतीय योजनाओं, तीन वार्षिक योजनाओं, चौथी योजना और पांचवी योजना तथा 1978-79 और 1979-80 के दौरान केन्द्रीय सेक्टरके अन्तर्गत गुजरात में प्रारम्भ की गई पर्यटन स्कीमों को दर्शाने वाले विवरण :

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	व्यय
		(रुपये)
1.	पर्यटन ब्यूरो, अहमदाबाद	5,046
भाग—1	**तृतीय पंचवर्षीय योजना**	
1.	लोथाल में जल आपूर्ति	68,860
2.	सैमन में विश्राम गृह में सुधार	1,07.310
3.	केशोद हवाई अड्डे और ससन तथा ससन से गीर के बीच परिवहन सुविधाएं ।	62,031
भाग—2		
1.	पोरबन्दर में एल० आई० जी० विश्राम गृह ।	33,188
2.	चोरवद में हालिडे होम ।	50,000
3.	नालसरोवर में कैफेटेरिया ।	25,000
4.	लोथाल में कैन्टीन-कम-रिटायरिंग रूम ।	98,820
		4,45,209

वार्षिक योजना 1966-67

1.	लोथाल में जल आपूर्ति (स्पिलओवर)।	1,000
2.	लोथाल में कैन्टीन-कम-रिटायरिंग रूम।	31,000
3.	ससनगीर में फारेस्ट बंगले में सुधार।	13,000
		45,000

वार्षिक योजना 1967-68

1.	लोथाल में जल आपूर्ति स्कीम (स्पिलओवर)।	5,000
2.	लोथाल कैन्टीन-कम-रिटायरिंग रूम (स्पिलओवर)।	10,000
3.	लोथाल में कैफेटेरिया तक पहुंच मार्ग।	30,000
4.	साबरमती में पर्यटक बंगला।	6,000
		51,000

1968-69

1.	पर्यटक बंगला, साबरमती	73,000

चौथी पंचवर्षीय योजना

.	साबरमती आश्रम में पर्यटक बंगला।	3,63,000
2.	साबरमती आश्रम में सोन-एट-लुमियर शो।	12,00,000
3.	गीर फारेस्ट में विश्राम गृह।	9,14,000
4.	गांधीनगर में युवा होस्टल।	3,24,000
5.	पोरबन्दर में पर्यटक बंगला।	5,00,000
6.	गीर वन्य जीव बिहार-स्थल में दो मिनी बसों की व्यवस्था।	82,000
		33,83,000

पांचवी पंचवर्षीय योजना

1974-75

1.	गांधीनगर में युवा होस्टल ।	8,085
2.	पोरबन्दर में पर्यटक बंगला ।	3,57,850
3.	ससनगीर में फारेस्ट लॉज ।	1,11,000
		4,76,935

1975-76

1.	गांधीनगर में युवा होस्टल ।	68,295
2.	पोरबन्दर में पर्यटक बंगला ।	1,77,037
		2,45,332

1976-77

1.	गांधीनगर में युवा होस्टल ।	312
2.	पोरबन्दर में पर्यटक बंगला ।	40,380
3.	ससनगीर में फारेस्ट लॉज ।	1,93,354
		2,31,0,46

1977-78

ससनगीर में वनगृह (भारत पर्यटन विकास निगम के माध्यम से उपस्कर और साज-समान के लिए) ।	6,59,000

1978-79

1.	ससनगीर में मिनी बसें (2) ।	2,20,000
2.	ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम का पुनः प्रस्तुतीकरण ।	4,50,000
		6,70,000

1979-80

ध्वनि तथा प्रकाश प्रदर्शन	58,000
कुल जोड़	31,64,750

केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं की रूपरेखा

3056. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए "ट्रेविलसर्किट्स" में न आने वाले केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं की रूपरेखा तैयार की गई है ;

(ख) उपरोक्त सर्किट में आने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है जिनका विकास किया जाना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अधिकाधिक संख्या में आकर्षित करने हेतु तदनुकूल सुविधाओं की व्यवस्था करने की दृष्टि से, राज्य पर्यटक अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय आधार पर बैठकों का आयोजन किया गया था । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है, उनमें ये उपाय शामिल हैं । (1) यात्रा परिपथों (ट्रेविलसर्किट्स) का पता लगाना और (2) इन यात्रा परिपथों के अन्तर्गत आने वाले पर्यटक केन्द्रों पर समुचित आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना । इसके अनुसरण में, राज्य पर्यटक अधिकारियों से अपेक्षित विकास की रूपरेखा तैयार करने और भेज देने के लिए अनुरोध किया गया है । रूपरेखा की प्रतीक्षा की जा रही है ।

फ्रांस से एल्यूमिनियम का आयात

3057. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने एल्यूमिनियम का आयात करने के लिए फ्रांस से दीर्घकालिक करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत पोलैंड कपड़ा व्यापार करार

3058. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में हस्ताक्षर किए गए भारत पोलैंड कपड़ा व्यापार करार के अन्तर्गत सूती कपड़ा निर्यात विकास परिषद ने पोलैंड को निर्यात की जाने वाली कुछ कपड़ा-मदों के लिए उत्पादन मूल्य से भी कम मूल्य अंकित किये है ; और

(ख) यदि हां, तो मदों के क्या नाम हैं और इस करार से होने वाला कुल घाटा कितना होगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं। पोलैंड को सूती वस्त्र की तदों की सप्लाई के लिए एक संविदा के अन्तर्गत निर्यातकों के एक समूह द्वारा प्राप्त की गई कीमत चालू अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के समान है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में रेशम उत्पादन उद्योग का विस्तार

3059. **श्री आर० पी० दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रेशम उत्पादन उद्योग का विस्तार संबंधी विश्व-बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजना की सहायता-धनराशि का राज्य-वार वितरण क्या है ; और

(ख) भारत स्वीश करार के अन्तर्गत भारत में रेशम-उत्पादन उद्योग के विस्तार संबंधी धनराशि का राज्यवार वितरण क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) विश्व बैंक ने कर्नाटक राज्य में रेशम उत्पादन उद्योग को विकसित करने के लिए हाल ही में राज्य सरकार के लिए सहायता कार्यक्रम का अनुमोदन किया है। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत परिव्यय की राशि 79.85 करोड़ रु० है। जिसमें से विश्व बैंक की सहायता 45.36 करोड़ रु० है।

(ख) रेशम उत्पादन उद्योग के विकास के लिए अलग-अलग राज्यों को स्विटजरलैंड की सरकार से वित्तीय सहायता देने का कोई कार्यक्रम नहीं हैं। तथापि वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के अन्तर्गत स्विटजरलैंड सरकार केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधीन मैसूर स्थित उष्ण कटिबंधीय रेशम उत्पादन उद्योग में प्रशिक्षण तथा गवेशणा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना हेतु 1.95 मिलियन स्विस फ्रैंक अथवा लगभग 97.5 लाख रु० की राशि देने के लिए सहमत हो गई है। इसी करार के अन्तर्गत सहायता का कुछ भाग केन्द्रीय रेशम उत्पादन उद्योग गवेषणा केन्द्र, बरहामपुर, पश्चिम बंगाल के लिए उपलब्ध रहेगा।

सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंबई के अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए 'टाइम स्केल' लागू करना

3060. **आर०पी०दास** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंबई के अधीन काम करने वाले सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए 'टाइम स्केल' लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० की इस्पात वितरण नीति का असफल रहना

3061. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता हैं कि इस्पात उत्पादन कम होने और इस्पात का आयात पुन: आरम्भ किए जाने के बावजूद स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के संयंत्रों में अनबिका स्टाक बढता ही जा रहा है ;

(ख) क्या इससे स्पष्ट पता चलना है कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० की इस्पात वितरण नीति असफल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं। यह सच नहीं है कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के कारखानों में अनबिका स्टाक बढ़ रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक को लूटा जाना

3062. **श्री एन०ई० होरो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 18 अप्रैल, 1980 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि छः सशस्त्र व्यक्तियों ने पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक से 3 लाख रुपये लूटे और बैंक के एक ग्राहक की बाहर खड़ी कार में बैठकर रफूचक्कर हो गये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क)और (ख) 16 अप्रैल 1980 को पंजाब एण्ड सिंध बैंक की शाखा को लूटने की तो कोई घटना नहीं हुई, अलबत्ता, 16 अप्रैल, 1980 को पंजाब नेशनल बैंक की अरगोरा कालोनी (रांची) शाखा अवश्य लूट ली गयी थी। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 6 या 7 सशस्त्र डकैतों का एक गिरोह दोपहर 1.50 बजे बैंक की शाखा में घुसा और टेलीफोन कनेक्शन काटने के बाद उसने शाखा प्रबंधक और प्रधान कैशियर को पिस्तौल की नोक पर नकदी की तिजोरी को खोलने के लिये मजबूर कर दिया और काउन्टर तथा तिजोरी में पड़े हुए 3,26,466 रुपये लूट ले गया। डकैत, कर्मचारियों तथा एक ग्राहक की चार घड़ियां भी ले गये। ये डकैत, बाहर खड़ी एक ग्राहक की कार ले कर भाग गये। जब कार तेजी से जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे छोड़ दिया गया। 37860/- रुपये की राशि जो उस छोड़ी हुई कार में पड़ी मिली थी, उसे बैंक द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया। बैंक ने यह मामला पुलिस को सूचित कर दिया है जिसने अभी तक 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में अनुसंधान और विकास कार्य के लिए प्रयोगशाला स्थापित करना

3063 **श्री निहाल सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में अनुसंधान और विकास कार्य की गति बढ़ाने और उन्हें ठोस अधिकारी प्रदान करने के लिए 15 करोड़ रुपये की एक प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण कार्य के कब पूरा होने की संभावना है और वहां कितने वैज्ञानिकों के कार्य करने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क)और (ख) सरकार इस्पात प्रोद्योगिकी के लिए अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके निर्माण कार्य की समय-सारिणी तथा कार्मिकों की आवश्यकता आदि का ठीक-ठीक पता इस बारे में अन्तिम रूप से निर्णय ले लिए जाने के पश्चात ही लग सकेगा।

लौह अयस्क का निर्यात किये जाने वाले देश

3064. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौह अयस्क का अभी भी निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो 1978-79 और 1979-80 के दौरान कितनी मात्रा में और किस किस्म के अयस्क का निर्यात किया गया ;

(ग) उपरोक्त अवधि में किस-किस देश को और कितना-कितना निर्यात किया गया ; और

(घ) चालू वर्ष 1980-81 के लिए सरकार की नीति क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख)	वर्ष	मात्रा (मिलियन मे० टन में)
	1978-79	21·46
	1979-80	24·87

इस अवधि के दौरान निर्यात किए गए लौह अयस्क की क्वालिटी में लोहांश 60 से 66 प्रतिशत के बीच अलग-अलग है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) चालू नीति के अन्तर्गत लोह अयस्क का निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के द्वारा सरणीवत किया जाना जारी रहेगा । इसमें गोआ के प्राइवेट पंजीयित निर्यातकों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें ऐतिहासिक कारणों से कुछ विशिष्ट गन्तव्य स्थानों को गोआ में उत्पन्न लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति दी गई है ।

विवरण

(मात्रा लाख मे० टन में)

देश	निर्यात की गई मात्रा 1978-79	1979-80
1	2	3
जापान	151·99	169·76
रूमानिया	32·61	35·62
चैकोस्लोवाकिया	1·70	2·82
हंगरी	0·72	0·65
जर्मनी (जी० डी० आर०)	4·30	5·04
युगोस्लाविया	2·69	4·20
दक्षिण कोरिया	13·29	20·53
चीन	0·54	0·65
आबू धाबी	1·35	1·53

1	2	3
ईराक	0·71	—
संयुक्त अरब अमीरात	0·20	—
उत्तरी कोरिया	—	0·31
दुबाई	—	0·68
ताइवान	1·42	2·44
पश्चिम यूरोप	2·12	2·72
खाड़ी के देश	0·47	—
सं० राज्य अमरीका	—	0·55
योग	214·61	248·71

या 21·46 मिलियन मे० टन या 24·87 मिलियन मे० टन

कंट्रोल के कपड़े के कोटे में वृद्धि के लिए राज्यों से अनुरोध

3065. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री छोटू भाई गामित :
श्री अर्जुन सेठी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रायः सभी राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से कन्ट्रोल के कपड़े के कोटा में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि समाज में कमजोर वर्गों से विशेष रूप से कन्ट्रोल के कपड़े की भारी मांग है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि समाज का कमजोर वर्ग कन्ट्रोल के कपड़े की वर्तमान वितरण पद्धति से सन्तुष्ट नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग लाभान्वित हो सकें ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) राज्यों से कन्ट्रोल के कपड़े की मांग में कुछ वृद्धि रही है जिसका कारण स्पष्टतया यह है कि इस कपड़े की उपभोक्ता कीमत, जो 1974 से स्थिर रही गैर-कन्ट्रोल के कपड़े की बढ़ती हुई कीमतों के संदर्भ में बहुत अनुकूल बैठती है । विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कन्ट्रोल के कपड़े के कोटे एक वर्ष के 400 मिलियन वर्ग मीटर के उत्पादन स्तर के संदर्भ में जनसंख्या के आधार पर नियत किये गये हैं । प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिला/क्षेत्र को आवंटन राज्य सरकारों द्वारा अपनी वितरण

नीति के अनुसार किया जाता है। सरकार की सामान्य नीति यह है कि कन्ट्रोल का कपड़ा समाज के कमजोर वर्गों को जो अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, को बिक्री के लिए आरक्षित किया जानाचाहिए। देश में कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण के लिए कार्यरत कुल 57,140 खुदरा केन्द्रों में से 44,777 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। वितरण को अधिक कारगर तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के उद्देश्य से कन्ट्रोल के कपड़े की बिक्री को विनियमित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये। तथापि राज्य के अन्दर कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण का उत्तरदायित्व उस विशेष राज्य सरकार का है।

मंगलौर संयंत्र द्वारा निर्मित इस्पात-पिण्डों के लिए सम्भावित बाजार

3066. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर स्थित संयंत्र कुद्रेमुख लौह अयस्क सान्द्र (कन्सन्ट्रेट) का इस्तेमाल इस्पात-पिंड बनाने के लिए करेगा ;

(ख) क्या सरकार ने मंगलौर संयंत्र द्वारा 1984 से बनाये जाने वाले इस्पात-पिंडों के लिए संभावित बाजारों का पता लगाने के लिए प्रयास आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) मंगलौर में पैलेट बनाने का एक कारखाना लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है इस कारखाने में कुद्रेमुख में उत्पादित सांद्रण का उपयोग किया जायेगा।

उड़ीसा में 1979-80 और 1980-81 के दौरान पर्यटन के विकास हेतु नियतन

3067. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** :

श्री गिरिधर गोमांगो : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 1979-80 और 1980-81 के दौरान पर्यटन के विकास हेतु कितनी धनराशि का नियतन किया गया था ;

(ख) इस बारे में योजनाएं क्या हैं और अलग-अलग योजना के लिये कितना नियतन किया गया था ; और

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	योजना आबंटन 1979-80	1980-81	वर्तमान स्थिति
1.	भुवनेश्वर में यात्री लॉज का विस्तार (आई० टी० डी० सी०)	7·00	2·00	भुवनेश्वर में 12 कमरों (24 बैड) वाले यात्री लॉज का अब विस्तार कर दिया गया है और इसे 17 दिसम्बर, 1979 से 38 कमरों/76 बैड वाले एक होटल के रूप में चालू किया गया है।
2.	पुरी में एक होटल का निर्माण (आई० टी० डी० सी०)	30·00	25·00	राज्य पर्यटन विकास निगम के साथ एक संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में पुरी में एक होटल स्थापित करने का प्रस्ताव है। परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु एक समिति गठित की गई है जिसमें भारत पर्यटन विकास निगम और उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के प्रतिनिधि शामिल है।
3.	कोणार्क में समुद्र-तटीय कुटीरों का निर्माण (आई० टी० डी० सी०)	20·00	25·00	उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के साथ सहयोग करते हुए कोणार्क में 30 समुद्र-तटीय कुटीरों के निर्माण का प्रस्ताव है।
4.	सिमलो पाल नेशनल पार्क में बन लॉज (पर्यटन विभाग)	—	10.00	राज्य सरकार के परामर्श से स्थल का चयन किया जाना है।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उड़ीसा में भुवनेश्वर, कोणार्क और अन्य स्थानों पर चलाये जाने वाले होटल

3068. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उड़ीसा में भुवनेश्वर, कोणार्क तथा अन्य स्थानों पर चलाये जाने वाले होटल आरम्भ से ही लाभ कमा रहे हैं ; और

(ख) अलग-अलग होटलों में वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में क्रमश: कितने-कितने कमरे थे, उन कमरों के अनुपात में उनमें कितने यात्री ठहरे, उनसे कितनी आय हुई, कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई तथा कितना टैक्स पूर्व लाभ हुआ ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) भुवनेश्वर में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित यात्री गृह ने 1971-72 से 1978-79 तक लाभ अर्जित किया। इस यात्री गृह का विस्तार करने के उपरान्त इसे एक होटल के रूप में बदल दिया गया और 17.2.80 को इसे चालू कर दिया गया। चूंकि 1979-80 के दौरान अतिरिक्त कमरे केवल लगभग 3 महीनों के आबंटन हेतु उपलब्ध हुये थे, इसलिए पूरे वर्ष भर मूल्य-ह्रास होने और ब्याज के कारण इस यूनिट द्वारा हानि उठाए जाने की संभावना है। कोणार्क में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित यात्री गृह प्रारम्भ से ही आकुपेंसी के कम होने तथा गैर किफायती साइज के कारण नुकसान उठाता आ रहा है।

(ख) 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान इन यूनिटों के कमरों की सख्या, आकुपेंसी अनुपात, आय और लाभ/हानि नीचे दर्शाई गई है:-

विवरण

	अशोक यात्री गृह भुवनेश्वर (1979-80 के दौरान विस्तारित तथा होटल कलिंग अशोक के रूप में परिवर्तित)			**अशोक यात्री गृह, कोणार्क**		
	1977-78	1978-79	1979-80	1977-78	1978-79	1979-80
कमरों की संख्या	12	12	38*	4	4	4
आकुपेंसी अनुपात	65%	64%	53%	25%	25%	34%

*26 अतिरिक्त कमरे 1.1.1980 से चालू किए गये।

आय (रुपए लाखों में)	3.19	3.11	6.72	0.39	0.45	0.81
विदेशी आय (")	—	—	0.45**	शून्य	शून्य	शून्य
परिचालन लाभ (")	1.16	0.93	1.80	(—)0.35	(—) 0.60	(—)0.26
निवल लाभ/हानि (कर से पूर्व) (रुपए लाखों में)	0.80	0.60 (—)	3.00	(—)0.47	(—) 0.70	(—)0.40

आई० डी० बी० आई० और आई० एफ० सी० आई० द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता दिया जाना

3069. **श्री नवीन रवाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० डी० बी० आई० औद्योगिक वित्त निगम ने वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान स्वस्थ और सुचारु रूप से चल रहे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 'आसान शर्तों पर ऋण योजना' के रूप में कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की थी ;

(ख) उनमें से कितने और कौन से प्रतिष्ठान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम कम्पनियों के और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कम्पनियों से सम्बन्धित थे ।

(ग) क्या ऋण देने वाले सरकारी क्षेत्र की यह संस्थाएं अब बड़े गृहों को आसान शर्तों पर ऋण को सीमित करना चाहती हैं और छोटे एककों को अधिक देना चाहती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (घ) यथा संभव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

होटलों द्वारा ऋण का वापसी भुगतान न किया जाना

3070. **श्री आर० के० महालगी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होटल उद्योग के लिये विकास निधियों के जरिए सरकार ने जिन होटलों को वित्तीय सहायता दी है उनमें से अनेक होटलों ने ऋण का वापसी भुगतान नहीं किया है :

(ख) 1968-79 के दौरान होटल उद्योग को कुल कितनी राशि अग्रिम राशि/ऋण रूप में दी गई है ; और

** होटल ने 17.1.80 से विदेशी मुद्रा अर्जित करनी प्रारम्भ कर दी ।

(ग) गत पांच वर्षों का इन ऋणों के वापसी भुगतान का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं। अप्रैल, 1969 से जनवरी, 1974 तक की अवधि के दौरान होटल विकास ऋण निधि योजना के अधीन जो उस समय विभागीय तौर पर परिचालित की जा रही थी, 13 होटल कम्पनियों को 14 होटल परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इन 13 कम्पनियों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

1. 3 कम्पनियों द्वारा समस्त देय धन-राशि की अदायगी कर दी गयी है।

2. 6 कम्पनियों से ऋण की किस्तों की अदायगी प्राप्त हो रही है।

3. 4 कम्पनियों द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की जा रही है। सरकार को देय कुल राशि की वसूली के लिए इनमें से एक कम्पनी द्वारा दी गई बीमा-गारन्टी को भुनाया जा रहा है। बाकी 3 दोषी कम्पनियों से ऋण वसूल करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ख) 1968-79 के दौरान होटल उद्योग को अग्रिम राशि/ऋण रूप में दी गई कुल राशि निम्नलिखित है :—

(रुपए लाखों में)

संस्थान का नाम	स्वीकृत राशि			संवितरित राशि		
	ऋण	अंडर-राइटिंग	जोड़	ऋण	अंडर-राइटिंग	जोड़
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०)	614.00	107.30	721.30	473.40	60.20	533.60
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई०एफ०सी०आई०)	1099.25	59.85	1159.10	934.75	33.67	968.42
भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई०सी०आई०सी०आई०)	552.00	84.00	636.00	478.00	50.00	528.00
होटल विकास ऋण बोर्ड (एच०डी०एल०बी०) (तत्कालीन)	615.59	—	615.59	601.54	—	601.54
जोड़ :—	2880.84	251.15	3131.99	2487.69	143.87	2631.56

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान उपरिलिखित ऋण की वापसी का ब्यौरा इस प्रकार है :—

संस्थान का नाम	गत 5 वर्षों के दौरान की गयी वसूलियां
	(रुपए लाखों में)
आई० डी० बी० आई	22.00
आई० एफ० सी० आई०	118.08
आई० सी० आई० सी० आई०	95.10
तत्कालीन एच० डी० एल० बी०	241.28
जोड़ :	476.46

वाणिज्य बैंकों की धनराशियां जुटाने की योजनाएं

3071. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी वाणिज्यिक बैंकों ने धनराशियां जुटाने की योजनाएं आरम्भ की हैं और अपने कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है जो जुटायी गई धनराशियों के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस प्रोत्साहन योजना पर आपत्ति उठाई है और वाणिज्यिक बैंकों से प्रोत्साहन देने के स्थान पर प्रमाण पत्र देने को कहा है ; और

(ग) क्या वाणिज्यिक बैंकों ने यह बताया है कि प्रोत्साहन वापस लिये जाने की धन-राशियां जुटाने के कार्यक्रम पर गम्भीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले पर पुनर्विचार किया है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक ने सूचित किया गया है कि कई बैंकों ने जमाराशियां जुटाने की ऐसी योजनायें तैयार की थीं जिनमें अपने कर्मचारियों को वस्तुओं के रूप में प्रोत्साहन देने की व्यवस्था थी । चूंकि उनके द्वारा जुटाई गई जमाराशियों के लिए उन्हें इस प्रकार के प्रोत्साहन देने से रिजर्व बैंक के उन निदेशों का उल्लन्घन होता है जो बैंकों को जमाराशियों के लिए दलाली की अदायगी पर रोक लगाते हैं, इसलिये रिजर्व बैंक ने उक्त बैंकों से कहा कि जमाराशियां जुटाने में कर्मचारियों की अन्तर्ग्रस्तता को, जिसे उनके सामान्य कार्य का एक भाग ही माना जाना है, बैंकों द्वारा योग्यता-प्रमाण पत्र, प्रशंसा-पत्र आदि देकर, उनकी सराहना अभिलिखित करके प्रोत्साहन दिया जाय । परन्तु, रिजर्व बैंक ने बैंकों को उन योजनाओं को जारी रखने की अनुमति दे दी है जिनमें किसी शाखा को ऐसे प्रोत्साहनों की अदायगी अंतर्ग्रस्त होती है जो उसके सभी कर्मचारियों में बराबर-बराबर विभाजित

की जाती है, क्योंकि इस प्रकार की योजनाओं से जमाराशियों के लिये दलाली की अदायगी सम्बन्धी उसके निदेशों का उल्लंघन नहीं होता ।

(ग) रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसे किसी बैंक ने यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि यदि कर्मचारियों को व्यक्तिशः वस्तु के रूप में प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा तो जमाराशियां जुटाने के अभियान को जबरदस्त धक्का लगेगा ।

उड़ीसा में गरम पानी के चश्मों की संख्या

3072. **श्री० के० पी० सिंह देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गरम पानी के कितने चश्मे हैं और उनके नाम क्या हैं तथा वे कहां-कहां पर हैं ;

(ख) इन चश्मों पर जाने वाले पर्यटकों को क्या सुविधायें उपलब्ध हैं; और

(ग) इन गरम पानी के चश्मों के स्थान पर पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) उड़ीसा में गरम पानी के चश्मों की संख्या सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है, अतएव उनकी ठीक-ठीक संख्या/स्थिति के बारे में सूचना दे पाना संभव नहीं है ।

(ख) और (ग) चूंकि गर्म पानी के इन चश्मों के संबंध में मुख्य रूप से स्वदेशी पर्यटक ही रुचि लेंगे, इसलिए उनके विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी ।

इस्पात कारखाने

3073. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 के दौरान इस्पात संयंत्रों की क्षमता का उपयोग सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : निम्न सारणी में वर्ष 1979-80 के दौरान छः सर्वतोमुखी इस्पात करखानों में इस्पात पिण्ड और विक्रेय इस्पात की क्षमता का उपयोग दिखाया गया है :—

विवरण

कारखाने का नाम	इस्पात पिण्ड	विक्रेय इस्पात
	निर्धारित क्षमता के उपयोग का प्रतिशत	निर्धारित क्षमता के उपयोग का प्रतिशत
भिलाई	84.3	86.8
दुर्गापुर	55.1	48.7
राउरकेला	70.4	85.3
बोकारो	57.0	42.5
इस्को	56.5	53.8
सेल	66.5	63.5
टिस्को	89.0	96.5
सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने	70.4	69.2

आय-कर सम्बन्धी छापे

3074. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अधीन आय-कर विभाग तथा अन्य एजेन्सियों ने 1 फरवरी से 25 मई, 1980 के बीच देश में कर-अपवंचन का पता लगाने के लिये कितने छापे मारे;

(ख) जिन व्यक्तियों के घरों अथवा व्यापारिक परिसरों पर छापे मारे गए उनका विवरण क्या है ; और

(ग) इन छापों का प्रत्येक मामले में वित्तीय परिणाम क्या रहा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) आयकर विभाग ने, 1 फरवरी 1980 से 31 मई, 1980 तक की अवधि के दौरान संदिग्ध कर अपवंचन से सम्बद्ध मामलों के बारे में 933 छापे मारे।

(ख) और (ग) इन तलाशियों में जब्त की गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य 403.46 लाख रु० है प्रत्येक तलाशी के मामले से सम्बन्धित नाम तथा अभिग्रहण का ब्यौरा देने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा। तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी तलाशी विशेष के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना चाहते हों, तो वह प्रस्तुत की जायगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण और जमा खातों का अनुपात

3075. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों का इस समय क्षेत्र-वार एवं राज्यवार ऋण और जमा राशियों के बीच अनुपात कितना है ;

(ख) इस दिशा में राष्ट्रीयकृत बैंकों को आम तौर पर पूर्वी क्षेत्र में और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में कार्य-निष्पादन बहुत बिगड़ा हुआ होने के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने हेतु यदि कोई कदम उठाये जा रहे है तो क्या ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) जून, 1979 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के क्षेत्रवार/राज्यवार ऋण जमा अनुपात के बारे में ताजा उपलब्ध आंकड़े विवरण में दिये गये हैं ।

(ख) अनुबंध में दिये गये आंकड़ों से प्रकट होता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य-निष्पादन सामान्यतः पूर्वी क्षेत्र में अथवा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में सबसे खराब नहीं कहा जा सकता । फिर भी यह समझा जाता है कि पूर्वी क्षेत्र में तथा साथ ही साथ उत्तर पूर्वी और केन्द्रीय क्षेत्रों में ऋण-प्रसार के मामले में बैंकों के कार्य-निष्पादन में काफी सुधार की आवश्यकता है । राष्ट्रीयकरण से पहले ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा के कारण पिछली कमी के कारण शाखा जाल की बहुत कम व्याप्ति, मूल ढांचे के विकास की कमी, अच्छे कारोबार की सम्भावना वाले सीमित विकास केन्द्र, सामान्यतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और विशेषतः कृषि में निवेश का निम्न स्तर आदि जैसे बहुत से कारणों से इस क्षेत्र के बैंकिंग के विकास में असंतुलन पैदा हुआ है ।

(ग) सरकार कम विकसित क्षेत्रों में अपर्याप्त ऋण प्रसार के बारे में काफी चिंतित है । बैंकों से कहा गया है कि वे सामान्यतः प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में और विशेष रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम के लाभान्वितों को अधिकाधिक ऋण सहायता सुनिश्चित करने की ओर विशेष ध्यान दें और इसके लिए प्रयास भी करें । आशा है कि इस कदम से कम विकसित क्षेत्रों में बैंक ऋणों का अधिकाधिक प्रसार हो जायेगा । विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लिए, एक स्थायी कार्यकारी दल का गठन किया गया है ताकि इस राज्य में बैंकों द्वारा अपने ऋण प्रसार में वृद्धि करने के वास्ते किये गये उपायों की निगरानी की जा सके ।

विवरण

ऋण जमा अनुपात

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		ऋण जमा अनुपात (%)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		**9.36**
1.	हरियाणा	66.2
2.	हिमाचल प्रदेश	28.0
3	जम्मू और कश्मीर	34.0
4.	पजाब	38.4
5.	राजस्थान	69.1
6.	चण्डीगढ़	366.1
7.	दिल्ली	114.3
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		**34.8**
1.	असम	39.4
2.	मणिपुर	21.8
3.	मेघालय	19.1
4.	नागालैंड	29.5
5.	सिक्किम	3.4
6.	त्रिपुरा	41.1
7.	आरुणाचल प्रदेश	10.0
8.	मिजोरम	6.7
पूर्वी क्षेत्र		**53.9**
1.	बिहार	40.4
2.	उड़ीसा	58.2
3.	पश्चिम बंगाल	59.2
4.	अण्डेमान एण्ड निकोबार द्वीपसमूह	22.5

1	2	3
केन्द्रीय क्षेत्र		**49.1**
1.	मध्यप्रदेश	53.5
2.	उत्तरप्रदेश	47.5
पश्चिमी क्षेत्र		**66.9**
1.	गुजरात	51.8
2.	महाराष्ट्र	74.6
3.	दादर एवं नागर हवेली	70.0
4.	गोवा दमन एवं दीव	37.7
दक्षिणी क्षेत्र		**82.1**
1.	आंध्र प्रदेश	76.7
2.	कर्नाटक	81.7
3.	केरल	67.0
4.	तमिलनाडु	94.0
5.	लक्षद्वीव	10.0
6.	पाण्डेचरी	61.3
	कुल जोड़	70.0

आंकड़े अनन्तिम हैं ।

सिंधानिया इन्डस्ट्रियल हाउस के सदस्यों से आयकर की वसूली

3076. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मन्त्री सिंधानिया इन्डस्ट्रियल हाउस के सदस्यों पर करों की चोरी तथा एफ० आई० आर० के उल्लंघन के कथित आरोप के बारे में 13 जुलाई, 1979 के अतारांकित प्रश्न सं० 936 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस इन्डस्ट्रियल हाउस के सदस्यों द्वारा की गई आयकर की चोरी की पूरी रकम को वसूल करने के लिए कोई उपाय न किए जाने के क्या कारण है ;

(ख) क्या जुर्माना लगाने के नोटिसों को कार्यान्वित कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) लोक सभा में 13 जुलाई 1979 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 936 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को कार्यान्वित करते समय, सदन को सूचित किया गया था कि सिंधानिया औद्योगिक घराने के सदस्यों द्वारा किये गये आयकर के कथित अपवंचन की कुल रकम लगभग 179.27 लाख रुपये थी। इस औद्योगिक घराने के सदस्यों से बकाया आयकर की बसूली के लिए समय-समय पर कानून के अनुसार, उपाय किये जाते हैं। कुल 8.53 लाख रुपये की रकम पहले ही बसूल की जा चुकी है। अपील के कारण हुई घटौतियों की रकम कुल मिलाकर 61,960 रु० बैठती है। जब तक पहली अपील का निपटान नहीं हो जाता तब तक कर-निर्धारितियों को आयकर अधिनियम की धारा 220 (6) के अन्तर्गत 79·79 लाख रुपये की बकाया के सम्बन्ध में चूककर्ता नहीं माना जा रहा है। कर-निर्धारितियों ने शेष रकम के स्थान के लिए भी आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन किया है और ये आवेदन-पत्र आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन हैं। तथापि, बसूली के लिए देय हो गये करों के सम्बन्ध में, आयकर अधिनियम की धारा 221 (1) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये गए हैं।

(ख) से (घ) लगभग 179-27 लाख रुपये की रकम के कर अपवंचन के मामलों में जारी किये गए आय छिपाने से सम्बद्ध 48 नोटिसों में से आय छिपाने से सम्बद्ध एक मामले में 1·50 लाख रुपये का अर्थ-दण्ड लगाया गया है। अर्थ-दण्ड सम्बन्धी पांच मामलों में कार्यवाही समाप्त कर दी गई हैं। शेष मामलों में कार्यवाही इसलिए अनिर्णीत पड़ी है कि कर-निर्धारणों में की गई वृद्धियों के विरुद्ध अपील की गई है तथा इन अपीलों पर दिये जाने वाले निर्णयों की प्रतीक्षा की जा रही है।

सस्ते किस्म के सूती कपड़ों का उत्पादन

3077. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े औद्योगिक गृहों को कुछ हिदायतें दी हैं कि वे निर्धन व्यक्तियों के कल्याण के लिए अपने उद्योगों में सस्ते किस्म के सूती कपड़े का उत्पादन करें ;

(ख) यदि हाँ, तो यह कितना प्रतिशत है ;

(ग) किन उद्योगों ने इसका प्रत्युत्तर दिया है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सितम्बर, 1979 में चालू की गई सस्ते कपड़े की योजना के अन्तर्गत मिल उद्योग साताना 100 करोड़ मीटर कम कीमत का सूती/विस्कोर्स कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक आधार पर सहमत

है जिसकी अधिकतम उपभोक्ता कीमत 6.36 रु० प्रति मीटर (जिसमें व्यापार मार्जिन, उत्पादन शुल्क, चुंगी आदि शामिल है) से अधिक नहीं होगी ।

(ग) तथा (घ) सितम्बर 1979 से अप्रैल 1980 के दौरान सस्ते कपड़े का कुल उत्पादन 484.47 मिलियन मीटर था (204.29 एन० टी० सी० मिलों द्वारा, 245.41 प्राइवेट मिलों द्वारा तथा 34.77 संसाधित कर्ताओं द्वारा) सूती मिल परिसंघ पर दबाव डाला गया है कि वे सस्ते कपड़े के उत्पादन को बढ़ाएं ताकि वर्ष सितम्बर, 1979 से अगस्त 1980 के दौरान 100 करोड़ मीटर का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके । चूंकि यह योजना स्वैच्छिक आधार पर है इसलिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाना

3078. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संगठनों में यह भारी मांग है कि कुछ प्रतिशत महगाई भत्ता वेतन में मिला दिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संगठनों से विभिन्न प्रयोजनों के लिए मंहगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाए जाने के सम्बन्ध में समन्वयव्यय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) के कर्मचारी पक्ष के साथ हुए समझौते के परिणामस्वरूप उपभोक्ता मुल्य सूचकांक औसत 272 के स्तर पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिए जा सके महगाई भत्ते को, कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति लाभों के प्रयोजन के लिए 30-9-77 से महंगाई वेतन के रूप में माना गया है ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के इस्पात उत्पादों का मूल्य

3079. **श्री नीरेन घोष** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के इस्पात उत्पादों के मूल्य क्या हैं ;

(ख) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उत्पादों का मूल्य कौन निर्धारित करता है—दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के प्रबन्धक या सरकार या रेलवे ; और

(ग) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में निर्मित व्हील सेट का मूल्य क्या है और व्हील सेट का आयातित मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) मुख्य इस्पात कारखानों के (दुर्गापुर इस्पात संयंत्र भी शामिल है) इस्पात उत्पादों के मूल्य संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निश्चित तथा घोषित किए जाते हैं। दुर्गापुर इस्पात कारखाने के उत्पादों के प्रवर्तमान मूल्य विवरण में दिये गए हैं।

(ग) 20 टन वैगन के पहियों की जोड़ी का जहाज तक निष्प्रभार वर्तमान आयातित मूल्य 7069 रुपये है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादित इसी प्रकार के पहियों की जोडी का मूल्य 5370.49 रुपये है।

विवरण

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के इस्पात उत्पादों के प्रवर्तमान मूल्यों के बारे में लोकसभा के दिनांक 4-7-1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3079 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक :

क्षेणी	प्रति टन आधार मूल्य उपयों में रेलवे स्टेशन तक निष्प्रकार		
	मानक	वाणिज्यक	आफ ग्रेड
	भा० मा० : 226	भा० मा० : 1977 एस० टी०—42/ एस० टी०—32	
1	2	3	4
ज्योयस्ट	2534	2523	2611
क्रासिंग स्लीपर बार, बियरिंग प्लेट बार और ज्योयस्ट को छोड़कर संरचनात्मक	2454	2442	2431
		परीक्षित	
शैल ब्लूम		2155	
शैल छड़		*2488	
	भा० मा० 2830	भा० मा० 2831	आफ ग्रेड

1	2	3	4
बिलेट/ आर० सी० स्क्वेयर	2207	2195	2178
ब्लूम और स्लेब	2149	2138	2120
छड़ और तार छड़ क्वायलों में/सीधे	मानक	वाणिज्यिक	आफ-ग्रेड
	भा० मा०—226	भा० मा०—1977 एस० टी०—42/एस० टी० 32	
25 मि० मी० तक	2667	2655	2638
सबसाइजों के चपटे उत्पाद	2819	2808	2791
	परीक्षित	अपरीक्षित	
सीमलैस बार	3228		
स्केल्प	3131	3102	
		आधार मूल्य रुपये/टन कारखाने तक निष्प्रभार	
पहिए (सब श्रेणियों के)		3602	
टायर (मा० रे० मा०—आर०—15)			
1. बी० जी० कैरिज और वैगन टायर डब्ल्यू०—492, डब्ल्यू०—501, बाक्स वैगन टायर)		3292	
2. (कैरिज वैगन और लोको टायर 864 मि० मी० व्यास और उससे कम)		3482	
3. लोको टायर 864 मि० मी० व्यासे से अधिक		3352	
4. डीजिल बिजली लोको और ई० एम० यू० टायर (बी० जी० एम० जी० एन० जी०) वाटर क्विन्च्ड		3937	
धुरें (सब श्रेणियों के)		4480	
स्लीपर (प्रेस्ड)		1682	

टिप्पणी:—

1. सभी वर्तमान जे० पी० सी० अनुभाग/साइज और किस्म आदि तथा चल रही रियायतें चलती रहेंगी।

2. बिलेटों पर इस समय लागू सभी एक्स्ट्रा तथा रियायतें आर० सी० स्क्वायरों पर भी लागू होंगी।

3. उत्पादकों के स्टाकयार्ड से इस्पात के सभी मदों की सुपुर्दगी के लिए उपर्युक्त मूल्यों के अलावा हैन्डलिंग प्रभार 35 रुपये प्रति टन की दर से वसूल किया जायेगा।

इस्को के बर्नपुर तथा कुल्टी स्थित एककों में लगे ठेका श्रमिक

3080. **श्री नीरेन घोष** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के दोनों एककों में गत तीन वर्षों के दौरान कितने ठेका-श्रमिकों को स्थायी पदों के समक्ष नियमित किया गया ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के प्रबन्धक ठेका- श्रमिकों को कारखाने में लिए जाने के बारे में वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर रही पांच मजदूर-यूनियनों के साथ इसकी शर्तों के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश वे गत तीन वर्षों में इन श्रमिकों को विभाग में नहीं ले सके हैं।

उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा धन

3081. **श्री जैनुल बशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितना धन जमा किया गया है और उस राज्य में कितना धन ऋण के रूप में दिया गया था ;

(ख) वर्षवार उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सीमांत किसानों, भूमिहीन किसानों और दस्तकारों को कितना प्रतिशत ऋण दिया गया और उसका अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना विवरण I में दी गयी है।

(ग) सितम्बर, 1975 से सितम्बर, 1978 के अंत की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे और सीमांतिक किसानों तथा उन सम्बद्ध गतिविधियों के वास्ते, जिनमें अधिकांश भूमिहीन मजदूर लगे हुए हैं, दिए गये ऋणों की बकाया राशि के उपलब्ध आंकड़े अनुबंध II में दिए गये हैं।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कारीगरों और शिल्पकारों को दिए गये ऋणों की बकाया राशि के आँकड़े प्रकट करते हैं कि ये आंकड़े दिसम्बर, 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार बढ़कर 36000 ऋण खातों में 4.5 करोड़ रुपए हो गये हैं जबकि दिसम्बर, 1975 में यह 12000 खातों में 1.4 करोड़ रुपए थे ।

विवरण—1

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा राशियां और ऋण

4 जुलाई 1980 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3081

(करोड़ रुपयों में)

दिसम्बर के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	जमा राशियां	ऋण
1975	1126.2	495.2
1976	1439.4	615.8
1977	1700.8	741.9
1978	2123.0	953 8
1979 (जून)	2321.6	1102 9

विवरण—2

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे और सीमांतिक किसानों तथा संबद्ध गतिविधियों को दिए गये ऋण :

(करोड़ रुपयों में)

सितम्बर के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	कुल ऋणों में से कृषि को दिया गया ऋण	
	छोटे और सीमान्तिक किसान	सम्बद्ध गतिविधियां
1975	6.6	2.0
1976	13·4	4·4
1977	24·1	7·3
1978	32·8	9·5
1979*	उ०न०	उ०न०

*आंकड़े अनन्तिम हैं ।

वाराणसी से बम्बई तक की सीधी विमान सेवा

3082. श्री जेनुल बशर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्यटन की दृष्टि से वाराणसी के महत्व के बारे में जानकारी है ;

(ख) अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वाराणसी का विकास करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वाराणसी से बम्बई तक की इन्डियन एयरलाइन्स की सीधी विमान सेवा आरम्भ करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) जी, हां ।

(ख) वाराणसी में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) भारत पर्यटन विकास निगम 30.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर वाराणसी स्थित अपने वर्तमान होटल में 36 कमरों की वृद्धि करते हुए उसके विस्तार का कार्य प्रारम्भ करेगा । इस उद्देश्य के लिए भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 1980-81 में 10.00 लाख रुपए का एक प्रावधान किया गया है ।

(2) पर्यटन विभाग की पर्यटन संवर्धन योजना के अधीन, विभाग द्वारा बड़ी संख्या में यात्रा अभिकर्ताओं, यात्रा लेखकों, फोटोग्राफरों, टेलीविजन/फिल्म निर्माताओं, आदि को जो विभाग द्वारा पर्यटन विभाग के अतिथियों के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं ; परिचायक दौरे पर वाराणसी ले जाया जाता है ताकि वे बदले में वाराणसी का संवर्धन और प्रचार कर सकें ।

(3) 1980-81 के दौरान निम्नलिखित पर्यटक प्रचार साहित्य के प्रकाशन का कार्यक्रम है जिसमें वाराणसी भी समाविष्ट होगा :—

1, अंग्रेजी में उत्तर प्रदेश ब्राशर ;

2, जर्मन, इटैलियन और स्पेनिश में दिल्ली और उत्तरी भारत ब्राशर ;

3. अंग्रेजी में वाराणसी—बोध गया फोल्डर ;

4. अंग्रेजी और सिंहली में बौद्ध तीर्थों संबंधी फोल्डर ;

5. अंग्रेजी में—इन्डिया दि राइट प्लेस—दि टूरिस्ट मैप आफ इन्डिया

(ग) जी, नहीं ।

पाकिस्तान को चांदी की तस्करी

3083. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को चांदी तथा चांदी के सिक्कों की तस्करी काफी समय से जारी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोटा) : (क) सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि काफी अरसे से चांदी चोरी-छिपे पाकिस्तान भेजी जा रही है । फिर भी, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई जिस चांदी को भू-सीमा से चोरी-छिपे पाकिस्तान भेजने का प्रयास किया जा रहा था, उसकी मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	चांदी की मात्रा किलोग्राम में	मूल्य (लाख रुपयों में)
1977	—	—
1978	—	—
1979	1009	20
1980 (मई 1980 तक)	745	22

(ख) भारत-पाकिस्पान सीमा स्थित सीमा शुल्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों, सीमा-सुरक्षा बल और राज्य पुलिस प्राधिकारियों को, भू-सीमा से चांदी चोरी-छिपे पाकिस्तान भेजने के किसी भी प्रयास के प्रति पूर्णतः सतर्क रहने के लिए चौकस कर दिया गया है ।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय IV- ख के उपबन्धों को, जिनमें चांदी स्टोर करने, उसे लाने ले जाने और उसकी बिक्री संबंधी नियामक उपबन्ध दिए गए हैं, 27 मार्च, 1980 से, भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ 50 किलोमीटर की पट्टी पर भी लागू कर दिया गया है ।

मंदसौर (मध्य प्रदेश) में पोस्त की भूसी का उत्पादन

3084. **श्री वी० आर० नहाटा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में विगत 4 वर्षों में अर्थात् 1976 से 1980 के दौरान पोस्त की भूसी का कितना उत्पादन हुआ और इस अवधि में पोस्त की इस भूसी का क्या उपयोग किया गया है ;

(ख) क्या पोस्त की भूसी का उपयोग करके उस क्षेत्र में एक एल्कालायड कारखाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव था और क्या इसे रद्द कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में स्थानीय प्रतिष्ठानों के साथ अथवा विदेशी सहयोग के साथ पोस्त की भूसी पर आधारित एक अन्य कारखाना स्थापित करने के लिये कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई वरोट) : (क) मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले में विगत चार वर्षों में पोस्त की भूसी का अनुमानित उत्पादन निम्नानुसार है :-

फसल वर्ष	पोस्त की भूसी का अनुमानित उत्पानन (मी० टन में)
1976-77	9,450
1977-78	10,607
1978-79	9,076
1979-80	5,012

पोस्त की भूसी का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए किया जाता है :-

(1) विदेशों को मुख्यतया दवाइयों और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए निर्यात करने हेतु ;

(2) काश्तकारों द्वारा खाद के रूप में ;

(3) देशी चिकित्सा पद्धति में खाने के लिये और लगाने के लिये ; और

(4) अनेक रोगों के लिये एक जाने-माने घरेलू उपचार के रूप में ।

(ख) तथा (ग) जी, हां । सरकार ने, विदेशी तकनीकी सहयोग से पोस्त के चीरा लगे डोडों से अल्कालायड निकालने हेतु एक संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी । किन्तु, विदेशी सहयोगियों ने बाद में सहमत शर्तों पर प्रोद्योगिकी प्रदान करने से इनकार कर दिया । परिणामतः, किन्हीं अन्य विदेशी निर्माताओं से उपयुक्त प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

छोटे पैमाने के उद्योगों को रियायती दरों पर ऋण

3085. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे पैमाने के उद्योगों को रियायती दरों पर ऋण देने की सरकार की घोषित नीति के बावजूद भी सच्चाई यह है कि बहुत से बैंक इस नीति को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस नीति के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि कारीगरों ग्राम और कुटीर उद्योगों तथा अन्य छोटे पैमाने के उद्योगों को मंजूर किये गये 3 वर्ष से अधिक के सावधिक ऋणों पर वसूल की जाने वाली ब्याज की दर 11 प्रतिशत (निर्दिष्ट पिछड़े जिलों के मामले में 9½%) से अधिक नहीं होती। ये दरें कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों के लिए 25000/-रुपये तक के मिश्रित सावधिक ऋणों पर भी लागू होती है। अत्यंत छोटे उद्योगों को 1 लाख रुपये तक की कार्यकारी पुंजी लिमिट के लिए, अधिकतम ब्याज की दर 12½ प्रतिशत प्रति वर्ष (25 करोड़ रुपये से कम और मांग दायित्वों वाले बैंकों के लिए 13½ प्रतिशत) है।

बैंक सामान्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के इन निर्देशों का पालन कर रहे हैं। जब कभी भी इन निदेशों के उल्लंघन का कोई मामला सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में लाया जाता है तो सुधारात्मक कार्यवाही के लिए सम्बद्ध बैंक से उस मामले में आगे सम्पर्क किया जाता है।

चांदी के तस्करों की गिरफ्तारियां

3086. **श्री के मालन्ना** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत 6 मास में चांदी के तस्करों की गिरफ्तारियों के बारे में ब्यौरे क्या हैं ; और

(ख) क्या कुछ विदेशी भी गिरफ्तार किये गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, दिसम्बर 1979 से मई 1980 तक की अवधि के दौरान चांदी की तस्करी के मामलों के सिलसिले में 185 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। इन में से 27 व्यक्ति विदेशी राष्ट्रिक थे।

वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि

3087. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों में कुल जमा राशि कितनी है और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उनकी कितनी पूंजी लगी हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : दिसम्बर, 1979 के अन्तिम शुक्रवार तक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंक समूहवार जमाओं का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार हैं :—

बैंक समूह	जमाएं (करोड़ रुपयों में)
भारतीय स्टेट बैंक	8925
14 राष्ट्रीयकृत बैंक	17052
अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	3717
विदेशी बैंक	1142
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	30836

दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक समूह तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋणों तथा जमाओं के सम्बन्ध में, बैंकवार, अनन्तिम आंकड़े विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

बैंक का नाम	जमा राशि	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए ऋण
1	2	3
(क) भारतीय स्टेट बैंक समूह	7215	1890
(ख) भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक	1710	492
(ग) राष्ट्रीयकृत बैंक		
सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	2046	404
बैंक आफ इण्डिया	1786	370
पंजाब नैशनल बैंक	1887	385
बैंक आफ बड़ौदा	1666	419
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	1176	234
केनरा बैंक	1491	326
यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	1065	186
देना बैंक	681	149
सिंडीकेट बैंक	1162	294
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	1096	239

1	2	3
इलाहाबाद बैंक	641	120
इण्डियन बैंक	832	155
बैंक आफ महाराष्ट्र	618	159
इण्डियन ओवरसीज बैंक	905	105
जोड़ :	17052	3625
जोड़ क+ख+ग	25977	6007

आंकड़े अनन्तिम हैं ।

पूंजी निर्माण की तुलना में राष्ट्रीय आय का कर-राजस्व अनुपात

3088. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978-79 में राष्ट्रीय आय का कर राजस्व अनुपात 20 प्रतिशत था जबकि पूंजी निर्माण वर्ष 1976-77 में 14 प्रतिशत था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रक्रिया में लोगों से प्राप्त की गई धन-सम्पदा को कोई उपयोगी परिसम्पत्ति बनाये बिना ही व्यर्थ किया जा रहा है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार उपयोगी परिसम्पत्तियां बनाने के उद्देश्य से कर-राजस्व अनुपात को सुनिश्चित करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) 1978-79 में राष्ट्रीय आय में कर राजस्व का अनुपात 18.7 प्रतिशत था और 1976-77 में सकल घरेलू पूंजी निर्माण 21.3 प्रतिशत था ।

(ख) जी, नहीं । देश में साधन जुटाने के लिए कराधान एक महत्त्वपूर्ण ढंग है और इससे पूंजी निर्माण के घरेलू प्रयत्नों की सीमा का पता चलता है। क्योंकि सरकारी राजस्व का मुख्य स्रोत कर राजस्व होता है इसलिए इसका उपयोग सरकार द्वारा अन्य चालू व्ययों जैसे कि रक्षा, ब्याज अदायगियों, पुलिस सामान्य प्रशासन आदि के व्यय के लिए भी किया जाता है। इसलिए लोगों से प्राप्त की गई धन-सम्पत्ति को कोई उपयोगी परिसम्पत्ति बनाए बिना ही व्यर्थ किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में जूट मिल, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने का प्रस्ताव

3089. **श्री अजय विश्वास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में एक और जूट मिल, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इनकी स्वीकृति देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) त्रिपुरा में दूसरी पटसन मिल स्थापित करने की कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है। केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने अगरतला में 1000 मे० टन की क्षमता वाले कोल्ड स्टोर के निर्माण की प्रस्थापना को अनुमोदित किया है। एम० सी० डी० सी० द्वारा पाँच ग्रामीण गोदामों का निर्माण किया जा रहा है।

ईरान द्वारा कुद्रेमुख परियोजना से लोह अयस्क "कन्सन्ट्रेट" का न उठाया जाना

3090. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख परियोजना द्वारा उत्पादित लोह अयस्क कन्सन्ट्रेट ईरान को बिक्री के लिए निर्धारित है ;

(ख) क्या ईरान लोह अयस्क को नहीं उठा रहा है क्योंकि उसके इस्पात संयंत्र तैयार नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कारण से भारत को कितनी राशि की हानि होगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) ईरानियन स्टील कम्पनी के साथ किये गये बिक्री तथा खरीद करार की शर्तों के अनुसार कुद्रेमुख परियोजना द्वारा तैयार किए गए लोह-अयस्क सांद्रण का अपक्रय केवल अगस्त, 1980 के अन्त तक आरम्भ होना है। फिर भी ईरानियों द्वारा दिये गए संकेतों से पता चलता है कि उनके इस्पात विकास कार्यक्रम में विलम्ब हो जाने के परिणाम स्वरूप सांद्रण के अपक्रय में 1½ वर्ष का विलम्ब हो जाने की सम्भावना है तथा खरीदे जाने वाले सांद्रण की अधिकाधिक मात्रा 50 लाख टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ग) इस समय हानि की राशि के बारे में अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह ईरानियों के साथ कई मामलों पर इस समय की जा रही बातचीत के परिणाम पर निर्भर करेगा।

यात्रियों के लिए विमान किराये में वृद्धि

3093. **श्री पियूष तिरकी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यात्रियों के लिए विमान किराये में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान यात्री-किराये में कितनी बार वृद्धि की गई है और प्रत्येक वृद्धि सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर - (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है :

विवरण

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्री किरायों में लागू की गई वृद्धियों के विस्तृत ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

क. इण्डियन एयरलाइन्स

प्रभावी तारीख	सैक्टर	प्रतिशतता	टिप्पणी, यदि कोई है ।
19-11-1979	सभी अन्तर्देशीय सैक्टर	30%	यदि वृद्धि "फ्यूअल
27-6-1980	सभी अन्तर्देशीय सैक्टर	20-25%	लेवी" से सम्बद्ध है ।
1-4-1978	सभी अन्तर्राष्ट्रीय सैक्टर	7%	
1-5-1979	—यथोपरि—	7%	
1-9-1979	—यथोपरि—	9%	
15-2-1980	—यथोपरि—	3%	
21-4-1980	—यथोपरि—	9%	

ख. एयर इण्डिया

प्रभावी तारीख	आई. ए. टी. ए. क्षेत्र	प्रतिशतता	टिप्पणी यदि कोई है।
1-4-1977	क्षेत्र 3	5-6%	
1-4-1977	क्षेत्र 2 तथा क्षेत्र 3 के बीच	5%	
1-1-1978	क्षेत्र 2 तथा क्षेत्र 3 के बीच	5%	
1-4-1978	क्षेत्र 2 तथा क्षेत्र 3 के बीच	8%	केवल यूरोप से जी. आई. टी. किरायों से वाणिज्यिक वृद्धि।
13-6-1979	कुछ अपवादों को छोड़कर सभी क्षेत्र	7%	ईंधन में प्रथम वृद्धि। यह वृद्धि मूलतः 1 मई, 1979 से होनी थी, परन्तु सरकारी अनुमोदन में विलम्ब के कारण यह वृद्धि 1-8-1979 से 19-10-1979 तक की अवधि में फैल गई।
1-10-1979	कुछ अपवादों को छोड़- सभी क्षेत्र	9-12%	ईधन में दूसरी वृद्धि। यह वृद्धि मूलतः 1 सितम्बर, 1979 से की जानी थी। परन्तु सरकारी अनुमोदनों में विलम्ब के कारण यह वृद्धि 1-10-1979 से 10-12-1979 तक की अवधि में फैल गई।
1-5-1980	कुछ अपवादों को छोड़- कर सभी क्षेत्र	9-12%	**ईंधन में चौथी वृद्धि। यह वृद्धि मूलतः 1-4-80 से की जानी थी। परन्तु सरकारी अनुमोदनों में विलम्ब के कारण यह वृद्धि भारत में 1-5-80 से लागू की गई। यह वृद्धि भारत से क्षेत्र 3 के लिए तथा नौर्थ एटलांकिट के मार्ग से होते हुए यू. एस. ए, कनाडा के लिए परिवहन के लिए लागू नहीं की गई है। यह वृद्धि

अभी समान रूप से लागू नहीं की गई है परन्तु अधिकांश देशों ने इस वृद्धि को लागू कर दिया है।

**ईंधन में तीसरी वृद्धि भारत के लिए/से किरायों के सम्बन्ध में लागू नहीं की गई।

टिप्पणी : ऊपर की तालिका में निर्दिष्ट आई. टी. ए. किरायों की परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं :—

क्षेत्र 1

समस्त उत्तरी तथा दक्षिण अमरीकी महाद्वीप एवं निकटवर्ती द्वीपसमूह।

क्षेत्र 2

समस्त यूरोप (यू. एस. एस. आर. के यूरोप वाले भाग सहित) तथा निकटवर्ती द्वीपसमूह, बर्फिस्तान, समस्त अफ्रीका तथा निकटवर्ती द्वीपसमूह, ईरान के पश्चिम में स्थित तथा ईरान सहित एशिया का भाग।

क्षेत्र 3

क्षेत्र 2 में सम्मिलित भाग को छोड़कर समस्त एशिया तथा निकटवर्ती द्वीपसमूह, समस्त वेस्ट इंडीज, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा क्षेत्र 1 में सम्मिलित किए गए द्वीपों को छोड़कर प्रशान्त सागर के निकटवर्ती द्वीपसमूह।

ख. 1 उपर्युक्त वृद्धियां सामान्यतः सरकार द्वारा भारत के लिए/से निर्देशित सभी किरायों में लागू की गयी हैं। परन्तु, सरकार द्वारा निर्देशित कुछ निम्न किरायों को कुछ भिन्न तरीके से लिया गया है। अतः, इन किरायों के सम्बन्ध में की गई वृद्धियां नीचे अलग-अलग दी गयी हैं।

किराये का प्रकार	प्रभावी तारीख	% वृद्धि
1	2	3
1. भ्रमण किराया	1-5-1977	7%
यू. एस. ए. भारत	23-7-1979	12·7%
	1-10-1980	10%

1	2	3
2. सामूहिक पर्यटन किराया	1-5-1977	7%
यू. एस. ए.—भारत	23-7-1979	7%
	1-10-1979	10%
3. भ्रमण किराया	1-5-1977	7%
कनाडा/ भारत	11-8-1979	24·1%
	20-10-1979	10%
4. यू. के.—भारत	1-4-1977	10·1%
भ्रमण किराया	1-5-1978	12·9%
	1-5-1979	7%
	1-8-1979	10·7%
	1-9-1979	12%
एक तरफा ससामूहिक	1-4-1977	10·1%
	1-5-1978	9·2%
	1-5-1979	7%
	1-8-1979	12·7%
	1-9-1979	12%
एकतरफा सामूहिक परन्तु	1-4-1977	10·8%
वापसी व्यक्तिशः	1-5-1978	8-9%
पृथक-पृथक	1-5-1979	7%
	1-8-1978	5%
	1-9-1979	12%
5. भारत—यू. एस. ए.	23-7-1979	7%
भ्रमण किराया	1-10-1979	10%
6. भारत—यू. एस. ए. भ्रमण किराया	15-6-1980	3%
7. भारत—कनाडा	11-8-1979	7%
भ्रमण किराया	1-10-1979	10%
8. भारत-यू. के. सामूहिक	1-4-1977	10%
एकतरफा किराया	1-5-1978	17%

1	2	3
	15-6-1979	7%
	12-9-1979	12%
9. यू. एस. ए. तथा कनाडा के बीच एकतरफा विशेष किराया	23-7-1979	7%
	1-10-1979	10%
10. यूरोप-भारत भ्रमण किराया	1-5-1979	7%
	1-9-1979	12%
11. भारत-यूरोप भ्रमण किराया	15-6-1979	7%
	12-9-1679	12%
12. मारिशियस/सैशल्ज/दक्षिणी अफ्रीका से भारत भ्रमण किराया	1-5-1979	7%
	1-9-1979	10%
13. भारत-मारिशियस/सैशल्ज भ्रमण किराया	15-6-1979	7%
	12-9-1979	10%

निर्यात संवर्द्धन परिषदें

3094. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में बनने वाले विभिन्न उत्पादों के लिये निर्यात संवर्द्धन परिषदें गठित की हैं ।

(ख) यदि हां, तो परिषदों के नामों तथा उनके गठन, परिषदों के सदस्यों के नामों, कार्य सम्बन्धी निदेशपदों आदि का ब्यौरा क्या है और ये परिषदें कब से गठित की गयी हैं;

(ग) क्या उनके निदेश पदों के आधार पर उन परिषदों के कार्यकरण का कोई प्राक्कलन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

परिषदों के नाम, उनकी स्थापना का वर्ष, सदस्यों की संख्या और उनके अन्तर्गत सम्मिलित मुख्य मदें नीचे दी जाती है :—

निर्यात संवर्धन परिषद का नाम	स्थापना का वर्ष	सदस्यों की संख्या (लगभग)	सम्मिलित प्रमुख उत्पादन
1 2	3	4	5
1. सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्	1954	3354	सूती कपड़ा अथवा धागा रुई, होजरी, सिले-सिलाये, परिधान, मिश्रित होजरी तथा गैर फैब्रिक उत्पाद
2. रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्	1954	1479	कृत्रिम रेशम फैब्रिक्स, सिले-सिलाये परिधान तथा मिश्रित फैब्रिक्स
3. प्लास्टिक तथा लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद्	1955	1409	लेदर क्लाथ, लिनोलियम पी० वी० सी० के बिल्स, मोल्डेड तथा फैब्रिकेटिड वस्तुएं, मोल्डिंग पाँउडर और पोलिथीन के अस्तर वाला पटसन का माल
4. काजू निर्यात संवर्धन परिषद्	1955	142	काजू गिरी तथा काजू छिलका द्रव
5. इंजीनियरी निर्यात संवर्धक परिषद्	1955	7084	लोहे तथा इस्पात, मशीनरी, परिवहन उपकरणों का निर्माण, अलौह धातुओं तथा स्टेनलैस स्टील की वस्तुओं का निर्णय
6. रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्	1966	2418	रत्न तथा आभूषण, जिसमें मोती, कीमती तथा अर्धकीमती स्टोन, हीरे, संश्लिष्ट स्टोन आदि शामिल हैं।

1	2	3	4	5
7.	चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्	1956	272	वनस्पति, शोधित खालें तथा चमड़ियां आदि
8.	चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्	1957	63	चमड़ा सीड लाख
9.	खेलकूद माल निर्यात संवर्धन परिषद्	1958	535	सभी प्रकार का खेलकूद का माल जिसमें कप, मैडल तथा खेलकूद हौजरी शामिल है ।
10.	रसायन तथा संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद	1958	2100	रबड़ से बना माल, प्लाइंट्स तथा सबद्ध मदें, ग्लास, सिरेमिक्स तथा एस्बेस्टोस, कागज तथा कागज उत्पाद, उर्वरक तथा हड्डी चूरा।
11.	मसाला निर्यात संवर्धन परिषद	1960	911	काली मिर्च, इलायची, अदरक, लाल मिर्च, करी पाउडर आदि ।
12.	साधित खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन परिषद	1962	775	फल उत्पाद श्रंखला के अन्तर्गत शामिल सभी, उत्पाद, बिस्किट, मिष्ठान्न, मिल्क फूड, कुक्कुट, उत्पाद, ग्लूकोस आदि ।
13.	तैयार चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित माल निर्यात संवर्धन परिषद	1963	1492	सभी प्रकार का तैयार चमड़ा, खालें तथा चमड़ियां, शोधित, पुनर्शोधित तथा इन ब्लू क्रोम, चमड़ा निर्मित माल, फुटवियर सहित ।
14.	समाक्षारीय रसायन, भेषज तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद	1963	2625	समाक्षारीय अकार्बनिक तथा कार्बनिक रसायन, औषधियां, भेषज, परिष्कृत रसायन, रंजक, मध्यावर्ती, साबुन, टायलेटरीज, कृषि रसायन, आदि ।
15.	ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद	1965	474	कच्ची ऊन, ऊनी वस्त्र, यान, शाल, कम्बल, परिधान आदि ।

1	2	3	4	5
16.	परिधान निर्यात संवर्धन परिषद	1978	2357	सिले-सिलाए परिधान, जिनमें ऊनी निटवियर तथा परिधान तथा चमड़ा, पटसन तथा हैम्प को छोड़ कर।
17.	हथकरघा निर्यात सवर्धन परिषद	1965	2755	प्राकृतिक रेशम फैब्रिक्स।

अधिकांश परिषदों की स्थापना कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की गई है और उनके कार्य की देखरेख एक प्रशासन समिति अथवा एक प्रबंध समिति द्वारा की जाती है। ऐसी समितियों में चुने गए और साथ ही नामित सदस्य शामिल होते हैं।

परिषदों की मुख्य गतिविधियां हैं, भारतीय माल के निर्यात का निम्नलिखित द्वारा सहायता देना, सरक्षण करना, स्तर बनाये रखना, विस्तार करना और संवर्धन करना—

1. विदेशों में अलग-अलग बाजार अध्ययन करना ;

2. विदेशों को व्यापार मिशन भेजना ;

3. कीमतों, बाजार अधिमानों आदि की रिपोर्ट देने के प्रयोजनार्थ विदेशी बाजारों में प्रतिनिधियों, अभिकर्ताओं अथवा संवाददाताओं की नियुक्ति;

4. भारतीय माल के सम्बन्ध में भारत के साथ व्यापार तथा वाणिज्य के लाभों के सिलसिले में विदेशों में प्रचार करना।

5. भारतीय माल के विनिर्माण, व्यापार अथवा विभिन्न देशों में उसके आधारभूत प्रयोग के सम्बन्ध में आंकड़े तथा अन्य जानकारी एकत्र करना ;

6. निर्यात के भारतीय माल के सम्बन्ध में क्वालिटी तथा पैकिंग के मानक निर्धारित करना अथवा उनके निर्धारण के लिये स्थापित किसी अभिकरण के साथ सम्पर्क बनाए रखना;

7. ऐसे विदेशों में, जहां माल का निरीक्षण आयातक देशों में प्राधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, निर्यातित्त भारतीय माल का निरीक्षण देखने के लिए अधिकारियों का भेजा जाना;

8. एक संविदा के पक्षकारों के बीच मतभेद का कोई भी विवाद उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप विदेशों में अथवा भारत में निर्यातित अथवा निर्यात के लिये अभीष्ट भारतीय माल के सर्वेक्षण को देखने के लिए अधिकारियों का भेजा जाना।

9. भारत से निर्यातित भारतीय माल की क्वालिटी, विवरण अथवा अन्य ब्यौरों, अथवा इस प्रकार के निर्यातों से सम्बन्धित संविदा की शर्तों तथा निबंधनों का अनिष्पादन अथवा अनुपालन के सम्बन्ध में विदेशी आयातकों अथवा भारतीय निर्यातकों से प्राप्त शिकायतों के बारे में पूछताछ तथा जांच करना ;

10. ऊपर (9) में निर्दिष्ट शिकायतों के सम्बन्ध में सरकार को और सार्वजनिक निकायों जैसे कि वाणिज्य मण्डलों को सिफारिशें करना ;

11. जो पक्षकार विवाद परिषदों को भेजने के लिये सहमत हों उनके बीच भारतीय माल के निर्यातों से सम्बन्धित सौदों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले विवादों तथा मतभेदों के निपटारे में मध्यस्थों के रूप में कार्य करना अथवा मध्यस्थ अथवा मूल्यांकक नामित करना ।

12. भारतीय माल के निर्यात के संवर्धन तथा प्रगति से सम्बन्धित मामलों पर वाणिज्य मण्डलों तथा अन्य वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक निकायों के साथ पत्र व्यवहार करना ।

(ग) तथा (घ) निर्यात संवर्धन परिषदें सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही हैं। प्रतिवर्ष निर्यात लक्ष्य उन्हें आवंटित वस्तुओं के सम्बन्ध में नियत किये जाते हैं। परिषदों के कार्य निष्पादन का आकलन प्रतिवर्ष उनके बजट तथा कार्यक्रम पर विचार करते समय किया जाता है। इसके अलावा उनकी गतिविधियों की निरन्तर मानीटरिंग सरकार द्वारा की जा रही है।

सिने कलाकारों तथा निर्माताओं की कर की बकाया राशि

3095. **श्री राम बिहारी बहेरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सिने कलाकारों तथा फिल्म निर्माताओं के नाम क्या हैं जिनकी ओर आयकर तथा अन्य करों के रूप में 5 लाख रुपये से अधिक राशि बकाया है ; और

(ख) सिने कलाकारों सहित फिल्म उद्योग के उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं जिनके विरुद्ध कर अपवचन के मामले चल रहे है तथा उनके विरुद्ध मुकदमें शुरू किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हैं, उसे एकत्र किया जा रहा है और यथा सम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जाएगा ।

इस्पात का स्थिर उत्पादन

3096. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1977-79 की अवधि के दौरान इस्पात का उत्पादन स्थिर रहा था, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : वर्ष 1977-78 में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों (टिस्को भी शामिल है) में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 68.9 लाख टन हुआ जो वर्ष 1978-79 के 65.9 लाख टन से 4.4 प्रतिशत तथा वर्ष 1979-80 के 60.4 लाख टन से 12.3 प्रतिशत अधिक था।

मुख्य रूप से मात्रा तथा किस्म दोनों की दृष्टि से कोयले तथा बिजली की उपलब्धि की कठिनाइयों के कारण इस अवधि में इस्पात के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सितम्बर, 1978 में पश्चिमी बंगाल में अभूतपूर्व वर्षा हुई तथा बाढ़ आई, परिणामस्वरूप कोयले के क्षेत्रों तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने में पानी भर गया तथा रेल यातायात पर प्रभाव पड़ा और बोकारो इस्पात कारखाने के कन्वर्टर संख्या 5 को चालू करने में विलम्ब हो गया। इन सब कारणों से वर्ष 1978-79 में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कोयले और बिजली की उपलब्धि में और कमी हो जाने के कारण वर्ष 1979-80 में उत्पादन में निरन्तर कमी हुई।

मुजफ्फरपुर और पटना के बीच विमान सेवा

3097. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के प्रमुख नगरों को इण्डियन एयरलाइन्स की विमान सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस वर्ष मुजफ्फरपुर और पटना के बीच नियमित विमान सेवा शुरू करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स देश के प्रमुख नगरों के लिए विमान सेवाओं का परिचालन पहले से ही कर रही है।

(ख) जी, नहीं।

गुजरात के जिलों में लीड बैंक

3098. **श्री नवीन रवाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के जिलों के, जिलावार, लीड बैंकों के नाम क्या है ;

(ख) 1980-82 के लिये क्षेत्रवार उनकी जिला ऋण योजना का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1980 के लिये कार्य योजनायें शुरू की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (घ) साबरकांठा, महसाणा, गांधीनगर और अहमदाबाद जिलों की 1980-82 की जिला ऋण योजनाओं को छोड़कर, जिसके लिये जिला ऋण योजनाओं को अन्तिम रूप देने तक वर्ष 1980 के लिए कार्य-योजना लागू की गई है शेष जिलों के बारे में मांगी गई सूचना विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्रय संख्या	लीड बैंकों के नाम तथा उन्हें आवंटित जिले	क्षेत्र	क्षेत्रीय परिव्यय (लाख रुपयों में) जिला ऋण योजना 1980 82	कार्य योजना 1980
1	2	3	4	5
(क)	बैंक आफ बड़ौदा			
1.	बड़ौदा	कृषि	2209.25	1475.83
		उद्योग	2713.82	821 77
		सेवाएं	892.55	268.55
		जोड़ :	5815.62	2566.15
2.	भडोच	कृषि	1902.12	1220.10
		उद्योग	17063.59	6110.03
		सेवाएं	1126.64	358·32
		जोड़ :	20092.35	7688.45
3.	वलसाड़	कृषि	1584.12	765.13
		उद्योग	1764.38	521.70
		सेवाएं	287.65	87.41
		जोड़ :	3636.15	1374.24

1	2	3	4	5
4.	डांग	कृषि	40.08	16.75
		उद्योग	42.88	24.00
		सेवाएं		
		जोड़ :	82.96	40.75
5.	केरा	कृषि	4197.52	2821.18
		उद्योग	1762.80	613.00
		सेवाएं	627.00	185.00
		जोड़ :	6587.32	3619.18
6.	पंचमहाल	कृषि	1537.75	844.75
		उद्योग	862.96	151.72
		सेवाएं	1165.75	350.26
		जोड :	3566.46	1346.73
7.	सूरत	कृषि	2137.41	1319.86
		उद्योग	3390.06	956.20
		सेवाएं	1005.03	330.72
		जोड़ :	6532.50	2606.78
(ख) देना बैंक				
1.	साबरकांठा	कृषि	—	1633.70
		उद्योग	—	74·87
		सेवाएं	—	93·40
		जोड़	—	1800·97
2,	मेहसाणा	कृषि	—	1122·21
		उद्योग	—	259·83
		सेवाएं	—	235·34
		जोड़	—	1617·38

1	2	3	4	5
3.	कच्छ	कृषि	570·00	324·00
		उद्योग	581·31	187·69
		सेवाएं	391·72	107·56
		जोड़ :	1471·03	619·25
4.	गांधीनगर	कृषि	—	157·51
		उद्योग	—	18·09
		सेवाएं	—	20·25
		जोड़ :	—	195·85
5.	बनासकांठा	कृषि	1721·45	990·76
		उद्योग	136·74	49·56
		सेवाएं	400·93	129·52
		जोड़ :	2259·12	1169·84
6.	अहमदाबाद	कृषि	—	1414·70
		उद्योग	—	163·50
		सेवाएं	—	85·16
		जोड़ :	—	1663·36
(ग) स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र				
1.	राजकोट	कृषि	2725·03	1998 73
		उद्योग	492·05	148·33
		सेवाएं	188 07	64·45
		जोड़ :	3405·15	2211·51

1	2	3	4	5
2.	जामनगर	कृषि	953·72	512·95
		उद्योग	327·10	146·08
		सेवाएं	300·10	97·71
		जोड़ :	1580·92	756·74
3.	जूनागढ़	कृषि	2700 70	1553·99
		उद्योग	1182 64	573·14
		सेवाएं	360·43	146·95
		जोड़ :	4243·77	2274·08
4.	अमरेली	कृषि	2301·61	348·76
		उद्योग	2904·40	74·60
		सेवाएं	133·25	44·26
		जोड़ :	5339·26	467·62
5.	भावनगर	कृषि	2712·10	1659·81
		उद्योग	1479·68	320·29
		सेवाएं	190·44	58·98
		जोड़ :	4382·22	2039.08
6.	सुरेन्द्रनगर	कृषि	1915·00	1265·27
		उद्योग	294·05	105·10
		सेवाएं	133·26	45·82
		जोड़ :	2342·31	1416·19

कालीनों का निर्यात

3099. **जैनुल बशर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बाराणसी और मिर्जापुर जिलों से प्रतिवर्ष कितने मूल्य के कालीनों का निर्यात किया जाता है ;

(ख) देश से कुल निर्यात की तुलना में इसका प्रतिशत कितना है ;

(ग) क्या सरकार का विचार समूचे वाराणसी डिवीजन में कालीन बुनने के काम का बड़े पैमाने पर विस्तार करने का है ; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) निर्यात आंकड़े जिलावार नहीं रखे जाते हैं अतः वाराणसी एवं मिर्जापुर के जिलों से कालीनों के निर्यात के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है।

हाथ से गाँठ लगाकर कालीन बनाने का उद्योग अधिकांशतः उत्तर प्रदेश, कश्मीर घाटी, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में केन्द्रित हैं इस क्षेत्र में हमारी एक कठिनाई यह रही है कि कालीन उद्योग में प्रशिक्षित कारीगरों का अभाव है। इस समस्या पर काबू पाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1976 में कालीन की बुनाई के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम मंजूर किया, जिसे अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। वर्ष 1978-79 तक बोर्ड से 734 कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर दिये थे और लगभग 45,000 युवकों तथा युवतियों को प्रशिक्षित किया।

छठी पंचवर्षीय योजनावधि में भी इस योजना को चालू रखने का प्रस्ताव है।

वाराणसी में पर्यटकों के लिए सस्ते होटल

3100. **श्री जैनुल बशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन की दृष्टि से वाराणसी के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार वहाँ सस्ते होटल खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) यद्यपि केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत वाराणसी में सस्ते होटलों के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि भारत पर्यटन विकास निगम जो 50 कमरों वाले होटल वाराणसी अशोक का परिचालन कर रहा है ; 30 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 36 कमरों की वृद्धि करके इस होटल का विस्तार कर रहा है। विस्तार-कार्य प्रगति पर है।

(ग) दिल्ली में यात्री-निवास परियोजना के चालू हो जाने के पश्चात् उसके परिचालन संबंधी परिणामों का दो-तीन वर्षों तक अध्ययन करने के बाद ही केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत

वाराणसी में और अन्य केन्द्रों पर यात्री निवास जैसे सस्ते होटलों के निर्माण पर विचार किया जाएगा।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली

3101. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली कब तक आरम्भ करेंगे ;

(ख) इस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) ऐसे उपकरण के अभाव के कारण कितनी वार्षिक हानि हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) आशा की जाती है कि कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली इण्डियन 'एयरलाइन्स में' 1981 के मध्य तक चालू कर दी जाएगी। एयर इण्डिया ने अपने स्टेशनों की कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए बम्बई में एक "यूनिवेंक 1100/12" (UNIVAC 1100/12) कम्प्यूटर प्रणाली पहले ही स्थापित कर दी है। एयर इण्डिया द्वारा इस प्रणाली को 1981 के आरम्भ तक चालू कर दिये जाने की आशा है।

(ख) एयर इण्डिया को कम्प्यूटर प्रणाली की लागत 4.24 करोड़ रुपए पड़ी है। इण्डियन एयरलाइन्स में भी एक ऐसी ही प्रणाली स्थापित करने के लिए 4·80 करोड़ रुपये के व्यय के सरकारी अनुमोदन की सूचना दे दी गयी है।

(ग) ऐसे उपकरण के अभाव के कारण वार्षिक अनुमानित हानि का हिसाब लगाना संभव नहीं है।

कोयम्बाटोर में 'स्टार' होटल

3102. **श्री इरा मोहन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बाटोर में व्यापारिक गतिविधियों तथा पर्यटक यातायात में हुई वृद्धि को देखते हुए वहां स्टार होटल खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य सन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत कोयम्बटर में स्टार श्रेणी के होटल के निर्माण का कोई प्रस्ताव, इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भावनगर जहांगीर वकील, टेक्सटाइल मिल्स के श्रमिकों द्वारा आन्दोलन

3103. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भावनगर जहांगीर वकील टेक्सटाइल मिल्स के श्रमिकों द्वारा अपनी मंजूरी के भुगतान हेतु और राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा मिलों को अपने नियन्त्रण में लिए जाने के लिये लम्बे अर्से से किये जाने वाले आन्दोलन की जानकारी है ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार को पता है कि पहले अलग-अलग दो विशेषज्ञ समितियों से प्राप्त प्रतिवेदनों में सरकार द्वारा मिलों को अपने नियन्त्रण में ले लिये जाने का सुझाव दिया गया था ; और

(ग) इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) से (ग) न्यू जहांगीर वकील मिल्स, भावनगर के कामगार अपनी मजदूरी तथा पिछली देय राशियों की शीघ्र तथा नियमित अदायगी के लिए आग्रह करते रहे हैं । मिल्स के मैनेजमेंट द्वारा अप्रैल, 1980 तक मजदूरी की अदायगी कर दी गई है हालांकि नियत तारीखों को नहीं । इस मिल के मामलों की जांच करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अंतर्गत एक समिति गठित की गई थी जिसने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि इस एकल को आई० डी० आर० अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में ले लिया जाए और मैनेजमैंट या तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम को या गुजरात राज्य वस्त्र निगम को सौंप दिया जाए। प्रतिवेदन पर इस समय गुजरात सरकार के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है । इस बीच, मिल्स के मैनेजमैंट से सरकार द्वारा कोई अपुवर्ती कार्यवाही किये जाने के खिलाफ़ गुजरात के उच्च न्यायालय में एक विशेष सिविल वाद दायर कर दिया है वाद का प्रतिवाद किया जा रहा है ।

कर्नाटक में रेशम उद्योग

3104. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में 'सिल्क एक्चेंज' लागू करने के पश्चात् राज्य में रेशम उद्योग पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का कर्नाटक सरकार और रेशम बुनकरों, बटने वालों तथा व्यापारियों आदि के संगठनों से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् स्थिति में सुधार करने के लिए तूरन्त कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) रेशम उद्योग में कुछ निजी व्यापारियों तथा अन्य सम्बन्धितों ने कर्नाटक रेशमकीट बीज तथा कोये (उत्पादन, पूर्ति तथा विवरण का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 जिसके अधीन सिल्क एक्सचेंज स्थापित किया गया है, कि वैधता को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। मामला विचाराधीन है।

बिहार में राष्ट्रीयकृत ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोला जाना

3105. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के प्रत्येक जिले में विशेषकर मधुबनी और दरभंगा जिलों में राष्ट्रीयकृत ग्रामीण बैंकों की खोली जाने वाली नई शाखाओं की प्रस्तावित सूची क्या है और वर्तमान शाखाओं की सूची क्या है ;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति संबंधी निर्णय किया गया है कि बैंक के ऋणों के लिए आवेदन पत्रों को दो महीने की अधिकतम सीमा के अन्दर निपटा दिया जाये, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऋणों को देने में भ्रष्टाचार और विलम्ब समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) 1979-81 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा लायसेंसिंग नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस अवधि के दौरान, वाणिज्यिक बैंक मुख्य रूप से उन कमी वाले जिलों के बैंक रहित ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने पर ध्यान दें जहां जनसंख्या व्याप्ति प्राप्ति 20,000 ग्रामीण/अर्द्ध शहरी लोगों के लिए एक शाखा से कम हो। विवरण-I में, बिहार राज्य के लिए जिलेवार सूचना दी गई है जिसमें (1) उक्त मानदण्ड के अनुसार अपेक्षित ग्रामीण/अर्द्ध शहरी शाखाओं की कुल संख्या (2) दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार कार्यरत ग्रामीण/अर्द्ध शहरी शाखाओं की संख्या तथा (3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिये/जारी किये गये लायसेंस/आवंटन की संख्या तथा दिसम्बर, 1979 के अन्त तक बैंकों के पास अनिष्पादित पड़े लायसेंसों के बारे में सूचना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार तथा बैंकों के परामर्श से और आवंटन करना जारी है।

उन केन्द्रों के नामों के सम्बन्ध में सूचना, जिनके लायसेंस/आवंटन अभी तक अनिष्पादित पड़े हैं, 1 फवरी, 1980 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 226 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में 12 जून, 1980 को सदन के पटल पर रख दी गई थी। अलवत्ता, दरभंगा तथा मधुबनी जिलों के बारे में सूचना, विवरण-II में दी गई है।

(ख) और (ग) बैंकों से कहा गया है कि ऋण के लिये दिये गये आवेदन पत्रों के निपटान पर निगाह रखे तथा यह सुनिश्चित करें कि छोटे ऋणों के लिए प्राप्त आवेदन पत्र, 4 सप्ताह के अन्दर निपटा दिये जायें ।

सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सतर्कता कक्षों की स्थापना की जा चुकी है तथा भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच इन कक्षों द्वारा की जाती है । महत्वपूर्ण मामलें जिनमें बाहर के व्यक्ति शामिल होते हैं, जब कभी आवश्यकता समझी जाती है तो जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिये जाते हैं । भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बैंकों के सतर्कता तन्त्र को भी मजबूत बना दिया गया है तथा प्रक्रिया को समरूप बना दिया गया है ।

विवरण-I

बिहार राज्य

क्रम संख्या	जिला	मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित ग्रामीण/अर्द्ध शहरी शाखाओं की संख्या	दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार कार्यरत ग्रामीणअ/र्द्ध शहरी शाखाओं की संख्या	दिसम्बर, 1979 के अन्त तक अनिष्पादित पड़े, ग्रामीण/ अर्द्ध शहरी केन्द्रों के लिए दिये गये लायसेंसों/आवंटनों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	औरंगाबाद	51	28	12
2.	बेगू सराय	57	32	15
3.	भागलपुर	96	34	27
4.	भोजपुर	100	69	23
5.	दरभंगा	69	17	28
6.	धनबाद	73	95	2
7.	गया	118	52	28
8.	गिरिडीह	69	45	2
9.	गोपालगंज	55	18	17
10.	हजारीबाग	82	64	13

1 2	3	4	5
11. कटिहार	57	22	11
12. मधुबनी	95	46	43
13. मुंगेर	132	73	45
14. मुजफ्फरपुर	89	42	18
15. नालदा	60	21	23
16. नवादा	45	26	13
17. पलामू	75	42	3
18. पश्चिम चंपारन	79	47	29
19. पटना	89	49	14
20. पुर्णिया	140	68	53
21. पूर्वी चम्पारन	98	67	33
22. रांची	122	75	20
23. रोहताश	97	70	18
24. सहरसा	118	44	68
25. समस्तीपुर	91	35	21
26. संथाल परगना	159	106	37
27. सारन	86	36	24
28. सीवन	73	23	26
29. सिंघभूम	105	66	37
30. सीतामढ़ी	79	43	22
31. वैशाली	67	43	15
जोड़ :	2726	1498	740

विवरण-II

जिला	क्रम सं०	स्थान का नाम	वर्गीकरण	बैंक का नाम जिसे लायसेंस/आबंटन प्राप्त है।
1	2	3	4	5
दरभंगा (29)	1	खिरमापथरा	ग्रा०	भारतीय स्टेट बैंक
	2	कर्जापट्टी	ग्रा०	,,
	3	कालीगांव	ग्रा०	,,
	4	मुरिथा	ग्रा०	,,
	5	निमंथी	ग्रा०	,,
	6	तरौनी	ग्रा०	,,
	7	नवादा	ग्रा०	,,
	8	जगन्नाथपुर	ग्रा०	,,
	9	पोकाराम	ग्रा०	,,
	10	कहुआ	ग्रा०	,,
	11	बिरौल	ग्रा०	,,
	12	कोरथू	ग्रा०	,,
	13	गनौन	ग्रा०	,,
	14	मचिता	ग्रा०	,,
	15	पुतई माहधोर	ग्रा०	,,
	16	उजान	ग्रा०	,,
	17	दरभंगा-शिवधारा एग्री मार्केट यार्ड	श०	,,
	18	सिंहवाड़ा	ग्रा०	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया
	19	सोनकी	ग्रा०	,,
	20	मुरिया	ग्रा०	,,
	21	सिसो	ग्रा०	,,
	22	सुरहा चट्टी	ग्रा०	,,

1	2 3	4	5
	23 थालवाड़ा	ग्रा०	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
	24 मोहम्मदपुर	ग्रा०	,,
	25 रायम	ग्रा०	,,
	26 सिमरी	ग्रा०	,,
	27 उधारा	ग्रा०	,,
	28 तरालाही	ग्रा०	,,
	29 बिठौली	ग्रा०	,,
मधुबनी (43)	1 अनरेर	ग्रा०	भारतीय स्टेट बैंक
	2 औंसी	ग्रा०	मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
	3 फूलपरास	ग्रा०	,,
	4 कमलावाडी	ग्रा०	,,
	5 रूद्रपुर	ग्रा०	मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
	6 रामपट्टी	ग्रा०	,,
	7 शिवनगर	ग्रा०	,,
	8 रंघौली	ग्रा०	,,
	9 मनमोहन	ग्रा०	,,
	10 भेजा	ग्रा०	,,
	11 कोईलाख	ग्रा०	,,
	12 भट्टसिमार	ग्रा०	,,
	13 करही	ग्रा०	,,
	14 उचैथ	ग्रा०	,,
	15 सिमरी	ग्रा०	,,
	16 परसौनी	ग्रा०	,,
	17 सहारघाट	ग्रा०	,,
	18 बिरौल	ग्रा०	,,
	19 थाहर	ग्रा०	,,

1	2 3	4	5
	20 पदमा	ग्रा०	मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
	21 पिपराही	ग्रा०	,,
	22 मदना	ग्रा०	,,
	23 चिकना	ग्रा०	,,
	24 दुर्गापट्टी	ग्रा०	,,
	25 तमोरिया	ग्रा०	,,
	26 बेलवार	ग्रा०	,,
	27 कपासिया	ग्रा०	,,
	28 परजौर	ग्रा०	,,
	29 सिंघासौ	ग्रा०	,,
	30 बोरहार	ग्रा०	,,
	31 बिसनपुर	ग्रा०	,,
	32 चत्रा	ग्रा०	,,
	33 भाटचूरा	ग्रा०	,,
	34 माशवाडा	ग्रा०	,,
	35 पेटघाट	ग्रा०	,,
	36 सिसवार	ग्रा०	,,
	37 सुग्गापट्टी	ग्रा०	,,
	38 नरहिया	ग्रा०	,,
	39 आंध्रमठ	ग्रा०	,,
	40 कोकापुर	ग्रा०	,,
	41 लेखनौर	ग्रा०	,,
	42 तरघा	ग्रा०	,,
	43 रहुआ	ग्रा०	,,

नेपाल से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी

3106. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्सौल, माधापुर, जयनगर, वासेपट्टी, लौकाहा, निर्कोली, तथा बिहार और नेपाल के बीच अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से, इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में तस्करी होने का पता नहीं लगता है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पूरी भारत-नेपाल सीमा पर वर्ष 1979 के दौरान कुल लगभग 1.4 करोड़ रुपए मूल्य का तथा वर्ष 1980 में (मई, 1980 तक) 55 लाख रुपए मूल्य का तस्करी का माल पकड़ा गया था।

(ख) भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी-निवारक कार्यवाहियां तेज कर दी गयी हैं और क्षेत्रीय कार्यालयों को, सीमा के आर-पार तस्करी करने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए चौकस कर दिया गया है।

गुजरात के सूरत जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण दिया जाना

3107. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सूरत्त जिले में 1975-77 और 1977-80 के वर्षों के बीच वाणिज्य बैंक द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र को कितनी धनराशि का और कितने प्रतिशत ऋण दिया गया था ;

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता क्षेत्र का कुल धनराशि में से कितने प्रतिशत अथवा कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ग) यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पृथक-पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो क्या सरकार का प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र की सीमा के भीतर ही अत्यधिक उपेक्षित और मामूली ठीक समझे जाने वाले खण्डों में विभक्त करने तथा तदनुसार उनमें से प्रत्येक के लिए ऋण निर्धारित करने के उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकत्ताओं को दिए गए ऋण के बारे में आंकड़े सूचना प्रणाली से केवल राज्यवार सूचना उपलब्ध होती है। अलवत्ता, मूल सांख्यिकीय विवरणियों द्वारा एकत्र आंकड़े के आधार पर, सूरत जिले के संबंध में अनुसूचित जातियों के वाणिज्यिक बैंकों के बारे में उपलब्ध सूचना विवरण में दी गयी है।

(ग) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को तथा इन क्षेत्रों में भी अनुसूचित जातियों/जनजाति के समुदायों को दिए गये ऋणों के बारे में जिलेवार सूचना प्रदान करने के लिए, जिलास्तर पर आंकड़ा सूचना प्रणाली में संशोधन का प्रस्ताव, भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है :

विवरण

(हजार रुपयों में)

मद	दिसम्बर, 1975		दिसम्बर, 1977	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
कुल बैंक ऋण जिसमें से :—	25097	522409	46402	800430
1. छोटे पैमाने के उद्योग	3026	146733	4352	232696
2. कृषि	11745	66706	19961	113020
3. परिवहन चालक	638	10062	15082	18749
4. सेवाकर्मी	826	8271	3103	10750
5. खुदरा व्यापार	1195	11317	2401	18409

"सैल टू सैल इम्पोर्टिड स्टील आन हाईसीज" शीर्षक से समाचार

3108. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 16 जून, 1980 के "इकोनोमिक टाइम्स" नई दिल्ली में "सैल टू सैल" इम्पोर्टिड स्टील आन हाई सीज" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड माध्यम अभिकरण के रूप में तथा बफर आयात कार्यक्रम के अन्तर्गत इस्पात का आयात कर रही है । सेल वर्ष 1980-81 में बफर आयात के रूप में 6,92,000 टन तक आयात करेगी इसके अलावा सेल माध्यम अभिकरण के रूप में "बैक टू बैक" आधार पर आयात करेगी । इस प्रकार के आयात की मात्रा ज्यादातर सेल के पास पंजीकृत उपभोक्ताओं की मांग पर निर्भर करेगी । "बैक टू बैक" तथा बफर योजना के अन्तर्गत किए गए आयात की सामग्री कभी-कभी "हाई सी बेसिस" के आधार बेच दी जाती है । ऐसा तभी किया जाता है जब इसे बेचना सुविधाजनक तथा सम्भव होता है । यह प्रक्रिया वर्ष 1980-81 में भी चलती रहेगी ।

टूना मछली का निर्यात

3109. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में टूना मछली उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है, प्रतिवर्ष टूना किस्म की कितनी मछलियां पकड़ी जाती हैं, प्रोसेस की गई टूना मछलियों का वार्षिक निर्यात कितना है और टूना मछलियों के निर्यात से कितनी वार्षिक आय होती है ; और

(ख) किन देशों को टूना मछलियों का निर्यात होता है और वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान प्रत्येक देश को इसका कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) टूना मछली पकड़ने का कार्य अधिकांशत: लक्षदीप द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल तथा महाराष्ट्र के तटों तक ही सीमित है। अन्य राज्यों में मछली पकड़ने का कार्य नगण्य है। केवल लक्षदीप द्वीपसमूह में ही टूना मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। अन्य क्षेत्रों में टूना मछली अन्य किस्मों के साथ पकड़ी जाती है।

अधिकतर भूरे मांस की किस्में अर्थात् सक्विपजैक टूना ही भारत में पकड़ी जाती है।

1. वर्ष के दौरान पकड़ी गई टूना मछली निम्नलिखित हैं :—

1977—13005 मे० टन

1978—13893 मे० टन

1979—23807 मे० टन (अनन्तिम)।

2. गत तीन वर्षों में साधित की गई टूना मछली, जमाई हुई तथा डिब्बा बंद दोनों से हुई निर्यात आय निम्नोक्त प्रकार थी :—

वर्ष		निर्यात आय (रुपये में)	
		जमाई हुई डिब्ब बंद	योग
1977-78	4329	347055	351384
1978-79	—	221670	221670
1979-80*	—	13123	13123

(ख) वर्ष 1979-80 को समाप्त गत तीन वर्षों के लिए (i) जमाई हुई टूना मछली तथा (ii) डिब्बा बंद टूना मछली के देशवार निर्यात निम्नोक्त प्रकार है:—

मात्रा : किग्रा में
मूल्य : रुपयों में

वस्तु/देश		1977-78	1978-79	1979-80*
जमाई हुई टूना मछली				
1. ब्रिटेन	मात्रा :	635	—	—
	मूल्य :	4329	—	—
2. डिब्बा बंद टूना मछली				
बेल्जियम	मात्रा :	—	12,480	—
	मूल्य :	—	2,01,643	—
सऊदी अरब	मात्रा :	—	108	—
	मूल्य :		2,012	—
स्पेन	मात्रा :	—	1,056	—
	मूल्य :	—	18,015	—
संयुक्त अरब अमीरात	मात्रा :	922	—	368
	मूल्य :	24,956	—	13,123
ब्रिटेन	मात्रा :	21,720	—	—
	मूल्य :	3,22,099	—	—
योग	मात्रा :	22,642	13,644	368
डिब्बा बंद टूना मछली	मूल्य :	3,47,055	2,21,670	13,123

* वर्ष 1979-80 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

आग लग जाने से रुई की गांठों का नष्ट हो जाना

3112. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा से 30 कि०मी० की दूरी पर स्थित दबोही की बुनाई मिल में आग लग जाने के कारण 40 लाख रुपये मूल्य की रुई की गांठें जलकर नष्ट हो गई ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस मिल का पहले ही बीमा हो चुका था और आग लगने के समय दस लाख रुपये मूल्य की रुई की गांठें भी वहां मौजूद नहीं थी ; और मिल में आग इस उद्देश्य से लगाई गयी थी ताकि बीमे की राशि का दावा किया जा सके ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसकी जांच का क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत पाक विमान सेवाएं बढ़ाने के लिए विदेशों का अनुरोध

3113. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई देशों ने अपनी विमान सेवाएं भारत तक बढ़ाने के विषय में भारत सरकार से अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उनके अनुरोध पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां ।

(ख) जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (जी० डी० आर०), बलगेरिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया. स्पेन. माल्टा, अलजीरिया, जोर्डन, यूगांडा, लिबिया, वियतनाम और कोडिया वे देश हैं जिन्होंने भारत सरकार से अपने दोनों देशों के बीच विमान सेवाएं परिचालित करने के लिए द्विपक्षीय विमान सेवा करार करने का अनुरोध किया है । हमारी सरकार का विचार है कि जब तक एअर इण्डिया इन देशों के लिए विमान सेवाएं परिचालित करने की स्थिति में नहीं हो जाती तब तक विदेशी एयर लाइनों द्वारा एक तरफा, परिचालनों की अनुमति देना उचित नहीं होगा क्योंकि ऐसे परिचालनों से एअर इण्डिया के वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्यात संवर्धन प्रत्साहनों पर व्यय

3114. **श्री रामविलास पासवान** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्यात प्रोत्साहनों पर किये गए व्यय के बारे में कोई उचित हिसाब-किताब नहीं रखा जाता ;

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न निर्यात संस्था में संस्थागत एजेंसियों की विभिन्न प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मदों जैसे नकदी राजसहायता, ड्यूटी ड्रा बैंक, परिवहन राजसहायता, निर्यात ऋण राजसहायता के सम्बन्ध में वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि हां, तो 1,500 करोड़ रुपये की सार्वजनिक राशि को कुछ निर्यात-कर्त्ताओं की जेबों में भरने के क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों से प्रतिवर्ष अधिकतम प्रत्यक्ष सहायता पाने वाली 100 कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) नकद उत्पादन, शुल्क वापसी, परिवहन उत्पाद जैसे प्रत्यक्ष निर्यात प्रोत्साहनों पर हुए व्यय के लिए उचित हिसाब-किताब रखा जा रहा है। उसका वर्षवार ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसे विशिष्ट आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

लोक सभा में 4.7.1980 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न स 3114 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबन्ध।

(क) निर्यात संवर्द्धन कार्यकलापों के लिए विपणन विकास सहायता से व्यय।

(करोड़ रु० में)

	1977-78	1978-79	1979-80 (अनन्तिम)
1. परिवहन उपदान सहित नकद सहायता	311·33	358·92	344·15
2. निर्यात ऋण सहायता	9·90	13·00	12·50
3. निर्यात संस्थानों को सहायता अनुदान	3·12	3·28	4·30

(ख) वित्त मन्त्रालय द्वारा वर्ष 1977-78, 1978-79 के दौरान स्वीकृत शुल्क वापसी क्रमश: 133.00 रु० तथा 150.00 करोड़ रु० थी। 1979-80 के दौरान स्वीकृत राशि उपलब्ध नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान, कल मैंने श्री शंकरानन्द के विरुद्ध एक विशेषाधिकार का मामला उठाया था तथा आपने उसे आज लिए जाने की बात कही थी।

अध्यक्ष महोदय : इस पर सोमवार को विचार किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान मैं अध्यक्ष पीठ के मित्र के नाते मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप इसे टालते रहेंगे तो इससे अध्यक्ष पीठ में विश्वास कम हो जाएगा।

श्री जी० एम० बनात वाला (पोन्नाली) : मैंने इस्राईली वाणिज्य मंत्री के विरुद्ध इनके बारे में विशेषाधिकार उल्लंघन का नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह आज ही दिया है और मैंने तथ्य मंगवाए हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : और तथ्यों की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दो प्रश्न हैं तथा उनके उत्तर मेल नहीं खाते। जानकारी को छिपाया गया है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : कल से पूरी दिल्ली में डाक्टरों की हड़ताल होने जा रही है। मन्त्री को कहिये। (व्यवधान)।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उत्तर प्रदेश असेम्बली के स्पीकर का चुनाव जो अभी नहीं हुआ है उसके बारे में मैंने नोटिस दिया था—

अध्यक्ष महोदय : 377 में मैंने एलाऊ कर दिया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली तथा स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड हैदराबाद की वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

1. (क) प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

   (ख) प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

   (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 998/80)

2. (क) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

   (ख) स्पंज आयरन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

   (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 999/80)

अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन समिति लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा*

वाणिज्य तथा नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जेड० आर० अन्सारी) : मैं अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1000/80)

आयकर (चौथा संशोधन) लेखा परीक्षा नियम, 1980, विदेश यात्रा-कर (संशोधन) नियम, 1980, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1980, अल्युमिनियम के सादे-आधातों पर उत्पादशुल्क के सम्बन्ध में अधिसूचना तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधिन अधिसूचना।

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटारमन): महोदय, श्री मगनभाई बारोत की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

1. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 434 (इ) में प्रकाशित हुए थे।

   (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी-1001/80)

2. वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत विदेश यात्रा कर (संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 663 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

   (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1002/80)

3. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (छटा संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 665 में प्रकाशित हुए थे।

   (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1003/80)

*समिति का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे 19 मार्च, 1980 को सभा-पटल पर रखे गये थे।

4. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 382 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा अल्युमिनियम के सादे आधानों पर अदा किये गये शुल्क को लेकर अथवा मुद्रित आधानों पर देय शुल्क के प्रति मुजरा देने संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1004/80

5. सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :-

(एक) सा० सां० नि० 381 (ङ) जो दिनांक 26 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा विमान इंजनों, उपसाधनों और संघटकों को उनका भारत में आयात करते समय मरम्मत अथवा ओवरहाल के प्रयोजनार्थ सीमा-शुल्क से छूट संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 383 (ङ) जो दिनांक 27 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी जिसके द्वारा दिनांक 19 जून, 1980 को अधिसूचना संख्या 117-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(तीन) सा० सां० नि० 386 (ङ) जो दिनांक 1 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 1979 को अधिसूचना संख्या 35-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1005/80)

6. केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार ऋण जारी किए जाने के बारे में दिनांक 3 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या एफ० 4 (5) डब्ल्यू एण्ड एम/80 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 1006/80)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

त्रिपुरा में एक बस पर हुए हमले में कुछ व्यक्तियों के मारे जाने तथा घायल होने का समाचार

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, मैं गृहमन्त्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"त्रिपुरा में एक बस पर हुआ आक्रमण जिसमें आठ व्यक्ति मारे गये और अन्य पैंतीस व्यक्ति घायल हुए।"

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : महोदय, त्रिपुरा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 2 जुलाई, 1980 को लगभग 0900 बजे जब अमरपुर उदयपुर रोड पर जाती हुई एक बस गन्धारी के निकट पहुंची तो शॉट-गन से लैस सशस्त्र बदमाशों के एक दल ने बस पर गोली चलाई जिससे ड्राइवर घातक रूप से घायल हो गया। जब बस रुकी तो बदमाशों ने यात्रियों पर तेज धार वाले हथियारों से हमला किया जिसके फलस्वरूप 7 व्यक्ति मारे गए और अन्य 16 गम्भीर रूप से घायल हो गए। उनमें से दो की बाद में अगरतला अस्पताल में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। इस प्रकार घटना में मारे गए व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 10 हो गयी। 20-25 अन्य लोगों को मामूली चोटें आईं जिन्हें उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

2. सूचना प्राप्त होने पर सेना और पुलिस की टुकड़ियां तुरन्त घटना स्थल पर पहुंची और छान-बीन की कार्रवाईयां शुरू की। 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सुरक्षा बलों द्वारा उनसे तीन बन्दूकें बरामद की जा चुकी हैं।

3. सरकार राज्य में लगातार हिंसा के बारे में बहुत चिन्तित है। राज्य सरकार, राज्य में स्थिति को नियंत्रण में करने तथा उसे बहाल करने के लिए सभी उपाय कर रही है। केन्द्र राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक सहायता दे रही है।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : वक्तव्य को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि यह एक छुट-पुट घटना हैं, परन्तु बात ऐसी नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि : क्या संसद में हमें इन आम कथनों के बारे में ही सूचित किया जाता रहेगा। उनका कहना है कि पांच उपद्रवी, अभियुक्त पकड़ लिये गये हैं। ये उपद्रवी कौन हैं ? उनकी पृष्ठिभूमि क्या है ? क्या वे किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध हैं ? उनका संगठनात्मक क्या लगाव है ? कुछ भी नहीं बताया गया है। फिर वे कहते हैं : "सुरक्षा बलों ने उनसे तीन बन्दूकें हस्तगत की ; वे किस प्रकार की बन्दूकें थीं ? क्या ये पुरानी थीं या नई बन्दूकें ? उन पर क्या कोई किसी प्रकार के चिन्ह हैं ? संसद को ये बातें पता लगनी चाहिएं। इस पर वे ये कहते हैं, "राज्य सरकार स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न कर रही है।" वे स्वयं क्या कर रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं। हो

सकता है वे कुछ कर रहे हों लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। संसद को जानकारी मिलनी ही चाहिए। फिर, वे आगे कहते हैं : "इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही हैं।" आवश्यक सहायता कौन सी है ? उन्होंने क्या मांग की है ? आपने क्या दिया है ये बातें संसद को बताई जायें। इस प्रकार के सामान्य वक्तव्य से काम नहीं चलेगा। पहला वक्ता होने के नाते मैं यह सब जानना चाहता हूं। मेरा आप से निवेदन है कि उनसे संसद को और अधिक गम्भीरता से लेने को कहें। जिस ढंग से केन्द्रीय सरकार त्रिपुरा में स्थिति से निपट रही है, उससे मैं चिन्तित हूं। 12 जून को हमने त्रिपुरा के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया था और तभी से लेकर वहां अहिंसक घटनाओं की धारा प्रवाहित है। 16 और 17 तारीख के स्टेट्समैन में कहा गया है, "त्रिपुरा में और अहिंसा फैली, 5 मरे ; घर जलाए गए।" उसके बाद 20 जून के पैट्रीओट में कहा गया है ; "दो मरे, त्रिपुरा में अहिंसा"। फिर 27 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस में कहा गया है. "त्रिपुरा के गांव में आदिवासियों द्वारा मारकाट जारी।" 29 तारीख के हिन्दुस्तान टाइम्स में कहा गया है; "12 घर जलाए गए, स्कूलों में आग लगाई गई।" प्रथम जुलाई की अमृत बाजार पत्रिका में कहा गया है, "दो मरे 200 घर जलाए गए।" 2 जुलाई के दक्कन हैरल्ड में समाचार है ; "अहिंसा त्रिपुरा के अन्य क्षेत्रों में भी फैली"। निःसन्देह वि इण्डियन एक्सप्रेस का अन्तिम समाचार इस बस दुर्घटना के बारे में है। 3 जुलाई के नेशनल हैरल्ड में कहा गया है ; "अतिवादियों ने त्रिपुरा में 8 की हत्या की।" अतः 12 जून से लेकर घटनाओं का एक लम्बा इतिहास है और मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या किया है ? यह सब कुछ ही तो हमें बताना चाहिये था। जो कुछ हम देख रहे हैं इसके बावजूद हम पाते हैं कि सरकार पूर्णतया असमंजस में पड़ गयी है। हमें यह वचन दिया गया था कि वे एक काम करने वाली सरकार बनाएंगे लेकिन मैं नही समझता कि कोई काम हो भी रहा है। गृह मन्त्री जैलसिंह ने अपने ही दल के सदस्य की वहां की सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग के उत्तर में कहा है ; नहीं, नहीं, आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। यह एक चुनी हुई सरकार है, जिसकी हमें सहायता करनी चाहिए। समय बड़ा नाजुक है और हमें उनके हाथ मजबूत करने चाहिए आदि-आदि। उसके कुछ दिन बाद, मेरे विचार से तीन दिन बाद, मकवाना महोदय ने श्री नगर में बताया, और श्री नगर के ठंडे जलवायु में एक गर्म वक्तव्य जारी करते हुए उन्होंने कहा ; "हम जानते हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं और यदि कोई स्थिति में परिवर्तन आता है तो हम निश्चय ही सरकार को हटा देंगे"। अतः सरकार बुरी तरह से असमंजस में पड़ी हुई है और वह यह नहीं समझ पा रही है कि स्थिति पर कैसे काबू पाया जाये।

गृहमन्त्री महोदय, मन्त्री मण्डलीय मन्त्री कुछ कहते हैं, और श्री मकवाना जी संसद से बाहर, श्रीनगर में कुछ और ही कहते फिरते हैं। अब प्रश्न तो यह उठता है, जो कि मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का क्या करने का विचार है। इतनी सारी बातों पर कार्यवाही स्थगित पड़ी हैं। राज्यपाल का त्यागपत्र मिल चुका है और हमें बताया गया है कि राज्यपाल ने त्यागपत्र दे दिया है तो उन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की है। वही राज्यपाल काम चलाऊ

आधार पर कार्य चला रहा है। अतः मैं यह पूछता हूं कि स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिए सरकार त्रिपुरा में क्या करने का विचार रखती है ? बहुत से गम्भीर आरोप लगाए गए हैं। उदाहरणस्वरूप, त्रिपुरा के मुख्य मंत्री का कहना है : त्रिपुरा में विदेशी हस्तक्षेप की बात हम सिद्ध करें। उनका कहना है, उन्हें कुछ पत्र मिले हैं ; पत्रों को अधिकारियों ने जब्त कर लिया था। समाचार में बताया गया है। "विदेशी अभिकरण का नाम बताने में उन्होंने अपनी असमर्थता इसलिए व्यक्त की कि कहीं ऐसा न हो कि इसमें किसी का हाथ होने की जानकारी का हमारे पास जो भारी स्रोत है, उसका भंडाफोड़ न हो जाए महोदय, संसद को तो विश्वास में लिया ही जाना चाहिए। यदि इसमें कोई विदेशी हाथ है तो उसको बताया जाए। इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। गृहमन्त्री महोदय को मैं यह बता देना चाहता हूं कि त्रिपुरा में तीन आसूचना अभिकरण कार्यरत हैं। आसूचना ब्यूरो, आर० ए० डब्ल्यू०, के अतिरिक्त आपके पास सीमा सुरक्षा बल और सैन्य-क्षेत्र है और केन्द्रीय आरक्षित पुलिस क्षेत्र है। आपकी वहां पांच केन्द्रीय आसूचना एजेन्सियां काम कर रही हैं। फिर भी वे यह नहीं जानते कि इसमें विदेशी हाथ है या नहीं ? मुख्यमन्त्री का कहना है कि विदेशी हाथ है, परन्तु मैं इसे बता नहीं पा रहा हूं क्योंकि इससे हमारे सूचना स्रोत का भण्डाफोड़ हो जाएगा। महोदय, मैं समझता हूं कि यह बड़ी विषम स्थिति है मैं व्यक्तिगत रूप में अनुभव करता हूं कि राज्य सरकार स्थिति पर काबू पाने में पूर्णतया अयोग्य है। ईमानदारी यह मानिए कि इस प्रकार के बहाने बनाने के सिवाय आप स्थिति से नहीं निपट सकते। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को यह सूचित किया है कि केवल लगभग 40 से 50 तक आदिम जाति के वे लोग जो त्रिपुरा उपजाति जुवा समिति के सदस्य हैं, इसके लिए जिम्मेदार हैं। यह तो मुख्य मन्त्री महोदय फरमाते हैं। वे इन 40 या 50 लोगों को पकड़ क्यों नहीं पाते ? केन्द्र सरकार का पूरा अमला वहां है : वहां उनकी सेना है, सीमा सुरक्षा बल है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस है तो वे उन 40 या 50 लोगों को पकड़ क्यों नहीं पाते ? ये केवल 40-50 लोग हैं। अतः मैं यह कहूंगा कि राज्य सरकार ने श्री बुद्ध देव वर्मा और महासचिव श्री भौमिक—नामों का उल्लेख करने के लिए मुझे क्षमा करें—जैसे 'त्रिपुरा उपजाति जुवा समिति' के नर्म दल के नेताओं और त्रिपुरा के चार विधायकों के बीच भेद न करके बड़ी ही भारी भूल की है। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता को संशोधित करके निवारक नजरबन्दी अधिनियम के अधीन उन्हें गिरफ्तार किया है। मुझे याद है कि जब यहां पर जनता सरकार थी तो हमने किसी प्रकार के निवारक नजरबन्दी कानून की ही आवश्यकता की बात की थी। सी० पी० एम० के लोग लड़ने-मरने को तैयार हो गए थे। उन्होंने खूब हल्ला-गुल्ला मचाया था। उन्होंने कहा था कि यह दुःखद बात है, यह तो तानाशाही है, भयानक कार्यवाही है (व्यवधान) लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि उन्होंने अभियुक्तों पर बिना किसी प्रकार का मुकदमा चलाए तीन वर्ष के लिए बन्दी बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया है। मेरे विचार से यह एक काला अधिनियम है। यह सरासर गलत है। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार को सलाह देनी चाहिए कि वह इस प्रकार की कार्यवाही न करे।

महोदय, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवासियों की मांगों को पूरा किया जाए। मैं यह जानना चाहता हूं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इन आदिवासियों की मांगों के बारे

में जानती है ; क्या उन्होंने भूमि हस्तान्तरण, भारी बेरोजगारी के बारे में कोई कार्यवाही की है ; क्या उन्होंने इस बारे में कुछ किया है ?

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि त्रिपुरा का कुल राजस्व 6 करोड़ रुपए है जिसमें से 3 करोड़ रुपए उन्हें ब्याज के रूप में और उस ऋण को चुकाने के लिए देने पड़ते हैं। जो केन्द्रीय सरकार ने उसे दिया है। आप 3·0 करोड़ रुपये में किसी राज्य का विकास कैसे कर सकते हैं ? केन्द्र इस बारे में क्या कर रहा है ? क्या इस उद्देश्य से आप कोई गोल-मेज सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं ? क्या आप इस राज्य के विकास में योजना आयोग को सम्मिलित करने जा रहे हैं ? क्या आप त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था के विकास में रुचि लेने जा रहे हैं ? परन्तु त्रिपुरा की समस्या ऐसी है कि आप को इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। वहां हिंसा का वातावरण है। केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ? मैं यह नहीं कहूंगा कि हिंसा आदिवासी और अन्य लोगों के कारण है। यहां तक कि सी० पी० एम० ने भी कहा है कि वहां हिंसा का वातावरण बना हुआ है। (व्यवधान)।

मुझे याद है कि नरसिंह पोलीटेक्निक के विद्यार्थियों के चुनावों में सी० पी० एम० का उम्मीदवार हार गया था। विजयी उम्मीदवारों की छात्रावास में हत्या कर दी गयी और सभी जानते हैं कि इस हत्या के सम्बन्ध में सी० पी० एम० को कुछ करना था। परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। (व्यवधान)।

हमारी जनता सरकार के नेता श्री पी० सी० सेन त्रिपुरा गए और उन्होंने पाया कि इन पार्टियों के मध्य सांठ-गांठ भी। इस प्रकार वे भी हिंसा में शामिल थे। यह अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रश्न है ; उन्हें भी आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि हमारे राजनीतिकविरोधी त्रिपुरा में सुरक्षित है और केन्द्र को कठोर रुख अपनाना चाहिए (व्यवधान)।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आप केवल सी० पी० एम० का उल्लेख ही क्यों कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अतः मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या वह हस्तक्षेप करने और टी० यू० जे० एस० के चार नरम मन्त्री नेताओं और 4 विधायकों को छोड़ना सुनिश्चित करेगी। (व्यवधान) केन्द्र को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कत्ल करना गलत है। जब अन्य लोग मारे जायें तो आपको भी आगे आकर यह कहना चाहिए कि यह गलत है। मैं सी० पी० एम० के दर्शन से भिज्ञ हूं। यह एक खतरनाक दर्शन है। (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र हस्तक्षेप करेगा और सुनिश्चित करेगा.....(व्यवधान) महोदय, प्रश्न यह है कि क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी और नरम पन्थी नेताओं को छोड़ेगी और इस सम्बन्ध में एक गोल मेज सम्मेलन बुलाएगी (व्यवधान)। महोदय, मैं नहीं समझता कि इन्हें इस ढंग से व्यवहार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सरकार इस प्रकार का बर्ताव करती है मानो त्रिपुरा में उसकी अपनी सरकार हो। यह उनकी निजी सम्पत्ति नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह कौन कहता है ? (व्यवधान)।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं स्वयं त्रिपुरा में जाकर स्थिति देखना चाहता हूं। महोदय, एक प्रेस कतरन है जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के राज्य मन्त्री त्रिपुरा सरकार के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करने हेतु त्रिपुरा जा रहे हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र त्रिपुरा सरकार के साथ सहानुभूतिप्रदर्शित कर रहा है। (**व्यवधान**)। इस वक्तव्य का क्या अर्थ है ? त्रिपुरा पश्चिम बंगाल की निजी सम्पत्ति नहीं है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार टी० यू० जे० एस० के नरम पन्थी नेताओं को छुड़वाने के लिए हस्तक्षेप करेगी और एक साथ बैठ कर उनसे चर्चा करेगी और इतने समय से लम्बित पड़ी समस्या को हल करेगी। आदिवासियों में काफी रोष व्याप्त है जिसको इन्हें दूर करना चाहिए।

दूसरे, विदेशियों की अन्तर्ग्रस्तता के आरोप की भी जांच होनी चाहिए। श्री मकवाना ने 17 जून को यहां कहा था कि टी० यू० जे० एस० का वपातिस्मादाताओं से सम्बन्ध है। पर उग्रवादियों का सम्बन्ध वपातिस्मादाताओं से हैं। मैं चाहता हूं कि यदि मिशनिरियों की भूमिका के सम्बन्ध में उनके पास कोई और सूचना हो तो वह उसे दें या ऐसे आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। अन्त में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास त्रिपुरा के आर्थिक विकास के लिए कोई योजना है और क्या सरकार संसद के समक्ष इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण रखेगी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा बहुत सी बातें कही गई हैं। सर्वप्रथम मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक वक्तव्य में, चाहे वह मेरे या मेरे मंत्री द्वारा शान्तिपूर्ण या जोशपूर्ण स्थिति में दिया गया हो, हम एक मत हैं। इसमें कोई अन्तर नहीं है। सभी वक्तव्य एक जैसे हैं। जैसा मैंने समझा है। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी हमारे वक्तव्यों का सदैव गलत अर्थ लगाते रहें हैं और गलत अर्थ समझते रहे हैं।

जहां तक इस घटना विशेष का सम्बन्ध है वे पकड़ी गई बन्दूकों और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में सभी प्रकार की सूचना चाहते हैं। यह घटना केवल दो दिन पहले 2 जुलाई को हुई और राज्य सरकार इस मामले की छानबीन कर रही है। यह राज्य सरकार का कार्य है परन्तु जो सूचना उपलब्ध है, वह मैं सभा को देने के लिए तैयार हूं।

माननीय सदस्य ने आदिवासियों की माँगों का भी उल्लेख किया है। यदि उनकी रुचि है तो मैं यहां उनकी मांगें बता सकता हूं। ये छः या सात मांगे हैं :

(एक) गैर-आदिवासियों को हस्तान्तरित भूमि को आदिवासियों को वापस दिलाना ;

(दो) विदेशियों का पता लगाना और उन्हें वापस भेजना ;

(तीन) मतदाता सूचियों से विदेशियों के नाम हटाना ;

(चार) काक-बोराक भाषा को मान्यता ;

(पांच) एक स्वायतशासी जिले का गठन ;

एक अन्य मांग जो उनका छात्र पक्ष कर रहा है वह है त्रिपुरा रेजिमेंट का गठन। आदिवासियों की संक्षेप में यही मांगे हैं।

माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि इस इलाके के आर्थिक विकास के लिए सरकार क्या करने जा रही है। जैसा कि मैंने पहले इस सभा में कहा है कि केन्द्रीय सरकार ने मन्त्रियों की एक समिति नियुक्त की है जिसका संयोजक मैं हूं और यह समिति सभी पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू काश्मीर के आर्थिक विकास के प्रश्न पर विचार कर रहा है। दो या तीन बैठकें पहले हो चुकी हैं और हम पता लगा रहे हैं कि हम वहां कौन सी परियोजना आरम्भ कर सकते है। एक अन्य समिति अधिकारियों की भी है। वे वहीं स्थान पर जाकर राज्य की समस्या का अध्ययन करते हैं और राज्य के लिए कुछ आर्थिक कार्यक्रमों का सुझाव रखते हैं।

जहां तक राज्य सरकार का संबंध है, वह भी आदि वासियों की उचित मांगों को पूरा करने और संविधान में संशोधन किए बिना अनुसूची छः में उपलब्ध सभी सुविधायें प्रदान करने के लिए प्रयत्न कर रही है। राज्य विधान सभा ने 1979 में त्रिपुरा स्वायतशासी जिला परिषद् अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम की वैधता को गोहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसने हाल ही में इसे एक बड़ी पीठ के सामने रखा है। राज्य सरकार ने चुनावों की घोषणा की थी परन्तु आन्दोलन की वजह से ये नहीं हो सके।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी ने टी० यू० जे० एस०—त्रिपुरा उपजाति युवा समिति के सदस्यों की रिहाई के बारे में पूछा है। राज्य सरकार ने उन्हें पकड़ा है अतः इस पर कार्यवाही वही करेंगे। केन्द्रीय सरकार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि यह राज्य सरकार का कानून और व्यवस्था का मामला है।

जहां तक आर्थिक विकास का संबंध है मैं पहले ही इस बारे में बता चुका हूं।

विदेशियों की अन्तर्ग्रस्तता के आरोप के बारे में मैंने सभा में पहले कहा था कि कुछ विदेशी इसमें भाग ले रहे हैं परन्तु इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। तथापि कुछ परिस्थितिजन्य प्रमाणों से पता चलता है कि विदेशी तत्व कार्य कर रहे हैं और मिशनरियों पर भी आरोप लगाए गए हैं। सरकार की इस बात का ध्यान रखने की उत्सुक है कि कोई विदेशी तत्व घुस पैठ न करे और इस आन्दोलन में भाग न ले। हम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस की गोली या सेना शरीर को दबा सकती है लेकिन मन की व्यथा और पीड़ा को नहीं। आज त्रिपुरा में जो आंतक का वातावरण बना हुआ है उसका मेन कारण क्या है ? सामूहिक हत्या का मूल कारण हैं अत्याधिक गरीबी, घोर अन्याय, त्रिपुरा के मूल निवासियों-आदिवासियों का मैदानी क्षेत्र के लोगों द्वारा अपमान और निरन्तर शोषण। वहां की 90 परसेंट पापुलेशन गरीबी की रेखा के नीचे है क्योंकि वहां पर 60 परसेंट लैण्ड हैं और 40 परसेन्ट हिली एरिया है। सारी जमीन मनोलेन्डर्स और एक्स-

प्लायटर्स ने ले ली है। इसलिए आज की स्थिति का कारण वहां की गरीबी ही है। आप पुलिस और फौज भेजकर ऊपर से इलाज करना चाहते हैं। आज वहां उनकी जो मांगे हैं उनमें उन्होंने क्या कहा है, आप देखिए। त्रिपुरा उपजातीय युवा समिति, ट्राइबल स्टूडेन्ट्स, आमरा बंगाली संगठन इन पार्टियों की मांगों पर न जाते हुए भी इस बात को आप सोचिए कि वहां की जनता का किस प्रकार से शोषण होता है और उनकी हालत क्या है। वे गरीबी और भूख को किस प्रकार से बर्दाश्त करेंगे ? वहां के रहने वालों को एक्सप्लायट किया गया है। किसी ने भी राज किया हो लेकिन आज तीस साल के बाद भी वहां की जनता भूख से तड़प रही है। कारण कुछ हैं, इलाज कुछ और हो रहा है। बन्दूक कैसी थी, डाल कैसी थी, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि उनको पीड़ा क्यों हो रही है। आज त्रिपुरा में आग क्यों लग रही है, त्रिपुरा क्यों जल रहा है और उसका इलाज क्या है इसका इलाज फौज और पुलिस की बन्दूक और गोली नहीं है।

मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। क्या आप एक इन्डेपेन्डेन्ट लोगों की समिति, जिसमें राजनीतिज्ञ न हों, बनाकर वहां पर भेजेंगे जो अपनी शिफारिश दे कि वहां की जनता को शोषण करने वालों से कैसे मुक्त किया जा सकता है ? जिन मनीलैंडर्स ने धोखे से या थोड़े पैसों में उन लोगों की जमीनें छीन ली हैं, वह जमीनें उनको कैसे वापस दिलाई जा सकती है और किस प्रकार से उनकी भूख को शांत किया जा सकता है — सवाल तो यही है। ऊपर से आप सेना और पुलिस भेजते रहिए, लाठी चलवा दीजिए उससे कुछ नहीं होगा। क्या माननीय गृह मन्त्री जी बतायेंगे कि 30 साल के बाद भी त्रिपुरा में 90 परसेंट लोगों के पास आधा हेक्टर जमीन भी नहीं है क्योंकि सारी जमीन कुछ लोगों ने दबा ली है, यह शोषण की व्यवस्था क्यों चली आ रही है ? यदि आप इस शोषण को समाप्त नहीं करेंगे तो खूनी क्रांति अवश्य होगी। इस शोषण को मिटाने के लिए क्या एक इन्डेपेन्डेन्ट बाडी वहां पर अध्ययन करने के लिए आप भेजेंगी ताकि वह बता सकें कि इस प्रकार से लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सकता है ? अन्यथा पुलिस और फौज भेजने से कुछ नहीं होगा। इसलिए क्या आप मेरे सुझाव को मानेंगे और जल्दी से जल्दी ऐसी कमेटी बनाकर भेजेंगे, इन्डेपेन्डेन्ट लोगों की ताकि वह वहां पर जाकर जांच कर सके और अपने सुझाव दे सके ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया है, मैं इस सुझाव को मानता हूं और मैं आश्वासन दिलाता हूं कि हम एक ऐसी कमेटी बनायेंगी, जो इन्डिपेन्डेंट लोगों की होगी, जो वहां जाकर सिचुएशन को देखेगी और क्या-क्या मेजर्स लेने चाहिए, वह सब हमें सजैस्ट करके एक रिपोर्ट बनाकर देगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आपने डागा जी का सुझाव बहुत जल्दी मान लिया।

श्री योगेन्द्र मकवाना : डागा जी के सुझाव को जल्दी मानना पड़ेगा, क्योंकि वे हमेशा अच्छा सुझाव देते हैं।

जो ट्राइबल्स की लैंड है, उसके लिए तो त्रिपुरा लैंड रिवेन्यु और लैंड रिफार्म सेकेंड अमेंडमेंट एक्स, 1974 इलैक्ट किया गया है, जो कि पास हो गया है। इसके अनुसार एक जनवरी, 1979 तक वहाँ की जितनी जमीन, जो नान-ट्राइबल्स को ट्रांसफर हुई है, वह जमीन ट्राइबल्स को दिलायेंगे, जैसा कि इस एक्ट में प्रोविजन किया गया है। डागा जी ने जो सुझाव दिया है, उस के बारे में मैंने कहा है कि एक कमेटी जल्दी-से-जल्दी बनायेंगे जो वहाँ जाने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी और फिर उस पर गवर्नमेंट एक्शन लेगी।

श्री० ए० के० राय (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस घृणित घटना से एक वर्ग की निराशा और सरकार तथा सम्पूर्ण तंत्र के अलगाव का पता चलता है। पर्वतीय क्षेत्र या त्रिपुरा से मिलते-जुलते क्षेत्र सभी सदस्यों ने बताया है कि सभी जगह त्रिपुरा जैसी स्थिति है। कहीं-कहीं यह अन्दर ही अन्दर है और कहीं यह सामने आ गई है। कल यह मिजोरम में थी। आज त्रिपुरा में है कल छोटा-नागरपुर की बारी होगी। परसों बस्तर में होगी तो उसके पश्चात् महाराष्ट्र के थाणे जिले में होगी। आज त्रिपुरा को जिस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। वह मानों ऐसी है कि बेचारी वहाँ की सरकार अतीत का ऋण चुका रही हो। त्रिपुरा सरकार को चलाने वाले कुछ व्यक्तियों को मैं जानता हूं। वे भ्रष्ट नहीं है; आदिवासियों के प्रति उनका प्यार सन्देह से परे है। परन्तु फिर भी हम इस स्थिति का सामना कर रहे हैं।

मंत्री महोदय ने भूमि संशोधन अधिनियम का उल्लेख किया है। सभी आदिवासी लोगों के असंतोष का यही कारण था। यह सुधार नहीं है; इसने आदिवासी लोगों को अलाभ की स्थिति में रख छोड़ा है; इसने 1969 से पूर्व के सभी हस्तांतरण के मामलों को कानूनी जामा पहना दिया है। बिहार विधान सभा में भी हमने उसी समय कुछ कानून पारित किए। मुझे याद है कि वही-भूमि वापस लौटाने सम्बन्धी आदेश भूतलक्षी प्रभाव से पारित किए गए थे। यदि मुझे सही याद है तो यह बाहर वर्षों के लिए यह हजारी बाग, धनबाद के लिए था और 30 वर्षों तक रांची के लिए था। उस समय मैं वहीं विधान सभा में था। मुझे याद है कि 30 वर्षों के लिए यह सिंहभूम, रांची और संथाल परगना के लिए था। इसे किसने किया ? इसे कांग्रेस सरकार ने किया। यह भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) नहीं थी। स्वायतशासी विधेयक के विरुद्ध आदिवासी लोगों को किसने भड़काया ? यह भा० सा० द० (मार्क्स०) नहीं था। पार्टियों के नाम रखना निरर्थक है। मुख्य मुद्दा तो यह है कि कौन सा वर्ग सक्रिय है ? सत्तारूढ़ दल रात भर में ही छद्म रूप धारण कर लेता है और कांग्रेस, जनता पार्टी और आनन्द-मार्ग आदि का रूप ले लेता है। मैं वहां की भा० सा० द० (मार्क्स) सरकार की प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा हूं: क्योंकि यह शर्म की बात है कि पूर्ण-बहुमत प्राप्त करके भी मुख्य मंत्री, जो जनता पार्टी या कांग्रेस लोगों की, तरह नहीं है कुछ नहीं कर सके हैं। आप जानते है साम्यवादी दल संगठन पर आधारित है, इसने लोगों में अपनी जड़ें जमा ली हैं। उनकी निष्ठा सन्देह से परे है।

मण्डाई से 12 मील दूर बैठे मंत्री अनुमान नहीं लगा सके कि वहां पर क्या हो रहा है पहले बालचर वहां पहुंचे और तब पुलिस वहां पर गई। स्थिति यह है।

मैं बताना चाहता हूं कि त्रिपुरा क्या है ? त्रिपुरा एक जिला मात्र है। इसमें मुश्किल से बीस लाख लोग हैं 12000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसमें 23 ब्लाक हैं, 175 तहसीलें तथा 4000 पुलिस कर्मचारी हैं। मुझे पता नहीं है कि मंत्री महोदय ने कितने व्यक्ति वहां तैनात किये हैं। दुःखद घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं जिनकी चर्चा हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। श्रीमान, आपको भी इस पर दुख: होगा कि यह सभा मुर्दाघर बन गई है तथा हम केवल पोस्टमार्टम करते हैं। चाहे मामला बागपत, बारपेटा अथवा त्रिपुरा का हो। हम केवल पोस्ट-मार्टम ही करते हैं। लोग मर रहें हैं तथा हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हमारी कार्यवाही असमर्थ लोगों के समान हैं। हम शोर मचा सकते हैं। हम एक दूसरे को गाली देते हैं तथा उससे राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते।

मंत्री महोदय ने बताया कि कठिनाई आदिम जातीय लोगों के बारे में है। इसमें जिनका संबन्ध आदिम जातीय लोगों से है जानते हैं कि वे कभी कार्य नहीं करते। मेरा कहना है कि आप सेना भेज कर समस्याओं को हल नहीं कर सकते। आप नागालैंड, मिजोरस तथा अन्य स्थानों पर सेना भेजते रहें हैं परन्तु समस्यायें हल नहीं कर सके। अंतत: आपको उनके साथ गुप्त अथवा खुली वार्ता करनी पड़ी। मैं समझता हूं कि आदिम जातियों के लोगों के साथ चाहे वे उत्तर पूर्व के हो, अल्प संख्यक हों अथवा अन्य हों उनके साथ राष्ट्रीय स्तर पर समझौता होना चाहिये।

जो सदस्य मुझ से पहले बोले थे उन्होंने कहा था कि तटस्थ व्यक्तियों की एक समिति बनायी जाये। तटस्थ व्यक्ति ही क्यों संसद सदस्यों की समिति बनाई, जाये। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्यों की ही एक राष्ट्रीय समन्वय समिति बनायी जाये। वे हर तहसील, खण्ड में जायें। वे पैदल घूमें। हमें उनके साथ समझौता वार्ता करनी चाहिए। यह कठिन कार्य नहीं है यह कार्य सरकारी यात्रा के समान नहीं होगा कि विमान से वहां गये और लौट आये। यह पैदल यात्रा होगी। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मैं इस प्रकार की संसद सदस्यों की समिति के गठन के बारे में मंत्री महोदय के विचार जानना चाहता हूं। वे प्रत्येक तहसील में जाकर लोगों से मिल सकते हैं। हम सभी लोग जायेंगे।

वहां पर लोग मर रहे हैं। यदि एक दो संसद सदस्य भी मरते हैं तो उन्हें भी मरने दे। हमें यह कार्य करना चाहिए। वहां पर लोग मरते हैं परन्तु हम यहां पर शोर मचाते हैं यह विचित्र बात है।

स्वायत्त शासी परिषद् का चुनाव स्थगित नहीं होना चाहिए। हमें लोकतंत्रीय प्रक्रिया से अलग नहीं होना चाहिए। हमें उसे दृढ़ बनाना चाहिए। वहां पर चुनाव कराये जायें। उसके महत्व को कम नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को उनसे बातचीत करने पर विचार करना चाहिए। इसलिए मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के इन विचारों का समर्थन करता हूं कि उनसे बात-चीत की जानी चाहिए। जब हन मिजो राष्ट्रीय मोर्चे से बात करते हैं तो हम इनसे भी बातचीत कर सकते हैं। राष्ट्रीय समन्वय समिति गठित की जाये। माननीय संसद सदस्य वहां पर जायें।

आप उन्हें आमंत्रित करें। देखें कितने सदस्य इच्छा व्यक्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत से सदस्य उद्यत होंगे और उन्हें गांव-गांव जाना चाहिए। तब यह संसद कार्य करने वाली संसद होगी, न कि वह संसद जो केवल बातें करती है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्यों ने अध्ययन दल के बारे में एक प्रश्न उठाया है। मैंने कहा था कि अध्ययन दल में इस देश के प्रमुख व्यक्ति होंगे। इस दल को त्रिपुरा की समस्या का अध्ययन कर राज्य में विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच सामान्य एवं मैत्री पूर्ण संबन्धों की स्थापना के लिए सुझाव देने हैं। इस दल के लिए यह आवश्यक नहीं हैं कि केवल संसद सदस्य ही जाकर और जांच करके रिपोर्ट दे सकता है। उसमें संसद सदस्य भी हो सकते हैं, मैं इस बारे में इनकार नहीं करता। परन्तु समिति में देश के प्रमुख व्यक्ति होंगे जो कि इस स्थित में योगदान दे सकते हैं ऐसा व्यक्तियों में से हम एक अध्ययन दल बनाने जा रहे हैं। माननीय सदस्य ने और कोई प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने केवल वही बातें दोहराई है जो अन्य सदस्यों ने पूछी थी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : त्रिपुरा में जो भी रिपोर्ट प्राप्त हो रही हैं। उनसे यह पहले ही प्रकट हो चुका है कि सरकार, आदिम जातीय लोगों तथा त्रिपुरा के विभन्न समुदायों में मेल मिलाप का प्रभाव हैं। जो आठ व्यक्ति मारे गये तथा दो अन्य व्यक्तियों की अस्पताल में मृत्यु हुई। वे सब सरकारी अधिकारी थे। इससे प्रतीत होता है कि सरकार त्रिपुरा के लोगों के लिए पूरी तरह प्रति कूल है। केन्द्रीय सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि यहां कहीं भी आदिम जातियों एवं हरिजनों की भूमि छीनी गई है उसे वापस दिया जाना चाहिए। यह पूरे भारत में समान रूप से लागू ही है। हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि त्रिपुरा के आदिम जातीय लोगों से छीनी गई कितनी भूमि अब तक उन्हें वापस कर दी गई है। आदिम जातीय लोगों की दूसरी मांग यह है कि दूसरे विशेष संशोधन के बारे में है जिसमें आदिम जातीय लोगों का आरक्षित वनों से अधिकार छीना गया था। आप जानते हैं कि आदिम जातीय लोगों का वनों के प्रति गहरा मोह होता है, क्योंकि वे समझते हैं कि वन उनके अपने हैं और यदि उन्हें उस पर अधिकार नहीं देते तो वे विद्रोह कर देते हैं। त्रिपुरा के आदिवासी लोग चाहते हैं कि आरक्षित वनों में उनके विशेष अधिकार होने चाहिए। त्रिपुरा के आदिम जातीय लोगों को ये अधिकार वापस दिलाने के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

तीसरे एक विशेष निर्देश दिया गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में उनकी बोली ही शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। हर जगह यह हो रहा है। यदि कोई बंगाली उड़ीसा में रहता है तो उसको प्राथमिक शिक्षा बंगाली में दी जाती है। आप त्रिपुरा के लोगों को यह अधिकार क्यों नहीं देते जिसकी कि वे मांग कर रहे हैं।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि त्रिपुरा के आदिम जातिय छात्र संगठन और टी. यू. जे. एस. और भारत सरकार के बीच कोई सीधा सम्पर्क स्थापित किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि इसका अभाव ही इस संकट का मूल कारण है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या त्रिपुरा

में इस कमी को दूर करने के लिए कोई प्रयत्न किये गए हैं तथा क्या इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए गए हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य पहले जानना चाहते थे कि आदिम जातीय लोगों को लौटाई गई भूमि के सही आंकड़े क्या हैं यह एक राज्य का विषय है। भूमि सुधार अधिनियम राज्यों द्वारा बनाये और लागू किए जाते हैं। जो भी अतिरिक्त भूमि उनसे ली गई थी और जो उन्हें लौटा दी गई है उसके आंकड़े राज्य सरकार के पास हैं। ये आंकड़े इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि यह ध्यानाकर्षण का मामला नहीं है। यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं तो मैं आकड़े राज्य सरकार से लेकर उन्हें सभा पटल पर रख दूंगा।

दूसरा प्रश्न आदिम जातियों को बनों पर अधिकार लौटाने के बारे में है। यह भी राज्य का मामला है तथा राज्य सरकार ही ऐसा कर सकती है। हम राज्य सरकार को सुझाव दे सकते हैं कि वह इस बारे में कुछ करें। मैंने माननीय सदस्य के सुझाव को नोट कर लिया है।

जहां तक भाषा का सम्बन्ध है, बंगला लिपि में "काक-बोरक" को द्वितीय राज भाषा के रूप में घोषणा की गई है और इसे प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में शुरू किया गया है।

माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न टी० यू० जे० एस० और छात्र विंग के साथ सीधे सम्पर्क के बारे में है। अभी तक हमारा उनके साथ कोई सीधा सम्पर्क नहीं है।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राज्य सरकारों द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को तकावी ऋणों का न दिया जाना

श्री कुम्भाराम आर्य (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, सूखाग्रसित प्रदेशों को भारत सरकार की ओर से किसानों को बीज, बैल, खाद और चारा खरीदने के लिए धनराशि दे दिये जाने पर भी प्रदेश सरकारें किसानों को तकावी ऋण नहीं दे रही हैं : खरीफ की बुवाई के लिए बीज (बाजरा, मक्का, ज्वार, ग्वार, मोठ आदि) मंगवा कर नहीं दे रही है। बैल और ऊंट जो हल चलायेंगे उनके चारे की भी व्यवस्था नहीं कर रही है। ऐसे हालत के अन्दर सूखा-ग्रसित क्षेत्र का किसान अपना खेत बो सकने में असमर्थ रहेगा, किसान और राष्ट्र को इससे हानि होगी। अन्न का अभाव बढ़ेगा, भूख बढ़ेगी, भाव बढ़ेंगे। शासन और प्रशासन को भारी संकट का सामना करना होगा। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाना

चाहता हूं। कृपि मन्त्री महोदय प्रान्तीय सरकारों से सम्पर्क स्थापित करके इस समस्या का हल अविलम्ब निकलवाएं। वर्षा आरम्भ हो गई है, इसलिए इस कार्य में अब देरी करना किसान और राष्ट्र के हित में नहीं है।

(दो) दुबई में अलीसा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों को मुक्त करवाने का अनुरोध

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : बड़ी हृदय-विदारक घटना है। ऐसी बात सुनकर कलेजा मुंह को आता है और आंखों में पानी भर आता है। राजस्थान के सीकर जिले से 34 आदमी 26-4-80 को हवाई जहाज से मजदूरी के लिए ले जाए गये। वहां से वे एलीसा कन्स्ट्रक्शन कं०, दुबई में काम पर लगाए गए। उनसे सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम लिया जाता है और जब वे काम से विश्राम मांगते हैं तो उनकी बुरी तरह से धुनाई व पिटाई होती है। कुछ मजदूरों के तो हाथ पांव तोड़ दिए गए हैं। उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता और वे रात को एक छोटे कमरे में बन्द कर दिये जाते है तथा पीने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं किया जाता है और आज तक उन लोगों को मजदूरी के रूप में एक पैसा भी नहीं दिया गया है। अब वे चाहते हैं कि किसी प्रकार वहां से छुटकारा पा जायें और वापिस हिन्दुस्तान आ जायें। यदि वह कम्पनी उनको छोड़ दे तो जान बच सकती है। इसके लिए भी विदेश मन्त्री अपने स्तर पर दुबई सरकार से शीघ्रातिशीघ्र बात करके इन पीड़ित व्यक्तियों को मुक्त करायें।

अध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि मैं श्री हरिकेश बहादुर को नियम 377 के अधीन अन्य मामला उठाने को कहूं, मैं बताना चाहता हूं कि सुस्थापित परम्परा के अनुसार कोई भी सदस्य एक सप्ताह में नियम 377 के अधीन एक से अधिक मामला नहीं उठा सकता।

श्री हरिकेश बहादुर ने नियम 377 के अन्तर्गत इस सप्ताह के दौरान 2 जुलाई, 1980 को पहले ही मामला उठाया है क्योंकि वर्तमान मामला पर्याप्त महत्व का है, मैंने उन्हें इसके लिए विशेष रूप से अनुमति दे दी है। मैं कहना चाहता हूं कि इसे भविष्य में पूर्वदृष्टान्त न माना जाये।

(तीन) उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष के चुनाव में विलम्ब का समाचार

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उत्तर प्रदेश विधान सभा अपने अध्यक्ष का चुनाव न कर सकी है। कार्यवाहक अध्यक्ष जिन्हें नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने हेतु नियुक्त किया गया था, वे ही सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं। यह एक अत्यन्त गम्भीर संवैधानिक त्रुटि है। इससे भारतीय संविधान का खुला उल्लंघन हुआ है। भारत सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह तत्काल हस्तक्षेप करे और देखे कि प्रदेशों में सरकारों के द्वारा संविधान का उलंघन न होने पाये। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को तत्काल आवश्यक निर्देश दिये जाने चाहिएं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री जार्ज फर्नाण्डीस (मुजफ्फरपुर) : इस पर सदन में बहस होनी चाहिए । दूसरे सदन में इस पर बहस हो गयी है।

श्रीमान, इस मामले पर सभा में चर्चा की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में संविधानिक व्यवस्था टूट गयी है । राज्य सभा में इस पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है । मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर यहां चर्चा हो । देश के सबसे बड़े राज्य में संवैधानिक अव्यवस्था के बारे में चर्चा करने के लिए नियम 377 कोई माध्यम नहीं है । वहां पर अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है । यह चुनाव सम्भव नहीं हो सका है है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही है श्री शमन्ना ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : इस पर आपकी रूलिंग क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं, श्री शमन्ना को बुलाया है ।

(चार) कर्नाटक राज्य को गेहूं की सप्लाई

श्री टी० आर० शमन्ना : (बंगलौर दक्षिण) : मैं कर्नाटक राज्य को गेहूं की सप्लाई सम्बन्धी स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

मुझे कर्नाटक राज्य को गेहूं की अनियमित सप्लाई के बारे में कर्नाटक रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन तथा दूसरों से जोरदार शिकायत मिली है ।

मुझे बताया गया है कि बंगलौर स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के पास जो गेहूं का भंडार है वह केवल कुछ दिन के लिए ही काफी होगा चक्की मालिक कहते हैं कि गेहू उत्पादों को तैयार करने के लिए गेहूं उन्हें नहीं मिल रहा है । कर्नाटक को गेहूं की सप्लाई तुरन्त करनी होगी । इसके अतिरिक्त रोलर मिलों को सड़क परिवहन के माध्यम से अपनी गेहूं की सप्लाई प्राप्त करने के लिए कहा जाता है । चूंकि दिये जाने वाला भाड़ा रेल भाड़े से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए चक्की मिल मालिकों के लिए लागत व्यवहार्य नहीं होगी । आटा मिल मालिक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गेहूं की सप्लाई रेलों के द्वारा की जाये अथवा यदि उन्हें बिहार राज्य की तरह सड़क मील दर से भुगतान कर दिया जाता है तो वे लारी के द्वारा गेहूं प्राप्त करने को तैयार हैं ।

मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री से कर्नाटक राज्य की सप्लाई का तुरन्त प्रबन्ध करने की प्रार्थना करता हूं ।

(पांच) उड़ीसा के कालाहांडी जिला में कतिपय ब्लाकों में सूखा राहत उपायों की आवश्यकता

श्री राम बिहारी बहेरा (कालाहांडी) : उड़ीसा में गोला मुन्डा, कोमाना, सिवापाली, धर्मगढ़ और कालाहांडी के कोकसारा खण्ड में एक गम्भीर एवं अभूतपूर्व सूखा पड़ा हुआ है।

इन खण्डों के लोगों को अकथनीय दुखों का सामना करना पड़ रहा है। पद दलित लोग, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग महुआ के फूल टोला एवं ऐसे अन्य जंगली फल खा करके भुखमरी से बच रहे हैं, जो मानवीय जबान के लिए बहुत ही असहनीय है। गेहूं या चावल जसी प्राथमिक आवश्यक वस्तुओं की गम्भीर कमी के कारण वे लोग कुछ वृक्षों के पत्ते और छाल को उबाल कर खा रहे हैं।

समूचे सिनापाली और धर्मगढ़ खण्डों में पेयजल बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं सूख गये हैं। महिलाओं को पेयजल के एक बर्तन को प्राप्त करने के लिए कई मिलों तक चलना पड़ता है। नदियों और नालों में अब केवल रेत ही रेत रह गई है। धर्मगढ़ नगर में बर्तन में प्राप्त करने योग्य कोई पेय जल सप्लाई नहीं होती। इस नगर में तीन कुएं हैं जिसके सामने 4 मध्यान्ह पूर्व से हजारों लोग लाइन में खड़ा होना शुरू कर देते हैं।

यदि केन्द्रीय सरकार उड़ीसा की राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता नहीं देती है जो कि सूखा स्थिति से निपटने का प्रयास कर रही है, तो स्थिति बहुत ही गम्भीर और अनियंत्रित हो जायेगी। मानव दुखों को अनिवार्य रूप से किसी भी तरह विशेष कर कि सूखा राहत उपायों को जोरदार ढंग से कार्यान्वित करके कम किया जाना चाहिए। यह इन क्षेत्रों में रहने वाले 38,000 लोगों के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है।

(छः) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा ट्रंक मार्गों पर निजी कम्पनियों द्वारा वायुयान सेवाओं को अनुमति देने का निर्णय

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्रीमान जी, आपकी अनुमति से मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित आवश्यक लोक हित के मामले का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा :—

इंडियन एयरलाइन्स ने गैर-सरकारी कम्पनियों के द्वारा विमान सेवाओं को चलाने की, विशेषकर कि इंडियन एयरलाइन्स के ट्रंक मार्गों पर, आम परम्परा की अवहेलना करके 'पुष्पक-एयरवेज' नामक एक गैर-सरकारी कम्पनी को बम्बई और मद्रास के बीच एक दैनिक कारा विले विमान सेवा चलाने की अनुमति देने का निर्णय किया है। यह आश्चर्यजनक बात है कि इंडियन एयर लाइन्स ने यह पहला विमान एक गैर-सरकारी कम्पनी को 12 लाख रुपये में बेचा है जबकि इसने अन्य दो विमान को क्रमशः 5 लाख रुपये तथा 3 लाख रुपये मूल्य पर बेचने की पेशकश की है। विमानों की कीमतों में इतनी अधिक असमानता बहुत ही विचित्र लगती है।

योजना आयोग द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा तीसरी एयर लाइन्स सेवायें हमारे राष्ट्रीय परिवहन प्रणाली के जिसमें रेलवे, मोटर परिवहन एयरवेज शामिल हैं, संतुलित विकास के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। इन सभी के लिए पर्याप्त ईंधन की आवश्यकता होगी। सरकार को इस मामले के सम्बन्ध में एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए।

(सात) पश्चिम बंगाल को शीघ्र खाद्यान्न देने की आवश्यकता

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सरकार से खाद्यान्नों की कम सप्लाई के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में गम्भीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

पश्चिम बंगाल की इस वर्ष की मांग 30 लाख टन की थी जो कि सामान्य वार्षिक कोटे से 10 लाख टन अधिक था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 1978 और 1979 में गम्भीर बाढ़ें आयी थी और गम्भीर सूखा पड़ा था।

पंजाब और हरियाणा में केन्द्रीय पूल से पश्चिम बंगाल को सप्लाई प्रतिमास कम होती जा रही है और यह मई में कम होकर 1·68 लाख टन रह गई जबकि यह जनवरी में 1·82 लाख टन थी। हालांकि केन्द्र ने पश्चिम बंगाल को 150 रेक भेजने का बचन दिया, फिर भी औसतन वास्तविक सप्लाई केवल 110 रेक की हुई है।

अब पश्चिम बंगाल के पास एक महीने से भी कम का भंडार रह गया है।

यह बहुत ही गम्भीर स्थिति बन गयी है जिससे राशन तथा उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा खाद्यान्नों के वितरण पर कुप्रभाव पड़ेगा। अतः मैं संबन्धित मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस मामले में आवश्यक पग उठाकर पश्चिम बंगाल को पर्याप्त खाद्यान्न तुरन्त भेजने में शीघ्रता की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन अपना वक्तव्य देते हुए श्री हरिकेश बहादुर ने कुछ ऐसी बात कही है जो कि अध्यक्ष महोदय को दिये गये इस वक्तव्य में नही है जिसे अनुमोदित किया गया है। और कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। केवल उनके द्वारा दिये गये लिखित बात को ही कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जायेगा। माननीय सदस्यों से प्रार्थना की जाती है कि वे केवल उसी वक्तव्य को पढ़ें जो उन्होंने अध्यक्ष महोदय को लिखित रूप में दिया है। यह भविष्य में आपके मार्ग दर्शन के लिए है।

श्री जी० एम० बनात वाला (पोन्नानी) : किन्तु हम यह नहीं जानते कि अध्यक्ष महोदय को लिखित रूप में क्या दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही आपको कल उपलब्ध हो जायेगी।

आवश्यक सेवायें (असम) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प
आवश्यक सेवायें (असम) विधेयक

कतिपय सेवाओं को आवश्यक घोषित करने के बारे में असम सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना की मंजूरी सम्बन्धी सांविधिक संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम निम्नलिखित पर विचार करेंगे :—

श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा 3 जुलाई, 1980 को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा, अर्थात : —

"यह सभा आवश्यक सेवायें (असम) अध्यादेश, 1980 (1980 का अध्यादेश संख्या 2) का जो राष्ट्रपति द्वारा 6 अप्रैल, 1980 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

श्री योगेन्द्र मकवाना द्वारा 3 जुलाई, 1980 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार अर्थात : —

"कि असम में कतिपय आवश्यक सेवाएं तथा प्रसामान्य सामुदायिक जीवन बनाये रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री योगेन्द्र मकवाना द्वारा 3 जुलाई, 1980 को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा, अर्थात् : —

"कि आवश्यक सेवायें (असम) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 2) की धारा 2 की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा असम सरकार के राजनीतिक (क) विभाग की दिनांक 7 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या पी.एल.ए. 334/80/7 के, जिसके द्वारा जल तथा विद्युत के उत्पादन, संदाय तथा वितरण से सम्बन्धित सेवाओं, जिनमें विद्युत (संदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत गठित असम राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन सेवाएं भी शामिल हैं, को उक्त अध्यादेश के प्रयोजनार्थ आवश्यक सेवाएं घोषित किया गया है, जारी किये जाने का अनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सी० टी० दंडपाणि। कृपया आप अपने भाषण को दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : जब मैं कल इस विधेयक का समर्थन कर रहा था, तो कुछ माननीय सदस्य मुझे यह शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि श्रमिक संघवाद क्या है। हम इस विधेयक का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असम में विशेष परिस्थितियां व्याप्त है और इसलिए सरकार का विचार है कि उस राज्य में कुछ गतिविधियों को रोकने के लिए कोई

कानून बनाना आवश्यक है। इसके साथ ही मैं अन्य मित्रों को मजदूर संघ गतिविधियों के बारे में कुछ तथ्य सभा के समक्ष रखना चाहता हूं।

तमिलनाडु में दो वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने अधिघोषणा की थी जिसके द्वारा 64 उद्योगों को आवश्यक सेवायें घोषित करके उनमें हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। यदि कोई कर्मचारी हडताल करें तो उसे छः महीने के लिए जेल में डाल दिया जायेगा। यदि मजदूर संघ का कोई नेता हड़ताल के पक्ष में बोलता है, तो उसे एक महीने के लिए जेल में डाल दिया जायेगा। अथवा उसे 1,000 रुपया जुर्माना देना होगा। उस विधेयक का समर्थन अनेक मजदूर संघ नेताओं के द्वारा किया गया था। जहां तक द्रमक का सम्बन्ध है हमने इस विधेयक का विरोध किया था और भारतीय साम्यवादी दल ने हमारा समर्थन किया था। हमा विधेयक का विरोध करने हेतु रैलियों तथा सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया था क्योंकि तमिलनाडु में कोई ऐसी असामान्य स्थिति नहीं थी जिससे यह विधेयक आवश्यक था। जिन दलों ने तमिलनाडु में तत्कालीन सरकार द्वारा की गयी उन कार्यवाही का समर्थन किया था, वे अब इस विधेयक का विरोध कर रही हैं। जबकि वे अच्छी प्रकार जानते हैं, कि असम में ऐसे तत्व हैं जो समस्त क्षेत्र में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। हमारी माननीय प्रधान मंत्री एक शान्ति पूर्ण समाधान लाने के लिए इस मामले में तीव्र रुचि ले रही हैं। सभी राजनीतिक नेताओं को एक बैठक में बुलाया गया था और हमने अपने पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अपनी-अपनी राय व्यक्त की थी। इस समस्या का समाधान शान्ति पूर्ण बात चीत के द्वारा ढूंढा जाना चाहिये। मैं एक शान्ति पूर्ण समझौते पर पहुंचने हेतु पहल करने के लिए सरकार को धन्यवाद भी करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का स्वागत तथा समर्थन करता हूं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) ; मैं इस सभा में श्री मकवाना द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यद्यपि यह एक सुखद विधेयक नहीं है, फिर भी घटनाओं के संदर्भ में यह बहुत ही आवश्यक हो गया है। अभी तक असम आंदोलनकारियों सभी साधनों को अस्वीकार कर दिया है और मैंने एक गैर-राजनीतिक दृष्टिकोण से भी स्थिति की समीक्षा करने का प्रयास किया है ज्ञानपीठ पुरस्कार के एक विजेता, श्री बीरेन भट्टाचार्य द्वारा एक पत्रिका में प्रकाशित एक इंटरव्यू में बताया गया है कि यह असमिया समाज का एक विद्रोह है और स्थानीय लोगों संबंधी सिद्धान्त की अपेक्षा स्वदेशी दृष्टिकोण से इस आन्दोलन पर विचार किया जाना चाहिये। मुझे इस वक्तव्य के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं मिला है ; इसके विपरीत एक विद्वान पो०, श्री महारोन वेनर की **'सन आफ दी सायल, माग्रेशन एण्ड एथनिक केघलिस्ट इन इंडिया'** नामक पुस्तक में एक अध्याय है जिसका शीर्षक **"बैन माग्रेटस सक्सीड, एण्ड नेटिवज फेलड-असम एण्ड इटस माइग्रेटस"**। जो कुछ आज असम में हो रहा है, उसकी ओर यह तीव्र रूप से संकेत करता है। हम देख रहे हैं कि यह क्षेत्र सभी सम्भव संचार सम्पर्कों द्वारा शेष मातृ भूमि से कट गया है। तीन दिनों के लिये असम तथा अन्य पड़ौसी क्षेत्रों में जन जीवन राष्ट्रीय मुख्य धारा से कट जायेगा और जीवन का यह एक दुखद तथ्य है और यह बात स्पष्ट नहीं है कि यह आंदोलन अब क्या उद्देश्य और किस प्रकार उसे प्राप्त करने का दावा करता है जबकि

माननीय प्रधान मंत्री सभी प्रकार की बातचीत की पेशकश कर रही हैं. उन्होंने तो यहां तक कहा है कि वह सभी प्रकार के समाधानों का स्वागत करेंगी जिनसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा की गारंटी मिले तो मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि आंदोलन के नेताओं के, अर्थात ए० ए०एस० यू० तथा असम गण संग्राम परिषद समझौता करने के हेतु, बातचीत करने के मार्ग में क्या बाधा है उनकी इस मांग पर, कि 1951 को विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान के लिये 1951 आधार वर्ष होना चाहिये, समुचित संदर्भ में विचार करना होगा।

जब प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह कहा है कि वह इस प्रक्रिया को आरम्भ करने के लिये 1971 को आधार वर्ष मानना चाहती हैं और अगर आवश्यकता होगी तो वह पिछले वर्षों को भी आधार वर्ष मान सकती हैं, इससे यह बात सबको स्पष्ट हो जानी चाहिये कि उनका रुख लचीला है और वह एक बात पर अड़ी नहीं हुई हैं और वह सभी के विचारों को सम्मान देना चाहती हैं, आन्दोलन के नेता एकसांस में जो यह कहते हैं कि सभी राजनैतिक दलों की उनके लिये कोई प्रांसांगिकता नहीं है और दूसरी सांस में कहते हैं कि वह गांधी जी द्वारा प्रतिपादित स्वदेशी विचारधारा से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। किन्तु जैसा कि श्री भट्टाचार्य ने स्वंय कहा है कि उन लोगों को, जिन्हें वह विदेशी कहते हैं, जिन्हें वह संवैधानिक अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं, भी मानवीय अधिकार हैं और आसाम आन्दोलन से यही मानवीय पक्ष ही सबसे अधिक बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

एक अनुमान के अनुसार, इस आन्दोलन के कारण प्रतिदिन दस करोड़ रुपये की हानि हो रही है ; इसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक जीवन और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को बड़ा भारी धक्का पहुंचा है। इसके अतिरिक्त भी रेलगाड़ियों का आना-जाना अवरुद्ध है। विद्यार्थियों ने अपने जीवन का एक बहुमूल्य वर्ष खो दिया है और वह दूसरा वर्ष भी खो देंगे। आसाम की जनता शेष देश से पिछड़ जायेगी ; जब अन्य राज्य प्रगति के पथ पर निरन्तर बढ़ रहे हैं, आसाम पीछे रह जायेगा। इस आन्दोलन से, जिसे शहर के विशिष्ट वर्ग चला रहे हैं, गरीब जनता के जीवन पर अत्यधिक विपरीत प्रभाव पड़ा है तथा इससे दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाली जनता का जीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र से हमारे मित्रों ने इस सदन में यह कहा है कि तारों तक का भी वितरण नहीं हो पा रहा है, डाक भी नहीं बांटी जा रही है और प्रत्येक वर्ग में यह सुनियोजित ढंग से प्रयास किया जा रहा है कि सुसंस्कृत समाज के फलों से समाज के कमजोर वर्गों को वंचित रखा जाये। अतः यह ऐसा अवसर है कि वह नेता इस बात का अनुभव करें कि वह राष्ट्रीय जीवन को तथा जिस क्षेत्र का समर्थन करने का वह दावा करते हैं, उसे कितनी हानि पहुंचा रहे हैं ; इस क्षेत्र में निरन्तर तनाव बना हुआ है, यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।

'स्टेट्समैन, समाचार पत्र के अनुसार 12 जून को पूर्वोत्तर क्षेत्र के बंगालियों और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अखिल भारत समिति का एक प्रतिनिधि दल प्रधान मन्त्री से मिला और उनके द्वारा अनुभव की जारी कुछ कठिनाईयों के बारे में उन्हें एक ज्ञापन दिया।

उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी भागों की भावनाओं और विरोध को भी अभिव्यक्ति दी जिन्हें अभी तक अभिव्यक्त नहीं किया जा सका था और जिनकी आवाज अभी राजधानी नहीं पहुंच सकी थी। मैं भी पहाड़ी क्षेत्र का व्यक्ति हू। अतः संचार-व्यवस्था में व्यवधान के परिणामों को मैं भलीभांति जानता हूं। किन्तु आसाम आन्दोलन से वहा हुआ है जिसका वह दावा करते हैं कि वह ऐसा नहीं करना चाहते हैं।

कल श्री जार्ज फर्नाडीण्स ने इस विधेयक की कटु आलोचना की थी। उन्हें इस विधेयक के अन्दर फासीस्टवाद का तत्व नजर आया। किन्तु मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि वह उस दल, अथवा उस दल के अवशेष अथवा टुकड़े के उप-नेता हैं जिन्होंने आसाम में राष्ट्रपति शासन लागू किया था। यह प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी अथवा उनकी सरकार ने नहीं बल्कि श्री जार्ज फर्नाण्डीस द्वारा समर्थित चौधरी चरण सिंह की सरकार ने आसाम में 16 दिसम्बर, 1979 को राष्ट्रपति शासन लागू किया था। यदि उनकी लोकतन्त्र में निष्ठा होती तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि विधान सभा को निलम्बित नहीं किया जाता। श्री जे० एन० हजारिका अब भी यही कहते हैं और ऐसा कहना कितना हास्यास्पद है कि वह अब भी आसाम के मुख्य मन्त्री हैं और ज्योंही विधान सभा के निलम्बन को निरस्त किया जायेगा तो उन्हें पुनः आसाम का मुख्य मन्त्री बना दिया जायेगा। उनके लिए ऐसा सोचना अच्छा है किन्तु उन्हें आसाम की जनता द्वारा सहन किए जा रहे कष्टों का भी ध्यान रखना चाहिए।

मैं यह जानना चाहता हूं कि दूसरी ओर के हमारे मित्रों का इस समस्या के प्रति क्या रवैया है, क्योंकि श्री जार्ज फर्नाण्डीस ने इस वर्ष 17 जून को शिलांग की यात्रा की थी और इस समस्या का गैर-कांग्रेस (इ) समाधान निकालने का विचार जोर-शोर से प्रस्तुत किया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु से बात चीत की और इस समस्या के समाधान के लिए एक गैर-कांग्रेस (ई) वार्ता समिति गठित करने का प्रयास किया, हालांकि जो व्यक्ति आन्दोलन कर रहे हैं उन्होंने यह घोषणा की है कि उनके लिए सभी राजनीतिक दलों की कोई प्रासांगकिता नहीं है। उन्होंने राजनीतिक दलों को कांग्रेस (इ) तथा गैर-कांग्रेस (इ) दलों में विभक्त करना चाहा। किन्तु श्री ज्योति बसु ने निमन्त्रण अस्वीकार कर दिया और उन्होंने वार्ता का निमन्त्रण भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उस दल का सदस्य बनना भी अस्वीकार कर दिया। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि आसाम में कमजोर वर्गों के हितों की आम आदमी के हितों की विद्यार्थियों के हितों तथा उस भाग में रहने वाले शान्ति पसन्द लोगों की यह मांग है कि इस समस्या का शीघ्र ही समाधान किया जाए और इस सम्बन्ध में रवैया लचीला हो। इस सम्बन्ध में हठी रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए।

अब जहां तक 1951 को आधार वर्ष बनाने की मांग का सम्बन्ध है, यह इस अर्थ में अत्यधिक अविवेकपूर्ण मांग है कि आप यह नहीं कह सकते कि आप कहां से कार्य प्रारम्भ करना चाहते हैं। यदि प्रधान मन्त्री प्रक्रिया पर 1971 से आगे बातचीत करना चाहती हैं और इस सम्बन्ध में कुछ भी करने को तैयार हैं तो इन मित्रों को क्या आपत्ति है ? आसाम में आन्दोलन

चलाने वाले लोगों को इसमें क्या आपत्ति है ? यदि मुझे यह पता चलता है कि उनका रवैया अविवेकपूर्ण है तो मुझे सन्देह होता है कि जो प्रतीत हो रहा है उसके पीछे कुछ और है ।

उस ओर के मेरे मित्रों को जिनमें श्री जार्ज फर्नाण्डीस भी सम्मिलित हैं एक बात याद रखनी चाहिए कि आसाम की समस्या से राजनीतिक लाभ उठाने और कांग्रेस (इ) को अलग करने से वह राष्ट्र को भारी हानि पहुंचा रहे हैं और जैसा कि एक महान उर्दू कवि नजरूक इस्लाम ने कहा है उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है :

नजर उनकी जुबां उनकी मैं किस को मातबार समझूं ।
नजर कुछ और कहती है जुबां कुछ और कहती है ।।

जब वह दिल्ली में बात करते हैं तो उनकी आवाज और होती है और जब वह शिलांग में होते हैं तो उनकी आवाज और होती है—उनकी असली आवाज क्या हैं हम किसे समझें ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : मेरी आवाज वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मेरा अभिप्राय उनकी राजनीतिक आवाज से है न कि मानव आवाज से ।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : थोड़ी सी अंग्रेजी मैं भी जानता हूं ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए । जब आप इस विधेयक की आलोचना करते हैं तो आपको यह भी अनुभव करना चाहिए कि जनता को अनेक कष्ट सहने पड़ रहे हैं क्योंकि सरकार पर्याप्त कड़ाई से कार्यवाही नहीं कर रही है और हमारे मन में यह सन्देह है कि यह उपाय भी पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि प्रशासन में ऐसे तत्व हैं जो आम आदमी को आम जीवन जीने नहीं देंगे । अतः मेरा यह सुझाव है कि इस विधेयक को सदन द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए और मैं श्री जार्ज फर्नाण्डीस द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का विरोध करता हूं । मैं माननीय गृह मन्त्री से भी अनुरोध करता हू कि यह इस प्रकार की कार्यवाही करें कि न केवल यह विधेयक स्वीकृत तथा लागू किया जा सके, बल्कि अन्य समितियां भी बनाई जायें जो गैर-सरकारी सदस्यों की हो सकती हों, प्रतिष्ठावान व्यक्तियों को इन समितियों का सदस्य बनाया जाये ताकि आसाम में जीवन पुनः सामान्य हो जाये और इस आन्दोलन के नेता बात चीत करने के लिए तैयार हो जाए और राष्ट्र को यह आश्वासन दिया जाए कि यह आन्दोलन राष्ट्र की अखण्डता के विरुद्ध नहीं है, कि यह राष्ट्र-विरोधी नहीं और न ही यह पृथकतावादी आन्दोलन है और सरकार को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए और इस देश में, राजनैतिक जीवन में अथवा अन्य क्षेत्रों में जितने भी समझार तत्व हैं वह मौके की नजाकत को समझें और दृढ़ता से ऐसी कार्यवाही करें कि ऐसे तत्वों को हमेशा के लिए अलग कर दिया जाए, और यदि इस आन्दोलन के पीछे किसी विदेशी शक्ति का हाथ है तो माननीय गृहमन्त्री को उनके बारे में राष्ट्र को बताना चाहिए कि आन्दोलन के पीछे कौन है ।

इन शब्दों के साथ मैं भारी हृदय से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि माननीय गृह मंत्री इस प्रकार की कार्यवाही करें कि आसाम में कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी यह महसूस करे कि दिल्ली उनकी आंखों से आंसू पोछने में असफल नहीं हुई कि जब अन्य दलों के लोग गन्दी राजनीति का खेल खेल रहे हैं। और आसाम समस्या से राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं तो राष्ट्रीय नेताओं ने तथा हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आसाम में कमजोर से कमजोर और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी निराश नहीं किया है।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मुन्दर शर्मा (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आसाम की स्थिति अब ऐसे हाथों में पहुंच चुकी है जहां सम्भवत: समझौता होना संभव नहीं है। पहले विद्यार्थियों का हाथ था। विद्यार्थी तो समझौते के लिए राजी होते हैं लेकिन नेता उसमें बाधा उपस्थित कर रहे हैं और राजनैतिक कारणों से अब समझौता होना संभव नहीं प्रतीत होता। यदि 1951 की उनकी मांग मान ली जाय तो आसाम की दो तिहाई जनता को आसाम से बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि उस फारमूले के अनुसार एक तिहाई आबादी के लोग, वहां की जनता वहां रह सकेगी। ऐसी स्थिति में वहां की जनता की क्या हालत होगी, किन दुर्दशाओं का सामना करना पड़ेगा, इसका अन्दाज भी लगाया जा सकता है।

पूर्वांचल में मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मेघालय और अरुणाचल मिलाकर सात छोटे-छोटे राज्य हैं। लेकिन अरुणाचल को छोड़ कर शेष छः राज्यों में लगभग एक ही प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो मांग आसाम की हो रही है अन्य राज्यों में भी वैसी ही मांग होने लगी है। इस प्रकार से यदि एक राज्य की मांग मानी जाती है तो न केवल अन्य छः राज्यों की मांग भी माननी पड़ेगी बल्कि देश के शेष राज्यों में भी यही मांग उत्पन्न हो सकती है और विदेशियों की परिभाषा वहां भी हमें निर्धारित करनी पड़ सकती है। न केवल असम बल्कि बिहार से और उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों के व्यक्तियों को जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों से भी बाहरी लोगों को जाना पड़ सकता है। इस प्रकार से सारे देश का जीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है। मिजोरम और नागालैंड में सातों राज्यों को मिलाकर एक स्वतन्त्रत राज्य बनाने की मांग की जा रही है। नागालैंड के अद्धंदत सूबे और बाम हुसिया पूर्वांचल के सात राज्यों को मिलाकर एक स्वतन्त्र राज्य के निर्माण की पुरजोर मांग कर रहे हैं। मिजोरम के लालडेंगा से, मिजोल से केन्द्रीय सरकार बात कर रही है लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मिजो नेशनल फ्रन्ट के लोगों ने लालडेंगा की भर्त्सना की है और बात चीत करने से भी अपने को दूर रखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि लाहसा में ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि गोरिल्ला वार किस प्रकार से की जा सकती है अतः आने वाले दिनों में क्या स्थिति होने वाली है उसका आभास हमें मिल जाता है।

हम देख रहे हैं कि असम का जीवन अस्त-व्यस्त है, वहां पर अराजकता फैली हुई है और सार्वजनिक जीवन का सारा कार्य ठप्प हो गया है। ऐसी स्थिति में जो बिल इस सदन के सामने लाया गया है जिसके द्वारा संरक्षण के उपाय सोचे जा रहे है, मैं समझता हूं यह एक बहुत ही उपयोगी और ठीक कदम है। आज से 8 महीने पहले ही यह आग सुलग चुकी थी लेकिन उस समय जनता शासन ने इस समस्या के समक्ष घुटने टेक दिए, उस समय कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए। यदि शुरू में ही समुचित कदम उठा लिए गए होते तो आज इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। 8 महीने पहले ही जहाँ-तहां पोस्टर चिपकाए गए थे और उससे स्थिति का भान हो चुका था लेकिन उस समय कोई भी समुचित कदम नहीं उठाए गए। क्या यह सच नहीं है कि श्री जार्ज फर्नान्डीस के मित्र निवारण कौरा उसमें सम्मिलित हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें विदेशियों का हाथ नहीं है ? क्या यह सच नहीं है कि एम० आर० ए० के संयोजक श्री राज मोहन गांधी ने अपने अखबार 'हिम्मत' में, जो वे बम्बई से निकालते हैं, लिखा है कि असमियों के चेहरे भारतवासियों से नहीं मिलते हैं बल्कि जापानियों से मिलते हैं ? हम जानते है एम० आर० ए० संस्था क्या है और अमरीका से उसके क्या सम्बन्ध हैं। क्या यह सच बात नहीं है कि श्रीमती गांधी जब विजयी हुईं तो अमरीकी शासकों ने सिर पटकने शुरू कर दिए और यह समझ लिया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के आने के बाद जब उनके मन की बातें इन देशों में नहीं चल सकेंगी। यह सारी बातें क्या बताती हैं ? एम० आर० ए० और सी० आई० ए० के लोग समझते हैं कि इस प्रकार के उपद्रव खड़े करके श्रीमती गांधी के शासन को संकट में डाला जा सकता है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब अखण्ड भारत की मांग करने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी समझते हैं कि भारत के खण्ड-खण्ड करके अखण्ड भारत का उनका दिवास्वप्न पूरा हो सकेगा।

जनता शासन के समय में मध्य प्रदेश में एक मिनी मीसा लागू किया गया था, उस समय केन्द्र में भी जनता पार्टी का शासन था और मध्य प्रदेश में भी जनता पार्टी का शासन था परन्तु उस समय इन नेताओं ने कोई आवाज नहीं उठाई थी। क्या उस समय मध्य प्रदेश में पूर्वांचल के समान स्थिति पैदा हो गई थी ? क्या उस समय देश खण्डित होने जा रहा था ? क्या मध्य प्रदेश में इस प्रकार का उपद्रव हो रहा था ? नहीं. फिर भी वहां पर उसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी। कल यहां पर इमरजेंसी की बात कही गई कि इमर्जेन्सी के रास्ते पर यह पहला कदम है। मैं तो समझता हूं विरोधी दल के नेताओं को खुश होना चाहिए, शायद उन्हें मिठाई बांटनी चाहिए क्योंकि इमर्जेन्सी के बाद ही वे सभा में आये थे। और अगर यह सरकार इमर्जेन्सी के रास्ते पर चलने जा रही है तो उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इमर्जेन्सी के समय जिस प्रकार से विरोधी दल के कुछ नेता विदेश चले गये थे, कुछ लोग कलकत्ते में नौकरी करके छिपकर बैठे हुए थे और कुछ नेताओं ने जेलों में कलक्टर और एस० पी० को माफी-नामे भर कर दे दिए थे, उस प्रकार की बहादुरी वे इस बार नहीं दिखायेंगे।

जो बिल यहां पर पेश किया गया है उसको, जो विघटनवादी काम वहां पर चल रहे हैं उनको देखते हुए, स्वीकृति मिलनी चाहिए। अगर इसको स्वीकार नहीं किया जाता है तो सारे देश में अस्त-व्यस्तता आ जायेगी। विरोधी भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से रोम में आग लगी थी और नीरो वहां चैन की बन्सी बजाते थे, ठीक उसी प्रकार से असम और त्रिपुरा में व पूरे पूर्वांचल में जब आग लगी है और देश की एकता खण्डित होने वाली हो, उस समय क्या राष्ट्रपति महोदय अथवा गृह मंत्री या केन्द्रीय शासन को चैन की बंसी बजानी चाहिए ? क्या यह उचित सलाह है।

इस सिलसिले में मैं यह परामर्श देना चाहता हूं कि इस आन्दोलन को दृढ़ता के साथ दबाया जाए, लेकिन इसके साथ में विनम्रतापूर्वक सुझाव देना चाहता हूं कि संवेदनशीलता और उदारता का भी परिचय देना चाहिए। क्या यह सही नहीं है कि चाय असम में होता है, लेकिन उसका हैड-आफिस कलकत्ता में है, असम में तेल होता है, लेकिन शोध कारखाना बरौनी में है, जूट का काम असम में होता है, लेकिन उसका हैड-आफिस कलकत्ता में है। इसी प्रकार असमियों के साथ, वहां के निवासियों के साथ, वहां के आदिवासियों साथ, जमीन को लेकर, सूद के बदले जमीन छीनकर जो कुछ अन्याय हुआ है, जो उनका शोषण हुआ है, उसके लिए हमें सतर्क होना चाहिए। भविष्य में कुछ ऐसी योजनायें बनानी चाहिए, जिससे वास्तव में उनका शोषण न हो सकें। प्रगति के क्षेत्र में भी नए-नए छोटे बड़े उद्योग वहां पर कायम करने की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि वहां के लोग अश्वस्त हों कि उन लोगों की प्रगति हो रही है।

मैं बंगाली भाइयों से विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वे जहां कहीं भी जाते हैं, मुझे इस बात को कहने के लिए वे क्षमा करेंगे, इस प्रकार से अपने आदमियों को भरना शुरू कर देते हैं, कि उससे किसी भी प्रान्त में सन्देह पैदा हो जाता है। उन्हें उनके साथ संवेदनशीलता के साथ, भाईचारे के साथ, स्थानीय लोगों को उन पदों पर उचित स्थान देकर उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए।

अन्त में मै इतना ही कहूंगा कि संदेह का धूंआ उठाना और नफरत की रोटी सेंकना भी बन्द करना चाहिए, नहीं तो वास्तव में यह भारत खण्डित होगा और यह कोई छोटी घटना नही है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

***श्री आर० के० महालगी (ठाणे)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रस्ताव को अपना पूर्ण समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसमें उस अध्यादेश का विरोध किया गया है जिस पर सदन में चर्चा की जा रही है। मै सरकार के इस आवश्यक सेवाएं बनाये रखना (आसाम) विधेयक का कड़ा विरोध करना चाहता हूं। इस विधेयक के दो पक्ष हैं। पहला तो यह है कि यह राजनीतिक दृष्टि से लाया गया है और दूसरे, इसका सम्बन्ध कर्मचारियों की समस्याओं से है। मैं इन्हीं दृष्टिकोणों से इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। पिछले दस महीनों से आसाम की जनता

*मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आन्दोलन कर रही है और पुलिस द्वारा अपनाये गये दमनात्मक उपायों से इस आन्दोलन को दबाया नहीं जा सकता है। राजनीतिक आन्दोलन का समाधान तो केवल राजनीतिक बातचीत के द्वारा ही किया जा सकता है। बातचीत आरम्भ करने के लिए समुचित उपायों को खोजने के स्थान पर हम इस समस्या पर संसद में चर्चा कर रहे हैं। हम ऐसे विधेयक पर विचार कर रहे हैं जो पुलिस को और अधिक अधिकार प्रदान करना चाहता है इससे यही पता चलाता है कि यह विधेयक राजनीतिक दिवालियापन का प्रतीक है। इसके अंतर्गत ऐसे उपाय किये जाने का प्रस्ताव है जिनकी बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। हमें इस बात का भी अध्ययन करना होगा कि इस विधेयक का आसाम की जनता और छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं यह निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि यात्रियों, रेलगाड़ियों और हवाई सेवाओं की नाकेबन्दी के सम्बन्ध में किया गया हाल का निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह निर्णय लेते समय उन्हें पूरा पता था कि संसद इस विधेयक को पास करने वाली है। इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूँ कि महोदय, यदि आसाम आन्दोलन की समस्या को बातचीत के माध्यम से सुलझाना है तो इस विधेयक को वापस लेना होगा।

मैं इस विधेयक पर कर्मचारियों के दृष्टिकोण से विचार करना चाहता हूं। यदि यह पास हो जाता है तो यह सांविधि पुस्तक में 'काले अधिनियम' की तरह रहेगा। जैसाकि कल कहा गया था, यह एक काला विधेयक है। महोदय, मैं इस विचार से पूर्णतया सहमत हूं। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि इसे काला विधेयक क्यों कहा गया है तो हमें इसके उपलब्धों को देखना होगा। इस विधेयक में आवश्यक सेवाओं के अर्थ पर विचार किया गया है। इसमें आवश्यक सेवाओं की विस्तृत सूची नहीं है अपितु इसमें यह कहा गया है कि किस सेवा को आवश्यक सेवा माना जाये। किसी सेवा को आवश्यक सेवा मानने का अधिकार नौकर शाही को दिया गया है। नौरशाही को समूचे अधिकार दे देना और संसद की उपेक्षा करना अनुचित है। आसाम के अधिकारी ही यह निर्णय करेंगे कि कौन-सी सेवा आवश्यक सेवा है। जब इन अधिकारियों के हाथ में ऐसे अधिकार आ जायेंगे तो वे आसाम में सफाई विभाग के श्रमिकों की हड़ताल को भी अवैध घोषित कर सकेंगे। कर्मचारियों को उनके हड़ताल करने के अधिकार से वंचित करना अन्याय होगा। अंग्रेज भी श्रमिकों की हड़ताल पर आपत्ति नहीं करते थे क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1946 की धारा 22, 23 और 24 में ऐसा उपबन्ध था। किन्तु आज हमारी सरकार श्रमिकों के हड़ताल करने के अधिकार पर आपत्ति कर रही है और इस प्रकार वह इस अधिनियम की धारा 22, 23 और 24 की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर रही है।

महोदय, 'हड़ताल' शब्द की परिभाषा के क्षेत्र को आगे बढ़ा दिया गया है। यदि कोई कर्मचारी अस्वस्थ होने के कारण समय पर काम स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अस्वस्थ होने के कारण वह सामान्य कार्य के समय के पश्चात कार्य नहीं कर सकता तो उसे हड़ताल पर समझा जायेगा। हड़ताल को अवैध घोषित किया जायगा और उसें गिरफतार भी किया जा सकेगा। पुलिस को न केवल हड़तालो कर्मचारी को गिरफतार करने के अधिकार दिये गये हैं बल्कि नियोजक उसकी सेवाएं भी समाप्त कर सकता है। हड़तालो कर्मचारी को दण्ड देना और

बात है और उसकी सेवाएं समाप्त करना और बात है। किन्तु ऐसी क्रूर सजा हड़ताली कर्मचारी को दी जा सकती है। इस विधेयक में यह उपबन्ध है। महोदय, यह श्रमिक-विरोधी विधेयक है जो कि श्रमिकों के हितों के पूर्णतया विरुद्ध है यदि कोई व्यक्ति हड़ताली श्रमिक को अथवा उसके परिवार के सदस्यों का मानवीय आधार पर वित्तपोषण करता है तो उसका यह कार्य उसे हड़ताल के लिये उकसाने और प्रोत्साहन देने वाला समझा जायेगा और उसे भी गिरफ्तार किया जायेगा। उसे हड़ताली श्रमिक से अधिक कड़ा दण्ड भुगतना पड़ेगा। हड़ताली श्रमिक को छः महीने के कारावास का दण्ड दिया जायेगा तथा उसे एक हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा, जबकि हड़ताली श्रमिक के परिवार को वित्तीय सहायता देने वाले व्यक्ति को एक वर्ष का कारावास तथा 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। हमें यह देखना है कि हम किन परिस्थितियों में इस विधेयक को पारित कर रहे हैं और अन्ततः यह हमें कहां ले जायेगा ? इस विधेयक से उसी प्रकार की विचारधारा को बल मिलता है जो 1975 में आपात् स्थिति लागू करने के समय थी। मैं यह अनुभव करता हूं कि यह विधेयक इस देश में कानूनी आपात् स्थिति लागू करने की दिशा में पहला कदम है। अतः सरकार को इसे वापस ले लेना चाहिए। यदि इसे वापस नहीं लिया जायेगा तो न केवल आसाम के श्रमिक ही बल्कि समूचे देश श्रमिक इसका विरोध करेंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई-उत्तर) : उपाध्यक्ष, महोदय, मैं मुजफ्फरपुर के माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए सांविधिक संकल्प का समर्थन करने तथा माननीय गृह मन्त्री द्वारा सदन में विचारार्थ प्रस्तुत विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, कल अनेक माननीय सदस्यों ने मेरे माननीय मित्र श्री जार्ज फर्नाण्डीस की प्रशंसा की थी किन्तु किसी ने उन पर यह आरोप नहीं लगाया कि उन्होंने स्पष्ट बात नहीं कही है। वह स्पष्ट बात कहते हैं। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आवश्यक सेवाएं बनाये रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस पर तो समाज का जीवन निर्भर होता है। किन्तु हम इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं कि समाज के लिए इन आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था केवल डण्डे के जोर से ही की जा सकती है, श्रमिकों और नागिरकों के उचित अधिकार दबा कर अथवा उन लोगों को जिनकी आप सेवाएं लेना चाहते हैं डराने का प्रयास करने से इनकी व्यवस्था की जा सकती है।

महोदय, सरकार इस सदन में इस विधेयक को लाकर अधिक शक्तियां चाहती हैं। निःसन्देह यह एक ऐसा विधेयक है जिसके अन्तर्गत अधिक शक्तियों की व्यवस्था की गई है। जब भी कोई सरकार कार्यकारिणी की शक्तियों में वृद्धि करने के लिए संसद के सामने आती है तो किसी भी लोकतन्त्र में संसद को इन मांगों पर ठण्डे दिमाग से और सावधानी के साथ विचार करना होता है। अतः मैं इस सम्मानित सदन को सुझाव देना चाहता हूं कि हमें विधेयक के गुण-दोषों पर विचार करना चाहिये। महोदय, संसद से जब कार्यकारिणी को अधिक शक्तियां दिये जाने की मांग की जाती हैं तो संसद का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह यह पूछे कि ये शक्तियां प्रदान करना वास्तव में आवश्यक है ?

दूसरे, क्या वर्तमान कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियां अपर्याप्त हैं ? तीसरे, क्या सरकार द्वारा अतिरिक्त शक्तियों के अधिग्रहण से समस्या सुलझ जाएगी ? चौथे, क्या नया कानून क्रियान्वित किया जा सकता है ? अथवा क्या यह कानून की पुस्तकों में पड़ा रहेगा जिसे लागू न किया जा सके तथा यह व्यर्थ उपहास का कारण बनेगे ?

श्रीमान, अगला प्रश्न यह है क्या सरकार को अतिरिक्त शक्तियां दी जा सकती हैं ? क्या शक्तियों के दुरुपयोग किए जाने की संभावना है ? क्या कानून में इन शक्तियों के दुरुपयोग न किये जाने के लिए अंतर्निहित व्यवस्था है ? मेरे पास समय नहीं है। मैं इन सभी प्रश्नों को नहीं लेना चाहता जिन पर अन्य सदस्यों ने विशेषतः श्री जार्ज फर्नान्डीज ने ब्यौरेवार चर्चा की है।

इस विधेयक का उद्देश्य क्या है ? मेरे मित्र श्री संगया कल बड़े ही भावुक हो कर बोले थे मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं। किन्तु मुझे यह भय है कि भावना में बह कर वह विधेयक के उद्देश्य को ही नजर अन्दाज कर गये। उन्होंने शानदार लफ्फाजी में पूछा था "श्रमिक वर्ग क्या है और श्रमिक वर्ग के साथ इस विधेयक का क्या सम्बन्ध है" ? शायद उन्होंने विधेयकों में और प्रमुख खण्डों और उद्देश्यों का विवरण नहीं देखा है। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि यह हड़तालों पर प्रतिबंध लगाता है यह कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकता है। यदि कर्मचारी श्रमिक वर्ग नहीं है तो वे क्या हैं ?

यदि सरकार की इच्छा औद्योगिक सम्बन्धों, नियोजक-कर्मचारी सम्बन्धों पर कानून बनाने की थी, तो इस विधेयक में विवादों को निपटाने के लिए उपबन्ध होने चाहिए थे। इस विधेयक में विवाद निपटाने की प्रक्रिया और मशीनरी का वर्णन होना चाहिये था—इसमें उस न्यायिक प्राधिकरण की, जो बंधता पर तथा अबंध कार्यों के कारण दण्ड के बारे में निर्णय देना, व्यवस्था होनी चाहिये थी।

किन्तु विधेयक में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं हैं। इस विधेयक के खण्ड 10 में यह स्पष्ट कहा गया है कि इसका उद्देश्य न केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम का अपितु दंड प्रक्रिया संहिता को रद्द करना है। औद्यगिक विवाद अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जो नागरिकों की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, सरकार की शक्तियों पर कुछ अंकुश लगाते हैं और इस अधिनियम की योजना, इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि वह अंकुश को उन सीमाओं को हटाना और इन अधिनियमों में निर्धारित प्रक्रिया में निहित संरक्षण को समाप्त करना चाहता है। इस विधेयक का उद्देश्य सभी सीमाओं और प्रतिबन्धों को हटाना है और असीमित शक्तियां प्राप्त करना है।

अब इस विधेयक को खण्ड 2 (चौदह) जिस पर विचार किया जा रहा है, के अन्तर्गत किसी प्रकार का नियोजन, किसी प्रकार की सेवा, किसी प्रकार का उपक्रम आ जाता है ; इस खण्ड के अन्तर्गत सभी प्रकार की बातें आ जाती हैं। इससे इस खण्ड के विस्तार में सभी बातें आ जाती हैं। किसी हड़ताल को अबंध ठहराने के लिये बंध प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता के लिये लगाई गई सीमाओं को यह कह कर रद्द कर दिया गया है कि किसी भी सेवा को आवश्यक घोषित

किया जा सकता है और आवश्यक उपक्रम में उत्पादन रोकना अथवा हड़ताल करना गैर कानूनी होगा। गिरफ्तारी का वारंट प्राप्त करने की आवश्यकता सम्बंधी सीमा को खण्ड 8 के अन्तर्गत समाप्त किया जा रहा है इसका उल्लेख मेरे मित्र ने कल दिया था। न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता संबंधी सीमा को संक्षिप्त विचारण को अनिवार्य बना कर समाप्त किया जा रहा है यह वैकल्पिक भी नहीं हैं, यह खण्ड समर्थकारी उपबन्ध नहीं है। इसके अन्तर्गत संक्षिप्त विचारण अनिवार्य हो जाता है। गिरफ्तारी के लिये सदस्य की आवश्यकता संबंधी सीमा को हटा दिया गया है और साक्ष्य के स्थान पर सन्देह रखा गया है। अतः इस विधेयक के माध्यम से सभी संरक्षण, सभी सीमायें हटाने का प्रयास किया गया है और सरकार को असीम, निरकुंश शक्तियां प्रदान की गई हैं।

यह विधेयक प्रतिबन्ध लगाने तथा आतंकित करने का एक राजनीतिक हथियार है। इस विधेयक में जिस दण्ड की योजना है उससे इस विचार की आगे भी पुष्टि हो जाती है। इस विधेयक के खण्ड 4 में, जिसका उल्लेख मेरे माननीय मित्र श्री महालगी ने भी दिया, बरखास्तगी को अनुशासनात्मक कार्यवाही का एक उपाय उल्लिखित किया गया है। खण्ड 5 के अन्तर्गत हड़ताल में भाग लेने की छः महीने के कारावास की सजा की व्यवस्था है। खन्ड 6 तथा 7 में उकसाना तथा वित्तीय सहायता की व्यवस्था है और इसमें एक वर्ष के कारावास के दण्ड की व्यवस्था की गई है। क्या इससे भी कुछ अधिक व्यापक अधिकार हो सकते हैं ? क्या इससे भी अधिक दमघोटू कोई चीज हो सकती है ? क्या इससे और अधिक कठोर दर्शन हो सकता है जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि जन-आन्दोलनों की समस्या को आतंक पैदा करके निरकुंश शक्ति से सुलझाया जाना होगा ?

मैंने यह प्रश्न भी उठाया है कि क्या इस कानून को लागू किया जा सकता है। हमें इस सम्बन्ध में कुछ अनुभव है। आसाम और देश के अन्य भागों में जहां तक सरकार को ऐसे जन आन्दोलनों से निपटना पड़ता है, जिसका मंत्री महोदय ने उद्देश्यों के विवरण में उल्लेख किया है धारा 144 और कर्फ्यू का क्या हुआ और जिसे वह ऐसा आतंक फैला कर ऐसा करना चाहते थे।

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या हम असीमित शक्तियां प्राप्त करने वाली सरकार पर विश्वास कर सकते हैं—मैं इस बात को दोहराता हूं कि इस सरकार के पास इतनी असीमित शक्तियां हैं—क्या उनके दुरुपयोग की संभावना है—ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यह सत्तारूढ़ दल संसद के सामने अधिक शक्तियों के लिये आया हों। उन्हें निरकुंश शक्तियों की ऐसी प्यास है जिसे बुझाया नहीं जा सकता है। वह सदन के सामने पहले भी आया था, हमें इस सम्बन्ध में अनुभव है, कटु अनुभव है। और महोदय, आप को भी सत्तारूढ़ दल की निरकुंश शक्तियों की प्यास के परिणामों का अनुभव है।

उन्होंने मौलिक अधिकारों को संकुचित करने, न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को कम करने और संविधियों में संशोधन करने के लिए संसद का प्रयोग किया। उस अनुभव के प्रकाश में,

हमारे लिए और किसी भी विचारवान मनुष्य के लिए, उनके इरादों की आशंका करना क्या कोई अस्वाभाविक बात है ?

परन्तु यही एक विधेयक ऐसा नहीं है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने इंगित किया है, वह कोई अपसरण नहीं है। यह तो अन्य राज्यों के उसी प्रकार के विधेयकों के समान है, जो विधेयक या अध्यादेश गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि में लाए गये हैं। अतः यह स्पष्ट है कि यह भी एक पद्धति का अंग है और यह पद्धति क्या है ? यह एक ऐसी पद्धति है जो सरकारों में अधिकाधिक टकराव कराती है, जो सरकारों को आतंक पर निर्भर करने को उकसाती है। मतभेद के जाल से अपने को, मुकाबले की बलदल से अपने को उभारने के लिए यह एक ऐसी पद्धति है जिसे एक शब्द में तानाशाही निरकुंशता कहा जा सकता है। जो कि लोकतन्त्र के लिए, देश के अधिकारों के लिए एक धोखा, खतरा हो सकता है, और जो किसी प्रकार से सरकार को स्थिति से निपटने में सहायता नहीं दे सकती। इसलिए में इस काले विधेयक का विरोध करता हूं। और सदन से अनुरोध करता हूं कि जिन शक्तियों का दावा किया जा रहा है, उनकी गम्भीरता पर विचार करें, इसके दुरुपयोग की भारी सम्भावना पर विचार करें तथा दूसरी और बैठे हुए दल के रिकार्ड के प्रकाश में दुरुपयोग की निश्चितता पर विचार करें। अतः मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि मुजफ्फरपुर के मेरे प्रतिष्ठित मित्र की वैधानिक संकल्प को पारित कर दें और मन्त्री महोदय के उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दें जिसमें विधेयक पर विचार करने के लिए कहा गया है।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर): हमारे इस माननीय सदन में विरोधी पक्ष का रवैया बड़ा विचित्र है। अक्सर मैं देखता हूं कि लोग खड़े हो जाते हैं और मांग करते हैं कि देश के कुछ भागों में डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि नहीं मिल रहे हैं और ये वस्तुएं मिलनी चाहिए और इस विषय पर बहस होनी चाहिए। कभी वे इस बात पर लड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं कि असम में आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुंच रही है और इस पर बहस होनी चाहिये। लेकिन जब सारे देश में डीजल आदि की आपूर्ति के लिए और असम में जरूरी सामानों को पहुंचाने के लिए सरकार कोई मेजर ले कर आती है तो उसका भी वे विरोध करते हैं। उनका मंशा क्या है ? मैं समझता हूं कि यही है कि इस देश में गड़बड़ होती रहे, लोगों को जरूरी सामान न मिले, असम में गड़बड़ी होती रहे तथा उसका फायदा उठा कर कांग्रेस सरकार को बदनाम करके फिर से चुनाव जीतने की कोशिश की जा सके। लेकिन हम कांग्रेस के लोग और हमारी सरकार, मुझे पूरी आशा है, उन्हें इस बात का मौका नहीं देंगे। उनके कारनामो को इस देश की जनता देख रही है, परख रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज असम का मामला एक गम्भीर रूप धारण कर चुका है। असम का मामला कोई मामूली मामला नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जो इस देश को विघटित करने के लिए चलाया जा रहा है, जो इस देश का जो बुनियादी केरेकटर है, उसको समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा है, जो साम्प्रदायिकता से भरा हुआ है और असम के अल्पसंख्यकों को असम

से निकाल बाहर करना चाहता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि असम के मामले को जितनी गम्भीरता के साथ लिया जाना चाहिये था उतनी गम्भीरता के साथ नहीं लिया जा रहा है और इस बात की मुझे अपनी सरकार से भी शिकायत है। असम में आज जो घटनाएं हो रही हैं, उनको जिस प्रकार से देश के लोगों को बताया जाना चाहिये था, उस प्रकार से बताया नहीं जा रहा है। कल, परसों ही 2 तारीख के अखबार में मैंने प्रधान मन्त्री का एक वक्तव्य देखा, उन्होंने इस बात को माना है कि असम का मामला मूल रूप से साम्प्रदायिक है और इस साम्प्रदायिक मामले का प्रचार नहीं किया जा रहा है, जिसका प्रधान मन्त्री को दुःख है।

असम का मूल मामला क्या है ? यह मामला आज का नहीं है, 10, 20 साल पहले का है, जब कि असम में यह बात उठाई जा रही थी कि यहां मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है और थोड़े दिनों में असम एक मुस्लिम मैजोरिटी स्टेट बन जायेगा। इसके बारे में कई बार असम में छोटे-बड़े आन्दोलन हुए, लेकिन हुआ यह कि चैकिंग की गई और कुछ लोगों को बाहर निकाला गया, मुसलमानों को तंग और परेशान किया गया। यह 10, 20, साल से होता आ रहा है, लेकिन उसी बात ने गम्भीर रूप तब धारण किया, जब कि जनता पार्टी की सरकार शासन में आ गई। जनता पार्टी के शासन में कौन लोग थे असम में, वही लोग जो 10, 20 साल से इस बात का प्रचार कर रहे थे और वह आर० एस० एस०, के लोग थे और शासन में आने के बाद उन्होंने 10, 20 साल से किये जा रहे प्रचार को कार्यरूप में परिणत करना शुरू कर दिया। यह हवा फैलाई जाने लगी कि असम एक मुस्लिम बहुमत का सूबा बनने जा रहा है। यह आर्थिक बात जो आज सदन में उठाई जाती हैं, यह असम का मामला आर्थिक पिछड़ेपन का मामला है, यह बात नहीं है। इस देश में ऐसे बहुत से भाग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, कहीं-कहीं तो असम से भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। लेकिन असली बात यह है कि यह केवल दिखावा है। मूल बात यह है कि वहां असम के मुसलमानों के खिलाफ एक सोची-समझी साजिश की जा रही है और बाद में उसमें हमारे बंगाली बोलने वाले जो अल्प संख्यक हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इस तरह से असम का सारा मामला साम्प्रदायिक है और इससे अधिक इसमें कुछ नहीं है।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यही आर० एस० एस० के लोग आज से 10, 15 साल पहले, बल्कि 5, 7 साल पहले पूरे देश में धीरे-धीरे इस बात का प्रोपेगंडा कर रहे थे कि नसबन्दी तो केवल हिन्दुओं की हो रही है और मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरह उनकी आबादी बढ़ती रही तो 50 से 100 साल में पूरा देश मुस्लिम बहुमत का देश बन जायेगा। यह कौन लोग थे ? कितनी विचित्र बात थी, क्या कभी इस बात की कल्पना की जा सकती है कि 11 प्रतिशत आबादी 100, 50 साल में 51 प्रतिशत में बदल जायेगी ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन केवल हिन्दुओं के जजबात को भड़कने के लिए, उनकी भावनाओं को उकसाने के लिए यह बात न केवल असम के लिए, बल्कि पूरे देश में यह फैलाई जाती रही है। आज असम में क्या हो रहा है ?

यह बड़ा गम्भीर मामला है, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिये ।

यह बात अभी तक पूरे देश में खुलकर सामने नहीं आई है कि यह मामला क्या है और आज असम में क्या हो रहा है ? आज असम से जो खबरें आ रही हैं, यह गोहाटी की खबरें होंगी, शहर की खबरें होंगी । हमारे माननीय सदस्य देव जी ने सही कहा कि असम के गांवों में क्या हो रहा है, उसकी खबर दिल्ली को नहीं पहुंच रही है । मुझे उसकी कुछ सूचना है । जो भी गांव में मुसलमान आबादियां हैं, वह चारों तरफ से घिरी हुई हैं, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, उनको अन्दर बाहर से सहायता नहीं पहुंचायी जा रही है । और मेरी सूचना के अनुसार जो बंगाली अल्पसंख्यक हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, 500 से ऊपर मुसलमान असम में मार डाले गये हैं । उनकी जो क्षति हुई है, आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी बात मैं नहीं कहता, 500 से ऊपर आदमी असम में केवल मुसलमान मार डाले गये है ।

ऐसी स्थिति में सरकार का क्या कर्त्तव्य है, उसको क्या करना चाहिये ? अगर यह केवल भाषा, कल्चर या तहजीब की बात होती, तो दूसरी बात थी, लेकिन असम का मुसलमान जो वहां की आबादी का 75% हिस्सा असमी बोलने वाला है, आज वह इस आन्दोलन में क्यों शामिल नहीं है ? जो लोग आसाम में पैदा हुए, जो मूल रूप से आसामी है, जो जातीय रूप से आसामी हैं, जो भाषायी रूप से आसामी हैं, आज उनको क्यों मारा जा रहा है, उनको क्यों परेशान किया जा रहा है ?—केवल इसलिए कि वे मुसलमान हैं । आखिर वे भी तो आसामी हैं । वे बंगाली नहीं हैं । उनको क्यों मारा जा रहा है, उनको क्यों परेशान किया जा रहा है ? आसाम का मामला केवल साम्प्रदायिक है । इसके अलावा आसाम का मामला कुछ नहीं है ।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । आसाम में सामान ले जाने के लिए और आसाम से बाहर सामान लाने के लिए यह बिल बहुत जरूरी है । लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि केवल यह बिल काफी नहीं है, इस बिल से काम नहीं चलेगा । आखिर हम लोग यहां क्यों आये हैं ?—इस देश में अच्छा शासन देने के लिए, लोगों को सुरक्षा देने के लिए, हर वर्ग के लोगों को सुरक्षा देने के लिए, उन पर कोई जुल्म न हो, उन पर कोई ज्यादती न हो, उनको कत्ल न किया जाये, उनकी पूंजी न लूटी जाये, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और इसके लिए मैं मांग करना चाहता हूं कि हम लोगों को शर्माना नहीं चाहिए कि चूंकि आसाम में आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, आज आसाम इतने गम्भीर संकट से गुजर रहा है, इस लिए वहां पर आन्तरिक इमर्जेन्सी लागू करनी चाहिए । हमको इससे शर्माना नहीं है । हमको इससे भागना नहीं चाहिए । विरोध के लोग चिल्लाया करें । हमें आसाम की स्थिति को काबू में करना है, आसाम की स्थिति को सम्भालना है ।

देश के लोग यह फैसला करेंगे कि आसाम में इमर्जेन्सी लागू कर के हमने सही किया है या गलत किया है । पूरा देश यह फैसला करेगा । यहां बैठे हुए चन्द लोग, जो* हैं, जो एन्टी-

मुस्लिम हैं, वे इस बात का फैसला नहीं कर सकते। (व्यवधान) आप एन्टी-मुस्लिम हैं, आप* हैं। (व्यवधान)।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : उन्होंने संसद सदस्यों को* कहा है। आप इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। आप* दल की अध्यक्षता कर रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य, विपक्ष के सदस्यों को* नाम दे रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मान लो कि उन्होंने किसी संसद सदस्य को* कह कर पुकारा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उन्होंने हमें* कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त का अध्ययन करूंगा और यदि उसमें कोई ऐसी बात है तो मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप उनसे इन शब्दों को वापिस लेने के लिए कहिए (व्यवधान)।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या आप कार्यवाही करने जा रहे हैं···(व्यवधान)।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरा आप से अनुरोध है कि उन्हें नियन्त्रण में रखें। यह एक गम्भीर मामला है। आप हमसे बैठने के लिए कैसे कह सकते हैं? वे विपक्ष के सदस्यों* कैसे कह सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : *आदमी यहां कैसे आ जायेगा? (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता चुका हूं। (व्यवधान)।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हर चीज की कोई सीमा होती है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों को* कहा है। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात नोट करली है; आपकी बात समझ ली है। आप भावुक क्यों बन रहे हैं? (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीस ने कहा है कि उन्होंने विपक्ष के सदस्यों को* कहा हैं। मेरा यह कहना है कि मैं कार्यवाही वृत्तान्त का अध्ययन करूंगा और यदि कोई ऐसी बात उसमें है तो मैं कार्यवाही करूंगा (व्यवधान)।

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई असंसदीय शब्द या अन्य कोई बात कही गई है तो मैं कार्यवाही वृत्तान्त का अध्ययन करूंगा और उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री बापूसाहिब परूलेकर (रत्नगिरी) : यह केवल टिप्पणी को काट देने का ही प्रश्न नहीं है। यदि बदनाम करने वाली टिप्पणी की गई है तो उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से बाहर निकाला जा सकता है ; परन्तु यदि माननीय सदस्य यह कहते हैं कि यहां बैठा कोई सदस्य* तो उन्हें अपना शब्द वापिस लेना चाहिए। आप उनसे उसे वापिस लेने के लिए कहिए। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें यह नहीं कहना चाहिए था कि इस सदन का कोई माननीय सदस्य* है। वशर जी यदि आप ने ऐसा कहा है तो उसे वापिस लेने में कोई हानि नहीं है। शायद आपने राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां कहा था। उन्होंने किसी को* तो नहीं कहा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उन्होंने समूचे विपक्ष को *कहा है। आप दूसरी ओर बैठे सदस्यों से पूछ लें। वे यह मानते है। यह हंसने और मजाक करने का मामला नहीं है। (व्यवधान)।

श्री रामविलास पासवान : यदि वह इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम लोग यह कहेंगे कि इन्होंने भारत पाकिस्तान को बनाया है और ये फिर देश के टुकड़े करना चाहते हैं। कांग्रेस ने भारत पाकिस्तान को बनाया है और फिर ये देश के टुकड़े करना चाहते हैं। (व्यवधान)।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वे तो अपना शब्द वापिस तक लेने को तैयार नहीं हैं (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं कार्यवाही वृतान्त का अध्ययन करूंगा और यदि उन्होंने विपक्ष या सत्तापक्ष के किसी सदस्य को * कहा है तो मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : समूचे विपक्ष को * के समूह का नाम दिया है। माननीय सदस्य ने वह शब्द कई बार प्रयोग किया है। मैं सदन से अनुरोध करता हूं और विशेषकर दूसरी ओर बैठे सदस्यों से। वाद-विवाद एक बात है, यदि आप चाहें तो आप हमारी स्थितियों पर आपेक्ष कर सकते हैं, परन्तु आप सारे ही सदन को * नहीं कह सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो मैंने कहा है। मैं कार्यवाही वृतान्त का अध्ययन करूंगा। और यदि कोई असंसदीय बात इसमें होगी तो मैं उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप उनसे अब पूछकर देखें।

उपाध्यक्ष महोदय : मान लो विपक्ष का कोई सदस्य इस सरकार को फासिस्टवादी सरकार कहता है और यदि सरकार के पक्ष के सदस्य इसे वापिस लेने की मांग करते हैं तो क्या आप ऐसा

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

करेंगे ? मैं कार्यवाही वृतान्त का अध्ययन करूंगा और यदि उसमें कोई असंसदीय बात हुई तो मैं उस पर कार्यवाही करूंगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप अब सदस्य से पूछकर देखें । अब वे इससे मुकर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे बात स्पष्ट करेंगे । श्री जैनुल बशर जी, क्या आपने किसी विपक्ष के सदस्य को * कहा था ।

श्री जैनुल बशर : मैं समझता हूं कि कुछ माननीय सदस्य हिन्दी नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने जो कहा था । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वे अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर सकते ? (व्यवधान) ।

आपने विपक्ष के किसी सदस्य को क्या कभी * नहीं कहा ?

श्री जैनुल बशर : मेरे कहने का मतलब था कि वे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में फंसे हुए हैं । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है । उन्होंने सदन के किसी सदस्य को, चाहे वह विपक्ष का हो या सत्ताधारी दल का, अपमानित नहीं किया है । (व्यवधान) ।

मैं आपको कह चुका हूं कि मैं कार्यवाही वृतान्त का अध्ययन करूंगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप टेपों को मंगा सकते हैं । ये माननीय सदस्य अब * रहे हैं। वे नहीं.....(व्यवधान) ।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : उन्हें वह शब्द वापिस लेना चाहिए । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों हम एक अत्यन्त ही गम्भीर मामले पर विचार कर रहे हैं । (व्यवधान) । अब चर्चा को चलने दिया जाए ।

श्री जैनुल बशर : उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना गम्भीर मामला है और इस पर बड़ी गम्भीरता के साथ विचार होना चाहिए था । असम के मामले को इतने दिन हो गये और यह सरकार 6 महीने से शासनारूढ़ है, मुझे पूरी आशा है कि हमारे गृह मंत्री जी, श्री मकवाना साहब जोकि बड़े एफीशिएन्ट मंत्री हैं, उन्होंने इस बात का पता लगा लिया होगा तथा उन्हें ज्ञात हो गया होगा कि असम के आन्दोलन के पीछे क्या भावना है, उसके पीछे कौन-कौन सी शक्तियां काम कर रही है और उसके पीछे कौन-कौन से लोग हैं जो सक्रिय पार्ट अदा कर रहे हैं—पर्दे के आगे या पर्दे के पीछे से । यह सारी बातें होम मिनिस्टर साहब को मालूम हो गई होगी । मैं आपके

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वे न केवल इस सदन को बल्कि इस देश को विश्वास में लें और सारी वस्तु-स्थिति से अवगत करायें तथा जो भी फैक्ट्स हैं वह सारे देश के सामने रखें क्योंकि असम का यह मामला केवल एक शुरूआत है और मुझे डर है अगर यह शुरूआत कामयाब हो गई तो बाद में पूरे देश में इस प्रकार की साजिश होगी जिसके कारण हमारे देश की अखण्डता, धर्मनिरपेक्षता तथा हमारा जनतन्त्र खतरे में पड़ सकता है। विरोधी दल के लोग वही खेल खेलना चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं वोट के जरिए एक बार लाटरी उनकी किस्मत में निकल आई थी परन्तु अब आगे कभी वोट के जरिए से सत्ता में आने वाले नहीं हैं अतः इस प्रकार की विघटनकारी कार्यवाहियों के द्वारा सत्ता में आना चाहते हैं।

मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया। धन्यवाद।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मान्यवर, मैं इस शर्मनाम, काले विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं, क्योंकि यह विधेयक श्रमजीवियों के दमन के लिए लाया गया है। अभी माननीय सदस्य, श्री जैनुल बशर, ने कहा कि ये आन्तरिक इमरजेन्सी लगवाना चाहते हैं सरकार का मुख्य ध्येय यही है कि नार्थ-इस्टर्न स्टेट्स में इमरजेन्सी लगा दी जाए, उसके बाद पूरे मुल्क पर इमरजेन्सी लगा दी जाए। केवल दमन करने के लिए, एकाधिकारवाद की स्थापना के लिए, तानाशाही लागू करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। यह सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति का द्योतक है। इसलिए मैं इसको काला विधेयक कहता हूं, शर्मनाक विधेयक कहता हूं और इसका विरोध करता हूं।

माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे इसे वापिस लेलें और श्री जार्ज फर्नान्डीस के प्रस्ताव का समर्थन करें और उनकी बातों को स्वीकार करके इस विधेयक को पूरी तरह से खत्म करें।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले छः महीने से ये लोग सरकार के अन्दर हैं, अगर इन लोगों में सिन्सयेरिटी होती, तो आज इस समस्या का समाधान कभी का निकल गया होता। लेकिन इनमें सिन्सयरिटी नहीं है, ये केवल इस देश के टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं, नार्थ-ईस्टर्न रीजन को अलग करना चाहते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि वहां, तीनसुकिया, लखीमपुर, कामरूप, नवगांव और देश में अन्य सारी जगहों पर जो साम्प्रदायिक दंगे हुए है, उसे पूरी तरह से ये हल करने में विफल हुए हैं। पूरे देश के अन्दर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आप इसे रोकने में असमर्थ रहे हैं।

कल आरिफ साहब कह रहे थे कि यहां पर मजबूत सरकार बनी हुई है, जो समस्याओं का समाधान कर रही है। क्या यही वह मजबूत सरकार है, जिसके राज में अराजकता फैली हुई है, सारा देश जल रहा है और देश में अल्पसंख्यकों, हरिजनों बच्चों, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं ? महंगाई बढ़ रही है, चीजों का अभाव पैदा हो गया है—यह इनकी मजबूत सरकार है

और इसी सरकार को ये चलाना चाहते हैं। आज जो असम के अन्दर स्थिति पैदा हुई है, अगर यह सरकार इस स्थिति को ठीक ढंग से, सही समय पर नियन्त्रित नहीं करेगी, तो इस देश की जनता इस सरकार के नापाक इरादों को समझेगी और यह देश समझेगा और यह सरकार गद्दी पर बैठी नहीं रह सकती है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज उत्तर-पूर्वी हिस्से पूरे तरीके से अविकसित क्षेत्र हैं। वहां पर गरीबी के कारण अगर एजीटेशन होगा तो क्या आप उसका दमन करेंगे ? किसी भी समस्या का राजनीतिक समाधान इनके पास नहीं है? केवल मिलिट्री सोल्यूशन है। उनके पास किसी भी राजनीतिक समस्या का केवल सैन्य हल है, किसी भी राजनीतिक समस्या का उनके पास राजनीतिक हल नहीं है। इसीलिए इन्होंने वहां पर सेना भेजी, बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० एफ० भेजी—यही इन लोगों का काम है। ये इस देश को सही ढंग से नहीं ले जाना चाहते हैं। बजट आया है, लेकिन उत्तर-पूर्वी हिस्से के विकास के लिए कोई भी उपमें सुनियोजित योजना नहीं रखी गई है। इससे इनकी इन्टेंशन क्लियर होती है। उसमें न रेलवे के मार्गों के निर्माण की बात कही गई है। न सड़कों और उद्योगों के विकास की बात कही गई है। मैं जानता हूं इन को यह बात बुरी लग रही है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी उस समस्या का समाधान हो और इस समस्या के समाधान के लिए इनकी कितनी दिलचस्पी है यह स्पष्ट है।

एक बात कह कर मैं समाप्त कर रहा हूं। अभी तक यहां पर कैबिनेट स्तर का कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं है ''लेकिन मेरे इतना कहते ही मंत्री जी आ गए। यह सरकार इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है, इसलिए इस काले विधेयक का मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, बिना अधिक कठिनाई के यह मान लेना चाहिए कि वर्तमान विधेयक एक क्रूर कदम है। यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस विधेयक के विभिन्न उपबन्ध श्रमिक विरोधी है और उनका स्वरूप दमनकारी है परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक पर असम में आज व्याप्त स्थिति के सन्दर्भ में विचार किया जाना चाहिए।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में मंत्री ने कहा है :—

"विदेशियों की समस्या सम्बन्धी अध्ययन के जनआन्दोलन का लाभ विघटनकारी ताकतों ने उठाया है जिसका दैनिक जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई और विशेषकर पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादन पर उलटा प्रभाव पड़ा है"।

सरकार के विरुद्ध मेरा यह आरोप है कि इस कथन में इस समय आसाम में व्याप्त स्थिति का पूरा ब्यौरा नहीं दिखाया गया है। सरकार ने वक्तव्य देते हुए नम्रता से काम लिया है। अन्यथा आसाम की वर्तमान स्थिति क्या है ? आसाम की वर्तमान स्थिति आज सारे राष्ट्र तथा

इसकी एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार मूक दर्शक नहीं बने रह सकती अतः मेरा अनुरोध है कि विधेयक पर् आसाम की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाये।

श्रमजीवी वर्ग तथा मजदूर वर्ग सम्बन्धी प्रश्न को आसाम की स्थिति को ध्यान में रखते हुये इस विधेयक से न मिलाया जाये। इस बारे में मेरा एक प्रश्न है। विधेयक का विरोध करने वालों को अनुभव करना चाहिए कि वे किस के हित का समर्थन कर रहे हैं। आज यह स्पष्ट है कि आसाम के आन्दोलन के पीछे विदेशियों का हाथ हैं। अतः मैं आदर सहित प्रगतशील तत्वों वामपंथी तत्वों से अनुरोध करूंगा कि उन द्वारा विरोध करना देश के वामन्पथी आन्दोलन की प्रगति के लिए घातक है। यद्यपि कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है फिर भी कुछ स्थितिपरक साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि पश्चिम के कुछ वामपन्थ विरोधी शक्तियां आसाम के वर्तमान आन्दोलन के पीछे हैं। अतः आसाम में जो कुछ हो रहा है, उसका समर्थन करना और इस विधेयक का विरोध करना वामपन्थी कहलाने वाले लोगों द्वारा वामपन्थी आन्दोलन अथवा राष्ट्र के हितों का समर्थन न करना है।

हमें बताया गया है कि नागरिक स्वतन्त्रता को कुचला गया है। ऐसा आरोप लगाते समय उन्हें अनुभव करना चाहिए कि आसाम की स्थिति आज क्या है आज आसाम में काफी शहरी आजादियों नागरिक स्वतन्त्रताएं निष्क्रिय हो गई हैं और यदि यह सरकार इन नागरिक स्वतन्त्रताओं को कायम रखना चाहती है तो इस सभा और राष्ट्र के सभी वर्गों को सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिए।

सभा में कुछ परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये गये हैं। जारी किए गए अध्यादेश के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि सरकार ने इसका उपयोग किस सीमा तक किया है। सरकार से पूछा गया है कि वह किन-किन हड़तालों को रोक सकी है। अध्यादेश के बाद भी सरकार असहाय थी और इन शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकी। एक स्वास में तो यह कहा जाता है और दूसरे स्वास में यह कहा जाता है कि आसाम की स्थिति श्रमजीवी वर्ग को कुचलने के लिए एक अच्छा बहाना है। लेकिन यदि सरकार अध्यादेश के प्रावधानों का उपयोग नहीं कर सकी तो आप सरकार पर यह आरोप कैसे लगा सकते हैं कि इसने वामपन्थी आन्दोलन को कुचलने की कोशिश की है? अतः यह सब एक ही साथ परस्पर विरोधी बातें करना है। इसके विपरीत यह अनुभव किया जाये कि सरकार इस बात से सचेत है कि, अध्यादेश से अन्तर्गत शक्ति सम्पन्न होने के बावजूद भी, इसका कम से कम उपयोग किया जाये और इसका उपयोग दमनकारी तरीके से न किया जाये।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए, यद्यपि मैं अब तक श्रमजीवी वर्ग के अधिकारों की रक्षा करता रहा फिर भी, भारी मन के साथ आसाम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार द्वारा सभा के सामने लाये गए विधेयक का समर्थन करने के लिए बाध्य हूं और ऐसा मैं संशोधनों में उल्लिखित शर्तों पर ही कर रहा हूं जिनके बारे में मैं नोटिस दे चूका हूं। और जिन पर मैं

उचित समय पर कार्यवाही करूंगा। सरकार से मुझे कहना है कि इस विधेयक को आसाम के बारे में उद्घोषणा की अवधि तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। "अनिवार्य सेवा" की परिभाषा के अन्तर्गत हर प्रकार की सेवा नहीं आनी चाहिए और "हड़ताल" के अन्तर्गत भी हर प्रकार की हड़ताल नहीं आनी चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं सरकार से कहूंगा कि विधेयक की शक्तियों का उपयोग करने के लिए सावधानी से काम लिया जाये। हम जानते है कि आसाम का स्थानीय पुलिस बल दलीय रवैया अपना रहा है। अतः प्रस्तावित विधेयक के अधिकारों का उपयोग करते हुए इस बात की सावधानी बरती जाये कि अन्याय की जगह न्याय हो।

इन शब्दों के साथ भारी मन से कुछ शर्तों के साथ मैं सरकार द्वारा लाये गए विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हूं। मेरी पार्टी आर० एस० पी० इस बिल का पूरे दम से विरोध करती है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आसाम की जो यह समस्या खड़ी हुई है, वह एक दिन की बात नहीं है। वह बहुत दिनों की पुरानी बात है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जिस समय सेन्टर में जनता पार्टी की सरकार राज्य करती थी, उस समय आप की जो पार्टी है, उसका हाथ भी आसाम के सम्बन्ध में साफ नहीं था और यह साबित हो चुका है कि अभी जो रूलिंग पार्टी है यानी कांग्रेस (आई), उसने भी इस समस्या को भड़काने में मदद की थी। उनको यह उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से कांग्रेस (आई) की सरकार सेन्टर में फिर आ जाएगी। और उत्तर-

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए) :

दायित्व सम्भालना पड़ेगा। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए वह आगा पीछा करती रही है। सरकार की जो नीयत है वह साफ नहीं है। इसलिए यह समस्या लिंगर आन करती जा रही है। आपने देखा और सुना होगा कि पश्चिम बंगाल के भी कांग्रेस आई के मेम्बर इस मूवमेंट के समर्थन में आन्दोलन करने की तैयारी कर चुके हैं। आप यह भी देखें कि जब कभी कोई समस्या पैदा होती है तो छोटे लोगों के ऊपर उस समस्या को लाकर खड़ा करने का दोष मढ़ दिया जाता है। आप तो जानते ही हैं कि काली मां बहुत शक्तिशाली है और उसको खुश करने के लिए कभी भी बाघ को बलि पर नहीं चढ़ाया जाता है, हमेशा मेमने को ही बलि पर चढ़ाया जाता है। यही बात यहां पर है। सारा दोष कमजोर लोगों पर ही मढ़ दिया गया है। निदोष लोगों पर ही मढ़ दिया गया है। वर्किंग क्लास को हर तरीके से सरकार दबाने की कोशिश में लगी हुई है, खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है। असम में राष्ट्रपति शासन लागू है और अपनी पूरी ताकत आप वहां लगा रहे हैं। लेकिन जो हालत है उनसे निपटने के लिए आपकी पुलिस, आपकी मिलिटरी आपकी सी० आर० पी० भी असमर्थ साबित हो रही है। मुझे—नहीं पता कि यह बिल किस तरह से वहां पर जो समस्या है उसका समाधान

करने में सहायक हो सकेगा। मैं समझता हूं कि इस बिल के पीछे बहुत बुरी भावना छिपी हुई है। मैं समझता हूं कि देश में बढ़ती हुई कीमतों, बढ़ती हुई महंगाई और सरकार को जो विफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, उसको छिपाने, उस पर पर्दा डालने की यह एक साजिश है। इससे समस्या का कोई समाधान नहीं होने वाला है।

यह कहा जाता है कि वहां पर विदेशी एजेंट काम कर रहे हैं। लेकिन होम मिनिस्टरी की तरफ से कभी भी यह नहीं बताया गया है कि उन विदेशी तत्वों का नाम क्या है, जो इस आन्दोलन के पीछे हैं, उनका नाम क्या है, जो इस देश के टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहते हैं और जो इस तरह की साजिश में शामिल हैं, उनका नाम क्या है। यह कहा जाता है कि—मिशनरियों द्वारा यह साजिश रची गई है और उनका इसके पीछे हाथ है। लेकिन कभी भी होम मिनिस्टरी ने नहीं बताया है कि कौन से ये मिशनरी लोग हैं और उनके नाम क्या है। मिशनरी लोग पालिटिक्स में नहीं हैं। इस वास्ते जो भी सरकार सत्ता में आती है अपनी विफलता का दोष वह उन पर ही मढ़ देती है। चूंकि मिशनरीज किसी भी राजनीतिक पार्टी में भाग नहीं लेते हैं और न ही उसकी कोई राजनीतिक पार्टी है इसलिए उनको ही दोष दे दिया जाता है। आप यह भी देखें कि क्रिश्चियन पार्टी नाम की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हिन्दुस्तान में जिस तरह से मुस्लिम लीग है या हिन्दुओं की पार्टी जनसंघ है या कोई दूसरी पार्टी है या अकाली दल है। इसलिए बहुत ही आसानी से कह दिया जाता है कि मिशनरी लोग इसके पीछे है। मैं चाहता हूं कि यदि आप—सच्चे है और आपके पास सबूत है तो आप उन मिशनरियों के नाम बताएं।

दिल्ली के अगल-बगल में बहुत से मिशनरी स्कूल खुले हुए हैं। बुर्जुआ लोगों के बच्चे ही उनमें पढ़ने के लिए जाते हैं, गरीबों के बच्चे—उनमें दाखिला नहीं ले सकते हैं। दिल्ली कलकत्ता बम्बई आदि जितने भी बड़े-बड़े शहर हैं वहां इनके द्वारा स्कूलों का संचालन होता है और बुर्जुआ लोगों के बच्चे ही उनमें पढ़ते हैं। सभी मिशनरी स्कूल टाउन्ज में ही है। मैं मांग करता हूं कि उनको बन्द कर दिया जाये और उन मिशनरीज को जंगल में भेज दिया जाए जहां सरकार नहीं जा सकती है, जहां—अन्धकार है, जहां कोई दवा-दारू का प्रबन्ध नहीं हैं, जहां कोई शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है या बैकवर्ड एरिया में इनको भेज दिया जाए, जहां कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जहां सोशल वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और जहां सरकार के लिए ये सब काम करना सम्भव नहीं है ताकि वे वहां जाकर काम कर सकें और वहां के लोगों को देश की मैन स्ट्रीम में आ जाने के लिए तैयार कर सकें। मैं मांग करता हूं कि जेसस-मेरी जैसे जितने भी स्कूल दिल्ली कलकत्ता आदि जगहों पर है और जिनको मिशनरी चलाते हैं वे सब बन्द कर दिए जाएं और उनको कहा जाए कि वे बैकवर्ड एरियाज में जाकर इनका संचालन करें। ऐसा आपने किया तो मुझे ज्यादा खुशी होगी।

इस बिल की नीयत बहुत खराब है। आज देश में वर्किंग क्लास मूवमेंट जोर पकड़ती जा रही है, उसमें एकता स्थापित होती जा रही है, उसकी आवाज सारे देश की आवाज हो चुकी है।

मैं समझता हूं कि उसकी आवाज सारे देश की आवाज हो चुकी है। मैं समझता हूं कि उसकी आवाज को कुचलने के लिए, उसकी आवाज को दबाने के लिए यह पहला कदम है जो उठाया जा रहा है। तथा कथित विदेशी लोगों को हटाने के नाम पर गरीब लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि जो मूवमेंट चला रहे हैं उनके पास धन कहां से आ रहा है। बिजनिस कम्युनिटी में जो एक्सप्लायटर्ज हैं उनसे उनको रुपया दिया जा रहा है। सरकार को इसका पता होना चाहिए कि कहां से उनके पास रुपया आ रहा है। सरकार ने इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस आई के मैम्बर भी हैं जो उनको रुपया दे रहे हैं।

वहीं पर जितने भी एक्सप्लायटर्स हैं, जिन्होंने पूंजी लगा रखी है, वह असम के नहीं हैं, बाहर के हैं। जिनसे इसको चलाने के लिए रुपया मिल रहा है, वह सरकार को मालूम होना चाहिए। पहले इस बात को निकाल लेना चाहिए कि यह रुपया कहां से पाते हैं। सरकार ने इस बात को कुछ नजरन्दाज किया हुआ है। इस समय में मूल्यवृद्धि और काम के बोझ से जो वर्किंग क्लास दबी जा रही है, इनको बिना कसूर जैसे एक देवी के सामने मैमने की ही बलि चढ़ाई जाती है, ऐसे ही इनकी हालत हो रही है। इसलिए सभापति महोदय, मैं अन्त में अपनी ओर से और अपनी पार्टी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की ओर से इस बिल का घोर विरोध करता हूं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, बिल की जो मंशा है, उस पर पर्दा डालने के लिए विरोधी पक्ष के लोग, जो उधर बैठे हुए हैं, इसको दूसरे रूप में रख रहे हैं। विरोधी पक्ष वह जो हमारे उधर की तरफ बैठे हुए हैं।

इसलिए जो जार्ज साहब का रैंज्यूलूशन है, उसका मैं समर्थन करता हूं और सत्ताधारी पक्ष की ओर से जो बिल आया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

इन लोगों ने अभी तक बहुत कोशिश की है और मेरा सीधा आरोप है कि जहां कहीं भी पूरे देश में जब किसी चीज को लेकर कोई आन्दोलन होता है किसी बुनियादी समस्या को लेकर गरीब गुर्बा लोग उठ खड़े होते हैं तो सत्ताधारी पार्टी का यही नियम रहा है कि उसमें चाहे साम्प्रदायिकता घुसेड़ो या कुछ करो, उसको दबाओ। हमने देखा है कि इस तरह से कहीं प्रवाह रुकता नहीं है। पानी की धारा जब तेज होती है तो पत्थर या तो पानी बह जाता है, या वह पत्थर छिटक कर बहुत दूर चला जाता है। हल्ला-गुल्ला मचाने से यह सब कुछ बनता नहीं है। हमारे सब साथी बैठे हैं, यह पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, हमने 1974 में भी आन्दोलन को देखा है। सरकार तो दमन करना चाहती थी, लेकिन वह उस आन्दोलन को नहीं दबा सकी और वह आन्दोलन इतना जोर से बढ़ता गया कि बिहार से दिल्ली तक पहुंच गया। इसलिए आप असम के मामले को भी इस तरह नहीं रोक सकते हैं।

अभी हमारे साथी ने कह दिया कि एंटी-नेशनलिस्ट, मैंने उस समय भी उनको कहा था कि एंटी-नेशनलिस्ट हम चार्ज नहीं लगा सकते हैं। हिन्दुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ?

सत्ता के लोभ में हुआ। क्योंकि किया आपने बंटवारा ? यह विवादास्पद विषय है। आप कहें कि नार्थ ईस्टर्न जोन को जाने दें, पूर्वांचल को जाने दें, हमारा कुछ बरकरार रहे तो इससे समस्या का निदान नहीं होता है। समस्या के निदान के लिए आपको बुनियादी चीज को पकड़ना होगा। अगर उसमें वह तत्व है, गलत चीज है तो उसको निकालने का काम है, यह नहीं कहना है कि पूरे का पूरा देश गलत है।

अभी हमारे बिहार के साथी कुछ कह रहे थे। मैं कहता हूं और यह कहने में हमको कोई आपत्ति नहीं है कि बिहार का जो पिछड़ापन है, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा का जो पिछड़ापन है, जो हमारे प्रान्त सभी दृष्टियों से समृद्धिशाली हैं, जहाँ खनिज-पदार्थ हैं, यदि आप उसका शोषण करेंगे, वहां के लोग गरीब रहेंगे, भुखमरी के शिकार होंगे तो वहां आन्दोलन होगा और उस आन्दोलन की अगुआई अगर हम लोगों को करनी होगी तो हम करेंगे। आपको भी करनी चाहिए। यह कोई बुरी चीज नहीं है। आन्दोलन को आप इस तरह कर रहे हैं, जैसे यह छुआछूत की बीमारी हो। उसमें जो बुराई हैं, उसे आपको देखना होगा।

जो इस तरह की बातें कहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि असम के आन्दोलन में क्या मुसलमान नहीं हैं। ये कहते हैं कि इसमें वहां के लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : लोकदल की पार्टी, जो हमारा कांग्रेस का तरीका चल रहा है, उस समझौते में आपको बुलाते हैं या नहीं ? आप आकर बात करते हैं या नहीं ? वह तरीका लाना चाहते हैं या नहीं ? यह कानून है, वह उस पर नहीं है।

श्री रामविलास पासवान : मैं कहता हूं कि एक ही समय में आंसू बहाना और उसके बाद थप्पड़ चलाना दोनों एक साथ नहीं होता है हंसना और गाल फुलाना। वह सारी चीज कह गये, लेकिन अन्त में कहते हैं कि जो असम की समस्या है, गरीब-गुर्बा लोग हैं आदिवासी हैं, मजदूर श्रेणी के लोग हैं, उनके ऊपर दमन नहीं होना चाहिए।

लेकिन यह कानून बनाया जा रहा है दमन करने के लिए, लेबर को एक्सप्लायट करने के लिए।

इस विधेयक की धारा 6 में कहा गया है :—

"यदि कोई व्यक्ति, ऐसी हड़ताल के लिए जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, अन्य व्यक्तियों को उकसाएगा या उसमें भाग लेने के लिए उद्दीप्त करेगा, या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कार्य करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।" हड़ताल करने के लिए उकसाने के सम्बन्ध में यह दण्ड का विधान है। कौन उकसा रहा है, इस बारे में पुलिस जो रिपोर्ट देगी, उसके अनुसार ही कार्यवाही होगी।

यह किसी एक सरकार की बात नहीं है। जब हम 1977 में सत्ता में आए थे, तो उस वक्त मीसा का काला कानून बना हुआ था और सरकार को इतनी पावर मिली हुई थी कि अगर कोई बदले की भावना वाली सरकार बनती, तो वह पूरी आपोजीशन को जेल में बन्द कर देती। यह किसी एक पक्ष की बात नहीं है। जब कोई कानून बनता है, तो वह सभी पक्षों के लिए बनता है। (व्यवधान) हम लोगों ने तो भलमनसाहत से काम लिया था। हम लोग बन्द कर सकते थे, लेकिन नहीं किया (व्यवधान) कुछ लोग कहते हैं कि अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप लोग कब भोगेंगे, यह आपको भी पता चल जायेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सत्ता के मद में पागल न बनिये।

सरकार सामान्य कानून, आर्डिनरी ला, के तहत भी इस समस्या का निदान ढूंढ़ सकती है। यदि स्थिति पर सरकार की ग्रिप नहीं है और वह सामान्य कानून के तहत समस्या का निदान नहीं कर सकती है, तो फिर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वह एक्सपेरिमेंट कर के देख ले, लेकिन चाहे वह कोई भी कानून बना ले, चाहे कितनी शक्ति अपने पास रख ले, लेकिन उससे इस समस्या का हल नहीं हो सकेगा।

कुछ लोग कहते हैं कि इस आन्दोलन के पीछे विदेशी तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वहां कोई आर्थिक समस्या नहीं है। आसाम के आदिवासियों और दूसरे गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है, उनसे जमीन छीनी जा रही है और वहां के खनिज पदार्थों और तेल से वहां की जनता को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। इस स्थिति में सरकार को इस बारे में एक बैलेंस्ड एटीच्यूड अख्त्यार करना चाहिए। सरकार को दमन और सप्रेशन की नीति नहीं अपनानी चाहिए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे हाथ में डंडा है, पुलिस है, सरकारी मशीनरी है, हम लोगों को बर्गाला देंगे और इस तरह इस समस्या का निदान हो जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह यह समस्या नहीं हल हो सकती है।

इस विधेयक की धारा 8 में कहा गया है :—

> "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकेगा, जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त रूप से यह सन्देह हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है।"

सरकार पुलिस को व्यापक अधिकार दे रही है। अगर राम विलास पासवान सिचुएशन को देखने के लिए आसाम जायेगा, तो पुलिस कहेगी कि ये लोगों को भड़काने के लिए आये हैं। मुझे गिरफ्तार करके एक साल के लिए जेल में बन्द कर दिया जायेगा और दो हजार रुपए जुर्माना भी लिया जायेगा। उसके बाद न अपील है, न वकील है, न दलील है।

यह बिल किसी भी नीयत से लाया गया हो, लेकिन हमने इस सरकार की नीयत को देख लिया है। वह 1975 और 1976 में अपनी नीयत को स्पष्ट कर चुकी है और इसलिए

हिन्दुस्तान की जनता उससे बहुत शंकित है। यह सरकार भले ही कहे कि यह बिल एसेंशल सर्विसिज को मेनटेन करने के लिए लाया गया है, लेकिन हिन्दुस्तान की जनता अब उस पर विश्वास करने वाली नहीं है। हिन्दुस्तान की जनता पर इमर्जेन्सी का चाबुक एक बार पड़ चुका है। इसलिए अब यह सरकार जो कोई भी कदम उठाएगी, हिन्दुस्तान की जनता उसको बहुत बारीकी से देखेगी।

सरकार ने यह जो विधेयक पेश किया है, उसके सम्बन्ध में उसकी नीयत साफ नहीं है। उसके दिल में कुछ और है और ऊपर कुछ और है। ज्ञानी जैलसिंह और श्री मकवाना की बात दूसरी है, लेकिन जिस तरह की यह सरकार है और जिस तरीके से उसका काम चल रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसकी मंशा साफ नहीं है। इसलिए मैं इस विधेयक का घोर-घोर विरोध करता हूं।

मैं आप तमाम साथियों से कहता हूं कि जिन को थोड़ा सा भी देश का, समाज का, परिस्थिति का ज्ञान है, वे सब के सब लोग अपनी पार्टी की मर्यादा को तोड़ कर के आएं, इस बिल का विरोध करें और इस रेजोल्यूशन का साथ दें।

इन शब्दों के साथ मैं इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता हूं।

श्री गिरधर गोमांगो (कोरापुट) : मैं श्री मकवाणा द्वारा पेश किये गये अनिवार्य वस्तु बनाये रखने (आसाम) विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प का विरोध करता हूं।

विपक्ष के सदस्यों के भाषणों को सुनकर मुझे आश्चर्य है कि उनमें कुच्छेक समस्या को उचित ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आसाम का संकट कैसे शुरू हुआ। जनता पार्टी सरकार ने समस्या का कोई समाधान नहीं किया। उसके बाद लोकदल और कांग्रेस सत्ता में आयी। उनके शासनकाल में ही आसाम की स्थिति अधिक खराब हुई। जनता पार्टी में विभिन्न विचारधाराओं और दृष्किोण वाले विभिन्न नेता थे। उसके बाद लोक दल—कांग्रेस सरकार ने स्थिति को और अधिक खराब करने का प्रयास किया। आन्दोलन इस तरीके से चलाया गया कि अब वे सत्तारुढ़ दल को ही दोषी ठहरा रहे हैं। यह दल इस समस्या को हल कर सकता है। इसका कारण यह नहीं कि हम हाल के चुनावों में भारी बहुमत से जीते हैं, बल्कि यह है कि हमारे पास श्रीमती गांधी का प्रभावशाली नेतृत्व है। वह ही इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। वह इस समस्या को इस करण हल कर सकती है कि उनके विचार इस बारे में स्पष्ट हैं कि देश के लिए क्या किया जाय। उनके अन्दर सभी अन्य नेताओं से अधिक सहनशीलता है। अब केवल समय की बात है। नेताओं को अब निर्णय लेना चाहिये कि इस समस्या को हल कैसे किया जाये। जो पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के बाद सत्ता में आई है, वह इसे हल नहीं कर सकती। मुझे सरकार के विचारार्थ दो या तीन सुझाव देने हैं। असम संकट में विभिन्न राजनीतिक दलों की भूमिका को देखिए। मैं किसी दल विशेष को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। मैं केवल उस दल को दोषी ठहरा रहा हूं। जिसने असम में कठिनाइयां पैदा की हैं।

कांग्रेस दल का जन्म उस समय हुआ था जब देश में संकट था। और यदि संकट न होता तो अब वह दल अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकता था। यह दल उसी संकट के कारण सत्ता में आया है और यही दल है जो उस संकट को दूर कर सकता है।

प्रधान मंत्री ने सभी विपक्षी नेताओं को इस समस्या को आपस में हल करने के लिए बुलाया था। परन्तु यदि उन्होंने जो कुछ कहा है और जो कुछ वे कह रहे हैं तथा जो वक्तव्य वे दे रहे हैं। उसे यदि आप देखें तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे। वे हम पर दोषारोपण कर रहे हैं कि हम कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और यह विधेयक मजदूर--विरोधी है तथा जो मजदूर हड़ताल में शामिल होंगे उन्हें कुछ दण्ड दिया जाएगा। वे कहते हैं कि विधेयक चूंकि मजदूर विरोधी है इसीलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। इनका इरादा यह नहीं है। उनका इरादा यह है कि यदि वे विधेयक का विरोध करेंगे तो असम के लोग और उनकी पार्टी के लोग उनका समर्थन करेंगे और किसी समय वे सत्ता में आ सकेंगे। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र को विभिन्न राज्यों में बांट दिया गया है। यह समस्या इसी बटवारे के समय से चली आ रही है। सत्ता की भूखी पार्टियां एक बार फिर विचार कर रही है जिससे स्थिति और भी गम्भीर हो जाएगी।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रेस को भी अपनी भूमिका निभानी है। प्रेस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाचार-पत्रों में क्या दिया जाना चाहिए और क्या नहीं दिया जाना चाहिए और लोगों के समक्ष क्या रखा जाना चाहिए। इसका भी ख्याल रखा जाना होगा। असम और बाहर के लोगों को सोचना चाहिए कि क्या यह केवल असम की समस्या है या पूरे राष्ट्र की। लोगों को इस समस्या के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और हम निश्चित रूप से इसका हल ढूंढ़ निकालेंगे। जिन लोगों को यह डर है कि इस विधेयक द्वारा पुलिस को जो शक्ति प्रदान की गयी है उसका दुरुपयोग हो सकता है तो उन्हें डरना नहीं चाहिए।

महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से यह कहा गया था कि यह एक असाधारण विधेयक है और इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्थिति का सामना साधारण कानून के अन्तर्गत किया जा सकता है। परन्तु यह तो तभी सम्भव है जब स्थिति सामान्य हो। जब असम में स्थिति असाधारण है तो इसके लिए असाधारण उपाय ही करने होंगे। विरोधी पक्ष लोगों को यह समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि चुनाव के समय इस दल ने स्थायी सरकार देने का आश्वासन दिया था, परन्तु सत्ता में आने के पश्चात वे स्थायी सरकार देने में असमर्थ रहे हैं। परन्तु हमारा दल स्थायी सरकार दे सकता है और इस समस्या को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और भावात्मी दृष्टिकोण से हल करने की प्रक्रिया अपनाते हुए इन समस्याओं को निःसंकोच हल करने में समर्थ होगा।

महोदय, जब हमें इस समस्या को समन्वित दृष्टिकोण से हल करना है तो सभी दलों और लोगों को चाहे वे सेवा में हैं या नहीं, एक साथ इस पर विचार करना चाहिए और अपने संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों को महत्व देना चाहिए। किसी को भी सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक लाभों के विषय में नहीं सोचना चाहिए। हम लोगों के प्रतिनिधि हैं और

हमें देश में सुधार लाना है परन्तु जब प्रतिनिधि राजनीतिक प्रतिशोध लेने लगेंगे तो यह देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी।

महोदय, मेरे विचार में माननीय मंत्री महोदय इसी दृष्टिकोण या अन्य किसी दृष्टि से इन मामलों पर जोकि आवश्यक है विचार करेंगे, क्योंकि समस्या को हल किया जाना है। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का विरोध करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समस्या को हल करने की बजाय संकट उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जा रहा है। वे कुछ और ही चाहते प्रतीत होते हैं। मैं नहीं जानता कि वह क्या चाहते हैं परन्तु मेरे विचार में समस्या के प्रति उनका दृष्टिकोण जो कुछ वे प्रचार कर रहे उससे बिल्कुल भिन्न है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : सभापति महोदय, इस वाद-विवाद में कुल 16 सदस्यों ने भाग लिया है। मैंने उन सभी को सुना है। उनमें से अधिकांश ने इस विधेयक का समर्थन किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कतिपय आशंकाएं व्यक्त की है और कुछ विपक्षी सदस्यों ने कहा है कि यह आपात काल की ओर एक कदम है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आपात स्थिति 1975 में लगायी गयी थी और उसके बाद लोगों ने हमें सत्तारूढ किया है, देश के लोग जानते हैं, कांग्रेस क्या है वे जानते हैं कि हमारी पार्टी उनके लिए क्या करने जा रही है। परन्तु विपक्षी सदस्य इस ढंग से सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे असम की वर्तमान समस्या को तटस्थ भाव से लें। उन्हें केवल इसी दृष्टिकोण से इसे लेना चाहिए। श्री बनातवाला ने उन स्थितियों का बिल्कुल सही उल्लेख किया है जिसके अधीन सरकार को राज्य में आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए यह विधेयक सभा के समक्ष लाना पड़ा। जैसा कि मैंने कहा है, इसमें 16 सदस्यों ने भाग लिया है। मैं उनके द्वारा उठाए गए कुछ मुख्य मुद्दों का उत्तर दूंगा।

श्री नीरेन घोष ने, जोकि प्रथम वक्ता थे, इस विधेयक की आलोचना की और कहा कि यह कठोर उपाय है उन्होंने कहा हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाना एक असामान्य बात है मैं माननीय सदस्य और सम्मानित सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं। कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय ने 'एसोसिएशन की स्वतन्त्रता' के संबंध में कहा है कि कर्मचारियों को इस आधार पर हड़ताल न करने का अधिकार न देना एक सामान्य बात है कि वे आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं। अतः इस उच्चतम संगठन अन्तर्राष्ट्रीय-श्रम संगठन ने इस उपाय को उचित बताया है।

भारतीय कम्यु० पार्टी, भारतीय कम्यु० पार्टी (मार्क्स०) और कुछ जनता सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध एक इस पहलू से भी किया है कि यह विधेयक दमनकारी उपाय होगा और मजदूरों का दमन किया जायेगा। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि अधिनियम बनने पर यह

विधेयक एक दमनकारी नहीं रहेगा। इसका उपयोग केवल ऐसी संकट पूर्ण स्थिति में किया जाएगा जो इस समय है, जबकि आवश्यक सेवाएं जोकि लोगों की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, ठप्प की जा रही है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि इस सभा के कतिपय सदस्य और कुछ राजनीतिक नेता वहां जाकर लोगों को भड़कायेंगे और तब अधिनियम बनने पर इस विधेयक के उपबन्धों का प्रयोग उनके विरुद्ध किया जायेगा। ऐसे लोगों के लिए एक विशेष धारा इस विधेयक की धारा 6 है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम ऐसी किसी धारा का किसी के विरुद्ध प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, बशर्ते वे उस राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में सरकार की सहायता करें और उस क्षेत्र में अव्यवस्था तथा साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए नेताओं और लोगों को भड़काने जैसे कार्यों से स्वयं को दूर रखें। महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने अपना रोष व्यक्त किया है और कहा है कि यह आन्दोलन साम्प्रदायिक बनता जा रहा है। यह सिद्ध हो गया है कि कई स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए और भाषायी तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया गया। अतः जब वे इसको साम्प्रदायिक आन्दोलन कहते हैं तो यह उचित ही है। अखिल असम छात्र संघ द्वारा आरम्भ किया गया आन्दोलन साम्प्रदायिक नहीं था। विद्यार्थी ठीक थे। वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले रहे थे। परन्तु कुछ राजनीतिज्ञों दलों और कुछ राजनीतिज्ञों ने लोगों को भड़काया और साम्प्रदायिक तनाव पैदा किया, जिसके परिणाम स्वरूप गरीब और अल्प संख्यकों को कठिनाइयों का सामाना करना पड़ा। महोदय, इस राज्य को आन्दोलन के कारण नुकसान पहुंचा है, अतः यही सोचा गया कि विधेयक मौजूदा शक्ल में प्रस्तुत किया जाए, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके और हम आवश्यक सेवाओं को बहाल कर सकें।

माननीय सदस्य श्री संगवाने, जो उस क्षेत्र के हैं, वहां रह रहे लोगों की कठिनाइयों का सही-सही उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस स्टेशन तक जाने में 7 दिन लगते हैं और कुछ इलाकों में अपना राशन लेना भी कठिन है और जब वे दुकान तक जाना चाहते हैं तो 2 दिन लग जाते हैं। इस प्रकार के इलाके में यदि आवश्यक सेवाएं अवरुद्ध की जाएं और यदि राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के आवागमन को रोका जाएगा तो वहां के लोगों की क्या हालत होगी ? महोदय, इसलिए, इस विधेयक को सभा के समक्ष लाया गया है।

कुछ सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए यह कहा है कि इस क्षेत्र में कुछ मिशनरियां और विदेशी तत्व कार्य कर रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने किसी पुस्तक का जिक्र किया है। पुस्तक का नाम 'सन्स आफ दा सायल' हैं। और इसके लेखक मेरल विनर हैं और इस पुस्तक का जैसा कि श्री पराशर ने कहा है, अनुवाद किया जा रहा है और लोगों को भड़काने के लिए उनमें परिचारित किया जा रहा है। इस प्रकार की गतिविधियों को तत्काल रोकने की आवश्यकता है और यह पता लगाने के लिए कि वहां क्या हो रहा है, और इसके पीछे किनका हाथ है सरकार निश्चय ही आवश्यक कार्यवाही करेंगी। कुछ माननीय सदस्यों ने यह चिन्ता भी व्यक्त की है कि खण्ड 2, उप-खण्ड (चौदह) के अन्तर्गत राज्य सरकार को किसी भी सेवा को आवश्यक सेवा घोषित करने के लिए व्यापक शक्ति दी गयी है। अतः सरकार सभा के सामने

आई है। सरकार को इसे सभा पटल पर रखना पड़ा है और तत्पश्चात् इसे सभा द्वारा स्वीकृति दी जानी है। अतः उस समय प्रत्येक सदस्य को इसकी आलोचना करने का अधिकार है और चर्चा के उपरान्त सरकार भी इस पर विचार कर सकती है। अतः यह कोई ऐसा विधेयक नहीं है जिस पर सरकार मनमाने ढंग से निर्णय ले सके। सभा के समक्ष आने का प्रावधान है और इस प्रकार प्राप्त अधिकारों में कमी आती है।

श्री हरिकेश बहादुर ने कहा कि देश में साम्प्रदायिक दंगे हुए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कुछ साम्प्रदायिक दंगे हुए। माननीय सदस्य महोदय जानते हैं कि इनके पीछे कौन लोग है। श्री बनातवाला ने कहा है कि सरकार का रुख बहुत ही नर्म है"।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैंने कहा था, "इतने नर्म न हों।"

श्री योगेन्द्र मकवाना : सरकार बहुत नर्म नहीं अपितु बहुत सजग है। हम बहुत सजग हैं। हम किसी को दबाना नहीं चाहते, पर साथ ही मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार उन लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के लिए काफी कठोर है जो शरारत करते हैं और जो साम्प्रदायिक तनाव के लिए लोगों को उकसाते है।

कुछ माननीय सदस्यों ने अपना सन्देह भी व्यक्त किया है और कहा है कि सरकार इस क्षेत्र में सक्रिय विदेशी तत्वों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। जैसा कि मैंने कहा, वहां इस बात को सिद्ध करने हेतु कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं कि कौन से विदेशी तत्व उस क्षेत्र में कार्यरत है। तथापि, सरकार निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में कार्य कर रही है और यदि किसी को इसमें शरीक पाया जाता है तो सरकार निश्चित ही उन तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी।

जैसा कि विधेयक में बताया गया है, इस विधेयक का उद्देश्य मुख्य रूप से राज्य में आवश्यक वस्तुओं की सहज सप्लाई सुनिश्चित करना और उसे बनाए रखना है और यह देखना है कि उस क्षेत्र में विभिन्न समुदाय और आप लोगों को कठिनाई न हो। मैं सभी माननीय सदस्यों से इस विधेयक का समर्थन करने और इसे पारित करने का अनुरोध करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, दूसरी ओर के सदस्यों ने जिस दृढ़ निश्चय के साथ इस विधेयक पर हुई बहस को तोड़ने-मरोड़ने का प्रयास किया, मुझे उसकी अवश्य प्रशंसा करनी चाहिए। यद्यपि गत मास के प्रारम्भ से इस सदन ने बहुत लम्बे समय तक उस पर विचार किया है, फिर भी आसाम के सारे मसले पर एक बार फिर चर्चा करने की मांग की गई है। आसाम के बजट के सम्बन्ध में और आसाम के विषय में एक विशेष संकल्प पर आसाम के प्रश्न पर यहां एक पूरी बहस हो चुकी है और आज जब हम आवश्यक सेवाएं (बनाए रखना) (आसाम) विधेयक पर, जो कि देश के श्रमजीवी-वर्ग के लोगों से सम्बन्धित है, चर्चा कर रहे हैं, तब दूसरे पक्ष में बैठे मेरे मित्र आसाम के विषय पर फिर से बहस करने लगे है। मैं इस बात को पुनः कहूंगा कि सारी की सारी कोशिश विषय को, सदन को, उस सीमा तक उलझा

देने की है, जहां तक उनके लिए उलझाना सम्भव है, और स्वभावतः यह देश को उलझन में डालने का प्रयास भी है। मैं निष्पक्षता के साथ यह मानता हूं कि मन्त्री महोदय ने आसाम विवाद अथवा आसाम समस्या को तो छुआ, परन्तु उन्होंने इसे प्रमुख विषय नहीं बनाया। तो भी, चूंकि अब यह प्रश्न उठाया गया है, मेरे लिए भी यह आवश्यक है कि दूसरे पक्ष में बैठे सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर में एक या दो दलीलें दूं।

आसाम के माननीय सदस्य श्री देव और उसके बाद कानपुर के सदस्य खासतौर पर आसाम की स्थिति के सम्बन्ध में वाकपटुता के साथ बोले। उन्होंने पाया कि इस पक्ष में बैठे हम लोगों में से अनेक इसमें शरीक हैं। वास्तव में उन दोनों ने एक ने प्रत्यक्ष रूप से और दूसरे ने अप्रत्यक्ष रूप से कम या ज्यादा इस बात की मांग की कि इस कानून के प्रावधानों को हम लोगों में से कुछ के खिलाफ इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए; और ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके खिलाफ इस कानून के आधार पर कार्यवाही की जानी चाहिए, मेरा उल्लेख विशेष रूप से किया गया। कांग्रेस (आई) के एक सदस्य ने यह विशेष मांग की है। मन्त्री महोदय ने उस पर बड़ी चतुराई के साथ गोल-मोल बात कही है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि उसका प्रयोग इस सदन के सदस्यों के विरुद्ध किया जाना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय पर वे विचार करेंगे। दूसरे शब्दों में एक दम शुरू में इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरा अपना दृष्टिकोण यह था कि यह मुख्यतः मजदूरों के विरुद्ध था। उसी संदर्भ में मैंने कहा था, जब लोग पूछते हैं, "क्या दूसरी अमरजेंसी लगने जा रही है" तो उसका उत्तर होता है। "आप क्यों पूछते हैं ? यह तो पहले ही लगी हुई है" दूसरी ओर बैठे सदस्यों ने जिस तरीके से अपनी अभिव्यक्ति की है और अब स्वयं मन्त्री महोदय इस अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत हम लोगों में से कुछ के लिए जेल के दरवाजे खुले रखने की जो बात कर रहे हैं उससे बहुत ही स्पष्ट है कि इस विधेयक का लक्ष्य न केवल मजदूर वर्ग पर लगने जा रहा है, अपितु राजनीतिक विपक्ष भी उसका लक्ष्य है। मैं नहीं जानता कि वे इसे कितना जल्दी करेंगे। इस विधेयक का एक पहलू है जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिये; और मैं विशेष रूप से अपने माननीय मित्र श्री बनातवाला से इसके लिए अनुरोध करूंगा, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं, कई बार जोरदार शब्दों में इस विधेयक को एक तानाशाही कार्यवाही कहा है। यही कारण है कि मैं अपने माननीय मित्र श्री बनातवाला से विशेष अपील कर रहा हूं, "इस विधेयक को मात्र इस दृष्टि से मत देखिए कि यह कोई ऐसी बात है जो आसाम से सम्बन्धित है। क्योंकि यदि यह केवल आसाम से सम्बन्धित होता तो इसे आज तीन महीने से सरकार अपने पास नहीं "रखती" निःसन्देह श्री बनातवाला ने कहा है। "आप एक स्वर में नहीं बोल रहे हैं।" इसमें लाल-पीले होने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

सदस्यों ने आसाम में सांप्रदायिक स्थिति के बारे में चर्चा की है। मैं इस प्रश्न पर नहीं जाऊंगा कि वहां सांप्रदायिक स्थिति किसने शुरू की। इस सम्बन्ध में छात्रों का एक दृष्टिकोण है। और चूंकि श्री देव का अखिल आसाम छात्र संघ में पूरा विश्वास है, मैं उनसे और इस सदन से कहूंगा कि छात्रों का विश्वास है—अखिल आसाम छात्र संघ ने एक वक्तव्य में घोषित किया है—कि यह श्रीमती गांधी की आसाम यात्रा थी जिसने सांप्रदायिक संकट शुरू किया। (व्यवधान)। छात्रों ने यह कहा है।

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० बेंकट सुब्बया) : यहां किसी पर गलत आरोप मत लगाइए। (व्यवधान)।

श्री जार्ज फर्नांडीस : माननीय सदस्य बहस के दौरान उपस्थित नहीं थे। मैं किसी को राष्ट्र विरोधी नहीं कह रहा हूं। मैं केवल एक वक्तव्य दे रहा हूं। माननीय सदस्य श्री देव .. (व्यवधान) मैंने किसी को बोलने के दौरान व्यवधान नहीं डाला। मैंने धैर्यपूर्वक सोलह सदस्यों को बोलते हुए सुना। मैंने व्यवधान पैदा नहीं किया। उन्हें भी शालीनता के साथ मेरी बात सुननी चाहिए। श्री देव ने कहा कि अखिल आसाम छात्र संघ, छात्र सम्मानित युवजन हैं। वे समस्या को जानते हैं, वे राजनीति में सम्मिलित नहीं हैं। वे एक ऐसा मसला उठा रहे हैं जिसके बारे में वे दृढ़संकल्प हैं। आप कार्यवाही वृतान्त देख सकते हैं। मैंने कल उनकी बात सुनी। आप में से बहुत से यहां उपस्थित नहीं थे और विशेष तौर पर कनिष्ठ गृहमन्त्री यहां उपस्थित नहीं थे। अभी-अभी वह अचानक उठ खड़े हुए। आपने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अखिल आसाम छात्र संघ निर्दोष है, परन्तु श्री फर्नांडीस जैसे दूसरे व्यक्ति हैं जो दोषी हैं। गण संग्राम परिषद निर्दोष है परन्तु इस सदन के भीतर और बाहर दूसरे व्यक्ति हैं जो दोषी हैं। यह उन्होंने कहा और यही कारण है कि मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं। (व्यवधान) मैं झुकने वाला नहीं हूं।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : परन्तु उनके वक्तव्य को गलत रूप से उद्धृत किया गया है।

श्री जार्ज फर्नांडीस : यदि आज वहां कोई इस प्रकार की स्थिति है और यदि अखिल आसाम छात्र संघ यह समझता है कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए शासक दल जिम्मेवार है, तो मुझे आशा है कि मेरे वे माननीय मित्र जो यह विश्वास करते हैं कि यद्यपि यह एक तानाशाही कार्यवाही है, तो भी, आसाम में व्याप्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वे इस तरह के एक अधिनियम की आवश्यकता समझते हैं, वे अपने इस दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करेंगे। यह इसका एक पहलू है।

इसका दूसरा पहलू यह है कि यह कानून पिछले तीन महीनों से आपके हाथों में है। माननीय सदस्य श्री रविन्द्र वर्मा ने इस विषय पर बहुत ही सटीक आपत्ति की है। उन्होंने कहा "अन्ततः उस कानून की क्या उपयोगिता है जिसको आप कार्यान्वित नहीं कर सकते ?" मैंने कल माननीय मन्त्री महोदय से पूछा था "आप कहां तक और कितने प्रभावी ढंग से इस कानून का प्रयोग कर पाने में समर्थ हो पाए हैं।"

अन्ततोगत्वा, आप कानून क्यों बनाना चाहते हैं ? आप कानून उपयोग करने के लिए बनाते हैं। (व्यवधान)। प्रोफेसर आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपके कानूनों का शिकार रहा हूं और इसके बावजूद उनका मुकाबला कर विजयी रहा हूं और हमेशा विजयी रहूंगा। 31 वर्षों तक मैंने इन पर विजय पाई है और जीवन के शेष काल में भी विजय पाऊंगा। आप मुझे अपने

कानूनों की धमकी न दीजिए। (व्यवधान) बहुत बुरे दिनों में भी मुझे आपके कानूनों का अनुभव है। मैंने हथकड़ी भी पहनी है, बेड़ी भी पहनी है। मुझे आपके कानूनों का अनुभव बहुत बुरे से बुरे दिनों में रहा है और अब भी मैं अभी भी जिन्दा हूं। अतः मुझे धमकी न दीजिए। (व्यवधान) इसलिए हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिये। आपके पास गत तीन महीनों से यहां कानून है। मुझे प्रसन्नता है कि वरिष्ठ मन्त्री महोदय भी यहां हैं। वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वह बहुत प्रभावशाली भाषा में बोलते हैं। वह हाथ काटने की भी बात करते हैं। किसी ने मुझे बताया है आज मुझे यहां उनका नाम नहीं बताना चाहिए—उन्होंने भी बहुत से लोगों को काटने की बात की है। परन्तु मैं आज इस पर चर्चा नहीं करूंगा। परन्तु मैं केवल इतना कहूंगा कि वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं।

श्री जैल सिंह : विदेशियों का हाथ काटने के लिए आपको तकलीफ हुई है ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : तो क्यों नहीं काट रहे हैं आप ? 6 महीनों से क्यों ऐसे बैठते हैं और बोलते हैं ?

श्री जैल सिंह : जब दिखाई देगा, काट देंगे।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : तो चश्मा क्यों नहीं पहनते हैं ? यही मेरी शिकायत है सरदार जी, लेकिन आप समक्ष नहीं पा रहे हैं, मैं क्या करूं ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उन्हें यह महसूस करने दीजिए कि वह सदन में हैं और कसाई खाने में नहीं हैं।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : अब, माननीय मन्त्री महोदय को कानून बनाये तीन महीने हो गए हैं। मेरा प्रश्न यह था कि वह कानून का किस हद तक उपयोग करने में सक्षम रहे हैं ? माननीय कनिष्ठ मन्त्री महोदय ने जिन्होंने अभी विवाद में हस्तक्षेप किया, कल बहुत दिलचस्प वक्तव्य दिया था। स्पष्टतः, मन्त्री गण आजकल अपना गृह काम नहीं करते हैं, शायद इसके लिए उनके पास समय नहीं है। वह यह कहते रहे कि यह अध्यादेश आसाम के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया था। मन्त्रियों को संविधान का ज्ञान थोड़ा अच्छा होना चाहिए परन्तु इसके लिए वरिष्ठ मन्त्रियों को ध्यान देना चाहिए। इसे हम नहीं कर सकते हैं। अतः मेरा कहना यह है कि आप आसाम में इस स्थिति से निपटने के लिए कहां तक इस कानून का प्रयोग कर सके हैं ? उन्होंने बताया कि 120 राजपत्रित अधिकारियों और 12 कुछ अन्य लोगों को हमने वहां निलम्बित किया है। मैं माननीय मन्त्री से यह पूछता हूं कि आपने इन्हें किस धारा के अधीन निलम्बित किया है ? मेरा प्रश्न स्पष्ट था। रिकार्ड से पता चल सकता है। किस धारा के अधीन ? क्या इस कानून में अधिकारियों या कर्मचारियों को निलंबित करने का प्रावधान है ? इस कानून में गिरफ्तारी करने और जेल भेजने की व्यवस्था है। इसके कानून के अन्तर्गत निलम्बित करने की कहां व्यवस्था है ? यह एक पहलू है जिस पर माननीय रवीन्द्र वर्मा बोले थे।

दूसरा प्रश्न यह है कि तीन महीनों में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में आपने बोला था ; आवश्यक सेवाओं की सप्लाई न होने के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा था किन्तु आपने इस कानून के द्वारा क्या किया ?

आप आज केवल इसे अधिनियम बनाने के लिये आये हैं । परन्तु राष्ट्रपति का अध्यादेश कानून का ही स्वरूप था । यह अभी भी है । गृहमंत्री महोदय आपकी शक्ति आपका संकल्प कहां है ? आपकी सरकार कहां है जो काम करती है ? क्या यह भी एक नारा है जिस तरह के नारे आपने पिछले समय दिया था सरकार वह है जो काम करती है ? यह आसाम में काम क्यों नहीं कर रही है ? आपने कर्फ्यू लगाया । आपकी सेना सड़कों में गश्त लगाती रही । फिर सेना वापस बुला ली गई । स्थिति को समझिये, उसे आप तोड़ मरोड़ करने की कोशिश न करिये । इसे आप राजनैतिक उद्देश्यों के लिये प्रयोग न करें, समस्या को समझिये, स्थिति को समझिये ।

कुछ सदस्य चिंतित थे, क्योंकि मैंने कहा था कि हमें इस समस्या के समाधान हेतु सभी दलों की एक बैठक बुलानी चाहिए । और मैंने इसे पटना में बुलाये जाने का प्रस्ताव किया । और इसलिए वह सोचते हैं कि हम इस आंदोलन को बिहार फिर उड़ीसा तक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं । उन्होंने राज्यों का नाम कल बताया था । हम सहायता करना चाहते हैं । परन्तु आप हमारी सहायता कहां कहां चाहते हैं ? आप प्रत्येक चीज का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिये करना चाहते हैं और यहीं आपकी समस्या है आप इसे भले ही न समझें, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य कभी-कभी अपने विचार के अधिकार का उपयोग नही करते हैं । वे चाहते हैं कि उन्हें बता दिया जाय और वे विचारों में अपने अधिकार का उपयोग नही करना चाहते हैं ।

श्री आनन्दगोपाल मुखोपाध्याय (आसन सोल) : ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से आपको जी० डी० आर० से बताया गया है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह बहुत खराब बात है* (**व्यवधान**) ।

सभापति महोदय : यह हमारे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा ।

श्री जार्ज फर्नांन्डीस : अतः कानून का प्रयोग कहां हो रहा है ? वास्तव में, श्री देव, कल बहुत सुन्दर आरोप लेकर आये (**व्यवधान**) ।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : मैं यहां बैठा हूं ।

श्री जार्ज फर्नांन्डीस : आपको धन्यवाद । सदस्यों को अपनी जगह पर बैठना चाहिए । मैं इस विषय के लिए निरन्तर प्रतीक्षा कर रहा था । (**व्यवधान**) ।

श्री संतोष मोहन देव : मैं आशा करता हूं कि मुझे इसका उत्तर देने के लिए अवसर मिलेगा ।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : निःसंदेह, आपको अवसर मिलेगा । मुझे आशा है और आपको मेरी शुभकामनाएं । आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी । जैसे-जैसे दिन गुजरेंगे आपको इसकी जरूरत पड़ती जायेगी ।

कल, श्री देव ने इस सरकार पर अक्षम होने कार्य न कर सकने और शासन न करापाने का आरोप लगाया था । उन्होंने कहा कि "टेलीग्राम नही पहुंच रहे हैं खाद्यान्न नहीं पहुंच रहा है, पत्र नही पहुंच रहे हैं । " उन्होंने कहा ,"श्री फर्नान्डीस, कोशिश करिये और देखिये कि क्या वहां कोई चीज पहुंचती है । " मैं सरकार में नही हूं । वे लोग सरकार में हैं । हमारे शक्तिशाली गृहमंत्री यहां हैं । आप सरकार में हैं । अगर पत्र नहीं पहुंच रहे हैं तो आपकी सरकार क्या कर रही है ? अगर टेलीग्राम नहीं पहुंच रहे हैं तो आपकी सरकार क्या कर रही है ? अगर राशन नहीं पहुंच रहा हैं तो आपकी सरकार क्या कर रही है ? अगर रेलगाड़ियां नही चल रही हैं तो आपकी सरकार क्या कर रही है ?

आपका दस्तावेज यहां है । क्या इस दस्तावेज को आप स्वीकार करते हैं ? मैं नहीं समझता हूं कि आपमें से किसी ने इसे पढ़ा है । यह आपका घोषणा-पत्र है । इस घोषणा-पत्र में आपने यहां बैठे हुए हम लोगों पर आक्षेप लगाया है कि जब हम लोग सत्ता में ढाई वर्ष तक थे तब देश में कुछ विकास नहीं हो रहा था और कुछ भी नहीं हो रहा था । अब क्या हो रहा है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : मैंने आपका घटिया भाषण भी पढ़ा था ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यही चीज मै कनिष्ठ गृहमंत्री से करने के लिए कह रहा हूं । मेरे भाषण आप जैसे लोगों को शिक्षित करने में सहायक होंगे, क्योंकि आपको कभी भी शिक्षित होने का अवसर नहीं मिला है । कृपा मेरे भाषणों को पढ़िये ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैंने आपके भाषणों को पढ़ा है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सामान्यतः आपको यह अवसर नहीं मिलता है । जब कभी आपको अवसर मिलें. कृपया उसका उपयोग करिये । वह आपको शिक्षित बनायेगा । महोदय, मुझे खेद है, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री अभी अस्पताल से वापिस नहीं आए हैं । मैं क्षमा चाहता हूं । मैंने कभी भी उन्हें तकलीफ देना नहीं चाहा है । मुझे खेद है । मुझे नहीं मालूम था अन्यथा में ऐसा नहीं करता ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : थोड़ी सी दया के लिए धन्यवाद ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इस दल का घोषणा पत्र था कि "यहां वह सरकार है जो काम नहीं कर रही है ।" इसलिए लोगों ने आपको वोट दिया कम-से-कम ऐसा आप विश्वास करते हैं । अब आप क्या कर रहे हैं ? अपना भाग्य आजमाइए । आपके पास कानून था । आपके पास यह कानून गत तीन महीनों से है । आप टेलीग्राम नहीं भेज सके, पत्र नहीं भेज सके, कोई सामग्री

नहीं भेज सके और न कुछ कर सके, जिसे श्री देव अपनी सरकार से करने की अपेक्षा करेंगे। आप हम से शिकायत मत करिये। आप सरकार में हैं। अगर अल्पसंख्यकों को वहां परेशान किया जाता है तो सरकार का यह पहला उत्तरदायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करे। सरकार क्या कर रही है ? अगर जैसा कि श्री देव ने कहा कि छात्र नहीं बल्कि कुछ पथ-भ्रष्ट तत्व हैं जो समस्या पैदा कर रहे हैं तब फिर आप छात्रों से क्यों बात कर रहे हैं ? आप गण संग्राम परिषद से क्यों बात कर रहे हैं ? आप उन गुमराह लोगों को क्यों नहीं बुलाते हैं और उनसे बात क्यों नहीं करते हैं ? मुझे विश्वास है कि सरकार यह जानती है कि ये लोग कौन हैं। या जैसा गृहमन्त्री महोदय कह रहे थे वैसी बात है कि अभी तक उन्होंने केवल हाथ देखा है—कौन सा हाथ ? यह हाथ ? और उन्होंने अब भी चेहरा नहीं देखा है ? क्या यही कारण है कि आप कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है ? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सदन को बतायें। अगर इसमें विदेशियों का हाथ है तो क्या वे चेहरा देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ? इस सदन में प्रायः इस तरह के वक्तव्य के बारे में चर्चा चला रहे हैं और दूसरे पक्ष के द्वारा 'सी० आई० ए०' का नाम लिया जा रहा है। मैं बहुधा समाचार पत्रों में पढ़ता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री और अमरीका के राष्ट्रपति के बीच पत्राचार हो रहा है। क्या इस मसले को भी उठाया गया है ? क्या आपने अपने पत्रों में अमरीका के राष्ट्रपति के साथ यह मामला उठाया है ?

किसी ने अभी मेरन विनर द्वारा लिखी पुस्तक 'सन्स आफ दि सोइल' की चर्चा की थी। क्या यह शब्द दूसरे पक्ष के लोगों को दुख पहुंचाता है ? कब से ? क्या आप इस देश में इस वाक्यांश के बनाने वालों को जानते हैं ? क्या आपको उनका नाम याद है ? क्या आप उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने लाखों निर्दोष व्यक्तियों को बम्बई की सड़कों से खदेड़ने की कोशिश की थी ? क्या आपको उनकी याद है ? क्या उस संगठन का नाम आपको याद है जिसने इस झूठे एवं खतरनाक सिद्धांत 'धरती पुत्र' को इस देश में प्रचार करने की कोशिश की थी ? क्या आप शिव सेना संगठन का नाम भूल गये हैं ?

एक माननीय सदस्य : दोस्त हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : दोस्त ? क्या दोस्ती की बात करते हैं ? उन्होंने चुनाव सम्बन्धी गठबन्धन किया है। महाराष्ट्र विधान सभा में शिव सेना का एक भी आदमी नहीं आया किन्तु विधान परिषद में उनके दो आदमी आ गये हैं। उन लोगों ने उन्हें वोट दिया है। आपने धरती पुत्र के सिद्धांत वाले व्यक्तियों एवं इसके सिद्धान्त निर्माताओं को टिकटें दी हैं। आप उस बेचारे मेरन विनर या जो भी है उन्हें क्यों लाते हैं ? बाल ठाकरे से बात क्यों नहीं करते हैं ? वह आपको सलाह देंगे। आपका उनसे अब सम्बन्ध है।

क्या आपने 'धरती के लाल' सम्बन्धी श्री गुंडुराव का वक्तव्य पढ़ा ? आप धरती के लाल सम्बन्धी सिद्धांत के बारे अचानक क्यों चिंतित हो गए और माईरन वीनर की पुस्तक का उपयोग उस सिद्धान्त का प्रचार करने के लिए कैसे किया गया ? उसके लिए आपको माईरन वीनर की

आवश्यकता नहीं है। वे सब आपके पास हैं। इसके लिए विदेशियों को क्यों लाते हैं ? किसी ने श्री राजमोहन गांधी का नाम लिया है। वे इस सभा के सदस्य नहीं है। वे इस सभा में आना चाहते थे लेकिन जब्बलपुर से हार गये। वे एक ओर तो महात्मा गांधी के पौत्र हैं और दूसरी ओर श्री राजगोपालाचार्य के हैं। हमारे श्री राजमोहन गांधी के साथ राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि हम यह सुनें कि देश का एक अच्छा नागरिक भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पृथकीकरण सम्बन्धी खतरनाक प्रचार कर रहा है। जिस ढंग से माननीय सदस्य चिड़चिड़ाते हैं, उसे देखकर मुझे आश्चर्य होता है। ये लोगों पर आक्रमण करते आ रहे हैं। जनरल बाज्वा का कुछ दिन पहले इन्डियन एक्सप्रेस में एक लेख प्रकाशित हुआ था। आप इसे पढ़ें। जनरल बाज्वा राजनीति में भाग नहीं लेते। उन्होंने कहा है कि आसाम में असफलता का कारण पिछले तीस वर्षों के राजनैतिक नेतृत्व की असफलता है।

कल मेरे नौजवान मित्र संगमा ने क्रोधावेश में अपने भाव प्रकट किये। मेरे विचार में उन्होंने अपने भाव आक्रामक ढंग से प्रकट किए। उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि मेघालय में क्या हो रहा है। श्री संगमा यहां नहीं हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि श्री संगमा रिकार्ड को देखेंगे। क्या मैं उनसे यह बात पूछ सकता हूं ? क्या वे जानते हैं कि गारो पहाड़ियों में, मेघालय सरकार के अनुसार और मेघालय विधान सभा में दिए गए वक्तव्य के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान 1·10 लाख गैर गारो आये और वहां बसे। कुल 3 लाख गारो निवासियों में से 1·10 गैर-गारो आये और बसे। उन्होंने कल मुझसे इस बारे में पूछा था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे जानते हैं कि मेघालय देश के गरीब राज्यों में से एक राज्य है। मेघालय के लोग बैंकों में जितना पैसा जमा करते हैं, उसमें से मेघालय के विकास पर केवल 20 प्रतिशत पैसा ही व्यय होता है। आप सभा में क्रोधावेश से अपने विचार प्रकट करते हैं क्योंकि आपके भाषण देने के लिए कहा जाता है लेकिन अपने लोगों की आकांक्षाओं के समझने की कोशिश करें। आसाम की समस्या को केवल एक साम्प्रदायिक एवं भाषायी प्रश्न न समझें। आसाम की समस्या विरोधी दल के सदस्यों ने पैदा नहीं की है। आप श्री जवाहरलाल नेहरू के भाषण क्यों नहीं पढ़ते ? आसाम की सम्पूर्ण नागरिकता सम्बन्धी इस सभा और दूसरी सभा के वाद-विवाद को आप क्यों नहीं पढ़ते। यह झगड़ा कोई आज पैदा नहीं हुआ है लेकिन यदि आप लोकदल अथवा लोकदल-जनता पर हमला करके इससे कोई राजनैतिक लाभ उठाना चाहें और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा विदेशियों, जिनका पता लगाते समय आप असमंजस में पड़ जाते हैं, को डांटते फटकारते रहें, तो इसे कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप यही कहते फिरें कि पिछले 33 वर्षों के दौरान आसाम में जो कुछ हुआ, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, तो इससे समस्या हल नहीं होगी।

मुझे यह देख कर दुख होता है कि यहां पण्डित कमलापति त्रिपाठी जैसे योग्य व्यक्ति भी हैं जिन्हें हमसे अधिक जानकारी होनी चाहिए कि यह समस्या जनता-लोकदल द्वारा पैदा नहीं की गयी है। आप इससे राजनैतिक लाभ उठा सकते हैं क्योंकि समाचार-पत्र भी आपका साथ दे सकता है अथवा आप उन्हें यह भी कह सकते हैं कि स्थिति की ऐसी तस्वीर पेश करें। लेकिन आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। समस्या और जोर पकड़ेगी। जिस रूप में

आसाम का प्रश्न सामने आया है, उसे देखते हुए मैं समझता था कि सरकार इसका समाधान दूसरे तरीके से करेगी और इसके लिए कोई और बहाने नहीं ढूंढेगी। हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। आप हमें बतायें कि आप हमसे किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं। आप कहते हैं कि वे 51 कहते हैं और हम 71, अब क्या होगा ? यदि आप इसी किस्म का सहयोग चाहते हैं तो यह कोई सहयोग नहीं है। आप आसाम सम्बन्धी अपने विचार हम पर थोपना चाहते हैं। वह कोई सहयोग नहीं है। आप चाहे तो इस पर चर्चा हो सकती है और मेरे विचार में इस पर चर्चा चल रही है।

क्या यह सच नहीं है कि आपके दल के नेता देश के कोने-कोने में जनता तथा लोकदल को आसाम समस्या के लिए दोषी ठहराने के लिए गये थे ? क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने पंजाब जाकर 13 बैठकों में इस प्रकार के भाषण दिए :

असम के लोग चाहते हैं कि पंजाबियों को वहां से हटाया जाये। अगर पंजाबियों के हटाये जाने की बात मैं स्वीकार करूं तो दूसरे राज्यों से भी हटाने पड़ेंगे लेकिन जब तक मैं रहूंगी इसको स्वीकार नहीं करूंगी—बजाओ ताली।

इस प्रकार के भाषण देकर वोट लिये गये। पंजाब में यही हुआ। देश से कोने-कोने में यही कुछ हुआ। और अब ये कहते हैं—"हमसे सहयोग कीजिये, हमारी सहायता कीजिये"। आप किसी भी स्थिति का राजनैतिक लाभ उठायेंगे। व्यवधान डालने वाले मन्त्री, रक्षा मन्त्रालय में एक कनिष्ठ मन्त्री 1973 में उसी पार्टी के सदस्य थे जिसका सदस्य मैं हूं। सभी नए दलबदलुओं की तरह आपको जरूरत से अधिक देशभक्ति दिखानी पड़ रही है। नए बदलुओं की तरह आपकी कुछ अधिक जोश दिखाना पड़ता है (व्यवधान)। मैं यहां हमेशा रहा हूं। आप राजनीति नहीं समझते यही आपकी समस्या है।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० सी० पी० एन० सिंह) : मैं आपसे अधिक समझता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप राजनीति नहीं समझते। यही आपकी समस्या है। मन्त्री महोदय, को चाहे वे कनिष्ठ मन्त्री ही क्यों न हों, राजनीति कुछ अच्छी तरह से समझानी चाहिये।

श्री सी० पी० एन० सिंह : हमने आप जैसे वरिष्ठ मन्त्री भी देखे हैं। (व्यवधान)।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : माननीय गृह मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन की चर्चा की है। यह कंवेंशन क्या कहती है।यह अनिवार्य सेवाओं में हड़ताल का जिक्र करती है। मैं भी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे कुछ जानता हूं। जितना मंत्री महोदय जानते हैं, मैं इस समय उससे अधिक नहीं कहूंगा। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन ने अनिवार्य सेवाओं की परिभाषा उसी प्रकार की है जिस प्रकार उनकी परिभाषा की जानी चाहिए न कि जिस प्रकार आप अपनी परिभाषा कर रहे हैं। आशा है कि मंत्री महोदय ने कल मेरी बात ध्यान से सुनी होगी और उम्मीद है कि उन्होंने मुझे यह कहते हुए सुना होगा की आपकी धारा 2 (XIV) की परिभाषा के अन्तर्गत नाई की दुकान से

होटल और पान की दुकान तक, सभी अनिवार्य सेवायें आ जाती हैं। क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन यही करती है। आप सभा को गुमराह करने की कोशिश क्यों करते हैं ? यह अज्ञात है अथवा कुछ और ? क्या यह अज्ञात है या सभा को जानबूझ कर गुमराह करने का प्रयास है ? मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय मुझ से सहमत होंगे कि ऐसा करना ठीक नहीं है। अतः इस विधेयक के बचाव में कोई भी आई० एल० ओ० कन्वेंशन नहीं है। यह एक सख्त कानून है। मुझे आशा है कि आप उन सब बातों से सहमत होंगे जो श्री बनातवाला ने इस विधेयक के बारे कही हैं। उसे स्वीकार करने की उदारता तो आप में होनी ही चाहिए।

मन्त्री महोदय ने साम्प्रदायिक आन्दोलन के बारे भी कुछ कहा है। मैं इस प्रश्न के बारे कह चुका हूं और अधिक नहीं कहूंगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि सरकार इस विधेयक को आसाम आंदोलन का सामना करने के लिए लायी है। यह विधेयक श्रम जीवी वर्ग के अधिकारों विशेषकर हड़ताल के अधिकारों से संबंधित है। यह विधेयक उसी प्रकार का है जिस प्रकार का विधेयक आपने कर्नाटक में पारित किया है वहां आपकी सरकार है। वहां आसाम जैसी कोई समस्या नहीं है। कल एक युवा सदस्य, कानपुर से निर्वाचित सदस्य ने कहा है कि यदि इसका उपयोग श्रमजीवी वर्ग के विरुद्ध किया गया तो वे इस बारे में मेरा साथ देंगे। मैं उन्हीं की बात करता हूं और कहता हूं कि कल उन्होंने कहा था कि जनता पार्टी के शासनकाल में स्वदेशी मिल्ज कानपुर में 200 कार्यकर्त्ता मारे गये। इस वक्तव्य की चर्चा बाहर भी हुई थी। मैं गृह मन्त्री से तथ्य बताने तथा यह मालूम करने के लिये कहूंगा कि क्या सदस्य सच बोल रहे थे या झूठ। मुझे आशा है कि गृह मन्त्री··· (व्यवधान)।

श्री भगवान् देव : आपके कुकरम तो बहुत प्रसिद्ध है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप सभी चीजों पर बहस चलाईए हम तैयार है। आप जब कहेंगे, हम तैयार हैं। आप क्यों परेशान होते हो। जब कहो, जहां कहो, हम तैयार हैं।

अतः मैं गृह मन्त्री से कानपुर घटना सम्बन्धी तथ्य बताने के लिये कहूंगा क्योंकि दूसरी ओर के सस्दयों ने इस बारे बहुत ढोल पीटा है।

माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि यह विधेयक श्रम जीवी वर्ग और उनके अधिकारों से सम्बन्धित हो तो वे मेरे साथ हैं। मैं उनसे कर्नाटक चलने के लिए कहूंगा जहां गुंडुराव की कांग्रेस (आई) सरकार ने अनिवार्य सेवा (बनाये रखना) अधिनियम पारित किया है। मुझे आशा है कि वे उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में जारी किये गए ऐसे ही अध्यादेशों की निंदा करेंगे। महाराष्ट्र में इसे श्रमजीवी वर्ग के पूरे विरोध होते हुए भी पुरःस्थापित किया गया और श्री अंतुले की सरकार को इसे वापिस लेना पड़ा। श्रमजीवी वर्ग की ताकत ऐसी होती है और श्रमजीवी वर्ग ऐसा ही करेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कल उस समय व्यवधान डाला जब मैं बोल रहा था। उन्होंने कहा कि 'आप बोलते क्यों हैं और समय बर्बाद क्यों करते हैं जब विधेयक को पारित करने के लिए

हमारे पास पूरी ताकत है मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं आपकी ताकत जानता हूं। आपने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आपकी नियत क्या है। आप में से बहुत ने कहा है कि यह तो केवल शुरूआत है। अतः हम आपकी नियत और सामर्थ्य जानते हैं। आपकी आज जो ताकत है और आपके अपनी ताकत पर जो घमंड है, उसका कोई महत्व नहीं है। मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूं और चेतावनी देता हूं कि आसाम में इस कानून का विरोध होगा। सारे देश में इसका विरोध होगा। यदि आप इस कानून का उपयोग श्रमजीवी वर्ग के विरुद्ध करेंगे तो यह आपके अंत का श्री गणेश होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देते हुए इस विधेयक का विरोध करता हूं।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : चूंकि हमने मध्याह्न पश्चात् 3 30 बजे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करना है, इसलिए इस चर्चा को कल की सूची में दी गई वाणिज्य मंत्रालय की मांगों की तुलना में प्राथमिकता देकर कल तक स्थगित रखा जाये।

सभापति महोदय : मैं अब श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा पेश किये गये सांविधिक संकल्प को सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : हम इस पर मत विभाजन कराना चाहते हैं।

सभापति महोदय : मतविभाजन की घोषणा करने से पूर्व मैं केवल कुछ निर्देश पढ़ूंगा क्योंकि मुझे बताया गया है कि पिछली बार कुछ भ्रम पैदा हो गया था। मैं प्रत्येक सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह यह आश्वस्त कर लें कि अपने नियत स्थान पर बैठे हैं, प्रत्येक सदस्य से प्रार्थना की जाती है कि वह आरम्भ से ही ठीक तरह से, अर्थात् 'पक्ष में' अथवा 'विपक्ष में' अथवा 'किसी ओर भी मत न देने के रूप में' जैसा भी हो मतदान देने के लिए विशेष ध्यान रखें, ताकि शुद्धियां करने का कोई अवसर ही न रहे।

मैं संक्षेप में याद करा दूं कि जैसे ही सभापीठ द्वारा 'अब मत विभाजन' की घोषणा करके स्वचालित मतदान रिकार्ड करने के उपकरण को सक्रिय कर दिया जाता है। वैसे ही घंटे की आवाज होने लगती है जोकि सदस्यों को मतदान करने का संकेत है। प्रत्येक सदस्य ने अपनी पसन्द अनुसार 'पक्ष में' 'विपक्ष में' अथवा 'किसी ओर भी मत न देने' के लिए स्विच दबाना होता है। जब 10 सेंकड के पश्चात् दूसरी बार जब तक घंटे की आवाज होती रहती है, तब तक स्विच तथा बटन को अनिवार्य रूप से एक साथ दबाये रखना होता है।

प्रश्न यह है :

"यह सभा आश्वयक सेवाएं (असम) अध्यादेश, 1980 (1980 का आध्यादेश संख्या 2) का, जो राष्ट्रपति द्वारा 6 अप्रैल, या 1980 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

5 मध्याह्न पश्चात् 3·35 बजे

मत विभाजन संख्या 2

पक्ष में

आचार्य, श्री वसुदेव
आजमी, श्री एस० यू०
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
छागुर राम, श्री
चौधरी, श्री संपटदीन
दंडवते, प्रो० मधु
फर्नान्डीस, श्री जार्ज
गोपालन श्रीमती सुशीला
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
खां, श्री गयूर अली
महाटा, श्री चित्त
मंडल, श्री धनिकलाल
मण्डल, श्री मकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसेन, श्री सैयद
मेहता, प्रो० अजित कुमार
महालगी, श्री आर० के०
मिश्र श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मुण्डाकल, श्री जार्ज जोसफ
पासवान, श्री राम विलास
सजदा, श्री रतनसिंह
राम किंकर, श्री
रियान, श्री बाज बान
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
साहा, श्री गदाधर
शाक्य, श्री राम सिंह
शास्त्री श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
सिन्हा, श्रीमती किशोरी
थामस, श्री स्कारिया
तिरकी, श्री पीयूष
बर्मा, श्री रवीन्द्र
जायलन अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील
अविनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान
अनुरागी, श्री गौदिल प्रसाद

आजाद, श्री गुलाम नबी
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बनातवाला, श्री जी० एम०
बरोत, श्री मगनभाई
बहेरा, श्री राम बिहारी
भगत, श्री एच० के० एल०
भाटिया श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा० कृपासिन्धु
बीरबल, श्री
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह श्री
चरणजीत सिंह, श्री
चव्हाण, श्री एस० बी०
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
चौधरी श्रीमती ऊषा प्रकाश
चौहान, श्री फतेहभान सिंह
डागा, श्री मूलचन्द
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री सन्तोष मोहन
दंडपाणि श्री सी० टी०
दिग्विजय सिंह, श्री
दुबे, श्री बिन्देश्वरी
इरा मोहन, श्री
पैलीरो श्री एडुआर्डो
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
ममित, श्री छीतूभाई
गिरिराज सिंह, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
झा, श्री कमल नाथ
कैलाशपति, श्रीमती
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री मलिक एम० एम० ए०
कृष्ण दत्त, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुंवर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लास्कर, श्री निहार
महाला, श्री आर० पी०
मल्लु, श्री ए० आर०
माने, श्री आर० एस०
मणि, श्री के० बी० एस०
मिश्रा, श्री मार्गी शंकर
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुरूगैयन, श्री एस०
निहाल सिंह, श्री
निपुरा, श्री रामेश्वर
पांडे श्री केदार
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पराशर, प्रो० नारायण चन्द

गाडगिल, श्री वी० एन०
पटेल, श्री सी० डी०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री चन्द्रभाल आठरे
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
प्रधानी, श्री के०
रहीम, श्री ए० ए०
राय, श्री नगीना
राजू, श्री पी० वी० जी०
रंगा, प्रो० एन० जी०
राव, श्री एम० नागेश्वर
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राव, श्री एस० सत्यनारायण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राउत, श्री भोला
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
संगमा, श्री पी० ए०
सेठी, श्री अर्जुन
शाक्यवार, श्री नाथूराम
*शमन्ना, श्री टी० आर०
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री मुंडेर
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
शर्मा नन्द किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
भिगडा, श्री डी० वी०
शिव शंकर, श्री पी०
सिंह, श्री सी० पी० एन०
सिंह, श्री बीरभद्र
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
स्टीफन, श्री सी० एम०
सुब्बा, श्री पी० एम०
सुखाडिया, श्री मोहन लाल
सुखबन्स कौर, श्रीमती
सूर्यबन्सी, श्री नर सिंहराव
लेइयेंग, श्री सोवेंग
तैयब हुसेन, श्री
ठाकुर, श्री शिवकुमार सिंह
थोरट, श्री भाऊसाहिब
त्रिपाठी, श्री कमलापति
वर्मा जय राम
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
वर्मा श्रीमती ऊषा
यादव, श्री राम सिंह
जैनुल बशर, श्री

* गलती से विपक्ष में मतदान किया।

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार हैं :

पक्ष में : 40 विपक्ष में : 109

('विपक्ष में') मत अधिक हुए ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय, : क्या हम इस विधेयक के विचारार्थ प्रस्ताव पर विचार करें ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : यदि सभा अनुमति दे दे, तो हम कम से कम इस विधेयक के विचारार्थ संकल्प पर विचार तो कर सकते हैं ।

सभापति महोदय : हम मतदान के आंकड़ों को सही करने का प्रस्ताव कर रहे हैं । चुपचाप बैठे रहने के बजाये हम समय का उपयोग कर सकते हैं जो हमें उसके लिए मिला हुआ है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : पहले ही मध्याह्न पश्चात 3.30 बज चुके हैं । अब हमने गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को लेना है ।

सभापति महोदय, : मैं गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत समय का दुरुपयोग नहीं करूंगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करना चाहिये ।

सभापति महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे इस विधेयक संबंधी शेष कार्य वाही पर कल विचार किया जायेगा ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैंने तो केवल यह सुझाव दिया था कि आज कम से कम विचारार्थ प्रस्ताव को ले लिया जाये । इस पर दो मिनट से अधिक नहीं लगेंगे ।

सभापति महोदय : हम इस पर कल विचार करेंगे । हम ने अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेना है ।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मत दिया :—

पक्ष में : सर्व श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा, सत्य नारायण जाटिया, ई० बाला नन्दन, कुम्भा राम आर्य, त्रिलोक चन्द्र, बी० डी० सिंह शिव शरण वर्मा तथा टी० आर० शमन्ना ।

विपक्ष में : सर्व श्री जैल सिंह, आर० वाई० फोरपाडे, मधु सूदन वैरोले, पी० राज गोपाल नायडू चिंगमाग कोनयक, केशव राय पारधी, रणवीर सिंह आर० मुथु कुमारन, वी० देव राजन, ए० सेनापति गौंडर, एस० ए० दोराई सेबिस्तियन तथा गिरधारी लाल ।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर (दुर्गापुर) : श्रीमान जी, आप गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य की चर्चा मध्याह्न पश्चात 3.40 बजे शुरू कर रहे हैं। अतः मैं आपसे प्रर्थना करता हूँ कि आप इस के लिए समय को म० प० 6 बजे के बाद 10 मिनट बढ़ा दें।

सभापति महोदय : यदि सभा 10 मिनट अधिक बैठना चाहती है तो मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तीसरे प्रतिवेदन से, जो 2 जुलाई, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तीसरे प्रतिवेदन से, जो 2 जुलाई, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कृषि कर्मकारों के लिये केन्द्रीय विधान के बारे में संकल्प—जारी

सभापति महोदय : श्री पी० के० कोडियन के संकल्प पर और आगे विचार हेतु श्री चित्त बसु अपना भाषण जारी रखें।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : कितना समय शेष रह गया है ?

सभापति महोदय : दो घंटे का समय आवंटित किया गया था, एक घंटा और 35 मिनट समय बीत चुका है। शेष समय केवल 25 मिनट रह गया है।

श्री चित्त बसु (बारासार) : श्रीमान् जी मै अपने घनिष्ट मित्र श्री पी० के० कोडियन द्वारा पेश किये गये संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सभा के लिए इस संकल्प के विषय वस्तु को जानना आवश्यक है, क्योंकि पिछली बार हमने लगभग दो सप्ताह पूर्व चर्चा की थी। इस संकल्प द्वारा यह प्रयास किया गया है कि भारतीय सरकार को अपने देश के कृषि कर्मकारों के जीवन तथा काम की शर्तों को अधिनियमित, शासित एवं सुधारने के लिये एक केन्द्रीय विधान बनाना चाहिये। मेरा उद्देश्य तो वास्तव में यह है कि अपने देश के कृषि श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिये इस प्रकार के एक केन्द्रीय विधान की आवश्यकता को माननीय सभा के समक्ष रखा जाये।

जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और योजना आयोग ने हाल ही में एक नीति बनाई है कि भारत को खाद्यान्न के बारे में एक महान शक्ति के रूप में विकसित किया जाना चाहिये। यदि वास्तव में सरकार का उद्देश्य देश की कृषि अर्थव्यवस्था एवं कृषि सम्पदा का विकास करना है तो हम हल चलाने वाले कृषक की उपेक्षा नहीं कर सकते। वास्तव में यही हल चलाने वाला कृषक ही है जो कृषि सम्पदा को बनाता है किन्तु उसे उसके श्रम के फल से वंचित कर दिया जाता है। आज हल चलाने वाले अधिकांश लोग देश के कृषि श्रमिक ही हैं। किन्तु हल चलाने वाले वास्तविक पुरुष की आज उपेक्षा की जाती है। उसे उसके वैध अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। वह ऋण में डूबा हुआ है। वह भूमिहीन है, वह भूखा है, उसे भोजन नहीं मिल रहा है। वह वस्त्रहीन है। हमारे देश के लाखों कृषि श्रमिकों की यह दशा है जो वास्तव में हल चलाते हैं और राष्ट्र की कृषि सम्पदा पैदा करते हैं। देश के इन कृषि श्रमिकों का आज हमारे आर्थिक जीवन में इस कारण ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कि काम करने वालों में उनकी संख्या बहुत अधिक है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अब हमें अपने देश के इन कृषि श्रमिकों की संख्या को उचित रूप से समझना चाहिये। 1971 की जनगणना के अनुसार कृषि श्रमिकों की संख्या 474.8 लाख थी जब कि 1961 में उनकी संख्या 315.2 थी। ग्राम्य श्रम जांच समिति ने 1974-75 में अनुमान लगाया था कि कृषि श्रमिक घराने अपने देश में ग्राम्य श्रम घरानों का लगभग 86 प्रतिशत बनते हैं। कृषि श्रमिकों की कुल संख्या 3350 लाख हो, तो हममें से लगभग आधे लोग मजदूरी अर्जित करने वाले होंगे। अतः, आप समझ सकते हैं कि इन कृषि श्रमिकों की संख्या 3350 लाख है। यदि आप इस संख्या के साथ देश के किसी अन्य बल की संख्या की तुलना करें, तो मेरे विचार से आप मेरे साथ सहमत होंगे कि श्रमिक बल का भारी बहुमत हमारे देश के कृषि श्रमिक ही हैं। हमें कुछ आंकड़ों को देखना चाहिये।

1961 में हमारे देश में कुल 1900 लाख श्रमिक थे। जिसमें से कृषि श्रमिक 1378 लाख थे। हमारे देश के अधिकांश श्रमिक कृषि श्रमिक हैं। 1971 में श्रमिकों की कुल संख्या 2300 लाख थी जिसमें से कृषि श्रमिक 1673·3 लाख थे ...।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने भाषण को समाप्त कीजिए। हमारे पास इसके लिए केवल 25 मिनट शेष रह गए हैं और फिर 2-3 और भाषण करने वाले रह गए हैं।

श्री चित्त बसु : बेहतर यही होगा कि आप समय बढ़ा दें। यह एक महत्वपूर्ण संकल्प है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं। समय बढ़ाया जाए।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। समय को बढ़ाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिये सभा की अनुमति प्राप्त करूंगा।

श्री चित्त बसु : 1978-79 में श्रमिकों की कुल संख्या 2652.9 लाख थी जिसमें से कृषि श्रमिकों की संख्या 1924.3 लाख थी।

मेरा कहना यह है कि आज राष्ट्र के श्रम बल का भारी बहुमत कृषि श्रमिकों का है। अपने राष्ट्र के श्रम बल के इस भारी बहुमत की उपेक्षा की जा रही है और यदि उनके वैध अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती है और उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता है, तो हमारे देश के श्रम बल को उनके वैध अधिकारों से वंचित किया जा रहा है यही बात मैं कहना चाहता हूं।

हमें यह समझ लेना चाहिए कि कृषि श्रमिकों के जीवन तथा कार्य की दशा क्या है। यह पता चला है कि 1964-65 में एक कृषि श्रमिक की औसत दैनिक आय 1.43 रुपया थी। इसे 1974-75 में बढ़ा कर 3·24 रुपया कर दिया गया। महिलाओं के लिए यह 1964-65 में केवल 95 पैसे थी जो 1974-75 में बढ़कर 2·27 रुपया हो गयी। बच्चों के लिए 1964-65 में यह केवल 72 पैसे थी जो 1974-75 में बढकर 1·82 रुपया हो गयी। ये आंकड़े 1974-75 तथा 1964-65 के हैं। किन्तु एक भ्रम शेष है। स्पष्टतः यह प्रतीत होता है कि कृषिक श्रमिकों की जो मजदूरी 1964-65 में थी, वह 1974-75 में बढ़ गयी है। किन्तु मेरा तो यह कहना है कि वास्तविक अर्थ में वास्तविक मजदूरी कम हुई है। मुझे इस बात को स्पष्ट करने की अनुमति दीजिए।

इसी अवधि के दौरान अर्थात् 1964-65 से 1974-75 तक कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक जो जुलाई, 1960-जून, 1961 पर आधारित था, 1964-65 में 143 प्रतिशत से बढ़कर 157 प्रतिशत हो गया और 1974-75 में 368 प्रतिशत हो गया। अतः मेरे विचार में मन्त्री महोदय मेरे साथ सहमत होंगे कि 1974-75 में कृषि कार्यों में कार्य कर रहे पुरुषों के लिए 3·24 रुपये की औसत दैनिक आय 1964-65 में 1·43 रुपया (एक तिहाई) की तुलना में वास्तविक रूप से 1·26 रुपया कम होकर रह गयी। अतः इस तथ्य के बावजूद कि मजदूरी में कुछ वृद्धि हुई है, किन्तु वास्तविक मजदूरी के रूप में कृषि श्रमिकों की मजदूरी में कमी हुई है। यह एक पहलू है।

मैं केवल वह पढ़ूंगा जो कि 'इकनामिक एण्ड पोलीटीकल वीकली' ने कृषि श्रमिकों के कार्य तथा जीवन की स्थितियों के बारे में लिखा है : मैं उसको उद्धृत कर रहा हूं :—

"हाल के एक अध्ययन से यह पता चला है कि कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानूनों का उपयोग अभी उनके उल्लंघन के और अधिक महत्वपूर्ण रूप से भी इस तरह किया जाता है कि यदि कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का वास्तव में भुगतान कर भी दिया जाये, तो उसके परिणाम स्वरूप जो आय होगी, वह पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे होगी।"

यदि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कार्यान्वित कर भी दिया जाये। तो 'इकनामिक एण्ड पोलीटीकल वीकली' के अनुसार मजदूरी स्तर गरीबी की रेखा से नीचे होगा।

केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय द्वारा की गयी ग्राम्य श्रम जांच से यह पता चला कि 1964-65 तथा 1974-75 के बीच कृषि श्रम कार्य कर रहे घरानों के सदस्यों को उपलब्ध कृषि कार्यों में मजदूरी रोजगार के दिनों की औसत संख्या वास्तव में पुरुषों के लिए 208 से कम होकर 185 रह गयी तथा महिलाओं के लिए 138 से कम होकर 129 हो गयी।

अतः महोदय इस तस्वीर साफ हो जाती है कि वास्तविक मजदूरी में नियमित रूप से गिरावट आयी है। न्यूनतम मजदूरी विशेषतया कम ही निश्चित की जाती है। यदि न्यूनतम मजदूरी को लागू कर भी दिया जाये तो भी कृषि मजदूर गरीबी की रेखा से नीचे ही रहेंगे। इससे भी अधिक आघात पहुंचाने वाली बात यह है कि रोजगार—दिनों की संख्या तेजी से घटती जा रही है। अतः महोदय अब ऐसी स्थिति है। ये सब सरकारी आंकड़े हैं, जिनको मैंने यहां उद्धृत किया है। प्रश्न यह है कि फिर विधान की क्या आवश्यकता है। ऐसे बहुत से विधान हैं जो मजदूरों के जीवन का संचालन करते हैं। उदाहरण स्वरूप न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि कोष अधिनियम, उपदान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मजदूर संघ अधिनियम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और प्रसूति लाभ अधिनियम आदि-आदि, हमारे सामने हैं।

ये अधिनियम हैं—इसमें कोई सन्देह नहीं। इनमें से बहुत से वैधानिक रूप में भी खेतिहर मजदूरों पर लागू होते हैं, परन्तु व्यवहार में चूंकि खेतिहर मजदूर असंगठित होते हैं और उनमें प्रत्यक्ष—रूप से कोई नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध उस तरह का नहीं होता जैसा कि निर्माणों के मामले में होता है, तो फिर श्रमिक विधानों का लाभ प्राप्त करना कठिन है। दूसरे, यह विधान विशेष स्थितिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होते हैं। खेतिहर मजदूरों को विधि-विधान की ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो कि टुकड़े-टुकड़े न होकर सम्पूर्ण होनी चाहिए और जो समस्या को समग्र रूप में समझ सके और उपयुक्त ढंग से इसे हल कर सके। खेतीहर मजदूरों की क्या समस्याएं हैं? खेतीहर मजदूरों की मुख्य समस्याएं हैं. सेवा-सुरक्षा, काम के घंटों का नियमन, विवादों को हल करने के लिए मजदूरी और तन्त्र का निर्धारण और

संशोधन, सामाजिक सुरक्षा उपाय उदाहरणार्थ भविष्य निधि कोष आदि-आदि के लाभ के रूप में। ये विशिष्टतया खेतीहर मजदूरों के लिए है और ये तब तक अलग नहीं किये जा सकते जब तक कि कोई पूर्ण-विधान, व्यापक विधान नहीं लाया जाता और जब तक विधान की सम्पूर्णता पर विचार नहीं कर लिया जाता। चूंकि औद्योगिक मजदूरों की तुलना में खेतिहर मजदूर उपयुक्त ढंग से संगठित नहीं होते अतः वे अपना बचाव नहीं कर सकते। अतः इस तथ्य के बावजूद कि मजदूर अधिकारों की गारन्टी करने वाले कानूनों का जमघट है, देश के खेतिहर मजदूर उन मजदूर विधानों का लाभ नहीं उठा सकते। औद्योगिक मजदूर के बदले खेतिहर मजदूरों पर अलग से और विशिष्ट रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। खेतिहर मजदूरों के लिए व्यापक विधान होना चाहिए। रोजगार की सुरक्षा, काम के घण्टों का नियमन, मजदूरी का निर्धारण और संशोधन विवादों को हल करने का तंत्र सामाजिक सुरक्षा, उपाय आदि, जैसे सभी पहलुओं का समावेश करने वाला एक केन्द्रीय विधान होना चाहिये।

महोदय, सदस्यों की समग्रता और खेतिहर मजदूरों को इन अधिकारों की गारन्टी प्रदान करने वाला एक व्यापक केन्द्रीय विधान आवश्यक है। इस मामले में केरल अधिनियम का उल्लेख करना आवश्यक है। केरल खेतिहर मजदूर अधिनियम 1974 में ऐसे बहुत से पहलुओं को समेट लिया गया है। ये जानते हुए भी कि अन्य विधान भी हैं, फिर भी केरल सरकार ने यह अनुभव किया कि खेतिहर मजदूर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और अपना जीवन स्तर उठाने के लिए इन खण्डशः विधानों का लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए सभी समस्याओं के लिए एक व्यापक विधान बनना चाहिए। अतः महोदय यह आवश्यक है कि इस उद्देश्य के लिए एक व्यापक केन्द्रीय विधान बनाया जाये।

महोदय, तत्कालीन जनता सरकार ने इस मामले में पहल की थी। जनवरी, 1979 में ग्रामीण असंगठित श्रमिक वर्ग के लिए एक स्थायी समिति नियुक्त की गई थी। उसमें यह प्रश्न उठाया गया था और स्थायी समिति ने आम तौर से यह अनुभव किया था कि खेतिहर मजदूरों के लिए एक व्यापक बहुउद्देशीय केन्द्रीय अधिनियम होना चाहिए। स्थायी समिति ने इस विषय पर विचार करने के लिए इस प्रकार के केन्द्रीय विधान की आवश्यकता है या नहीं एक उप-समिति गठित की थी। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मुझे उप समिति में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उप-समिति ने विषय पर का गहराई से अध्ययन किया और खेतिहर मजदूरों की समस्याओं पर विस्तार से विचारविमर्श किया तथा इस निर्णय पर पहुंची कि एक केन्द्रीय व्यापक विधान अनिवार्य है। उप-समिति ने बहुत परिश्रम करके इस उद्देश्यार्थ एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया है और वह विधेयक श्रम मन्त्रालय के पास हैं। बहुत सी पहल पहले ही की जा चुकी है। कुछ प्रक्रिया की पहले ही जांच-पड़ताल की जा चुकी है। एक उप-समिति ने विचार किया है और विधान का रूप पहले ही तैयार कर लिया जा चुका है। अब भारत सरकार को समस्त प्रक्रिया के तत्संगत निष्पादन के रास्ते में बाधक नहीं होना चाहिए। सरकार के लिए दूसरी अवस्था यह है कि वह इस प्रारूप विधान को स्वीकृत कर ले और सदन में इस विधान को अधिनियमित करने के लिए लाए यही इसका तर्कसंगत निष्कर्ष है और इसलिए मैं मन्त्री महोदय, से निवेदन करूंगा कि वह उप प्रारूप विधेयक को सदन के सामने शीघ्रातिशीघ्र लाएं. जिसे

उप-समिति ने तैयार किया है उन्हें चाहिए कि वह इस विधेयक को इस माननीय सदन से पारित करवाएं।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं विपक्ष के सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि यह खेतिहर मजदूरों का प्रश्न है जो कि हमारे समाज का सर्वाधिक पददलित वर्ग है। आप 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात करते हैं, समुदाय के निर्धनतम वर्ग की सहायता की बात करते हैं। समाज का सर्वाधिक कमजोर वर्ग तो खेतिहर मजदूर ही है। आप तब तक कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकते, जब तक खेतिहर मजदूरों का विशाल जनसमूह गरीबी में पिसता रहेगा। अत: कृपा करके मामले का किसी प्रकार का दूसरा अर्थ न लगाएं, यह तो राष्ट्रीय हित का प्रश्न है। यदि हमारे देश के खेतिहर मजदूर संतुष्ट हैं, यदि उन्हें अधिकाधिक उत्पादन करने की प्रेरणा दी जाती है तो, राष्ट्र को और अधिक शक्ति मिलेगी। इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे समस्या के प्रति पक्षपात पूर्ण रवैया न अपनाएं। इसको राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखना चाहिए। हमें यह देखना है कि यह महान सदन सर्वाधिक पददलित वर्ग, इस निर्बलतम वर्ग के साथ जो कि समाज की निम्नतम सीढ़ी से सम्बद्ध है, न्याय करे। मुझे आशा है कि लोग सभा अवसर के अनुकूल आचरण करेंगी और सर्वसम्मति से इस संकल्प को स्वीकृत करेंगी तथा राष्ट्र के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिए एक घण्टे का समय दिया गया था जो समाप्त हो गया है और अभी हमारे पास 8 माननीय सदस्य बोलने के लिए बाकी हैं। उन्होंने अपने नाम भेजे हैं। सदन का क्या मत है ? क्या हम समय बढ़ाए, यदि हां, तो कितना समय बढ़ाएं ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : समय बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : एक घण्टे का समय और दिया जाना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : यहां बैठे हुए मेरे माननीय मित्र को अगला संकल्प प्रस्तुत करने का समय दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : एक घण्टा—ठीक है। क्या सदन एक घण्टे का समय बढ़ाने की अनुमति देता है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री रामावतार शास्त्री : हम साढ़े पांच बजे तक बैठ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपके भाषण संक्षिप्त होंगे तो मुझे विश्वास है कि हम इसे एक घण्टे में समाप्त कर लेंगे। मेरे विचार से एक घण्टा पर्याप्त है। अत: सदन की अनुमति से समय एक घण्टा बढ़ाया जाता है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे पांच-पांच मिनट का

समय लें। मन्त्री महोदय ने भी उत्तर देना है। मैं सदस्यों से संक्षेप में बोलने का निवेदन करूंगा। श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, शोषण और दमन पर टिकी हुई समाज व्यवस्था में क्या इस प्रकार के कानून लागू करने के बाद भी कानून लागू रह सकता है - मुझे इसमें शक है। अभी आप ने आंकड़े दिये कि हिन्दुस्तान में श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं--खेतिहर मजदूरों की आज जो हालत है, जो दशा आज हो रही है, उसका अन्दाजा आप इस तरह से लगाइये—1961 में अन्दर उन भूखे, नंगे व्यक्तियों का अनुपात 38 प्रतिशत था, जो 1978-79 में बढ़ कर 54 प्रतिशत हो गया। उनको आज 3 मीटर कपड़ा भी शायद उपलब्ध नहीं होता है।

अभी मेरे मित्र "इकानामिक एण्ड पोलिटीकल वीकली" से कोट कर रहे थे, मैं भी उसी वीकली से 4 लाइनें कोट करना चाहता हूं—"राष्ट्रीय श्रम आयोग ने 1969 में यह प्रतिवेदन किया था कि तब तक प्रत्येक राज्य में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू नही किया था" बाद के वर्षों में 1974-75 में हमारे पास ग्रामीण श्रम जांच के परिणाम हैं जिसमें बताया गया है कि (i) केवल दो प्रतिशत खेतिहर मजदूर ही न्यूनतम वेतन अधिनियम के बारे में जानते थे। तथा उन्हें उनके क्षेत्र विशेषों के लिए इन अधिनियमों के अधीन निर्धारित मजदूरियों की जानकारी थी और (ii) केवल एक प्रतिशत खेतिहर मजदूर ही किसी संगठत या खेतिहर मजदूर संघ के सदस्य थे। जहां पर 1 परसेंट भी किसी यूनियन के मेम्बर नहीं है, जहां 2 प्रतिशत लोग भी कानून न जानते हों और जो कानून डेड-लैटर की तरह से हो रहा हो, वहां बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इसको कौन करने के लिए तैयार है। आप की वेस्ट-बंगाल की गवर्नमेंट ने, जिससे आप आते हैं, क्या किया है ? मैं पूछना चाहता हूं – ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जो विलो-पावर्टी लाइन नहीं ले जा रही है···।

श्री चित्त वसु : वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 8 रुपया 10 पैसा किया है।

श्री मूल चन्द डागा : पास कर दिया है, लेकिन फिर भी वे गरीबी के रेखा के नीचे हैं। आपके अपने आंकड़ों के अनुसार जो आपने सदन में उद्धत किए है, वे गरीबी-रेखा के नीचे आते हैं। सिर्फ पंजाब ने कुछ किया है। त्रिपुरा के अन्दर केवल 2628 रुपया सालाना मिलता है, वहां हम 66.9 परसेंट पीछे हैं, बिहार में 2575 रुपया मिलता है, वहां 60.35 परसेंट पीछे हैं, उड़ीसा में 2535 रुपया मिलता है, वहां 60.08 परसेंट पीछे हैं, उत्तर प्रदेश में केवल 1743 रुपया मिलता है, वहां हम 47.4 परसेंट पीछे हैं, केरल में 1721 रुपया मिलता है, वहां हम 38.8 परसेंट पीछे हैं, महाराष्ट्र में 1632 रुपये मिलते हैं वहां हम 41.6 परसेंट पीछे हैं, आसाम में 1536 रुपये मिलते हैं, वहां हम 38.2 परसेंट पीछे हैं। कश्मीर में तो यह कानून लागू ही नहीं है। जम्मू-कश्मीर स्टेट में तो बड़े आराम से शोषण हो सकता है, क्योंकि वहां मिनिमम वेजेज एक्ट लागू नहीं है। राजस्थान में भी लागू है नाम का, डेड लेटर है, जो किताबों में लिखा हुआ पड़ा है।

एक बात में यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में हम सब लोग एक बात करना जानते हैं और वह यह है कि हम लोगों की बातें करने की आदत बहुत अच्छी है। हमने 30 साल तक ये बातें की और मैं भी उसमें सम्मिलित हूं। अब हमारे श्री टी० अंजय्या लेबर मिनिस्टर बन कर आए है और उन्होंने जल्दी से इस काम को करने की बात सोची है और मैं आशा करता हूं कि वे जल्दी इस काम को कर लेगें लेकिन एक बात मै कमेटीज बनने के बारे में कहना चाहता हूं। ये कमटीज जो बनती हैं, कुछ हिन्दुस्तान में ऐसा तरीका बन गया है कि अगर कोई काम करना है, तो उसके लिए कमेटी बना दो। जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो 1978 में उन्होंने एक कमेटी बना दी थी। एक प्रश्न किया गया था, उसमें यह दिया गया है कि समिति गठित कर दी गई है उस समिति ने उप-समिति नियुक्त की है। वह उप-समिति सभी संगत आँकड़े एकत्र करेगी और फिर इस प्रश्न पर विचार करेगी। उस समिति के प्रतिवेदन का क्या-क्या हुआ है ? हम बात कर रहे हैं गरीबों को कानूनी सहायता देने की। भगवती कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। आज फिर उसकी छान बीन हो रही है। अब सरकार के सामने एक ही रास्ता यह है कि शोषण करने वालों के खिलाफ कोई कानून बने। आन्ध्र और गुजरात की सरकारों ने मना किया है और कहा है कि मिनिमम वेजेज एक्ट को लागू मत करो क्योंकि इससे खेती का उत्पादन कम हो जाएगा। गुजरात ने भी इसका विरोध किया और आन्ध्र प्रदेश ने भी विरोध किया। ये बड़े,बड़े आन्ध्र प्रदेश के जागीरदार हैं। (व्यवधान)।

14-21 जून, 1980 की इकनामिक एण्ड पोलीटीकल वीकली के एक लेख में यह कहा गया है :

> "आन्ध्र समिति ने यह तर्क दिया कि राष्ट्रीय आय कम थी और इसलिए नैतिक आधारों पर किसी प्रकार के मजदूरी निर्धारण का अर्थ व्यवस्था की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और कृषि उत्पादन ठप्प पड़ जाएगा.....।"

एक माननीय सदस्य : यह गलत है।

श्री मूलचन्द डागा : इससे आगे, "गुजरात समिति का मत था कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने की कृषि की क्षमता और मजदूरों की आवश्यकता दो भ्रामक संकल्पनाएं हैं। इसके बजाय इसने व्यवहारिक मजदूरी दर की सिफारिश की क्या प्रगमैटिक हो। हम शोषण कर सकते हैं। कुछ बड़े-बड़े खेती करने वाले लोग विधान सभाओं और पार्लियामेंट में आ जाते हैं। इनकी लाबी अलग है - गरीबों का शोषण होता है और यहां आकर शोषण को खत्म करने की बात करते हैं। इसलिए यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि कई स्टेट्स ऐसी हैं जो इसका विरोध कर रही हैं। इस बारे में मन्त्री महोदय अपना उत्तर देते समय बताएंगे कि सन् 1948 में मिनिमम वेजेज एक्ट लागू हुआ था, तो उसके बाद कितने चालान किये गए और कितने लोगों को सजा दी गई। यह बात मेहरबानी करके बता दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो पहले ही इस बात को जानता हूं कि 4 मिनट मुझे मिलेंगे। एक बात यह मैं आप से कहना चाहता हूं और वह आखिरी बात है। पंजाब के अन्दर क्या हालत हो रहे हैं ? पंजाब और हरियाणा जो हैं, इनके बारे में आपने कभी कोई इलाज किया है।

9 जून, 1980 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर में उत्तर के साथ संलग्न विवरण में कहा गया है :

> "हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सर्वेक्षण का उद्धरण देते हुए एक अन्य प्रेस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रति हजार बिजली थ्रेसरों के उपयोग करने से 25 दुर्घटनाएं घटती हैं एक अन्य प्रेस रिपोर्ट में प्रतिवर्ष देश में बिजली थ्रेसरों से 12 सौ व्यक्तियों के अपंग होने के आंकड़ों का उल्लेख किया गया है।"

कई बिचारे मजदूरों के हाथ-पांव कट गये हैं, उनकी मौत हो गयी है। उनको आप क्या देते है ? आज भी इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। दिस इज ट्रेजेडी। जहां पर लोग काम करते हैं, खेतिहर मजदूर हैं हरियाणा और पंजाब में, और दूसरे इलाकों में हैं जिनके यहां वे काम करते हैं आजकल वे लोग पूंजीपति हो गये हैं। उन्होंने फ्रेशर लगा लिये हैं। उनसे गरीबों के हाथ, पांव कट जाते हैं, मौत हो जाती है। प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों को केन्द्रीय सरकार ने थ्रेसरों में आवश्यक सुरक्षा उपाय करने के लिये उपयुक्त विधान अधिनियमित करने की सलाह दी है। आजकल कोई औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम नहीं है और इसलिये खेतीहर मजदूरों पर इसे लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में भी उन्हीं मामलों में क्षतिपूर्ति के भुगतान की बात कही गई है, जिसमें रोजगार में मजदूरों को 1000/- रुपये प्रति मास से अधिक वेतन नहीं मिलता हो और यदि वे जख्मी हो जायें, अपंग हो जायें या दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाये।

यह है हमारा कल्याणकारी राज। क्या इसी समाजवादी राज की व्यवस्था हम करना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय आपने घंटी तो बजा दी है लेकिन एग्रीकल्चरल मजदूर जब जाग जाएगा तो वह देश की घंटी बजा देगा। वह इकोनोमिक डिस्पेरिटी को, आर्थिक विषमता को, शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कोरी बातें और कोरे कानून तब नहीं चलेंगे। इन सारी बातों को हमें सोचना चाहिए। मनुष्य के शोषण को आप जल्दी से हटाइये और इसके लिए जल्दी से कानून बनाइये। मेरा इसके बारे में यही अमेंडमेंट है कि इसको इसी सत्र में पास कीजिए। कल जो काम करना है वह आज ही कीजिए। अंजय्या साहब आप लेबर के बारे में बजट सेसन में ही कानून बना कर लागू कीजिए। आपका अखबारों में नाम हो जाएगा। जो कानून आपने पास करना है वह इसी सेसन में ही पास करके लागू कीजिए। हमने एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में वायदा किया है, मेनिफेस्टो में वायदा किया है कि हमें उनको ऊपर उठाना है। आप लेबर डिपार्टमेंट को रात दिन कस कर इस कानून को लागू करा दें। अगर आप आर्डिनेन्स निकाल दें, जैसा कि आप और मामलों में निकालते हैं, तो हम उसको भी मंजूर कर देंगे।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : जो अब तक बोले हैं उन सभी ने इस संकल्प का समर्थन किया है और सभी ने इसके समस्त गौण मामलों और ऊंच-नीच का विवरण प्रस्तुत किया है अपनी स्वतन्त्रता के 33 वें वर्ष में और वह भी अपने संविधान लागू होने के 30 वर्ष बाद, आज हम यहां खेत हर मजदूरों के एक केन्द्रीय विधान के लिए इस संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। और केवल अब हम लगभग 500 लाख खेतीहर मजदूरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय विधान पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। और अब हम किस प्रकार के विधान पर विचार कर रहे हैं ?

यहां बहुत से मित्रों ने अनेक बातें कहीं। मेरे राज्य में खेतीहर मजदूर मजदूरी की बात नहीं कर सकते, किसी प्रकार का संगठन नहीं खड़ा कर सकते आदि जमींदारों के विरुद्ध झण्डा बुलन्द नहीं कर सकते। यदि वे मजदूरी बढ़ाने की बात करते हैं तो बहुत से स्थानों पर उनके सिर काट दिये जाते है। बहुत से राज्यों में उन्हें रोजगार से हाथ धोना पड़ता है। बहुत सी जगहों पर उनको घर से बाहर कर दिया जाता है यही तो कहानी हैं। बहुत से राज्यों में अधिनियमित किये गये कानूनों को प्रायः लागू नहीं किया जाता।

इस प्रश्न पर चर्चा करते समय हमें यह पता लगाने के लिए कि वहां मूल स्थिति क्या है थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। यहां प्रत्येक सदस्य ने आंकड़े उद्धृत किए हैं। मैं आंकड़े उद्धृत नहीं करना चाहता। 1961 से 1971 तक कृषि मजदूरों की संख्या में 47·5% की वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि क्यों हुई है ? इसका कारण यह है कि उनकी भूमि जमींदारों द्वारा छीन ली गई। अतः वे भूमिहीन हो गए और परिणाम स्वरूप उनकी संख्या में वृद्धि हुई। सीमान्तिक और छोटे किसान भूमिहीन हो गए और वे कृषि मजदूरों की श्रेणी में आ गए। आज उन्हें कृषि मजदूर कहा जा सकता है। मेरे से पहले बोलने वाले मेरे मित्र ने 'इकोनोमिक और पोलीटिकल वीकली' से एक बहुत लम्बा उद्धरण दिया है। उन्होंने केरल में इस समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी को, जो कि अधिकतम है उद्धृरित नहीं करना चाहा। उनकी कुल आय कम है क्योंकि वर्ष में कुल कार्य कम है। केवल 180 दिन का कार्य है। अतः मुख्य प्रश्न यह है कि जब उनके पास काम नहीं होता तब आप उनकी मजदूरी कितनी निर्धारित करते हैं ? प्रत्येक दिन काम कि ये इसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे ? यदि कोई काम नहीं है तो आप उन्हें क्या देंगे ?

जमींदारों के हाथों में भूमि जमा हो गई है। आप स्वयं देख सकते हैं कि 33% भूमि 3 प्रतिशत जमींदारों के पास है यदि आप फालतू भूमि और उसके वितरण आदि को देखें तो आपको पता चलेगा कि यह ठीक ढंग से नहीं हो रहा है अतः प्रथम मुद्दा-भूमि सुधार, भूमि वितरण का है जो कि देश की उन्नति का आधार है। हम कहां से आरम्भ करें ? हमें अवश्य ही भूमिहीन मजदूरों से आरम्भ करना चाहिए और उन्हें अवश्य ही भूमि दी जानी चाहिए।

यह कैसी बात है कि भूमि पर स्वामित्व किसी का हो और मजदूरी कोई और करे और मजदूरी की भी गारन्टी न हो ? बंगाल और केरल के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है। केरल और

बंगाल में स्पष्ट अन्तर क्या है। मैं मजदूरी और सरकार द्वारा दिए जा रहे अन्य विशेषाधिकारों की बात नहीं कर रहा हूं यद्यपि वे महत्वपूर्ण हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वे स्वयं को संगठित करने के लिए स्वतन्त्र हैं और अपना काम जारी रख सकते हैं। अन्य राज्यों में इसी बात की कमी है। वे तथाकथित किसी भी जमींदार या भू-स्वामी के पास जाकर अपनी मजदूरी और अन्य मांगों के सम्बन्ध में सौदा कर सकते हैं। इस सभा और राज्य विधानसभाओं द्वारा कई कानून बनाए गए हैं परन्तु इन सबका तब तक क्या लाभ जब तक उन्हें कहीं भी जाने और स्वयं को संगठित करने की स्वतन्त्रता न हो।

ट्रेड यूनियन अधिनियम में, हमारे माननीय मन्त्री जी शायद जानते हों, ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। यदि मैं ट्रेड यूनियन वादी हू तो मै कठिनाइयों से सुरक्षित हूं परन्तु जहां तक कृषि मजदूरों का सम्बन्ध है उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। यदि वे मजदूरी की मांग करते हैं तो उनका सिर उड़ा दिया जायेगा और उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। अतः मैं यह कहता हूं कि मजदूरों और उनके संगठनों की सुरक्षा हेतु केन्द्रीय कानून होना आवश्यक है।

जनता सरकार के सम्बन्ध में आपकी अपनी आलोचना हो सकती है। मेरे अपनी आलोचना है, परन्तु इस क्षेत्र में उन्होंने कुछ कार्य किया है। एक समिति की नियुक्ति की गई है। उस समिति ने कुछ कार्य किया है। एक कानून के मसविदे को अन्तिम रूप दे दिया गया है। आप इसकी जांच कर सकते हैं मैं यह नहीं कहता कि इसे पूर्णतया स्वीकार कर लिया जाए। परन्तु कानून बनाने के लिए इसे आधार माना जा सकता है।

आज और कल हम बजट पर विचार करेंगे। मूल्य वृद्धि और अन्य कई बातों की चर्चा चल रही है। अधिकांश लोगों की क्रय शक्ति बहुत कम है। इसमें सुधार लाए बिना भारत उन्नति नहीं कर सकता। देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए ? सर्वप्रथम हमें भूमि सम्बन्धी कानून बनाना चाहिए और भूमि सुधार करना चाहिए और इन लोगों को भूमि दी जानी चाहिए। उन्हें न केवल भूमि दी जाए अपितु सरकार द्वारा सभी प्रकार की सहायता भी दी जाए ताकि वे आमदनी से साधन मिल सके।

आप कई योजनाओं की बात कर रहे हैं। योजना अच्छी होती है। मुझे किसी योजना में दोष नजर नहीं आता। परन्तु वे समस्या को छूती नहीं हैं। प्रत्येक गांव में लगभग 52% कृषि मजदूरों के पास कोई काम नहीं है। काम नहीं है तो आमदनी भी नहीं है। अतः वे मर रहे हैं या जी रहे हैं जी भी रहे हैं और मर भी रहे हैं, लगभग वे मर ही रहे हैं। हमें कानून में सुरक्षा सम्बन्धी और उन्हें संगठित करने का प्रावधान रखना चाहिए। उनकी मजदूरी भी निर्धारित की जानी चाहिए। कुछ बेरोजगारी लाभ भी अवश्य मिलना चाहिए। औद्योगिक मजदूरों को बहुत मजदूरी मिलती है और यदि काम न हो तो उन्हें तत्काल 50% मजदूरी मिलती है। अतः कृषि मजदूरों के लिए भी कानून में कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए। जब इन मजदूरों के पास कोई काम नहीं होता तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता और यदि इन मजदूरों को खपाया

नहीं जा सकता तो बेरोजगारी मजदूरी जैसा कोई प्रावधान किया जाना चाहिए। इससे कुछ सुरक्षा हो जाती है।

मैं केरल की बड़ाई नहीं कर रहा हूं। वहां एक छोटी सी योजना है। 60 वर्ष पूरे करने पर मजदूरों को पेंशन दी जाती है।

आज तक सरकारी कर्मचारियों और अन्य वर्गों के कर्मचारियों और मजदूरों की पेंशन के लिए पेंशन की बात कही जाती रही है और कृषि मजदूरों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया परन्तु यही लोग हमारा पोषण करते है। हमारे लिए काम करते हैं और हमें तन्दुरुस्त व्यक्ति करते हैं और इन्हीं लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है उन्हें उनके वास्तविक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। अतः हम कोई भी कानून बनाएं उनमें बेरोजगारी राहत और क्षति पूर्ति तथा पेंशन योजना का प्रावधान होना चाहिए।

मैं अपने अन्य मित्रों का भी समर्थन करता हूं जिन्होंने सुझाव दिए हैं। सरकार को कृषि मजदूरों को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने का काम आरम्भ कर देना चाहिए। आपको भूमि संबंधी कानून बनाते समय भूमि जोतने वालों की बात ध्यान में रखनी चाहिए।

श्री पी० राज गोपाल नायडु (चित्तूर) : हमारे देश में कुछ वर्ग के लोगों के पास स्वतन्त्रता और आर्थिक सुरक्षा है और कुछ वर्गों के पास न तो स्वतन्त्रता है और न सुरक्षा। वे हैं सीमान्तिक किसान और कृषि मजदूर। मैं सीमान्तिक किसानों को कृषि मजदूरों में इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि अधिकांश सीमान्तिक किसान कृषि मजदूर हैं। अतः हम जब कृषि मजदूरों पर विचार करें तो हमें सीमान्तिक किसानों और कृषि मजदूरों दोनों के संबंध में विचार करना चाहिए। कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का जहां तक संबंध है कानून का कोई अभाव नहीं है। दो या तीन राज्यों को छोड़कर प्रत्येक राज्य में इस संबंध में कानून है। आपकी सूचना के लिए मैं बता सकता हूं कि आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणीपुर, मेघालय, नागालेण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में इस प्रकार का कानून है। परन्तु अभाव केवल इसके कार्यान्वयन का है। कार्यान्वयन बहुत ही कठिन होता जा रहा है क्योंकि कृषि मजदूरों का कोई संगठन नहीं है। अतः उनका एक संगठन होना अनिवार्य है। रंगाजी ने पहले ही बताया है कि उन्हें कैसे संगठित किया जाए। वे स्वयं को सताए जाने के भय और अन्य कठिनाइयों के कारण संगठित नहीं कर पाए हैं। अतः उन्होंने प्रस्ताव किया है कि कुछ बुद्धिमान और सक्रिय कृषि मजदूरों को लेकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए और इन लोगों को संगठन करने का अवैतनिक कार्य सौंपा जाए और उन्हें मानदेय दिया जाए। जब तक यह योजना क्रियान्वित नहीं होती उन्हें संगठित करना कठिन है। जब तक वे संगठित नहीं होते तब तक कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने संबंधी कानून का कार्यान्वयन करना संभव नहीं है।

रोजगार आवश्यक है। उनके पास केवल मौसमी रोजगार है, वह भी अल्प रोजगार अतः हमें उन्हें रोजगार प्रदान करना होगा। सरकार को देखना होगा कि यह कैसे हो सकता है। मैंने छठी लोक सभा में कृषि मजदूरों को रोजगार गारन्टी सम्बन्धी एक विधेयक पेश किया था। मैं मंत्री महोदय को उस विधेयक पर विचार करने का अनुरोध करता हूं और यदि सम्भव हो तो इसे व्यापक कानून में समाविष्ट कर लिया जाए। 'काम के बदले अनाज' और अन्य योजनाओं से कृषि मजदूरों को रोजगार प्रदान करने की कुछ गुंजाइश हो गई है। परन्तु आपको शेष समय के लिए जब उन्हें काम नहीं मिलता रोजगार प्रदान करने हेतु कोई उपाय निकालना होगा। देश में मजदूरों का केवल 20% संगठित है और उसे बहुत सी सुरक्षाएं प्राप्त हैं। उन्हें पेंशन, परिवार पेंशन, अर्जित छुट्टी और अन्य छुट्टियां, बोनस, समयोपरि भत्ता, चोट के लिए क्षतिपूर्ति, बेरोजगारी बीमा, मातृत्व लाभ, चिकित्सा सुविधाएं, मकान किराया भत्ता, भविष्य निधि, शिशु गृह, मनोरंजन केन्द्र, वाचनालय आदि सुविधाएं प्राप्त हैं। परन्तु कृषि मजदूरों को इस प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं। मैं जानता हूं। कि उन्हें ये सब देना संभव नहीं होगा परन्तु श्री अंजैया द्वारा रखे जाने वाले व्यापक कानून में कम से कम मुख्य सुरक्षा उपाय समाविष्ट किए जाने चाहिए। अन्य सदस्यों ने जैसा कहा है, कृषि मजदूरों को वृद्ध अवस्था पेंशन अवश्य दी जानी चाहिए। छठी लोक सभा में ही मैंने वृद्धावस्था पेंशन, परिवार पेंशन, चोट के लिए क्षतिपूर्ति आदि के सम्बन्ध में कुछ विधेयक रखे थे। ये सब कृषि मजदूरों और सीमान्तिक किसानों के लिए आवश्यक है। जहां तक भविष्य निधि का सम्बन्ध है, नियोक्ता और कारखाना मजदूर अंशदान करते हैं परन्तु कृषि मजदूर और कारखाना मजदूर अपनी गरीबी के कारण अंशदान नहीं कर सकते। वे लोग भी जो उन्हें यदाकदा रखते हैं कुछ देने में असमर्थ है। अतः सरकार को सुरक्षा उपायों की लागत को वहन करना चाहिए और इन लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। सरकार को कृषि मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। जब तक उन्हें स्वतन्त्रता नहीं मिलती तब तक उनके लिए स्वयं को संगठित करना संभव नहीं है। अतः मैं श्रम मंत्री को इस पहलू पर भी विचार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री रामेश्वर निखुरा (होशंगाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में काम करने वाले कृषि मजदूरों के सम्बन्ध में जितना कहा जाये, उतना थोड़ा है। मेरे पूर्व-वक्ताओं ने इस बारे में जो बातें कही हैं, वे अक्षरशः सत्य हैं वास्तव में आज कृषि मजदूरों की हालत बहुत ही दयनीय है। वे पैदा होते हैं और फिर बुढ़ापा आता है। शायद दस परसेन्ट लोग ही जवानी को देख पाते हैं। उनके बच्चे बहुत कम उम्र में काम पर लगा दिये जाते हैं। किसी प्रकार का आर्गनाइजेशन या सगठन नहीं है, जो उनकी देख-रेख कर सके। मैं होशंगाबाद से, एक ऐसे संसदीय क्षेत्र से चुनकर आया हूं जिसमें 2800 गांव हैं और मैं स्वयं गांव का रहने वाला हूं। मैं देखता हूं, उनके पास रहने को मकान नहीं होता है। बरसात में उन्हें बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है, गर्मी में उनके सामने बहुत अधिक परेशानियां रहती हैं और यही हालत ठण्ड के दिनों में होती है। न उनके पास कपड़े होते हैं, न किसी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से उनको कोई मदद दी जा सके। मैंने यह भी देखा हैं कि उनके लिए साल में ज्यादा से ज्यादा तीन चार महीने पूरा काम मिलता है जिसमें वे पूरे परिवार के लोग काम करके किसी तर

साल भर का अपना इन्तजाम करते हैं। बाकी दिनों में वे थोड़ा सा रुपया अपने मालिक से लेते हैं और उस रुपये के ब्याज में उनको पूरे साल उसके यहां काम करना पड़ता है। कई जगह यह भी पाया गया है कि यदि किसी कृषि मजदूर ने किसी मालिक से सौ या दो सौ रुपये ले लिए हैं तो उसको काम करना पड़ता है, उसकी बीवी को काम करना पड़ता है और आगे की पीढ़ियों को उसके यहां काम करना पड़ता है। आजादी के 32 वर्ष बाद भी ऐसी हालत आज देश में है। श्री कोडियन जी ने जो संकल्प रखा है निश्चय ही उसकी भावना बहुत अच्छी है और मैं भी उसके लिए अपने मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उनकी भावनाओं को और सदन की भावनाओं को वह कंसिडर करें तथा एक ऐसा कानून बनाएं जिससे कृषि मजदूरों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। उनके साथ आज जो आर्थिक और सामाजिक अन्याय हो रहा है वह अन्याय उनके साथ न हो सके। एक निश्चित कानून ऐसा बनाया जाय जिसके जरिए से जैसे कि गांवों में कोई अपराध घटित होता है तो कोतवाल की जिम्मेदारी हो जाती है या पटवारी की जिम्मेदारी हो जाती है कि थाने में जा कर उसकी सूचना करे, उसी प्रकार से एक ऐसी एजेंसी बनाई जाय जो इस बात की सूचना सरकार को दे, या तहसीलदार को, कलेक्टर को दे या एक ऐसा न्यायालय स्थापित किया जाय जहां कि वह एजेन्सी जाकर सूचना दे कि इस गांव में अमुक आदमी अमुक मजदूर को पैसे नहीं दे रहा है, मजदूर का शोषण कर रहा है, उसके श्रम का शोषण कर रहा है। ऐसी एक एजेंसी बना कर इस तरह से काम किया जाए।

निश्चित ही मैं अपनी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को बधाई दूंगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने बहुत तेजी से कृषि मजदूरों की हालत सुधारने की कोशिश की। उस 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से इस देश के लाखों भूमिहीन मजदूरों को भूमि मिली। इसी प्रकार से ऐसे लाखों लोगों के लिए जिनके पास रहने को मकान नहीं थे, मकान बनाने के लिए जमीन मिली, लकड़ी और पवास तथा अन्य सामग्री उसके लिए उनको मिली। मैं अपने पूर्व वक्ता से सहमत नहीं हूं कि जनता पार्टी के शासन में कृषि मजदूरों के लिए बहुत कुछ विचार किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम जिसके माध्यम से कृषि मजदूरों की हालत सुधारी जानी थी, जनता पार्टी भले ही 20 सूत्री नाम हटा देती, 25 सूत्री कर देती या और कुछ नाम रख देती, लेकिन कृषि मजदूरों की हालत सुधारने की बात को खत्म नहीं करना चाहिए। जनता पार्टी के शासन के समय उस कार्यक्रम में व्यवधान आया। मैं अपने श्रम मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उस व्यवधान को दूर करें और जो हमारे शोषित पीड़ित लोग हैं जिन्होंने कि हमें चुनकर भेजा है, जिनकी बहुत बड़ी उम्मीद हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी से लगी हुई है कि यही नेता हमें कुछ दे सकती हैं और यही हमारी हालत में कुछ सुधार कर सकती हैं, उनके लिए कोई ठोस उपाय करें। जो फटे कपड़े पहने हुए किसान और कृषि में काम करने वाले मजदूर हैं जिनके घर में एक जोड़ी कपड़े भी नहीं होते हैं कि दूसरे दिन पहन कर जा सकें वे आप से बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस सम्बन्ध में निश्चित ही एक ऐसा कानून बनाएं जो उनको राहत दे सकें।

आज जो रोजाना सदन के अन्दर और अखबारों के माध्यम से सवर्ण और हरिजनों के झगड़े की बात उठाई जाती है उसमें बहुत बड़ा कारण कृषि मजदूरों का है। जब कभी वे अपनी मजदूरी मांगने की बात करते हैं, अपने हक, अपने राइट्स मांगने की बात करते है तो उन्हें उनके मालिकों द्वारा सुवर्णों द्वारा दबाया जाता है, पीटा जाता है और कहा जाता है कि तुम समाज के सामने खड़े होने की स्थिति में नहीं हो।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अभी तक पूर्व की जो सरकार रही है, चाहे भले ही वह हमारी ही सरकार रही है, उसने आर्गेनाइज्ड मजदूरों के लिए तो बहुत कुछ किया है लेकिन करोड़ों की सख्या में जो देहातों में खेती में काम करने वाले मजदूर हैं उनके सम्बन्ध में अभी तक कोई विशेष कार्य नहीं किया जा सका है।

मेरी आप से प्रार्थना है कि इसके सम्बन्ध में आप निश्चित नीति की घोषणा करें, निश्चित कानून और निश्चित एजेंसी की आप घोषणा करें ताकि उनको आर्थिक और सामाजिक न्याय मिल सके तथा उनका शोषण न हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं विश्वास करता हूं कि हमारे साथी कोडियन साहब अपने संकल्प को वापिस ले लेंगे तथा साथ ही साथ माननीय श्रम मन्त्री जी से भी मेरा अनुरोध है कि सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र कानून बनाने की घोषणा करें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह कैसी विडंबना है कि 33 वर्षों की आजादी के बाद हम आज खेत मजदूरों के लिए भारत सरकार कानून बनावे, इस बात पर विचार कर रहें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री जी आपको भी जिम्मेवारी लेनी चाहिये। आप भी सार्वजनिक जीवन में पिछले 33 वर्षों से हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : आप क्या कर रहे हैं, मैं बताऊंगा। तो यह विडम्बना की बात है और खास तौर से इस सरकार के लिए भी सोचने और समझने की बात है कि सरकार नाम तो बहुत लेती है गरीबी मिटाने का, और भी बहुत सारी बातें कहती है लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारे समाज में गरीब हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, उनकी तरफ चुनाव के वक्त तो ध्यान जरूर जाता है लेकिन चुनाव के बाद लगता है कि शासक वर्ग के लोग उनको भूल जाते हैं। अगर इस तरह की बात नहीं होती तो इस तरह का कानून हम बहुत पहले बना चुके होते। ऐसी भी बात नहीं है कि आज ही हमारे साथी कोडियन के दिमाग में यह बात आई है और उन्होंने इसको यहां पर रखा, संसद में तो इस तरह के सवाल बराबर उठते रहे हैं, किसी न किसी शक्ल में, परन्तु सरकार का ध्यान उधर नहीं गया क्योंकि सरकार उनके उद्धार की बात, उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की बात को अहमियत नहीं देती थी, उस पर ध्यान देना नहीं चाहती थी। खैर, देर से ही सही, अगर अभी भी इस सदन में मन्त्री जी एलान कर दें कि

सरकार खेत मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून बनाने के लिए तैयार है तो मैं समझूंगा देर आया, दुरुस्त आया। अगर देर से भी भूला भटका अपने घर पहुंच जाता है तो उसे भूला भटका नहीं माना जाता है। आपने अभी तक बहुत ढिलाई की, कोई ध्यान नहीं दिया और उनका शोषण होने दिया। उनको भी हम भूलने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि आज आप इस तरह का कानून बनाने की घोषणा यहां पर कर दें।

ऐसी बात नहीं है कि खेत मजदूरों की तरफ से आवाज नहीं उठती थी। मैं जिस सूबे बिहार से आता हूं वहां के खेत मजदूर सबसे ज्यादा प्रताड़ित और शोषित हैं। आप वहां की घटनाओं की खबरें सुनते रहे हैं। बहुत से लोग जला दिए जाते हैं अगर वे मजदूरी की मांग करते हैं। अगर वे सामाजिक अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनको जिन्दा जला दिया जाता है जिसकी हाल की मिसाल पिपरा है, उसके पहले पारसबीघा, बेलची और इस प्रकार की दर्जनों अन्य मिसालें हैं। वहां पर लोगों को जला दिया गया क्योंकि वे सामाजिक अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, जिन्दा रहने का अधिकार मांगते थे। बिहार की भूतपूर्व श्रम मन्त्री, श्रीमती राम दुलारी सिन्हा यहां पर बैठी हुई हैं, बिहार में कानून के अन्तर्गत न्यूनतम 5 रुपए मजदूरी निश्चित है। उसको आप लोग लागू नहीं करवा रहे हैं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : हमने लागू करवाया था, जब आप लोगों की सरकार आई, तो उसने रुकवा दिया।

श्री रामावतार शास्त्री : हमारी सरकार कहां आई ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : आपके सहयोगियों की सरकार थी।

श्री रामावतार शास्त्री : आप गलत बोलती हैं, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी जनता पार्टी की सहयोगी कभी नहीं रही। यह मैं बराबर कहता हूं, फिर भी आप लोग यह सवाल उठाते हैं।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपने कानून नहीं बनाया था, आपने कानून जरूर बनवाया था, लेकिन वह कानून लागू नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि कानून बनाने से क्या फायदा, जब कानून लागू ही न हो। मैं समझता हूं कि आप जब कानून बनाते हैं, तो उससे आपकी मदद लेने और आन्दोलन करने का हथियार हमारे हाथ में होता है। कानून का विरोध करने वालों को दबाने तथा "ऐसा करना न्यायसंगत नहीं है; इसको मानो"—ऐसा अधिकार कानून से मिलता है। इसीलिए कानून का महत्व है, लेकिन बिहार में धींगामुश्ती चल रही है। जमींदार लोग रोज मजदूरों को तंग करते हैं, उनको दबाते हैं। कोई जिला ऐसा नहीं है, जहां पर इस प्रकार की स्थिति न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये उनके सामने यह सवाल बहुत अहम है और उनकी जिन्दगी का सवाल है। इसलिये हम चाहते हैं कि जो उनके सवाल हैं, उन सवालों के ऊपर वे विचार करें। सबसे पहले उनकी मजदूरी का सवाल है। यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि सब जगह

कानून बने हुए हैं, लेकिन जरा आप अपने शासित राज्यों तथा केरल और पश्चिम बंगाल से तुलना कीजिए। यदि उसमें आप अपने को अच्छा पायें, तो मैं आपका लोहा मानने के लिए तैयार हूं। अगर केरल और पश्चिम बंगाल में सरकार उसको लागू करने की कोशिश करती है, तो आपको यहां पर दिक्कत होती है और आप नाम लेते हैं 20-सूत्री कार्यक्रम का। आप जाकर देहातों में देखिए क्या 20 सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ ? जमींदार जो आपके संगठन पर कुण्डली मारकर बैठे हुए हैं, वे 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू नहीं करने देते हैं और उसका विरोध करते हैं। क्या यह बात सच नहीं है ? सच है, वे नहीं चाहेंगे बल्कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस पर और ज्यादा कब्जा उन्होंने जमा रखा है इसलिए मैं कहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू कीजिए, लेकिन आपकी सरकार नहीं कर सकती है। बिहार के बहुत से गांवों में आज भी मजदूरी और सामाजिक अत्याचार के सवाल हैं, जहां पर दो आने मजदूरी मिलती है। मेरी कान्स्टीच्यूंसी के कई इलाकों फुलवारी में भी यही स्थिति है। किसी भी सरकार के लिए यह शर्मनाक बात है।

श्री के० सी० हाल्दर : आपको आन्दोलन करना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : यह मत समझिए कि आन्दोलन नहीं करते हैं, हम आन्दोलन करते हैं।

खेत मजदूरों में हरिजन हैं और पिछड़ी जातियों के लोग भी हैं। वे सामन्तों के साथ खाट पर नहीं बैठ सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, अगर कोई हरिजन सामन्त के घर के सामने से जाता है, तो उसको डर रहता है कि बाबू नाराज हो जायेंगे, मारपीट करने लगेंगे, उसकी धुलैया होने लगेगी, इस प्रकार की स्थिति बिहार के बहुत सारे इलाकों में है, जो सबसे घृणित सामाजिक अत्याचार है। इसके विरोध में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। तमाम लोगों को रहने के लिए जमीन नहीं मिल सकी है और सबको काम नहीं मिल पाता है।

जहां तक काम के घण्टों का प्रश्न है, उनके काम के घण्टों का तो कोई हिसाब नहीं है। बेचारा खेत मजदूर सवेरे तीन या चार बजे किसान या जमींनदार के यहां काम शुरू करता है और रात को दस-ग्यारह बजे के बाद उसको फुरसत मिलती है। सामाजिक समानता का कोई सवाल नहीं है। बुढ़ापे में उनकी कोई गारन्टी नहीं हो सकती, कैसे जिन्दा रहेगा ?

कर्ज के सवाल पर, यदि वह उसको कर्ज देता है, तो बन्धुवा मजदूर बना लिया जाता है। यह शर्त तय करा लेता है, जब तक कर्ज चुकता नहीं करोगे, तब तक तुम्हें हमारे यहां काम करते रहना पड़ेगा। अब काम चाहे कोई भी करे-तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बेटे का बेटा या पर-पोता या छड़पोता। इस प्रकार की बन्धुआ मजदूरी प्रथा आज भी बिहार के कई जिलों में चालू है, जिसका उन्मूलन नहीं हो सका है। कहने के लिए आप यह कह दीजिए कि अस्पृश्यता-निवारण-कानून है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज भी हरिजनों को मन्दिरों में जाने दिया जाता है ? नहीं। क्या आज भी हरिजन कुओं से पानी भर सकता है ? नहीं भर सकता है, तो इस प्रकार की स्थिति आज भी वहां पर चल रही है। यदि हम सब लोग इस स्थिति से छुटकारा पाना चाहते हैं और

इसमें राजनीतिक विभेद नहीं करना चाहते हैं, तो वह समय अब आ गया है कि इन तमाम सवालों पर समग्र रूप से विचार किया जाए। इन्टीग्रेटेड तरीके से विचार किया जाना चाहिए और एक ऐसा कानून लाया जाय, जिससे हम खेत-मजदूरों की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सकें। पेबन्दबाजी नहीं, क्रान्तिकारी परिवर्तन करने वाला इस तरह का कानून आप लाइये, जिससे उनको लाभ हो। अब अगर आप इस काम में देर करेंगे तो वे लोग यह समझेंगे कि जिन लोगों को हम ने वोट दिया है - पिछले चुनाव में खेत मजदूरों ने आप को वोट डाला है··· उन्होंने वह नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक शास्त्री लोग विद्यमान है, हरिजन मन्दिरों में प्रवेश नहीं कर सकते।

श्री रामावतार शास्त्री : आकाशवाणी प्रायः मेरे नाम को बदल कर 'रामावतार त्यागी' कुछ समाचार पत्र 'रामावतार सिंह' लिखते हैं। आप भी ऐसा करें। मैं 'शास्त्री' शब्द अपने नाम से हटाने को तैयार हूं। आज के समाचार पत्र में मेरा नाम रामावतार सिंह दिया। उन्हें मेरा नाम बदलने का हक है। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : तब हरिजन मन्दिरों में जा सकेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं रामावतार राम बनने को तैयार हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्री शब्द को काट दीजिए, अगर उससे कानून बनाने में कोई नुकसान होता है।

मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यह समग्र रूप में सब का दायित्व है, जितने अपोजीशन मे लोग बैठे हैं उनका दायित्व तो है ही, लेकिन उन से ज्यादा आप का दायित्व है, क्योंकि आप के हाथ में शासन-सूत्र है, इसलिए आपकी जवाबदेही हम से ज्यादा है। मैं उम्मीद करता हूं—अंजय्या जी लेबर मिनिस्टर बने हैं, कुछ क्रान्तिकारी कदम अवश्य उठायेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, आज अंजय्या साहब कुछ ऐसी बात जरूर कहेंगे जिससे हम लोगों का दिल प्रोत्साहित होगा और हिन्दुस्तान का खेत-मजदूर समझेगा कि हमने इनको वोट डाला है, तो कम से कम इतना तो उन्होंने किया है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष जी, श्रीमती इन्दिरा जी की यह नीति रही है कि जब तक देश में कोई भी कमजोर आदमी रहेगा, देश मजबूत नहीं रह सकता। इसलिए हर आदमी मजबूत होना चाहिए, वह चाहे खेत-मजदूर हो, फैक्टरी मजदूर हो या कोई और मजदूर हो, इस वास्ते देश के हर व्यक्ति को मजबूत करना है, उसको अच्छी जगह पर पहुंचाना है, उस की इन्कम अच्छी होनी चाहिए। 1966 से श्रीमती इन्दिरा गांधी इसी नीति पर चलती आ रही हैं, लेकिन बीच में पिछले तीन सालों में इस काम को धक्का लगा है। अब श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने अंजय्या जी को मिनिस्टर बनाकर इस काम को फिर से शुरू किया है।

शास्त्री जी, आप को शायद मालूम होगा, अंजय्या साहब ने आप की तरह सिर्फ फैक्टरी मजदूरों की ही यूनियनें नहीं बनाई है, बल्कि जिन्दगी में सबसे पहले खेत मजदूरों को इकट्ठा किया है और यह काम मेरे जिले से शुरू किया है। इस वास्ते फैक्टरी मजदूर हो, खेत मजदूर हों, हर किस्म के मजदूरों की समस्याओं को वह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मुझे उम्मीद है, उनके लिए अच्छा इन्तजाम करेंगे।

अभी हमारे चित्त बसु जी ने फरमाया कि 1964 और 1974 दरमियान खेत मजदूरों की आबादी 44.7 परसेन्ट बढ़ी है। मैं यह कहना चाहता हूं---इस का मतलब है कि हर साल 4·4 परसेन्ट उनकी संख्या बढ़ी है। इसका मतलब है, कि चित्त बसु जी को यह समझना चाहिए, कि ये लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं। मेहरबानी करके उन लोगों से फैमिली प्लानिंग कराइये। हर साल 3 से 3·5 परसेन्ट उनकी आबादी बढ़ रही है जबकि कुछ क्षेत्रों में 1 परसेन्ट भी नहीं बढ़ रही है और सारे देश का एवरेज मिला कर 2·5 परसेन्ट बढ़ रही है। इसलिए यदि उनकी हालत को सुधारना है तो उनकी आबादी को बढ़ने से रोका जाना चाहिए।

अब जहां तक स्टेट्स का ताल्लुक है, जहां-जहां स्टेट्स में यह कानून लागू हुआ है, वहां बहुत सी जगहों पर मजदूरी मिनिमम वेज से ज्यादा दी जा रही है। मैं आप को एक मिसाल देता हूं-हमारे यहां एमर्जेन्सी के जमाने की बात है कलैक्टर ने एक मीटिंग बुलाई और कहा कि मजदूरों को रोजाना 5 रुपया मिलना चाहिये। हम ने कहा कि हम 10-20 लाख रुपया आप के पास जमा करवा देते हैं, आप 5 रुपये में मजदूर दिलवा दीजिये। बाद में कानून को देखा गया, तो उस में निकला कि जहां-कहीं मिनिमम वेज से ज्यादा मजदूरी दी जा रही हैं, उस को उसी तरह से कन्टीन्यू रखना चाहिये, उस को कम करने की जरूरत नहीं है।

हमारे यहां औरतों को 7, 8 रुपये और मर्दों को 10 रुपये मिलते हैं और यह कहना कि सिर्फ तीन, चार महीने ही वे लोग काम करते हैं, गलत है। इतना इरिगेशन हो गया है और इतनी क्राप्स बढ़ रही हैं ताकि वे और ज्यादा काम कर सकते हैं। वैस्ट बंगाल और बिहार में नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह यह हो सकती है कि गंगा का पूरा पानी समुद्र में चला जाता है और उसका इस्तेमाल नहीं होता है और यहां पर आकर लोग भाषण कर देते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो यह कहूंगा कि जब एक बार गवर्नमेंट कानून बना देती है, तो उसके बाद हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि उसका पालन हो। हमारी बड़ी पार्टी है, इसलिए हमारी बड़ी जिम्मेदारी है पर अपोजीशन वालों की भी जिम्मेदारी है। अभी सी० पी० आई० के लीडर ने कहा कि इन मजदूरों पर जुल्म हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उस वक्त शास्त्री जी क्या कर रहे थे। हम लोगों का यह काम है, पोलीटीकल वर्कर्स का यह काम है कि जब ऐसी बात हो, तो वे एजीटेशन करें और जो भी कानून बने हुए हैं, उनका इम्पलीमेंटेशन कराएं। इम्पलीमेंटेशन न करा कर होता यह है कि पांच, दस साल में जब पार्लियामेंट में आ जाते हैं, तो बस भाषण दे दिया। मैं कहता हूं कि एक कार्यकर्ता होने के नाते, आप का यह काम है कि खेती के मजदूरों के लिए जो कानून बने हैं, उनका पालन कराए। आप ने कह दिया कि उनको एक आना, दो आना मजदूरी

मिलती है। ..(व्यवधान) अगर उनको दो आने या 12 पैसे मजदूरी मिलती है तो यहां पर इस के बारे में इस तरह की बात कहना ठीक ही नहीं है। जब आप को मालूम हो गया कि 12 पैसे मजदूरी मिल रही है, तो मेहरबानी करके आपने चीफ मिनिस्टर को, लेबर मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा होता। आपने क्यों नहीं इस चीज के बारे में लेटर लिखा। खाली यहां पर भाषण देने से काम नहीं बन सकता। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज मजदूर बहुत होशियार हो गये हैं और मजदूरों से डर कर जमींदार गांवों से भाग रहे हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से केसेज हैं, जिन से पता चलता है कि बहुत से जमींदार गांवों को छोड़ कर शहरों की ओर भाग रहे हैं। एक प्वाइन्ट लेने के वास्ते यहां पर भाषण दे दिये जाते है कि जमींदारों द्वारा बहुत जुल्म हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है।

मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक बांडेड लेबर का सवाल है, इमर्जेन्सी के जमाने में और उसके बाद भी आन्ध्र प्रदेश में कई जगहों पर ऐसे लोगों की खोज की गई थी और जो लोग दोषी पाए गये थे उन को सजा भी दी गई है। इस वास्ते मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सिर्फ गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सब को भी कुछ काम करना चाहिए और हम राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की, अपोजीशन वालों की और रूलिंग पार्टी के लोगों की भी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उन के लिए कुछ काम करें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप ने कोई कालिंग एटेंशन नोटिस इन खेतीहर मजदूरों के वास्ते पार्लियामेंट में रखा या 377 नियम के अन्तर्गत कोई बयान दिया। अब एक रेजोलूशन आया है और एक अच्छा रेजोलूशन एक माननीय सदस्य की तरफ से आया है लेकिन आज उनकी तबियत ठीक नहीं है। संशोधन रखने वाले सदस्य अस्पताल में हैं। उनके शीघ्र स्वस्थ होने तथा संसद पधारने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा संकल्प पेश किया है तथा हम हृदय से उसका स्वागत करते हैं। हमें उमीद है कि श्री अंजैया जिन्हें खेतों तथा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में काफी अनुभव है, सभा के समक्ष विस्तृत विधेयक लायेंगे तथा हम लोग दलीय संबन्धों के बावजूद उसे समर्थन देंगे हम अपने देश की भलाई के लिए कार्य करेंगे तथा देश को मजबूत बनायेंगे जैसा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी चाहती हैं।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : उपाध्यक्ष जी, अभी सभी पार्टियों के सदस्यों ने एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में, जरायती मजदूरों के लिए, चाहे वे किसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हों, सभी लोगों ने कहा कि इनके लिए कानून बनना चाहिए और आप जानते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम में वीकर सेक्शन्स के लिए, जरायती मजदूरों के लिए एक प्रोग्राम दिया था और उसको अमल में लाने की पूरी कोशिश की है। यह सही है कि जरायती मजदूरों के लिए कोई कानून अभी बना हुआ नहीं है। यह भी सही है कि जैसे इन्डस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कानून है, जरायती मजदूरों के लिए अभी कननून नहीं बना हुआ है। ये बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं और इन लोगों के ऊपर काफी जुल्म और अत्याचार होते हैं। यह सही है कि इनके लिए सोशल सिक्योरिटी और मिनिमम वेज का ही सवाल नहीं है बल्कि इन लोगों के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

हमारी कन्ट्री में जो बोण्डेडलेबरस हैं जो कि इधर-उधर दिखायी देते हैं वे इनसे भी ज्यादा गिरे हुए मजदूर हैं। उनके लिए भी सरकार ने कुछ किया है। पिछली सरकार ने भी उनके लिए कुछ बजट रखा था और जैसा मैंने बताया था कि उनके लिए 25 करोड़ रुपया प्लान में रखा गया है। हमें बोण्डेड लेबर सिस्टम को अबालिश करना है। पिछली सरकार ने एक करोड़ रुपया रखा था, हमने तीन करोड़ रुपया रखा है। मगर इस मामले में हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से जितनी मदद होनी चाहिए वह मदद नहीं होती। हम लेबर मिनिस्टरी की कांफ्रेंस बुलाना चाहते हैं और उसमें इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं।

हम भी चाहते हैं कि इस मामले में जल्दी से कानून बने और इसको बहुत जल्दी लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। 9 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है। उसमें अगर यह रिपोर्ट अडाप्ट कर लेंगे तो जल्दी ही हाउस में लायेंगे। इसको हमें लागत विभाग से राय करके ड्राफ्ट करना है, बिना उसके तो इसे यहां नहीं लाया जा सकता। हमारे इलेक्शन मेनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया गया है। मैं समझता हूं कि इसको जल्दी से लाने और पूरी तरह से लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। यह दूसरी तरह से भी मुल्क के सामने पेश होगा। मगर कानून तो हम बना लेंगे, और वह बन भी जाएगा लेकिन उसके इम्प्लीमेन्टेशन के लिए भी हमें यानी सेन्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलकर काम करना होगा। इसके इम्प्लीमेन्टेशन में हमें यह भी देखना होगा कि कहीं क्लेश न हो। ऐसा न हो कि गांव-गांव में बदअमनी फैल जाए बदअमनी फैला कर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। जहां तक हो सकेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से होगा।

देश में बहुत सी ऐसी जगह हैं—जैसे हरियाणा, पंजाब और आन्ध्र के कुछ इलाके—गोदावरी और विजयवाड़ा—में मजदूरों को मिनिमम वेज से भी ज्यादा तख्वाह मिलती है। वह इसलिए मिलती है कि वहां लेण्ड इर्रीगेटिड और फर्टाइल है। जिस लेण्ड में कल्टीवेशन होना मुश्किल है उस लेण्ड के एग्रीकल्चरल लेबर और लेण्ड लार्ड्स में टेंशन रहता है। हम अपनी तरफ से इस बारे में क्या कर सकते हैं वह भी हम करेंगे। किसी माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमें पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए, उनकी एम्प्लाएमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। हम समझते हैं कि रूरल एम्प्लाएमेंट भी लागू करना चाहिए ताकि उनको रेगुलर इनकम हो सके। चूंकि हमारे बहुत ज्यादा संख्या में पिछड़े हुए लोग है इसलिए ये तमाम काम करने से पहले हमें सोचना है। हम इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स से बातचीत करके कोई फार्मूला बनाना चाहते हैं ताकि जल्दी से जल्दी इसको लागू किया जा सके।

हम जल्दी से जल्दी इस कानून को लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में जो मिनिमम वेज कानून है उसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता है। इसलिए हम ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से हो सके। चाहे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कानून हो, चाहे कोई और कानून हो, जैसा कि कहा गया कि ये कानून बहुत पुराने हो गये है, 30-40 साल पहले ये कानून बनाये गये थे जिनमें तब से कोई तब्दीली नहीं हुई है। इसलिए इन सारी बातों पर सोचा जा रहा है कि कैसे

वर्कर्स को हम फायदा पहुंचा सकते हैं । लेकिन इस बारे में बताये जाने वाले इस बिल के बारे पूरा कहना तो मुश्किल है लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार बहुत जल्दी कानून लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है ।

इसलिए मैं चाहता हूं कि जो रिजोल्युशन हमारे मित्र ने पेश किया है, उसको वे विदड्राह कर लें, वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कोड़ियान ।

श्री रामावतार शास्त्री : वह बिमार है तथा अस्पताल में हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधनों को निपटाऊंगा । श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री मूलचन्द डागा द्वारा अपने संशोधन वापस लिये जाने के लिए सहमत है ।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

उपाध्य महोदय : अगला संशोधन श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा का है ।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया । मेरे नाम से संशोधन था । मैं वापस नहीं लेता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने समय नहीं मांगा था, न ही अपना नाम दिया । इसलिए प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

अतः मैं आपके संशोधन को मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं मुख्य संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : श्री कोडियान सभा में नहीं हैं । आप यह कार्यवाही क्यों कर रहे रहे ? सभी लोग सहमत हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी ओर से कोई भी संकल्प को वापस नहीं ले सकता । इस पर मतदान किया जायेगा ।

प्रश्न यह है :

"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह देश के लाखों कृषि कर्मकारों के, जिन्हें कृषि से रोजी कमाने के लिए शोषण की नृशन्स शक्तियों का शिकार होना पड़ता है और जिन्हें

विद्यमान श्रम विधियों से लगभग कुछ भी संरक्षण प्राप्त नहीं है, हितों की रक्षा करने के लिए केन्द्रीय विधान बनाये।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

पूर्वोत्तर भारत में व्याप्त गम्भीर स्थिति के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर के संकल्प को लेते हैं। श्री हाल्दर।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा पूर्वोत्तर भारत में विद्यमान गम्भीर स्थिति पर, जहां पृथकतावादी, उग्रतावादी और साम्प्रदायिक भावनायें भड़काई जा रही है जिससे देश की एकता और अखण्डता को खतरा पैदा हो रहा है, गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह :—

(क) विदेशियों के प्रश्न के राजनीतिक हल के लिए तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की वास्तविक समस्याओं को हल करने की ओर विशेष ध्यान देने की दिशा में उपयुक्त कदम उठाये ;

(ख) विदेशियों के बलात प्रवेश और सशस्त्र गिरोहों की घुसपैठ को रोकने के लिए पूर्वोत्तर भारत की पड़ोसी देशों से लगने वाली सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करें ;

(ग) पृथकतावादी गतिविधियों में सक्रिय लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें ; और

(घ) हमारे देश के ढांचे में वास्तविक संघवाद को सुदृढ़ बनाकर राष्ट्रीय एकता बनाये रखने और सभी भाषाई जातियों तथा वंशों को उनका पृथक स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखने और उन्हीं की इच्छानुसार उनके पूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए देश में जनमत तैयार करें।"

मैं इस संकल्प को दलीय उद्देश्यों से नहीं रख रहा। मैं इस संकल्प को इस पवित्र सभा में पार्टी की दृष्टि से नहीं अपितु विदेशियों के प्रश्न पर राजनीतिक समझौता होना चाहिए तथा पूर्वी उत्तरी राज्यों आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणीपुर, नागालेंड और अरुणाचल की वास्तविक समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा।

आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में हाल ही में हिंसात्मक घटनाएं घटी है। नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक पार्टीयों की शत्रुता के कारण एवं जन-जातीय एवं गैर-जन-जातीय लोगों की शत्रुता के कारण उत्तेजना फैली हुई है।

श्रीमान् हम कठिन समस्या का सामना कर रहे है तथा समस्या के कारण को जानने के लिए हमें इसका गहरा अध्ययन करना पड़ता है। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने पूरे भारत के विकास की तथा विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी भारत की उपेक्षा की तथा वह सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा रह गया। परन्तु स्वतन्त्रता एवं विभाजन के पश्चात् हजारों लोगों पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा तथा अन्य राज्यों में आकर बस गए तथा इस समस्या ने तीव्र रूप धारण कर लिया। 30 वर्ष के कांग्रेसी एवं थोड़ी अवधि के जनता शासन ने पूंजीवादी विकास की नीति अपनायी। इस समय 70 प्रतिशत से अधिक जन संख्या निर्धनता के स्तर से भी नीचे जीवन-यापन कर रही है। बेरोजगारी तथा भूख की समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिए हैं। परिणाम स्वरूप सभी वर्ग असंतुष्ट है।

श्रीमान, दूसरी ओर तीनदशक के शासन के दौरान कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की अपितु स्वतन्त्रा संघर्ष के दिनों की मूल्यवान परम्परा को समाप्त करने के लिए सब कुछ किया। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कदम उठाये जो राष्ट्रीय एकता की भावना के विरुद्ध थे तथा राज्यों की जनता को घटिया दर्जा दिया। आज तक कांग्रेस (आई) तथा अन्य बूर्जुआ-जमींदारों की पार्टियां-शक्तियों के राज्यों एवं केन्द्र के बीच में विभाजन के महत्व को नहीं समझ पाई न ही राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से विभिन्न इकाईयों में समानता की भावना पैदा कर पायें हैं। इस पृष्ट भूमि में, पूंजीवादी पथ के फलस्वरूप, आर्थिक गतिहीनता एवं संकट के कारण तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते हुए असंतोष के कारण राष्ट्रीय एकता को भारी धक्का लगा है तथा बिखराव की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

यहां तक हमारी पार्टी का सम्बन्ध है हम आरम्भ से ही कहते आये हैं कि आसाम, त्रिपुरा मिजोरम तथा उत्तर पूर्वी भारत का पूरी तरह विकास नहीं हो पाया है। यह पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि देश के कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम विकसित हैं तब यह पूंजीवादी नियमों का फल है। हम सबके विचार का प्रश्न यह है कि इसे कैसे दूर किया जाये। मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र की कुछ आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही हैं। मैं समझता हूं कि जब तक सरकार पूंजीवादी विकास की वर्तमान नीति का पालन करती रहेगी तब तक उक्त उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती।

जहां तक आसाम और पूर्वोत्तर राज्यों में आन्दोलन का संबंध है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आदि में जो चुनौती दी गई है। वह देश की सफलता को दी गई है। विदेशियों के भारी संख्या में प्रवेश को रोकने की वैध मांग का उपयोग आर्थिक और लोकतांत्रिक असंतोष को राष्ट्र विरोधी माध्यमों

की ओर मोड़ने के लिए किया जा रहा है। निर्धनता और रोजगार की कमी के कारण आसाम तथा अन्य राज्यों में भारी असंतोष है। बेरोजगारी, भूख, शोषण और व्यापारियों एवं जमीदारों के शासन के विरुद्ध एक साथ लड़ाई लड़ने के लिए पूंजीवादी मार्ग को चुनौती देने के लिए लोगों को जगाने के बजाय यह आन्दोलन अन्य भारतीयों के विरुद्ध चलाया जा रहा है। विदेशी शब्द का लचीला अर्थ लगाया जा रहा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अर्थात् बंगालियों, हिन्दुओं, मुसलमानों, बिहारियों तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोगों और उन लोगों को भी शामिल किया जा रहा है जो पीढ़ियों से वहां बसे हुए हैं। आन्दोलन चलाने वाले खुले रूप में ऐसा नहीं कहते किन्तु भारतीय नागरिकता की रक्षा करने की अपनी मंशा की भी वे खुले रूप से दृष्टि नहीं करते हैं। वहां भारत विरोधी नारे लगाये गये हैं। इनमें एक नारा यह है : 'भारतीय कुत्तों आसाम से निकलो'। संगन कर्त्ताओं ने इस प्रकार के नारे का कभी भी विरोध नहीं किया है।

जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है, कहा है कि आन्दोलन पूर्णतः शान्तिपूर्ण है और वहां कोई हिंसा नहीं हो रही है, विद्यार्थी हिंसा में भाग नहीं ले रहे हैं और यह पूरी तरह से उन विदेशियों के विरुद्ध है जो इस देश में घुसे हैं किन्तु वास्तव में तथ्य कुछ और ही हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किस प्रकार आसाम, मेघालय और अन्य स्थानों में सैकड़ों बंगाली और अन्य भाषा भाषी लोगों तथा धार्मिक अल्प संख्यकों को मारा गया है।

मैं आपात कालीन स्थिति के दौरान न्यायमूर्ति तारकुण्डे द्वारा बनाई गई पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज (पी० यू० सी० एल०) की दिल्ली शाखा के प्रतिवेदन के कुछ उद्धरणों को पढ़ना चाहूंगा। आसाम सम्बन्धी पी० यू० सी० एल० की तथ्यों का पता लगाने वाली समिति ने 20 फरवरी, 1980 को इस प्रकार कहा :—

> "इसके अतिरिक्त अल्प संख्यकों के विरुद्ध, विशेष रूप से बंगला-भाषी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध घृणा का एक नियमित आन्दोलन चलाया गया है। लगभग चार महीने से इस राज्य में गण संग्राम परिषद और अखिल आसाम विद्यार्थी संघ ने सरकारी तंत्र पर निरंकुश नियंत्रण कर रखा है और वे समानान्तर सरकार चला रहे हैं। उन्होंने उत्तेजना पैदा की है और तथा कथित बहिरगताओं के विरुद्ध हिंसा भड़काने वाले भीत्ति-चित्रों और पोस्टरों का किसी प्रकार भी विरोध नहीं किया है। इसके कुछ उदाहरण हैं : 'यदि आपको एक सांप और एक बंगाली मिलता है तो पहले बंगाली को मारिये'। बंगला-भाषी समुदाय भयभीत है। दूलियाजन में प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता डा० रोबी मित्रा को कत्ल किये जाने की खबर पहले ही समाचार-पत्रों में छप चुकी है। उसे बुरी तरह से मौत के घाट उतारा गया है।"

महोदय, इस आन्दोलन के सैकड़ों व्यक्ति शिकार हुए हैं। हजारों गरीब लोगों को जलाया गया है। तथ्यों का पता लगाने वाली समिति के एक और उद्धरण में कहा गया है :—

> "तथ्य यह है कि काम रूप के बारपेटा उप-प्रमण्डलों के मुकालमो और नालबारी क्षेत्रों में सबसे बुरी हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं। स्वयं डिप्टी कमिश्नर के अनुसार

4,000 मकान जलाये गये और 42 व्यक्ति मारे गये। हम मुकालमो शिविर में गये जहां 510 लोग रह रहे हैं जिनमें सभी बंगाली मुसलमान हैं। वहां के गांव वालों ने जो विवरण हमें दिया उसके अनुसार 4 000 असमियां लोग नारे लगाते हुए तथा भाले और घातक हथियार लेते हुए आये। उन्होंने उस क्षेत्र में रहने वाले बंगला-भाषी लोगों के घरों को आग लगा दी, कई लोगों को मारा और कई लोगों को जख्मी किया। सबसे दर्दनाक दृष्य रंगाकाली शिविर में दिखाई दिये। इस शिविर में 4,000 से अधिक लोग है। इनमें से अधिकांश बंगाली हिन्दू हैं। हमने सैकड़ों लोगों को बुरी तरह से घायल हुए देखा। वास्तव में निर्मम आक्रमण किये गये।"

अत: ये प्रमाण है कि आन्दोलन बिल्कुल भी शान्ति पूर्ण नहीं है और यह कितना निर्मम और हिंसात्मक है।

मैं तथ्यों का पता लगाने वाली समिति के प्रतिवेदन से और भी उद्धरित करता हूं इसमें कहा गया है :—

"अन्यथा सत्याग्रह स्वयं शान्तिपूर्ण रहा है। किन्तु यह मुश्किल से शान्तिपूर्ण हो सकता था। समस्त सरकारी तंत्र का सत्याग्रह में भाग है। जैसा कि एक साक्षी ने हमें बताया : आसाम सरकार आन्दोलन चला रही है और अखिल आसाम विद्यार्थी संघ सरकार चला रहा है।"

इसी सन्दर्भ में विदेशियों का पता लगाने और उन्हें बाहर निकालने की धमकी दी गई है। यह कोरी धमकी नहीं है। इसे प्रशासन का समर्थन प्राप्त है। भारतीय एकता पर आन्दोलन के नेताओं और स्थानीय प्रशासन दोनों से प्रहार किया जा रहा है। यही कारण है कि लोगों का हस्तक्षेप नितांत आवश्यक है। प्रति क्रियावादी एवं विघटनवादी नेता 1971 को आधार वर्ष नहीं मानते क्योंकि उनकी विदेशी नागरिकों की समस्या का समाधान करने में रुचि नहीं है। उनकी रुचि आसाम से लाखों भारतीय नागरिकों को बाहर करने में है और वे अल्पसंख्यकों अर्थात् बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों के लोगों को निकाल नौकरियों और उनकी संपत्तियों से बेदखल करना चाहते हैं तथा हर एक चीज पर कब्जा करना चाहते हैं। सर्वत्र इसी तरह निहित स्वार्थ हैं। शरणार्थियों तथा उन्हें नागरिकता देने के बारे में स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू को उद्धरित करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है :

"इसमें वास्तव में कोई सन्देह नहीं है कि उन विस्थापित व्यक्तियों को जो भारत में बसने आये हैं निश्चित ही नागरिकता मिलेगी। यदि कानून इस सम्बन्ध में अपर्याप्त है तो इस कानून में परिवर्तन किया जाना चाहिए।"

यह पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था।

1971 को आधार वर्ष मानने के बारे में मैं 22-2-1975 के लोक सभा वाद-विवाद, के खण्ड 48, पृष्ठ 52 से 53 से उद्धरित करना चाहता हूं। प्रो० समरगुह द्वारा प्रश्न पूछा गया था। इसमें कहा गया :—

क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1975 तक पूर्वी पाकिस्तान से आए कुल ऐसे कितने शरणार्थी हैं जिनका अभी पुनर्वास किया जाना है ;

(ख) वे कौन-कौन से शिविर तथा स्थान हैं जहां उन्हें अस्थायी रूप से शरण दी गयी है ;

(ग) प्रत्येक शिविर तथा अन्य स्थानों में उनकी पृथक-पृथक संख्या क्या है ; और उनकी देख रेख हेतु उन्हें क्या-क्या सुविधायें प्रदान की गयी हैं ;

(घ) क्या इनमें से कुछ शरणार्थी गत पांच से पन्द्रह वर्षों से इन शिविरों में रह रहे हैं, यदि हां, तो उनके पुनर्वास के संबंध में अनावश्यक विलम्ब के कारण क्या हैं ;

(ङ) अन्य वर्गों के शरणार्थियों की संख्या तथा अन्य विवरण क्या हैं जिन्हें अभी भी भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के रूप में मान्यता मिलनी है ; और

(च) पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के सभी वर्गों के पुनर्वास की समय अनुसूची सहित योजनाओं की रूपरेखा क्या है।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खडिलकर) : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कहा :

"31 जनवरी, 1975 तक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए पुनर्वास की प्रतीक्षा में शिविरों में रह रहे प्रवासियों की कुल संख्या लगभग 25,300 परिवार है। इनमें से लगभग 4000 परिवार ऐसे वर्ग में आते हैं जिनके बारे में स्थायी दायित्व है।" प्रश्न के भाग (घ) का उत्तर इस प्रकार था :

(घ) इनमें से अधिकांश प्रवासी 1-1-1970 से 25-3-1971 के मध्य से शिविरों में रह रहे हैं। तथापि उनमें से कुछ 1-1-1964 से 31-12-1969 की अवधि के दौरान आए थे।

परिवारों के पुनर्वास का कार्यक्रम उपयुक्त भूमि एवं पर्याप्त निधि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तथापि, विभिन्न राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से उपयुक्त भूमि खोजने का प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है।

(ङ) "सरकार की नीति के अनुसार, वे समस्त प्रवासी राहत और पुनर्वास सहायता पाने के पात्र हैं जो 1-1-1964 से 25-3-1971 के बीच भारत आए और जिन्होंने पश्चिमी बंगाल से बाहर किसी राहत शिविर में प्रवेश पा लिया हो।"

यह उल्लेख किया गया है कि वे सभी विस्थापित जो 1-1-1964 से 25-3-1971 के बीच भारत आये थे सरकार से पुनर्वास सहायता पाने के पात्र हैं और सरकार ने उनके पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी ली है। इसका अर्थ यह है कि 25-3-1971 तक इन सभी विस्थापितों को नागरिकता मिल जायेगी। अतः उचित तारीख 25-3-1971 ही की जानी चाहिए।

मेघालय में भी बंगाली, नेपाली हैं और उन्हें सताया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है तथा उनकी सम्पत्ति लूटी जा रही है और उन्हें कत्ल किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं श्री मनिक दास, सदस्य विधान सभा और उसके सहयोगियों के मारे जाने का उल्लेख करना चाहूंगा। वे मेघालय से अल्प संख्यकों को निकाल बाहर करना चाहते हैं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि विदेशियों के नाम पर ये सब हिंसात्मक गतिविधियां भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध की जा रही हैं अर्थात वे सभी भारतीय नागरिक हैं चाहे वे बंगाली हों या राजस्थान या भारत के अन्य भागों के हों। वे सभी वहां गये हैं और वे वर्षों से वहां चाय बागानों में काम कर रहे हैं। इन सभी लोगों को डराया जा रहा है। ऐसी स्थिति है और हम इन तत्वों से बच नहीं सकते। वास्तविक स्थिति क्या है ? मैं वहां रहने वाले भिन्न-भिन्न समुदायों की जनगणना के आंकड़े देना चाहूंगा। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1951 में आसाम में बंगाली 19.29 प्रतिशत, 1961 में 17.60 और 1971 में 21 प्रतिशत थे। इसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल हैं। जहां तक मुसलमानों के प्रतिशत का सम्बन्ध है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1951 में इनका प्रतिशत 25.94 1961 में 23.29 और 1971 में 24.03 था। अतः यह सही नहीं है कि बंगला देश के लोग आसाम में घुस आये है और इस राज्य को मुसलिम राज्य बनाना चाहते हैं। यह सही है कि वहां घुस पैठ हुई है इससे कोई इन्कार नहीं करता है।

आसाम आन्दोलन के बारे में मैं 4-6-1980 के "पीपल्स डेमोक्रेसी" से एक उद्धरण पढ़ना चाहता हूं। यह 35 सूत्री कार्यक्रम के बारे में है। इससे सिद्ध होता है कि वे किस प्रकार का आन्दोलन चला रहे हैं। कहा गया है कि—

"विभिन्न स्तरों पर गुप्त समितियों का गठन किया जायेगा जिनका मुख्यालय भूमिगत होगा तथा जिनका एक नेता होगा तथा कड़ा अनुशासन, संहिता और चरित्र होगा"।

छठे सूत्र में यह कहा गया है :

"नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा तथा इस क्षेत्र के अन्य मूल निवासियों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों का विकास किया जाये और हाथ से हाथ मिलाकर चला जाये"।

हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। सूत्र संख्या 8 इस प्रकार है।

"बनारपुर से लुमडिंग तक रेल संचार काट दिया जाये और उतरी कचार जिले को सड़क संचार से जोड़ा जाये।"

उसके पश्चात सूत्र 30 इस प्रकार हैं :

"विदेशियों को देश से बाहर भेजना—हिन्दुओं को दवकी पुलिस चौकी (मेघालय) से तथा मुसलमानों को गोलकगंज पुलिस चौकी से वापस भेजा जाये"।

अन्त में, वह कहते हैं :

हमें कलकत्ता और नई दिल्ली को बता देना चाहिये कि हमें अपने जीवन की नितान्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए केवल नमक ही आपसे लेना है जबकि आपको हमसे चाय, कोयला, कच्चा तेल, प्लाईवुड जूट आदि लेना है। हमें उन्हें यह बतादें कि आसाम की जनता विश्व में अकेली नहीं है।"

आन्दोलन-कारियों के इस 35 सूत्रीय कार्यक्रम से हम यह सुगमता से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह प्रथकतावादी आंदोलन है और विदेशियों का इसके साथ सम्बन्ध है। चर्च और मिशनों के माध्यम से सक्रिय विदेशी एजेंसियां पूर्वोत्तर भारत में विशेष कर आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की जनता को भड़का रही है। वह उनको भड़का रही है और उन्हें उनके प्रथकतावादी आन्दोलन में प्रोत्साहित कर रही है। वह उनको यह कह कर भड़काती है कि यदि वह भारतीय संघ से पृथक हो जाते हैं तो वह अच्छी स्थिति में हो जायेंगे, और हमें यह पता है कि इस सब के प्रति न तो अखिल भारतीय छात्र संघ ने अथवा न ही गण संग्राम परिषद ने इसका विरोध किया है।

सभी यह जानते हैं कि "आपरेशन ब्रह्मपुत्र" नाम का षडयंत्र सी० आई० ए० का षड-यंत्र है। और प्रथकतावादी आन्दोलन भड़काने में वह कैसी रूचि रखता है। आज वहां पर 'आपरेशन ब्रह्मपुत्र' सक्रिय है। अब उसे लागू किया जा रहा है। अमरीका के राजदूत को इस आंदोलन के दौरान आसाम में कम से कम छः बार जाने की क्या आवश्यकता थी ? अभी हाल में कलकत्ता में अमरीका के सलाहकार ने भी वहां की यात्रा की ? हमें इस बात को समझ लेना चाहिये कि वहां विदेशी एजेन्सियां सक्रिय हैं और वह पृथकतावाद के लिये कार्य कर रही हैं। आज वास्तव में देश की अखण्डता और एकता ही दांव पर लगी हुई है।

मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि केन्द्रीय सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिये।

महोदय, त्रिपुरा में भी स्थिति बड़ी गम्भीर है और अन्य स्थानों की स्थिति से भिन्न है। यह सत्य है कि विभाजन के पश्चात् लाखों लोग त्रिपुरा में आये और वहां बस गये। यह भी सत्य है कि इन लोगों की संख्या आदिवासी जनता से अधिक है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप संकल्प के क्रियात्मक अंश पर ध्यान दें, अब तक मिनट हो चुके हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं उस पर आ रहा हूं। वामपंथी मोरचे की सरकार बनने पहले कांग्रेस दल ने आदिवासियों की दशा सुधारने के लिये कुछ कार्य नहीं किया था। सुब्रह्मण्यम स्वामी ने पहले कहा है कि त्रिपुरा में जो हो रहा है वह आदिवासियों का विद्रोह वामपन्थी मोरचे की सरकार ने उनके लिये कुछ नहीं किया। महोदय, आप जानते हैं कि त्रि में ही यह एक ऐसी सरकार है जिसने कुछ व्यवहारिक कदम और उपाय किये हैं ताकि आदिव जनता का कल्याण हो सके। वे निम्न कदम उठा रहे हैं (1) आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त जि परिषदों की स्थापना (वे उनको गठित कर चुके हैं), (2) कोक बोरक भाषा को दूसरी सरक भाषा के रूप में मान्यता देना (3) गैर कानूनी ढंग से गैर आदिवासी लोगों की हस्तांतरित गई आदिवासियों की जमीनों को गैर-आदिवासी लोगों को उचित मुआवजा देकर पुनः आदि सियों को लौटाना(4) सरकारी सेवाओं में आरक्षण कोटा को बनाए रखना। पहली बार सरक सेवाओं में आदिवासियों के लिए आरक्षण कोटा दिया गया है।

त्रिपुरा में हमारी वामपंथी मोर्चे की सरकार ईमानदारी और सत्य निष्ठा के साथ कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। इसका मिज़ोरम, मणिपुर एवं मेघालय जैसे दूसरे आदि वासी राज्यों पर असर हुआ है। साम्राज्यवादी एजेन्ट तथा प्रतिक्रियावादी लोग आदिवासि को उकसाते हैं। इसके पीछे त्रिपुरा उपजाति जूबा समिति का हाथ है। मिजो नेता और ईस धर्म प्रचारक भी उस आन्दोलन को भड़का रहे हैं। दूसरी ओर आनन्दमार्ग की राजनीतिक शा 'आमरा बांगला यह कहकर बंगालियों को भड़का रही है कि वामपंथी मोर्चे की सरकार आदि वासियों के लिए सब कुछ कर रही है और वह त्रिपुरा में बसे बंगाली के खिलाफ है। त्रिपु सरकार की प्रगतिशील नीतियां दूसरे राज्यों में अन्य आदिवासियों को प्रेरणा देती हैं। इसलि वहां वामपंथी मोर्चे की सरकार को अपदस्थ करने के लिए षडयन्त्र हो रहा है। प्रतिक्रियावाद लोग, विदेशी ईसाई धर्मप्रचारक और विदेशी एजेन्ट भी इस आन्दोलन के पीछे हैं।

यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है। कि यद्यपि हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिर गांधी त्रिपुरा के सम्बन्ध में यथार्थवादी और उचित रवैया अपना रही है, त्रिपुरा में कांग्रेस (आई) की शाखा की एक ओर आदिवासी लोगों के साथ सांठ-गांठ है, और दूसरी ओर आमार बांगला संगठन तथा अन्य दूसरे संगठनों के साथ भी उसकी मिली भगत है।

मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्रीय सरकार त्रिपुरा में विद्यमान गंभीर स्थिति से निपटने के लिए वहां की बामपंथी मोर्चे की सरकार की सहायता कर रही है। मैं समझता हूं। कि त्रिपुरा की राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच समन्वय के बिना वहां की गंभीर स्थिति से निपटना मुश्किल है।

इस संदर्भ में, मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर भारत की उपेक्षा और गरीबी के कारण, प्रतिक्रियावादी लोगों और अखिल आसाम छात्र संघ एवं आसास की गण संग्राम परिषद

के प्रतिक्रियावादी नेतृत्व ने आसाम में यह आन्दोलन शुद्ध किया है। इसी तरह दूसरे लोगों ने भी अन्य दूसरे राज्यों में आन्दोलन शुरू कर दिए हैं। उनके आन्दोलन भारत की एकता और अखण्डता के खिलाफ है। यद्यपि उत्तर-पूर्वी भारत में उत्तर पूर्वी परिषद है, लेकिन वह उस क्षेत्र के विकास के लिए समुचित कदम उठाने में असमर्थ है।

मेरे विचार में केन्द्र सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा और ज्यादा धनराशि स्वीकृत करनी चाहिए ताकि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया जा सके, उनकी बेरोजगारी, आर्थिक और सामाजिक असमर्थकता की समस्याओं को हल किया जा सके। हमारी राय में प्रशासनिक उपाय ही पर्याप्त नहीं हैं हमें एक साथ बैठकर सभी समस्याओं पर चर्चा करनी होगी और उनका निपटारा करना होगा। मेरे विचार में दमन इन समस्याओं का हल नहीं है।

मेरे पास आसाम के सम्बन्ध में सात महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें मैं सदन के समक्ष रखूंगा। (1) पृथकतावादी आन्दोलन वापस ले लिया जाना चाहिये और उसके अनुकरण में सभी दमनकारी और प्रशासी कार्यवाहियों को वापस ले लेना चाहिए, (2) स्थानीय प्रशासन को चुस्त करके अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए, (3) सीमा पार से अब और विदेशियों को आने से रोकने के लिए केन्द्र को ठोस उपायों की घोषणा करनी चाहिए, (4) 1971 को आधारवर्ष के रूप में मानने के साथ विचार विमर्श शुरू किया जाना चाहिए, (5) विदेशियों की पहचान के लिए एक ऐसा निष्पक्ष प्रशासन तन्त्र तैयार करना जिसमें अल्पसंख्यकों का विश्वास हो; (6) विवादास्पद महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आसाम के लोगों को बताने और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए सभी लोकतांत्रिक दलों द्वारा एक संयुक्त अभियान; (7) बेरोजगारी, भूमिहीनता और गरीबी की समस्याओं पर काबू पाने के लिए आसाम के आर्थिक विकास के लिए सर्वसम्मत कार्यक्रम बनाना। इन कार्यक्रमों को शुद्ध किया जाना चाहिए। माननीया प्रधानमंत्री जी ने अनेक बैठकें आयोजित की है। उन्होंने विपक्ष के साथ भी बैठक की है। मैं सुझाव दूंगा कि भारतीय दलों, अखिल आसाम छात्र संघ, गण संग्राम परिषद और आसाम के अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों। सभी की एक बैठक इन सभी बातों पर विचार करने और उस भीषण समस्या को हल करने के लिए बुलाई जानी चाहिए।

अन्त में, आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि दलगत स्तर से ऊपर उठकर हमें इस मामले को एक राष्ट्रीय मसले के रूप में लेना चाहिए। यदि हम दलगत स्तर से ऊपर उठें, साथ-साथ बैठें और सौहादपूर्ण ढंग से इस मामले पर विचार विमर्श करें तो मैं समझता हूं कि इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। मेरे सुझाव में केन्द्रीय सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की और अधिक सुरक्षा के मामले पर विचार किया जाना चाहिए ताकि आसाम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में रह रहे हमारे भाइयों-बहनों के दिमाग में विद्यमान संदेह दूर हो सके और वे यह महसूस करें कि हम सत्यनिष्ठा के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। उनके दिमाग में इस बात की छाप होनी चाहिए कि हम भाइयों की तरह साथ-साथ

रहना चाहते हैं। मेरे विचार में राज्य को और ज्यादा शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि वे अपने व्यक्तित्व आदि का विकास कर सकें। इसके बाद ही इस विकट समस्या का समाधान किया जा सकता है।

मैं सभी से इस बात का अनुरोध करूंगा कि वे दलगत स्तर से ऊपर उठें और एकजुट होकर इस ज्वलन्त समस्या का समाधान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 1 श्री आर० के० महालगी के नाम से है। माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्तुत करता हूं :

2 कि संकल्प में :—

(एक) भाग (क) में, 'विदेशियों के प्रश्न के **पश्चात यह अन्तःस्थापित किया जाए** ।

"भारत द्वारा किए गए अन्तर्राष्ट्रीय वायदों और दिए गए आश्वासनों से अलग हटे बिना"

(दो) भाग (ख) के **पश्चात यह जोड़ा जाए**।

(ख) "उपद्रवों के भाग्यहीन पीड़ितों को फिर से बसाने और उन्हें मुआवजा दे।"

(तीन) भाग (घ) में, 'भाषाई जातियों के **स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाए** :

"भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों।"

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

2. कि संकल्प में :—

(एक) भाग (क) में 'विदेशियों' से पूर्व यह **अन्तःस्थापित किया जाए** :

"आन्दोलन कारियों के दृष्टिकोण पर गम्भीरता पूर्वक और सहानुभूति पूर्वक विचार करने के बाद।"

(दो) भाग (ख) में अन्त में यह **जोड़ा जाए** :

"और इस तरह की घुसपेठ को रोकने के लिए उन पड़ौसी देशों की सरकारों से अनुनय करें।"

श्री जो० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सर्वप्रथम हमें माननीय सदस्य श्री हाल्दर के प्रति यह संकल्प पेश करने के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहिए। एक संकटपूर्ण समय में यह संकल्प सदन के समक्ष आया है। यह सामयिक और काफी व्यापक, दोनों ही प्रकार का है। इस संकल्प से हमें उस गम्भीर स्थिति के समाधान के लिए सच्ची और अटूट इच्छा का पता लगता है जो हमारे देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्यमान है।

आसाम की स्थिति पर इस सदन में बार-बार चर्चा होती रही है। इससे आसाम में जो भारी विपत्ति आई है इसके सम्बन्ध में इस दुखी सदन की गंभीर चिन्ता और बेचैनी जाहिर होती है। मैं पहले भी वहां की गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में बोला हूं। मैं उन सबको फिर से गिनाना और कहना नहीं चाहता। आसाम की यह दुखद घटना इतनी बड़ी है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस बात को अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए कि आसाम की स्थिति इतनी गम्भीर है कि यह महज एक आन्दोलन ही नहीं रह गयी है। इसका स्वरूप वामपक्ष-विरोधी है इसका स्वरूप बंगाली-विरोधी है। इसका स्वरूप अल्पसंख्यक विरोधी है। यह अपने स्वरूप में प्रबल रूप से मुस्लिम-विरोधी हैं। यह अपने स्वरूप में भारत-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी है। यह एक ऐसी हालत जिसके महत्व को अच्छी तरह समझा जाना चाहिए। इस सदन के भीतर और बाहर भी प्रत्येक व्यक्ति को इसका अहसास करना चाहिए।

मैं यह कहने का साहस भी अवश्य करूंगा कि आसाम की वर्तमान स्थिति वर्तमान व्यापकता उस जनता शासन की पैदा की हुई है जो दुर्भाग्य से हमारे देश में था। उस समय भी जब श्री मोरार जी देसाई प्रधान मन्त्री थे, मैंने इस सदन में प्रश्न उठाए थे। उनके उत्तर को देखिए और उस तरीके को देखिए जिसमें उन प्रश्नों का उत्तर दिया गया था। और उसका परिणाम ही वह स्थिति है जो आज वहां व्याप्त है। जिसकी हम निन्दा कर रहे हैं साथ ही और आशा कर रहे हैं कि वहां के लोगों में सद्बुद्धि आएगी तथा समस्या का समाधान हो जायेगा।

कुछ राजनीतिक दल हैं जो यह कहते हैं कि वे सहयोग करने को तैयार हैं, परन्तु यह एक जानी-पहचानी वास्तविकता है कि उनका दृष्टिकोण इस बारे में स्पष्ट नहीं है। वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं यह एक ज्ञात तथ्य है कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। वे कहते हैं कि वे सहयोग करने को तैयार हैं परन्तु जब प्रधान मन्त्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया, उनमें कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी थे, जिन्होंने आसाम में सामान्य स्थिति की तराली की दृष्टि से अपनी पूर्ववर्ती गतिविधियों को छोड़ देने और आकर प्रधान मन्त्री के साथ बैठने की अपनी जिम्मेदारी को भी महसूस नहीं किया। यह सब मैं दुख के साथ कह रहा हूं।

जैसा कि यह कहा जा रहा है, यह विदेशियों का मसला है। इस वास्तविकता के बारे में कोई दो राय नहीं है कि हममें से कोई यह नहीं चाहता कि विदेशी हमारे देश कि संवैधानिक प्रक्रिया से सम्बद्ध किए जाएं। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकतीं। परन्तु जिस तरीके से 'विदेशियों, शब्द को परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है, उसने बड़ा भयंकर रूप

धारण कर लिया है। वास्तव में, जहां तक आर्थिक विकास का सम्बन्ध है। आसाम तथा दूसरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की उपेक्षा किए जाने की शिकायतें हैं और वास्तविक शिकायतें हैं।

इस प्रश्न पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। क्षेत्रीय असंतुलन अवश्य दूर किया जाना चाहिए। उस विशेष तथ्य के बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता है। आर्थिक विकास के लिए जिस चीज की भी जरूरत है दी जाने चाहिए और बिना किसी विलम्ब के दी जानी चाहिए। माननीय वित्त मन्त्री महोदय इस सभा में आये और इस सभा के माध्यम से आसाम के लोगों समेत सम्पूर्ण राष्ट्र को एक दृढ़ आश्वासन दिया कि आसाम अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भागों के आर्थिक विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। हम उनके आभारी हैं और हमें आशा है कि जो दृढ़ आश्वासन इस सभा को दिया गया है उसको वास्तविकता का रूप दिया जाएगा। तथापि आर्थिक विकास के मामले में इस उपेक्षा को विदेशियों अथवा बाहरी लोगों के प्रश्न के साथ जोड़ने अथवा बंगला देशवासियों या अन्य लोगों द्वारा आसाम में चुपचाप घुसपैठ से जोड़ने का शरारतपूर्ण प्रयास इन तथ्यों में से किया जा रहा है। किसी एक के साथ आर्थिक विकास की उपेक्षा को जोड़ने का कोई प्रयास न केवल अवास्तविक है बल्कि शरारतपूर्ण भी है।

हम तथ्यों तथा आंकड़ों पर ध्यान दें। जैसा कि हमें स्थानीय लोगों के बारे में बताया गया है कि ऐसा हानिकारक सिद्धान्त है कि असमियों के साथ न्याय नहीं किया गया है : कि सरकारी सेवाओं में बंगालियों तथा अन्य का एकाधिकार है। मेरा निवेदन है कि जहां भी अन्याय हो, उनमें अवश्य सुधार किया जाना चाहिए। परन्तु जिस शरारती इरादों के साथ यह प्रचार किया जा रहा है वह सही नहीं है।

कुछ तथ्यों तथा आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। सारे आवश्यक नहीं होंगे यह मालूम करने के लिये नमूना सर्वेक्षण देखा जा सकता हैं कि क्या सेवाओं पर भी गैर-असमियों का एकाधिकार है कर्मचारियों की सूची, 1971 आसाम सरकार को लीजिए।

	कुल संख्या	बंगाली
आसाम सिविल सेवा श्रेणी I अधिकारी	200	13
आसाम सिविल सेवा श्रेणी II अधिकारी	328	27
लोक निर्माण विभाग में सरकारी इंजीनियर	600	69
पुलिस अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी	30	3
सहकारी विभाग श्रेणी I अधिकारी	60	8
स्वास्थ्य सेवा में अधिकारी	224	60

हम और भी आंकड़े दे सकते हैं। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है कि हम नमूना सर्वेक्षण कर सकते हैं। ये आंकड़े 1971 की आसाम सरकार सिविल सेवा सूची से लिए गए हैं। इसके बाद के

आंकडे उपलब्ध नहीं हैं। अतः हम देखते हैं कि यह कहना गलत तथा शरारतपूर्ण है कि आसाम की संस्कृति, आसाम की जीवन प्रणाली को अन्य लोगों द्वारा समाप्त किया जा रहा है और मैंने आपके समक्ष ये आंकड़े प्रस्तुत किये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास नवीनतम आंकड़े नहीं है ? यह अच्छा होता यदि आपके पास नवीनतम आंकड़े होते।

श्री जी० एम० बनातवाला : ये वे नवीनतम आंकड़े हैं जो मैं प्राप्त कर सका। जनगणना के (नवीनतम) आंकड़े 1971 के होंगे क्योंकि सारी बात को उस जनगणना के आंकड़ों के साथ सम्बन्धित करना है, जिस पर मैं बाद में बोलूंगा। मुझे आशा है कि आप मुझे इस सारी बात को कहने के लिए कुछ मिनट और समय देंगे क्योंकि राष्ट्र को यह बताया जाना है कि यह क्या षड्यंत्र है जो देश की एकता तथा अखंडता को समाप्त करने के लिए आसाम में चल रहा है। राष्ट्र ने महसूस किया है कि इस मातृभूमि के छोटे-छोटे टुकड़े करने का प्रयास है। उस उद्देश्य के लिये चल रहे गलत प्रचार का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से ये तथ्य प्रस्तुत करने के लिए मैंने कुछ समय लिया है और मैं इनकी जनसंख्या के आंकड़ों से तुलना करने के कोशिश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय जैसा कि मैंने कहा तरह-तरह का प्रचार किया जा रहा है। इस प्रकार से आसाम की संस्कृति, आसाम की भाषा को खतरा है, और इसे घृणित प्रचार से आसामी जीवन-प्रणाली की तथा कथित बाहरी लोगों द्वारा समाप्त कर दिये जाने का खतरा है।

जन संख्या के आंकड़े इस प्रकार हैं 1921 की जनगणना के अनुसार 1921 में असमी भाषी लोग 44.6 प्रतिशत थे और 1921 की में 44.6 प्रतिशत असस के लोगों की यह संख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 1971 में चढ़कर 71.76 प्रतिशत हो गई। इसलिये हमें असमी जनसंख्या में कमी नहीं दिखाई पड़ती है बल्कि असमी भाषी लोगों में पर्याप्त वृद्धि नजर आती है। 1921 की जनगणना के अनुसार बंगाली भाषी लोग कुल जनसंख्या के 221 प्रतिशत थे परन्तु 1921 की बंगाली भाषी लोगों की यह संख्या घटकर 1971 की जनगणना में 11.48 प्रतिशत रह गई है। इसलिये मैं पूछता हूं : आसाम के लोगों, आसाम की भाषा, आसाम की संस्कृति, आसाम के रहन-सहन के ढंग पर बंगालियों अथवा बाहरी लोगों द्वारा हावी होने का खतरा कहाँ है जैसा कि वे कहते हैं ? इसलिये हमें मालूम होता है कि आसाम में स्थिति से असंबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों से असम्बन्धित एक बड़ी साजिश है। सच यह है कि आसाम में कुछ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। मुझे इस बार में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही बता दिया गया है कि आसाम में सम्पूर्ण आन्दोलन का कैसे राष्ट्र विरोधी स्वरूप हो गया है। हमें उन नारों के बारे में बताया गया है जो वहां लगाये जा रहे हैं, अर्थात् :

'भारतीय कुत्तो, आसम छोड़ो।
आसाम में हमारी माताओं तथा बहनों के साथ बलात्कार करने के लिये
भारतीय सेना की निन्दा करो,

भारत माता को भूल जाइये, आसाम माता से प्रेम करो,

असम माता की जय,

तथा ऐसे अन्य नारे। जैसा कि मैं पहले से कह रहा हूं कि सरकार उस सब के प्रति जो वहां हो रहा है, एक मूक दर्शक नहीं रह सकती है।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

श्रीमान्, मेरे पास यहां असम अशान्ति के संबंध में नागरिक स्वन्तत्रता के लिये लोगों के संघ द्वारा नियुक्त की गई तथ्य मालूम करने वाली समिति के प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि है। आसाम की स्थिति को देखने तथा अध्ययन करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुचे जो मैं नीचे उद्धृत करता हूं :

"इसलिये यह नितांत संभव है कि पश्चिम दुनिया की जानी पहचानी कम्युनिस्ट विरोधी ताकतें इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हो।"

वहां पर तथ्यों को उजागर करने वाली बहुत सी बाते हैं परन्तु हमें आसाम के प्रति अपना कर्त्तव्य देखना है।

यहां मैं उन दृढ़ आश्वासनों के बारे में बताना चाहूंगा जो सासाम के लोगों को दिये गये हैं तथा वे दृढ आश्वासन जो हमारे नेताओं द्वारा विभिन्न किस्म की अन्तर्राष्ट्रीय सदभावनाओं के माध्यम से भी दिये गये हैं। यह सर्व विदित है कि स्वतन्त्रता के बाद हमारे देश के उस भाग में दुर्भाग्यवश साम्प्रदायिक अशान्ति फैल गयी जिसका परिणाम यह हुआ कि आसाम से बड़ी भारी संख्या में लोग पूर्वी पाकिस्तान चले गये। उसके बाद एक समझौता हुआ जो नेहरू-लियाकत समझौते से विख्यात है। यह वही नेहरू-लियाकत समझौता था जो इस सभा के पटल पर रखा गया था जिसमें उन सभी लोगों के अधिकारों के बारे में दृढ़ आश्वासन दिये गये थे, दृढ़ वायदे किये गये थे जिन्हें इस देश से प्रवास करने के लिए बाध्य किया गया था। उन्हें वापस आने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन दिनों की हालत को भूला नहीं जा सकता है। यह तो स्व० पं० जवाहरलाल नेहरू था जिन्होने इस सभा में भाषण करते हुए, तथा नेहरू-लियाकत समझौते को सभा पटल पर रखते हुए घोर व्यथा व वेदना के साथ कुछ टिप्पणियां की थीं। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री से वार्ता की थी तथा उन्होंने इस सभा में यह बताया था कि उनके साथ वार्ता करते समय उन्होंने कैसा महसूस किया था और मैं उद्धृत करता हूं :

" चूंकि मैं पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ बड़ी भारी महत्ता के इन मामलो पर चर्चा करने के लिये घंटों बैठा था इसलिए मैंने दुखी अपने घरों से बेघर भय ग्रस्त शरणार्थियों की अपार भीड़ देखी थी जो अंधकारमय तथा अज्ञात भविष्य का सामना कर रहे थे। मुझे उनके दुख:दर्द का अनुभव है और मैंने मार्ग दर्शन की प्रार्थना की है कि इसको कैसे रोका जा सकेगा।

जब से भाग्य तथा परिस्थितियों ने मुझे सार्वजनिक कार्यों में लगाया है तब से जिन सब आदर्शों को मैं मान रहा था वे अन्ततः समाप्त हो गए और मेरे अन्दर पूर्ण असहाय की भावना आ गई।"

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें। समय समाप्त हो गया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : अभी मुझे बहुत कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही 24 मिनट तो लिए हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : समाप्त करने में मुझे कुछ और समय लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास दो मिनट का और समय है। जो मैं दे सकता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तरपूर्व) : उन्हें अगली बार अपना भाषण जारी रखने दिया जाये।

श्री रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उन्हें आज ही समाप्त करने दो। अगली बार यह जारी क्यों रखें।

प्रो० एन० वी० रंगा (गंटूर) : यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम कितनी देर बैठेंगे। यह प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट है। आप समाप्त करें।

श्री जी० एम० बनातवाला : जब आसाम में ऐसी स्थिति थी तो हमें सभा में इसके बारे में बताया गया था। समझौता सभा पटल पर रखा गया था और निष्ठापूर्ण आश्वासन दिये गए थे। उन आश्वासनों के आधार पर हमारे बहुत से भाई और बहन वापस आ गए थे। उन्हें फिर से उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक उर्दू के शायर ने एक शैर में कहा है :

क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए वो तिनके,
बन जाय नशेमन तो कोई आग लगा दे।

अब लोगों को दिए गए दृढ़ आश्वासनों को कायम रखना है तथा पूरा करना है और बाद में भी, 1971 में इन्दिरा मुजीब समझौता हुआ था...।

क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके,
बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करो।

श्री० जी० एम० बनातवाला : क्या मैं अगली बार अपना भाषण जारी रखूंगा ? अभी मुझे उस संशोधन के कारगर भाग पर आना है जिनको मैंने पेश किया है।

अध्यक्ष महोदय : समय समाप्त हो गया है मुझे नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करनी है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं अगली बार कुछ ही मिनटों का समय लूंगा तथा समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

---

18 जून 1980 को बागपत में एक महिला के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के बारे में चर्चा

अध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि मैं 18 जून, 1980 को एक महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार सम्बन्धी गृह मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा उठाने के लिए प्रो० मधु दण्डवते को कहूं, मैं यह बताना चाहूंगा कि चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बागपत घटना की जांच करने का आदेश दे दिया है, इसलिए संसदीय प्रक्रिया एवं परम्परा का यह एक सु-स्थापित नियम है कि न्यायाधीन मामले पर चर्चा करना ठीक नहीं है।

मैंने 2 जुलाई, 1980 को सभा में दलों तथा ग्रुपों के नेताओं एवं गृह मन्त्री से चर्चा करने के प्रश्न पर बात चीत की थी और यह निर्णय हुआ था कि बागपत घटना सम्बन्धी गृह मन्त्री महोदय के वक्तव्य के बारे में 4-7-80 को चर्चा करने की अनुमति दी जाये। तदनुसार अब चर्चा की जाती है, किन्तु मैं सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि चर्चा में भाग लेते समय वे स्वयं पर अधिक से अधिक नियन्त्रण रखें ताकि जांच की कार्यवाही के बारे में जिसका आदेश पहले ही दिया जा चुका है, कोई पूर्व धारणा पैदा न हो अथवा इस पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, इस पर मेरा आपसे एक निवेदन है। आपने कहा है यह प्रेज्युडिस ···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : डिस्कशन हो रहा है, उसको मैं नहीं रोक रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी इस नाजुक विषय पर चर्चा शुरू करते हुए मैं निश्चित रूप से उन मूल्यवान बातों का ध्यान रखूंगा जो आपने शुरू में पहले ही कह दी हैं।

18 जून को बागपत में एक महिला के साथ कथित दुर्व्यहार के, जैसा कि उन्होंने कहा है, बारे में गृह मन्त्री महोदय, द्वारा वक्तव्य दिये जाने के पश्चात, मैं इस विषय पर चर्चा उठाने का प्रस्ताव करता हूं, जिसका न केवल कानूनी, बल्कि नैतिक एवं मानवीय पहलू भी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम सभी सहमत होंगे कि सभा में दोनों पक्ष के लोग भारतीय संस्कृति के कुछ मूलभूत मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होंगे और केवल इसी संदर्भ में ही इस सभा में इस समस्या पर चर्चा की जायेगी।

केवल कुछ वर्ष पूर्व ही हमने न केवल इस देश में अपितु विश्व के विभिन्न भागों में 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' मनाया था। महिलाओं के सम्मान तथा महिलाओं के मान के श्रेष्ठ मूल्यों पर विश्व के विभिन्न भागों में पुरुषों तथा महिलाओं ने विशेष बल दिया था। अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान हुई विभिन्न रैलियों एवं सभाओं में विभिन्न संगठनों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों ने धूमधाम से यह सुनिश्चित करने का प्रण किया था कि जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों का सम्मान किया जाये तथा उन्हें कार्यान्वित किया जाये।

किन्तु वास्तव में आपने क्या देखा ? हमारे गृह मन्त्री कुछ संसद सदस्यों एवं अन्य लोगों के साथ बागपत गये। केवल वह ही बागपत नहीं गये। उससे पूर्व अनेक दल घटना स्थल पर अध्ययन करने के लिए गये। मेरे माननीय मित्र श्री राम विलास पासवान तथा कुछ संसद सदस्य वहां गये। इसके पश्चात 7 महिलाओं का दल, जिसमें इस सभा की दो महिला संसद सदस्य और दिल्ली नगर निगम के भूतपूर्व महापौर भी शामिल थे, घटना स्थल पर गये। इसके बाद गृह मंत्री महोदय 10 महिला संसद सदस्यों के साथ बागपत गये। कुछ पत्रकारों ने भी यह पता लगाने का प्रयास किया कि वास्तव में क्या घटित हुआ और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जिसे भुलाया नहीं जाना चाहिए यह है कि उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता उस स्थान पर गये··· (व्यवधान)। कुछ सदस्य उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं पर हंसना पसंद करेंगे।

एक माननीय सदस्य : वे सभी प्रकार के हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : कुछ लोग उच्चतम न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं पर लांछन लगा सकते हैं। किन्तु, मैं एक विशेष विचार धारा को मानता हूं··· (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : हम लांछन नहीं लगा रहे हैं।

प्रो० मधु दन्डवते : सभा की परम्पराओं के अनुसार, श्रीमान जी मैं आपके द्वारा गृह मन्त्री महोदय को सम्बोधित कर रहा हूं। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता भी वहां गये और उन्होंने घटना स्थल पर अध्ययन करने के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया।

श्रीमान जी, महिलाओं का स्मरण पत्र तो पहले ही आप के पास भेजा जा चुका है। वास्तव में मैंने आपसे इसे सभा पटल पर रखने की प्रार्थना की थी। किन्तु तब आप का यह मत था कि चूंकि गृह मन्त्री महोदय को पहले ही प्रार्थना की जा चुकी है, इसलिए उनके द्वारा

वक्तव्य दिये जाने की सम्भावना है और आपने कृपा करके हमें सूचित किया कि आप उस वक्तव्य तथा स्मरण पत्र को गृह मन्त्री महोदय के पास भेज देंगे, जिसका वह अच्छी प्रकार अध्ययन करेंगे, कम से कम अच्छी प्रकार अध्ययन करने में समर्थ होंगे, वह बागपत में स्थिति का अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात ही वह यहां वक्तव्य देने में समर्थ हो पायेंगे। उन्होंने सभा में वक्तव्य दिया और वह वक्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वक्तव्य में उन्होंने स्वीकार किया है वह न्यायिक जांच का एक स्पष्ट मामला बनता है और इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि इसकी न्यायिक जांच की जायेगी।

निःसन्देह, विचारार्थ विषयों का उल्लेख नहीं किया गया था। कब तक यह जांच पूरी हो जायेगी, इसका उल्लेख इस सभा में नहीं किया गया है। कितनी व्यापक यह न्यायिक जांच होगी, इस बारे में भी नहीं बताया गया है। किन्तु ये मामले विस्तृत रूप से बताने के हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह यदि वाद-विवाद फलदायक ढंग से किया जाता है, तो चर्चा की समाप्ति पर गृह मन्त्री महोदय सभा को सन्तुष्ट करने में समर्थ हो जायेंगे, कि न्यायिक जांच के विचारार्थ विषय ये हैं ; यह समय सीमा है जिसके अन्तर्गत न्यायिक जांच पूरी की जायेगी और जांच का व्यापक स्वरूप यह होगा जिसमें यह आरोप भी शामिल होगा कि श्रीमती माया त्यागी के साथ बलात्कार किया गया था, कि तीन व्यक्तियों की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी और कई इस तरह के अन्य आरोपों के बारे में बताया गया था। न केवल श्रीमती माया त्यागी के साथ बलात्कार किया गया, प्रत्युत उन्हें नंगा करके गली में घुमाया गया "(व्यवधान)। हमें कम से कम इस मामले पर तो एकमत हो जाना चाहिए।

मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के एक छोटे से अंश को उद्धृत करना चाहूंगा। गृह मन्त्री ने 2 जुलाई 1980 को दूसरे पैरे में अपने वक्तव्य में कहा :

"मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस प्रकार की घटनायें इस देश की परम्पराओं और संस्कृति पर लांछन और कलंक है जहां सदा से नारी को हक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। अतः बागपत में हुई घटना निष्कपट रूप से और बिना किसी संकोच के निन्दा करने लायक है।"

यही कुछ उन्होंने कहा था और जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने महसूस किया कि चूंकि यह एक स्पष्ट मामला बनता है, इसलिए उन्होंने वक्तव्य के अन्त में घोषणा की कि इसकी न्यायिक जांच की जायेगी। वहां गये विभिन्न दलों ने अपना स्मरण पत्र पहले ही तैयार कर लिया है। अधिवक्ताओं ने अपना स्मरण पत्र तैयार किया था। कुछ संसद सदस्यों ने, जो अन्य लोगों के साथ वहां गये थे, इस सभा में कुछ बातें कही हैं। महिला शिष्ट मंडल ने जिसमें कुछ संसद सदस्य भी शामिल थीं, भी एक स्मरण पत्र भेजा है। अधिवक्ताओं ने तथा महिलाओं के शिष्ट मंडल ने भी स्पष्ट वक्तव्य दिये हैं कि श्रीमती माया त्यागी को नंगा करके बागपत बाजार की गलियों में घुमाया गया और जब एक दुकानदार ने यह महसूस किया कि एक बहन को गलियों में नंगा घुमाया जा रहा है, उसने एक लुंगी अपनी दुकान से निकाली और उस महिला पर फेंकी,

ताकि न केवल उस एक महिला के सम्मान, प्रत्युत इस देश में नारीत्व की रक्षा हो। उसने एक लुंगी फेंकी। किन्तु पुलिस ने क्या किया ? घटना स्थल पर जाने वाले अधिकांश लोगों ने कहा है कि जब लुंगी को नंगी महिला पर फेंका गया तो उस व्यक्ति अर्थात् उस दुकानदार को, जिसने लुंगी फेंकी थी, पीटा गया। यही कुछ वहां घटित हुआ है। निस्संदेह, इसकी जांच होगी। न्यायिक जांच से विस्तृत तथ्यों का पता लगेगा। जब महिलाओं का शिष्ट मंडल गया था, उन्होंने तीन ठोस मांगें की थीं। ये मांगें अधिवक्ताओं द्वारा भी की गयी थी। ये मांगें हमारे सहयोगी संसद सदस्यों द्वारा भी की गयी थी जो बागपत गये थे। उन्होंने मांग की कि ऐसी न्यायिक जांच की जाये जिसके निश्चित विचारार्थ विषय हो। उन्होंने सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को निलम्बित करने की मांग की। एस० एच० ओ० पर मुकदमा चलाने की भी मांग की। उन्होंने मांग की कि अत्याचार करने वाले दोषी अधिकारियों के साथ कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। यही कुछ था जिसकी उन्होंने मांग की। हमें बताया गया है कि अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : एक समाचार आज प्रकाशित हुआ है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह समाचार, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। वह वक्तव्य में नहीं था।

यहां मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी हाल में एक दिन आपकी अनुमति से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान दिल्ली स्टेशन के निकट जलाशय में डूबने वाले किसी व्यक्ति के बारे में जब प्रश्न उठाया गया था, तो रेल मन्त्री ने इस सभा में खड़े होकर यह घोषणा की थी। कि सरकार ने पहले ही जांच करने का निर्णय कर लिया है और जैसा कि रेल मन्त्री महोदय, पंडित जी ने घोषणा की कि सम्बन्धित व्यक्तियों को निलम्बित कर दिया गया है ताकि जांच निष्पक्ष हो और वे लोग तभी तक निलम्बित रहेंगे जब तक जांच के अन्तिम निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो जाते। किन्तु यहां समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को बागपत से स्थानांतरित कर दिया गया है। न्याय हो और न्यायिक जांच समुचित ढंग से हो, इसके लिए परम्पराएं यह मांग करती हैं कि सम्बन्धित अधिकारियों को अवश्य ही निलम्बित किया जाना चाहिएं। किन्तु इस मामले में सम्बन्धित अधिकारियों को निलंबित नहीं किया गया है, उन्हें केवल स्थानान्तरित कर दिया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसे विभिन्न समाचार पत्रों में उठाया गया था परन्तु दुर्भाग्यवश उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

इस वक्तव्य का एक और पहलू भी है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका न्यायिक जांच के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है.....।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में कहने का प्रयास करिये।

प्रो० मधु दण्डवते : एक ऐसे अत्याचार पूर्ण अपराध को किस प्रकार संक्षेप में शीघ्रता से बताया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों को भी बोलना है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अधिक समय नहीं लूंगा । मुझे आशा है कि सदस्य आप से प्रार्थना करेंगे कि मुझे कुछ समय और दिया जाये क्योंकि मै इस मामले को पक्षपात पूर्ण ढंग से नहीं उठा रहा हूं । हम सभी की रुचि देश की संस्कृति में, देश के सम्मान में, देश की महिलाओं की प्रतिष्ठा में है ।

दुर्भाग्यवश गृहमन्त्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी है जिसके बारे में उन्होंने कहा है : पैरा (3) में गृहमन्त्री महोदय ने बताया है :

'तथापि मैं सभी से अपील करूंगा कि इस घटना का प्रयोग किसी व्यक्ति या दल द्वारा किसी राजनीतिक लाभ के लिए न किया जाए क्योंकि हमें सन्देह है कि इस घटना ने एक राजनीतिक मोड़ ले लिया है तथा कुछ तत्वों द्वारा उन उद्देश्यों के लिए इसका फायदा उठाया जा रहा है जिसका किसी भी तरह नारी के सम्मान की रक्षा करने के मुख्य प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है ।" श्रीमान गृहमन्त्री ने राजनीतिक दलों पर आक्षेप लगाया है । मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के जो छः एडवोकेट तथा महिला मंडल बागपत गये थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण पहलु पर प्रकाश डाला है ।

"गृहमन्त्री वहां स्थल पर जांच करने गये । बागपत बाजार में बहुत से दुकानदार तथा जनता के विभिन्न वर्गों के लोग एकत्र हुए थे, परन्तु वह उस स्थान पर नहीं गये ।' मैं अपनी बात अपने शब्दों में न कहकर उन छह एडवोकेटों के शब्द ही उद्धृत करना चाहूंगा । गृहमन्त्री श्री जैलसिंह के नेतृत्व में वहां गये संसदीय प्रतिनिधि मंडल का हवाला देते हुए इन वकीलों ने बताया है :

"स्थानीय प्रशासन ने इस प्रतिनिधि मंडल के लिए एक विशेष स्थान का प्रबन्ध किया वह बागपत बाजार नहीं गये । वह सहकारी चीनी मिल के विश्राम गृह गये । वहां पर बहुत से लोगों को बुलाया गया । वहां पर दलीय वातावरण था ।" रिपोर्ट में यही कहा गया है ।

इस प्रकार उन्होंने अनौपचारिक ढंग से जांच करने का प्रयास किया । उन्होंने घटना स्थल पर जाये बिना ही स्थल पर जांच करने की चेष्टा की । वहां पर भारी संख्या में लोग थे । श्रीमान, मराठी में एक नाटक है जिसमें बड़ी रोचक टिप्पणी की गई है । टिप्पणी इस प्रकार है :

आग रामेश्वरी बंबसोमेश्वरी इसका अर्थ है :

आग रामेश्वरम में लगी है, और अग्नि शमक सोमेश्वरम आता है । इस जांच के बारे में वस्तुस्थिति यही है—कि दुर्घटना एक स्थल पर हुई । कुछ दुकानदारों को इसलिए पीटा गया । क्योंकि उन्होंने महिला की आबरू बचाने की चेष्टा की और इससे भी दुर्भाग्य पूर्ण बात यह है ।

कि वह घटना स्थल पर तो नहीं गये परन्तु अन्य स्थलों पर घूमते रहे । इन एडवोकेटों ने एक और निष्कर्ष भी निकला है । उनका कहना है :

"सभी पक्षों ने अपने मत व्यक्त किये परन्तु पुलिस का बचाव करने का स्पष्ट रूप से प्रयास किया गया इसी प्रकार इसे दो राजनैतिक दलों के बीच झगड़े का रूप देने का भी प्रयास किया गया ।"

एडवोकेटों ने यही बात कही है ।

श्री एम० रामगोपाल रेडडी : अत्यन्त अशोभनीय है ।

प्रो० मधु दंडवते : यह अत्यन्त अशोभनीय हो सकता है । मैं वहां गये अधिवक्ताओं के अनुभव बता रहा हूं···· (**व्यवधान**) ।

श्री गुलाम नबी आजाद (बारहाम) : हम उच्चतम न्यायालय के एडवोकेटों के नाम जानना चाहते हैं··· (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : वे किसी को रेफर कर सकते हैं । आप व्यवधान क्यों पैदा करते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : अब तक यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मैं टिप्पणी देने में किसी से दबूंगा नहीं । मैं एक सीमित रूप में टिप्पणी कर रहा हूं परन्तु मैं दबूंगा नहीं (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री को संबोधित कर रहा हूं ।

एक और महत्वपूर्ण पहलु है···

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारामागाओ) : हम एडवोकेटों के नाम जानना चाहते हैं । क्या आप कृपया बताएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : नामों से क्या बनता है ? वह किसी का भी उल्लेख कर सकते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : केवल अध्यक्ष महोदय ही मुझे नाम बताने का निदेश दे सकते हैं । मैं सभा में एकमात्र अध्यक्ष के निदेश को ही मानता हूं । यदि आप मुझे निर्देश देंगे तो मैं नाम बतादूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : नामों में क्या रखा है वह किसी का भी उल्लेख कर सकते हैं ।

प्रो मधु दंडवते : मामला यहां लाया गया था, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से गृह मंत्री द्वारा स्थल पर अध्ययन से पहले ही एक माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें कहीं तथा उसे एक अन्य सदस्य ने उद्धृत किया । इसी सभा में कहा गया था कि श्रीमती माया त्यागी ही, जिसको नंगा किया गया तथा पुलिस द्वारा जिसका बलात्कार किया गया, एक डाकू थी । यह बात कही गयी थी ।

श्रीमान, यदि आप वाद-विवाद को पढ़ें —यह अधिकृत लोक सभा का वाद-विवाद है— पृष्ठ 8575, उसमें कुछ (व्यवधान) भी हैं। परन्तु श्री एडुआर्डो फैलीरो ने कहा था।

'सभापति महोदय, माननीय सदस्य एक अत्यन्त गम्भीर आरोप लगा रहे हैं कि संबद्ध महिला एक डाकू हैं।" (व्यवधान)।

श्री मूलचन्द डागा (पानी) : अध्यक्ष महोदय, यदि नियम 194 के अधीन वह एक घंटा ले लेते हैं तो अन्य वक्ताओं का क्या बनेगा ?

फिर भी उस भाषण को दोहराया नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस बारे में नियम अति स्पष्ट है। नियम 194 के अधीन सभी कार्य एक घंटे में पूरा किया जाना चाहिए। यदि वह आधा घण्टा ले लेते है तो अन्य वक्ताओं का क्या बनेगा ? (व्यवधान)।

कृपया नियम 194 को देखें (व्यवधान)।

प्रो० मधु दंडवटे : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं चैम्बर में आप से मिला था तथा मैंने आपको बताया था कि नियम 193 के अन्तर्गत समय पर्याप्त नहीं मिल पायेगा। आपने स्वयं ही कहा था कि आप समय बढ़वा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दे रहा हूं। आप जारी रखें।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमान, श्री फैलोरा ने कहा था :

"सभापति महोदय, माननीय सदस्य एक अत्यन्त गम्भीर आरोप लगा रहे हैं कि सम्बद्ध महिला एक डाकू है। उस पर एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा था :

"कि यदि वह महिला डाकू है तो क्या उसके साथ बलात्कार किया जाना चाहिए।"

श्री एडुआर्डो फैलीरो : वह क्या कर रहे हैं। वह इसे क्यों उद्धृत कर रहे हैं कि उक्त महिला डाकू है ? (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : श्री फैलीरो यह कोई तरीका नहीं है। आप व्यवधान क्यों डालते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं वही बता रहा था जोकि वाद-विवाद में कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप जारी रखें।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं गृह मंत्री महोदय से एक साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि यह सिद्ध करना है कि श्रीमती माया त्यागी किस प्रकार की महिला है, तो मैं एक प्रश्न पूछना

चाहूंगा। यदि किसी महिला को हत्या के आरोप में जेल भेजा गया हो तो क्या जेल के अधीक्षक को यह जेल के भीतर उसके साथ बलात्कार करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य नहीं है। गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है। उनका यह अभिप्राय नहीं था।

प्रो० मधु दंडवते : मैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि यह···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। उन्हें अपना समय लेने दें। आपको अपना समय मिल जायेगा। आप सबको इस सभा के माननीय सदस्य की तरह व्यवहार करना चाहिए। मैं आपको अवसर दूंगा, आप अपने विचार रख सकेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने सभा की कार्यवाही का उल्लेख किया था। यह समाचार पत्रों में छपा है तथा कुछ लोग आरोप लगाते रहे हैं कि वह महिला डाकू है। मेरा कथन यह है कि यदि वह डाकू भी हैं तो भी पुलिस अधिकारी को अधिकार यह नहीं है कि वह उसके साथ बलात्कार करे। मैं यही बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें यह कहने की स्वतन्त्रता है। जांच से ही सही बात प्रकट होगी। अब आप समाप्त करें।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अकेले वक्ता नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : आप अध्यक्ष हैं। मैं अध्यक्ष नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : उस अर्थ में नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान, अन्त में मैं यह बताना चाहूंगा कि हम बागपत तथा अन्य स्थानों में हुए अत्याचारों का विरोध करते हैं।

आज बहुत से महिला संगठनों ने अपने राजनीतिक सम्बन्धों का ध्यान रखे बिना संसद के बाहर निःसन्देह धारा 144 की सीमा के बाहर एक धरने का प्रबन्ध किया है। संसद भवन के भीतर तथा संसद भवन के बाहर सैकड़ों महिलाएं एकत्र हुई हैं तथा उनका सम्बन्ध विभिन्न राजनीतिक संगठनों से है अथवा किसी भी राजनीतिक संगठन से नहीं है। वे संस्थाएं हैं:—

1. महिला दक्षता समिति।

2. भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय फेडरेशन।

3. जनवादी महिला समिति ।

4. ऐक्शन इण्डिया ।

5. स्त्री संघर्ष

6. मानुषी

7. नागरिक स्वतन्त्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों सम्बन्धी जन-संगठन (दिल्ली शाखा)

8. दिल्ली बाल कल्याण परिषद ।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं । दुर्भाग्य से जिस समय यह अत्याचार हुआ उस समय हममें से अधिकांश सदस्य संसद भवन में थे । श्रीमान, मैं इसे अपना दुर्भाग्य समझता हूं ।

इस सभा में वाद-विवाद आरम्भ करने के बजाय, जिस समय यह अत्याचार हुआ और महिला को नग्न किया गया उस समय मैं महिला के सम्मान की रक्षा करने के लिए बागपत में घटनास्थल पर होता और आवश्यकता पड़ने पर महिला के सम्मान की रक्षा करने में अपनी जान भी दे देता तो अच्छा होता । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : देश के अनेक भागों से पुलिस द्वारा जो महिलाओं के साथ बलात्कार के समाचार आ रहे हैं, इससे सभी सहमत होंगे कि इस तरह के कुकृत्य करने वाले पुलिस कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिये । बागपत में जो दुर्घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति न हो यह सभी सदस्य और सदन के माननीय सभी लोग चाहेंगे । और देश भी हमारा यही चाहता है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो अप्रिय घटना घटी है इसको सनसनीखेज रूप दिया जा रहा है और राजनीतिक चश्मे से इसको देखा और इसका प्रचार किया जा रहा है ।

मैं प्रमाणपत्र नहीं देना चाहती हूं लेकिन कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं । गृह मंत्री जी के साथ हम सभी पार्टी की इस सदन की महिलायें 1 जुलाई को बागपत गई थीं । वहां हमारा प्रतिनिधि मंडल गैस्ट हाउस में गया । वहां जा कर हमने देखा कि काफी लोग इकट्ठे थे । हमारे माननीय सदस्य मधु दंडवते जी ने कहा कि गृहमंत्री और हम लोग स्पाट पर नहीं गए और मैसेज करके लोगों को बुलाया गया, वहां लोगों को लाया गया । यह बात सही है कि वहां लोग आए थे लेकिन वे गृहमंत्री द्वारा लाए नहीं गए थे । बल्कि विरोधी दल के द्वारा लाये गये थे । मैं अदब से पूछना चाहती हूं कि श्री राजनारायण जी वहां थे, उनको क्या हमारे गृहमंत्री जी ने निमंत्रण दे कर बुलाया था ? वह अपने दल-बल के साथ वहां उपस्थित थे । बागपत से जिन्होंने विधान सभा के लिए अभी हाल में चुनाव लड़ा था वह भी वहां मौजूद थे और दल-बल के साथ थे । जब हम लोग वहां पहुंचे तो बाहर जोरों से नारे लगाए गए । लोग" ट्रैक्टरों में, ट्रालियों में चढ़ा कर वहां लाए गए । हम लोग इस उद्देश्य से वहां गए थे कि जो वस्तुस्थिति है उसकी हम जानकारी प्राप्त करें, ताकि जिन लोगों ने ऐसा अन्याय किया है, जिन लोगों ने गलत काम किया

है, उनको सजा दी जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वह भी दी जाएगी। लेकिन वहां पहुंचने पर जो वातावरण था वह हमें ऐसा लगा कि जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, जो राजनीतिक लाभ के लिए, पोलिटिकल गेन के लिए वहां गए थे वे नहीं चाहते थे कि सही इनक्वायरी हो और वहां पर माहौल को बहुत ही तनावपूर्ण बना दिया गया था। वातावरण में तनाव. लोग उत्तेजित और वह विरोधी दल के लोगों ने जिन्होंने सच्चाई को गलत ढंग से कहना शुरू किया, उत्तेजित भाषा उनकी थी और बड़ी तनावपूर्ण स्थिति पैदा करवा कर लोगों ने वहां कहना शुरू किया तो ऐसा लगा कि जैसे यह सच्ची बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि पोलिटिकल स्पीचेज देने लग रहे हैं।

जब मैंने उनसे कहा कि आप इन्सीडेंट के बारे में बतायें कि घटना क्या घटी ? आप घटनास्थल पर थे कि नहीं ? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बाद में पहुंचा था।

मैं और जो हमारी बहिनें गई थीं साथ में, हमारे उस पक्ष की भी सदस्याएं थीं, सब ने इच्छा जाहिर की कि माया त्यागी से मिलना चाहते हैं। कहा गया कि माया त्यागी यहां नहीं है, गांव में है। हमने कहा कि तो उनके गांव में जाकर उनसे मिलेंगे, वहां जाकर उनसे बातें सुनेंगे, तब कहा गया कि उनको दिल्ली ले जाया गया है। मैं भी मिलना चाहती थी और हमारे और भी साथी मिलना चाहते थे। लेकिन अभी दो दिन पहले जब हमने अपनी इच्छा व्यक्त की तो मुझे मालूम हुआ कि वह जनता पार्टी के कार्यालय में हैं। हमने कहा कि उनको यहां यदि लाया जाये तो हम सारी महिलाएं उनसे बात कर सकते हैं। यदि इसको राजनीति रंग नहीं दिया जा रहा है तो वह जनता पार्टी के दफ्तर में क्यों हैं ? उनको हम लोगों से भी मिलना चाहिये, हम लोग भी उनके दुःख दर्द को सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूं कि लोकदल के श्री जगतसिंह ने भी लम्बा-चौड़ा वहां पर भाषण दिया और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप घटनास्थल पर थे, तो उन्होंने साफ इन्कार किया और कहा कि मैं वहां पर नहीं था।

एक अपने को, जो जसवीर सिंह हैं, या जगवीर सिंह हैं, कहते थे कि मैं माया त्यागी का वकील हूं। मैं उनको माया त्यागी का वकील नहीं मानती हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने भी ऐसी तकरीर की, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने सब कुछ अपनी आखों से देखा है। जब 15 मिनट तक वह बोलते रहे और होहल्ला होता रहा तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप वहां उपस्थित थे ? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बस-स्टैंड पर था और वहां पर लोगों ने कहा कि एक महिला को मारा गया है और डकैत जैसी है जिसके साथ ऐसी घटना घटी है और 3 पुरुषों को मार जाने दिया गया। वह खुद वहां पर नहीं थे लेकिन उन्होंने इस तरह की बात की।

एक विजेन्द्र सिंह और दूसरे जो उनके साथी थे, वह जयप्रकाश तोमर थे, जब मैंने उन लोगों से कहा कि क्या बात थी, आप बताइये और मैंने कहा कि क्या ऐसा संभव है कि जहां आप बता रहे हैं कि 3, 4 हजार की भीड़ थी और वहां एक महिला को निर्वस्त्र कर लिया जाये, क्या वहां पुलिस नहीं थी ? उन्होंने कहा कि पुलिस थी, 2, 3 पुलिस वाले थे और 2 अफसर थे। मैंने कहा कि क्या भारतवासियों का खून इतना ठंडा हो गया है कि 3, 4, हजार लोग वहां इकट्ठे हैं और एक महिला को निर्वस्त्र कर वहां से ले जाया जाये, और वह मूक-द्रष्टा होकर देख

रहे हैं, क्यों नहीं उन्होंने पुलिस को ऐसा काम करने से रोका ? उनके पास इन बातों का समुचित उत्तर नहीं था।

एक हास्यास्पद बात यह हुई, जो हमारे साथ हमारी बहिनें थी संसद सदस्य उनके सामने भी एक दो महिलाएं आई हुई थीं और उनमें से एक पूर्णिमा रस्तोगी थीं। उन्होंने सब के सामने बयान दिया कि हम वकील हैं। मैंने और हमारी सहेलियों ने पूछा कि आप कब से वकालत करती हैं ? उन्होंने कहा कि एक साल से वकालत करती हूं और वह भी इतना लम्बा-चौड़ा भाषण देने लगीं, लेकिन ऐसा लगा कि वह बीच-बीच में कुछ-कुछ भूल जाती थीं और उनको प्राम्पट किया जा रहा था। हमने विचार किया कि यह महिला हैं, क्यों नहीं हम इनको अलग कमरे में ले जायें। उसी कमरे में हमारी महिला सदस्याएं भी थीं, हम भी वहां थे और साथ में और जो वहां से 4, 5 औरतें आई थीं, हम सब बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि आप सच्ची बात बताइये, आप क्या करती हैं ? उन्होंने कहा कि मैं एल० एल० बी० की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूं मेरठ यूनिवर्सिटी की। हमने कहा कि वहां पर क्या वकालत करती हैं ? उन्होंने कहा कि एल० एल० बी० की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूं और मेरे पति वकालत करते हैं। मैंने उनसे कहा कि यदि पति वकालत करते हैं तो आप तो वकील नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उनके साथ प्रैक्टिस करती हूं मैंने कहा कि यदि कोई डाक्टर है और उनकी पत्नी अगर डाक्टर नहीं है तो वह तो नहीं कह सकती हैं कि मैं सब का इलाज करूंगी, वह तो प्रैक्टिस नहीं कर सकती हैं। (व्यवधान)।

आप भी हमारे साथ थीं, अब यहां न बोलिये तो बात दूसरी है। श्रीमती गीता मुखर्जी भी साथ थीं, और श्रीमती कनक मुखर्जी भी साथ थीं, अब यहां न बोलें तो दूसरी बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि जब मैंने उनसे कहा कि यहां ऐसा नहीं हो सकता है, आपने इस तरह की गलत बात क्यों की, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कहा गया कहने के लिये। आप ही बताइये, वहां पर जो और भी महिलाएं थीं, मैंने सब के नाम लिखे हैं, मेरे पास सबके सबूत हैं, जो महिलाएं आई थीं। उन लोगों ने कहा कि हमने लड़की को निर्वस्त्र नहीं देखा। दोनों पक्षों की बातें सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि वह निर्वस्त्र थी, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी।

एक बात यह भी थी कि जो घटना स्थल के द्रष्टा थे, उन्हें बोलने नहीं दिया गया। जो दो चार लोग वहां आये थे और सही बात कहना चाहते थे, उनके बारे में कहा गया कि वे कांग्रेस (आई) के दलाल हैं और उन्हें बात करने से रोक दिया गया।

अभी श्री मधु दण्डवते ने हमारे देश की परम्पराओं की बात कही है। यह सही है कि हमारा देश परम्पराओं का देश है। हमारी सांस्कृतिक परम्परा है कि जिस घर में महिलायें होती है, उनकी पूजा होती है, हमारे यहां कहा जाता है कि जहां महिलाओं की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन समाज में कुछ लोग मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं, जिसके कारण वे ऐसे जघन्य कुकृत्य करते हैं। इसमें केवल प्रशासन का

दोष नहीं है। हमारे समाज में कुछ लोग महिलाओं को ऐसी नजर से देखते आए हैं. जिसके कारण ऐसी घटनाएं होती हैं।

मैंने जब उन महिलाओं को समझाया, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों पर बहुत दबाव डाला गया है, हम लोग स्वयं नहीं आई हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा है, वहां पर लोगों को ट्रेक्टरों और ट्रैलरों पर लाया गया था। माननीय सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की बात कही है, जो दिल्ली से वहां गए। सब लोगों को एक बात की जानकारी थी कि गृह मन्त्री वहां आ रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, जिसे यह बात पता न हो। लेकिन फिर भी माया त्यागी को वहां नहीं रखा गया। मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूं कि क्यों नहीं रखा गया।

मैं समझती हूं कि जो लोग अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घटनाओं को राजनैतिक रंग देना चाहते हैं, वे पीड़ित महिलाओं के प्रति न्याय नहीं करते हैं, बल्कि अपने राजनैतिक स्वार्थ पर उनकी बलि चढ़ाते हैं। जब नारायणपुर में ऐसी घटना घटी थी, तो माननीय सदस्य, श्री जार्ज फर्नान्डीस, ने कहा था कि यह तो इन्दिरा गांधी का स्टन्ट है। मैं पूछना चाहती हूं कि यह जो बागपत का कांड हुआ है, क्या यह भी उनका और उनके साथियों का राजनैतिक स्टन्ट है। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार की घटना बेलछी में हुई, दिल्लों में ओखला के नजदीक हुई, यहां पर गीता-कांड हुआ, सहरसा और भोजपुर में हुई, नारायणपुर में हुई, जहां सैकड़ों महिलाओं पर अत्याचार किये गये। बागपत की घटना उसी की एक कड़ी है। (व्यवधान) हमारी सरकार ने विरोधी दल की सदस्याओं को भी नारायणपुर जाने के लिए मनोनीत किया था। जब हम लोग वहां गये, तो उन्हें भी निमन्त्रण दिया, लेकिन वे नहीं आई। जब हम ट्रेन में थे, तो हम इस प्रतीक्षा में थे कि सही वस्तु-स्थिति का ज्ञान करने के लिए वे आएंगी, लेकिन वे नहीं आई। क्या उस समय उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया था ? क्या उन्हें उस वक्त इन बातों का एहसास नहीं था ? आज माया त्यागी को लेकर जो इतना शोर हो रहा है, वह राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से हो रहा है।

मैं यह नहीं कहती कि यह घटना हुई ही नहीं है। लेकिन सही स्थिति की जानकारी तभी हो सकती थी, जबकि इस घटना पर राजनैतिक आवरण न डाला जाता। जब इस पर राजनैतिक आवरण डाल दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं होगी।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे लोग नहीं चाहते कि सही ढंग से न्यायिक जांच हो। वे तो राजनैतिक गेन के लिए बवंडर खड़ा करना चाहते हैं। सभों लोग यह मानते हैं कि **रेप इज वर्स देन मर्डर**। अगर हम इस घटना को इस दृष्टि से देखें कि एक महिला के प्रति अन्याय हुआ है, तो मैं समझती हूं कि हम महिलाओं की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कुछ कर सकेंगे। इस तरह के प्रचार और ज्ञापनों के द्वारा ऐसी घटनाओं का निराकरण नहीं हो सकता है।

मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को बधाई देती हूं और धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने न्यायिक जांच के लिए आदेश दिया है।

हमारी प्रधान मन्त्री ने राज्य सभा में कहा है, एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने आश्वासन दिया है और कहा है कि ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो इस तरह का अन्याय करते हैं, जो इस तरह के दुराचारी पुलिस-कर्मी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो इस बात में हम लोग किसी से पीछे कहां हैं कि सही स्थिति को न जाना जाय ? प्रधान मन्त्री स्वयं इसके लिए परेशान हैं और चिन्तित हैं, और चिन्ता उन्होंने व्यक्त की है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करना चाहती हूं कि ऐसी जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको राजनैतिक रंग न दें। इस तरह से वे समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी महिला सदस्याओं से भी निवेदन करना चाहती हूं कि उन्होंने वस्तुस्थिति को देखा है, समझा है, ऐसी स्थिति में जो बात आएगी इस तरह का राजनैतिक रंग देने के बाद, उससे आप वस्तुस्थिति को जान ही नहीं पाएंगी। इस तरह से आपने अपने पक्ष को और भी कमजोर किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहती हूं कि वस्तुस्थिति को देखिए, इसका निराकरण समाज का दृष्टिकोण बदलने से होगा। विधि आयोग की अनुशंसा इस सम्बन्ध में आई है, मैं अपने विधि मन्त्री और गृहमन्त्री से निवेदन करूंगी कि उसको हम लोग शीघ्र से शीघ्र अपनाएं और उसको लागू किया जाय।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग जिस विषय पर बहस कर रहे हैं वह बहुत ही गम्भीर विषय है और दोनों पक्ष के लोग यह कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक कलर न दिया जाए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक कलर इसको कौन दे रहा है आप पढ़िए 23 तारीख के अखबार को। हम लोग 25 तारीख को बागपत गए थे। आप पढ़िए 23 तारीख के अखबार को जिस दिन संजय गांधी के बारे में दुखःद समाचार आया था, उसमें एक स्पेशल बुलेटिन निकला था कि कांग्रेस आई० के एक एम० एल० ए०, त्यागी ने जूडिशियल एन्क्वायरी की मांग की है। उन्होंने कहा था कि यह बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। इसके बाद तमाम पोलिटिकल पार्टीज के लोगों ने मांग की। पता नहीं त्यागी की क्या दुर्गति होगी पार्टी के अन्दर। तो मैं कहता हूं कि राजनीतिक कलर कहीं नहीं था। हम लोग तब गए थे जब तमाम पोलिटिकल पार्टीज के लोगों का रिऐक्शन निकलना शुरू हुआ। तब हम लोग यहां से बागपत गए। मैं गृहमन्त्री से भी मिला था जिस दिन वह जा रहे थे और उन्होंने स्वयं हम लोगों से कहा कि जिस ढंग से उस लड़की के साथ व्यवहार किया गया, मैंने उस लड़की को देखा है, हमारे नजदीक में वह लड़की आई है तो देखने से, बोलने-चालने से, मैं निश्चित दावे से कह सकता हूं कि वह अच्छी लड़की है, भली लड़की है। यह एक मन्त्री ने कहा, हमने जब रेप के मामले में कहा तो मन्त्री जी ने कहा कि रेप उसके साथ हुआ हो या नहीं हुआ लेकिन जैसी उसके साथ घटना घटी है, जिस तरह से उसे नंगी करके उसके गुप्तांग में लाठी को ढकेला गया है, यह भारत की मर्यादा के लिए एक शर्मनाक बात है। यह रेप से भी ज्यादा खतरनाक चीज है।

आप कहते है कि हम लोग राजनीतिक रंग दे रहे हैं···(व्यवधान)···आप पुलिस की तरफ से बोल रहे हैं इसका मतलब है कि कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में आपके दिमाग में

प्रेजुडिस है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी बात यहां चले तो उसे गम्भीरता से लेना चाहिए। मैंने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि आपका इसमें हाथ है। लेकिन जिस तरीके से आप डिफेंड कर रहे हैं, दर्शक-दीर्घा में लोग बैठे हुए हैं, प्रेस के लोग बैठे हुए हैं, जिस तरीके से आप एकतरफा पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं, उससे लगता है कि आपके दिमाग में कहीं प्रेजुडिस है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको राजनीतिक भावना से नहीं लेना चाहिए।

हम लोग जब बागपत में गए, हम लोगों ने सबसे मिलने की कोशिश की और जो रिपोर्ट हम लोगों के सामने प्रकाश में आई, मैं कहता हूं कि भरे दिन-दहाड़े कोई डकैती करता है और यदि कोई डकैती करने के लिए आएगा तो वह अपनी गाड़ी के चक्के को पक्चर ठीक करने के लिए देगा ? वहां वह आया है और आने के बाद जब वह बाजार चला गया है, त्यागी की पत्नी माया त्यागी गाड़ी में बैठी हुई थी, वहां पुलिस कांस्टेबिल या दीवान आता है सादे वेष में और उस लड़की की पीठ पर ठोकर मार कर कहता है कि यह ट्रैक्टर चलेगी ? जब उसने ऐसा कहा तो उस लड़की ने प्रतिरोध किया लेकिन आज कल की पुलिस की टेंडेंसी जैसी है, वह कहीं प्रतिरोध सुन सकती है ? उसके बाद हो-हल्ला होता है, उसके परिवार के लोग आते हैं। आने के बाद जब वह मार खा जाता है तब उसके बाद वह जाता है हल्ला करते हुए थाने में कि डकैत आए हैं और बैंक लूट रहे हैं।

हमने बैंक वालों से भी पूछा कि कोई लूटने के लिए आये थे तो उन्होंने कहा नहीं। कहीं पर बैंक लूटा जा रहा हो तो स्वाभाविक है, पुलिस दौड़ेगी। सी०आर०पी० पुलिस आती है और गोली चलाना शुरू कर देती है और मंत्री महोदय बतलायेंगे कि गोली पीठ में लगी है। छाती में लगी है। जब एन्काउंटर होगा, आमने सामने, जैसा आप कहते हैं तीन चार हजार लोग थे, उनके बीच में गोली चले, एक तरफ एक आदमी के छर्रा न लगे और एक तरफ तीन आदमी मर जायें, दो आदमियों के गोली लगी और वहीं मर गए, तीसरे के पांव में गोली लगी। वह आदमी कह रहा था मेरी बात सुन लीजिए तब गोली चलाइये लेकिन पुलिस तो यह दिखलाना चाहती थी कि हम सर्वेसर्वा हैं और पब्लिक की कोई भी वैल्यू नहीं है, उन्होंने उसको मार दिया। उसके बाद लड़की को दोनों पांव पकड़ कर गाड़ी में से खींचकर निकाला जाता है। और फिर नंगा करके शहर में घुमाया जाता है। जैसा कि दण्डवते जी ने कहा अगर किसी ने उसको लुंगी देने की कोशिश की तो पुलिस के द्वारा उसकी पिटाई की गई। उसके बाद हम लोगों को कुछ लोगों ने बतलाया (व्यवधान)।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने का हकदार हूं। मंत्री ने इस सभा में कहा है कि एक न्यायिक जांच शुरू की गयी है जिसका अर्थ यह है कि मामला किसी न किसी रूप में निर्णयाधीन है। मेरे मित्र कहते आ रहे हैं कि "ऐसा नहीं हो सकता-उन्होंने पीछे से गोली मारी है। दिन-दिहाड़े डकैती नहीं हो सकती।" यह न्यायिक जांच के लिए आर्हतकार हैं। आप एक गलत पूर्वोदहारण स्थापित करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : मैं फैक्ट्स बता रहा हूं जोकि सामने आये हैं। यह सारी बातें अखबार में आ चुकी है।

उसके बाद हम लोगों ने लोगों से पूछना शुरू किया। एक डाक्टर है, उनके पास हम गए। जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो मालूम हुआ। जैसे गुण्डों का कोई आर्म्ड गैंग आ गया हो और वह उस मकान को तोड़ देगा। डाक्टर ने कहा कि यह एम० एच० ओ० के भेजे हुए आदमी हैं। हमने कहा डरिए नहीं, हमारा सिर टूटेगा, कोई बात नहीं। उसने कहा आपके जाने के बाद हमारा होगा क्या ? उसके बाद हम बाहर आये और कहा यह क्या मजाक हो रहा है। वहां पुलिस खड़ी थी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं जो पुलिस गोली चला सकती है क्या वह पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। पुलिस कहती है कि पब्लिक ने नंगा किया तो जो पुलिस गोली चला सकती है वह पब्लिक को रोक नहीं सकती है। जहां गोली चल रही हो क्या वहां पर पब्लिक खड़ी रहती है ? जब गोली चल रही हो तो पब्लिक अपने घर में चली जाती है। इसलिए जो वस्तुस्थिति है उससे हमको मुकरना नहीं चाहिए। उस दिन मैंने कहा था, जब गृह मन्त्री जी जा रहे थे, कि जिस ढंग से आप जा रहे हैं इसमें आप इंक्वायरी नहीं कर पायेंगे। जैसा कि दण्डवते जी ने कहा जिस दिन मन्त्री जी गए उस दिन 4-5 हजार सिपाहियों को सादी ड्रेस में और वर्दी में रखा गया था अफसरों के द्वारा ताकि उनको मिलने न दिया जाए। मंत्री जी को गेस्ट हाउस में रखा गया और वहां सारे के सारे लोग लाये गए। एक से वे मिल पाये, शायद राजनारायण जी आ गए थे इसलिए। गृह मन्त्री जी ने कबूल किया है कि जिस ढंग से इंक्वायरी की गयी है उस ढंग से जो हकीकत सामने आनी चाहिए वह नहीं आ सकती है।

मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं जब भारत की सरकार कंविस्ड है, इस बात को मानती है बल्कि दोनों पक्ष मानते हैं कि उस लड़की को नंगा किया गया, उनको घुमाया गया, बेइज्जत किया गया, अब किसने नंगा किया और क्यों नंगा किया, यह दूसरी बात है लेकिन इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो पुलिस जिम्मेदार है। क्यों नंगा होने दिया या क्यों पुलिस ने नंगा किया ? यदि पुलिस नंगा करती है तो भी पुलिस जिम्मेदार हैं और पुलिस के सामने नंगा किया जाता है तो भी पुलिस जिम्मेदार है। इसलिये यह सरकार इस जवाबदेही से अपने को बचा नहीं सकती है। कहीं कोई घटना घट जाय, चाहे वह नारायण पुर का काण्ड हो या और कोई काण्ड हो, अगर दूसरी जगह कोई गलत काम हो जाय, तो क्या यहां पर भी वही गलत काम करवायेंगे ? अगर दूसरी जगह कहीं गलत काम हो जाय, तो यहां पर भी वही काम करें, तो एक कीचड़ से दूसरी कीचड़ को धोया नहीं जा सकता है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा—गृह मंत्री भारत का स्वराष्ट्र मंत्री होता है, यदि वे इस बात से कन्विन्सड हैं कि महिला के साथ इस तरह की दुर्गति की गई है, यह महिला भी इनसे आकर मिली है, इसलिए यदि वे कन्विन्सड हैं तो इस तो इस शर्मनाक घटना की जितनी भी निन्दा की जाय, वह कम है।

मैं आप से कहना चाहता हूं, आप की सरकार दिल्ली में है, आप की सरकार उत्तर प्रदेश में है और आप केवल यह कहते हैं कि शर्मनाक घटना घटी है। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है

कि हम सिर्फ उसका ट्रांस्फर कर सकते हैं। ट्रांस्फर क्या कोई पनिशमेंट है, क्या स्थानान्तरण कोई पनिशमेंट है ? कोई पनिशमेंट नहीं है। जिस एस० एच० ओ० ने किया है, उसका तो अभी तक ट्रांस्फर भी नहीं किया गया है।

अध्यक्ष जी, जैसी मुझे को जानकारी मिली हैं, इन्होंने इस काम पर सी० आई० डी० बहाल की थी और सी० आई० डी० की रिपार्ट भी इनके पास आ गई है कि उस लड़की के साथ बुरा व्यवहार किया गया था। उसके अनुसार पुलिस को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिये, यह पुलिस की ज्यादती थी इस बात को सी० आई० डी० ने भी कहा है। सी० आई० डी० की रिपोर्ट आ गई है .....।

अध्यक्ष महोदय : अब खत्म कीजिये। आपको कैसे पता है ?

श्री रामविलास पासवान : इस सदन में रक्षा मंत्रालय की भी गोपनीय चीज खोली जाती है, लेकिन यह कैसे मालूम हुआ है—किसी सदस्य से पूछा नही जाता है। इसलिए मुझे जो जानकारी मिली है, वह गलत भी हो सकती है, इस को गृह मंत्री जी बतलाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि आप ने जुडीशियल एन्क्वायरी के आदेश दे दिए हैं और सी० आई० डी० की रिपोर्ट आ गई है और सी० आई० डी० ने माना है कि उसके साथ जुल्म किया गया है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि सी० आई० डी० की रिपोर्ट पर काम कीजिये और वहां के पुलिस अधिकारी को सस्पेण्ड कीजिये। वहां के एस० पी० को भी जानकारी थी और उसका भी इसमें इन्डायरेक्ट हाथ था। एक तरफ एस० पी० को प्रेस कान्फ्रेंस हो रही है और आप कहते हैं कि यह जुडीशियल मैटर है। अगर जुडीशियल मैटर है तो डी० एम० और आई० जी० यह कैसे कहते हैं कि वह डकैत था॥ इसलिए मैं आपको कहता हूं कि वहां के लोकल पुलिस अधिकरी को सस्पेण्ड कीजिये, एस०पी० को सस्पेण्ड कीजिए, आई० जी० को ट्रांस्फर कीजिए और उन लोगों के खिलाफ रेप का बलात्कार का मुकद्दमा चला कर जेल में बन्द कीजिए, तब आप की इज्जत बचेगी और देश की भी इज्जत बचेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : बागपत घटना के तथ्य सभा के सामने रखने से पहले मैं अपने विपक्ष के सहयोगियों को चुनौती देना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं यहां बोलूंगा, वह सब सच बोलूंगा और राजनैतिक हित से प्रेरित होकर नहीं बोलूंगा। यह घटना 18 तारीख को 12 बजकर 20 मिनट पर हुई। इसके लिए मैं चार दिनों तक बागपत में काम करता रहा, जिसके लिये मैंने सरकार की अनुमति नहीं ली और न ही किसी प्रतिनिधि मंडल के साथ गया मैं आम आदमी के पास गया और उनके विचार पूछे। यह घटना 12 बजकर 20 मिनट पर यू० पी० जी० 6005 नम्बर की सफेद एम्बेसडर कार जो बागपत् चौक पर रुकी, में हुई। इसमें एक महिला सहित सात व्यक्ति थे। उन्होंने गाड़ी रोकी और बागपत चौक के बहुत नजदीक वाले एक खोंचे वाले से तीन गिलास मांगे उसमें ह्विस्की और बीयर की बोतलें थीं। इन्हें घटना के बाद भी देखा गया और टूटी हुई बोतलें अब भी कार

में हैं। गिलास दिये जाने पर उन्होंने दो गिलास शराब के लेकर पिये यह सच है कि गोली उनके बीच चली, पुलिस के बीच नहीं। जब गोली चलनी शुरू हुई ..(व्यवधान) तो श्री ईश्वर त्यागी ने दो गोलियां चलायीं ··(व्यवधान) · दो गोलियों के चलाये जाने पर इन सात में से दो व्यक्ति तातरी की ओर दौड़ते हुये देखे गये और वे वहां से भाग गये। गोली चलते ही रिक्शा में पुलिस स्टेशन जाने वाले एक सिपाही को रोका गया। उसने ईश्वर त्यागी को पहचाना। ईश्वर त्यागी उस क्षेत्र का मशहूर डाकू है। यदि किसी को संदेह है तो मैं उन्हें वह सूची दिखा सकता हूं। जिसमें विभिन्न पुलिस स्टेशन में उसके विरुद्ध दर्ज मामलों का उल्लेख है। आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं। यह बात सच है कि उन्हें विक्रय कर अथवा आयकर के मामलों में उनकी पूछ नहीं हुई है। हत्या तथा डकैती के मामलों में उनकी तलाश हो रही है। जब गोली चली · (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : इन्हें बोलने दीजिये। आप क्यों बोल रहे ? (व्यवधान)।

श्री राजेश पाइलट : उस सिपाही ने ईश्वर त्यागी के पास जाकर पूछा कि क्या हुआ ? वह उस पर जोर से चिल्लाया। सिपाही पुलिस स्टेशन गया। वहां से दो सहायक उप निरीक्षकों और चार कान्सटेबलों को अपने साथ लाया। वे मौके पर पहुंचे। कार में बैठने वाले लोगों से बात करने के बाद, पुलिस के लोगों ने पहचान कर देखा कि उनके बीच ईश्वर त्यागी तथा सुरेन्द्रसिंह भी हैं। ईश्वर त्यागी की बुलन्दशहर तथा अन्य स्थानों पर कई मामलों में जरूरत है। फिर शोर-शराबा शुरू हुआ तथा गोलियां चलनी शुरू हुई। इस गोलिकांड के दौरान तीन व्यक्ति मारे गये। मैं इन लोगों से जानना चाहता हूं कि यदि लोग पुलिस को सहयोग न देते तो ये चार पुलिस के लोग इन तीन व्यक्तियों को कैसे मार सकते थे और कोई भी पुलिस वाला न मारा जाता, लोगों ने डाकुओं पर पत्थर फैंके ताकि वे सिपाहियों पर ठीक ढंग से गोली न चला सकें और कोई भी कांसटेबिल जख्मी नहीं हुआ और ये लोग पुलिस की गोली से मरे। (व्यवधान)।

पुलिस की गोली चलने के बाद जब ये लोग मरे तो महिला को कई लोगों ने देखा। वह कार से बाहर कारतूस फेंक रही थी। कार में गोला बारूद था। गोली चल रही थी।

श्री हरिकेश बहादुर : इसका जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

श्री राजेश पाइलट : इस महिला ने एक सूचना के आधार पर अपने पति को तलाक दिया और श्री ईश्वर त्यागी से विवाह किया। यह सच है। या झूठ, इस बात का कोई पता नहीं है। वह शंकर पुटी तथा रतनगिरि की है, जो बागपत के नजदीक है। मैंने इस बात का पता कई लोगों से किया। इसके बाद उन्होंने इस महिला का कार से ध्यान रखा और मुझे बताया गया कि इस महिला ने कार के अन्दर जो कुछ था, उसी से लोगों को मारने की कोशिश की। पुलिस के लोग जख्मी हुये। ड्राइवर लारू, जो उसका नकली नाम है, को कई नामों से पुकारा जाता है। कार किसी और नाम से दर्ज है और बीमा किसी और नाम से है। लाईसेंस

में ड्राइवर का नाम किसी और का है। और फोटो किसी और का है। जब पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा। उस समय लोग इस महिला तथा ड्राइवर को बागपत पुलिस स्टेशन बागपत चौक से डाकखाना ला रहे थे। वहां डाकघर है।

वहां 2000 लोगों की भीड़ थी। इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है, लोगों ने शिकायत की है कि भीड़ ने उसे तंग किया। लोगों ने उसकी साड़ी और कपड़े फाड़ दिये थे। वहां मेहरू नाम का एक दुकानदार है। पान की दुकान भी है, उसने उस पर तहमद फेंका। यह बात सच है कि उसके कपड़े फाड़े गये। लेकिन बागपत के किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा है कि वह नंगी थी और बिलकुल नंगी थी, मैंने इस बारे पूछताछ की थी। कोई यह नहीं कहता कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसे सड़क पर ले जाया गया। वे कहते है कि उसके शरीर के हर भाग से कपड़े फाड़े गये थे और वह बुरी स्थिति में थी। मेहरू ने अपना तहमद उस पर फेंका। फटे कपड़ों के साथ उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मैं इन मित्रों से प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या 2500 की भीड़ में किसी महिला का बलात्कार करने की सम्भावना है? भारत में ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो पुलिस स्टेशन के पास और बाहर जमा 2500 लोगों की उपस्थिति में महिला का बलात्कार कर सके। इन परिस्थितियों में कौन सा पुलिस वाला बलात्कार कर सकता है क्या किसी व्यक्ति को महिला का बलात्कार करने की हिम्मत हो सकती है? यह सिद्ध नहीं हो सका है। पुलिस को दिये गये अपने ब्यान में उसने ··(व्यवधान)।

श्री राजेश पाइलट : यह उसके गुप्तांग में घाव है, बलात्कार नहीं।

उसने आवेदन पत्र दिया है कि उसके साथ बलात्कार किया गया है।

प्रो० मधु दंडवते : लेडी डाक्टर ने उसे देखा है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती।

श्री राजेश पाइलट : कहा गया है कि 9 व्यक्तियों ने उसका बलात्कार किया है। उन्होंने नाम दिये हैं। उन्होंने बलात्कार के क्रम का भी जिक्र किया है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि एक महिला उन 9 व्यक्तियों को नहीं जानती। जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया है। कम से कम सातवीं या आठवीं बार तो उसे पता लगना ही चाहिए कि कौन आया और कौन गया है। उसने उन व्यक्तियों का नाम दिया है जिन्होंने बारी-बारी से सर्व प्रथम और उसके बाद बलात्कार किया है। यह कहानी बनी बनायी है। उसके बाद उसे पुलिस को सौंपा गया और उसे फिर डाक्टर के पास ले जाया गया। उसे मेरठ ले जाया गया। मेरठ के एस० एच० ओ० श्री गौड़ इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे। उसे मेरठ में पुलिस को सौंपा गया। मेरे मित्रों ने जो कुछ प्रश्न किये हैं, उनके बारे मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। पहली बात यह है कि यदि वह किसी सम्मानित परिवार से सम्बन्धित है तो अभी तक उसके परिवार के सदस्यों अथवा रिश्तेदारों की ओर से पुलिस स्टेशन में जमानत का आवेदन पत्र क्यों नहीं दिया गया है अथवा सरकार के पास किसी प्रकार का अनुरोध क्यों नहीं किया गया है। सब बातें राजनीतिक दल ही कर रहे

हैं। श्री राजनारायण मेरठ पहुंचे और उसके बाद हमें बताया गया कि उन्होंने दिल्ली सी० एम० ओ० मेरठ को टेलीफोन किया इस बात का ध्यान रखा जाये। वह बागपत में ठहरे हैं। वे कहते है। कि वे इसे राजनीतिक रंग नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आज जलूस निकाला था और उनके पोस्टर में लिखा है:--

"चौधरी चरणसिंह की सिंहनी आवाज। चौधरी चरणसिंह की सिंहनी आवाज सुनने बागपत चलो 4 तारीख को, चौधरी चरणसिंह अत्याचारों के बारे में बोलेंगे।"

मैं चौधरी चरणसिंह से यह जानना चाहता हूं। इसी प्रकार का बलात्कार 1978 में बड़ौत में श्री राम नरेश यादव के शासनकाल में हुआ था। एक मुस्लिम महिला निजामुद्दीन के साथ बलात्कार किया गया। उस मामले का क्या बना? कुछ नहीं हुआ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : मैंने मामले को उस समय विधान सभा में उठाया था (**व्यवधान**)।

श्री राजेश पाइलट : मैं उस बात को यहीं छोड़ता हूं।

मैं कह रहा था कि यदि उसके परिवार के सदस्य हैं तो वे उसकी जमानत करने क्यों नहीं गये। उसके पीछे केवल राजनैतिक दल ही क्यों हैं? उससे सर्वसाधारण क्यों नहीं बात कर सकता? वह हिरासत में है। वह दिल्ली आयी थी और वहां ठहरी है। उसे पूरे नियन्त्रण में ले लिया गया है। सर्वसाधारण को उससे मिलने नहीं देते। मैंने बागपत के लोगों से बातचीत की और उनसे पूछा—"इस मामले के बारे में आपका क्या विचार है।" इसके बदले उन्होंने उत्तर दिया—"ये लोग डाकू हैं। उस क्षेत्र के लोग उन्हें जानते हैं। मैंने अनेक पुलिस स्टेशनों से सूचना एकत्र की है, जहां उनकी आवश्यकता है। या तो मैं सिद्ध करता हूं कि वे डाकू हैं या ये सिद्ध करें कि वे भले लोग हैं। ऐसा सिद्ध होते ही कहानी बदल जायेगी (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : रेप और डेकायट्स दो अलहदा अलहदा बातें हैं (**व्यवधान**)।

श्री चरणसिंह (बागपत) : डकैती के मामले पर ये इसलिए जोर डाल रहे हैं ताकि उन लोगों के मारे जाने की बात की ओर से ध्यान टल जाए। अन्यथा उनके डाकू होने या भले लोग होने की बात में क्या तुक है। (**व्यवधान**)।

श्री राजेश पाइलट : यदि वे भले लोग होते तो शोर-शराबा न होता यदि मैं किसी महिला के साथ सफर करता हूं और कोई तंग करता है तो मैं चुप रहूंगा और समय व्यतीत करूंगा। लेकिन वे डाकू थे। उनका उत्तर प्रदेश के राजपत्र में डाकू नाम से उल्लेख है मैं जानना चाहता हूं कि यदि महिला इस प्रकार के बदनाम लोगों के साथ सफर करती है, चाहे वह उसकी पत्नी हो या कुछ और तो मुझे बतायें कि वहां इकट्ठे लोग उनके बारे में क्या राय रखेंगे? जब गोली चल रही हो तो महिला उन्हें गोलियां सप्लायी करती है? लोग उस महिला का

सम्मान केसे कर सकते हैं। आप अन्तरराष्ट्रीय महिला वर्ष या कोई और नाम ले सकते हैं। यदि वह महिला है तो उसे महिला की ही तरह पेश आना चाहिए। यही नहीं महिला होते हुए वह एक डाकू की तरह व्यवहार करती है तो एक डाकू पुतलीबाई पर भी दया दर्शायी जाए। मेरा यह कहना है कि वे इसे राजनैतिक रंग दे रहे हैं। वे सभी इसे राजनैतिक स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। वे फिर 6 तारीख को रैली करने जा रहे हैं। उन्होंने यह कह कर रैली को स्थगित कर दिया है कि यह 6 तारीख को की जायेगी। यदि वे इसे राजनैतिक रंग नहीं दे रहे हैं, तो संसद में मामले पर चर्चा करने के बाद ही कार्यवाही की जाए। वे उससे पहले रैली क्यों कर रहे हैं? जब चौ० चरणसिंह बागपत जा रहे थे, तो उन्होंने वहां जाना रद्द क्यों कर दिया? इसके पीछे पूर्ण राजनैतिक खाका है। इसका एकमात्र कारण यह है कि वे ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि वे पश्चिमी-क्षेत्र में चुनावों में हार गए हैं इसमें और कोई बात नहीं है। वे स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं।

विभिन्न चुनाव-क्षेत्रों से चुनकर आए हम जिम्मेवार लोग हैं। यदि हम प्रशासन, विशेषकर पुलिस को उचित अधिकार नहीं देते हैं, जिसे सारे ही राष्ट्र को नियन्त्रण में रखना है, और यदि ऐसे अवसरों पर पुलिस को तंग करें तो आप भविष्य में पुलिस प्रशासन से क्या आशा कर सकते हैं? हमें देश को नियन्त्रण में रखना है। यदि हम पुलिस को उचित स्थान नहीं देते हैं, उचित दिशा नहीं देते हैं और उल्टे उन्हें सताते हैं तो पुलिस का स्वयं कोई अर्थ नहीं रहेगा।

मैं आपसे राजनैतिक दलों को यह बताने का निवेदन करता हूं कि जब तक न्यायिक जांच पूरी नहीं हो जाती, किसी प्रकार की राजनैतिक बैठक या रैली नहीं होनी चाहिये। **(व्यवधान)** सच्चाई को बाहर आने दो। यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको दण्ड दिलवाने में हम भी आपके साथ होंगे। हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम चाहते हैं कि यह देश सही रूप में ही आगे बढ़े न कि राजनैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : अध्यक्ष महोदय, मधु दण्डवते जी सदन में ऐसे बोले थे जैसे कोई समाज सुधारक बोल रहा हो, परन्तु सचाई तब सामने आई जब उन्होंने कहा कि जब गृहमंत्री महोदय बागपत गये तो यह एक नाटक रचाया गया था। यदि यह नाटक रचाया गया था तो ऐसा भी आपकी दाईं ओर बैठे आपके मित्रों का ही काम था, जिन्होंने रैली का आयोजन किया, जिन्होंने नारे लगाए और वहां उन्हें सही ढंग से जांच नहीं करने दी।

दूसरे, जब मेरे मित्र ने कहा कि वह महिला भी एक डाकू थी तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि यह कोई सही तथ्य नहीं है। क्या यह सही तथ्य है कि बलात्कार किया? जब मामला न्यायिक जांच के लिये भेजा गया है तो सच्चाई का पता लगने दो और तब हम प्रमाणिक तथ्यों की बात कर सकते हैं।

श्री पासवान ने कहा है कि ऐसे गम्भीर मामले को राजनैतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिये। क्या मैं आपके माध्यम से उनसे पूछ सकता हूं : क्या यह सच नहीं है कि विधान सभा

चुनावों में पराजित विधायक श्री जगतसिंह एक प्रदर्शन का आयोजन कर रहे थे ? जहां हम जांच कर रहे थे वहां वह हमारे कमरे में घुस आए। मैं उन्हें इसलिए बताना चाहता हूं, क्योंकि वहां मैं भी गृह मन्त्री महोदय के साथ था और उसने वहां काम नहीं चलने दिया। क्या यह कोई राजनैतिक बात नहीं है ? आप यहां यह कह रहे हैं कि राजनैतिक रूप न दिया जाए और आपके प्रतिनिधि जांच को रुकवाने का प्रयत्न कर रहे थे।

श्री राम विलास पासवान : रेप होगा तो बोलेंगे भी नहीं क्या ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : यह प्रमाणित किया जाए। यदि यह प्रमाणित हो जाता है तो हम आपके साथ हो जाएंगे। आप कानून से ऊपर नहीं हैं। आपको कोई न्यायिक जांच नहीं सौंपी गई है।

गृहमन्त्री महोदय के साथ हम पहली तारीख को बागपत गये। वहां पर बहुत से लोग हमें देखने आए। जांच शुरू हुई। वहां हमारे सामने दो प्रकार के मत व्यक्त किए गए। एक में बताया गया कि कार में चौक में लोग आए पुलिस आई, गोली चली और नंगा करके औरत को थाने ले जाया गया। दूसरे लोगों का कहना था कि वे लोग जो चौक में शराब पी रहे थे आपस में लड़ पड़े। उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि उन लोगों के पास हथियार है और उनकी लड़ाई गम्भीर रूप ले सकती है। जब पुलिस आई तो उन लोगों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने गोली चलाई और उन लोगों ने भी पुलिस को गोलियों से ही जवाब दिया। अन्त में 3 आदमी मारे गए और दो भाग खड़े हुए। यह महिला कार में बैठी रही (व्यवधान) मैं सदन के सामने तथ्य ही प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं श्री दण्डवते या श्री पासवान की तरह कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं। मैं तो सदन के सामने तथ्य ही रख रहा हूं जिससे कि माननीय सदस्य किसी निर्णय पर पहुंच सकें। मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं।

अतः महिला को कार से निकाला जा रहा था। वह कार में ही बैठी हुई थी। पुलिस उसे बाहर धकेलने की कोशिश करती रही और वह कार में ही अड़ी बैठी रही। उस खींचतान में उसके कपड़े फट गए। यह सचाई है। इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता। उसके बाद उस महिला को पुलिस चौकी ले जाया गया। जब दोनों दलों के लोग हमारे पास आए तो हमने उनसे पूछा : "क्या आप में से कोई वहां उपस्थित था जब यह घटना घटी ?" उन्होंने बताया : "नहीं हम देर से पहुंचे" जब हमने सुना तो हम वहां गए।" हमें गवाही देने के लिए कोई चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया, दो सज्जन वहां थे, जो यूं ही संयोगवश कस्बे में आये हुए थे। उन्होंने हमारे सामने शपथ लेकर बताया कि वे लोग वास्तव में ही शराब पिये हुए थे। यह सच है कि महिला पुलिस के साथ नहीं जा रही थी। वह रुकने का प्रयास कर रही थी और जब वह उससे खींच-तान कर रहे थे तो उसका ब्लाऊज फट गया। तब वहां उपस्थित सारे के सारे दो तीन हजार आदमी औरत और पुलिस के पीछे चलते रहे और पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए। तो देखना यह है कि जब दो तीन हजार आदमी वहां उपस्थित थे तो यह कैसे सम्भव हो

सकता है कि उस महिला के साथ थाने में बलात्कार किया जा सके और वह भी ठीक दिन के एक बजे ? दोपहर को उस समय उसके साथ कैसे बलात्कार किया जा सकता था ?

और महोदय, श्री राजनारायण भी वहाँ पर आये थे उन्होंने कहा, "मैं भी आपको यह बताना चाहता हूं कि वहां पर क्या हुआ ?" गृहमन्त्री महोदय ने अच्छा व्यवहार किया और उन्हें कुर्सी पेश की उन्हें पीने के लिए पानी दिया और बड़ी ही शान्ति से जो कुछ उन्होंने कहा वह सुनते रहे । उसके बाद उच्चतम न्यायालय के वकील श्री आर० के० गर्ग भी वहां पहुंचे । वह मेरे मित्र हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं । मेरे यहाँ बैठे हुए मित्र लोग यह मानेंगे कि जब गृहमन्त्री महोदय वहाँ गये तो उस दिन उन्होंने भी बागपत जाने का कष्ट उठाया जब कि बाहर का कोई भी वकील नहीं था । उनके साथ दो स्थानीय वकील भी वहां गये और उन्होंने यह मांग की कि उनकी बात भी सुनी जाए । हमने उनको बड़ी ही शान्ति से बैठने के लिए कहा और जो कुछ उन्होंने कहा हमने सुना । जैसा कि प्रो० मधुदण्डवते कर रहे थे एक वकील की तरह ऐसे ही उन्होंने भी अपना मामला पेश किया । जब हमने यह पूछा "जब घटना घटी क्या आप वहां उपस्थित थे ? क्या आप चश्मदीद गवाह हैं ?" तो वे हमें सन्तुष्ट नहीं कर सके ।

क्या मैं आपको तथ्यों से अवगत कराऊं ? तथ्य तो यह है.....।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसपुरा) : क्या आप ने घटना देखी थी ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं तो यह नहीं कहता । मैं तो आपको वही कुछ बता रहा रहा हूं जो कुछ गवाहों ने हमें बताया था । उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा ।

असल में बात यह थी कि वह क्षेत्र चौधरी चरण सिंह का गढ़ है और गत चुनाव में वह इसे खो बैठे । इसलिए वे सभी पुलिस विरोधी हो गए । वे तो एक व्यक्ति विशेष श्री गौड़ जो कि एस० एच० ओ० थे के विरोधी थे, चूंकि बड़े साहस ने हरिजनों को मतदान केन्द्रों पर जाने में सहायता पहुंचायी और प्रथम बार उनसे मतदान करवाया । (व्यवधान) चौधरी चरण सिंह से हरिजनों को वोट नहीं डालने दिया, क्योंकि हरिजन कांग्रेस समर्थक हैं । अतः श्री गौड़ हरिजनों का मतदान कराने के लि' उत्तरदायी थे । इसलिए वे सभी गौड़ के विरूद्ध हो गए । संयोगवश जब यह घटना घटी थी गौड़ वहां नहीं थे परन्तु वे "गौड़ गौड़ गौड़" चिल्ला रहे थे । यहां तक कि लोकदल के उम्मीदवार श्री जगत सिंह ने कहा "यदि आप गौड़ को हटा देते हैं तो स्थिति में सुधार हो सकता है ।" उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि यही आदमी झगड़े की जड़ है और यदि उसे हटा दिया जाता है तो स्थिति में सुधार हो सकता है । परन्तु यह आदमी तो वहां था ही नहीं ।

मैं प्रो० दण्डवते और अन्य मित्रों की इस बात से सहमत हूं कि हम एक गम्भीर मामले पर विचार कर रहे हैं । प्रश्न तो यह है कि एक घटना घटी । हम सभी की उस पर भारी चिन्ता है, हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आये, हम चाहते हैं कि कुछ न कुछ किया जाना चाहिए,

जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न घट सकें। परन्तु इससे पहले कि हम कुछ करें, कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिनका उत्तर जरूरी है।

पहली बात तो यह है, डाकुओं ने गोली किस कारण से चलाई? दूसरे, पुलिस ने तीन आदमी को गोली से क्यों उड़ा दिया? और क्यों उन्होंने प्रतिरोध में गोली चलाई? प्रतिदिन वे गलियों में घूमते हैं, इस तरह तो वे लोगों को नहीं मारते थे कोई न कोई बात तो जरूर रही होगी। उसी बात का हम पता लगाना चाहते हैं। (व्यवधान) यदि वे वास्तव में दोषी हैं, तो हम आपके साथ हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उनको दण्डित करेंगे और हमारे गृह मन्त्री महोदय इस बारे में पहले ही एक वक्तव्य दे चुके हैं। आपको इससे सन्तुष्ट हो जाना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि क्या श्री गौड़, जो कि लक्ष्य बने हुए हैं उस दिन काम पर थे जबकि यह घटना घटी? चौथी बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि महिला गर्भवती थी और चूंकि पुलिस द्वारा पीटने पर उसका गर्भपात हो गया। यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या वास्तव में गर्भपात हुआ था? पाँचवी बात यह है कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या पुलिस स्टेशन पर बलात्कार किया गया, क्या यह सम्भव हो सकता है जब तीन हजार लोग वहां पर विद्यमान थे। न्यायिक जांच की जानी चाहिए और उनका निर्णय हमारे सामने आना चाहिए।

दूसरी ओर बैठे अपने मित्रों से मेरा यह निवेदन है कि यह एक गम्भीर मामला है। हम सभी यह चाहते हैं कि इसके जिम्मेदार लोगों को दण्ड मिलना ही चाहिए। लेकिन हमें एक स्थिति पैदा करनी होगी, ऐसी परिस्थितियां तैयार करनी होंगी जिनमें अपराधियों का पता चल सके और जो जिम्मेदार हैं उनकी पहचान हो सके। आपको माया त्यागी और अन्यों से कुछ लेना देना नहीं है। आप तो इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते है। इसीलिए तो आप रैलियां कर रहे हैं और स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। आप तो यह चाहते हैं कि इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाये। लेकिन क्या मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन कर सकता हूं.....।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : हमें जांच के परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। और निश्चय ही उसके लिए जो जिम्मेदार हैं, उनको दण्ड दिया जाएगा।

क्या इस तरह की परिस्थिति में कोई गृहमन्त्री कभी व्यक्तिगत रूप में इस तरह अध्ययन करने गया है? यह ज्ञानी जैल सिंह का बड़प्पन है और आप इसका फायदा उठा रहे हैं। वह वहां एक सच्चे लोकतान्त्रिक की तरह आपकी इस मांग को पूरा करने के लिए गए कि वह वहां जाकर देखें और रिपोर्ट दें।

अत: एक न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है। जैसे कि आप चाहते थे अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है। अब सच्चाई को बाहर न आने दो और हमें प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पांच मिनट का समय श्रीमती गीता मुखर्जी को देता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं वहाँ पहले 21 तारीख को गई थी। मैंने उस महिला को देखा है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप पाँच मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त कर सकती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं आपसे थोड़ा और समय देने के लिए निवेदन करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, और अधिक समय नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : सर्वप्रथम गृह मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बागपत में घटी एक बहुत शर्मनाक घटना का जिक्र किया है। वह क्या थी ? कुछ बात हुई होगी जिसे शर्मनाक कही जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह पुनरावृत्ति है, आप कोई नयी बताइये।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं वहाँ किसी भी अन्य व्यक्ति से पहले गई, मैं ही पहली महिला संसद सदस्य थी जो घटना स्थल पर 21 तारीख को ही गई थी। आपको मालूम होगा कि मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी, परन्तु श्री संजय गाँधी की दुर्भाग्य पूर्ण मृत्यु के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इसलिए मैं आपसे थोड़ा और समय देने के लिए निवेदन कर रही हूं। मैंने उस महिला को भी देखा है। उस दिन 21 तारीख को जब मैं वहाँ गई थी तब मैंने केवल स्थानीय लोगों से ही पूछ ताछ नहीं की बल्कि मैं जानकारी लेने पुलिस थाना भी गई थी। अत: आप यह नहीं कह सकते हैं कि इसके या उसके प्रति मैंने कोई पक्षपात किया। कुछ बहुत शर्मनाक घटना घटी है और अब यह प्रश्न है कि इसके लिये जिम्मेदार कौन है और इस संबंध में क्या किया जाना है ? इस समय मैं जो प्रश्न पूछ रही हूं वही मुख्य प्रश्न है। मेरे पुलिस थाना जाने से पूर्व बहुत से लोगों ने मुझे इन घटना के बारे में बताया जिसकी चर्चा प्रो० मधु दंडवते द्वारा भी की गई है अत: मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगी। इस महिला को नंगा किया गया उसके खून निकल रहा था उसे पीटा गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मैंने बागपत के पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक श्री सिंह से पूछा कि क्या ऐसी बातें हुई हैं। उन्होंने यह नहीं कहा "कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है।" उन्होंने कहा कि आम "लोगों ने यह किया है।" फिर भी उन्होंने यह नहीं कहा है कि ये बातें नहीं हुई हैं। अब बात यह है कि आम लोग यह क्यों करेंगे ? जो तीन कथित इस विशेष महिला के साथ थे, उनकी मृत्यु पुलिस द्वारा गोली चलाने से घटना स्थल

पर ही हो गई है। हमारे देश में किसी ने ऐसी चीज देखी है कि जब तीन लोगों की मृत्यु पुलिस द्वारा हुई और शव अभी भी पड़े हुये हैं और पुलिस के समर्थक लोगों ने जल्दी से औरत के कपड़े उतार लिए और इस तरह की बात की ? मैंने उनसे दूसरी बात पूछी यदि आप कहते हैं कि इसे आम लोगों ने किया है तो यह कैसी बात है कि, आपके पास उन तीनों लोगों को मारने के लिए बेहतर गोली की शक्ति थी तब भी उन तथाकथित डाकुओं के साथी को जिसने ऐसा कहा जाता है कि उन्हें गोली बारूद सप्लाई किया गिरफ्तार क्यों नहीं किया ?" उन्होंने जो उत्तर दिया उसे जानकर आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने कहा कि ओह "आपको अफसोस है कि मैं क्यों नहीं मारा गया।" वह नहीं बता सके कि उसे क्यों नहीं पकड़ा गया। वह कह रहे थे जब हम इधर-उधर- दौड़ रहे थे, तब हम उसे कैसे पकड़ सकते थे ? "इन सब चीजो के बारे में कौन सोचता है ?"

इस प्रकार की शर्मनाक घटना जहां घटी है, उसके प्रति क्या कानून और व्यवस्था के अभिरक्षकों का ऐसा दृष्टि कोण है ? जब गृह मंत्री महोदय इस घटना के बारे में बोल रहे थे तब उन्होंने कहा है कि हम लोग शर्मिन्दा हैं। मैंने उपनिरीक्षक से पूछा कि "आप कहते हैं कि उन्होंने गोली चलाई। तब उन गोलियों को किसी जगह पर होना चाहिये था। यदि पुलिस या आम लोगों को गोलियां नहीं लगी तो ये गोलियाँ इमारत, वृक्ष दुकान या किसी अन्य जगह पर अवश्य गई होगी ? क्या गोलियां आपको मिली ?" उन्होंने कहा "कि हमारे पास ये सब ढूंढने के लिए समय नहीं था। हम लोग इधर-उधर दौड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में हम यह कैसे कर सकते हैं ?" उपनिरीक्षक श्री सिंह के रवैए को देखिए, जिनके साथ मैं बात कर रही थी। उन्होंने बिलकुल महसूस नहीं किया कि इस महिला की रक्षा हेतु कुछ किया जाना चाहिए था उन्होंने एक जिम्मेदार संसद सदस्या को उत्तर देना आवश्यक नहीं समझा, जिनका कथित राजनीतिक चाल, यदि कोई है, हाथ नहीं है, जिनका विवाद ग्रस्त मुख्य राजनीतिक दलों से कोई सम्बन्ध नहीं है और जो महिला शिष्ट मंडल के साथ गई थीं। यही उत्तर था जो उन्होंने दिया। अगर आज कोई महिला-संगठन और सामिजक संगठन यह मांग करते हैं कि इन पुलिस अधिकारियों को वहां से हटाया जाए, निलंबित किया जाए और कैद किया जाए अन्यथा कोई निश्पक्ष जांच नहीं हो सकती, तो क्या यह सब गलत है ? क्या यह सही आशंका नहीं है कि यदि इन लोगों को कुछ सजा नहीं मिलेगी, तो जाँच वास्तव में सही ढंग से नहीं हो सकती है ? आखिरकार, निलंबन कोई सजा नहीं है। प्रो० मधु दंडवते ने जो कुछ कहा हैं मैं दोहराना नहीं चाहती हूं।

अब मैं दूसरा प्रश्न पूछती हूं जो जांच एवं उसके विचारणीय विषय आदि के बारे में है। जांच की अवधि के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। मेरा अनुरोध है कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कुछ विश्वस्त न्यायिक जांच की जानी चाहिए। परन्तु चूंकि यह एक अकेली घटना हैं और इसमें बहुत कम लोगों का हाथ है, अतः यह जांच जल्दी हो सकती है। मेरे विचार से इस जांच के लिए समयावधि निर्धारित की जानी चाहिए जिससे सदन पुनः सुन सके और वस्तुस्थिति का पता लगा सके कि उन अपराधियों, जिन्होंने उस महिला का पुलिस स्टेशन में भारी अपमान जनक ढंग से बलात्कार, आदि किया था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

पुलिस स्टेशन के अन्दर हुई घटना की जांच की जा सकती है। परन्तु एक चीज की जांच की आवश्यकता नहीं है कि उस औरत के साथ लोगों के सामने कैसा दुर्व्यवहार किया गया था। पुलिस के लोग ही प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से इसके लिए जिम्मेदार थे। मेरे विचार से तो प्रत्यक्ष रूप से।

चूंकि आप मुझे पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं इतना ही बोलूंगी। मैं उसी रात मध्यरात को इस लड़की के पिता के निवास स्थान में गई थी। मैंने उसके पिता से पूछा "क्या इस नाम की कोई लड़की आपकी है" ? उन्होंने कहा, "जी हां"। मैंने पूछा—"उसके पति का क्या नाम है?' उन्होंने कहा "श्री ईश्वर दयाल त्यागी।" मैंने उनसे पूछा "इनके बीच कोई तलाक था ?" उन्होंने उत्तर दिया "जी नहीं"। पुलिस के लोगों ने मुझे, उसे रखेली बताया था। अत. मैंने उसके पिता से पूछा, "क्या वह रखेली है ?" उन्होंने उत्तर दिया "जी कभी नहीं। वह मेरा दामाद है।" मैंने यह सब उसके पिता से उसी रात को पूछा था। जैसा हमारे मित्रों ने कहा कि उनके परिवार का कोई सदस्य वहां नहीं आया, यह सच नहीं है। वहां उस समय तक इन्तजार किया जब तक कि उसका भाई उसे अस्पताल से लेकर मेरठ से नहीं लौटा। जिस वकील ने उसे जमानत पर रिहा करवाया वह भी उस गाँव का निवासी है। वह इस लड़की के साथ मेरठ गए।

अन्त में मैं केवल यह कहूंगी कि राजनीतिक चाल के बारे में बहुत बात चल रही है। यदि रात को इस शर्मनाक घटना के समाचारपत्रों में प्रकाशित होने के बाद इस मामले को गंभीरता के साथ लिया जाता तो यह सब कतई न होता। मेरे पास कार वगैरह कुछ नहीं होने पर भी मैं 21 तारीख को ही बागपत जा सकती थी, तब गृह मन्त्री महोदय और वर्तमान सरकार इस गम्भीर घटना की जानकारी रख सकी और जो पुलिस अधिकारी इस घटना के लिए जिम्मेदार है, कम से कम जो अपने कर्त्तव्य में बड़े लापरवाह है, उन्हें निलंबित क्यों नहीं कर सकी ? फिर कोई किसी प्रकार की चालबाजी नहीं कर सकता था अगर किसी प्रकार की राजनीतिक चाल यह इस कारण है कि पुलिस का बचाव किया जा रहा है और महिला के साथ हुई भयावह बात को छिपाया जा रहा है मैं सत्ताधारी दल के सदस्वों से प्रार्थना करती हूं कि वे इस गम्भीर घटना के बाद पुलिस के अत्याचारों और महिलाओं के साथ अपमानजनक कृत्यों के समर्थक न बनें। महिलाओं के संगठन में, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए आपको राखी भेजी है उसे आपको अंतिम क्षण में भी स्वीकार करना चाहिए और मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप पुलिस के अत्याचारों का समर्थन करना बन्द करें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ सदन में सुना है और जो कुछ अखबारों में आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बारे में किस प्रकार अपनी भावना व्यक्त करूं ?···(व्यवधान)···आप मुझे मेहरबानी करके बोलने दें। अगर यह घटना सच्ची है तो इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निन्दा की जाए कम है और हमारे विपक्ष के सहियोगियों ने जो एक तस्वीर बनाने की कोशिश की है कि महिलाओं के सम्मान को बचाने

की जिम्मेदारी उनकी है और जैसे हम यहां पर बैठे हुए लोग···(व्यवधान)···देखिए, मुझे बोलने दें। कोई हम बलात्कार के हक में हैं या अगर पुलिस ने ऐसा काम किया है तो हम पुलिस का पक्ष ले रहे हैं, पहले तो मैं इस धारणा को यह कहना चाहता हूं कि यह धारणा गलत है, राजनीति से प्रेरित है अगर यह धारणा बनाने की वे कोशिश करते हैं। इस देश की जनता ने जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, हमारी नेता महिला हैं, हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, जान-माल, सम्मान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी हमें सौंपी। हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा अगर इस तरह की घटना हुई है उसकी जितनी भी भर्त्सना हो कम है। लेकिन एक बात है, मुझे एक बड़ा अजीब ख्याल आता है कि महिला के प्रति सम्मान क्या उन सीटों पर जाने के बाद जागृत होता है? महिला के सम्मान का प्रश्न है तो महिला को अपमानित चाहे काश्मीर में किया जाए, चाहे केरल में किया जाए, चाहे बागपत, बड़ौत में किया जाए, चाहे लखनऊ, कानपुर में किया जाए, अगर अपमान और सम्मान का मामला है तो वह चाहे जहां हो, हम चाहे जिस जगह पर बैठे हों, उसके प्रति हमें बराबर चिंतित होना चाहिए। मैं उस घटना को भूल नहीं पाता हूं, तीन महीने हुए थे उत्तर प्रदेश की सरकार को, चौधरी साहब के चहेते श्री रामनरेश यादव वहां के मुख्य मंत्री थे, उस सरकार में मैं भी था उपमंत्री, शायद पूरे भारत में सबसे कम उम्र का मंत्री था, मुझे आज भी याद है लखनऊ के पुराने इलाके को ऐसा बना दिया गया था पुलिस की गोलियों से—पहले तो खासतौर से राजस्थान से इम्पोर्ट करके श्री लालसिंह वर्मा को आई० जी० बनाया गया, उन्होंने मुझ से थाने में कहा कि मैं आपको वहां जाने के लिए मश्विरा नहीं दूंगा लेकिन मेरी गाड़ी पर झंडा लगा हुआ था इसलिए रोक भी नहीं सकते थे। मैंने कहा जाऊंगा। मैं 8 बजे उस इलाके में पहुंचा। शायद मैं अकेला आदमी था, उस मौके पर जब गोलियां चल रही थीं मैं उस जगह पर पहुंच गया। तो जब मैं एक फर्लांग निकल गया था तब आई० जी० ने पीछे से एक ट्रक पी० ए० सी० भेजी थी। आप यकीन मानिये, मेरी आंखों का देखा हुआ है, सुना हुआ नहीं है, मेरी गाड़ी को देखकर पुलिस वाले छतों से ऐसे कूद रहे थे जैसे कि मालिक-मकान को देख कर चोर भागते हैं। मैं मंत्रिमण्डल में था, सरकार का हिस्सा था, मैंने सब कुछ आकर सदन में बताया। अगले दिन मैं कानपुर पहुंचा। (व्यवधान)। यह चर्चा केवल माया त्यागी की नहीं है—हमें पूरी हमदर्दी है अगर उनके हाथ ऐसा हुआ—लेकिन यह चर्चा है महिलाओं के सम्मान और अपमान की, चर्चा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। हम यही जानते हैं, हमें इस देश में बताया गया है, हमारी यह सभ्यता है कि कन्या और गैया। इनकी इज्जत अगर न हो तो सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए यहां पर महिला के अपमान और सम्मान का मामला है। (व्यवधान) कानपुर में मुझसे कहा गया कि इस मकान में जरूर चले जाइये। श्री अब्दुल्ला बुखारी, जो कि आज हमारे विरोधी है और हरिकेश जी के मित्र हैं, वे भी हमारे साथ थे, हरिकेश जी उनसे मालूम कर सकते हैं (व्यवधान)। मैं हरिकेश जी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मालूम कर लीजिए। मैं उस घर के अन्दर पहुंचा। उसमें तीन औरतें थीं—दादी, बेटी और बहू। (व्यवधान) जी हां, मैं मिनिस्ट्री में था और तीन महीने के बाद छोड़ दिया था। मैं यह बताना चाहता था कि कर्फ्यू एक घंटे के लिए खुला ताकि लोग आटे-दाल का इन्तजाम

कर सकें लेकिन 45 मिनट में फिर लगा दिया गया, लोग अपने घरों को लौट भी नहीं सके। तो जिस घर में मैं गया वहां औरतों ने दुपट्टे नहीं हटाए और इस तरह से रोई कि मैं आपको क्या बताऊं ? कर्फ्यू लगने के बाद दो सिपाही घर के अन्दर आए और वह लड़की जिसकी 8 दिन के बाद शादी होने वाली थी, उसके साथ उन्होंने जो कुछ किया, उसके साथ बेइज्जती की और उसके दहेज का सारा सामान उठा ले गए।

मैंने अगले दिन उत्तर प्रदेश के सदन के अन्दर आकर यह बात बतलाई थी। लेकिन, श्रीमान, उस जमाने में अगर बड़ौत में किसी मुसलमान महिला के साथ बलात्कार हो और वह क्षेत्र भी चौधरी चरणसिंह जी का था, तो उस महिला के अपमान के प्रति इनकी अन्तरात्मा नहीं जागी। कानपुर में 18 साल की लड़की जिसकी 8 दिन बाद शादी होने वाली थी ''उसके साथ बलात्कार हुआ''।

अध्यक्ष महोदय : आप बागपत पर आइए।

श्री आरिफ मुहम्मद खां : फिर भी इनकी अन्तरात्मा नहीं जागी और लखनऊ में जो कुछ हुआ ''(व्यवधान) ''सुनने का दम रखिए ''(व्यवधान) ''अगर ये किस्से, इनके जमाने के, इनको बुरे लगते हैं तो मैं नहीं सुनाना चाहता (व्यवधान)'''मैं ऐसी बात नहीं सुनाना चाहता, जिस पर इनको एतराज है, मै दूसरी बात कहता हूं ''(व्यवधान) ' जरा खामोशी रखिए, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, मुझे ताज्जुब होता है'''(व्यवधान)।

प्रो० मधु दन्डवते : महोदय, वेद मंत्रालय के कार्यकरण आदि की बात कर रहे हैं ' (व्यवधान)।

श्री आरिफ मुहम्मद खां : वह महिला नहीं थी, महिला तो माया त्यागी है। वह कानपुर की महिला महिला नहीं थी'''(व्यवधान)'''।

अध्यक्ष महोदय : वह जिसके बारे में कह रहे हैं उसे मैं जानता हूं। प्रश्न का सम्बन्ध औरतों से है। (व्यवधान)।

श्री आरिफ मुहम्मद खां : मैं वह बात जो बुरी लगती है, नहीं कहता हूं '''।

अध्यक्ष महोदय : आप खत्म करिये।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : मैं उन मामलों को नहीं गिनवाऊंगा जो इनको बुरे लगते हैं। मैं केवल एक बात कहता हूं—दोनों पक्षों की तरफ से जो बातें कही गई, इस देश के चुने हुए प्रतिनिधि, महिलाओं का सम्मान हो, इसके प्रति जागरूक है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनायें होती हैं—क्यों ? मेरा यह विश्वास है कि नेकनीयती से यदि किसी बात पर चिन्ता व्यक्त की जाय और उस सिलसिले में कदम उठाए जाएं, तो उसका फल अच्छा निकला है। मैं यह मानता हूं कि यह वक्त भाषण का वक्त नहीं है। हम सब अपनी अन्तरात्मा टटोलें और देखें कि बागपत में

होने वाले इस किस्से से, जो माया त्यागी के साथ तथाकथित अपमान हुआ है, क्या सही मायनों में हम उससे चिन्तित हैं या ऐसी बात तो नहीं है कि हमें चिन्ता है—किसी और चीज की। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि महिला तो महिला है, चाहे किसी जगह की हो। महिला के सम्मान के प्रति मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है—जो कुछ हुआ और जो मुझे बताया गया, अगर यह सच है तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। हमारा सब का सिर शर्म से झुकना चाहिए···।

श्री हरिकेश बहादुर लेकिन आपका नहीं झुका।

श्री आरिफ मुहम्मद खां : हमारा सब का सिर शर्म से झुकना चाहिए। अगर यह बात सच है तो इस की जितनी भर्त्सना करें कम है। लेकिन भर्त्सना और निन्दा उसकी भी की जायगी, जहां महिलाओं के सम्मान और अपमान की बात को लेकर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने की कोशिश की जाएगी।

25 सालों में पहली बार कुछ ईमानदार अफसरों के उस क्षेत्र में भेजे जाने के कारण ऐसी बात हो रही है। जरा याद कीजिए, केवल एक साल पहले, पार्लियामेन्ट्री चुनाव के पहले, वहां पर 11 दरोगा थे, जिनमें से 10 एक जाति के थे···(व्यवधान) क्या यह तथ्य नहीं है ? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस भाग में पहली बार राजनीतिक जमींदारी जो लाठी के आधार पर की जाती थी, उस राजनीतिक जमींदारी को तोड़ा गया और उस राजनीतिक जमींदारी के टूटने से आज ऐसी बात कही जा रही है। वरना में कहता हूं—जरा अपने दिल पर हाथ रख कर देखें और सोचें—बड़ौत और बागपत के क्षेत्र में कितनी हरिजन महिलाओं के साथ रोजाना इस तरह के दुराचार होते हैं। जरा अपने दिल पर हाथ रख कर देखें और सोचें – कितनी महिलायें जब वे उस अमानवीय सुलूक को मानने से इन्कार करती हैं तो उनका खेत पर घास काटने जाना बन्द कर दिया जाता है। एक किस्सा नहीं है, न जाने कितने किस्से हैं—क्या वे महिलायें नहीं हैं ?···(व्यवधान)···।

मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, केवल एक बात कहने की इजाजत चाहता हूं। बहुत हल्की सी बात कहता हूं—हम फिल्म देखने जाते हैं, अक्सर उसमें देखा जाता है कि जब कोई भली लड़की विलेन की बात नहीं मानती है, तो अपने ही किसी गुण्डे साथी से उस पर हमला कराता है और खुद उस को बचाने के लिए पहुंच जाता है, अपने ही साथी को मार कर भला बनने की कोशिश करता है। हम राजनीतिक लोग यह सोच लें कि कहीं ऐसा न हो, लोग कहने लगें कि ये तो इसी बात का इन्तजार कर रहे थे कि दूसरे पर कब मुसीबत पड़े और कब आकर आंसू बहायें। इस से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश न करें।

मेरी प्रार्थना है कि आप जरा अपनी अन्तर्रात्मा को टटोलिए और देखिए—क्या सच्चे मायनों में महिला के सम्मान और अपमान के प्रति हम आगरूक हैं ? यदि सच्चे मायनों में

जागरूक हैं तो इस पक्ष के लोग भी कटिबद्ध हैं। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के मामले में, चाहे वह माया त्यागी हो या कोई दूसरी महिला हो, कोई कसर नहीं उठा रखेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनीराम बागड़ी। (व्यवधान)।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं बोलने के लिए इच्छुक सदस्यों की संख्या के अनुसार समय दूंगा। समय नहीं है। अगर प्रत्येक चीज जो पहले कही जा चुकी है उसे पुनः कहना है तो हमें चार घण्टे तक बैठना होगा।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं तीन या चार मिनट बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अगर आपको बुलाऊंगा तो सबको टाइम दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनीराम बागड़ी। आप पांच मिनट में अपना भाषण खत्म कर दीजिए। ···(व्यवधान)··।

समय निर्धारित कर दूं दो-दो मिनट। अगर पार्टी के हिसाब से बोलना चाहते हैं, तो फिर इधर वालों को भी बोलने का समय दिया जाएगा। मनीराम बागड़ी जी, आप बैठिये। पहले श्रीमती गोपालन बोल लें। आप पांच मिनट में समाप्त कर दें। मैं किसी को पांच मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलप्पी) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग दूसरी बार औरतों के प्रति अत्याचार के घटना के बारे में सदन में चर्चा कर रहे हैं। पहले मदुराई वाले मामले पर विचार किया गया था और अगर अध्यक्ष महोदय उदार होते तो मेरे विचार से इन चीजों के बारे में विचार करने के लिए बहुत से अवसर आये होते। कल ही एक घटना समाचार पत्रों में छपी है कि एक महिला का अपहरण कर लिया गया और इसमें दो पुलिस के अधिकारियों का हाथ है। आज के समाचार पत्र में यह उल्लेख है एक घटना में पुलिस के लोगो ने घर के अन्दर घुसकर औरत और मर्द की पिटाई की। रोज समाचार पत्रों में ऐसी बहुत सी घटनाओं की सूचना मिल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रक्षक ही भक्षक बन गया है पुलिस के लोग, जिनका दायित्व रक्षा करना है स्वयं ही अपराध करने लगे हैं।

महोदय, इस प्रकार की घटना पहली बार ही नही घटी है। पहले भी ऐसी घटनाये कई बार घट चुकी हैं। इसलिए हम इस घटना की सही जांच करवाना चाहते हैं। मेरे विचार से इस घटना का कोई जोड़ नहीं है। मेरी याददाश्त में तो इसका जोड़ नहीं है क्योंकि एक महिला को नंगा करके सड़कों में घुमाया गया और उसका सड़क में ही गर्भपात हो गया था। यह बहुत ही

शर्मनाक बात है। वह डाकू है, उसका सम्बन्ध डाकुओं से है, यह कोई बात नहीं, परन्तु क्या एक महिला को नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा सकता है? आपने इस घटना से श्रीमती माया त्यागी को नंगा कर सड़कों पर नहीं घुमाया है, बल्कि भारत के समस्त नारीत्व और भारत के महिलाओं की बेइज्जती की है।

महोदय, मेरा कहना है कि यदि आप इस घटना की पूर्णतः जांच करना चाहते हैं तो उन सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को, जिनकी महिला संगठन ने कैद करने की मांग की है, केवल निलम्बित करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मेरे विचार से स्वतन्त्र और सही जांच करने के लिए इन अधिकारियों को जांच पूरी होने तक जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्या आप इसके लिए तैयार है ? अन्यथा, हमारा पहले बहुत बार इसका अनुभव है। जब केरल में श्री करूणाकरण गृहमन्त्री थे तब केरल में दो महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई और बलात्कार किया गया। जब वे बाहर आई तो उन्होंने आत्महत्या करली। हमारे महिला संगठन ने जांच करने एवं सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को निलम्बित करने के लिए दबाव डाला। उनको निलम्बित किया गया, परन्तु दो महीने बाद जब शोर कम हो गया तो निलम्बित अधिकारियों को बहाल किया गया और उनकी पदोन्नति भी की गई थी। यह हमारा अनुभव है। यह और नहीं होना चाहिए। यहां कुछ न्याय होना चाहिए जो देश के सभी लोगों के लिए सबक हो और इसके बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा न कर सके। अगर आप इस तरह के दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार है, तभी न्याय हो सकता है। सत्ताधारी दल से यही मेरी प्रार्थना है।

आप विधान बनाने के बारे में बता रहे हैं। हम लोग उस विधान के बारे में बहुत चिंतित हैं। आपका दृष्टिकोण ही एक महत्वपूर्ण बात है और हम यह देख रहें हैं कि औरतों पर आक्रमण को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। आप लोगों ने तीस साल तक शासन किया। आप लोग कहते हैं कि विधान बनाने के बारे में सोच रहें हैं। परन्तु आप लोगों ने क्या किया है। आपके युवा मित्र इन पुलिस के लोगों का समर्थन कर रहें हैं। इससे हमको चिंता हो रही है। मैं पूछती हूं कि "क्या आप लोग इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं ? आपको पुलिस के खिलाप कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। इस तरह की कोई घटना भविष्य में नहीं घटनी चाहिए। मैं माननीय गृह मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या उन पुलिस अधिकारियों को निलम्बित करने एवं जांच पूरी होने तक जिले में उनको प्रवेश न करने देने के लिए वह तैयार हैं ? मैं आपसे निवेदन करती हूं कि कम से कम अब तो उनके खिलाप कड़ी कार्रवाई करें। आपकी कार्यवाही ऐसी हो कि इस देश में इसके बाद कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसे अपराध न कर सके। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें हियर रेप पर है **हियर रेप इज नो एवीडेंस** : मैंने सभी बातें यहां सुनीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक बार जब हमारी प्रधानमंत्री नारायणपुर की घटना को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के नारायणपुर जाना चाहती थीं तो उस समय उनसे यह कहा गया कि मेहरबानी करके आप वहां न आइये क्योंकि

यह स्टेट सब्जेक्ट है। आज उस बात को यहां कोई नहीं कह रहा है। आज उसी स्टेट सब्जेक्ट को यहां डिसकस किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय मैंने इस केस की एफ० आई० आर० पढ़ी है। इस रिपोर्ट को पढ़ने से मालूम होगा कि किस प्रकार से यह बनाई गयी है। इसमें मेडिकल रिपोर्ट भी है। बयान पर अंगूठे के निशान भी है। ये सारे तथ्य जो आप कह रहे हैं वे इससे साबित नहीं होते। या तो यह एफ० आई० आर० गलत है या तथ्य कहने वाले गलत हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। उसकी रिपोर्ट है। उसमें कहा है कि रेप हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो उसका कुछ पोर्शन पढ़ सकता हूं। उसी दिन डाक्टर ने उसको एग्जामिन किया। वह कुछ लोगों की कम्पनी में थी।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बड़ी जोरो से यहां पर इस घटना की चर्चा हुई। यह घटना 19 जून को घटती है और उसकी एफ० आई० आर० 19 को नहीं, 20 को नहीं, 21 जून को लिखी जाती है। पूरे तीन दिन के बाद एफ० आई० आर० लिखी जाती है। इस तीन दिन के बाद लिखी गयी एफ० आई० आर० के बारे में यहां कुछ नहीं कहा गया।

मैं सुदेश त्यागी के बयान से पढ़ कर सुनाता हूं—दिन के दो बजे जब हम बागपत चौपाल पर आये, जैसे ही कुछ सामान लेने के लिए दुकानात की ओर चले तो देखा कि पुलिस थाना बागपत ने कुछ लोगों से झगड़ा किया तथा फायरिंग शुरू कर दिया।"

यह एक इम्प्राबेबल स्टोरी है। सारी कथा आप पढ़ लें। न तो ए० एच० ओ० है वहां पर न और कोई चीज है पूरी मेडीकल रिपोर्ट मेरे हाथ में है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि उस दिन कोई रेप नहीं हुआ है ;

यह असभाव्य कहानी है।

क्यों आप रेप, रेप कर रहे हैं। डाक्टर क्या कहता है इसको आप देखें। उसी दिन की रिपोर्ट हैं। क्या मैं सारी रिपोर्ट पढ़ू ? इसमें यह लिखा हुआ :

वहां उस समय में कोई जिन्दा या मरा शुक्राणु नहीं था।

अगर मैं सारी रिपोर्ट आपको पढ़ कर सुनाऊं तो आपको दुख होगा। आपको चाहिये कि आर्गुमेंटस देने के पहले जो वस्तुस्थिति है, उसको आप जान लें। यह जो रिपोर्ट दी गई है यह पैथोलोजिस्ट के द्वारा दी गई है और आन दैट बेरी डे दी गयी है। इसमें कहा गया है :

बलात्कार या इस प्रकार की कोई चीज नहीं की गई है।

हमारे गृह मंत्री जी बड़े सीधे सादे हैं। दाढ़ी रखने से सरदार नहीं हो जाता है। उनका दिल भी सरदार का है। सरदार ने कह दिया है कि अगर गलत काम हुआ और यह साबित हो जाता है तो सख्त सजा दी जायगी और न्याय किया जाएगा। जब उन्होंने यह आश्वासन दे दिया है तो फिर आपने इस मामले को उखाड़ने की क्यों कोशिश की है, क्यों इस मामले को आप उछाल रहे हैं। जब एक सरदार ने एक बात कह दी है और दिल से कह दी है—

श्री मनीराम बागड़ी : यह ठीक बात इन्होंने नहीं कही है।

अध्यक्ष महोदय : बड़प्पन की बात उन्होंने बताई है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या जो इम्प्रोबेबल स्टोरी है उसको आप मानेंगे ?

श्री हरिकेश बहादुर : सब लोग अपनी अन्तर्रात्मा की हत्या कर रहे हैं, इसको आप रोकिये।

श्री मूलचन्द डागा : वहां पर कहा गया कि कोई बागपत का आदमी गवाही देने के लिए तैयार है तो कोई तैयार नहीं हुआ।

मेरी प्रार्थना है कि इस सवाल को आप अपने तक ही सीमित रखें। यह जो स्टोरी है इसको पढ़ें। जानबूझ कर औरत ने गलत रिपोर्ट दी है, तीन दिन के बाद दी है। सारी रिपोर्ट सारी इन्जरीज, अगर आपने इसको देखा तो आपको मालूम हो जाएगा कि फर्जी हैं, कनकाक्टिड है, बनावटी है।

प्रो० मधु दंडवते : आदमी मरे यह तो सही है ?

श्री मूलचन्द डागा : जो मारे गए हैं उनकी क्यों आप वकालत करना चाहते हैं ? आपके सामने सारी चीज हैं। ईश्वत त्यागी के खिलाफ आठ मुकदमे थे जो पैंडिंग थे। 302, 397, 395, 392 धाराओं के तहत ये केस चल रहे थे। रिपोर्ट से मालूम होता है कि स्कफल हुई थी।

जहां तक महिला की इज्जत का सवाल है सारे देश के लोग उसके हक में हैं और एक आवाज से कहते हैं कि महिलाओं की इज्जत होनी चाहिये। सदस्यों को, भारत के हर नागरिक को औरतों पर गर्व है और हम उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं को उछालना नहीं चाहिए और चुप्पी साधकर रखनी चाहिये जब तक कि सही-सही तथ्य हमारे सामने न आ जाएं और इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक रंग देना कदापि उचित नहीं है। न्याय होने वाला है। ज्यूडिशल इनक्वायरी आर्डर कर दी गई है। लेकिन आज तो यही मालूम देता है कि यह जो सारी रिपोर्ट है यह फर्जी है, बनावटी है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं श्रीमती माया त्यागी को नमस्कार करता हूं। इस सदन में जो यह चर्चा चली है, इससे न सिर्फ भारत बल्कि संसार के लोगों को, नारी के बारे में बहस-मुबायसे के दौरान सत्य, असत्य जो कुछ कहा गया है, इस बहस ने सबको एक दफा झझोड़ा है। हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री ने भी पहले यह चर्चा की थी कि किस तरह से नारी के सम्मान को रखा जायेगा।

लम्बा समय नहीं है, लेकिन मैं आहिस्ते-आहिस्ते अपनी दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि यह सरकार अभी बहुत शक्तिशाली नहीं है और विपक्ष में भी कोई दम नहीं है। अगर विपक्ष में दम हो तो मैं यह मानता हूं। कि अगर किसी माया त्यागी के साथ किसी

भी सरकार के दौर में ऐसा जुल्म हो तो सत्याग्रह कर के उस सरकार को उलट दे। अगर सरकार शक्तिशाली होती तो यह 18 तारीख को बाकी है और इतने विरोध करने के बाद यह न्याय की जांच की बात हो, इसको मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। रपट दर्ज होनी चाहिये थी, मुजरिमों को गिरफ्तार करना चाहिये था, अदालत फैसला करती कि दोषी कौन है या कौन नहीं है।

जब माया त्यागी आकर गृह-मंत्री, प्रधान मंत्री और आपको कहती हैं और रपट लिखाती हैं, तो यह कायदा है हिन्दुस्तान में। एक तरफ कानून बना रहे हैं, मैं खुश हूं कि सख्त कानून बने जिससे नारी की इज्जत बचे, और अभी जो कानून है, उसका आप उपयोग नहीं होने देते। अगर औरत जाकर थाने में रपट लिखाये, कि मेरे साथ बलात्कार किया तो कायदा है, पर्चा दर्ज करके मुजरिम को गिरफ्तार करें और फिर उसके बाद इन्वैस्टीगेशन हो। मैं जुडिशियल इन्क्वयारी का विरोध करता हूं, इससे नारी के सम्मान को शक्ति नहीं मिलेगी बल्कि उन मुजरिमों को रक्षा मिलेगी। पहला काम था पर्चा दर्ज करो, गिरफ्तार करो और सस्पेंड करो: मामला खत्म।

आप राजनीति की बात करते हैं, राजनीति का क्या मतलब है। कोई जनता पागल है क्या जो इस तरीके से समझेगी। मैं राजनीतिक हूं, मेरा धर्म है कि किसी अबला की इज्जत लुटती हो तो उसे बचायें। श्री कमलापति जी, ज्ञानी जैलसिंह और सब चाहेंगे कि ऐसा हो। अगर जनता सरकार दोष करती थी, तो यह उस वक्त भी दोष था, उससे पहली सरकार दोष करती थी तो वह भी दोष था और आज भी दोष है। एक दोष दूसरे दोष को करने की इजाजत नहीं देता। जनता सरकार के वक्त का पाप, पाप है और इस वक्त का पाप, महा-पाप है।

अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है जो इस सदन में आज यह चर्चा चली है। उधर से जो नौजवान साथी उठकर तेजी से बोलते थे, तो मैं खुश होता था क्योंकि इनकी तेजी से मुझे उत्तेजना होती थी कि यह आवाज फैलती थी और मैं सोचता था कि यह जनतंत्र को सीख रहे हैं। लेकिन उनको यह ज्ञान होना चाहिए कि राजा हरिचन्द्र के जमाने से लेकर आज तक पुलिस, शासन, पैसे और गुंडे की दास रही है। उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इस देश में पुलिस के सुधार की जरूरत है। मैं आपसे और हिंदुस्तान की जनता से चाहूंगा कि लोकसभा रक्षा करे, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन खान अब्दुल गफ्फारखां ने कहा है कि मैं इन्दिरा गांधी से मिला था और इन्दिरा गांधी से यह बात कही कि किसी तरीके से आप अबला की इज्जत को बचायें, औरत की इज्जत को बचायें और जरूरत पड़े तो ऐसे लोगों को गोली मार दें। इन्दिरा जी ने कहा कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, गोली नहीं मार सकते तो उन्होंने कहा कि कोई कानून बनायें। एक तरफ खान अब्दुल गफ्फार खां कहते हैं और इन्दिरा जी कहती हैं, कानून बनाओ, और दूसरी तरफ जो कानून आज अबला को सहायता देता है, उसका उपयोग नहीं करते हो हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, कौन थानेदार, कौन डी० एम० और कौन आई० जी०, मैं ज्ञानी जी से कहना चाहता हूं कि यह न आपके दोस्त हैं और न हमारे। यह हजूर के नौकर हैं। कल जनता की सरकार थी, इनसे कहते थे कि पकड़ लाओ ज्ञानी जी को, तो फट

पकड़ लाते थे। आज कहते हैं पकड़ लाओ, उसको तो यह पकड़ लाते हैं। ये किसी के सगे नहीं हैं, ये यकसार हैं, मैं आपको बताता हूं।

यह ठीक बात है कि आदमी जब उस तरफ बैठता है, तो उसकी एक बात नजर आती है, लेकिन जब वह इस तरफ आ जाता है, तो उसे कुछ और ही नजर आता है अच्छा हो कि इस बहस से इस स्थिति में परिवर्तन हो जाये। अगर यह संघर्ष बढ़ता रहेगा, तो वह दिन भी आयेगा, जब उधर वाले को सोचना पड़ेगा कि कल जब मैं बोलता था तब क्या हालत थी और इधर वाले को सोचना पड़ेगा कि जब मै वहां था, तो क्या काम कर रहा था।

मैं चाहूंगा कि इस घटना को एक मामूली बात न समझा जाये। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं मौके पर भी नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश की हर एक औरत, चाहे वह चोर डाकू या वेश्या हो, भारत की बेटी है। अगर उसके साथ बलात्कार होता है। तो वह भारत की बेटी के साथ होता है। चाहे इस देश की कोई वेश्या हो, हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री और यह सभा यह नहीं कह सकते हैं कि वह हमारी बेटी नहीं है। चोर-डकैतों के लिए कायदे-कानून बने हुए हैं। इस तरह गोली मार कर यह समस्या हल नहीं हो सकती है।

फर्ज कीजिए कि मेरे बाप को कोई कत्ल करता है, तो मैं उसको कत्ल नहीं कर सकता हूं। सुबूत मिलने पर सेशन्ज जज ही उसको सजा दे सकता है। इन्सानों को कीड़े-मकोड़ों की तरह नहीं मारना चाहिए। मैं खुश हूंगा कि माया त्यागी के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिमों को सजा मिले। अगर न मिले, तो हिन्दुस्तान भर की जनता उठे, शान्तिमय आन्दोलन करे, सत्याग्रह करे और वक्त की हुकूमत को एक्शन लेने के लिए मजबूर करे।

यह ठीक है कि श्री राज नारायण वहाँ पर 18 तारीख को गये थे। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। वह श्री राज नारायण हां हैं, जिन्होंने इस मामले को उठाया और इस हाउस को इस पर चर्चा करने का मौका मिला। हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि वह गलत है, लेकिन सारे संसार में एक बहुत बड़े इस्यु को उठाया गया। श्री राजनारायण वहां पर गये। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग वहां जायें।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि द्रोपदी के चीर-हरण के समय भीष्म और द्रोणाचार्य चुप बैठे रहे। कमलापति जी और ज्ञानी जी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मजबूर हैं, कुरुवंशी उन्हें सच्ची बात नहीं करने देते है। उन्हें आगे बढ़ कर कुछ करना चाहिए।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने मगर-मच्छ के आंसू बहाये, उन्होंने ढ़ाई घन्टे बर्बाद किये और फिर वहीं के वहीं खड़े रहे। सरकार ने कह दिया कि न्यायिक जांच होगी और जो व्यक्ति मुजरिम पाये जायेंगे, उनको सजा दी जायेगी। श्री मधु दंडवते शहीद होने को भी तैयार हो गये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अपने ढ़ाई सालों में उन्होंने क्या-क्या कर्म किये। जो घटनाएं नारायणपुर वगैरह में घटीं, उनके सम्बन्ध में उन्होंने क्या किया? जब हमारी अध्यक्षा, श्रीमती इन्दिरागांधी, उन गांव में जा

रही थीं उन्हें रोका गया उस समय इन लोगों ने ही इस सदन में इस बात को उठाने नहीं दिया और कहा कि यह तो स्टेट का विषय है और इसकी चर्चा एसेम्बली में ही होगी। आज ये यहां पर बैठकर बातें कर रहे हैं। असली किस्सा क्या है, वह सामने आएगा। इनके कर्म भी सबके सामने आने वाले हैं। ये लोग बेतुकी बातें करके समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे क्या नतीजा निकलने वाला है ?

यह तो ऐसा हुआ कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। जिन्होंने यह घटना की है, जिन्होंने इस तरह का अत्याचार किया है उसको दण्ड दिया जाएगा। मैं चौधरी चरण सिंह जी से पूछना चाहता हूं, आज वह महिलाओं के सम्बन्ध में बहुत कुछ आवाज करने जा रहे हैं। उनकी आवाज में कितना दम है वह तो दुनिया ने देख लिया। परन्तु उन्होंने महिलाओं का अपमान किया और यह कहा अपने काल में जब वह मुख्य मन्त्री थे कि महिलाओं को तो घर में रोटी बनानी चाहिए। और अब वह सम्मान की बात करते है ? यह किस मुंह से ऐसी बात करते हैं। (व्यवधान)...और हां, अपनी बीबी को चुनवा कर ले आए। यह दुरंगी चाल है। वह कहते कुछ है और करते कुछ हैं। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर है। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को कि वह न्यायिक जांच कराएगी।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मान्यवर,... (व्यवधान) .....

जब पूरे राष्ट्र का मस्तक शर्म से झुका हुआ है बागपत की घटना पर तो हमारे रूलिंग पार्टी के लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें गौरव महसूस हो रहा है और वे पुलिस को लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार के राज्य में आज महिलाओं, हरिजनों और अल्पसंख्यकों, किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं।

"महिला को नंगा घुमाया गया उसके पश्चात् पुलिस द्वारा उससे बलात्कार किया गया।" "सी. आई. डी हरिजन महिला की मृत्यु की जांच करेगी—बाराबंकी।" "जे० पी० अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कान्सटेबलों ने महिला के साथ बलात्कार किया है।" "महिला का पुलिस स्टेशन में बलात्कार किया गया।" "मैंने प्रेस के कतरन से यह उद्धृत किया है।" इन लोगों की अन्तर्रात्मा है ही नहीं, वह पूरे तरीके से भ्रष्ट हो गई है और जो बड़े बड़े नेता इस पार्टी के अन्दर बैठे हुये है, देश के साथ, देश की जनता के साथ चाहे एमर्जेंसी के समय में विश्वासघात हुआ, चाहे अब हो रहा है, उस सब को ये लोग डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और शर्म की बात है। आज भी यही काम किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि गृहमन्त्री जी ने अभी कहा था कि देश का झंडा तब झुकता है जब पुलिस का डंडा टूटता है। अगर यही एटीच्यूड है तो आप पुलिस को बचाने के सिवाय और कोई काम नहीं कर सकते हैं। कितना अत्याचार पुलिस कर रही है इसके बारे में आप अपने कान खोल करके सुनिए और आंख खोल करके देखिए। आप लोग राजनैतिक लाभ की बात करते हैं। नारायनपुर का काण्ड हुआ था तो उस सरकार को बर्खास्त

करने की मांग मैंने की थी और मैं चाहता हूं कि ऐसी सरकारों को बरखास्त किया जाय, ऐसी सरकारें रहें नहीं और आप को भी बरखास्त होना पड़ेगा, आप को जनता बरखास्त करेगी। जब पत्रकारों ने प्रधान मन्त्री से पूछा कि यह धारणा बन रही है कि नारायनपुर कांड से आप लोग राजनैतिक लाभ उठाना चाहती हैं तो प्रधान मन्त्री ने जवाब दिया था कि जब ये अपोजीशन के लोग गलतियां करेंगे तो राजनैतिक दल होने के नाते हम क्यों न लाभ उठाएं ? आप अगर अपनी पुलिस को उकसाते हैं भ्रष्टाचार और व्यभिचार करने के लिए तो राजनैतिक दल के लोग यहां पर चुप्पी साध कर बैठेंगे और आप का समर्थन करेंगे ? आप ऐसा क्यों समझते हैं ? हम इसका लाभ भी उठाएंगे। लेकिन सवाल यहां लाभ उठाने का नहीं है। सवाल देश की उन महान परम्पराओं और मर्यादाओं का जिनके लिए इस देश के महान व्यक्तियों और महापुरुषों ने जीवन भर काम किया है, जिन्होंने आपके सामने ऐसा आदर्श स्थापित किया है ..(व्यवधान) .. त्यागपत्र की बात मत कीजिए।...(व्यवधान)...।

जज की नियुक्ति हुई और उसकी नियुक्ति होने के बाद आई० जी० पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पर प्रैस कांफ्रेंस कर रहे हैं? क्या वे इन्टरफेयर नहीं कर रहे हैं जूडिशियल एन्क्वायरी में ? आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? मैं मांग करता हूं कि आप ऐसे लोगों को सस्पेंड कीजिए, आई. जी. और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सस्पेंड कीजिए। ये कोई खुदा के नुमाइन्दे नहीं हैं कि जो चाहें वह करें और आप इनसे जो चाहे कराते रहें। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्यवाही कीजिए।

मान्यवर, यह वह देश है...(व्यवधान)...यह टाइम्स आफ इन्डिया है, देख लीजिए, चांदनी चौक में एक कुत्ते की मौत हुई तो टाइम्स आफ इन्डिया में छपा हुआ है, इसको इज्जत दी गई। आप खुले आम दिन दहाड़े लोगों को गोलियों से उड़ा रहे हैं और आप कहते हैं कि वे डाकू हैं। डाकू हैं तो आप गोलियों से उड़ाएंगे ? अगर कोई महिला डाकू है तो आप उसको नंगी करके परेड करवाएंगे ? ये तमाम चीजें जो हो रही हैं देश के लिए बड़े शर्म की बात है। सरकार को अपने तौर तरीके को बदलना होगा और देश के साथ न्याय करना होगा, महिलाओं गरीबों और हरिजनों, सबके साथ जो आज अत्याचार हो रहे हैं उन्हें बन्द करना होगा।... (व्यवधान)।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : स्पीकर साहब, आपने बड़ी मेहरबानी करके, जबकि रूल्स में एक घंटे से ज्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता था, दो घंटे दिए, ढाई घंटे भी दे दिए। यह आपकी मेहरबानी है। यहां पर आनरेबल मेम्बर्स ने अपने विचार रखे हैं। दण्डवते जी ने इस बहस का उद्घाटन किया, मिसेस साही, मि० पासवान, मि० राजेश पाइलट, मि० आर० एन० भाटिया, मिसेज गीता मुकर्जी, मि० महोम्मद आरिफ, मिसेस सुशीला गोपालन, श्री मूलचन्द डागा, चौधरी जी—इन सभी मेम्बर्स के जवाब तो मैं देना जरूरी भी नहीं समझता हूं और मेरा खयाल है आप भी नहीं चाहेंगे कि इस पर वक्त खर्च किया जाए। जब आपस में एक दूसरे को जवाब मिल ही गया है तो उसके बाद मैं क्या जबाब दूंगा।

स्पीकर साहब, आपने भले ही कह दिया था कि जुडिशल इंक्वायरी के आडर हो चुके हैं, इसका खयाल रख कर आनरेबल मेम्बर्स बोलेंगे। खैर, खयाल तो रखा ही होगा लेकिन मेरा खयाल है जुडीशियरी का जज यहां बैठा होता तो उसका आधा मन तो बन ही जाता। यह जुडीशल इंक्वायरी कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट के मातहत है। दण्डवते जी के प्रति मेरा खयाल था कि वे प्रोफेसर रहे हैं और प्रोफेसर हमेशा इस बात का खयाल रखता है कि वह जितनी ज्यादा से ज्यादा नालेज दे सके लोगों को, यह दे। वे स्टडी करके भी आते हैं। आज मेरे मन पर एक बात का प्रभाव पड़ा कि वे स्टडी करके भी आते हैं और यह भी समझते हैं कि उनके स्टूडेन्ट्स बैठे हुए हैं। उन्होंने पहले बड़ा सुन्दर रूप दिया कि इंडियन कल्चर को ध्यान में रखकर बात करेंगे और फिर कहा कि जुडीशल इंक्वायरी जो है···(व्यवधान) आप हार्टिकल्चर समझते हैं तो मैं स्पीकर साहब से, दर्खास्त करूंगा कि आनरेबल मेम्बर के दिमाग का इलाज कराया जाए। (व्यवधान) उर्दू स्वादा दोस्त समझेंगे :

मैं दुआ लिखता रहा, वे दवा पढ़ते रहे। एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। तो यह बातें और है। मेरा खयाल था कि वे इस बात को सिद्धांत रूप में सामने रखेंगे। मगर यह भी ठीक है कि गृह मन्त्री के स्टेटमेंट पर दो घंटे बहस हो ली। शायद पहले भी गृह मन्त्री के बयान पर बहस होती रही हो लेकिन मुझे तो पहला मौका सुनने को मिला है कि गृह मन्त्री ने स्टेटमेंट दे दिया, जुडीशल इन्क्वायरी के लिए कह दिया, स्टट ने उसको मान लिया उसके बाद जो ऐसी तकरीरें होती हैं उनसे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उससे उस लड़की की इज्जत बचाने का मकसद है, गुनहगारों को सजा दिलाने का मकसद हैं या अपनी पार्टी की इमेज बनाने का मकसद है ? खैर, मैं बड़ी इज्जत करता हूं इन दोनों पति पत्नी की, यानी प्रोफेसर साहब और उनकी वाइफ की ··(व्यवधान)।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : यहां पर दोनों इस सदन के मेम्बर हैं।.

श्री जैल सिंह : तो पति और पत्नी मेम्बर नहीं हो सकते, बागड़ी जी, क्या बाजेपयी जी और भूपेश गुप्त जी ही मेम्बर हो सकते हैं जो पति नहीं बने ?

खैर, मैं सच बात कहता हूं कि मिसिज दण्डवते जो पार्लियामेन्ट मेम्बर हैं उनके साथ माया त्यागी और एक-दो शख्सियतें मुझे मिले थे। मैंने कहा बहिन जी, आपने सब कुछ बता दिया होगा, हम असलियत पर जाने की कोशिश करते हैं तो आनरेबिल ·····। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं तो उन्हें बहिन ही समझता हूं, बहन कहूंगा ही, लेकिन रिकार्ड में आनरेबिल मेम्बर कहना जरूरी है। ·····

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैं गृह मंत्री जी से मिलने नहीं गई थी। हमारी कुछ महिलायें गयी थीं। मैं माया त्यागी के साथ प्रधान मंत्री जी से मिलने गई थी, आपने दूसरी महिला को कैसे प्रमिला दण्डवते समझ लिया ?

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, आप ही हैं न श्री मधु दंण्डवते की मिसिज ? अच्छा मुझे बताओ, रात के 8 बजे मेरे घर में प्रधान मंत्री जी का क्या काम ? आप उनको मिलने गई थीं ।

अध्यक्ष महोदय : ये कहती है मैं आपके घर नहीं गई थी ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैं माया त्यागी को साथ लेकर प्रधान मंत्री जी से मिलने गई थी, आपके यहां मैंने रिप्रेजेन्टेटिव भेजी थी, लेकिन मैं खुद नहीं गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : यहां मुझे कालिंग देना पड़ेगा—आप घर में झगड़ा नहीं करवा सकते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय मंत्री के सूचनार्थ मैं स्पष्ट करता हूं कि वह मेरी पत्नी है ।

श्री जैल सिंह : जो मुझे याद है, मैं ईमान्दारी से कहता हूं । मुझे बताया गया :

मैं मिसिज मधु दण्ड़वते हूं और यह वह लड़की है और उनके साथ एक लेडी और थी । मैंने यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी से मिलना चाहिये, तो उन्होंने कहा कि ऐसे समय में, अफसोस के दिनों में, हम प्रधान मंत्री जी को क्यों तकलीफ दें । इन्होंने यह भी कहा कि ' ।

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, इसकी एन्क्वायरी होनी चाहिये··· (व्यवधान) ।

श्री जैल सिंह : उनके साथ दो बहनें और थीं ।

श्री कुम्भा राम आर्य : क्या बागपत की जांच भी ऐसी ही कर के आये हैं ?

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, मैं चौधरी साहब को बहुत पुराना जानता हूं और वे भी मुझे जानते हैं । हम दोनों प्रजा मंडल में रहे हैं । उनके मुंह से यह बात सुन कर मुझे अफसोस हुआ । मैं अगर जानकारी कर पाता तो क्या मेरा स्टेटमेन्ट यही आता ? अगर मेरी जानकारी मुकम्मिल हो जाती तो क्या फिर जुडीशियल एन्क्वायरी की जरूरत रह जाती ? क्या मैं उनको सजा देता, क्या मैं हकुमत को मजबूर नहीं कर सकता था कि उनको सजा दी जाय ? वहां एन्क्वायरी नहीं होने दी गई, वहां हजारों आदमी मौजूद थे जोकि पोलिटीकल पार्टियों के आदमी थे और अपनी-अपनी पार्टियों के स्लोगन लगा रहे थे । कोई एन्क्वायरी नहीं हो सकती थी, किसी को माया त्यागी का ख्याल नहीं था । पोलीटीकल पार्टियां अपने जलसे लगा रही थी । मैं वहां क्यों गया ? इसलिए कि मैंने राज्य सभा में बचन दिया था कि मैं वहां जाऊंगा । हालांकि मैं

समझता था कि जाने का कोई फायदा नहीं होगा। पार्लियामेन्ट की दस लेडी मेम्बर्स मेरे साथ थीं और भाटिया जी मेरे साथ थे। मैं दो दिन रहने के लिए वहां तैयार था लेकिन जब मैंने वहां एटमास्फीअर देखा जिन्होंने अपनी आंखों से हाल देखा था, वे तो आते नहीं, और बड़े-बड़े लीडर्स, वकील, हमारे सामने तकरीरें करते हैं, तो मैंने समझ लिया कि इस तरह से असलियत सामने नहीं आयेगी। यही मैंने स्टेटमेंट में लिखा है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप थोड़ा माहौल को ठण्डा होने दें।

प्रो० मधु दण्डवते : अगर यह ठण्डा दिमाग है, तो गर्म दिमाग क्या होगा ?

श्री जैलसिंह : प्रोफेसर साहब ने कहा—सीयर ट्रांन्सफर से कुछ बात नहीं बनती। मैं उनके जज बात की कद्र करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि रेस्ट हाउस में जाकर एन्क्वायरी की, आगे क्यों नहीं गए ? इसका जवाब मैंने दे दिया है। आगे जाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि असलियत निकलने नहीं देते थे। जिन्होंने आज बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग की है, वहां जाकर क्या माया त्यागी की इज्जत को बचाने के लिए की है ? माया त्यागी के नाम से पोलिटीकल फायदा उठाने की कोशिश की गई है। अगर ऐसी हालत रहेगी तो इन्साफ होना मुश्किल है।

प्रोफेसर साहब, आपकी तकरीर शानदार थी। मुझे एक शैर याद आया—

इकबाल बड़ा उपदेश कहे, मन बातों से मोह लेता है,
गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका।

आप की तकरीर का एण्ड नहीं हुआ, उसको देखिए। क्या उस में पोलिटीकल रंगत नहीं थी ? क्या आप उस पोलिटीकल रंगत को उतार सकते हैं ? आप की तमाम-की-तमाम तकरीर में यही बात थी—गृह मन्त्री ने वहां जाकर कुछ नहीं किया, गृह मन्त्री ने जो स्टेटमेन्ट दिया है, उसमें कुछ नहीं कहा है ? क्या ज्यादा कह कर मुझे जुडीशियल एन्कवायरी का मजाक बनाना था ? मैं वहां गया और मैंने देखा कि यहां इन्साफ नहीं मिल सकेगा, जब तक जुडीशियल इन्क्वायरी नहीं होती। मैंने दिल्ली आकर चीफ मिनिस्टर को टेलीफोन किया। जब मैं वहां गया था, जुडीशियल एन्क्वायरी की बात मेरे दिमाग में नहीं थी। मैंने उस रोज शाम को स्टेटमेन्ट क्यों दिया ? इसलिए कि मैं चीफ मिनिस्टर को अपनी राय देना चाहता था और मैंने उनको अपनी राय दी। उन्होंने उस राय को मन्जूर किया और जुडीशियल एन्क्वायरी के आर्डर हो गए। मैं यह पूछना चाहता हूं—मुझे पूछना नहीं चाहिए, गलती से पूछ लिया, मुझे तो बताना चाहिए था—मैं बतलाना चाहता हूं—क्या आप इन तकरीरों और उन तकरीरों को सुनने के बाद कोई जजमेन्ट दे सकते हैं कि कौन गुनहगार है, यह सबित नहीं हो सकता है, इसीलिए जुडीशियल एन्क्वायरी की जरूरत है।

मुझे श्रीमती गीता मुखर्जी और आनरेबिल सी० पी० आई० के मेम्बर साहबान के जजबात की बहुत कद्र है। लेकिन मैं उन से फिर दरख्वास्त करूंगा—आप ने जो लेटर मुझे

लिखा था—यह लैटर श्रीमती गीता मुखर्जी, श्रीमती कनक मुखर्जी और श्रीमती अजीजा इमाम तीनों का लैटर है—यह मेरे स्टेटमेन्ट से पहले मुझे मिल गया था। इसमें आप ने लिखा है—हम लोग महिला को शर्मनाक ढंग से सताने वाले और इस घृणित अपराध करने वाले अपराधी जानवरों को कड़ी सजा देने के लिए, न्यायिक जांच की मांग करते हैं। आपकी यह चिट्ठी आई और मैंने आपकी चिट्ठी को मान लिया'''(व्यवधान)'''आप मेरी बात सुन लीजिए, आप तो बहुत पुरानी पार्लियामेन्टेरियन हैं, पोलिटीकल लीडर हैं। मेरी बात सुन लीजिए, बैठ जाइये। मैं बोल रहा हूं, अगर कोई मर्द होता, तो पूछ लेता कि कैसे बोलते हो'''।

श्री मनीराम बागड़ी : मर्द पर गुस्सा निकलेगा।

श्री जैलसिंह : जो मेम्बर साहबान मेरे साथ गई, उन में से तीन मेम्बर पार्लियामेन्ट ने मुझे एन्क्वायरी के लिए कहा और जब मैंने उनकी बात मान ली तो आप को इस बात की श्लाघा करनी चाहिए थी या मेरे गल पड़ना चाहिए था'''?

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने केवल इतना ही कहा कि आपके दल के अन्य सदस्य क्या कर रहे हैं ? मैंने केवल निलंबित करने की मांग की थी।

श्री जैल सिंह : मैं आप से आशा करता हूं कि आप प्रेस गेलरी से न खेलें, यह मामला पोलिटीकल मामला नहीं है, इस को पोलिटीकल मामला बनाना अच्छा नहीं रहेगा। मै आज भी कह सकता हूं—उस माया त्यागी की इज्जत सत्कार और सम्मान हमारी नजर में, चाहे वह डाकू हो या कुछ भी हो, लेकिन वह भी भारत की एक बेटी है, मैं गृह मंत्री के नाते उसको बेटी समझता हूं और मै उसकी इज्जत को लूटनेवालों को सजा दिलाना चाहता हूं। लेकिन दुनियां में इन्साफ क्या है ? इन्साफ है निर्दोषियों को बचाया जाए और दोषियों को पकड़ा जाए। क्या यही इन्साफ है कि निर्दोष को पकड़ लिया जाए दबाव डाल कर, जुलूस निकाल कर और सत्याग्रह करके ? क्या इन्साफ होगा ? सत्याग्रह किस बात का करेंगे आप जब जूडीशियल इंक्वायरी हो रही है। आप सत्याग्रह करने जायेंगे, जुलूस निकालेंगे और शोर मिचाएंगें ताकि कोई गवाही न दे सके। इस बात के लिए आप को अपने हृदय को टटोलना चाहिए और इस बात को एप्रीशियेट करना चाहिए कि एक वाक्या हुआ, जिस के बारे में जब हमें पता चला, तो हमने जूडीशियल इंक्वायरी का आर्डर कर दिया और जूडीशियल इंक्वायरी के लिए वह जज लिया, जिसको वहां की हाई कोर्ट ने मंजूर किया। उनसे हम इंक्वायरी करवा रहे हैं।''' (व्यवधान)'''आप को बोलना है, तो जरा खड़े होकर बोलिये, मैं बैठ जाता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप तो मिनिस्टर हैं। आज आप इतने गुस्से में बात यह समझ कर मत करिये कि हम यहां पुलिस आफिसर बैठे हुए हैं और आप होम मिनिस्टर हैं और आप हम को डांट रहे हैं।

श्री जैल सिंह : मैं एप्रीशियेट करता हूं दण्डवते जी कि आप ने ऐसा फैसला किया कि उधार नहीं रखा । मैंने भी आप को कहा था कि आप हम को स्टूडेंट्स समझते हो । इसलिए आप ने भी हम को ऐसी ही बात कह दी और मै चाहता हूं कि इस को हजम न किया जाए । इनके शब्द भी रिकार्ड में रहने चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप रोज क्लास लगाना न शुरू कर दें ।

श्री जैलसिंह : स्पीकर साहब, मैं अपनी पार्टी के विरोधियों से यह कहना चाहता हूं कि यह तलवार की लड़ाई नहीं है, यह विचारों की लड़ाई है । इस्पात की तेज धार से जख्म होता है लेकिन विचारों के लिये अगर अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किए जाएं, तो जख्म नहीं होता है । इसलिए मैं अदब से बात करता हूं और कहना चाहता हूं अपने दोस्तों को :

"तुम तीर मारो सीने में बेशक
मगर इतना ख्याल रखना कि
सीने में दिल है और
दिल में तुम्हारा मुकाम है ।"

अध्यक्ष महोदय : हम ध्यान रखेंगे ।

प्रो० मधु दंडवते : आप के दिल पर कभी तीर नहीं मारा है ।

श्री जैल सिंह : नहीं मारा है, ठीक बात आप ने कही । आप ने दुरुस्त कहा अभी एक दोस्त ने कहा कि ज्ञानी जैल सिंह जी मजबूर हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने कहा ।

श्री जैल सिंह : बागड़ी जी ने कहा । बागड़ी जी हमारे पड़ौसी हैं और हमारा इन के साथ बहुत प्यार रहा है और अब भी है लेकिन जब चाहते हैं मेरे ऊपर इल्जाम भी लगा देते हैं, मुहब्बत से लगाते हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने कभी इल्जाम नहीं लगाया आप पर ।

श्री जैल सिंह : मैं सिर्फ बागड़ी जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं बहुत अदब करता हूं, सत्कार करता हूं, इज्जत करता हूं, नरमाई से बोलता हूं, मुलायम भी हूं लेकिन मैं फर्म भी हूं, मजबूत भी हूं । इसलिए मुझे जब काम करना हो लोगों के इन्साफ के लिए, तो मैं किसी से नहीं डरता सिवाय खुदा के । मेरे ऊपर किसी ने दबाव डाला नहीं । ये जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, ये मुझे मिले तक नहीं, मुझसे कुछ कहा नहीं । तकरीरों से आप अन्दाजा लगाते होंगे । मैं इनकी तकरीरों की तादीद करता हूं । जब बात सच्ची कहते हों, तो मैं क्या करूं । अगर आप की बात में सच्चाई न हो, तो मैं क्या करूं, मेरे बस की क्या बात है ।

मेरे एक और दोस्त ने कहा, शायद चौधरी साहब ने कहा था कि ये पुलिस वाले खुदा के नुमायन्दे नही हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त कही। हम भी खुदा नुमायन्दे नहीं हैं। इन्सान हैं और वे भी इन्सान हैं और हम भी है। बागड़ी जी ने कहा कि इधर बैठ कर कभी दिमाग कुछ और हो जाता है और उधर बैठकर कुछ और हो जाता है। फिर वे सपना भी लेते हैं कि कोई समय जाएगा कि हम उधर जाएगें और वे इधर आएगें। बागड़ी जी, अब इस बात को तो छोड़ दीजिए। वह जमाना अब नहीं आ सकता और भारत की परम्परा के मुताबिक, हमारी संस्कृति के मुताबिक हम जब मरेगें या हम को मुक्ति मिलेगी या स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, तो बागड़ी जी आप और मैं दोनों ऐसे आदमी हैं कि जिन्होंने इतने अच्छे काम नहीं किये हैं जिससे कि हमको मुक्ति प्राप्त हो जाए और इतने बुरे काम भी नहीं किये हैं कि कोई हम को नर्क में भेज दे। हम तो भारत में फिर पैदा होंगे लेकिन आपका स्थान वही रहेगा कि जो है और हमारा स्थान भी वही रहेगा। आप किस जगह पर बैठ गये हैं, जिस बेड़े पर बैठ गए हैं अब वह बेड़ा आगे जाने वाला नहीं है। (व्यवधान)।

एक बात मैं प्रोफेसर साहब आपको कहना चाहता हूं, बहिन मुखर्जी को कहना चाहता हूं। लोक दल के नेता चौधरी साहब चले गये। मै चाहता था कि वे बैठे होते। वे इत्तिफाक से प्रधान मन्त्री भी रह गये, वगैर पार्लियामेंट का एक दिन भी सेशन किये और वे होम मिनिस्टर भी रहें। मेरी उनसे कोई अदावत की बात नहीं है। लेकिन यहां कुछ दोस्तों से बातें हो रही थीं, जरा वे भी सुनते। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब मै वहां गया तो लोक दल के नेता सब से आगे आगे थे। मैंने एक कमरा छोड़ा, दूसरे कमरे में गया, दूसरा कमरा छोड़ा, तीसरे में गया। मैने पुलिस वालों को साथ नहीं रखा था। एक औरत, एक मर्द और कुछ लोग मुझे कहने लगे कि हम कुछ नहीं कहते क्या हुआ, क्योंकि हमने देखा नहीं, लेकिन एक बात हम कहते हैं कि आज से 6 महीने पहले इसी इलाके में गुण्डे रोजाना घूमते थे और जो लोक दल के नेता आप से मिले हैं, इनके वे साथी थे। वे लोगों के घरों में जाते थे, कहते थे खाना बनाओ और खाना खाते थे। उनके घर में सो जाते थे। उनकी बहू, बेटियों की इज्जत लूटने के बाद उनका घर लूट ले जाते थे। अब हम सुख और चैन की सांस ले रहे हैं। इसलिए याद रखना कि कहीं हमारी बेइज्जती न हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ तब से हमको किसी ने वोट डालने नहीं दिया। लेकिन अब हम जहां चाहेंगे जायेंगे, हमको आजादी तो मिली। (व्यवधान)।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : जो सवाल है उसको छोड़ कर आप दूसरी बातें कह रहे हैं।

श्री जैल सिंह : मैं यह बात कहता हूं कि मायादेवी को अपनी बेटी समझता हूं।

श्रीमती गायत्री देवी (कैराना) : आप कैसे ये बात कह रहे हैं, क्या उनके सामने ये बातें कहेंगे ?

श्री जैल सिंह : मैं किसी से भी कह सकता हूं। मैम्बर साहिबान, मैं खुदा की मेहरबानी से एक जिम्मेदार हैसियत रखता हूं, होम मिनिस्टर हूं। जब मैं कुछ भी नहीं था, नाचीज था तब भी मेरी गर्दन किसी के आगे नहीं झुकी। मैंने जो कुछ बात कही वह सबके सामने कही। मैं पीछे नहीं कहा करता हूं। (**व्यवधान**)।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारा भी सिर किसी के सामने नहीं झुका है। तानाशाही के सामने भी नहीं झुका है।

श्री जैल सिंह : प्रोफेसर साहब मैं आपको नहीं कहता। आनरेबल मैम्बर साहिबा ने कहा कि मैं सामने बात करूं तो मैंने सामने यह बात कही है। इसमें आपको क्या तकलीफ हुई? (**व्यवधान**)।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, एक बात की मैं प्रार्थना करूंगा। जिसके हाथ में राज का डण्डा होता है उसकी गर्जना शेर की-सी होनी चाहिए। उसकी वाणी मधुर होनी चाहिए। आपके हाथ में डण्डा है, यह आपको शोभा नहीं देता। (**व्यवधान**)।

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, मैं बागड़ी साहब का मशकूर हूं। नम्रता से किसी के आगे भी मेरा सिर झुकता है। मैं सबका दास हूं और नम्रता से सबकी सेवा करता हूं। लेकिन स्पीकर साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी शराफत को मेरी कमजोरी न समझा जाए। मेरी शराफत को कमजोरी समझा गया, इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरह से मैं आपका लिहाज और इज्जत करके चलता हूं, आप भी चलें।

इस मामले में इतना तो साबित हो गया है कि—उस लड़की के कपड़े फाड़े गए। लेकिन किसने फाड़े, उसको देखा है किसी ने फाड़ते हुए, बेइज्जती की है, उसको देखा है, उसके साथ रेप हुआ या नहीं और अगर हुआ तो किसने किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें जानने के लिए हम और आप जज नहीं बन सकते हैं। आनरेबल मैम्बर साहिबान ने जिस तरह से यहां कह दिया है उस तरह से मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि जज प्रेजुडिस हो जायेगा और उसकी इनक्वायरी ठीक नहीं होगी। अगर गृहमन्त्री ने पहले अपनी राय दे दी तो दुरुस्त नहीं होगा। राज्य सभा में भी यही बात आई थी। एक बुजुर्ग नेता कहने लगे कि आपने स्टेटमेंट दिया, उसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कुछ होता तो मैं स्टेटमेंट देता ही नहीं। स्टेटमेंट में कुछ होना नहीं चाहिए ताकि जिस आदमी को फैसला करना है वह इंडिपेंडेंटली फैसला कर सके।

सारे हाउस से मैं प्रार्थना करता हूं, अदब से करता हूं चुनी कि एक स्टेट है, उसकी अपनी असेम्बली है, उसमें भी अपोजीशन पार्टीज हैं, लोगों की वहां हुई सरकार है और यह चर्चा या बहस मुबाहिसा मेहरबानी करके उन पर छोड़िये। यह स्टेट सबजेक्ट है। राज्य सरकार इसको देखे। अगर कोई दुरुस्त बात वहां नहीं होती है तो फिर पार्लियामेंट का वक्त लेना चाहिए।

वर्ना वे लोग भी लोगों के चुने हुए हैं, वे भी उनसे पूछ सकते हैं। इतना मैं जरूर कहता हूं कि जो मैंने वहां की सरकार को राय दी उन्होंने कुछ मानी है और जो आपके जजबात हैं उनसे मैं वहां के मुख्य मन्त्री को ब्रीफ कर दूंगा। मैं आशा रखता हूं कि इस इनक्वायरी में आप सहयोग देंगे, कोआपरेशन देंगे ताकि दोषी को सजा मिल सके।

8.52 म० प०-तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 5 जुलाई, 1980/14 आषाढ़ 1902 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 1980 लोक सभा सचिवालय को प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, दी इण्डियन प्रैस द्वारा मुद्रित,